लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 75
Dated 18.11.2009

(खंड 33 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

रविन्द्र कुमार चड्ढा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

राकेश कुमार
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

प्रतिभा कश्यप
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 33, तेरहवां सत्र, 2008/1930 (शक)

अंक 17, मंगलवार, 15 अप्रैल, 2008/26 चैत्र, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
मंत्रियों का परिचय	1-2
निधन संबंधी उल्लेख	2-3
प्रश्नों के लिखित उत्तर	4-958
तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 320 (20.03.2008)	4-45
तारांकित प्रश्न संख्या 321 से 340 (15.04.2008)	45-204
अतारांकित प्रश्न संख्या 2938 से 3167 (20.03.2008)	204-516
अतारांकित प्रश्न संख्या 3168 से 3365 (15.04.2008)	516-958
राष्ट्रपति का संदेश	959
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	960
अनुबंध-I	961-976
तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका (20.03.2008)	961-962
तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका (15.04.2008)	962
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका (20.03.2008)	963-970
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका (15.04.2008)	969-976
अनुबंध-II	977-982
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका (20.03.2008)	977-978
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका (15.04.2008)	977-978
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका (20.03.2008)	977-980
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका (15.04.2008)	979-982

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 15 अप्रैल, 2008/26 चैत्र 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मंत्रियों का परिचय

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं हाल ही में मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए मेरे साथियों का परिचय आपसे और आपके माध्यम से इस सम्माननीय सभा से कराना चाहता हूं।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

डा. एम.एस. गिल	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्यमंत्री

राज्य मंत्री

1. श्री वी. नारायणसामी	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री
2. श्री संतोष बागड़ोदिया	कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री
3. श्री रघुनाथ झा	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
4. डा. रामेश्वर उरांव	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
5. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
6. कुंवर जितिन प्रसाद	इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : मेरा नम्बर कब आएगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको निर्विभाग मंत्री नियुक्त करूंगा!

श्री किन्जिरपु येरनायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, हम ईश्वर से आपके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी शुभकामनाओं के संदेशों के कारण ही मैं स्वस्थ हो गया हूं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को, हमारे दो पूर्व साथियों श्री बिजय चन्द्रसिंह प्रधान और श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री बिजय चन्द्रसिंह प्रधान, वर्ष 1957 से 1962 तक दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने उड़ीसा के कालाहांडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

व्यवसाय से कृषक श्री बिजय चन्द्रसिंह प्रधान एक कर्मठ सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे। श्री प्रधान वर्ष 1967 से 1980 तक करेडी ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। वह फूलबनी ग्राम पंचायत और एन. ई.एस. ब्लाक के भी सदस्य रहे।

श्री प्रधान फूलबनी राजकीय महाविद्यालय के संस्थापक सदस्य थे, तथा उन्होंने समाज के उपेक्षित वर्गों और जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया।

श्री विजय चन्द्रसिंह प्रधान का निधन 77 वर्ष की आयु में 02 मार्च, 2008 को उड़ीसा के कंधमाल में हुआ।

श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला, वर्ष 1989 से 1991 तक नौंवी लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने मध्य प्रदेश के खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री तारवाला वर्ष 1990 में कपड़ा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

इससे पहले वह 1984 से 1989 तक बुरहानपुर नगर निगम के पार्षद भी रहे।

एक शिक्षाविद् के रूप में श्री तारवाला, मध्य प्रदेश, बुरहानपुर में सरस्वती शिशु मंदिर के संस्थापक सदस्य तथा निमाड़ शिक्षा सोसाइटी के सदस्य रहे।

श्री तारवाला एक ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता थे और वह मध्य प्रदेश के कपास व्यापारी परिसंघ के सदस्य रहे।

श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला का 61 वर्ष की आयु में 30 मार्च, 2008 को मध्य प्रदेश के भोपाल में दुखद परिस्थितियों में निधन हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से और सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों को अपनी संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सभा इन दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हमने प्रश्नकाल के स्थगन की सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बारी–बारी से बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा पटल के निकट नहीं आएं।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.05 बजे

इस समय डा. शफीकुर्रहमान बर्क और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमने कहा है कि हम आपकी बात सुनेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने बताया है कि मैं आपकी बात सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन माननीय सदस्यों के नाम लिखें जो नारे लगा रहे हैं। मैं चेतावनी दे रहा हूं। जो सदस्य नारे लगा रहे हैं उनसे उचित तरीके से निपटा जाएगा। मैं सभा के सभी सदस्यों को चेतावनी दे रहा हूं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन माननीय सदस्यों के नाम नोट करें जो जानबूझकर सभापटल के निकट नारे लगा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

दवाओं के मूल्यों में वृद्धि

*301. **श्री हितेन बर्मन** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दवाओं के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ख) क्या किसी दवा का मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई है;

(ग) यदि हां, तो मूल्य बढ़ाने के लिए दी गई अनुमति का ब्यौरा क्या है तथा यह अनुमति किन–किन दवाओं के संबंध में दी गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान जिन दवाओं के मूल्य कम हुए हैं या किए गए हैं, उनका ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) भारतीय औषध बाजार में अनुसूचीबद्ध और गैर–अनुसूचीबद्ध बल्क औषधियां और फार्मूलेशन शामिल हैं। अनुसूचीबद्ध बल्क औषधियां, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ '95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। ऐसी बल्क औषधियां अपने फार्मूलेशनों के साथ मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं और इनके राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा डीपीसीओ, 95 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। डीपीसीओ, 95 के अंतर्गत अनुसूचीबद्ध बल्क औषधों और उनके फार्मूलेशनों का मूल्य निर्धारण/संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। गैर–अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं और सरकार/एनपीपीए द्वारा गैर–अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन पैकों की कुछ विनिर्दिष्ट श्रेणियों में कतिपय प्रतिशतता के बाद मूल्य वृद्धि की सिर्फ निगरानी की जाती है।

पिछले तीन वर्षों में ओआरजी–आईएमएस रिसर्च प्रा. लि. की खुदरा लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मासिक आधार पर की गई तुलना पर पैकों की प्रतिशत मूल्य वृद्धि निम्नानुसार है :–

वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2004–05	1.28	1.55	1.15	0.78	2.24	1.34	2.34	3.48	1.91	1.13	3.10	1.18
2005–06	3.08	2.73	2.60	3.16	-	-	-	3.10	1.14	1.36	1.17	1.76
2006–07	0.15	0.55	0.31	0.66	0.27	0.34	0.66	–	0.37	0.89	0.68	0.14
2007–08	0.77	0.14	0.10	0.02	0.13	0.12	0.01	0.01	0.32			

एनपीपीए द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान 23 बल्क औषधों के मामले में (संलग्न विवरण में यथा सूचीबद्ध) मूल्य वृद्धि की गई है। यह या तो एनपीपीए को प्राप्त आवेदनों पर आधारित है अथवा गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचीबद्ध बल्क औषधों के 156 मामलों में एनपीपीए द्वारा सतत रूप से चलाई जा रही मूल्य निर्धारण/पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंग के रूप में स्वयं अपनी ओर से किया गया है। बल्क औषधों में हुई ऐसी मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप इन विनिर्दिष्ट बल्क औषधों के फार्मूलेशन पैकों में भी मूल्य वृद्धि हुई है।

गत तीन वर्षों के दौरान (2005–06 से 15 मार्च, 2008 तक) एनपीपीए ने 127 अनुसूचीबद्ध बल्क औषधों और 2443 अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन पैकों के मूल्यों में कमी की है। एनपीपीए विनिर्दिष्ट मार्गनिर्देशों के अनुरूप ओआरजी–आईएमएस से प्राप्त डेटा के आधार पर गैर–अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्यों की भी मॉनीटरिंग करता है। एनपीपीए के हस्तक्षेप के फलस्वरूप, हाल में संबंधित विनिर्माताओं द्वारा 60 गैर–अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन पैकों के मूल्य घटाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एनपीपीए ने वर्ष 2007–08 के दौरान डीपीसीओ, 95 के पैरा 10(बी) के अधीन 24 गैर–अनुसूचबीद्ध फार्मूलेशन पैकों के मूल्य निर्धारित किए हैं। इस प्रकार एनपीपीए के हस्तक्षेप से 84 गैर–अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन पैकों के मूल्य में कमी लाई गई है।

इस विभाग के प्रयासों के परिणामस्वरूप, औषध उद्योग के विभिन्न संघ अपने ट्रेड मार्जिन पर अंकुश लगाते हुए 886 फार्मूलेशन पैकों के मूल्य में कमी करने पर स्वेच्छा से सहमत हुए हैं। एनपीपीए द्वारा देश भर में इन दवाओं के मूल्यों और इनकी उपलब्धता की निगरानी की जाती है।

इसके अतिरिक्त, संघीय बजट में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा दवाओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% करने के उपरांत, एनपीपीए ने अधिकतम खुदरा मूल्य में समतुल्य कटौती अधिसूचित करते हुए 1 मार्च, 2008 से सभी अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन पैकों में 4.58% तक की कमी की है। इसके अलावा, गैर–अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के संबंध में एनपीपीए ने एमआरपी में 4.58% तक की कटौती सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए सभी विनिर्माताओं और मार्केटिंग कंपनियों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। ऐसी मूल्य कटौतियां उन मामलों में लागू होंगी जहां उत्पाद शुल्क वास्तव में सरकार को अदा किया जाता है और वह उन फार्मूलेशन पैकों के एमआरपी पर प्रभारित किया जाता था।

विवरण

वर्ष 2005–06, 2006–07 और 2007–08 (15.3.2008 तक) जिन बल्क औषधों के मूल्यों में वृद्धि की गई है उनकी संख्या

क्र.सं.	ड्रग का नाम	विद्यमान		पुनरीक्षित		%
		मूल्य	दिनांक	मूल्य	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7
2005-06						
1.	नेलिडिक्सिक एसिड	1562.00	11.05.01	1623.00	15.06.05	3.91
2.	फेनरामाइन मेलेट	1068.00	08.10.01	1107.00	29.12.05	3.65
3.	ट्रायमेथोप्रिम	700.00	07.07.03	840.00	29.12.05	20.00
4.	रिफाम्पिसीन	3480.00	29.03.05	3560.00	29.12.05	2.30

1	2	3	4	5	6	7
5.	मेट्रोनिडालोन	470.00	20.08.01	471.00	07.02.06	0.21
6.	मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट	373.00	24.03.05	401.00	07.02.06	7.51
7.	सिफेडाक्सील मोनोहाइड्रेट	2303.00	24.03.05	2474.00	23.03.06	7.43
8.	आईसीएचक्यू	702.00	24.03.05	832.00	27.03.06	18.52
2006-07						
9.	बेंजाथीन पेनसिलीन जी*	2048.00	27.05.06	2288.00	19.05.06	11.72
10.	क्लोरोक्वीन फॉस्फेट	705.00	27.03.06	763.00	11.07.06	8.23
11.	आईबुप्रोफेन	369.00	27.03.06	408.00	11.07.06	10.57
12.	एनलजीन	458.00	30.12.04	459.00	29.09.06	0.22
13.	रेनिटिडीन एचसीएल	625.00	15.06.05	643.00	18.12.06	2.88
14.	इफेन्ड्राइन एचसीएल	1062.00	27.03.06	1161.00	13.02.07	9.32
15.	स्यूडो इफेड्रीन एचसीएल	1761.00	27.03.06	1824.00	13.02.07	3.58
16.	विटामिन ए 1.0/1.7 पालमिटेट ऑयली लिक्विड	2425.00	27.03.06	2685.00	21.03.07	10.72
2007-08						
17.	बेंजाथीन पेनसिलीन जी*	2288.00	19.05.06	2670.00	01.06.07	16.70
18.	क्लोरोप्रोपामाइड	306.00	29.08.95	328.00	27.07.07	7.19
19.	क्लोक्सासिलीन सोडियम (ओरल)	1153.00	27.03.06	1359.00	25.09.07	17.87
20.	फेनिरामाइन सोडियम (स्टेरिल)	1651.00	27.03.06	1904.00	25.09.07	15.32
21.	फेनिरामाइन मेलिएट	1107.00	29.12.05	1168.00	29.11.07	5.51
22.	एसपिरीन	132.00	29.09.06	149.00	23.01.08	12.12
23.	सल्फामेथासाजोल	322.00	21.03.07	361.00	23.01.08	12.11

*1. उपर्युक्त दो मामले मेसर्स हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा दायर मूल्य पुनरीक्षा आवेदन पर आधारित हैं।
2. अन्य सभी पुनरीक्षाएं एनपीपीए द्वारा स्वयं अपनी ओर से किए गए सामान्य लागत मूल्य अध्ययनों पर आधारित हैं।

[हिन्दी]

पुलों का उन्नयन/नवीकरण

***302. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :**

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पुलों के उन्नयन/नवीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्यों तथा इस कार्य के लिए आबंटित और उपयोग की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे इन वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त कार्य का प्रस्तावित समय–सीमा के भीतर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) से (ग) भारतीय रेल पर पुलों की मरम्मत, पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन एक सतत् प्रक्रिया है। रेलवे उनकी भौतिक दशा जैसा कि फील्ड में नियमित निरीक्षण के दौरान आकलन किया जाता है, के आधार पर पुलों की मरम्मत, पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन/सुदृढ़ीकरण करती है। पुलों के ऐसे चिह्नांकन के आधार पर पुल संबंधी कार्यों के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और आवश्यकता के अनुसार कार्यों की विधिवत् प्राथमिकता तय करते हुए उनकी मरम्मत, पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन/सुदृढ़ीकरण करने के लिए धन का आबंटन किया जाता है। 2001–02 में भारतीय रेल पर इस प्रकार चिह्नित पुलों के बदलाव के बकाया कार्य को समाप्त करने के लिए विशेष रेल संरक्षा निधि (विरेसंनि) के तहत 1530 करोड़ रुपये (शुद्ध) की लागत पर 2370 पुलों की मरम्मत, पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन/सुदृढ़ीकरण के कार्य स्वीकृत किए गए थे। विरेसंनि के अलावा, पुल संबंधी कार्यों के नए प्रोद्भवन की मरम्मत/पुनर्स्थापन करने के लिए मुख्यतः मूल्यह्रास आरक्षित निधि (मूआनि) के माध्यम से रेल बजट में अतिरिक्त धन वार्षिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है। यह सत्य है कि पिछले तीन वर्ष के दौरान पुलों की मरम्मत, पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों को हासिल करने में कुछ कमी आई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पुल संबंधी कार्यों को निष्पादित करने में अंतर्निहित विभिन्न जटिलताओं के कारण कमी आई है। पुल संबंधी कार्यों में विभिन्न कारणों यथा–पर्याप्त यातायात ब्लाकों की अनुपलब्धता, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां, बाढ़ और संविदात्मक समस्याओं के कारण देरी हुई है। सामान्यतः कार्यों के त्वरित निष्पादन पर बल को बनाए रखने के लिए पुल संबंधी कार्यों के उच्चतर वार्षिक लक्ष्य तय किए जाते हैं। पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पुल संबंधी कार्यों के वास्तविक एवं वित्तीय वार्षिक लक्ष्य और उपलब्धियों के ब्यौरे नीचे लिखे अनुसार हैं :

वर्ष	मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन के लिए लक्ष्यबद्ध पुलों की संख्या	मरम्मत/पुनर्निर्मित पुनर्स्थापित पुलों की संख्या	पुल संबंधी कार्य के लिए आबंटित धन (करोड़ रुपयों में)	वर्ष के दौरान उपगत व्यय (करोड़ रुपयों में)
2004–05	1629	1579	424.90	390.26
2005–06	1453	1431	487.94	410.59
2006–07	1272	1114	519.27	457.93
योग	4354	4124	1432.11	1258.78
2007–08	1418	869 (जनवरी, 2008 तक)	665.39	318.01 (जनवरी, 2008 तक)

(घ) रेलवे एक नियोजित एवं चरणबद्ध तरीके से पुल संबंधी कार्य संपन्न करती है और कार्यों का समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए स्थलों पर पर्याप्त संख्या में श्रमिक और मशीनें तैनात की जाती हैं। पुलों के समय पर पूरा होने/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर बल देने के लिए उच्चतर लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते हैं और धन इसमें बाधा नहीं बनता है। कार्यों का समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर पुल संबंधी कार्यों की प्रगति पर नियमित निगरानी रखी जाती है। बहरहाल, कभी–कभार पुल संबंधी कार्यों की जटिलताओं जैसे – जटिल योजनाओं एवं डिजाइनों, पर्याप्त यातायात ब्लाक की अनुपलब्धता, प्रतिकूल जलवायु परिस्थिति, बाढ़ एवं संविदात्मक समस्याओं जैसे विभिन्न कारणों से कार्यों में देरी हो जाती है।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी मानदंडों को युक्तिसंगत बनाना

***303. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :**
श्री अमिताभ नन्दी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागर विमानन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए खोलने और साथ ही इस संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी मानदंडों को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का घरेलू एयरलाइनों के हितों की किस प्रकार से रक्षा करने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) सरकार ने नागर विमानन सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए नीति पर निम्नवत निर्णय लिया है :–

हवाई अड्डे :

(i) ग्रीनफील्ड परियोजनाएं :– स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक एफडीआई अनुमत्य है।

(ii) मौजूदा परियोजनाएं :– 74% एफडीआई से आगे 100% तक एफडीआई सरकार के पूर्व अनुमोदन से अनुमत्य है।

विमान परिवहन सेवाएं :

(i) अनुसूचित विमान परिवहन सेवा/घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन में 49% तक एफडीआई तथा अप्रवासी भारतीयों द्वारा स्वचालित मार्ग पर 100% तक निवेश अनुमत्य,

(ii) गैर–अनुसूचित विमान परिवहन सेवा/गैर–अनुसूचित एयरलाइनें, चार्टर्ड एयरलाइनें तथा कार्गो एयरलाइनें : स्वचालित मार्ग पर अप्रवासी भारतीयों द्वारा 74% एफडीआई तथा 100% तक निवेश अनुमत्य।

(iii) हेलीकाप्टर सेवाएं/समुद्री विमान सेवाएं जिन्हे डीजीसीए अनुमोदन की आवश्यकता है – स्वचालित मार्ग पर 100% तक एफडीआई अनुमत्य।

नागर विमानन सेक्टर के अंतर्गत अन्य सेवाएं :

(i) ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं : स्वचालित मार्ग पर अप्रवासी भारतीयों द्वारा 74% एफडीआई तथा 100% तक निवेश अनुमत्य। यह सेक्टर से संबंधित विनियम तथा सुरक्षा क्लीयरेंस की शर्त पर होगा।

(ii) रख–रखाव तथा मरम्मत संगठन : उड़ान प्रशिक्षण संस्थान तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान – स्वचालित मार्ग पर 100% तक एफडीआई अनुमत्य।

(घ) नई एफडीआई नीति घरेलू अनुसूचित एयरलाइनों को प्रभावित नहीं करेगी क्योंकि यह विदेशी एयरलाइनों को एफडीआई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की अनुमति नहीं देती। यह गैर–अनुसूचित तथा चार्टर्ड प्रचालनों पर लागू होती है।

लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान

*304. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के सामने लंबी दूरी की चलती रेलगाड़ियों में डॉक्टरों, नर्सों तथा परिचारकों की व्यवस्था करने के संबंध में राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन में कठिनाइयां आ रही हैं तथा इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त बजटीय आबंटन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में चलती रेलगाड़ियों में किसी भी आपात स्थिति का सामना करने की रेलवे की विद्यमान व्यवस्था पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का कार्यान्वित करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) और (ख) 12.08.2005 को माननीय उच्चतम न्यायालय (जयपुर पीठ) के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (एस एल पी) दायर करके राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 04.05.2005 के फैसले को चुनौती दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के अमल पर स्थगनादेश प्रदान किया है। यह मामला अभी भी न्यायाधीन है और राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर अमल करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) बीमार यात्रियों के प्राथमिक सहायता उपचार हेतु मौजूदा सुविधाएं पर्याप्त हैं। प्राथमिक सहायता बक्से यात्री गाड़ियों में उपलब्ध हैं, जिन्हें प्रशिक्षित फ्रंटलाइन कर्मचारियों या गाड़ी में यात्रा कर रहे किसी डाक्टर द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। हृदयाघात, आघात जैसे गंभीर मामलों को फ्रंटलाइन कर्मचारियों या गाड़ी में यात्रा कर रहे डाक्टर, यदि उपलब्ध हो, द्वारा प्राथमिक सहायता दी जाती है। बहरहाल, चूंकि इन्हें उन्नत पुनरुज्जीवन, स्पेशलिस्ट और उच्च परिष्कृत उपस्कर के उपयोग की आवश्यकता होती है जो चालित गाड़ियों में संभव हैं, इसलिए गाड़ी अधीक्षक/चल टिकट परीक्षक बीमार यात्री के बारे में सूचना अगले रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को भेजता है। उस स्टेशन

का स्टेशन मास्टर बीमार यात्री की परिचर्या हेतु स्टेशन पर एक रेलवे डाक्टर/सरकारी डाक्टर/निजी डाक्टर के आने की व्यवस्था करता है, फिर बीमार यात्री को चिकित्सा सुविधाओं वाले स्टेशनों पर गाड़ी से उतारा जाता है और निकटतम अस्पताल में भेजा जाता है।

गाड़ी में यात्रा करने वाले एलोपैथिक डाक्टरों को उनके गाड़ी किराये में 10 प्रतिशत की छूट भी दी जाती है और उसके एवज में वे गाड़ी में बीमार यात्रियों का इलाज करने के लिए अपनी पेशेवर सेवाएं मुहैया कराते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नई रेल परियोजनाओं हेतु सर्वेक्षण

***305. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर दक्षिण क्षेत्र में नई रेल परियोजनाओं हेतु चल रहे सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) नए सर्वेक्षणों हेतु प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में, विशेषकर दक्षिण क्षेत्र में चल रहे सर्वेक्षणों की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) से (ग) परियोजनाओं से संबंधित 108 सर्वेक्षण प्रगति पर हैं जिनमें 69 नई लाइन, 7 आमान परिवर्तन और 32 दोहरीकरण सर्वेक्षण शामिल हैं। 2008–09 के बजट में 47 सर्वेक्षणों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें 37 नई लाइन, 5 आमान परिवर्तन, 5 दोहरीकरण सर्वेक्षण हैं। चालू सर्वेक्षण कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। दक्षिण, दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम रेलवे को शामिल करने वाले दक्षिण क्षेत्र में सर्वेक्षणों का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	रेलवे	बजट में शामिल करने का वर्ष	सर्वेक्षण का नाम	लंबाई (किलोमीटर में)	पूरा करने की अनंतिम तारीख
1	2	3	4	5	6
नई लाइन					
1.	दक्षिण मध्य	2007–08	गडवल–माचेरला	233	30.09.08
2.	दक्षिण मध्य	2007–08	गुडूर–दुर्गाराजापुरम	45	30.06.08
3.	दक्षिण मध्य	2006–07	खम्माम से पोदचूर	110	31.03.09
4.	दक्षिण मध्य	2007–08	किन्वत–माहुर	45	31.08.08
5.	दक्षिण मध्य	2006–07	कोंडापल्लि–कोठागुडम	120	31.12.08
6.	दक्षिण मध्य	2005–06	मानुगुरू–रामागेंदम	190	31.03.09
7.	दक्षिण मध्य	2007–08	मरकापुर–श्रीसेलम	45	31.07.08
8.	दक्षिण मध्य	2006–07	ताडिकालापुडी–कोयागुडम	19	31.12.08
9.	दक्षिण	2007–08	दिंडीगुल–कुमुली (लोअर कैम्प)	110	30.06.08
10.	दक्षिण	2006–07	इदापल्लि–गुरूवायूर	77	31.05.08
11.	दक्षिण	2007–08	मुदुरै–कैराक्कुडी	80	31.07.08
12.	दक्षिण	2007–08	थलासारी–मैसूर	298	30.06.08
13.	दक्षिण	2007–08	विल्लीवक्कम–कटपाडि	154	31.12.09
14.	दक्षिण पश्चिम	2003–04	अलमाटी–कगपाल	170	31.05.08

1	2	3	4	5	6
15.	दक्षिण पश्चिम	2007–08	बेंगलुरू–नंगली	120	30.09.08
16.	दक्षिण पश्चिम	2003–04	बीजापुर–शाहबाद	140	31.12.08
17.	दक्षिण पश्चिम	2007–08	धारवाड़–बेलगाम	97	31.03.09
18.	दक्षिण पश्चिम	2003–04	कोट्टूर से चित्रदुर्ग बरास्ता जगलूर	80	31.12.08
19.	दक्षिण पश्चिम	2007–08	कृष्णराजा नगर–कुशल नगर	45	31.03.09
20.	दक्षिण पश्चिम	2007–08	पुट्टापार्थी से काडिरी बरास्ता नल्लामादा	45	30.09.08
21.	दक्षिण पश्चिम	2006–07	तालगुप्पा–होनावार	82	30.06.08
22.	दक्षिण पश्चिम	2007–08	तुमकुर–दावणगेरे	210	31.12.08
आमान परिवर्तन					
1.	दक्षिण	2007–08	ताबंरम–चेंगलपट्टू	30	30.09.08
दोहरीकरण					
1.	दक्षिण मध्य	2005–06	बल्लारशाह–काजीपेट तीसरी लाइन	192	31.05.08
2.	दक्षिण मध्य	2005–06	काजीपेट–विजयवाड़ा–गुडूर तीसरी लाइन	555	31.05.08
3.	दक्षिण मध्य	2007–08	मुदखेड़–परभनी	81	31.08.08
4.	दक्षिण	2006–07	रेणीगुंटा–अरक्कोणम तीसरी लाइन	72	31.08.08
5.	दक्षिण मध्य	2007–08	सिकंदराबाद–भोंगीर तीसरी लाइन	46	30.09.08
6.	दक्षिण	2007–08	चेन्नै सेंट्रल–विल्लीवक्कम 5वीं और 6ठी लाइन	10	31.12.08
7.	दक्षिण	2006–07	जोलारपेट्टै–कटपाडि–अरक्कोणम	145	31.08.08
8.	दक्षिण	2004–05	त्रिवेंद्रम–कन्याकुमारी	82	31.07.08
9.	दक्षिण	2007–08	अट्टीपट्टू–गुमिदीपूंदी तीसरी और चौथी लाइन	30	31.12.08
10.	दक्षिण पश्चिम	2006–07	हसन–मंगलौर	189	30.06.09
11.	दक्षिण पश्चिम	2003–04	सेलम–बेंगलुरू	218	31.05.08

एयर टरबाइन ईंधन पर कर

***306. श्री चन्द्रभूषण सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विमान यात्रा को सस्ता करने के लिए राज्य सरकारों से एयर टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर अपने करों की दरें कम करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों से विमानन टरबाईन ईंधन पर लगाए गए बिक्री कर की दरों के नियमन पर विचार करने तथा इसे 4% की दर से घोषित सामान के साथ जोड़ने का अनुरोध किया गया है। वित्त राज्य मंत्री की शक्ति प्राप्त समिति से एटीएफ पर लगाये जाने वाले बिक्री कर के नियमन पर विचार करने तथा इसे 4% के घोषित सामान तक कम करने का भी अनुरोध किया गया था। एटीएफ मामले पर, सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में 18.01.2008 को नागर विमानन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भी विचार–विमर्श किया गया था। सम्मेलन में व्यक्त विचारों के आधार पर, वित्त राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय की शक्ति प्राप्त समिति को एटीएफ कराधान प्रस्तुत करने की दृष्टि से अधिकारियों का एक समूह गठित किया गया है।

(ग) आंध्र प्रदेश तथा केरल सरकारों ने अब एटीएफ पर बिक्री कर को 4% कम कर दिया है।

भारत दर्शन रेलगाड़ियां

***307. श्री पी.सी. थामस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत दर्शन रेलगाड़ियों के मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन–किन स्थानों पर इस रेलगाड़ी हेतु आरक्षण सुविधा उपलब्ध है;

(ग) क्या केरल से यह आरक्षण सुविधा अब बंद कर दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस रेलगाड़ी के लिए काफी उत्साह देखा गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य–वार कितने यात्रियों ने इसमें यात्रा की?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) भारत दर्शन गाड़ियों का विभिन्न मार्गों पर चालन किया जाता है जिनका निर्णय समय–समय पर नोडल एजेंसी, भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) द्वारा भारतीय रेल के परामर्श से लिया जाता है।

(ख) भारत दर्शन गाड़ियों के लिए आई आर सी टी सी के पर्यटन सहायता केन्द्रों, वेबसाइट www.railtourismindia.com और आई आर सी टी सी के एजेंटों के माध्यम से बुकिंग करवाई जा सकती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारत दर्शन गाड़ी ने अभी तक 74 प्रतिशत के औसत उपयोग के साथ 25,448 अदद यात्रियों के साथ 66 फेरे लगाए हैं। बहरहाल, राज्यवार यात्रियों के आंकड़े नहीं रखे जाते।

प्लेटफार्मों पर भोजन बनाने पर प्रतिबंध

***308. श्री बृजभूषण शरण सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने क, ख तथा ग श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर भोजन बनाना बंद करने हेतु अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.आर.सी.टी.सी. लिमिटेड ने भी प्लेटफार्मों को भोजन बनाने से मुक्त करने हेतु अनुदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क, ख तथा ग श्रेणी के रेलवे स्टेशनों के सभी प्लेटफार्मों पर इन अनुदेशों के अनुपालन की क्या स्थिति है;

(च) क्या रेलवे के ध्यान में इन अनुदेशों का पालन न करने/इनके उल्लंघन के मामले आए हैं; और

(छ) यदि हां, तो उन पर रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार, उपनगरीय स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर कोई भोजन नहीं बनाया जाना चाहिए और अन्य स्टेशनों के लिए, चाय बनाने को छोड़कर प्लेटफार्मों पर स्टालों एवं ट्रॉलियों पर भोजन पकाने को बंद करने का प्रयास किया जाना चाहिए। भोजन पकाने का सारा कार्य मुख्य रसोई में किया जाना चाहिए।

(ग) से (ङ) जी हां। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) ने प्लेटफार्मों पर भोजन नहीं पकाने के लिए बोर्ड के अनुदेश अपने जोनल कार्यालयों को सूचित कर दिए हैं। आई आर सी

टी सी ने निर्णय लिया है कि सभी प्लेटफार्मों और यात्री क्षेत्र को भोजन पकाने के कार्य से मुक्त करने के लिए भविष्य की सभी खानपान निविदाओं में एक सहायक खंड शामिल किया जाएगा। लाइसेंसधारकों के लिए भोजन पकाने/डीप फ्राईंग हेतु कहीं और अपनी व्यवस्था करना एवं अवसंरचना बनाना आवश्यक होगा। ऐसे किओस्क/स्टालों में केवल बिजली आधारित शीतन एवं तापन व्यवस्था की अनुमति होगी।

(च) और (छ) जब कभी प्लेटफार्मों पर भोजन पकाने की शिकायतें सिद्ध हो जाती हैं, तब सलाह देने, चेतावनी देने, जुर्माना लगाने, निर्दिष्ट अवधि के लिए स्टाल/किओस्क बंद करने तथा लाइसेंस रद्द करने आदि जैसी कार्रवाई की जाती है।

सीएनजी के मूल्य में वृद्धि

*309. **श्री के.एस. राव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टैरिफ आयोग की सिफारिशों के अनुसार सीएनजी के मूल्य की समीक्षा तथा उसमें संशोधन करने और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों हेतु सीएनजी के अलग-अलग मूल्य निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परिवहन तथा रसोई के लिए आपूर्ति हेतु सीएनजी के मूल्यों में प्रस्तावित वृद्धि तथा उपभोक्ताओं पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष परिवहन, घरेलू खपत तथा विद्युत और उर्वरक इकाइयों को की गई सीएनजी की आपूर्ति की खपत पर राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ग) जी नहीं। प्रशुल्क आयोग (टीसी) ने सीएनजी मूल्यों के निर्धारण पर कोई सिफारिश नहीं दी है।

(घ) सरकार द्वारा विद्युत तथा उर्वरक क्षेत्रों तथा लघु क्षेत्रों व उत्तर-पूर्व में न्यायालय अधिदेशाधीन ग्राहकों को, शेष देश में इन श्रेणियों के लिए लागू मूल्य के 60% पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) को राजसहाययता प्रदान की है। उत्तर पूर्व में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में अन्य बातों के साथ-साथ अगरतला में एक सीएनजी स्टेशन शामिल हैं, जिसे त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड द्वारा गैस की आपूर्ति की जा रही है।

पॉल्ट्री प्रसंस्करण इकाइयां

310. श्री अबु अयीश मंडल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में पॉल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने हेतु सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रसंस्करण से बर्ड फ्लू प्रभावित पक्षियों की जांच की जा सकती है और उनका पता लग सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार आदि के लिए वित्तीय सहायता देता है जिसमें यांत्रिक/आधुनिक पॉल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्र भी शामिल हैं। राज्यवार आधुनिक पॉल्ट्री प्रसंस्करण यूनिटों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं –

क्रम सं.	राज्य	पॉल्ट्री मांस प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या	खा.प्र.उ. मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त यूनिटों की संख्या
1.	पंजाब	3	1
2.	हरियाणा	1	1
3.	कर्नाटक	8	2
4.	आंध्र प्रदेश	1	–
5.	पश्चिम बंगाल	9	1
6.	महाराष्ट्र	12	3
7.	गोवा	4	–
8.	केरल	7	2
9.	तमिलनाडु	5	–
	कुल	50	10

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अपनी योजना स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाले दस यांत्रिक पॉल्ट्री प्रसंस्करण यूनिटों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। 11वीं योजना के दौरान भी यदि राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो मंत्रालय अपनी

योजना स्कीमों के तहत पॉल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्रों को आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा।

यांत्रिक पॉल्ट्री प्रसंस्करण प्रक्रिया में विभिन्न चरण शामिल होते हैं जिसमें पक्षियों के काटने से पूर्व जांच से लेकर तैयार पॉल्ट्री उत्पाद शामिल हैं जिसकी निगरानी प्रसंस्करण के प्रत्येक स्तर पर की जाती है। पक्षियों की काटने से पूर्व जांच, योग्य पशुचिकित्सकों द्वारा की जाती है जो पक्षियों की जांच करते हैं और बीमार पक्षियों को अस्वीकार करते हैं। बर्ड फ्लू संक्रमण की पहचान फार्म स्तर पर संभव है जिसकी पुष्टि प्रयोगशाला जांच के बाद होती है। फिलहाल, एवियन इंफ्ल्यूएंजा (बर्ड फ्लू) के लिए सीरा की स्क्रीनिंग/परीक्षण क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाओं (आरडीडीएल) तक में और सीरा और मौरबिड नमूनों की जांच उच्च सुरक्षा वाली पशु रोग निदान प्रयोगशाला (एचएसएडीएल) भोपाल में की जाती है। वैसे पक्षी के पंखों को निकालने के लिए उसे 150 डिग्री सेंटिग्रेट तापमान वाले पानी में कुछ समय के लिए रखा या गुजारा जाता है और 50–60 पीपीएम क्लोरीनयुक्त पानी से पंखरहित पक्षी के शव को धोया जाता है। ये दो उपचार वायरस को निष्क्रिय करते हैं। इसके अलावा प्रसंस्करण संयंत्र में कठोर जैव सुरक्षा उपाय और स्वच्छकर स्थितियां प्रसंस्करण संयंत्र में "बर्ड फ्लू" के संक्रमण को रोक सकते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु अवसंरचना

311. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संबंध में ग्रामीण अवसंरचना में सरकारी निवेश बहुत ही कम और अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी और हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के प्रति जागरूक है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे पैक हाऊसेज, शीत श्रृंखलाओं, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों, प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला, बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेजों आदि में और अधिक निवेश की आवश्यकता है ताकि मूल्यवर्धन हो तथा अपव्यय में कमी आए। इस अंतर को पाटने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीम के तहत स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बुनियादी ढांचा विकास हेतु सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों सहित विभिन्न संगठनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को वित्तीय सहायता देता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु रणनीतिक पहल की है जिसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला में मौजूद अन्तर को पाटना, शीत श्रृंखला संबंधी बुनियादी सुविधा/मूल्यवर्धन संबंधी बुनियादी सुविधा को मजबूत करना, बूचड़खानों का आधुनिकीकरण करना है ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का समग्र विकास हो और अपव्यय में कमी आये। खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मेगा खाद्य पार्कों संबंधी एक स्कीम विकसित की है जिसका उद्देश्य सहायक बुनियादी सुविधाओं और सुस्थापित सप्लाई श्रृंखला समेत अधुनातम प्रसंस्करण सुविधाओं को शामिल करते हुए सुपरिभाषित कृषि/बागवानी प्रसंस्करण अंचल की परिकल्पना की गई है। स्कीम का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा व्यापारियों को एक मंच पर लाने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना और कृषि उत्पादन बाजार से जोड़ना है ताकि अधिकतम मूल्यवर्धन हो, न्यूनतम अपव्यय हो और किसानों की आय में बढ़ोतरी हो। इस स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य मूल स्तर पर प्रसंस्करण और अपेक्षित फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज द्वारा समर्थित एक समेकित मूल्यश्रृंखला की स्थापना को सुकर बनाना है।

11वीं योजना के दौरान अन्य रणनीतिक पहलों में नियंत्रित वातावरण/अशोधित वातावरण भंडारों, मूल्यवर्धित केंद्रों, पैकेजिंग केन्द्रों तथा प्रदीपन सुविधाओं सहित एकीकृत शीत श्रृंखला तथा परिरक्षण बुनियादी ढांचा शामिल है। इस स्कीम का लाभ मूल्यवर्धन/प्रसंस्करण/डेरी, समुद्री और मांस क्षेत्र की परिरक्षण संबंधी समेकित परियोजनाओं को भी दिया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हेतु दक्ष जनशक्ति की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विभिन्न दक्षता विकास तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों, गुणवत्ता आश्वासन के संवर्धन तथ खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए भी वित्तीय सहायता देता है।

आशा है कि इन रणनीतिक हस्तक्षेपों से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और बाजार प्रेरित और शुण्ड आधारित खेती के माध्यम से दीर्घावधिक आर्थिक धारणीयता आएगी।

दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना

***312. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :**
श्री गिरिधर गमांग :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना (आर ए आर एस वाई) की घोषणा रेल बजट 2004–05 में की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ग) आर ए आर एस वाई के अन्तर्गत नई रेल लाइनों को शामिल करने के लिए अपनाए गए मानदंड, कसौटी और नीति क्या है;

(घ) क्या आर ए आर एस वाई के अंतर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेषकर पांचवीं अनुसूची में आने वाले क्षेत्रों और मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्रों में कुछ नई रेल लाइनों को शामिल करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम तथा इस योजना में शामिल करने के लिए विचाराधीन रेल लाइनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) और (ख) दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना (आर ए आर एस वाई) की घोषणा 2004–05 के बजट (लेखानुदान) में की गई थी। बहरहाल, योजना के लिए वित्तपोषण की व्यवस्था नहीं हो पाई और यह योजना शुरू नहीं हुई है।

(ग) आर ए आर एस वाई के तहत नई रेल लाइन को शामिल करने के लिए कोई निर्धारित मानक या मापदंड नहीं है। बहरहाल, इस योजना के माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ रुपये की नई लाइन और आमान परिवर्तन परियोजनाओं का वित्तपोषण किए जाने का प्रस्ताव है जो अन्यथा अपर्याप्त वित्तपोषण के कारण अधूरी बनी रहती। इनमें से अनेक परियोजनाएं सुदूर और पिछले क्षेत्रों को रेल नेटवर्क के साथ जोड़ने के उद्देश्य के साथ सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोण से स्वीकृत की गई थीं।

(घ) और (ङ) जी नहीं। यह योजना शुरू नहीं हुई है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में अंतर

***313. श्री महावीर भगोरा :**
श्री श्यामाचरण गुप्त :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और एलपीजी की कीमतें इस समय देश के अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उत्पादों की कीमतों में इस अंतर के कारण इनकी एक राज्य से दूसरे राज्य में तस्करी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की तस्करी के प्रकाश में आए मामलों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र द्वारा रूप से नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों पर राज्य सरकारों को 30% प्रति लीटर तक स्थानीय कर वसूलने की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार सभी राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों पर स्थानीय करों में एकरूपता लाने और उसकी अधिकतम सीमा 40% प्रति लीटर निर्धारित करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त पेट्रोल, डीजल, घरेलू एलपीजी और एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों में मालभाड़े, साइडिंग/शंटिंग प्रभारों और राज्य अधिवार, वैट दर, उपकर, चुंगीकर, प्रवेश शुल्क राज्य विशेष उद्ग्रहणों आदि के भिन्न–भिन्न होने के कारण राज्य दर राज्य अंतर होता है। उपभोक्ता मूल्यों में अंतर का एक मुख्य कारण विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई भिन्न–भिन्न वैट दरे हैं।

(ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्ष के दौरान उनको ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ) से (च) बिक्री कर का विषय राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है और उनको अपने राज्यों के भीतर बिक्री कर/वैट लगाने की शक्तियां प्राप्त हैं। वित्त विधेयक 2006 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप घरेलू एलपीजी सीएसटी अधिनियम के तहत "घोषित वस्तु" बन गई है और इसलिए अधिकतम बिक्री कर/वैट दर 4% है जो सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में दिनांक 19.4.2006 से प्रभावी है। संवदेनशील पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर/वैट की राज्यवार दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

केन्द्र सरकार बिक्री कर/वैट की दरों में कटौती के लिए राज्य सरकारों के साथ इस मामले को लगातार उठाती रही है।

विवरण

1.3.08 की स्थिति के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों पर राज्यों द्वारा कर/उद्ग्रहण

(प्रतिशत)

राज्य	कर	एमएस	एचएसडी	एलपीजी (घरेलू)
1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	वैट	27%+रु.1/ली.	25.00	4.00
गुजरात	वैट	26.00	24.00	4.00
	उपकर	2.00	3.00	0.00
मध्य प्रदेश	वैट	28.75	26.00	4.00
	प्रवेश शुल्क	1.00	1.00	9.50
छत्तीसगढ़	वैट	25.00	25.00	4.00
	प्रवेश शुल्क			1.00
गोवा	वैट	22.00	21.00	4.00
उत्तर प्रदेश	वैट	26.00	21.00	4.00
उत्तरांचल	वैट	25.00	21.00	4.00
	कर छूट (16.06.06 से प्रभावी)	(रु. 0.78/ली.)	(रु.0.38/ली.)	
दिल्ली	वैट	20.00	12.50	4.00
हिमाचल प्रदेश	वैट	25.00	14.00	4.00
जम्मू–कश्मीर	बिक्री कर	20.00	12.00	
	वैट			4.00
	उपकर	रु.1000/कि.ली.		
पंजाब	वैट	27.50	8.80	4.00
	उपकर	रु.1/ली.		
राजस्थान	वैट	28.00	20.00	4.00
	उपकर	रु. 0.50/ली.	रु. 0.50/ली.	
हरियाणा	वैट	20.00	12.00	4.00
चंडीगढ़	वैट	22.00	12.50	4.00
	उपकर	रु.10/कि.ली.	रु.10/कि.ली.	
आंध्र प्रदेश	वैट	33.00	22.25	4.00

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	वैट	30.00	23.43	4.00
पांडिचेरी	वैट	12.50	12.50	1.00
केरल	बिक्री कर	29.01	24.69	
	वैट			4.00
कर्नाटक	बिक्री कर	28.00	20.00	
	प्रवेश शुल्क	5.00	5.00	
	वैट			4.00
उड़ीसा	वैट	20.00	20.00	4.00
	प्रवेश शुल्क	1.00	1.00	1.00
असम	वैट	25.75	15.50	4.00
बिहार	वैट	27.00	20.00	4.00
झारखंड	वैट	20.00	20.00	4.00
पश्चिम बंगाल	बिक्री कर	25.00	17.00	
	उपकर	रु.1000/कि.ली.	रु.1000/कि.ली.	
	वैट			4.00

[अनुवाद]

धावन पथों का विस्तार

***314. श्रीमती जयाप्रदा :**

श्री निखिल कुमार :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2008–09 के दौरान देश में कई विमानपत्तनों के धावन पथों का विस्तार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विमानपत्तन–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर विमानपत्तन–वार कितना व्यय किया जाएगा;

(घ) क्या राज्य सरकारें धावन पथों के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि मुहैया कराने के लिए सहमत हो गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और धावन पथों का विस्तार कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कई हवाई अड्डों के रनवे का विस्तार किया है/का प्रस्ताव किया है।

(ख) से (ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	योजनाओं/हवाईअड्डों का नाम	अनुमानित लागत/ व्यय (करोड़ रुपये में)	विस्तार से पूर्व वर्तमान लंबाई	विस्तार के बाद नई लंबाई	राज्य सरकार/ सेना द्वारा भूमि के प्रावधान की स्थिति	रनवे के विस्तार कार्य के पूरा होने की संभावित तारीख
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
आंध्र प्रदेश						
1.	विजयवाड़ा					
	रनवे का विस्तार	48.00	5725 फुट	7900 फुट	भूमि प्रदान की गई	मार्च–09

क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
	असम					
2.	**डिब्रूगढ़**					
	भूमि अधिग्रहण सहित 7500 फीट तक विस्तार तथा सहायक कार्य	14.00	5400 फुट	7500 फुट	राज्य सरकार द्वारा भूमि प्रदान की गई। रक्षा प्राधिकारियों से प्रतीक्षित	सितम्बर–09
3.	**गुवाहाटी**					
	रनवे का 360 मीटर तक विस्तार, एप्रन (11वें) लिंग टैक्सी वे	48.00	9000 फुट	10180 फुट	भूमि प्रदान की गई	सितम्बर–08
4.	**सिल्चर**					
	रनवे का विस्तार, भूमि का अधिग्रहण और चारदीवारी का निर्माण	41.48	5855 फुट	7500 फुट	भूमि प्रदान की गई	अप्रैल–08
	बिहार					
5.	**गया**					
	ए–310 प्रकार के विमानों के लिए रनवे का विस्तार	10.00	7500 फुट	9000 फुट	राज्य सरकार द्वारा भूमि का हस्तांतरण नहीं किया गया।	भूमि की उपलब्धता के आधार पर
	हिमाचल प्रदेश					
6.	**कुल्लू**					
	रनवे का विस्तार और नदी प्रशिक्षण कार्य सहित संबंधित कार्य	30.00	3700 फुट	6982 फुट	आईआईटी रूड़की द्वारा डीटीएम अध्ययन प्रस्तुत किया गया। कार्य सीमा की प्रतीक्षा है।	दिसम्बर–10
	जम्मू-कश्मीर					
7.	**जम्मू**					
	रनवे 18 (नदी की ओर) का विस्तार	20.00	6700 फुट	8000 फुट	रनवे के एक ओर का कार्य पूरा हो चुका है जिसके लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। दूसरी ओर के लिए भूमि भारतीय वायुसेना द्वारा नहीं दी गई है।	भूमि की उपलब्धता के आधार पर।

क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
राजस्थान						
8.	**जयपुर**					
	रनवे का विस्तार	81.00	9172 फुट	11500 फुट	भूमि प्रदान की गई।	योजना स्तर पर
9.	**उदयपुर**					
	रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण और संबंधित कार्य	30.00	7483 फुट	8989 फुट	राज्य सरकार द्वारा भूमि सौंप दी गई तथा कार्य प्रगति पर है।	अगस्त–08
महाराष्ट्र						
10.	**औरंगाबाद**					
	रनवे का विस्तार और संबंधित कार्य	25.62	7500 फुट	9301 फुट	भूमि प्रदान की गई	फरवरी, 09
मध्य प्रदेश						
11.	**भोपाल**					
	रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	52.10	6709 फुट	9002 फुट	भूमि प्रदान की गई	जून–09
12.	**इन्दौर**					
	रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	79.86	7503 फुट	9022 फुट	भूमि प्रदान की गई	जून, 09
तमिलनाडु						
13.	**चेन्नई**					
	सैकेंडरी रनवे का विस्तार	450.00	7234 फुट	10613 फुट	राज्य सरकार द्वारा भूमि ली जानी है।	मार्च–11
14.	**मदुरई**					
	रनवे का 12500 फुट तक विस्तार और संबंधित कार्य	35.24	5990 फुट	7500 फुट	भूमि प्रदान की गई	फरवरी, 08 को कार्य पूरा हुआ।
15.	**त्रिची**					
	वर्तमान रनवे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण	20.00	6115 फुट	8000 फुट	भूमि प्रदान की गई	फरवरी, 08 को कार्य पूरा हुआ।
16.	**पांडिचेरी (संघ शासित)**					
	रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	22.25	4002 फुट	4921 फुट	भूमि प्रदान की गई	दिसम्बर, 08

क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
उत्तर प्रदेश						
17.	**वाराणसी**					
	रनवे का 9000 फुट तक विस्तार और शोल्डरों इत्यादि की व्यवस्था	31.43	7236 फुट	9000 फुट	राज्य सरकार द्वारा सड़क मार्ग का मोड़ा जाना लंबित है।	जुलाई, 09
पश्चिम बंगाल						
18.	**कोलकाता**					
	सैंकेडरी रनवे का विस्तार	35.00	7870 फुट	10626 फुट	भूमि उपलब्ध है (सड़क को राज्य सरकार द्वारा मोड़ा जाना है।)	मार्च, 10
19.	**कूच बिहार**					
	रनवे का 4500 फुट तक विस्तार	6.17	3500 फुट	3700 फुट	राज्य सरकार द्वारा भूमि ली जानी है।	4500 फुट तक विस्तार के लिए विस्तृत योजना तैयार किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

अनुसूचित जातियों हेतु आवासीय विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान

***315. श्री हरिभाऊ राठौड़** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों हेतु आवासीय विद्यालय शुरू करने के लिए सहायता–अनुदान प्राप्त करने के संबंध में गैर–सरकारी संगठनों के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इस संबंध में विभिन्न राज्यों से वर्ष 2007 के दौरान प्राप्त सहायता–अनुदान के नए प्रस्तावों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई; और

(घ) अस्वीकार किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) "अनुसूचित जातियों के लिए कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान", योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र बनने के लिए किसी संगठन को निम्नलिखित मुख्य अपेक्षाएं पूरी करनी आवश्यक हैं :

(क) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) अथवा राज्य/संघ शासित प्रदेश के सम्बद्ध अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत; अथवा

(ख) इस समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास अथवा

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1958 की धारा 25 के अंतर्गत लाइसेंस धारक धर्मार्थ कम्पनी; अथवा

(घ) भारतीय रैडक्रॉस सोसायटी अथवा इसकी शाखाएं; और अथवा

(ङ) वैधानिक स्थिति वाला कोई अन्य सार्वजनिक निकाय अथवा संस्थान;

(च) स्वयंसेवी संगठन योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु आवेदन करने के समय कम से कम दो वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए।

(छ) ऐसा निकाय किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय के लाभार्थ संचालित नहीं हो।

मंत्रालय द्वारा जारी गैर–सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को सहायता के लिए दिशा निदेशों में निर्धारित है कि स्वयंसेवी संगठन, अपने क्षेत्र में दो वर्ष की अवधि से सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हो। आवेदन

को, निर्धारित प्रारूप में पंजीकरण, मान्यता, साहचर्य ज्ञापन, लेखा विवरण, वार्षिक रिपोर्ट, सांख्यिकीय आंकड़े आदि सहित राज्य सरकारों की सहायता अनुदान समिति की सिफारिशों के साथ समुचित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सभी नए प्रस्तावों का मूल्यांकन जांच समिति द्वारा किया जाता है जो इन प्रस्तावों पर कार्रवाई करने और उनकी सिफारिश करने के लिए कतिपय मानदण्ड अपनाती है।

(ख) से (घ) 2007 के दौरान, आवासीय विद्यालयों के 19 प्रस्ताव (असम–1, बिहार–4, झारखण्ड–1, कर्नाटक–3, उड़ीसा–4, राजस्थान–3, उत्तर प्रदेश–1 और पश्चिम बंगाल–2) प्राप्त हुए। इनमें से जांच समिति ने अब तक चार प्रस्तावों की अनुशंसा की है, 7 निरस्त किए हैं और 1 स्थगित किया है। समिति द्वारा अनुशंसित चार प्रस्तावों में से मंत्रालय ने 2 प्रस्तावों के लिए अनुदान मंजूर किया है। समिति ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक कारणों से परियोजनाओं को अनुमति नहीं दी है।

(i) अपर्याप्त आधारीय संरचना।

(ii) विद्यालय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं।

(iii) जिले की ग्रामीण अनुसूचित जाति महिला साक्षरता दर 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होने के कारण।

(iv) निरीक्षण के समय परियोजना अस्तित्व में नहीं।

[हिन्दी]

नई हवाई पट्टियों का निर्माण

*316. **श्री संतोष गंगवार** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों की राज्य–वार संख्या कितनी है जिनके लिए राज्य सरकारों ने नई हवाई पट्टियों का निर्माण करने के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन किया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) प्रत्येक मामले में स्वीकृति प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) सरकार को नये हवाई अड्डों के निर्माण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से 20 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब तक इन प्रस्तावों में से 5 प्रस्तावों को "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन दे दिया गया है।

प्रस्तावों के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की राज्य–वार स्थिति

क्र.सं.	हवाई अड्डे की अवस्थिति	राज्य	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	बंगलौर के निकट देवनहाली	कर्नाटक	भारत सरकार का अनुमोदन 2000 में लिया गया था। कार्यान्वनाधीन। जल्द ही चालू हो जाएगा।
2.	हैदराबाद के निकट शमशाबाद	आंध्र प्रदेश	भारत सरकार का अनुमोदन 2000 में लिया गया था। कार्यान्वनाधीन। जल्द ही चालू हो जाएगा।
3.	मोपा	गोवा	भारत सरकार द्वारा 2000 में "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन दे दिया गया था। मुख्यमंत्री, गोवा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसमें संसद सदस्य (गोवा) मुख्य सचिव और नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव भी शामिल हैं जो अन्य बातों के साथ–साथ 27.1.2006 को नये मोपा हवाई अड्डे के साथ वर्तमान डबोलिम हवाई अड्डे के जारी रखने की संभाव्यता पर विचार करेगी। समिति की रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

1	2	3	4
4.	नवीं मुम्बई	महाराष्ट्र	भारत सरकार द्वारा 2007 में "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन दे दिया गया था। परियोजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
5.	चकन (पुणे) के निकट राजगुरू	महाराष्ट्र	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्थल क्लीयरेंस दे दी गई है। राज्य सरकार परियोजना के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार करने की कार्रवाई कर रही है और भूमि अधिग्रहण कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
6.	ग्रेटर नोएडा	उत्तर प्रदेश	प्रस्ताव पर विचार किया गया था तथा संघ मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंत्री समूह को भेजा गया है। मंत्री समूह की एक बैठक हुई और यह निर्णय लिया गया कि विधि और न्याय मंत्रालय की सहायता से एक नोट तैयार किया जाए और इसे भारत सरकार और मै. दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. के बीच किए गए ठेका करार पर प्रस्तावों के स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों निहितार्थों का उल्लेख किया जाए।,
7.	कराईकल	पुदुचेरी	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्थल क्लीयरेंस दे दी गई है। संघ प्रदेश सरकार को साध्यता रिपोर्ट तैयार करनी है।
8.	कन्नूर	केरल	भारत सरकार द्वारा 17.1.2008 में "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन दे दिया गया था।
9.	बीजापुर	कर्नाटक	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्थल क्लीयरेंस दे दी गई है। तकनीकी आर्थिक साध्यता रिपोर्ट पर भा.वि.प्रा. की टिप्पणियों की जानकारी राज्य सरकार को दे दी गई है। परियोजना के लिए "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन प्रक्रिया-धीन है।
10.	शिमोगा	कर्नाटक	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्थल क्लीयरेंस दे दी गई है। तकनीकी आर्थिक साध्यता रिपोर्ट पर भा.वि.प्रा. की टिप्पणियों की जानकारी राज्य सरकार को दे दी गई है। परियोजना के लिए "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन प्रक्रिया-धीन है।
11.	हसन	कर्नाटक	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्थल क्लीयरेंस दे दी गई है। तकनीकी आर्थिक साध्यता रिपोर्ट पर भा.वि.प्रा. की टिप्पणियों की जानकारी राज्य सरकार को दे दी गई है। परियोजना के लिए "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन प्रक्रिया-धीन है।

1	2	3	4
12.	गुलबर्ग	कर्नाटक	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्थल क्लीयरेंस दे दी गई है। तकनीकी आर्थिक साध्यता रिपोर्ट पर भा.वि.प्रा. की टिप्पणियों की जानकारी राज्य सरकार को दे दी गई है। परियोजना के लिए "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन प्रक्रिया-धीन है।
13.	सिंधुदुर्ग	महाराष्ट्र	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्थल क्लीयरेंस दे दी गई है। राज्य सरकार से साध्यता रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
14.	दुर्गापुर	प. बंगाल	भा.वि.प्रा. ने स्थल निरीक्षणा रिपोर्ट तैयार की है। भा.वि.प्रा. ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन पर ध्यान दिया जाना है। मैसर्स प्रगति सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लि., प्रमोटर की परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय इन विषयों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है।
15.	हरियाणा में झाज्जर, केवल कार्गो के लिए	हरियाणा	प्रमोटर से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।
16.	पाक्यांग	सिक्किम	भा.वि.प्रा. परियोजना पर कार्यान्वयन कर रही है। लोक निवेश बोर्ड का अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।
17.	ईटा नगर	अरूणाचल प्रदेश	भा.वि.प्रा. परियोजना पर कार्यान्वयन कर रही है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
18.	चिथू (कोहिमा)	नागालैंड	भा.वि.प्रा. ने विस्तृत सर्वेक्षण करने तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की है।
19.	तवांग	अरूणाचल प्रदेश	भा.वि.प्रा. द्वारा पूर्व साध्यता अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट को पूर्वोत्तर परिषद/पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
20.	कोकड़ाझाड़	असम बोडोलैंड	पूर्व साध्यता अध्ययन किया गया है। अध्ययन में वहां एक हवाई अड्डे के निर्माण की संभावनाओं को नकारा गया है।

[अनुवाद]

बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम

*317. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री बालाजोशरी वल्लभनेनी :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम प्रारंभ किए जाने के बाद से सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस स्कीम से देश में विशेषकर अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में आवास की कमी किस सीमा तक पूरी हो जाएगी; और

(च) अगले दो वर्षों में कुल कितनी इकाइयां बनने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (च) इंक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम संपूर्ण देश में शुरू की गई है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में अभी तक 520 कमरों के साथ 172 इकाइयों का पंजीकरण किया गया है। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि (i) इन परिसरों पर घरेलू जल एवं विद्युत शुल्क लगाए जाएंगे; (ii) ऐसी इकाइयों पर कोई विलासित कर लागू नहीं होगा और (iii) संपत्ति–कर, प्रो–राटा आधार पर, किराए के परिसरों की तरह लगाए जाएंगे। पर्यटन मंत्रालय ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सहित, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाइयों को ऐसे ही प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार करने के लिए लिखा है। बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम एक स्वैच्छिक योजना है, इसलिए अगले दो वर्षों में, बनने वाली संभावित इकाइयों की संख्या का आकलन नहीं किया जा सकता है।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

*318. **श्री प्रहलाद जोशी** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा में स्पष्ट आरक्षण दिए जाने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) और (ख) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 39 के अंतर्गत, सभी सरकारी शिक्षा संस्थाओं और अन्य शैक्षिक संस्थाओं, जो सरकार से सहायता प्राप्त कर रही हैं से निःशक्त व्यक्तियों के लिए कम से कम तीन प्रतिशत स्थान आरक्षित करना अपेक्षित है।

फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाइयां

*319. **श्री तापिर गाव** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या और उनकी क्षमता का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन से विशेष प्रोत्साहनों का प्रस्ताव किया गया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) फल उत्पाद आदेश, 1955 के तहत पंजीकृत यूनिटों के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की राज्यवार संख्या और उनकी क्षमताओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीम के तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। सामान्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन एजेंसियों को संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है, सहायता उपलब्ध है। पूर्वोत्तर राज्यों सहित दुर्गम क्षेत्रों में कार्यान्वयन एजेंसियों को स्कीम के तहत बढ़ी हुई दर पर यानी संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 33.33% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, सहायता दी जाती है।

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के कुल योजना परिव्यय का 10% पूर्वोत्तर के क्षेत्रों हेतु निर्दिष्ट किया गया है।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन–4 के तहत, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/उन्नयन/आधुनिकीकरण हेतु संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 50% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा नई यूनिटों की स्थापना के लिए 4.00 करोड़ रुपये तथा वर्तमान यूनिटों के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए 1.00 करोड़ रुपये तक की उच्च स्तर की सहायता क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडिड सब्सिडी के रूप में उपलब्ध है।

विवरण

फल उत्पाद आदेश, 1955 के तहत पंजीकृत यूनिटों के संबंध में उपलब्ध सूचना पर आधारित फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की राज्य–वार संख्याओं के विवरण के साथ उनकी क्षमताओं का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र का नाम	फल एवं सब्जी का उत्पादन करने वाली यूनिटों की संख्या	मी.टन में संस्थापित क्षमता
1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र	865	283430
2.	गोवा	38	8180
3.	मध्य प्रदेश	95	40590
4.	छत्तीसगढ़	4	420
5.	गुजरात	234	120870
6.	दादरा एवं नगर हवेली	6	480
7.	असम	44	8260
8.	अरूणाचल प्रदेश	2	60
9.	मणिपुर	14	2510
10.	मेघालय	10	390
11.	मिजोरम	3	885
12.	नागालैण्ड	7	1920
13.	सिक्किम	3	770
14.	त्रिपुरा	6	2770
15.	दिल्ली	181	43510
16.	चण्डीगढ़	15	4620
17.	राजस्थान	111	20100
18.	हरियाणा	176	101540
19.	जम्मू–कश्मीर	102	20330
20.	पंजाब	240	121410
21.	हिमाचल प्रदेश	130	91625
22.	उत्तर प्रदेश	497	138780
23.	उत्तरांचल	108	29510
24.	अंडमान और निकोबार	3	200
25.	बिहार	39	12440
26.	झारखण्ड	23	4160
27.	उड़ीसा	17	11310
28.	पश्चिम बंगाल	267	109341
29.	आंध्र प्रदेश	237	887658
30.	कर्नाटक	247	208904
31.	केरल	368	41340
32.	पांडिचेरी (संघ राज्य–क्षेत्र)	9	1680
33.	तमिलनाडु	432	360826
	योग	4533	2680819

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में आग लगने की घटनाएं

***320. श्री रघुराज सिंह शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डिब्बों में आग लगने की घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए किसी कृतिक बल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में रेल गाड़ियों और रेलवे परिसर में आग लगने की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(घ) उक्त घटनाओं की जांच करने के बाद प्रत्येक मामले में कुल कितने व्यक्ति दोषी पाए गए और दंडित किए गए; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान रेलगाड़ियों में ज्वलनशील सामग्री ले जाए जाने के मामलों में कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (फरवरी, 2008 तक) में गाड़ियों तथा रेल परिसरों में आग लगने की घटनाएं निम्नानुसार हैं :

वर्ष	आग लगने की घटनाओं की संख्या	
	गाड़ियों में	रेल परिसरों में
2005	26	54
2006	36	64
2007	30	84
2008 (29 फरवरी तक)	04	26

(घ) उपर्युक्त घटनाओं में जांच–पड़ताल के बाद दोषी पाए गए तथा दंडित व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	जांच–पड़ताल के बाद दोषी पाए गए तथा दंडित व्यक्ति
2005	40
2006	16
2007	22
2008 (29 फरवरी तक)	कोई नहीं

(ङ) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (फरवरी, 2008 तक) में गाड़ियों में ज्वलनशील पदार्थ में लाने के कारण दंडित व्यक्ति निम्नानुसार है :

वर्ष	दंडित व्यक्तियों की संख्या
2005	216
2006	508
2007	281
2008 (29 फरवरी तक)	25

एस ई जेड में औद्योगिक इकाइयों में वित्तीय अनियमितताएं

*321. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
श्री हेमलोल मुर्मू :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक–महालेखापरीक्षक ने अपने हाल के प्रतिवेदन में यह उदघाटित किया है कि विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड) से संबंधित नीति तथा तैयार किए गए नियमों एवं प्रक्रियाओं में खामियों के कारण सरकार को भारी राजस्व हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2007–08 के दौरान हुई राजस्व हानि का ब्यौरा तथा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा बताई गई खामियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को ऐसे मामलों का पता चला है जिसमें इन करमुक्त जोनों में स्थित ऐसी इकाइयां अपने अधिकांश उत्पादों का निर्यात करने के बजाय उनकी बिक्री देश में ही कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा इंगित ऐसे मामलों की संख्या कितनी है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) संघ सरकार से संबंधित कार्य निष्पादन लेखा–परीक्षा – अप्रत्यक्ष कर के बारे में मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड) से जुड़े कुछेक मुद्दे उठाए गए हैं। ये मुद्दे मुख्यतः माने गए निर्यातों के जरिए निवल विदेशी मुद्रा (एन एफ ई) की प्राप्ति; डी टी ए में निकासी किए गए छूट प्राप्त उत्पादों में प्रयुक्त की गई निविष्टियों पर शुल्क अधित्याग; कुछेक इकाइयों द्वारा एन एफ ई सकारात्मक प्राप्त न किए जाने; अनुमति पत्रों (एल ओ पी) की शर्तों के उल्लंघन; घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी टी ए) में बिक्रियों पर शुल्क की कम वसूली आदि से संबंधित है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार शुल्क अधित्याग सहित सी ए जी के जांच परिणामों और उक्त रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न उदाहरणात्मक मामलों के ब्योरे सी ए जी वेबसाइट : www.cag.gov.in पर भी उपलब्ध है।

(ग) और (घ) अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, जिसके कार्यक्षेत्र में 2061 एस ई जेड इकाइयां शामिल थीं, में सी एंड ए जी ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि 22 इकाईयों द्वारा मुख्यतः घरेलू बिक्रियों के जरिए निर्धारित सकारात्मक एन एफ ई प्राप्त की जा रही है। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007–08 के लिए संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार एस ई जेडों से वास्तविक निर्यात 64623 करोड़ रुपये के हुए हैं जो उनके कुल कारोबार का 87 प्रतिशत हैं। इस अवधि के दौरान एस ई

जेडों द्वारा लगभग 9 प्रतिशत घरेलू आपूर्तियां की गईं थीं और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में की गई बिक्रियां, जिन्हें सकारात्मक एन एफ ई हेतु हिसाब में नहीं लिया गया है, लगभग 4 प्रतिशत बनती थी। सभी जोनों के लिए विकास आयुक्तों के अधीन गठित अनुमोदन समितियों जिनमें सीमाशुल्क, आयकर, राज्य सरकारों आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं, को एस ई जेड इकाइयों के कार्य निष्पादन पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।

हिरासत में मौत

*322. **श्री जीवाभाई ए. पटेल :**

डा. वीरेंद्र अग्रवाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में ऐसे दर्ज/प्रकाश में आए मामलों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ग) राज्य–वार अब तक दोषी पाए गए कितने पुलिस–कर्मियों के विरुद्ध सरकार ने कार्रवाई की है; और

(घ) पुलिसकर्मियों की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को इस आशय के दिशानिर्देश जारी किए हैं कि वे हिरासत में मौत होने पर चौबीस घंटे के अंदर ऐसी घटनाओं के बारे में आयोग को सूचित करें। एन एच आर सी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार विगत चार वर्षों के दौरान पुलिस हिरासत में हुई मौतों की संख्या के बारे में राज्य सस्कारों द्वारा उसे दी गई सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	मौतों की संख्या
2004–2005	136
2005–2006	139
2006–2007	118
2007–2008	188

राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

आयोग, विभागीय/अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने के अतिरिक्त उन मामलों में, जिनमें दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या हिरासती हिंसा का मामला सिद्ध होता है, अभियोजन शुरू करने की भी सिफारिश करता है। प्रश्नगत अवधि के दौरान एन एच आर सी ने आठ मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने और तीन मामलों में अभियोजन चलाए जाने की सिफारिश की है। इस अवधि के दौरान एन एच आर सी ने पुलिस हिरासत में हुई मौतों के मामलों में कुल 69.45 लाख रुपए की अंतरिम राहत/क्षतिपूर्ति भी मंजूर की है।

(घ) सरकार ने हिरासती हिंसा/मौतों की संभावित घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं :–

मंत्रालय ने डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशानुसार महत्वपूर्ण दिशानिर्देश परिचालित किए हैं। गिरफ्तारियां करते समय सभी संबंधित प्राधिकारणों द्वारा इनका पालन किया जाना है। दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2006 के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन किए जाने का भी प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य अन्य उपबंधों को शामिल करना है। हिरासती अपराधों सहित सभी प्रकार के अपराधों के शिकार लोगों को क्षतिपूर्ति करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता में एक नई धारा 357(क) शामिल करने का भी प्रस्ताव है।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 176 में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत होने या उसके गुम हो जाने या किसी महिला के साथ बलात्कार होने की सूरत में उसकी अनिवार्य न्यायिक जांच हो और मृत्यु हो जाने पर उसके चौबीस घंटे के अंदर शव की जांच की जाएगी।

पुलिस और केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में मानवाधिकरों से संबंधित संघटकों को शामिल किया गया है। प्रशिक्षण के अवसर पर ही सभी स्तर के पुलिस कार्मिकों को हिरासती हिंसा/मौतों सहित मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों के बारे में सुग्राही बनाया जाता है। मानवाधिकार के मुद्दों पर पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और राज्य पुलिस प्राधिकरणों द्वारा नियमित रूप से सेमिनार और कार्यशालायें भी आयोजित की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	कुल जोड़
		पुलिस हिरासत	पुलिस हिरासत	पुलिस हिरासत	पुलिस हिरासत	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	13	11	5	9	38
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	1	0	2
4.	असम	4	7	8	12	31
5.	बिहार	3	1	2	8	14
6.	चंडीगढ़	1	0	0	1	2
7.	छत्तीसगढ़	5	2	3	3	13
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0
9.	दमण और दीव	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	5	3	3	6	17
11.	गोवा	0	1	0	0	1
12.	गुजरात	15	20	7	16	58
13.	हरियाणा	2	4	2	9	17
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	1	1
15.	जम्मू–कश्मीर	0	1	0	3	4
16.	झारखंड	5	4	3	3	15
17.	कर्नाटक	9	5	8	5	27
18.	केरल	6	5	3	6	20
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	2	4	10	10	26
21.	महाराष्ट्र	23	20	21	25	89
22.	मणिपुर	0	0	0	0	0
23.	मेघालय	2	0	1	3	6
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
25.	नागालैंड	0	0	0	0	0
26.	उड़ीसा	3	2	2	6	13
27.	पांडिचेरी	1	0	0	0	1
28.	पंजाब	6	6	1	7	20
29.	राजस्थान	0	7	3	2	12
30.	सिक्किम	0	0	0	1	1
31.	तमिलनाडु	9	7	15	6	37
32.	त्रिपुरा	1	1	1	1	4
33.	उत्तर प्रदेश	7	18	11	32	68
34.	उत्तरांचल	3	1	1	5	10
35.	पश्चिम बंगाल	11	8	7	8	34
	कुल	136	139	118	188	581

[अनुवाद]

ब्लैक बेरी सेवाओं पर प्रतिबंध

***323. श्री एस. अजय कुमार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्लैक बेरी सेवाओं के उपयोग से राष्ट्रीय सुरक्षा को संभावित खतरे के कारण इस सुविधा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, सरकार ने सभी मोबाइल सर्विस प्रदान करने वालों को निर्देश जारी किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ उन्हें अपेक्षित निगरानी व्यवस्था के चालू न होने तक कुछ ब्लैकबेरी सेवाओं को जोड़ने अथवा प्रदान/चलाने के लिए मना किया गया है। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल सेवा प्रदान करने वालों, ब्लैकबेरी विक्रेताओं – "रिसर्च इन मोशन" (आर आई एम) और अन्य स्टॉक होल्डरों के साथ मुद्दे के समाधान हेतु एक बैठक भी की है।

वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास हेतु धनराशि

***324. श्री हरिभाऊ राठौड़ :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास हेतु कितनी धनराशि आबंटित व व्यय की गयी है;

(ख) उन अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें धनराशि की कमी के कारण विलंब हो रहा है;

(ग) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास हेतु धनराशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) चालू वर्ष सहित गत तीन वित्त वर्षों के दौरान केन्द्रीय वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर आबंटित और व्यय की गई धनराशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

(करोड़ रु. में)

मंत्रालय/विभाग	2005–06		2006–07		2007–08		2008–09
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन
परमाणु ऊर्जा विभाग – आर एण्ड डी (डी ए ई)	872.74	770.80	1003.00	1032.72	1215.00	1040.10	1228.00
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम ओ ई एस)	340.00	225.05	438.00	417.49	690.00	437.00	750.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी)	1250.00	1024.24	1367.00	964.16	1526.00	1270.00	1350.00
जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी)	445.00	386.36	521.00	496.00	675.00	683.00	900.00
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी एस आई आर)	846.00	730.33	975.00	775.00	1070.00	1060.00	1200.00
अंतरिक्ष विभाग (डी ओ एस)	2800.00	2294.30	3220.00	2600.00	3420.00	2831.00	3600.00

(ख) केन्द्रीय वैज्ञानिक विभागों में अनुसंधान और विकास की ऐसी कोई परियोजनाएं नहीं हैं जिनमें धनराशि की कमी के कारण विलंब हो रहा है।

(ग) और (घ) जी हां। वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों के लिए योजना आबंटन को x वीं योजना के दौरान 25,301.35 करोड़ रु. से बढ़ाकर xi वीं योजना के दौरान 75,304.00 करोड़ रु. कर दिया गया है जैसाकि नीचे दिया गया है।

(करोड़ रु. में)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग/एजेंसियां	Xवीं योजना (2002–07)	XIवीं योजना (2007–12)
	अनुमोदित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय
परमाणु ऊर्जा विभाग (अनुसंधान और विकास क्षेत्र) (डी ए ई)	3501.35	11000.00
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम ओ ई एस)	1125.00	7004.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी)	3400.00	11028.00
जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी)	1450.00	6389.00
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी एस आई आर)	2575.00	9000.00
अंतरिक्ष विभाग (डी ओ एस)	13250.00	30883.00
सर्वयोग	25301.35	75304.00

ईंधन तेल की कीमतों पर राजसहायता प्रदान करने हेतु एम पी ई डी ए की योजना

*325. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए) की देश में मछली पकड़ने वाले पोतों में प्रयुक्त डीजल तथा अन्य ईंधन तेलों की कीमतों पर राजसहायता प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एम पी ई डी ए द्वारा कुल कितनी धनराशि की राजसहायता प्रदान की गयी है;

(घ) क्या एम पी ई डी ए का विचार इस योजना का विस्तार करने तथा इसे सरल बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

प्राथमिक शिक्षा तथा मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आबंटन

***326. श्री सर्वे सत्यनारायण** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन योजना तथा सर्व शिक्षा अभियान के लिए आबंटित धनराशि का राज्य तथा संघ राज्य–क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मध्याह्न भोजन योजना के लिए आबंटित धनराशि सर्वशिक्षा अभियान की अवसंरचना तथा उसके अन्य घटकों के लिए आबंटित धनराशि से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्याह्न भोजन योजना और सर्व शिक्षा अभियान के तहत जारी निधियों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार मध्याह्न भोजन के तहत जारी निधियों की तुलना में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जारी समग्र निधियां अधिक हैं।

(रु. करोड़ में)

वर्ष	सर्व शिक्षा अभियान	मध्याह्न भोजन
2005–06	7527.23	3185.13
2006–07	10848.35	5233.47
2007–08 (अनंतिम)	11470.96	5835.46
कुल	29846.54	14254.06

विवरण

सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना के तहत 2005–06, 2006–07 और 2007–08 के तहतजारी अनुदान

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005–06		2006–07		2007–08 (अनंतिम)	
		सर्व शिक्षा अभियान	मध्याह्न भोजन	सर्व शिक्षा अभियान	मध्याह्न भोजन	सर्व शिक्षा अभियान	मध्याह्न भोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	379.99	212.01	462.46	368.85	281.00	467.42
2	अरुणाचल प्रदेश	44.43	4.02	71.44	28.41	110.44	12.17
3	असम	138.50	108.85	514.65	297.29	289.04	146.90
4	बिहार	324.00	367.83	1077.44	478.30	1354.18	487.24
5	छत्तीसगढ़	301.84	96.76	501.82	155.33	467.88	171.47
6	गोवा	7.28	1.77	7.24	2.78	9.00	3.07
7	गुजरात	150.85	105.27	148.07	176.41	226.58	143.05

1	2	3	4	5	6	7	8
8	हरियाणा	101.97	40.50	256.47	59.27	161.16	63.69
9	हिमाचल प्रदेश	76.15	21.97	62.51	44.00	76.38	31.08
10.	जम्मू व कश्मीर	185.31	15.43	220.83	58.77	200.63	37.41
11	झारखंड	285.69	131.63	515.15	154.29	807.49	217.52
12	कर्नाटक	283.04	147.26	542.07	247.46	406.05	338.51
13	केरल	59.39	44.76	63.82	62.32	83.23	74.20
14	मध्य प्रदेश	771.73	261.97	1108.80	497.18	867.70	635.83
15	महाराष्ट्र	502.35	135.64	521.59	453.28	457.30	337.03
16	मणिपुर	32.08	9.15	0.09	14.15	18.51	9.87
17	मेघालय	19.21	16.01	42.94	26.51	93.60	37.44
18.	मिजोरम	25.59	2.91	34.42	6.22	42.12	4.85
19	नागालैंड	23.23	5.50	23.15	16.93	45.96	11.95
20	उड़ीसा	327.93	73.05	440.11	279.81	628.54	382.94
21	पंजाब	146.84	17.74	128.80	62.25	104.94	81.00
22	राजस्थान	603.13	174.11	758.10	275.62	1013.07	483.31
23	सिक्किम	10.63	4.64	4.02	7.89	10.36	4.19
24	तमिलनाडु	353.30	136.47	373.30	144.84	531.25	180.31
25	त्रिपुरा	70.70	16.88	53.30	27.62	41.78	24.49
26	उत्तर प्रदेश	1827.99	512.78	2066.54	826.64	2047.58	946.90
27	उत्तरांचल	100.04	29.62	169.34	49.48	131.63	45.45
28	पश्चिम बंगाल	342.00	454.65	617.37	396.44	905.72	415.45
29	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.63	0.40	4.20	0.47	1.87	1.26
30	चंडीगढ़	3.50	1.73	3.00	0.17	9.35	3.62
31	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.89	1.00	0.26	4.19	1.81
32	दमन और दीव	1.12	0.51	0.00	0.25	0.00	0.54
33	दिल्ली	11.00	30.94	42.30	9.44	23.39	29.14
34	लक्षद्वीप	0.00	0.20	0.87	0.01	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
35	पांडिचेरी	5.29	1.28	0.00	2.02	5.77	2.44
	कुल	7517.71	3185.13	10837.20	5230.93	11457.67	5833.55
36	राष्ट्रीय घटक	9.52	0.00	11.15	2.54	13.29	1.91
	सकल योग	7527.23	3185.13	10848.35	5233.47	11470.96	5835.46

एफ एम रेडियो स्टेशनों की स्थापना

***327. श्री राजू राणा :**
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में कुल कितने एफ एम रेडियो स्टेशन शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ किए गए योजना आबंटन तथा चालू वर्ष के लिए किए गए बजट आबंटन का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में किसी नए एफ.एम. रेडियो स्टेशन का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, योजनावधि के दौरान 1[8] एफ एम ट्रांसमीटर अधिष्ठापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) एफ एम ट्रांसमीटरों की इन स्कीमों के लिए योजनागत आबंटन 164 करोड़ रुपए है और चालू वित्त वर्ष के लिए बजटीय आबंटन 32.50 करोड़ रुपए है।

विदेश व्यापार नीति

***328. श्री अधीर चौधरी** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश व्यापार नीति (2004–09) से विभिन्न क्षेत्रों में वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा उन क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस नीति का कोई मध्यावधिक मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। अगले पांच वर्ष के भीतर वैश्विक पण्य वस्तु व्यापार के हमारे प्रतिशत हिस्से को दोगुना करने और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देते हुए आर्थिक विकास के एक कारगर साधन के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से विदेश व्यापार नीति की घोषणा अगस्त, 2004 में की गयी थी। वर्ष 2003–04 में भारत का निर्यात 63 बिलियन अम.डा. से थोड़ा अधिक हुआ था। वर्ष 2007–08 में यह 155 बिलियन अम.डा. के स्तर को पार कर गया है। चार वर्ष की अवधि के दौरान भारत के निर्यात में वर्ष–दर–वर्ष 23 प्रतिशत की संचयी वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) की दर से लगभग ढाई गुना वृद्धि हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की औसत वृद्धि दर से अधिक है। इसके अलावा अनुमानों के अनुसार पिछले चारों वर्षों के दौरान वृद्धिकारी निर्यातों से लगभग 135 लाख नए रोजगारों का सृजन हुआ है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा उभरती हुई स्थिति पर निगरानी रखी जाती है और विदेश व्यापार नीति के वार्षिक पूरक अंक की घोषणा के समय उचित सुधार किए जाते हैं।

[हिन्दी]

विदेशी समाचार पत्र

***329. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :**
श्री संजय धोत्रे :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न विदेशी समाचार पत्रों के अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करणों को मुद्रित/प्रकाशित करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में अंतिम निर्णय लेने से पहले राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों तथा अन्य संबंधित समूहों से कोई चर्चा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) मंत्रिमंडल के दिनांक 13 सितम्बर, 1955 के निर्णय में यह शर्त रखी गई है कि विदेशी स्वामित्व का कोई भी समाचार–पत्र

भारत में प्रकाशित नहीं होना चाहिए और मुख्यतः समाचार और समसामयिक विषयक विदेशी समाचार–पत्रों को भी भारतीय संस्करण निकालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अभी तक, इस निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और न ही इसकी समीक्षा की गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) तथापि, सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सभी स्टेकहोल्डरों को खुला आमंत्रण देती है।

[अनुवाद]

कागज उद्योग के उन्नयन हेतु धनराशि

***330. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग ने सरकार से कागज उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुकर बनाने के उद्देश्य से वस्त्र प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष की तर्ज पर एक कोष की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ) विभिन्न कागज उद्योग संघों से कागज उद्योग के लिए आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष की स्थापना के लिए एक सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों तथा विभिन्न पणधारकों से परामर्श के आधार पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना तैयार की गई है।

[हिन्दी]

चमड़ा उद्योग को प्रोत्साहन

***331. श्री हरिकेवल प्रसाद :**

श्री काशीराम राणा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चमड़ा आधारित उद्योगों के विकास की भारी संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विश्व बाजार में भारतीय चमड़ा आधारित उद्योगों की इस समय कितनी हिस्सेदारी है;

(ग) इस समय चमड़ा आधारित उद्योगों को राज्य–वार क्या प्रोत्साहन और सुविधाएं दी जा रही हैं तथा उक्त क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उन पर राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2006–07 में 35,000 करोड़ रुपये से अधिक आउटपुट तथा 13,492 करोड़ रुपये के निर्यात के साथ भारतीय चमड़ा उद्योग चीन एवं इटली के बाद तीसरा सबसे बड़ा चमड़ा एवं चमड़ा निर्मित वस्तुओं का उत्पादक है। शीर्ष चमड़ा निर्यातक देशों में भारत का आठवां स्थान है। वर्ष 2005 में, वैश्विक चमड़ा व्यापार में भारत का हिस्सा 2.56 प्रतिशत था।

(ग) और (घ) चमड़ा क्षेत्र की एकीकृत विकास योजना के तहत भारत सरकार चमड़ा एककों के आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु एसएसआई को 30 प्रतिशत तथा गैर–एसएसआई को 20 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) के तहत दो चमड़ा क्लस्टर, एक कानपुर (उत्तर प्रदेश) तथा अंबूर (तमिलनाडु) को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देते हुए अवसंरचनात्मक सुविधाओं विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में तमिलनाडु में चमड़ा फुटवेयर परिसर, फुटवेयर संघटक पार्क की स्थापना तथा कोलकाता में चमड़ा वस्तु पार्क की स्थापना करना भी शामिल है। बाजार पहुंच पहल (एमएआई) तथा बाजार विकास सहायता (एमडीए) के तहत निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार चमड़ा के शुल्क–मुक्त आयात, 5 प्रतिशत आयात शुल्क के छूट–दर पर चमड़ा क्षेत्र हेतु विशिष्ट मशीनरी का आयात, पिछले वर्ष के निर्यात के एफओबी मूल्य के 3 प्रतिशत तक के फुटवेयर सहित चमड़ा उत्पादों हेतु महत्वपूर्ण इनपुटों का शुल्क मुक्त आयात जैसी प्रोत्साहनों को उपलब्ध करा रही है। इस क्षेत्र में शामिल शिल्पकारों एवं श्रमिकों को मानव संसाधन विकास के तहत प्रशिक्षण एवं विपणन सहायता दी जाती एवं 10वीं योजना अवधि के दौरान सरकार द्वारा कार्यान्वित ग्रामीण शिल्पकार योजना को समर्थन दिया जाता है। उपर्युक्त योजना पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य–वार खर्च के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	कुल राशि (लाख रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	59.21
2.	दादरा और नगर हवेली	16.89
3.	दिल्ली	874.74
4.	गुजरात	21.45
5.	हरियाणा	361.67
6.	हिमाचल प्रदेश	10.00
7.	जम्मू–कश्मीर	12.51
8.	कर्नाटक	110.72
9.	केरल	115.04
10.	मध्य प्रदेश	58.84
11.	महाराष्ट्र	176.75
12.	मणिपुर	1.06
13.	पंजाब	244.34
14.	राजस्थान	467.22
15.	तमिलनाडु	8294.37
16.	उत्तर प्रदेश	3826.03
17.	पश्चिम बंगाल	1935.57
	कुल	16586.41

[अनुवाद]

बच्चों में शुरू से ही स्वाध्याय की आदत को बढ़ावा देना

***332. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्व शिक्षा अभियान के एक अंग के रूप में स्कूली बच्चों में शुरू से ही स्वाध्याय की आदत को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारों को दी जा रही सहायता और मार्गदर्शन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने स्वयं के अध्ययन विकास प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं तथा गत वर्ष में कितने स्कूलों द्वारा पृथक अध्ययन कक्ष स्थापित किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत, प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में संवर्धन के लिए बहुविध कार्यनीतियों में स्कूली बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेडों में पढ़ने की आदत के संवर्धन के कार्यक्रम को निर्देशित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 2007–08 के दौरान 11 राज्यों में कार्यशालाएं तथा प्रबोधन बैठकें आयोजित की गईं। सात राज्यों ने इस कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक पठन के संवर्धन हेतु कार्यकलाप आरंभ कर दिए हैं।

राष्ट्रीय खनिज नीति

***333. श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
डा. एम. जगन्नाथ :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह नीति प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु विदेशी निवेशकों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने को प्रोत्साहन देती है तथा खनन क्षेत्र में भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु इसमें उपाय समाविष्ट किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने उक्त नीति की विषय–वस्तु पर आपत्तियां उठाई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है और इस नीति को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) जी, हां। नई राष्ट्रीय खनिज नीति ने अगले चरण की खनिज रियायत का सुनिश्चित अधिकार, खनिज रियायतों की अंतरणीयता और रियायतों के आबंटन में पारदर्शिता जैसे नीतिगत उपायों की घोषणा की है ताकि ऐसे विलम्बों को कम किया जा सके जिन्हें भारत में खनन क्षेत्र में निवेश और प्रौद्योगिकी के मार्ग में बाधाओं के रूप में देखा जाता है। खनन नीति देश के औद्योगिक विकास के साथ–साथ सामान्यतया देश के पिछड़े और

जनजातीय क्षेत्रों में स्थित खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को सुधारने के लिए देश के प्राकृतिक खनिज संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के प्रयोजनार्थ एक व्यापक सतत विकास ढांचा भी विकसित करना चाहती है। अन्य सभी ब्यौरे संसद में रखे गए राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 के दस्तावेज में देखे जा सकते हैं।

(ग) और (घ) सरकार देश में खनन प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना चाहती है। नई नीति में कई ऐसे बिन्दु शामिल किए गए हैं जो पारदर्शिता उन्मुख हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अप्रैल, 2000 से दिसम्बर, 2007 तक की अवधि के बीच भारत में खनन हेतु कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 478.27 मिलियन अमरीकी डालर था।

(ङ) से (छ) सरकार को नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 पर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें मूल्यानुसार आधार पर रॉयल्टी के उद्ग्रहण हेतु अनुरोध के अतिरिक्त राज्य सरकार को राज्य के भीतर मूल्यवर्धन को अधिमान्यता देने की अनुमति प्रदान करने की आवश्यकता, निर्बाध अंतरण संबंधी नीति, पट्टा–अवधि की सुरक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) को सशक्त बनाने की आवश्यकता तथा खनिज रियायतें प्रदान करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वरीयता देने की अनुमति के बारे में विचार प्रकट किए। राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 की घोषणा करने से पहले सरकार द्वारा इन मुद्दों पर विचार किया गया और इनको राष्ट्रीय खनिज नीति में यथानुसार स्थान दिया गया है। मुख्य खनिज उत्पादक राज्यों की सरकारों से प्रतिनिधियों को शामिल करके गठित किया गया कार्यदल, नई खनिज नीति में घोषित मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर खनन कानूनों में संशोधन के बारे में विचार–विमर्श कर रहा है।

जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययन

*334. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील** : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन और भारतीय उपमहाद्वीप पर उसके प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जलवायु परिवर्तन और उसके विशेष रूप से एशिया पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में इस अध्ययन का दायरा विस्तृत करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संबंधी फ्रेमवर्क कन्वेशन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) की जून 2004 की भारत की प्रारंभिक राष्ट्रीय सूचना (नेटकॉम) तथा उसके बाद विभिन्न समूहों द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार भारत के जलवायु की प्रेक्षित प्रवृत्तियां संक्षेप में नीचे दी गई है। प्रेक्षित प्रवृत्तियां, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अभिलेखबद्ध पिछले 130 से अधिक वर्षों के सहायक रिकार्डों पर आधारित हैं।

मानसून की वर्षा अखिल भारतीय स्तर पर कोई प्रवत्ति नहीं दिखाई देती है, लेकिन पश्चिमी तट, उत्तरी आंध्र प्रदेश और उत्तर–पश्चिमी भारत में वर्षा बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई देती है तथा पूर्वी मध्य प्रदेश और उसाके आस–पास के क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत और गुजरात तथा केरल के भागों में मानसून की वर्षा कम होने की प्रवृत्ति देखी गई है। मध्य भारत के प्रदेशों में बार–बार भारी वर्षा होने की प्रवृत्ति बढ़ने के संकेत हैं।

वार्षिक औसत सतही वायु तापमान पिछली शताब्दी के दौरान 0.5° सें. तक तापमान बढ़ने की प्रवृत्ति है। हाल ही के डेटा दर्शाते हैं कि वर्ष 1990 के बाद से इस तापमान में काफी वृद्धि हुई है तथा ग्लोबल वार्मिंग प्रवृत्ति से इसकी तुलना की जा सकती है।

ग्रीष्मकालीन मानसून ऋतु के दौरान बड़े पैमाने पर सूखा अथवा बाढ़ आने की बारंबारता में कोई महत्वपूर्ण दीर्घ कालिक प्रवृत्ति नहीं देखी गई है।

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाली चक्रवाती तूफानों की कुल बारंबारता लगभग एक समान रही है।

भारतीय तटवर्ती प्रदेशों के ज्वार भाटा मापियों के रिकार्ड का विश्लेषण करने से 1.30 मिमी./वर्ष की दर से समुद्र के स्तर में वृद्धि होने का अनुमान है। भविष्य के वैश्विक अनुमानों से औसतन लगभग 4 मिमी/वर्ष की दर से वृद्धि होने का पता चलता है।

इस बात के प्रमाण हैं कि हिमालय में हिमखण्ड तीव्र गति से पिघल रहा है, परंतु, यह स्पष्ट नहीं है कि इनके इस प्रकार पिघलने के लिए जलवायु परिवर्तन को कहां तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्योंकि प्राकृतिक दीर्घकालिक ग्लोशियल–इण्टर–ग्लेशियल चक्रों के कारण भी हिमखंड पिघलते हैं।

अनुमान लगाया गया है कि वार्षिक तापमान 3° से. से 6° से. तक बढ़ जाएगा। भू–भागों में यह तापमान अधिक महसूस होने की संभावना है, साथ ही उत्तरी क्षेत्र सबसे अधिक गरम होंगे। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे द्वारा किए गए ये अध्ययन

कुछ अंतर्निहित अनिश्चितताओं वाले क्षेत्रीय जलवायु मॉडलों पर आधारित हैं।

इस समस्या को हल करने के लिए किए गए उपायों का सारांश नीचे दिया गया है :

व्यवस्थित ढंग से प्रेक्षणों के नेटवर्क को बढ़ाने के महत्व और इसकी जरूरत को महत्वपूर्ण आवश्यकता माना गया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के प्रेक्षणात्मक नेटवर्क के आधुनिकीकरण से भारतीय क्षेत्र पर जलवायु प्रेक्षण की कवरेज काफी हद तक बढ़ाई जा सकेगी और इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन बेहतर ढंग से किया जा सकेगा।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन विज्ञान के क्षेत्र में अंतर–विधात्मक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए भारतीय उष्ट–देशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे में एक अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है ताकि वैश्विक और क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके। यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगतता वाले मुद्दों पर सहयोगात्मक अनुसंधान की सहायता से संबद्ध क्षेत्रों में लगे हुए अग्रणी राष्ट्रीय अनुसंधान समूह के नेटवर्कों और अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करेगा। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान समूह कमी वाले क्षेत्रों में संपर्क सहायता का कार्य करेगें।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग हिमनद विज्ञान पर केन्द्रित अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना करने की योजना बना रहा है।

यद्यपि, भारत की क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ग्रीन हाऊस गैस (जीएचजी) उपशमन के लिए कोई वचनबद्धता नहीं है, फिर भी जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के लिए दीर्घावधिक योजना प्रक्रिया के भाग के रूप में निम्नलिखित के अनुसार कई नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए हैं :

1. ऊर्जा क्षमता तथा संरक्षण में सुधार करना, तथा ऊर्जा क्षमता ब्यूरो की स्थापना करना।
2. विद्युत क्षेत्र सुधार–हाइड्रो एवं ऊर्जा के पुनः नवीनीकरण को बढ़ावा देना।
3. स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, कोयले की सफाई करना तथा कोयले का कुशल प्रयोग।
4. वनारोपण तथा वनों का संरक्षण।
5. गैस प्रदीप्ति में कमी।
6. परिवहन के लिए अधिक स्वच्छ व कम कार्बन वाले ईंधन का प्रयोग करना।
7. सामूहिक तीव्र परिवहन प्रणालियों को प्रोत्साहित करना।
8. पर्यावरणीय गुणवत्ता एवं गुणवत्ता प्रबंधन।

हाल ही में की गई नीति स्तर की कार्रवाई :

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन प्रभावों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है।
2. सरकार ने जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन, अनुकूलन तथा न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई को समन्वित करने के लिए प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन परिषद् की स्थापना भी की है। परिषद् का एक निर्णय यह भी था कि भारत जलवायु परिवर्तन अध्ययन संबंधी एक विश्व स्तरीय केन्द्र की स्थापना करे।
3. सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार कर रही है तथा सरकार ने एक स्थायी संस्थागत तंत्र की स्थापना करने का भी प्रस्ताव रखा है जो विकासात्मक तथा समन्वयकर्ता की भूमिका निभाएगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आतंकवादी गतिविधियां रोकने के लिए इसरो से सहायता

***335. श्री भर्तृहरि महताब :**
श्री उदय सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्वतीय क्षेत्रों और घने जंगलों के अंदरूनी हिस्सों की प्रभावी रूप से जांच करने और आतंकवादियों तथा उग्रवादियों के छिपने के ठिकानों का पता लगाने में सुरक्षा बलों की सहायता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से उपग्रह से प्राप्त चित्रों का उपयोग करने के लिए अर्द्धसैनिक बलों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जैसा कि 15 मार्च, 2008 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा किन–किन अर्द्ध–सैनिक बलों को भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) उपलब्ध कराई जाएगी; और

(घ) अर्द्ध–सैनिक बलों के लिए यह कितनी लाभदायक होगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) ऐसा ज्ञात हुआ है कि आतंकवादी संगठन, जिसमें नक्सलवादी भी शामिल हैं, अपनी तकनीकी क्षमताओं का उन्नयन करने का सतत प्रयास कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में उन्होंने अपने काडरों को सुरक्षा बलों पर गुरिल्ला टाइप का हमला करने और घने जंगलों का सहारा लेने का प्रशिक्षण दिया है। इसलिए आतंकवादियों/उग्रवादियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटाने के लिए सुरक्षा बलों को कमांडों तथा उन्हें हथियारों, संचार, आवाजाही, उपकरण से समुचित रूप से सज्जित करने और जी आई एस आधारित प्रणालियों सहित आधुनिक तकनीक का प्रयास करने में प्रशिक्षित करने की जरूरत है, इस पृष्ठभूमि में सरकार सुरक्षा बलों की क्षमताओं का उन्नयन करने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए सतत प्रयासरत है। प्रश्न में उद्धृत न्यूज रिपोर्ट पर टिप्पणी करना व्यवहार्य एवं उचित प्रतीत नहीं होता है।

नवोदय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

***336. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार सभी नवोदय विद्यालयों में पांचवीं कक्षा से कम्प्यूटर शिक्षा देने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी नहीं। तथापि, जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों को कक्षा VI से कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) इसके लिए अलग पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं। बहुत से जवाहर नवोदय विद्यालय उच्चतर माध्यमिक (+2) स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में कम्प्यूटर विषय भी प्रदान करते हैं। कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जवाहर नवोदय विद्यालयों को कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, रंगीन टी.वी., मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, स्केनर और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है।

व्यापार मेलों के लिए स्थानों का चयन

***337. श्री हितेन बर्मन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ) की देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश राज्यों में नियमित तौर पर व्यापार मेले आयोजित करने हेतु स्थानों का चयन करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनी–सुविधाएं शुरू करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ) को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आई टी पी ओ) को व्यापार केन्द्र/प्रदर्शनी सुविधाएं स्थापित करने के लिए निर्यात हेतु अवसंरचना विकास के लिए राज्यों को सहायता (ए एस आई डी ई) स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है। सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल, ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए 1500 लाख रुपये की कुल लागत से कोलकाता में व्यापार – सह – प्रदर्शनी केन्द्र हेतु एक परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में प्रदर्शनी केन्द्र की स्थापना करने के बारे में आई टी पी ओ से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

कृषि और कृषि आधारित उत्पादों का आयात/निर्यात

***338. श्री हंसराज गं. अहीर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में प्रत्येक राज्य से आयात और निर्यात किए गए कृषि तथा कृषि आधारित उत्पादों का उत्पादवार एवं मूल्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा देश से कृषि तथा कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) चूंकि आयात राज्य विशिष्ट नहीं होते हैं इसलिए राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के लिए कृषि एवं कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात के राज्यवार आंकड़े एकत्र किए गए हैं जो विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) निर्यात को प्रोत्साहित करना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार द्वारा वस्तु बोर्डों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों की योजना स्कीमों

के अंतर्गत उपायों और प्रोत्साहनों के जरिए कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा, भारतीय कृषि उत्पादों का संवर्धन करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अनेक स्कीमें अर्थात बाजार विकास सहायता (एम डी ए), बाजार पहुंच पहल (एम ए आई), निर्यात अवसंरचना के विकास एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता (ए एस आई डी ई) आदि लागू की है जिनके अंतर्गत विभिन्न बोर्डों/परिषदों द्वारा क्रेता–विक्रेता बैठकों के आयोजन, व्यापार मेलों में भागीदारी आदि जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत निर्यातकों को भी देश के निर्यातों को बढ़ाने की दृष्टि से आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, पैकेजिंग और गुणवत्ता सुधार आदि हेतु सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। सरकार ने विशेष कृषि एवं ग्राम उपज योजना भी घोषित की है जिसका उद्देश्य फलों, सब्जियों, फूलों, दुग्ध, कुक्कुट, लघु वनोत्पाद और ऐसे उत्पादों के निर्यात पर प्रोत्साहन प्रदान कर उनके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करना है। इसके अलावा फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम तथा निर्यात उत्कृष्टता के शहर जैसी अन्य स्कीमें लागू हैं।

विवरण

वर्ष 2004–05 के दौरान भिन्न–भिन्न राज्यों के मूल के कृषि एवं कृषि आधारित उत्पादों के उत्पाद–वार भारतीय निर्यात

	राज्य	अध्याय	उत्पाद	निर्यात मूल्य (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
01	असम	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	19.90
01	असम	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	31.53
01	असम	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	63734.51
01	असम	10	अनाज	531.70
01	असम	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	27.22
01	असम	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	942.51
01	असम	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	14.64
01	असम	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	3.87
01	असम	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	14.40
01	असम	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	292.45
01	असम	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	1.95
01	असम	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	252.22
01	असम	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	5.45

1	2	3	4	5
02	मेघालय	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	646.97
02	मेघालय	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	103.98
02	मेघालय	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	174.00
02	मेघालय	10	अनाज	918.79
02	मेघालय	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	33.98
02	मेघालय	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	62.31
02	मेघालय	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	3.63
02	मेघालय	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	19.77
02	मेघालय	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	0.19
02	मेघालय	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	11.32
02	मेघालय	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	2.33
02	मेघालय	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	92.74
02	मेघालय	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	49.88
03	मिजोरम	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	14.02
03	मिजोरम	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	40.93
03	मिजोरम	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	187.92
03	मिजोरम	10	अनाज	9.00
03	मिजोरम	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	1.21
03	मिजोरम	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	18.81
03	मिजोरम	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	298.98
06	बिहार	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	0.14

1	2	3	4	5
06	बिहार	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	1367.38
06	बिहार	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	352.84
06	बिहार	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	72.86
06	बिहार	10	अनाज	12825.13
06	बिहार	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	15.37
06	बिहार	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	103.24
06	बिहार	13	लाख; गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	713.07
06	बिहार	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	18.74
06	बिहार	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	2.76
06	बिहार	7	चीनी एवं चीनी की मिठाई	77.00
06	बिहार	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	10.94
06	बिहार	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	15.59
06	बिहार	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	287.67
06	बिहार	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	125.17
06	बिहार	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	6.13
06	बिहार	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	77.46
06	बिहार	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	17.37
07	झारखंड	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	3.00
07	झारखंड	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	29.37
07	झारखंड	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	23.09
07	झारखंड	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	26.75

1	2	3	4	5
07	झारखंड	10	अनाज	364.63
07	झारखंड	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	1.34
07	झारखंड	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एव फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	8.22
07	झारखंड	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	2366.00
07	झारखंड	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	13.72
07	झारखंड	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	0.46
07	झारखंड	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	20.47
09	अरुणाचल प्रदेश	07	खाद्य सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	4.17
09	अरुणाचल प्रदेश	08	खाद्य फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	13.68
09	अरुणाचल प्रदेश	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	76.39
09	अरुणाचल प्रदेश	10	अनाज	89.99
09	अरुणाचल प्रदेश	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	4.81
09	अरुणाचल प्रदेश	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	135.31
09	अरुणाचल प्रदेश	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	1.42
09	अरुणाचल प्रदेश	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	17.52
09	अरुणाचल प्रदेश	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	6084.74
10	पश्चिम बंगाल	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूट	4620.40
10	पश्चिम बंगाल	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	37834.26
10	पश्चिम बंगाल	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	9775.37
10	पश्चिम बंगाल	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	51628.15
10	पश्चिम बंगाल	10	अनाज	71067.89

1	2	3	4	5
10	पश्चिम बंगाल	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	918.33
10	पश्चिम बंगाल	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	3462.65
10	पश्चिम बंगाल	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	12576.05
10	पश्चिम बंगाल	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	350.09
10	पश्चिम बंगाल	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	756.19
10	पश्चिम बंगाल	16	म्छली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	265.59
10	पश्चिम बंगाल	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	689.14
10	पश्चिम बंगाल	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	224.29
10	पश्चिम बंगाल	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	1249.63
10	पश्चिम बंगाल	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	1444.30
10	पश्चिम बंगाल	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	1341.70
10	पश्चिम बंगाल	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	144.50
10	पश्चिम बंगाल	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	9502.73
10	पश्चिम बंगाल	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	4926.31
14	नागालैंड	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	1.93
14	नागालैंड	10	अनाज	6.62
14	नागालैंड	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	4.50
15	मणिपुर	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	1.09
15	मणिपुर	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	6.92
15	मणिपुर	10	अनाज	4.23
15	मणिपुर	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	4.25

1	2	3	4	5
16	उड़ीसा	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	6.30
16	उड़ीसा	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	102.62
16	उड़ीसा	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	84.95
16	उड़ीसा	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	35.67
16	उड़ीसा	10	अनाज	17084.85
16	उड़ीसा	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	30.70
16	उड़ीसा	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	230.08
16	उड़ीसा	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	17.49
16	उड़ीसा	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शमिल न किया गया हो	483.86
16	उड़ीसा	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	2.19
16	उड़ीसा	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	2.94
16	उड़ीसा	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	0.66
16	उड़ीसा	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	3.00
16	उड़ीसा	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	51.17
16	उड़ीसा	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	18.56
16	उड़ीसा	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	19.44
16	उड़ीसा	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	23.81
17	सिक्किम	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	4.23
17	सिक्किम	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	1081.69
18	त्रिपुरा	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	13.73
18	त्रिपुरा	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	2.60

1	2	3	4	5
18	त्रिपुरा	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	46.64
18	त्रिपुरा	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	20.26
18	त्रिपुरा	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	2.58
18	त्रिपुरा	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	5.94
19	अंडमान और निकोबार	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	10.86
19	अंडमान और निकोबार	08	खाद्य फल एवं संब्जियां; साइट्रस फ्रल या मेलन के छिलके	3.96
19	अंडमान और निकोबार	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	9.75
19	अंडमान और निकोबार	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	0.68
19	अंडमान और निकोबार	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	1.64
19	अंडमान और निकोबार	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	4.30
19	अंडमान और निकोबार	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	5.52
19	अंडमान और निकोबार	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	3.32
19	अंडमान और निकोबार	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	16.88
19	अंडमान और निकोबार	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	28.08
20	उत्तर प्रदेश	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बैल बूट	14.96
20	उत्तर प्रदेश	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	8873.32
20	उत्तर प्रदेश	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	2388.08
20	उत्तर प्रदेश	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	537.73
20	उत्तर प्रदेश	10	अनाज	58225.65
20	उत्तर प्रदेश	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	470.13
20	उत्तर प्रदेश	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	4325.48

1	2	3	4	5
20	उत्तर प्रदेश	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	5036.06
20	उत्तर प्रदेश	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	128.01
20	उत्तर प्रदेश	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	787.00
20	उत्तर प्रदेश	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	1.93
20	उत्तर प्रदेश	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	2232.28
20	उत्तर प्रदेश	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	89.07
20	उत्तर प्रदेश	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	1145.78
20	उत्तर प्रदेश	20	सब्जिओं, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	470.06
20	उत्तर प्रदेश	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	5911.00
20	उत्तर प्रदेश	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	1559.11
20	उत्तर प्रदेश	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	966.62
20	उत्तर प्रदेश	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	3015.96
21	उत्तरांचल	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूट	0.56
21	उत्तरांचल	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	187.82
21	उत्तरांचल	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	10.99
21	उत्तरांचल	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	298.28
21	उत्तरांचल	10	अनाज	560.05
21	उत्तरांचल	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	17.15
21	उत्तरांचल	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	603.47
21	उत्तरांचल	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	0.30
21	उत्तरांचल	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	84.06

1	2	3	4	5
21	उत्तरांचल	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	0.05
21	उत्तरांचल	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	0.22
21	उत्तरांचल	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	46.58
21	उत्तरांचल	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	31.04
21	उत्तरांचल	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	4.01
29	दिल्ली	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूट	36.54
29	दिल्ली	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	3006.03
29	दिल्ली	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	2621.95
29	दिल्ली	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	1664.49
29	दिल्ली	10	अनाज	28249.43
29	दिल्ली	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	518.05
29	दिल्ली	12	तिलहन, आस्लिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	3807.00
29	दिल्ली	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	1054.74
29	दिल्ली	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	1043.51
29	दिल्ली	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	4133.16
29	दिल्ली	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	73.39
29	दिल्ली	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	1502.16
29	दिल्ली	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	209.00
29	दिल्ली	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	3748.01

1	2	3	4	5
29	दिल्ली	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	935.71
29	दिल्ली	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	1684.99
29	दिल्ली	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	619.68
29	दिल्ली	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	1169.63
29	दिल्ली	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	1615.19
30	पंजाब	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूट	19.57
30	पंजाब	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	1581.57
30	पंजाब	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	5166.25
30	पंजाब	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	2753.61
30	पंजाब	10	अनाज	181975.58
30	पंजाब	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	1840.22
30	पंजाब	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	1108.99
30	पंजाब	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	11978.88
30	पंजाब	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	335.12
30	पंजाब	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	76.05
30	पंजाब	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरुकी के मोलेसस	38.86
30	पंजाब	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	355.51
30	पंजाब	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	1610.70
30	पंजाब	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	8336.50
30	पंजाब	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	1513.26

1	2	3	4	5
30	पंजाब	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	454.51
30	पंजाब	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	6290.50
30	पंजाब	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	47.89
34	हरियाणा	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	374.42
34	हरियाणा	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	940.57
34	हरियाणा	09	कॉफी, चाय [illegible] एवं मसाले	573.00
34	हरियाणा	10	अनाज	236571.04
34	हरियाणा	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	698.47
34	हरियाणा	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	680.67
34	हरियाणा	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	7420.60
34	हरियाणा	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	1254.52
34	हरियाणा	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	143.50
34	हरियाणा	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	18.43
34	हरियाणा	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	49.93
34	हरियाणा	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	10.67
34	हरियाणा	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	3569.85
34	हरियाणा	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	289.59
34	हरियाणा	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	1244.93
34	हरियाणा	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	585.32
34	हरियाणा	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	996.16
34	हरियाणा	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	100.28

1	2	3	4	5
39	चंडीगढ़	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	83.95
39	चंडीगढ़	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	1.49
39	चंडीगढ़	10	अनाज	262.75
39	चंडीगढ़	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	7.03
39	चंडीगढ़	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	28.19
39	चंडीगढ़	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	0.10
39	चंडीगढ़	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	2.35
39	चंडीगढ़	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	14.35
39	चंडीगढ़	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	45.58
44	जम्मू व कश्मीर	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	676.68
44	जम्मू व कश्मीर	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	2304.79
44	जम्मू व कश्मीर	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	147.01
44	जम्मू व कश्मीर	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	8.44
44	जम्मू व कश्मीर	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	0.65
44	जम्मू व कश्मीर	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	153.87
46	हिमाचल प्रदेश	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	147.60
46	हिमाचल प्रदेश	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	49.58
46	हिमाचल प्रदेश	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	4.19
46	हिमाचल प्रदेश	10	अनाज	11.46
46	हिमाचल प्रदेश	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	8.47
46	हिमाचल प्रदेश	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	80.39

1	2	3	4	5
46	हिमाचल प्रदेश	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	24.78
46	हिमाचल प्रदेश	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	0.74
46	हिमाचल प्रदेश	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	3.63
46	हिमाचल प्रदेश	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	25.20
46	हिमाचल प्रदेश	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	12.02
46	हिमाचल प्रदेश	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	59.09
46	हिमाचल प्रदेश	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	600.50
50	राजस्थान	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूट	19.58
50	राजस्थान	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	254.96
50	राजस्थान	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	66.27
50	राजस्थान	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	800.70
50	राजस्थान	10	अनाज	1948.03
50	राजस्थान	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	54.67
50	राजस्थान	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	2710.93
50	राजस्थान	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	32782.41
50	राजस्थान	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	382.90
50	राजस्थान	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	86.03
50	राजस्थान	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरुकी के मोलेसस	2.51
50	राजस्थान	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	60.33
50	राजस्थान	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	48.90

1	2	3	4	5
50	राजस्थान	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	283.98
50	राजस्थान	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	24.79
50	राजस्थान	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	1308.87
50	राजस्थान	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	14.35
50	राजस्थान	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	4403.46
50	राजस्थान	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	1189.28
54	गुजरात	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूट	127.84
54	गुजरात	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	12348.19
54	गुजरात	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	5749.53
54	गुजरात	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	11446.18
54	गुजरात	10	अनाज	32873.63
54	गुजरात	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	4102.12
54	गुजरात	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	69263.63
54	गुजरात	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	16534.97
54	गुजरात	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	399.23
54	गुजरात	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	120472.01
54	गुजरात	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां; अन्य जलीय अकशेरुकी के मोलेसस	488.54
54	गुजरात	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	3499.44
54	गुजरात	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	96.35
54	गुजरात	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	3503.42

1	2	3	4	5
54	गुजरात	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	5742.43
54	गुजरात	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	5203.19
54	गुजरात	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	257.51
54	गुजरात	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	58264.64
54	गुजरात	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	4550.98
60	महाराष्ट्र	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूट	3993.19
60	महाराष्ट्र	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	55722.80
60	महाराष्ट्र	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	30834.18
60	महाराष्ट्र	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	48318.31
60	महाराष्ट्र	10	अनाज	18426.36
60	महाराष्ट्र	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	5310.50
60	महाराष्ट्र	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	58481.32
60	महाराष्ट्र	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	4739.97
60	महाराष्ट्र	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	1630.36
60	महाराष्ट्र	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	16825.46
60	महाराष्ट्र	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	46944.73
60	महाराष्ट्र	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	8719.61
60	महाराष्ट्र	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	778.43
60	महाराष्ट्र	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	13120.80
60	महाराष्ट्र	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	4806.87

1	2	3	4	5
60	महाराष्ट्र	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	4292.66
60	महाराष्ट्र	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	5242.00
60	महाराष्ट्र	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	27500.17
60	महाराष्ट्र	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	1148.29
67	दमन व दीव	08	खाद्य फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	8.12
67	दमन व दीव	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	1.04
67	दमन व दीव	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	0.47
67	दमन व दीव	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तैल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	47.75
67	दमन व दीव	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	20.49
68	गोवा	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूट	1.34
68	गोवा	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	101.75
68	गोवा	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	1280.45
68	गोवा	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	19.34
68	गोवा	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	19.22
68	गोवा	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	39.51
68	गोवा	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरुकी के मोलेसस	3093.74
68	गोवा	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	0.29
68	गोवा	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	79.30
68	गोवा	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	257.41
68	गोवा	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	67.67
68	गोवा	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	352.41

1	2	3	4	5
68	गोवा	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	2345.78
68	गोवा	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	2.46
68	गोवा	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	1148.29
69	दादरा और नगर हवेली	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	0.06
69	दादरा और नगर हवेली	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	6.18
69	दादरा और नगर हवेली	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	0.16
69	दादरा और नगर हवेली	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	16.14
69	दादरा और नगर हवेली	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	96.09
69	दादरा और नगर हवेली	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	12.13
70	मध्य प्रदेश	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	1.41
70	मध्य प्रदेश	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	17300.69
70	मध्य प्रदेश	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	184.32
70	मध्य प्रदेश	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	2028.98
70	मध्य प्रदेश	10	अनाज	11306.33
70	मध्य प्रदेश	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	410.64
70	मध्य प्रदेश	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	3446.06
70	मध्य प्रदेश	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	428.15
70	मध्य प्रदेश	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	24.40
70	मध्य प्रदेश	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	2407.99
70	मध्य प्रदेश	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	102.97
70	मध्य प्रदेश	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	4.87

1	2	3	4	5
70	मध्य प्रदेश	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	212.00
70	मध्य प्रदेश	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	300.39
70	मध्य प्रदेश	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	627.31
70	मध्य प्रदेश	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	32.35
70	मध्य प्रदेश	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	188513.45
70	मध्य प्रदेश	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	518.25
71	छत्तीसगढ़	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	15.01
71	छत्तीसगढ़	10	अनाज	12493.39
71	छत्तीसगढ़	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	386.70
71	छत्तीसगढ़	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	0.90
71	छत्तीसगढ़	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	2754.45
80	आन्ध्र प्रदेश	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	469.25
80	आन्ध्र प्रदेश	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	1582.76
80	आन्ध्र प्रदेश	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके .	19854.59
80	आन्ध्र प्रदेश	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	20501.47
80	आन्ध्र प्रदेश	10	अनाज	158614.92
80	आन्ध्र प्रदेश	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	132.75
80	आन्ध्र प्रदेश	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	8698.18
80	आन्ध्र प्रदेश	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	3690.19
80	आन्ध्र प्रदेश	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	921.49

1	2	3	4	5
80	आन्ध्र प्रदेश	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	1629.03
80	आन्ध्र प्रदेश	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	22.61
80	आन्ध्र प्रदेश	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	276.91
80	आन्ध्र प्रदेश	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	176.20
80	आन्ध्र प्रदेश	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	807.38
80	आन्ध्र प्रदेश	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	4302.70
80	आन्ध्र प्रदेश	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	9738.97
80	आन्ध्र प्रदेश	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	51.30
80	आन्ध्र प्रदेश	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	8286.55
80	आन्ध्र प्रदेश	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	62235.47
84	कर्नाटक	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	1613.54
84	कर्नाटक	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	11409.37
84	कर्नाटक	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	25921.25
84	कर्नाटक	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	64919.98
84	कर्नाटक	10	अनाज	14580.72
84	कर्नाटक	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	1029.20
84	कर्नाटक	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	6130.76
84	कर्नाटक	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	11125.87
84	कर्नाटक	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	17.53
84	कर्नाटक	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	485.91

1	2	3	4	5
84	कर्नाटक	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	221.12
84	कर्नाटक	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	2833.37
84	कर्नाटक	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	848.38
84	कर्नाटक	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	1539.30
84	कर्नाटक	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	10281.14
84	कर्नाटक	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	13439.39
84	कर्नाटक	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	454.14
84	कर्नाटक	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	311.89
84	कर्नाटक	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	26189.72
89	लक्षद्वीप	10	अनाज	113.02
90	तमिलनाडु	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	11531.99
90	तमिलनाडु	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	8824.62
90	तमिलनाडु	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	23737.63
90	तमिलनाडु	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	35620.38
90	तमिलनाडु	10	अनाज	23336.64
90	तमिलनाडु	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	1732.34
90	तमिलनाडु	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	8214.53
90	तमिलनाडु	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	3610.28
90	तमिलनाडु	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	3235.91
90	तमिलनाडु	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	3375.20

1	2	3	4	5
90	तमिलनाडु	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	200.77
90	तमिलनाडु	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	4150.19
90	तमिलनाडु	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	43.03
90	तमिलनाडु	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	6157.38
90	तमिलनाडु	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	4948.39
90	तमिलनाडु	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	8746.92
90	तमिलनाडु	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	212.78
90	तमिलनाडु	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	1572.29
90	तमिलनाडु	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	963.00
96	केरल	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	423.39
96	केरल	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	4795.73
96	केरल	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	208470.66
96	केरल	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	57910.20
96	केरल	10	अनाज	4790.87
96	केरल	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	731.61
96	केरल	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	1107.61
96	केरल	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	32141.41
96	केरल	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	174.75
96	केरल	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	853.08
96	केरल	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	4713.68

1	2	3	4	5
96	केरल	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	354.07
96	केरल	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	110.92
96	केरल	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	2031.63
96	केरल	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	1415.74
96	केरल	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	4685.68
96	केरल	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	369.99
96	केरल	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	148.95
96	केरल	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	4611.19
99	पांडिचेरी	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	0.23
99	पांडिचेरी	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	0.36
99	पांडिचेरी	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	0.70
99	पांडिचेरी	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	9.35
99	पांडिचेरी	10	अनाज	151.95
99	पांडिचेरी	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	14.81
99	पांडिचेरी	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	0.07
99	पांडिचेरी	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	80.45
99	पांडिचेरी	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	0.72
99	पांडिचेरी	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	0.41
99	पांडिचेरी	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	0.42
99	पांडिचेरी	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	31.45

1	2	3	4	5
99	पांडिचेरी	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	167.96
99	पांडिचेरी	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	80.89
99	पांडिचेरी	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	5.26
	अविनिर्दिष्ट			51648.62
	सम्पूर्ण भारत	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	22292.00
	सम्पूर्ण भारत	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	172458.00
	सम्पूर्ण भारत	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	340400.00
	सम्पूर्ण भारत	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	372431.00
	सम्पूर्ण भारत	10	अनाज	902257.00
	सम्पूर्ण भारत	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	20326.00
	सम्पूर्ण भारत	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	174648.00
	सम्पूर्ण भारत	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	149067.00
	सम्पूर्ण भारत	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	10715.00
	सम्पूर्ण भारत	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	153806.00
		16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	58106.00
	सम्पूर्ण भारत	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	25454.00
	सम्पूर्ण भारत	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	2906.00
	सम्पूर्ण भारत	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	40001.00
	सम्पूर्ण भारत	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	44287.00
	सम्पूर्ण भारत	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	61733.00
	सम्पूर्ण भारत	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	14213.00

1	2	3	4	5
	सम्पूर्ण भारत	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	322994.00
	सम्पूर्ण भारत	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	125461.00
	कुल योग			3011355.00

टिप्पणी : अवैध और/या विनिर्दिष्ट नहीं किए गए उद्गम के राज्य के कोड के तदनुरूपी निर्यात मूल्य के आंकड़ों को 'अविनिर्दिष्ट' श्रेणी में शामिल किया गया है और इसके लिए कोई अध्याय-वार वितरण नहीं दर्शाया गया है।

वर्ष 2005-06 के दौरान भिन्न-भिन्न राज्यों के मूल के कृषि एवं कृषि उत्पादों के उत्पाद-वार भारतीय निर्यात

	राज्य	अध्याय	उत्पाद	निर्यात मूल्य (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
01	असम	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	0.26
01	असम	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	82.96
01	असम	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	32.25
01	असम	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	69827.58
01	असम	10	अनाज	74.31
01	असम	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	821.51
01	असम	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	1.18
01	असम	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	148.32
01	असम	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	23.00
01	असम	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	8.91
01	असम	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	42.39
01	असम	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	26.23
01	असम	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	2.23
02	मेघालय	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	517.07
02	मेघालय	08	फल एवं सब्जियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	77.51

1	2	3	4	5
02	मेघालय	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	167.72
02	मेघालय	10	अनाज	795.83
02	मेघालय	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	13.81
02	मेघालय	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	6.75
02	मेघालय	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	8.19
02	मेघालय	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	0.81
03	मिजोरम	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूट	0.03
03	मिजोरम	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	0.08
03	मिजोरम	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	37.75
03	मिजोरम	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	204.72
03	मिजोरम	10	अनाज	0.47
03	मिजोरम	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	0.20
06	बिहार	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूट	116.98
06	बिहार	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	4595.22
06	बिहार	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	521.84
06	बिहार	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	1189.60
06	बिहार	10	अनाज	7156.68
06	बिहार	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	9.74
06	बिहार	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	188.66
06	बिहार	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	70.42
06	बिहार	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	29.01
06	बिहार	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	1.67

1	2	3	4	5
06	बिहार	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	0.24
06	बिहार	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	122.10
06	बिहार	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	0.26
06	बिहार	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	72.78
06	बिहार	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	256.52
06	बिहार	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	4.24
06	बिहार	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	6.68
06	बिहार	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	26.31
06	बिहार	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	10.22
07	झारखंड	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	319.70
07	झारखंड	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	25.53
07	झारखंड	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	46.25
07	झारखंड	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	31.06
07	झारखंड	10	अनाज	161.68
07	झारखंड	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	6.74
07	झारखंड	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	2080.32
07	झारखंड	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	1.26
07	झारखंड	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	1.56
07	झारखंड	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	437.92
07	झारखंड	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	18.46
09	अरुणाचल प्रदेश	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	22.04
09	अरुणाचल प्रदेश	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	12.97
09	अरुणाचल प्रदेश	10	अनाज	5.04

1	2	3	4	5
09	अरुणाचल प्रदेश	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	102.45
09	अरुणाचल प्रदेश	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	0.85
09	अरुणाचल प्रदेश	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	0.42
09	अरुणाचल प्रदेश	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	2324.82
10	पश्चिम बंगाल	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त [illegible] एवं अलंकारिक बेल बूट	4783.72
10	पश्चिम बंगाल	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	45466.13
10	पश्चिम बंगाल	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	12623.56
10	पश्चिम बंगाल	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	30136.97
10	पश्चिम बंगाल	10	अनाज	64876.71
10	पश्चिम बंगाल	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	179.37
10	पश्चिम बंगाल	12	तिलहन, औलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	3090.93
10	पश्चिम बंगाल	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	10603.23
10	पश्चिम बंगाल	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	184.64
10	पश्चिम बंगाल	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	2262.67
10	पश्चिम बंगाल	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	97.52
10	पश्चिम बंगाल	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	463.76
10	पश्चिम बंगाल	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	150.84
10	पश्चिम बंगाल	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	664.85
10	पश्चिम बंगाल	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	1775.31
10	पश्चिम बंगाल	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	1541.71
10	पश्चिम बंगाल	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	103.65

1	2	3	4	5
10	पश्चिम बंगाल	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	2452.53
10	पश्चिम बंगाल	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	3391.60
14	नागालैंड	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	0.36
14	नागालैंड	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	0.56
14	नागालैंड	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	6.48
15	मणिपुर	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	0.59
15	मणिपुर	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	8.68
15	मणिपुर	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	3.78
16	उड़ीसा	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	0.28
16	उड़ीसा	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	9.17
16	उड़ीसा	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	111.20
16	उड़ीसा	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	26.53
16	उड़ीसा	10	अनाज	5767.39
16	उड़ीसा	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	176.70
16	उड़ीसा	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	635.64
16	उड़ीसा	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	28.89
16	उड़ीसा	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	559.95
16	उड़ीसा	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	1.87
17	सिक्किम	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	20.80
17	सिक्किम	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	725.40
18	त्रिपुरा	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	24.67
18	त्रिपुरा	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	3.84

1	2	3	4	5
18	त्रिपुरा	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	5.88
18	त्रिपुरा	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	304.70
18	त्रिपुरा	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	0.72
18	त्रिपुरा	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	1.10
19	अंडमान – निकोबार	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	81.87
19	अंडमान – निकोबार	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	0.27
19	अंडमान – निकोबार	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	13.35
19	अंडमान – निकोबार	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	6.55
20	उत्तर प्रदेश	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	99.05
20	उत्तर प्रदेश	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	15521.50
20	उत्तर प्रदेश	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	1061.64
20	उत्तर प्रदेश	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	611.61
20	उत्तर प्रदेश	10	अनाज	58213.44
20	उत्तर प्रदेश	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	63.32
20	उत्तर प्रदेश	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	4929.10
20	उत्तर प्रदेश	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	2435.74
20	उत्तर प्रदेश	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	112.71
20	उत्तर प्रदेश	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	774.42
20	उत्तर प्रदेश	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	36.56
20	उत्तर प्रदेश	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	3316.61
20	उत्तर प्रदेश	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	185.50

1	2	3	4	5
20	उत्तर प्रदेश	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	1221.72
20	उत्तर प्रदेश	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	223.78
20	उत्तर प्रदेश	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	5923.70
20	उत्तर प्रदेश	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	3069.54
20	उत्तर प्रदेश	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	1895.96
20	उत्तर प्रदेश	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	3673.23
21	उत्तरांचल	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	18.31
21	उत्तरांचल	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	14.85
21	उत्तरांचल	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	0.09
21	उत्तरांचल	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	15.22
21	उत्तरांचल	10	अनाज	1344.98
21	उत्तरांचल	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	88.29
21	उत्तरांचल	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	524.01
21	उत्तरांचल	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	0.17
21	उत्तरांचल	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	0.23
21	उत्तरांचल	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	1.89
21	उत्तरांचल	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	37.86
21	उत्तरांचल	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	17.05
21	उत्तरांचल	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	28.50
21	उत्तरांचल	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	59.94

1	2	3	4	5
29	दिल्ली	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	78.43
29	दिल्ली	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	5069.17
29	दिल्ली	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	2999.73
29	दिल्ली	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	1363.97
29	दिल्ली	10	अनाज	32574.25
29	दिल्ली	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	372.18
29	दिल्ली	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	2695.40
29	दिल्ली	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	1415.82
29	दिल्ली	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	655.99
29	दिल्ली	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	2213.35
29	दिल्ली	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	48.62
29	दिल्ली	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	4029.59
29	दिल्ली	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	174.65
29	दिल्ली	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	5650.35
29	दिल्ली	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	835.78
29	दिल्ली	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	1505.42
29	दिल्ली	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	4033.23
29	दिल्ली	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	25499.90
29	दिल्ली	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	2081.23
30	पंजाब	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	4.98
30	पंजाब	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	5714.99

1	2	3	4	5
30	पंजाब	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	4730.44
30	पंजाब	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	1260.45
30	पंजाब	10	अनाज	95341.88
30	पंजाब	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	38.39
30	पंजाब	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	1353.79
30	पंजाब	13	लाख, गम्स, रेज़िन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	17283.29
30	पंजाब	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	492.33
30	पंजाब	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	51.82
30	पंजाब	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	690.01
30	पंजाब	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	3.31
30	पंजाब	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	2684.48
30	पंजाब	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	5206.57
30	पंजाब	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	579.44
30	पंजाब	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	595.02
30	पंजाब	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	7631.35
30	पंजाब	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	122.40
34	हरियाणा	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	1.68
34	हरियाणा	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	1316.77
34	हरियाणा	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	1046.06
34	हरियाणा	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	1374.14
34	हरियाणा	10	अनाज	227591.01
34	हरियाणा	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	94.19

1	2	3	4	5
34	हरियाणा	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	337.06
34	हरियाणा	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	16447.36
34	हरियाणा	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	912.29
34	हरियाणा	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	16.14
		16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	0.33
34	हरियाणा	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	218.81
34	हरियाणा	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	18.75
34	हरियाणा	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	4383.70
34	हरियाणा	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	491.00
34	हरियाणा	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	2497.06
34	हरियाणा	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	849.03
34	हरियाणा	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	1494.05
34	हरियाणा	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	331.60
39	चंडीगढ़	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	18.97
39	चंडीगढ़	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	0.23
39	चंडीगढ़	10	अनाज	264.64
39	चंडीगढ़	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	9.03
39	चंडीगढ़	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	11.61
44	जम्मू – कश्मीर	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	1813.85
44	जम्मू – कश्मीर	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	5419.17
44	जम्मू – कश्मीर	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	182.80
44	जम्मू – कश्मीर	10	अनाज	9.54

1	2	3	4	5
44	जम्मू – कश्मीर	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	12.66
44	जम्मू – कश्मीर	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	2.20
44	जम्मू – कश्मीर	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	0.75
44	जम्मू – कश्मीर	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	633.22
44	जम्मू – कश्मीर	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	511.37
44	जम्मू – कश्मीर	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	0.74
46	हिमाचल प्रदेश	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	13.29
46	हिमाचल प्रदेश	08	खाद्य फल एवं सब्जियां; गिरियां फल या मेलन के छिलके	21.88
46	हिमाचल प्रदेश	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	43.28
46	हिमाचल प्रदेश	10	अनाज	0.21
46	हिमाचल प्रदेश	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	47.46
46	हिमाचल प्रदेश	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	19.99
46	हिमाचल प्रदेश	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	11.87
46	हिमाचल प्रदेश	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	2.17
46	हिमाचल प्रदेश	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	2.54
46	हिमाचल प्रदेश	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	34.23
46	हिमाचल प्रदेश	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	8.57
46	हिमाचल प्रदेश	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	13.23
46	हिमाचल प्रदेश	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	533.56
46	हिमाचल प्रदेश	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	20.00
46	हिमाचल प्रदेश	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	15.42
50	राजस्थान	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	21.70

1	2	3	4	5
50	राजस्थान	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	481.67
50	राजस्थान	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	30.20
50	राजस्थान	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	1051.92
50	राजस्थान	10	अनाज	276.03
50	राजस्थान	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	150.01
50	राजस्थान	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	2449.50
50	राजस्थान	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	46125.26
50	राजस्थान	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	652.68
50	राजस्थान	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	47.00
50	राजस्थान	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	72.91
50	राजस्थान	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	1.07
50	राजस्थान	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	316.26
50	राजस्थान	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	121.18
50	राजस्थान	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	591.97
50	राजस्थान	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	91.06
50	राजस्थान	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	4450.42
50	राजस्थान	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	688.38
54	गुजरात	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	107.35
54	गुजरात	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	22196.99
54	गुजरात	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	7865.67
54	गुजरात	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	12238.48
54	गुजरात	10	अनाज	17126.71

1	2	3	4	5
54	गुजरात	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	3798.69
54	गुजरात	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	76803.16
54	गुजरात	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	26035.25
54	गुजरात	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	213.83
54	गुजरात	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	92363.94
54	गुजरात	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	1772.26
54	गुजरात	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	3830.16
54	गुजरात	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	37.28
54	गुजरात	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	5805.68
54	गुजरात	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	7604.09
54	गुजरात	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	4858.65
54	गुजरात	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	5142.46
54	गुजरात	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	52332.13
54	गुजरात	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	7533.89
60	महाराष्ट्र	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	6854.65
60	महाराष्ट्र	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	77193.25
60	महाराष्ट्र	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	46098.53
60	महाराष्ट्र	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	50789.07
60	महाराष्ट्र	10	अनाज	12287.98
60	महाराष्ट्र	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	3790.49
60	महाराष्ट्र	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	59675.98

1	2	3	4	5
60	महाराष्ट्र	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	5488.91
60	महाराष्ट्र	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	1381.57
60	महाराष्ट्र	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	14452.81
60	महाराष्ट्र	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	59573.42
60	महाराष्ट्र	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	18458.76
60	महाराष्ट्र	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	1001.38
60	महाराष्ट्र	19	अनाज, आटां की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	16034.58
60	महाराष्ट्र	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	7677.25
60	महाराष्ट्र	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	4786.10
60	महाराष्ट्र	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	4728.74
60	महाराष्ट्र	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	84804.88
60	महाराष्ट्र	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	5182.78
67	दमन और दीव	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	4.68
67	दमन और दीव	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	4.40
67	दमन और दीव	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	9.28
67	दमन और दीव	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	14.21
67	दमन और दीव	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	27.98
67	दमन और दीव	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	5.87
67	दमन और दीव	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	7.81
67	दमन और दीव	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	152.77
67	दमन और दीव	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	12.19

1	2	3	4	5
68	गोवा	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	8.99
68	गोवा	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	1668.57
68	गोवा	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	25.27
68	गोवा	10	अनाज	3.06
68	गोवा	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	12.09
68	गोवा	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	0.36
68	गोवा	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	1.69
68	गोवा	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	3535.70
68	गोवा	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	44.46
68	गोवा	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	13.06
68	गोवा	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	391.70
68	गोवा	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	6.51
68	गोवा	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	545.01
68	गोवा	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	3139.93
68	गोवा	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	142.25
69	दादरा और नगर हवेली	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	0.19
69	दादरा और नगर हवेली	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	11.10
69	दादरा और नगर हवेली	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	2.99
69	दादरा और नगर हवेली	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	473.81
69	दादरा और नगर हवेली	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	0.08
70	मध्य प्रदेश	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	2.26
70	मध्य प्रदेश	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	26676.68
70	मध्य प्रदेश	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	46.29

1	2	3	4	5
70	मध्य प्रदेश	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	1366.74
70	मध्य प्रदेश	10	अनाज	7250.51
70	मध्य प्रदेश	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	196.01
70	मध्य प्रदेश	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	2506.93
70	मध्य प्रदेश	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	190.35
70	मध्य प्रदेश	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	4.88
70	मध्य प्रदेश	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके वितरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	1196.60
70	मध्य प्रदेश	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	220.34
70	मध्य प्रदेश	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	54.87
70	मध्य प्रदेश	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	519.38
70	मध्य प्रदेश	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	298.03
70	मध्य प्रदेश	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	620.19
70	मध्य प्रदेश	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	26.30
70	मध्य प्रदेश	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	309669.09
70	मध्य प्रदेश	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	874.28
71	छत्तीसगढ़	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	288.90
71	छत्तीसगढ़	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	0.08
71	छत्तीसगढ़	10	अनाज	1813.50
71	छत्तीसगढ़	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	748.55
71	छत्तीसगढ़	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	2.59
71	छत्तीसगढ़	15	पशु एवं वनस्पति यसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	718.20

1	2	3	4	5
71	छत्तीसगढ़	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	0.01
71	छत्तीसगढ़	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	5143.85
80	आन्ध्र प्रदेश	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	450.97
80	आन्ध्र प्रदेश	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	2256.25
80	आन्ध्र प्रदेश	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	23606.19
80	आन्ध्र प्रदेश	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	21327.38
80	आन्ध्र प्रदेश	10	अनाज	152259.64
80	आन्ध्र प्रदेश	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	156.34
80	आन्ध्र प्रदेश	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	7706.00
80	आन्ध्र प्रदेश	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	5417.92
80	आन्ध्र प्रदेश	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	2110.72
80	आन्ध्र प्रदेश	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	5110.36
80	आन्ध्र प्रदेश	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरुकी के मोलेसस	19.29
80	आन्ध्र प्रदेश	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	2526.31
80	आन्ध्र प्रदेश	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	54.30
80	आन्ध्र प्रदेश	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	4260.74
80	आन्ध्र प्रदेश	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	9969.50
80	आन्ध्र प्रदेश	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	19049.87
80	आन्ध्र प्रदेश	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	176.04
80	आन्ध्र प्रदेश	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	3037.45
80	आन्ध्र प्रदेश	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	73689.31

1	2	3	4	5
84	कर्नाटक	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	1919.59
84	कर्नाटक	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	17343.27
84	कर्नाटक	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	23576.37
84	कर्नाटक	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	102812.99
84	कर्नाटक	10	अनाज	14839.95
84	कर्नाटक	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	1346.10
84	कर्नाटक	12	तिलहन, आलिजिनस; फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	6363.77
84	कर्नाटक	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	16668.15
84	कर्नाटक	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	113.96
84	कर्नाटक	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	789.97
		16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	560.42
84	कर्नाटक	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	8963.56
84	कर्नाटक	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	112.77
84	कर्नाटक	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	1761.37
84	कर्नाटक	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	22762.22
84	कर्नाटक	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	16354.89
84	कर्नाटक	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	2047.50
84	कर्नाटक	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	953.32
84	कर्नाटक	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	20845.41
90	तमिलनाडु	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	14995.87
90	तमिलनाडु	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	16943.23

1	2	3	4	5
90	तमिलनाडु	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	30559.97
90	तमिलनाडु	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	37891.74
90	तमिलनाडु	10	अनाज	8734.52
90	तमिलनाडु	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	1592.36
90	तमिलनाडु	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	10655.23
90	तमिलनाडु	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	4081.85
90	तमिलनाडु	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	2122.18
90	तमिलनाडु	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	2148.80
90	तमिलनाडु	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरुकी के मोलेसस	1266.90
90	तमिलनाडु	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	29437.17
90	तमिलनाडु	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	180.57
90	तमिलनाडु	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	7088.71
90	तमिलनाडु	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	8147.03
90	तमिलनाडु	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	12090.64
90	तमिलनाडु	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	232.57
90	तमिलनाडु	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	1509.34
90	तमिलनाडु	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	1322.77
96	केरल	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	359.43
96	केरल	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	4349.49
96	केरल	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	213421.74
96	केरल	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	59301.55

1	2	3	4	5
96	केरल	10	अनाज	4167.20
96	केरल	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	936.88
96	केरल	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	1587.61
96	केरल	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	20058.75
96	केरल	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	140.60
96	केरल	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	1503.80
96	केरल	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	5557.47
96	केरल	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	304.40
96	केरल	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	44.35
96	केरल	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	2318.98
96	केरल	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	1817.31
96	केरल	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	5189.86
96	केरल	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	104.63
96	केरल	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	180.48
96	केरल	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	1175.23
99	पांडिचेरी	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	8.00
99	पांडिचेरी	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	52.25
99	पांडिचेरी	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	13.76
99	पांडिचेरी	10	अनाज	117.56
99	पांडिचेरी	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	4.36
99	पांडिचेरी	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	34.59
99	पांडिचेरी	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	5.45

1	2	3	4	5
99	पांडिचेरी	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	4.22
99	पांडिचेरी	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	40.24
99	पांडिचेरी	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	6.10
99	पांडिचेरी	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	150.66
99	पांडिचेरी	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	73.09
99	पांडिचेरी	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	20.88
	अविनिर्दिष्ट			55960.76
	सम्पूर्ण भारत	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	30145.00
	सम्पूर्ण भारत	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	251415.00
	सम्पूर्ण भारत	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	376342.00
	सम्पूर्ण भारत	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	400724.00
	सम्पूर्ण भारत	10	अनाज	723261.00
	सम्पूर्ण भारत	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	12755.00
	सम्पूर्ण भारत	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	186547.00
	सम्पूर्ण भारत	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	176600.00
	सम्पूर्ण भारत	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	10166.00
	सम्पूर्ण भारत	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	123946.00
	सम्पूर्ण भारत	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के, मोलेसस म्जब.	72469.00
	सम्पूर्ण भारत	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	74613.00
	सम्पूर्ण भारत	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	2478.00

1	2	3	4	5
	सम्पूर्ण भारत	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	54284.00
	सम्पूर्ण भारत	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	68329.00
	सम्पूर्ण भारत	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	77484.00
	सम्पूर्ण भारत	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	25820.00
	सम्पूर्ण भारत	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	497137.00
	सम्पूर्ण भारत	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	133066.00
	कुल योग			3297581.00

टिप्पणी : अवैध और/या विनिर्दिष्ट नहीं किए गए उद्गम के राज्य के कोड के तद्नुरूपी निर्यात मूल्य के आंकड़ों को "अविनिर्दिष्ट" श्रेणी में शामिल किया गया है और इसके लिए कोई अध्याय-वार वितरण नहीं दर्शाया गया है।

वर्ष 2006-07 के दौरान भिन्न-भिन्न राज्यों के मूल के कृषि एवं कृषि आधारित उत्पादों के उत्पाद-वार भारतीय निर्यात

	राज्य	अध्याय	उत्पाद	निर्यात मूल्य (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
01	असम	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	19.43
01	असम	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	10.83
01	असम	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	78105.85
01	असम	10	अनाज	14.04
01	असम	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	1198.33
01	असम	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	16.64
01	असम	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	2.29
01	असम	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	37.61
01	असम	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	4.10
01	असम	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	1.47
01	असम	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	475.06

1	2	3	4	5
01	असम	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	7.33
02	मेघालय	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	103.64
02	मेघालय	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	92.80
02	मेघालय	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	471.25
02	मेघालय	10	अनाज	162.87
02	मेघालय	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	0.46
02	मेघालय	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	1.47
02	मेघालय	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	19.27
03	मिजोरम	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	4.95
03	मिजोरम	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	24.78
03	मिज़ोरम	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	149.01
03	मिजोरम	10	अनाज	6.95
03	मिजोरम	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	20.62
03	मिजोरम	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	6.74
06	बिहार	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	1.82
06	बिहार	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	871.52
06	बिहार	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	415.48
06	बिहार	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	239.15
06	बिहार	10	अनाज	6881.40
06	बिहार	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	4.89
06	बिहार	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	59.27
06	बिहार	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	0.61

1	2	3	4	5
06	बिहार	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	38.92
06	बिहार	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	8.91
06	बिहार	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	697.29
06	बिहार	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	0.64
06	बिहार	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	51.01
06	बिहार	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	175.95
06	बिहार	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	5.08
06	बिहार	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	3.37
06	बिहार	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	372.19
06	बिहार	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	41.98
07	झारखंड	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	212.69
07	झारखंड	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	64.15
07	झारखंड	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	95.60
07	झारखंड	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	12.26
07	झारखंड	10	अनाज	493.81
07	झारखंड	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	28.76
07	झारखंड	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	2374.98
07	झारखंड	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	0.04
07	झारखंड	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	24.91
07	झारखंड	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	0.52
07	झारखंड	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	151.94

1	2	3	4	5
07	झारखंड	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	1.38
09	अरुणाचल प्रदेश	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	0.47
09	अरुणाचल प्रदेश	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	77.41
09	अरुणाचल प्रदेश	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	81.97
10	पश्चिम बंगाल	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	4542.90
10	पश्चिम बंगाल	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	46128.27
10	पश्चिम बंगाल	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या भेलन के छिलके	14932.38
10	पश्चिम बंगाल	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	44536.03
10	पश्चिम बंगाल	10	अनाज	53128.66
10	पश्चिम बंगाल	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	68.69
10	पश्चिम बंगाल	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	2456.85
10	पश्चिम बंगाल	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	8814.95
10	पश्चिम बंगाल	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	137.95
10	पश्चिम बंगाल	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	973.82
10	पश्चिम बंगाल	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	64.41
10	पश्चिम बंगाल	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	8104.91
10	पश्चिम बंगाल	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	0.02
10	पश्चिम बंगाल	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	492.71
10	पश्चिम बंगाल	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	1751.01
10	पश्चिम बंगाल	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	1437.60
10	पश्चिम बंगाल	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	76.30
10	पश्चिम बंगाल	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	12984.21

1	2	3	4	5
10	पश्चिम बंगाल	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	3146.43
14	नागालैंड	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	0.36
14	नागालैंड	10	अनाज	162.19
14	नागालैंड	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	727.97
15	मणिपुर	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	6.57
15	मणिपुर	10	अनाज	2.04
16	उड़ीसा	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	74.89
16	उड़ीसा	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	40.44
16	उड़ीसा	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	111.83
16	उड़ीसा	10	अनाज	1468.81
16	उड़ीसा	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	5.47
16	उड़ीसा	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	632.04
16	उड़ीसा	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	0.19
16	उड़ीसा	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	807.30
16	उड़ीसा	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	22.44
16	उड़ीसा	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	1060.90
16	उड़ीसा	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	1.32
17	सिक्किम	10	अनाज	0.34
17	सिक्किम	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	1.14
17	सिक्किम	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	52.97
17	सिक्किम	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	270.70
17	सिक्किम	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	22.40
18	त्रिपुरा	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	4.98

1	2	3	4	5
18	त्रिपुरा	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	1.77
18	त्रिपुरा	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	11.03
18	त्रिपुरा	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	0.74
18	त्रिपुरा	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	290.52
18	त्रिपुरा	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	1.37
18	त्रिपुरा	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	8.68
18	त्रिपुरा	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	8.91
19	अंडमान – निकोबार द्वीपसमूह	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	13.18
19	अंडमान – निकोबार द्वीपसमूह	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	4.89
19	अंडमान – निकोबार द्वीपसमूह	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	5.00
19	अंडमान – निकोबार द्वीपसमूह	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	42.03
19	अंडमान – निकोबार द्वीपसमूह	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	65.97
19	अंडमान – निकोबार द्वीपसमूह	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	3.45
19	अंडमान – निकोबार द्वीपसमूह	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	168.28
20	उत्तर प्रदेश	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	25.17
20	उत्तर प्रदेश	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	7656.85
20	उत्तर प्रदेश	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	1561.78
20	उत्तर प्रदेश	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	627.61
20	उत्तर प्रदेश	10	अनाज	46851.80
20	उत्तर प्रदेश	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	595.37

1	2	3	4	5
20	उत्तर प्रदेश	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	5511.75
20	उत्तर प्रदेश	13	लाक; गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	2909.34
20	उत्तर प्रदेश	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	70.86
20	उत्तर प्रदेश	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	910.73
20	उत्तर प्रदेश	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	183.32
20	उत्तर प्रदेश	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	4161.10
20	उत्तर प्रदेश	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	305.89
20	उत्तर प्रदेश	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाएं गए उत्पाद	2161.55
20	उत्तर प्रदेश	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	46.22
20	उत्तर प्रदेश	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	3996.68
20	उत्तर प्रदेश	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	6897.54
20	उत्तर प्रदेश	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	2251.20
20	उत्तर प्रदेश	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	4735.14
21	उत्तरांचल	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	570.64
21	उत्तरांचल	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	4.49
21	उत्तरांचल	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	239.28
21	उत्तरांचल	10	अनाज	359.72
21	उत्तरांचल	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	3.36
21	उत्तरांचल	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	447.47
21	उत्तरांचल	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	640.08
21	उत्तरांचल	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	2.27
21	उत्तरांचल	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	0.13

1	2	3	4	5
21	उत्तरांचल	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	11.90
21	उत्तरांचल	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	259.17
21	उत्तरांचल	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	43.03
29	दिल्ली	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	134.51
29	दिल्ली	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	19767.11
29	दिल्ली	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	4040.94
29	दिल्ली	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	2290.48
29	दिल्ली	10	अनाज	27894.62
29	दिल्ली	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	560.88
29	दिल्ली	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज, बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	1963.20
29	दिल्ली	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	1254.02
29	दिल्ली	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	1443.71
29	दिल्ली	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	1800.20
29	दिल्ली	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	192.21
29	दिल्ली	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	24398.64
29	दिल्ली	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	43.35
29	दिल्ली	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	4129.47
29	दिल्ली	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	1264.80
29	दिल्ली	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	1225.25
29	दिल्ली	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	771.26
29	दिल्ली	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	13135.42

1	2	3	4	5
29	दिल्ली	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	4521.81
30	पंजाब	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	29.00
30	पंजाब	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	5621.62
30	पंजाब	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	4047.95
30	पंजाब	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	1458.29
30	पंजाब	10	अनाज	64369.30
30	पंजाब	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	41.62
30	पंजाब	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	3340.77
30	पंजाब	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	11426.65
30	पंजाब	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	277.39
30	पंजाब	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	43.61
30	पंजाब	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	6.49
30	पंजाब	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	677.68
30	पंजाब	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	8.90
30	पंजाब	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	2751.55
30	पंजाब	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	11130.92
30	पंजाब	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	426.41
30	पंजाब	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	767.33
30	पंजाब	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	17136.78
30	पंजाब	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	37.75
34	हरियाणा	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	0.09

1	2	3	4	5
34	हरियाणा	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	244.57
34	हरियाणा	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	216.95
34	हरियाणा	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	1106.80
34	हरियाणा	10	अनाज	220361.26
34	हरियाणा	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	283.69
34	हरियाणा	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	882.87
34	हरियाणा	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	9221.41
34	हरियाणा	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	1173.46
34	हरियाणा	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	64.96
34	हरियाणा	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरुकी के मोलेसस	2.17
34	हरियाणा	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	5687.75
34	हरियाणा	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	0.42
34	हरियाणा	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	5783.98
34	हरियाणा	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	1110.11
34	हरियाणा	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	1325.33
34	हरियाणा	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	213.08
34	हरियाणा	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	1561.90
34	हरियाणा	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	273.30
39	चंडीगढ़	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	10.50
39	चंडीगढ़	10	अनाज	72.01
39	चंडीगढ़	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	106.21
39	चंडीगढ़	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	13.95

1	2	3	4	5
44	जम्मू – कश्मीर	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	2164.25
44	जम्मू – कश्मीर	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	8014.74
44	जम्मू – कश्मीर	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	200.34
44	जम्मू – कश्मीर	10	अनाज	4.58
44	जम्मू – कश्मीर	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	3.48
44	जम्मू – कश्मीर	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	3.03
44	जम्मू – कश्मीर	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	13.77
44	जम्मू – कश्मीर	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	9.53
44	जम्मू – कश्मीर	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	1.29
46	हिमाचल प्रदेश	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	7.93
46	हिमाचल प्रदेश	08	फल एवं सब्जियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	4.09
46	हिमाचल प्रदेश	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	56.36
46	हिमाचल प्रदेश	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	21.08
46	हिमाचल प्रदेश	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	70.60
46	हिमाचल प्रदेश	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	81.17
46	हिमाचल प्रदेश	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	24.27
46	हिमाचल प्रदेश	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	63.72
46	हिमाचल प्रदेश	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	9.49
46	हिमाचल प्रदेश	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	18.87
46	हिमाचल प्रदेश	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	267.48
46	हिमाचल प्रदेश	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	312.32
46	हिमाचल प्रदेश	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	9.95

1	2	3	4	5
50	राजस्थान	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	20.33
50	राजस्थान	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	329.38
50	राजस्थान	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	62.70
50	राजस्थान	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	1544.68
50	राजस्थान	10	अनाज	1333.06
50	राजस्थान	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	82.72
50	राजस्थान	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	2336.11
50	राजस्थान	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	63273.28
50	राजस्थान	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	488.03
50	राजस्थान	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	31.90
50	राजस्थान	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	121.15
50	राजस्थान	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	4.57
50	राजस्थान	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	472.14
50	राजस्थान	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	124.11
50	राजस्थान	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	363.97
50	राजस्थान	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	111.19
50	राजस्थान	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	3505.11
50	राजस्थान	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	1555.88
54	गुजरात	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	83.30
54	गुजरात	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	20081.61
54	गुजरात	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	9327.63
54	गुजरात	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	20301.04

1	2	3	4	5
54	गुजरात	10	अनाज	11482.75
54	गुजरात	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	4428.42
54	गुजरात	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	114566.41
54	गुजरात	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	28976.91
54	गुजरात	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	340.35
54	गुजरात	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके वितरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	114281.66
54	गुजरात	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	1494.01
54	गुजरात	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	9515.61
54	गुजरात	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	106.44
54	गुजरात	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	6356.94
54	गुजरात	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	8090.86
54	गुजरात	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	4817.30
54	गुजरात	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	173.21
54	गुजरात	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	70880.78
54	गुजरात	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	8939.78
60	महाराष्ट्र	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	2953.29
60	महाराष्ट्र	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	100639.60
60	महाराष्ट्र	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	57782.77
60	महाराष्ट्र	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	60126.95
60	महाराष्ट्र	10	अनाज	17793.66
60	महाराष्ट्र	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	4416.65

1	2	3	4	5
60	महाराष्ट्र	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	55506.45
60	महाराष्ट्र	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	7665.99
60	महाराष्ट्र	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	1595.30
60	महाराष्ट्र	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	8491.51
60	महाराष्ट्र	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	70776.67
60	महाराष्ट्र	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	101770.07
60	महाराष्ट्र	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	2349.53
60	महाराष्ट्र	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	17796.49
60	महाराष्ट्र	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	13179.41
60	महाराष्ट्र	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	6852.94
60	महाराष्ट्र	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	10010.13
60	महाराष्ट्र	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	79798.68
60	महाराष्ट्र	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	8505.41
67	दमन व दीव	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	46.99
67	दमन व दीव	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	5.88
67	दमन व दीव	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	0.40
67	दमन व दीव	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	11.91
67	दमन व दीव	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	20.14
67	दमन व दीव	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	0.68
67	दमन व दीव	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	16.02
67	दमन व दीव	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	456.31

1	2	3	4	5
67	दमन व दीव	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	4.77
68	गोवा	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	9.87
68	गोवा	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	1652.02
68	गोवा	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	2.67
68	गोवा	10	अनाज	5.14
68	गोवा	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	0.60
68	गोवा	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	79.76
68	गोवा	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	32.44
68	गोवा	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	8979.22
68	गोवा	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	763.99
68	गोवा	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	109.62
68	गोवा	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	1069.37
68	गोवा	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	466.54
68	गोवा	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	1201.47
68	गोवा	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	59.57
69	दादरा व नगर हवेली	10	अनाज	17.26
69	दादरा व नगर हवेली	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	849.48
69	दादरा व नगर हवेली	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	3.16
70	मध्य प्रदेश	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	0.40
70	मध्य प्रदेश	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	18290.94
70	मध्य प्रदेश	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	67.81
70	मध्य प्रदेश	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	2160.78
70	मध्य प्रदेश	10	अनाज	2216.97

1	2	3	4	5
70	मध्य प्रदेश	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	419.97
70	मध्य प्रदेश	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	1734.62
70	मध्य प्रदेश	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	711.00
70	मध्य प्रदेश	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	5.39
70	मध्य प्रदेश	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	541.17
70	मध्य प्रदेश	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	0.24
70	मध्य प्रदेश	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	363.68
70	मध्य प्रदेश	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	142.89
70	मध्य प्रदेश	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	528.88
70	मध्य प्रदेश	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	50.61
70	मध्य प्रदेश	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	874.95
70	मध्य प्रदेश	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	18.67
70	मध्य प्रदेश	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	324527.19
70	मध्य प्रदेश	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	651.00
71	छत्तीसगढ़	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	126.59
71	छत्तीसगढ़	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	40.65
71	छत्तीसगढ़	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	6.19
71	छत्तीसगढ़	10	अनाज	1783.42
71	छत्तीसगढ़	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	2398.44
71	छत्तीसगढ़	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	3.46
71	छत्तीसगढ़	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	1906.58

1	2	3	4	5
71	छत्तीसगढ़	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	68.15
71	छत्तीसगढ़	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	0.16
71	छत्तीसगढ़	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	5442.06
71	छत्तीसगढ़	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	16.71
80	आन्ध्र प्रदेश	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	32.41
80	आन्ध्र प्रदेश	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	2017.99
80	आन्ध्र प्रदेश	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	33610.17
80	आन्ध्र प्रदेश	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	44783.92
80	आन्ध्र प्रदेश	10	अनाज	262123.09
80	आन्ध्र प्रदेश	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	157.31
80	आन्ध्र प्रदेश	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	12360.78
80	आन्ध्र प्रदेश	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	8791.94
80	आन्ध्र प्रदेश	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	2300.58
80	आन्ध्र प्रदेश	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	6249.41
80	आन्ध्र प्रदेश	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरुकी के मोलेसस	9.04
80	आन्ध्र प्रदेश	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	32864.66
80	आन्ध्र प्रदेश	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	179.65
80	आन्ध्र प्रदेश	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	3605.55
80	आन्ध्र प्रदेश	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	11385.83
80	आन्ध्र प्रदेश	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	25638.64
80	आन्ध्र प्रदेश	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	124.12

1	2	3	4	5
80	आन्ध्र प्रदेश	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	5685.11
80	आन्ध्र प्रदेश	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	105262.74
84	कर्नाटक	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	2246.79
84	कर्नाटक	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	20176.30
84	कर्नाटक	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	27921.55
84	कर्नाटक	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	136758.38
84	कर्नाटक	10	अनाज	17979.70
84	कर्नाटक	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	1237.53
84	कर्नाटक	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	4420.48
84	कर्नाटक	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	17249.34
84	कर्नाटक	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	218.45
84	कर्नाटक	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	655.05
84	कर्नाटक	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	981.78
84	कर्नाटक	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	32973.27
84	कर्नाटक	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	245.88
84	कर्नाटक	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	1461.32
84	कर्नाटक	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	26844.86
84	कर्नाटक	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	19351.97
84	कर्नाटक	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	5386.00
84	कर्नाटक	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	2296.87
84	कर्नाटक	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	27182.06

1	2	3	4	5
90	तमिलनाडु	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	18000.62
90	तमिलनाडु	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	19893.32
90	तमिलनाडु	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	37952.46
90	तमिलनाडु	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	49830.78
90	तमिलनाडु	10	अनाज	11078.72
90	तमिलनाडु	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	2298.90
90	तमिलनाडु	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	25209.15
90	तमिलनाडु	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	2216.83
90	तमिलनाडु	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	1957.18
90	तमिलनाडु	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	7388.81
90	तमिलनाडु	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	705.18
90	तमिलनाडु	17	चीनी एव चीनी की मिठाई	115360.24
90	तमिलनाडु	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	49.37
90	तमिलनाडु	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	9584.99
90	तमिलनाडु	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	9542.20
90	तमिलनाडु	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	14086.08
90	तमिलनाडु	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	406.33
90	तमिलनाडु	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	3173.05
90	तमिलनाडु	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	1581.18
96	केरल	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	390.98
96	केरल	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	5891.05

1	2	3	4	5
96	केरल	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	195843.91
96	केरल	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	86985.35
96	केरल	10	अनाज	5658.30
96	केरल	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	1275.92
96	केरल	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	1904.12
96	केरल	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	7279.92
96	केरल	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	210.03
96	केरल	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	2808.21
96	केरल	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	6521.73
96	केरल	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	472.02
96	केरल	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	151.37
96	केरल	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	2594.19
96	केरल	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	2583.68
96	केरल	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	6694.48
96	केरल	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	207.63
96	केरल	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	335.88
96	केरल	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	853.57
99	पांडिचेरी	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूट	0.17
99	पांडिचेरी	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	1.34
99	पांडिचेरी	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	35.59
99	पांडिचेरी	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	42.25
99	पांडिचेरी	10	अनाज	324.34

1	2	3	4	5
99	पांडिचेरी	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	0.52
99	पांडिचेरी	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	46.22
99	पांडिचेरी	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	219.22
99	पांडिचेरी	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	4.00
99	पांडिचेरी	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विदरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	0.06
99	पांडिचेरी	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	17.52
99	पांडिचेरी	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	97.03
99	पांडिचेरी	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	237.54
99	पांडिचेरी	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	12.58
99	पांडिचेरी	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	1.49
	अविनिर्दिष्ट			104625.20
	सम्पूर्ण भारत	06	जीवित पेड़ एवं अन्य पौधे; कलियां, जड़ एवं समान वस्तुएं; टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल बूटे	65270.00
	सम्पूर्ण भारत	07	सब्जियां, कतिपय जड़ें एवं ट्यूबर्स	282119.00
	सम्पूर्ण भारत	08	फल एवं गिरियां; साइट्रस फल या मेलन के छिलके	398215.00
	सम्पूर्ण भारत	09	कॉफी, चाय मेट एवं मसाले	539887.00
	सम्पूर्ण भारत	10	अनाज	767051.00
	सम्पूर्ण भारत	11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन गेहूं का ग्लूटन	17496.00
	सम्पूर्ण भारत	12	तिलहन, आलिजिनस, फल, विविध अनाज; बीज एवं फल, औद्योगिक अथवा औषधीय पौधे, भूसा एवं चारा	241254.00
	सम्पूर्ण भारत	13	लाख, गम्स, रेजिन्स एवं अन्य वनस्पति सैप्स एवं निस्सारण	175366.00
	सम्पूर्ण भारत	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न किया गया हो	11923.00

1	2	3	4	5
	सम्पूर्ण भारत	15	पशु एवं वनस्पति वसा एवं तेल एवं उनके विवरण उत्पाद; पशु; वनस्पति मोम	146264.00
	सम्पूर्ण भारत	16	मछली अथवा क्रिस्टेशियंस के मांस की विनिर्मितियां, अन्य जलीय अकशेरूकी के मोलेसस	89931.00
	सम्पूर्ण भारत	17	चीनी एवं चीनी की मिठाई	344177.00
	सम्पूर्ण भारत	18	नारियल एवं नारियल की विनिर्मितियां	4012.00
	सम्पूर्ण भारत	19	अनाज, आटा की विनिर्मितियां, स्टार्च अथवा दूध, पेस्ट्री से बनाए गए उत्पाद	60049.00
	सम्पूर्ण भारत	20	सब्जियों, फलों, गिरियों या पौधों के अन्य हिस्सों की विनिर्मितियां	87839.00
	सम्पूर्ण भारत	21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	88830.00
	सम्पूर्ण भारत	22	पेय, स्पिरिट एवं सिरका	27678.00
	सम्पूर्ण भारत	23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार किया गया पशु चारा	562082.00
	सम्पूर्ण भारत	24	तम्बाकू एवं तम्बाकू से विनिर्मित प्रतिस्थापन	168516.00
	कुल योग			4077959.00

टिप्पणी : अवैध और/या विनिर्दिष्ट नहीं किए गए उद्गम के राज्य के कोड के तदनुरूपी निर्यात मूल्य के आंकड़ों को 'अविनिर्दिष्ट' श्रेणी में शामिल किया गया है और इसके लिए कोई अध्याय-वार वितरण नहीं दर्शाया गया है।

[अनुवाद]

गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध

*339. **श्री रूपचंद पुर्ती** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। गेहूं के निर्यात को आरंभ में 31 दिसम्बर, 2007 तक प्रतिबंधित किया गया था। बाद में यह प्रतिबंध 8 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना द्वारा अनिश्चित काल तक लागू कर दिया गया है।

(ख) सरकार द्वारा घरेलू बाजार में गेहूं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया था।

गैर सरकारी संगठनों पर निगरानी

*340. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) सरकार से अनुदान मिलने के बाद अपने शैक्षिक कार्यक्रमों को या तो बन्द कर देते हैं अथवा कम कर देते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार इन गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकलापों पर निगरानी रखने हेतु कोई तंत्र मौजूद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कार्यकलापों पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार की जानकारी में कुछ गैर–सरकारी संगठनों के विरुद्ध केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् 'विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा' और 'माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की बालिकाओं के लिए भोजन और छात्रावास सम्बन्धी सुविधाओं को सुदृढ़ करने' की पूर्ववर्ती स्कीम के तहत शिकायतों के कुछ दृष्टांत आए हैं। पिछले तीन वर्षों (2005–06 से 2007–08) के दौरान काली सूची में डाले गए गैर–सरकारी संगठनो की सूची संलग्न में दी गई है।

(ग) से (ङ) गैर–सरकारी संगठनों द्वारा संचालित की जा रही सभी स्कीमों में संस्वीकृति के बाद अनुवीक्षण और समीक्षा के लिए आंतरिक तंत्र की व्यवस्था है। जहां आवश्यक होता है वहां राज्य सरकार के परादर्श में उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है जिसमें गैर–सरकारी संगठनों को काली सूची में डालना भी शामिल है। इसके बाद इस प्रकार के गैर–सरकारी संगठन सरकारी अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं रहते। इन स्कीमों की कमियों, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए सरकार समय–समय पर मौजूदा स्कीमों की समीक्षा करती है और इन्हें संशोधित करती है।

विवरण

2005–06 से 2007–08 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान काली सूची में डाले गए गैर–सरकारी संगठनों की सूची

क्रम सं.	स्कीम का नाम	गैर–सरकारी संगठन/संगठन का नाम	काली सूची में डालने का वर्ष
1.	विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा	श्री नवज्योत शिक्षा ट्रस्ट रैया, बनांसकांठा जिला, गुजरात	2007
2.	माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की बालिकाओं के लिए भोजन और छात्रावास सम्बन्धी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की स्कीम	अनुपम, नवादा जिला, बिहार	2005
3.	–वही–	अनुराग सेवा संस्थान, वैशाली बिहार	2005
4.	–वही–	उत्तरी बिहार विकास परिषद, सीहोर, बिहार	2005
5.	–वही–	सेवाश्रम, बुनियादी जिला, गिरीडीह, झारखंड	2005
6.	–वही–	हेल्प बिहार, झारखंड	2005
7.	–वही–	विद्या स्थली, दुमका, झारखंड	2007

राष्ट्रीय संस्कृति नीति

2938. सुव्रत बोस : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संस्कृति नीति तैयार करने के लिए वर्ष 1993 में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें देश के संस्कृति क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्तियों ने हिस्सा लिया;

(ख) यदि हां, तो संगोष्ठी में कौन–कौन सी सिफारिशें की गईं;

(ग) क्या उपर्युक्त सिफारिशों को क्रियान्वित करके राष्ट्रीय संस्कृति नीति तैयार करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में राष्ट्रीय संस्कृति नीति कब तक तैयार हो जाएगी?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अंबिका सोनी) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय संस्कृति नीति का प्रारूप तैयार करने हेतु एक समिति गठित की गई है। इस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा है। समिति का कार्यकाल 30 अप्रैल, 2008 तक बढ़ाया गया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए योजनाओं का मूल्यांकन

2939. श्री प्रहलाद जोशी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों को सामाजिक न्याय और उनके सशक्तिकरण के उद्देश्यार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं की विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की योजनाओं/परियोजनाओं से समाज

के वर्गों की जीवनचर्या में गुणात्मक परिवर्तन अथवा सुधार हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, हां। दसवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं पर उन्नीस मूल्यांकन अध्ययन संस्वीकृत किए गए थे।

(ग) से (ङ) अधिकांश रिपोर्टें निर्देशित करती हैं कि अलाभान्वित वर्ग के लिए कार्यान्वित योजनाएं प्रभावी हैं और लोगों को लाभ मिल रहा है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी

2940. श्री गणेश सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेट्रोल पंपों पर कार्य करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त श्रमिकों के वेतन से भविष्य निधि की राशि इत्यादि नहीं काटी जाती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार पेट्रोल पंपों पर कार्य करने वाले श्रमिकों के वेतन निर्धारित करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) देश में पेट्रोल पंपों पर कुल कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं; और

(ज) तत्संबंधी कंपनीवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनसा पटेल) : (क) से (च) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) अर्थात् इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने रिपोर्ट दी है कि पेट्रोल पंपों पर कामगार डीलरों के कर्मचारी होते हैं, ओएमसीज के नहीं। तथापि, डीलरों द्वारा नियोजित ऐसे कर्मचारियों पर केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा प्रवृत्त विभिन्न कानून लागू होते हैं, जिनमें भविष्य निधि अधिनियम तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि शामिल हैं। ओएमसीज तथा अलग-अलग डीलरशिप के बीच डीलरशिप करारों में एक धारा निहित होती है जिसमें यह व्यवस्था होती है कि डीलर ऐसे सभी कानूनी दायित्वों का पालन करेगा।

(छ) और (ज) चूंकि पेट्रोल पंपों पर कामगार डीलरों के कर्मचारी होते हैं, इसलिए ओएमसीज पेट्रोल पंपों पर कार्यरत कामगारों का कोई रिकार्ड नहीं रखती हैं।

बिहार में रसोई गैस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आवंटन

2941. श्री गिरिधारी यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बांका तथा जमुई जिलों में रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन हेतु सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ और रसोई गैस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनसा पटेल) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने सूचना दी है कि इस समय, बिहार के बांका तथा जमुई जिलों में एलपीजी की आवश्यकता की पूर्ति इन जिलों में 4 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप द्वारा की जा रही है जिनमें से एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप वर्ष 2006-07 में चालू हुई थी।

(ग) और (घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) ने सूचना दी है कि उन्होंने 18.10.2007 को अनुसूचित जाति (महिला) श्रेणी के तहत बिहार के बांका जिले में एक नये एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए विज्ञापन दिया है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में पर्यटन का विकास

2942. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कर्नाटक

सरकार ने इस क्षेत्र के प्रथम चरण में 400 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखते हुए 10 जनवरी, 2008 को बंगलौर में पर्यटन निवेशकों की एक बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बैठक में विभिन्न श्रेणियों के निवेशकों को अवसर प्रदान किया है;

(ग) यदि हां, तो बैठक के क्या परिणाम रहे; और

(घ) यह किस सीमा तक सहायक होगी?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) जी, हां। कर्नाटक में पर्यटन के विकास और संवर्धन के उद्देश्य से, पर्यटन क्षेत्र में, होटलों, प्रदर्शनियों, समागम केन्द्रों, मनोरंजन पार्कों आदि में निवेश को लक्षित करते हुए दिनांक 14.02.2008 को कर्नाटक पर्यटन निवेशक बैठक आयोजित की गई।

[अनुवाद]

चल स्टॉक पट्टा नीति

2943. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेलवे चल स्टॉक पट्टा नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) कब तक उक्त नीति कार्यान्वित कर दी जायेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, नहीं। वर्तमान में कोई रेलवे रोलिंग स्टाक लीजिंग पॉलिसी नहीं है। बहरहाल, संसद में 2008–09 के रेल बजट को प्रस्तुत करते समय माननीय रेल मंत्री जी की घोषणानुसार न्यू वैगन लीजिंग स्कीम तैयार की गई है और शीघ्र ही लागू की जाएगी।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ा वर्गों को सूचीबद्ध करना

2944. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों के अलावा अन्य पिछड़ा वर्गों की सूचीबद्ध करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य पिछड़ा वर्गों तथा वी.जे.एन.टी. हेतु तीसरी अनुसूची तैयार करने के लिए सरकार से मांग की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त मांग को देखते हुए कोई कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की सूची पहले ही अधिसूचित कर दी है। इस सूची में समावेशन और संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के तहत् राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

उड़ीसा में आमान परिवर्तन

2945. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में आमान परिवर्तन कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में उड़ीसा में कितनी मीटर लाइन है तथा ये कहां–कहां स्थित है;

(ग) उक्त मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) कब तक उक्त कार्य पूरा कर लिया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) उड़ीसा में कोई मीटर आमान लाइन नहीं है। वहां पर दो छोटी लाइनें यथा रूपसा–बांगरीपोसी (90 कि.मी.) तथा नौपाडा–गुनुपुर (90 कि.मी.) हैं जिनका बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन कार्य शुरू कर दिया गया है। इन दो चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी गई हैं:

(I) रूपसा-बांगरीपोसी (90 कि.मी.) आमान परिवर्तन परियोजना :-

रूपसा–बारीपदा (52 कि.मी.) खंड पूरा कर दिया गया है और चालू कर दिया गया है। बारीपदा–बांगरीपोसी (38 कि.मी.) खंड के 2009–10 के दौरान पूरा होने की संभावना है। 31.3.2007 तक परियोजना पर 66.46 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। 2007–08 के बजट में इस कार्य के लिए 35 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है और 2008–09 के बजट में 40 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(II) नौपाडा-गुनुपुर (90 कि.मी.) आमान परिवर्तन परियोजना

परियोजना को 2008–09 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। 31.03.2007 तक परियोजना पर 61.92 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। परियोजना के लिए 2007–08 के बजट में 25 करोड़ रु. के परिव्यय तथा 2008–09 के बजट में 10.41 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

रेल क्रॉसिंग, केशोड, गुजरात में भूमिगत पैदल पार पथ

2946. श्री जशुभाई धानाभाई बारड़ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे क्रॉसिंग संख्या सी–101, केशोड, गुजरात में आसपास रहने वाले लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए भूमिगत पैदल पार पथ तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कब तक इस परियोजना पर कार्य शुरू होगा तथा पूरा कर लिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों से अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) समपार संख्या 101 केशोद यार्ड के अंत में स्थित है और 179680 टी वी यू (गाड़ी वाहन इकाई) का घनत्व है अर्थात् लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी/निचले सड़क पुल द्वारा बदलाव के लिए अर्हक है। रेलवे ने प्रचलित नियमों के अंतर्गत कतिपय प्रारंभिक पूर्वापेक्षाओं को पूरा करते हुए राज्य सरकार निकाय को कई बार प्रस्ताव प्रयोजित करने के लिए कहा लेकिन केशोद नगरपालिका और जिलाधीश, जूनागढ़ ने कहा कि लागत में भागीदारी के आधार पर सबवे के निर्माण के लिए उनके पास धन उपलब्ध नहीं है। रेलवे मौजूदा नियमों के अंतर्गत अपनी लागत पर कार्य को शुरू नहीं कर सकती।

[हिन्दी]

राजस्थान में पर्यटन स्थलों का विकास

2947. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में परियोजनावार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूर की गई तथा वित्तीय सहायता प्रदान की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजनावधि के दौरान मंजूर की गई राशि, उपयोग की गई राशि तथा स्थलों पर किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पर्यटन स्थलों/महलों में सुधार के लिए राजस्थान सरकार से केन्द्र सरकार को प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक मंजूर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बाकी बचे परियोजना प्रस्ताव सरकार द्वारा कब तक मंजूर कर दिए जाएंगे?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, उनके साथ परामर्श और बातचीत से अभिनिर्धारित, पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए 'गंतव्यों और परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास' की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों का, पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदन किया जाता है और संबंधित शीर्ष के अंतर्गत उपलब्धता की शर्त पर निधियां जारी की जाती है।

परियोजना का कार्यान्वयन करना मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। यद्यपि पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार स्थल के दौरों और समीक्षा बैठकों के माध्यम से, समय–समय पर परियोजनाओं की प्रगति को मॉनीटर करता है।

दसवीं योजना अवधि (2002–2007) के दौरान, पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राजस्थान सरकार को प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

10वीं योजना के दौरान राजस्थान राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना/योजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
	2002-2003	
1.	कुम्बलगढ़ में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी	195.00
2.	चित्तौड़गढ़ में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी	206.10

1	2	3
3.	कुम्बलगढ़ में आम प्रकाश व्यवस्था	33.60
4.	जयपुर–जोधपुर–जैसलमेर–बीकानेर–शेखावती–जयपुर पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास	644.00
	i. संकेतक (25.00)	
	ii. रामगढ़, फतेहपुर, नवलगढ़, धुंधलोड़, मुकुन्दगढ़, मण्डवा, कुच्चमन में पब्लिक यूटिलिटी काम्पलेक्स (92.00)	
	iii. मण्डवा, मुकुन्दगढ़, नवलगढ़ में परिवहन टर्मिनल का उन्नयन (75.00)	
	iv. फतेहपुर, नवलगढ़, मण्डवा, खिमसर, रामगढ़, धुंधलोड़ में भू–दृश्यांकन वृक्षारोपण, फैंसिंग और प्रदीप्तिकरण (105.00)	
	v आमेर किला, हवा महल और अलबर्ट हॉल में पब्लिक यूटिलिटी कॉम्पलेक्स (54.00)	
	vi. नाहरगढ़ किले का संरक्षण (100.00)	
	vii. बुलंद दरवाजा, चिश्ती दरगाह और नागौर की छतरियों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार (103.00)	
	viii. रॉयल सेनोटॉफ और देवीकुंड सागर, बीकानेर का संरक्षण, जीर्णोद्धार और विकास (90.00)	
5.	जयपुर हैरिटेज सप्ताह समारोह	15.00
6.	लोकरंग उत्सव	5.00
	कुल	1098.70
	2003-2004	
1.	जैसलमेर किले में जीर्णोद्धार संबंधी कार्य	82.30
2.	पुष्कर के लिए स्विस कॉटेज, डीलक्स कॉटेज और लग्जरी कॉटेजों की खरीद	100.00
3.	गंतव्य विकास के अंतर्गत पुष्कर का एकीकृत विकास (500.00 लाख रु.):–	500.00
	(i) पुष्कर के मेला ग्राउंड में अतिथियों के लिए डारमेटरी (5.00)	
	(ii) पुष्कर में स्टेडियम और टेंट प्लेटफार्म (74.48)	
	(iii) पुष्कर के मेला ग्राउंड में सुलभ शौचालय (14.09)	
	(iv) पुष्कर घाटों का विकास कार्य (261.43)	
4.	कुम्बलगढ़ किले में सिविल और बिजली का कार्य	89.36
5.	चित्तौड़गढ़ किले में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी संबंधी सिविल और बिजली का कार्य	70.75
6.	अजमेर में दरगाह शरीफ में विश्रामस्थली का निर्माण	187.00
7.	पुष्कर रोड़, अजमेर में विश्रामस्थली का जीर्णोद्धार	68.50

1	2	3
8.	हल्दीघाटी में चेतक समाधि पर विकास कार्य	52.08
9.	हल्दीघाटी में रक्त तलाई में विकास कार्य	92.82
10.	हल्दीघाटी के बादशाही बाग में विकास कार्य	82.66
11.	जोधपुर में मसूरिया हिल्स (वीर दुर्गा दास स्मारक) का विकास	152.34
12.	सामोदे ग्राम (जिला जयपुर) का विकास	50.00
13.	नीमराना गांव (जिला अलवर) का विकास	50.00
14.	विरासत उत्सव	15.00
	कुल	1592.81
	2004-05	
1.	पर्यटक परिपथ के एकीकृत विकास की योजना के अंतर्गत राजस्थान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर्यटक परिपथ का विकास	738.00
2.	पर्यटक परिपथ के एकीकृत विकास के लिए योजना के अंतर्गत राजस्थान में हादौती पर्यटक परिपथ का विकास	725.10
3.	आमेर, जयपुर में एलीफेन्ट विलेज (हाथी ग्राम) का विकास	492.18
4.	विद्यमान राजस्थान पर्यटन पॉर्टल का अन्य पांच भाषाओं में अनुवाद के लिए सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना स्कीम	24.42
5.	जयपुर में आमेर काम्पलेक्स का विकास किला	333.33
6.	जयपुर हैरिटेज अंतर्राष्ट्रीय उत्सव 2005	15.00
7.	जयपुर किले में गांव सामोदे में जीओआई–यूएनडीपी अंतर्जात पर्यटन परियोजना	20.00
8.	जिला राजसामंद (एस.डब्ल्यू) में गांव हल्दीघाटी पर जीओआई–यूएनडीपी अंतर्जात पर्यटन परियोजना	19.32
9.	जिला अलवर में गांव नीमराना पर जीओआई–यूएनडीपी अंतर्जात पर्यटन परियोजना	20.00
	कुल	2387.35
	2005-06	
1.	जयपुर के आम्बेर किले में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन लगाना	129.26
2.	गंतव्य विकास योजना के अंतर्गत जयपुर के हवामहल और जंतर–मंतर का विकास	464.32
3.	मेवाड़–वागड परिपथ का पर्यटक परिपथों के रूप में एकीकृत विकास जिसमें उदयपुर–राजसमंद–चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा–डूंगरपुर जिलों के स्थान आते हैं	580.00
4.	राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मथुरा, वृंदावन, बरसाना, झील, कालियादेवी, पुंछारी, नीलकंठ, भर्तृहरि वाले वृजभूमि धार्मिक पर्यटक परिपथ का विकास	477.07
5.	पुष्कर एक पर्यटक गंतव्य के रूप में अजमेर जिले का एकीकृत विकास	434.04

1	2	3
6.	राजस्थान में एक उत्सव के रूप में इंटरनेशनल हॉर्ट एयर बैलूनिंग का जयपुर' अंतर्राष्ट्रीय विरासत उत्सव 2006 के समक्ष समायोजन	15.00
	कुल	2099.69
	2006-07	
1.	एक पर्यटक गंतव्य के रूप में उदयपुर का एकीकृत विकास	276.68
2.	गंतव्य विकास योजना के अंतर्गत झालावाड जिले के गगरौन किने में संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं परिरक्षण	281.71
3.	राजस्थान दिवस, 2007	10.00
4.	जयपुर हैरिटेज अंतर्राष्ट्रीय उत्सव, 2007	10.00
5.	पुष्कर मेला, 2006	05.00
6.	मरूस्थल उत्सव, 2007	05.00
7.	एक पर्यटक गंतव्य के रूप में जैसलमेर का विकास	315.45
8.	गांव हल्दीघाटी, जिला राजसमंद (एचडब्ल्यू) जीओआई–यूएनडीपी अंतर्जात पर्यटन परियोजना	50.00
	कुल	953.84

राजस्थान को रसोई गैस की आपूर्ति

2948. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से कोटा, राजस्थान में पाइपलाइनों (पीएनजी) के माध्यम से उपभोक्ता को घरेलू गैस की आपूर्ति करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मंजूर की गई राशि तथा अब तक व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है तथा योजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त योजना को पूरा करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) इस योजना से अनुमानित कितने उपभोक्ता लाभान्वित होंगे;

(ङ) क्या इस योजना में शामिल किए गए उपभोक्ता से गैस सिलिंडर वापस ले लिया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) दिल्ली, मुंबई और इसके उपनगरों, त्रिपुरा में अगरतला और गुजरात और असम के विभिन्न शहरों के घरेलू ग्राहकों को आपूर्ति की जा रही है। गुजरात के शहर हैं – सूरत, हजीरा, जूनागाम, वास्वा, मोरा, दमका, भटलाई, कवास, राजगिरि, सुवाली, इच्छापुर, अंकलेश्वर, भड़ौच, वड़ोदरा, अहमदाबाद, विद्यानगर, आनन्द, मोर्वी और गांधीनगर। असम के शहर हैं – दुलियाजान, डिग्बोई, डिब्रूगढ़, मोरान, नाहरकटिया, शिवसागर, नाजिरा, सिमालुगुड़ी और तिनसुकिया। तथापि, शहर गैस वितरण परियोजना कोटा, राजस्थान में लागू नहीं की गई है।

. विभिन्न स्थानों पर शहरी गैस वितरण परियोजनाएं लागू करने के लिए, गेल ने आठ संयुक्त उद्यम कंपनियां (जेवीसीज) बनाई हैं। गेल की जेवीसीज पीएनजी की आपूर्ति दिल्ली, मुंबई और इसके उपनगरों और अगरतला में कर रही हैं। इनके अतिरिक्त, गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड, अदानी एनर्जी लिमिटेड, वडोदरा महानगर सेवा सदन और जीएसपीसी गुजरात के विभिन्न शहरों और कस्बों को आपूर्ति कर रही है। असम गैस कंपनी लिमिटेड असम के विभिन्न शहरों और कस्बों को पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। इसके अतिरिक्त, देश भर में ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और शहर/स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क्स बिछाने के लिए, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र से निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006" अधिनियमित किया है और "प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए नीति" अधिसूचित की है।

पीएनजी की सुविधाएं मुहैया कराना, गैस की उपलब्धता, आवश्यक

बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने और आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

1 जनवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार, यह सूचित किया गया है कि पीएनजी की आपूर्ति, 7,85,624 घरेलू उपभोक्ताओं को की जा रही है।

(ङ) और (च) पीएनजी के ग्राहकों के संबंध में नियंत्रण आदेश में संशोधन किया जाना सरकार के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के अंतर्गत योजनाएं

2949. श्री कैलाश मेघवाल : क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के अंतर्गत आने वाली योजनाएं/परियोजनाएं विशिष्ट हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक राज्यवार, योजना-वार, परियोजना-वार कितनी राशि प्रदान की गई?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रचालित स्कीमें परियोजना उन्मुखी हैं। मंत्रालय द्वारा जिन स्कीमों को प्रचालित किया जा रहा है वे हैं (1) बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम (2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम (3) गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानकों, अनुसंधान एवं विकास तथा संवर्धनात्मक कार्यकलापों संबंधी स्कीम (4) मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम (5) सड़क गली किनारे बिकने वाले खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता उन्नयन संबंधी स्कीम (6) संस्थानों को सुदृढ़ करने संबंधी स्कीम। संबंधित स्कीमों के दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान यानी 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 से अब तक प्रत्येक स्कीम के तहत वर्षवार/राज्यवार/स्कीमवार उपलब्ध करायी गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2005-06 के दौरान प्रमुख स्कीमों के लिए विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं को दी गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

योजना स्कीम	बुनियादी ढांचा विकास	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का प्रौद्योगिकी उन्नयन/ आधुनिकीकरण/ विस्तार	गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक तथा अनुसंधान और विकास	बैकवर्ड एवं फारवर्ड समेकन तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप	मानव संसाधन विकास	संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य/संघ शासित प्रदेश							
अंडमान एवं निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15		0.15
आंध्र प्रदेश	0.00	725.22	175.19	5.00	26.29		931.70
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	10.00
असम	0.00	71.94	0.00	0.00	0.25		72.19

1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00		24.51
छत्तीसगढ़	0.00	91.76	0.00	0.00	4.80	5	101.56
दिल्ली	37.50	36.77	37.86	17.07	144.48		273.68
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
गोवा	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00	10	57.58
गुजरात	3.35	282.25	137.40	46.94	74.93	10	554.87
हरियाणा	0.00	88.80	10.18	10.00	8.94	1	118.92
हिमाचल प्रदेश	0.00	110.10	0.00	7.50	9.19	1	127.79
जम्मू–कश्मीर	145.73	63.66	0.00	0.50	5.64		215.53
झारखंड	0.00	48.28	39.40	0.00	4.00		91.68
कर्नाटक	0.00	293.64	2.81	0.00	4.04	1	301.49
केरल	29.61	306.92	8.20	0.00	52.72	6	403.45
मध्य प्रदेश	0.00	193.56	14.85	8.90	10.03	6	233.34
महाराष्ट्र	265.50	852.84	19.77	5.00	13.16		1156.27
मणिपुर	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00		11.77
मेघालय	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	9.04	30.64
मिजोरम	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	6	16.15
नागालैंड	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00	4.85	22.20
उड़ीसा	0.00	11.02	2.00	0.00	10.28	4.46	27.76
पांडिचेरी	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00		14.67
पंजाब	0.00	476.62	71.57	0.00	60.92		609.11
राजस्थान	0.00	106.80	0.00	0.00	50.76	6	163.56
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12		0.12
तमिलनाडु	16.03	337.24	146.72	11.00	105.43	180	796.42
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1.00
उत्तर प्रदेश	24.34	619.59	0.15	6.45	84.57	10	745.10
उत्तराखण्ड	0.00	160.21	0.00	0.00	9.23	1	170.44
पश्चिम बंगाल	128.21	350.46	239.35	0.00	61.77	7	786.79
कुल	650.27	5375.31	905.45	118.36	741.70	279.35	8070.44

वर्ष 2006–07 के दौरान प्रमुख स्कीमों के लिए विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं को दी गई वित्तीय सहायता

(रु. लाख में)

योजना स्कीम	बुनियादी ढांचा विकास	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का प्रौद्योगिकी उन्नयन/ आधुनिकीकरण/ विस्तार	मानव संसाधन विकास	गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक तथा अनुसंधान और विकास	बैकवर्ड एवं फारवर्ड समेकन तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप	संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	0.00	1466.89	38.40	0.00	23.30		1528.59
अरुणाचल प्रदेश		0.00				5	5.00
असम		1317.25	6.10	0.00	1.59		1324.94
बिहार		0.00	44.17				44.17
चंडीगढ़					4.34		4.34
छत्तीसगढ़		133.29	36.05			5	174.34
दिल्ली	75.00	73.19	31.78	63.77	402.76		646.50
गोवा	8.27	45.15					53.42
गुजरात		533.12	0.00	187.22	6.01		726.34
हरियाणा	422.69	438.06	21.84	199.75	1.00	10	1093.34
हिमाचल प्रदेश	0.00	307.44	22.23		15.00		344.67
जम्मू–कश्मीर		81.71	32.99				114.70
झारखंड		50.00	58.11	0.00			108.11
कर्नाटक	151.18	570.53	79.52	49.00	30.00	7.5	887.73
केरल		1012.27	15.73	5.52	50.16	5	1088.68
मध्य प्रदेश	350.00	237.64	31.12	57.04			675.80
महाराष्ट्र	1008.45	2044.30	204.69	70.21	63.75	5	3396.40
मणिपुर	17.20	83.52					100.72
मेघालय		30.04					30.04
मिजोरम		0.00	0.00			5	5.00
नागालैंड	96.78	76.16					172.94

1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा		43.50	95.65	3.00	1.00		143.15
पांडिचेरी		32.60					32.60
पंजाब	0.00	879.95	15.47			10	905.41
राजस्थान		718.02	63.26				781.28
सिक्किम		0.00	0.87				0.87
तमिलनाडु	32.06	700.86	141.90	161.20	13.33		1049.34
उत्तर प्रदेश	48.68	987.18	45.64	196.61	19.00		1297.12
उत्तराखण्ड		357.04	6.48	15.00			378.52
पश्चिम बंगाल	726.06	587.70	59.93	363.76	2.45		1739.90

वर्ष 2007–08 के दौरान प्रमुख स्कीमों के लिए विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं को दी गई वित्तीय सहायता

(रु. लाख में)

योजना स्कीम	बुनियादी ढांचा विकास	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का प्रौद्योगिकी उन्नयन/ आधुनिकीकरण/ विस्तार	मानव संसाधन विकास	गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक तथा अनुसंधान और विकास	बैकवर्ड एवं फारवर्ड समेकन तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप	संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	0.00	836.96	9.50	0.00	9.68	0	860.14
असम		759.47	1.45			0	760.92
बिहार		7.73	0.00		0.00	7	14.73
छत्तीसगढ़		131.27	0.00			5	136.27
दिल्ली		49.65	2.62	0.00	18.87	0	71.14
गोवा		0.00				0	0.00
गुजरात		244.45		28.94	0.00	5	273.39
हरियाणा		312.54	12.25	0.00	4.82	5	336.21
हिमाचल प्रदेश	51.45	259.39	20.45	0.00		0	419.05
जम्मू व कश्मीर		17.34	8.50			0	25.84
झारखंड	0.00	4.34	0.00		7.70	0	15.27

1	2	3	4	5	6	7	8
कर्नाटक	551.18	225.45	58.91	5.50	10.00	5	859.29
केरल	200.00	818.83	58.44	0.00	1.00	0	1079.27
मध्य प्रदेश	50.00	115.57	9.83	0.00		5	175.40
महाराष्ट्र	136.92	1543.04	23.74	15.21	19.24	0	1739.25
मणिपुर		0.00			0.00	0	0.00
मेघालय		16.19				0	16.19
नागालैंड		0.00				0	0.00
उड़ीसा		47.49	6.79		0.00	4.6	58.88
पांडिचेरी		47.60			0.86	0	48.46
पंजाब		496.50	7.12	23.50		0	527.12
राजस्थान		562.93	0.00			0	562.93
सिक्किम			1.20			10	11.20
तमिलनाडु	0.00	852.02	61.22	0.00	4.88	0	918.11
त्रिपुरा		13.87				0	13.87
उत्तर प्रदेश	80.77	625.88	5.00	166.00	10.60	0	893.75
उत्तरांचलखण्ड		157.56	8.88	0.00		0	166.44
पश्चिम बंगाल	690.25	640.58	9.99	0.00	11.00	5	1351.82

विदेशी पायलटों की नियुक्ति

2950. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में पायलटों की कमी के कारण कई वायुसेवा कंपनियां विदेशी पायलटों की नियुक्ति कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में कोई मार्गनिर्देश जारी किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। दिनांक 01.11.2006 के नागर विमानन अपेक्षा खण्ड–7, शृंखला–जी भाग–II के प्रारूप में मौजूदा दिशा निर्देश विदेशी पायलट क्रू के सुरक्षा क्लीयरेंस सहित पालन करने के लिए आवश्यक अपेक्षाएं उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

रेलवे क्वार्टरों की कमी

2951. श्री राकेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का पश्चिम–मध्य रेल जोन, जबलपुर के अंतर्गत रेल कर्मचारियों हेतु क्वार्टरों की कमी का संज्ञान लेने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्वार्टर उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये क्वार्टर कब तक कर्मचारियों को आबंटित कर दिए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) पश्चिम मध्य रेलवे के मंडलों में तैनात रेलवे कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की कोई कमी नहीं है। बहरहाल, क्षेत्रीय मुख्यालय, जबलपुर में तैनात कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की थोड़ी सी कमी है। अतिरिक्त क्वार्टर

निर्माणाधीन हैं। नए जोन के लिए, 499 क्वार्टर स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 313 नए क्वार्टर 31.1.08 को पूरे हो चुके हैं। शेष क्वार्टरों को सितंबर, 08 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों के लिए लीज पर 50 आवासों की स्वीकृति भी दी गई है, जिनमें से 45 का उपयोग हो चुका है। क्वार्टर उपलब्ध होने पर कर्मचारियों को आबंटित कर दिए जाएंगे।

विज्ञान केन्द्र

2952. श्री के.सी. पल्लानी शानी :
श्री नरहरि महतो :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने विज्ञान केन्द्र तथा तारामंडल स्थापित किए गए हैं तथा इनके क्या कार्य हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विशेष रूप से तमिलनाडु में और विज्ञान केन्द्र तथा तारामंडल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये केन्द्र तथा तारामंडल कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एन सी एस एम) द्वारा विकसित तथा संचालित 27 विज्ञान केन्द्र हैं। इसके अलावा, एन सी एस एम द्वारा विकसित ऐसे 13 विज्ञान केन्द्र हैं जिनका संचालन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है। कुछेक विज्ञान केन्द्र में तारामंडल हैं। विज्ञान केन्द्र का कार्य लोगों में विज्ञान के प्रति रूझान और समझ पैदा करने के साथ–साथ आम जागरूकता पैदा करना तथा उसका निरन्तर विकास करना है।

(ख) से (घ) विज्ञान नगरी स्कीम के तहत विज्ञान केन्द्रों की स्थापना, संस्कृति मंत्रालय के अनवरत कार्यक्रम का भाग है। भारत सरकार द्वारा तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्य सरकारों से समय–समय पर प्राप्त प्रस्तावों की, संसाधनों के अध्यधीन, स्कीम के अनुमोदित मानदण्डों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप जांच की जाती है।

उड़ान में अध्ययन सामग्री

2953. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की घरेलू उड़ानों में यात्रियों के लिए दैनिक समाचारपत्र/पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाबी भाषा में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है यद्यपि पंजाबी बोलने वाले बड़ी संख्या में इंडियन एयरलाइंस की घरेलू सेवाओं से यात्रा करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उड़ान के दौरान पंजाबी भाषा में अध्ययन सामग्री की व्यवस्था करने के लिए क्या प्रयास किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस की दिल्ली से प्रचालित होने वाली उड़ानों पर, "पंजाबी डाइजेस्ट", एक मासिक पत्रिका, की 200 प्रतियां लेकर रखी जाती हैं।

रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना

2954. श्री एस.के. खारवेलचन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान रेलगाड़ियों का पटरी से उतरने की घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा ये कहां–कहां घटित हुई;

(ख) इन घटनाओं के चलते जीवन और संपत्ति को हुई हानि का ब्यौरा क्या है तथा इसके चलते कितनी देर तक यातायात बाधित रहा;

(ग) रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने के क्या कारण थे;

(घ) पुरानी पड़ गई पटरियों को प्रतिस्थापित करने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या रेलवे द्वारा पुरानी पड़ गई पटरियों को प्रतिस्थापित करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) 2006–07 के दौरान भारतीय रेलों पर गाड़ियों के पटरी के उतरने की 96 दुर्घटनाएं हुई हैं। दुर्घटनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) से (च) रेलपथों के नवीकरण संबंधी कार्यों पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और तदनुसार, इनके प्रतिस्थापन की योजना बनाई जाती है। नवीकरण कार्य स्वीकृत किए जाते हैं और आयु एवं हालत के आधार पर जब कभी अपेक्षित होते हैं, उन्हें किया जाता है बशर्ते निधियां और संसाधन उपलब्ध हों, रेल बजट में हर वर्ष ऐसे कार्यों को स्वीकृत किया जाता है।

विवरण

क्र. सं.	दिनांक	जिला	राज्य	रेलवे	मंडल	खंड	ब्लॉक खंड/ स्टेशन पर	गाड़ी का विवरण	संक्षिप्त विवरण	मारे गए	कारण	व्यवधान घंटों में	रेल संपत्ति को क्षति (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.4.06	रायचूर	कर्नाटक	दमरे	गुंतकल	गुंतकल–रायचूर	मातामारी स्टेशन	6012 डाउन एक्सप्रेस	जब गाड़ी मातामारी स्टेशन से प्रस्थान शुरू कर रही थी, उसका गाड़ी इंजन और दो सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे डाउन लूप लाइन और डाउन मुख्य लाइन अवरुद्ध हो गई	या रे अ	कांटों को सेट, क्लैम्प और पैडलॉक करने में सहायक स्टेशन की ओर से चूक (स्टेशन मास्टर)	6	1800
2	6.4.06	डोसा	राजस्थान	उपरे	जयपुर	बांदीकुई–जयपुर	बांदीकुई–अर्णिया	जीएमएस/ अप ई बीसीएन	हालांकि गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, 2 बीसीएनई पटरी से उतर गए और पुल सं. 138 तक खिंचते रहे, जिससे धू संचार बाधित हो गया	या रे अ	रेलपथ की खराबी (इंजी. अनुरक्षण)	12.12	70000
3	7.4.06	बरेली	कर्नाटक	दपरे	यूबीएल	हुबली–गुंतकल	बेल्लारी–स्टेशन	अप बेल्लारी बीसीएनएल	बेल्लारी स्टेशन पर शीटिंग करते समय 3 मालडिब्बे क्रॉस ओवर प्वाइंट नं. 27 पर पटरी से उतर गए, जिससे धू संचार बाधित हो गया	या रे अ	केबिनमैन द्वारा कांटों का गलत परिचालन जब गाड़ी शीटिंग के दौरान गति में थी (केबिनमैन)	13.30	35100
4	15.4.06	सहरसा	बिहार	पूमरे	एसपीजे	कटिहार सहरसा	सहरसा स्टेशन पर	261 पैसेंजर	जब गाड़ी का लाइन सं. 1 पर आदान किया जा रहा था, 3 पिछले डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे सहरसा–कटिहार मीला खंडसवारी डिब्बे अवरुद्ध हो गया	या रे अ	चलायमान पहियों के अधीन कांटों के परिचालन के कारण दो मार्ग क्योंकि पटरी सतह और लॉक बार के बीच अंतराल निर्धारित से अधिक था (मिलेजुले कर्मचारी)	5.10	30000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	26.4.06	उदयपुर	राजस्थान	उपरे	एआईआ	मवली–बड़ी सद्री	मवली बड़ी सद्री	472 पैसेंजर	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, उस समय गाड़ी इंजन और एक सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया	या रे अ	अपर्याप्त जुड़नारों के कारण पटरी इंजन के पहिये के नीचे मुड़ गई (इंजी. अनुरक्षण)	7.40	0
6	30.4.06	वेल्लौर	तमिलनाडु	दरे	मद्रास	कटपाडि–अरक्कोणम	महेंद्रवेदी चित्तेरी	अप टीएनपीएम	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, 22 आटो (ई) मालडिब्बे पटरी से उतर गये जिससे अप और डाउन दोनों लाइनें बाधित हो गईं	या रे अ	पहिया घटक चालन के दौरान गिर गया (कारखाना कर्मचारी)	8.25	8470263
7	1.5.06	मुंगेर	बिहार	पूरे	एमएलडी	जमालपुर क्यिूल	अभयपुर–कजरा	सिवान लोडिड चिप्स	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, उसके 19 मालडिब्बे पटरी से उतर गये जिससे अप और डाउन दोनों लाइनें अवरूद्ध हो गईं	या रे अ	रेलपथ का मुड़ना (इंजी. अनुरक्षण)	0	2100000
8	3.5.06	ठाणे	महाराष्ट्र	मरे	एमसीएस	कुर्ला कल्याण	डोम्बिविली–दिवा	के–93 अप	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, उसके 3 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गये	या रे अ	पटरी की बहुल खराबी (रेलपथ उपस्कर की खराबी)	0	115000
9	4.5.06	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	दपूमरे	नागपुर	छिंदवाड़ा नागपुर	के लोड–सौनेर	4 डाउन पैसेंजर	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया	या रे अ	रेलपथ की खराबी बहुल विचलन (इंजी. अनुरक्षण कर्मचारी)	2.10	0
10	16.5.06	सियौनी	मध्य प्रदेश	दपूमरे	नागपुर	छिंदवाड़ा नैनपुर	भोमा–पल्लारी	3 अप पैसेंजर	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, गाड़ी इंजन और दो सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए	या रे अ	तोड़फोड (तोड़फोड़)	8.17	1400000
11	19.5.06	दांतेवारा	छत्तीसगढ़	पूतरे	डब्ल्यूएटी	किरन्दूल कोरापुट	मानसी–कमलूर	केवीएल–35/2 डाउन	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, सभी तीनों इंजन सभी पहियो से उतर गए जिससे थू संचार अवरूद्ध हो गया	या रे अ	तोडफोड़ (तोड़फोड़)	32 45	16532000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	30.5.06	नॉर्थ 24 परगना	पश्चिम बंगाल	पूरे	एसडीएच	सियालदाह बनगावं	बामनगाछी स्टेशन पर	बीवी–524 अप	गाड़ी का डाउन मुख्य लाइन पर आदान किया जा रहा था, लेकिन सिगनल उठ नहीं सका और उसी दौरान कांटों के स्थापन के दौरान मोटरमैन ने गाड़ी चला दी और दो सवारीडिब्बे कांटों को पार कर गए	या रे अ	संचलन के दौरान मार्ग में परिवर्तन (मिलेजुले कर्मचारी)	 0	0
13	30.5.06	रत्नागिरि	महाराष्ट्र	कोरेनि	आरएल	रोहा–सावंतवाडि	बोके रत्नागिरी	2617 एक्सप्रेस	जब गाड़ी को रत्नागिरी स्टेशन पर बैक किया जा रहा था, एक सवारीडिब्बा पटरी से उतर गया	या रे .अ	भारी वर्षा के कारण रेलपथ पर बाढ़ आना (आनुषंगिक)	 2.40	1000
14	6.6.06	ढोसा	राजस्थान	उमरे	एजीसी	ब्याना–आगरा फोर्ट	बानसी पहाड़पुर रूपबास	गोंडा बस्ती स्पेशल	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, उसके 15 मालडिब्बे पटरी से उतर गये और 2 सिरोपरि मस्तूल क्षतिग्रस्त हो गए	या रे अ	साइड फ्रेम का टूटफूट और बेयरिंग एडोप्टर और पैक प्लेट का निकलना (सी एंड डब्ल्यू कर्मचारी)	 22.57	17099000
15	8.06.06	ज़ोधपुर	राजस्थान	उपरे	जेयू	जोधपुर जैसलमेर	सामरू मारवाड़ लोहावत	4810 एक्सप्रेस	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, उसका इंजन पटरी से उतर गया	या रे अ	असुरक्षित एटी वेल्डन जोड़ की टूटफूट (इंजी. अनुरक्षण)	 7.15	283151
16	8.6.06	शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश	उरे	एमबी	मुरादाबाद–रोजा	बनखा शाहजहांपुर	डीडीएल	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, तीन मालडिब्बे पटरी से उतर गए	या रे अ	मालडिब्बे की खराबी। घुरा का गलत कार्य करना और इसलिए मालडिब्बा मोड़ को पार नहीं कर पाया (कारखाना कर्मचारी)	 14.55	45500
17	7.6.06	छपरा	बिहार	पूर्वोत्तर	बीएसबी	छपरा–थावे	छपरा कछेड़ी स्टेशन पर	245 पैसेंजर	जब गाड़ी स्टेशन में प्रवेश कर रही थी, एक सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया जिससे थू संचार अवरूद्ध हो गया	या रे अ	रेलपथ का खराब अनुरक्षण और अधिक गति (मिलेजुले कर्मचारी)	 5.15	450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	22.6.06	हसन	कर्नाटक	दपरे	एमवाइए	हसन मंगलौर	हसन सकलेशपुर	एनएमबी–बोक्स	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, नौ मालडिब्बे पटरी से उतर गए और पलट गए जिससे धू संचार अवरूद्ध हो गया	या रे अ	रेलपथ की खराबी। रेलपथ का बाहरी पटरी की ओर पार्श्वीय अंतरण के कारण (इंजी. अनुरक्षण कर्मचारी)	24.10	9200000
19	23.6.06	भोपाल	मध्य प्रदेश	पमरे	बीपीएल	इटारसी भोपाल	हबीबगंज–भोपाल	डब्ल्यूकेबी बोक्स	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, एक मालडिब्बा पटरी से उतर गया	या रे अ	पटरी की टूटफूट (इंजी. अनुरक्षण कर्मचारी)	0	800000
20	28.6.06	सियोनी	मध्य प्रदेश	दपमूरे	नागपुर	जबलपुर नैनपुर	शाकीरा–बिनायकी	10 बीजे पैसेंजर	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया जिससे धू संचार अवरूद्ध हो गया	या रे आ	पटरी की खराबी। क्रॉस लेवल विचलन और वरसाइन में अंतर (इंजी. अनुरक्षण कर्मचारी)	4.35	0
21	29.6.06	वालसाड़	गुजरात	परे	बीसीटी	वालसाड़–विरार	मिलाड़–संजन	अप ट्राम्बे	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, तीन तेल टंकी मालडिब्बे पटरी से उतर गये जिससे धू संचार अवरूद्ध हो गया	या रे आ	मालडिब्बे की खराबी चिसक्ष गार्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान पता नहीं चल पाया (मिलेजुले कर्मचारी)	4.15	105000
22	29.6.06	पुणे	महाराष्ट्र	मरे	पुणे	दौंड बारामती	दौंड मलाडगांव	1548 पैसेंजर	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया जिससे धू संचार अवरूद्ध हो गया	या रे आ	इंजन और रेलपथ की खराबी (मिलेजुले कर्मचारी)	4.2	100000
23	30.6.06	कानपुर	उत्तर प्रदेश	उमरे	इलाहाबाद	कानपुर–टूंडला	कानपुर स्टेशन पर	2557 एक्सप्रेस	जब गाड़ी स्टेशन में प्रवेश कर रही थी, 4 सवारी डिब्बे स्टार्टर और एडवान्स्ड स्टार्टर के बीच पटरी से उतर गए	या रे अ	डायमंड क्रॉसिंग के अवमानक डिजाइन के कारण (रेलपथ उपस्कर की खराबी)	2.48	35000
24	6.7.06	दक्षिण कन्नड़	कर्नाटक	दपरे	एमवाईएस	संकलेशपुर–सुब्रामणया रोड	यर्दा कुमारी–सुब्रामणया	पीएनएमबी/एन	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, 4 बोक्सन पुल सं. 293 पर, 2 पुल सं. 292 और 2 किमी 80/33–35 पर पटरी से उतर गए, जिससे धू संचार अवरूद्ध हो गया	या रे अ	रेलपथ की खराबी (इंजी. अनुरक्षण कर्मचारी)	118.00	6600000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	10.7.06	वेस्ट सिंघभूम	झारखंड	दपूरे	सीकेपी	बडाजमदा राजखरस्वान	कैंदपोसी तालुबू	एनकेडीटीआर–1	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, 14 बोक्सन पटरी से उतर गए, जिससे थू संचार अवरूद्ध हो गया	या रे अ	पटरी की टूटफूट (इंजी. अनुरक्षण कर्मचारी)	49	29088000
26	14.7.06	चाचर	असम	पूसीरे	लमडिंग	बदरपुर–जीरीबाम	अरूणाचल प्रदेश जीरीबाम	865 मिश्रित गाड़ी	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, गाड़ी इंजन के दो पहिये और एक जीएसआर सभी पहियों से पटरी से उतर गये	या रे अ	तोड़फोड़ (तोड़फोड़)	8	500
27	14.7.06	पुणे	महाराष्ट्र	मरे	पुणे	पुणे	पुणे स्टेशन	6510 एक्सप्रेस	जब गाड़ी प्लेटफार्म 1 पर प्रवेश कर रही थी, एक सवारी डिब्बा अगली ट्रॉली से पटरी से उतर गया	या रे अ	पटरी की खराबी। (इंजी. अनुरक्षण कर्मचारी)	0	0
28	23.7.06	विशाखा–पत्तनम	आंध्र प्रदेश	पूतरे	डब्ल्यूएटी	कोरापुट कोट्टवालसा	चिमिदीपल्लि–तयाडा	वीएनएक 10/06	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, एक बोक्सन पटरी से उतर गया	या रे अ	अग्रणी ट्रॉली एलएचएस डिस्क में 80 मिमी अंतरण (यांत्रिक उपस्कर की खराबी)	21.10	600000
29	27.7.06	कटक	उड़ीसा	पूतरे	केयूआर	कटक–भुवनेश्वर	राधाकिशोरपुर गंतीकस निम्बिपुर	ईटीएम–एनडीएल	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, 3 टीके(ई) पटरी से उतर गए, जिससे थू संचार अवरूद्ध हो गया	या रे अ	अचानक ब्रेक लगाना, ओटीई मालडिब्बे की पटरी से उतरने की संभाव्यता, अधिक गति और जेपीओ का उल्लंघन करने वाली लूप लाइन में गाड़ी को स्वीकार किया जाना	9.05	100000
30	29.7.06	कोरापुट	उड़ीसा	पूतरे	डब्ल्यूएटी	किरन्दूल कोरापुट	कोटपाड रोड चारगुला खुसुनी	वीवीएफ/ 68/10	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, 13 बोक्सन पटरी से उतर गए, जिससे थू संचार अवरूद्ध हो गया	या रे अ	पटरी जोड़ की टूटफूट (रेलपथ उपस्कर की खराबी)	40.15	22294400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	30.7.06	ठाणे	महाराष्ट्र	मरे	एमसीएस	कल्याण–कुर्ला	दिवा–ठाणे	7618 एक्सप्रेस	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया	या रे अ	1.8 मीटर का पटरी टुकड़ा जो शरारती तत्वों ने पटरी पर छोड दिया था (चोरी की कोशिश) (रेल कर्मचारी से इतर व्यक्तियों की चूक)	2.48	0
32	31.7.06	गंगानगर	राजस्थान	उपरे	बीकानेर	बीकानेर–सूरतगढ़	सूरतगढ़ स्टेशन पर	एमडीपीटी–जेयूएस	जब गाड़ी स्टेशन में प्रवेश कर रही थी, 5 बीसीएन एल पटरी से उतर गए, जिससे धू संचार अवरूद्ध हो गया	या रे अ	रेलपथ की खराब रखरखाव। सुरक्षा के बिना कार्य का निष्पादन (इंजी. अनुरक्षण कर्मचारी)	9.45	38000
33	2.8.06	बेंगलुरू	कर्नाटक	दपरे	एसबीसी	बेंगलूरू सिटी स्टेशन पर	बेंगलूरू सिटी स्टेशन पर	7210 एक्सप्रेस	जब गाड़ी स्टेशन में प्रवेश कर रही थी, गाड़ी इंजन कांटा सं. 9 पर पटरी से उतर गया	या रे अ	आरएचएस टंग पटरी का गलत स्थापन (इंजी. अनुरक्षण कर्मचारी)	1.00	0
34	3.8.06	नागपुर	महाराष्ट्र	मरे	नागपुर	नागपुर बिलासपुर	नागपुर स्टेशन पर	2410 एक्सप्रेस	जब गाड़ी नागपुर स्टेशन से प्रस्थान कर रही थी, उसका तीसरा और चौथा सवारी डिब्बा, पिछली ओर से, पटरी सं उतर गया	या रे अ	सवारी डिब्बे की खराबी। स्प्रिंग की कठोरता अनुमेय सीमा से अधिक थी (कारखाना कर्मचारी)	2.14	34000
35	4.8.06	बेंगलूरू	कर्नाटक	दपरे	एसबीसी	बेंगलूरू तुमकुर	गोलहल्लि दोड्डबेलि	583 पैसेंजर	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, उसका एक सवारी डिब्बा दो पहियों से पटरी से उतर गया	या रे अ	स्टेशन मास्टर द्वारा त्वरित कार्रवाई की कमी और रेलपथ निरीक्षक/ पराश्रव्य पटरी जांच का गलत निरीक्षण (मिलेजुले कर्मचारी)	7.13	36728
36	7.8.06	बेतल	मध्य प्रदेश	मरे	नागपुर	इटारसी–अमला	धाराखोह–मरमझीरी	8238 एक्सप्रेस	जब गाड़ी ब्लाक खंड में चालित थी, उसका गाड़ी इंजन और एक सवारी डिब्बा पटरी से उतर गए	या रे अ	भूस्खलन (आनुषंगिक)	0	25000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	10.8.06	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	दपमूरे	नागपुर	नागपुर–छिंदवाड़ा	रामकोना–मिमलगोंदी	एनआरसी पैसेंजर	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, उसका गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया, जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	पटरी की खराबी और इंजन की खराबी (मिलेजुले कर्मचारी)	3.55	0
38	10.8.06	बदुआं	उत्तर प्रदेश	पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर	अईजेडए	कासगंज–बरेली	बदुआं–उझानी	137 अप पैसेंजर	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, एक जी एस पटरी से उतर गया, जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	जब गाड़ी चालित थी, आंदोलनकर्ताओं द्वारा लोहे की भारी छड़ फेंक दी गई थी (तोड़फोड़)	4.05	550
39	14.8.06	भोपाल	मध्य प्रदेश	पनरे	बीपीएल	भोपाल–इटारसी	चोका–भिदघाट	2511 एक्सप्रेस	जब गाड़ी ब्लाक खंड में चालित थी, उसकी गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया, जिससे अप मुख्य लाइन अवरुद्ध हो गई	या रे अ	प्राकृतिक आपदा। भारी वर्षा के कारण पटरी बह गई (आनुषंगिक)	0	0
40	14.8.06	रेवाड़ी	हरियाणा	उपरे	बीकानेर	रेवाड़ी–सादुलपुर	धनियाजेनाबाद स्टेशन पर	एसआर पैसेंजर	जब गाड़ी स्टेशन से चलना शुरू कर रही थी, 3 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	पटरी का खराब होना (इंजी. अनुरक्षण कर्मचारी)	12.02	25000
41	15.8.06	संगरूर	पंजाब	उरे	यूएमबी	सादुलपुर–भटिंडा	अलाल–सेखा	4525 एक्सप्रेस	जब गाड़ी ब्लाक खंड में चालित थी, गाड़ी इंजन और अगला एसएलआर पटरी से उतर गए, जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	मवेशी का कुचला जाना (आनुषंगिक)	4.15	81[illegible]0
42	18.08.06	बूंदी	राजस्थान	पनरे	केटीटी	चित्तौड़गढ़–कोटा	जसिंदी श्रीनगर	2966 एक्सप्रेस	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, उसका गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया, जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	फिश प्लेट की टूटफूट (इंजी अनुरक्षण विभाग)	5.34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	24.8.06	बेतूल	मध्य प्रदेश	मध्ये	नागपुर	इटारसी–अमला	बारसोड–मरपाझीरी	एन पीडब्ल्यूपी	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, 4 मालडिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे खण्डन मुख्य लाइन अवरुद्ध हो गई	या रे अ	मालडिब्बे की खराबी (सी एंड डब्ल्यू कर्मचारी)	5.55	15000
44	29.8.06	हरदोई	उत्तर प्रदेश	उत्तरे	एनबी	लखनऊ–शाहजहांपुर	हरदोई–कोच्छा	5651 एक्सप्रेस	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, 13 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	वेल्डन की टूटफूट (इंजी. अनुरक्षण कर्मचारी)	21.20	75000
45	30.8.06	जालंधर	पंजाब	उत्तरे	फिरोजपुर	पठानकोट–जालंधर	सूचीपिंड स्टेशन पर	जेएटी ए–ससीपीडी	जब गाड़ी स्टेशन में प्रवेश कर रही थी, 7 टंकी माल डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	पटरी की खराबी, गलत विन्यास और अचानक ब्रेक लगाना (मिलेजुले कर्मचारी)	8.35	502000
46	31.8.06	मुंगेर	झारखंड	पूरे	एमएलडी	जमालपुर–भागलपुर	सुल्तानगंज स्टेशन पर	808 पैसेंजर	जब गाड़ी स्टेशन में प्रवेश कर रही थी, गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया, जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	टी–369 जारी करने से पहले कांटो की स्थापना एवं सुरक्षित नहीं करना (मिलेजुले कर्मचारी)	2.30	6000
47	31.08.06	जगदलपुर	छत्तीसगढ़	दपूरे	बीएसपी	बिलासपुर झारसुगुड़ा	अकलतारा–नैरला	सीएचएल/केबयूआर डीएचएन	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, 1 बीसीएनएसटल पटरी से उतर गया और 2 पलट गए जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	मालडिब्बे के एलएचएस जर्नल की हॉट ब्रेकेज और गाड़ी गार्ड की सतर्कता में कमी जिसके परिणामस्वरूप 3.5 कि.मी. की लंबी खिंचाई हुई (कारखाना कर्मचारी)	25.50	3277000
48	1.09.06	भटिंडा	पंजाब	उपरे	बीकानेर	भटिंडा–हनुमानगढ़	भटिंडा–भटिंडा ए केबिन	9224 एक्सप्रेस	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, एक भैंस ने गाड़ी को टक्कर मारी जिससे एसएलआर पटरी से उतर गया	या रे अ	मवेशी का कुचला जाना (आनुषंगिक)	3.00	2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	7.09.06	फरुर्खाबाद	उत्तर प्रदेश	पूर्वोत्तर	आईजेडए	कानपुर सेंट्रल–फरुर्खाबाद	फरुर्खाबाद–स्टेशन	467 पैसेंजर	जब गाड़ी फरुर्खाबाद स्टेशन में प्रवेश कर रही थी, गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया	या रे अ	पटरी की खराबी (इंजी. अनुरक्षण कर्मचारी)	2.05	0
50	7.09.06	दिल्ली	दिल्ली	उरे	दिल्ली	नई दिल्ली–दिल्ली	नई दिल्ली स्टेशन	2 एनडीबी पैसेंजर	जब गाड़ी नई दिल्ली स्टेशन से चलना शुरू कर रही थी, उसके 2 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए	या रे अ	पटरी की खराबी और अधिक गति (मिलेजुले कर्मचारी)	3.50	24000
51	15.09.06	सोलन	हिमाचल प्रदेश	उरे	यूएमबी	शिमला–कालका	कनोह–कंदाघाट	2 डाऊन एक्सप्रेस	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चलित थी, एक सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	 रे अ	पर्वत ढहने से पटरी का अवरुद्ध होना जिसे इंजीनियरी कर्मचारी नोट नहीं कर पाए (इंजी. अनुरक्षण कर्मचारी)	6.30	0
52	17.09.06	हावड़ा	पश्चिम बंगाल	पूरे	हावड़ा	पांसकुड़ा–हावड़ा	हावड़ा स्टेशन	पी–46 ईएमयू	जब गाड़ी को प्लेटफार्म नं. 11 पर स्वीकार किया जा रहा था, एक सवारी डिब्बा पांसकुड़ा में कांटा सं. 109 पर पटरी से उतर गया	या रे अ	पटरी का अपर्याप्त अनुरक्षण (इंजी. अनुरक्षण कर्मचारी)	0	0
53	17.09.06	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	उमरे	इलाहाबाद	टूंडला गाजियाबाद	सोमना स्टेशन	एडी–1 अप	एडी–1 अप के ड्राइवर ने गलती कर दी और गाड़ी चला दी, जबकि 2311 एक्सप्रेस को अग्रता देने के लिए सिगनल नीचे किया गया था	या रे अ	खतरे का सिगनल पार करना (एसपीएडी)	2.40	140000
54	20.09.06	कावर	तमिलनाडु	दरे	पीजीटी	तिरुचिरापल्लि–ईरोड़	कुलीथलई स्टेशन	5231 एक्सप्रेस	जब गाड़ी स्टेशन में प्रवेश कर रही थी, तीन सवारी डिब्बे लूप लाइन पटरी से उतर गए, जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	गाड़ी संचलन की दिशा में एलएचएस पटरी का टूटना (रेलपथ उपस्कर की खराबी)	2.47	33000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	21.09.06	कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश	उत्तरे	फिरोजपुर	पठानकोट–जोगिंदर नगर	ज्वालामुखी रोड़ कोपर लाहार	1 पीबीजे पैसेंजर	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया, जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	ड्राइवर रुकने के ईआर और गौके पर 3 कि.मी. प्रति घं का पालन करने में विफल रहा और एसएसई/रेलपथ/ ठहरो का बोर्ड एवं सतर्कता सूचक की व्यवस्था करने में विफल रहा (मिलेजुले कर्मचारी)	0	0
56	21.09.06	हावड़ा	पश्चिम बंगाल	पूरे	हावड़ा	हावड़ा यार्ड	हावड़ा स्टेशन	एग 238 अप	जब गाड़ी स्टेशन में प्रवेश कर रही थी, तीन सवारी डिब्बे लूप लाइन पर पटरी से उतर गए, जिससे हावड़ा–बीडब्ल्यूएन लाइन अवरुद्ध हो गई	या रे अ	डीला आमान और रेलपथ जुड़नारो की अपर्याप्तता, तथा अधिक गति (मिलेजुले कर्मचारी)	0	25000
57	22.09.06	रायगढ़	महाराष्ट्र	मरे	मसीएस	कल्याण–लोणावला	मंकी हिल–खंडाला	2115 एक्सप्रेस	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, गाडी इंजन और एलएलआर पटरी से उतर गए, जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	पटरी की खराबी। रेलपथ का खराब अनुरक्षण (इंजी. अनुरक्षण कर्मचारी)	0	35000
58	26.09.06	इंदौर	मध्य प्रदेश	पश्चे	रतलाम	इंदौर–नीह	नीह स्टेशन	477 पैसेंजर	जब गाड़ी स्टेशन से प्रस्थान शुरू कर रही थी, एक सवारी डिब्बा सीधी लाइन पर पटरी से उतर गया	या रे अ	प्लेटफार्म से रबड़ शीट के बंडल का गिरना (वाणिज्य कर्मचारी)	2.54	0
59	03.10.06	हावड़ा	पश्चिम बंगाल	पूरे	हावड़ा	हावड़ा यार्ड	हावड़ा स्टेशन पर	जी–102 डाउन अप	जब गाड़ी प्लेटफार्म सं. 1 पर प्रवेश कर रही थी, दो सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए	या रे अ	अपर्याप्त रेलपथ जुड़नार और डायमंड क्रासिंग की ओवेटब्रूज की कम क्लीयरेंस तथा पहिया की ट्यूनिंग समय रहते सुनिश्चित नहीं करना (मिलेजुले कर्मचारी)	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11	12	13	14
60	08.10.06	गोलपाड़ा	असम	पूतीरे	आरए नवाई	न्यू बोंगाईगांव कामख्या	दुधनोई–रंगजूली	अप एनजीसी खाद्यान्न	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, एक बीसीएनएल पटरी से उतर गए, जिससे मुख्य लाइन अवरुद्ध हुई	या रे अ	विनिर्माण की खराबी और अनुवर्ती खराब गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया और अनुरक्षण खामी जिससे पटरी से उतरने की दुर्घटना हुई (यांत्रिक उपस्कर की खराबी)	14.20	12000
61	08.10.06	दांतेवाड़ा	छत्तीसगढ़	पूतरे	डब्ल्यूएटी	कोरापुट–किरन्दूल	बछेली-किरन्दुल	अप केओटी–7/16	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, तीन इंजन और 6 बोक्सन एस पटरी से उतर गए	या रे अ	तोड़फोड़ (तोड़फोड़)	28.50	11274939
62	09.10.06	जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल	पूसीरे	एपीडीजे	समुकताला–न्यू जलपाईगुड़ी–अलीपुरद्वार	बरनहाट–कैरोन	डाउन बीसीएन	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, उसका इंजन और 11 बीसीएनई पटरी से उतर गए	या रे अ	पटरी का अपर्याप्त अनुरक्षण अर्थात वरसाइन में विचलन और पटरी की टूटफूट (इंजी अनुरक्षण कर्मचारी)	23.15	816040
63	10.10.06	सुरेंद्रगढ़	उड़ीसा	दपूरे	सीकेपी	बरसूआं–बोंडामुंडा	बिमलागढ़–पतासाही	डाउन एनेकेसीसी (बोक्सन एल)	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, उसके 11 बोक्सन (एल) पटरी से उतर गए, जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	पटरी की टूटफूट (इंजी. अनुरक्षण कर्मचारी)	30	7480916
64	10.10.06	तिरुचिरा–पल्लि	तमिलनाडु	दरे	टीपीजे	दिंडीगुल–तिरुचिरापल्लि	तिरुचिरापल्लि स्टेशन पर	सीटीसी–एन अप	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, 3 बीसीएनएल कांटा सं. 118 पर पटरी से उतर गए	या रे अ	खराब क्लैम्प द्वारा अपर्याप्त रूप से सुरक्षित किए गए हैंड क्रैंक स्विच, फलस्वरूप कांटों का द्विभाजन हुआ जिससे दो मार्ग बने (स्टेशन मास्टर)	4.15	9015
65	11.10.06	बर्धमान	पश्चिम बंगाल	पूरे	हावड़ा	बर्धमान–बड़हरवा	गुस्कारा–नीचारडाल	3072 एक्सप्रेस	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, एक सवारी डिब्बा दो पहियों से पटरी से उतर गया	या रे अ	क्रॉस लेवन का विचलन, वक्रन और कसा आमान (इंजी. अनुरक्षण कर्मचारी)	0	2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	28.10.06	भद्रक	उड़ीसा	पूर्तर	केयूआर	दुवाडा–भद्रक	केंदुआपाडा स्टेशन पर	2822 एक्सप्रेस	जब गाड़ी मुख्य लाइन से गुजर रही थी, एक सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया, जिससे डाउन लाइन अवरुद्ध हुई	या रे अ	पटरी और सवारी डिब्बे में खराबी/खामी के कारण पहियों के असंतुलन के कारण (मिलेजुले कर्मचारी)	4.45	0
67	30.10.06	बेतिया	बिहार	पूमरे	एसबीजे	नरकटियागंज–परियावाहा	नरकटिया ज–हरीनगर	449 पैसेंजर	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चलित थी, उसका गाड़ी इंजन और छहसवारी डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गए	या रे अ	तोड़फोड़ (तोड़फोड़)	24.05	33000
68	30.10.06	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	दमरे	जीएनटी	गुंटूर–सिकंदराबाद	श्रीपुरम–पेडाकूरपाडू	2709 एक्सप्रेस	जब गाड़ी ब्लाक खंड में चलित थी, उसका एक सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया, जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	रेल कर्मचारी से इतर व्यक्तियों से चूक (रेल कर्मचारी से इतर व्यक्तियों की चूक)	4	331000
69	30.10.06	दांतेवाडा	छत्तीसगढ़	पूतरे	डब्ल्यूएटी	किरन्दूल–कोरापुट	भनसी–कलूर	बीबीएक 28/4 डाउन	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चलित थी, सभी 3 इंजन और 12 बीओएक्सएल पटरी से उतर गए, जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	तोड़फोड़ (तोड़फोड़)	53.15	22444839
70	10.11.06	नंदूरबाड़	महाराष्ट्र	परे	बीसीटी	सूरत–नंदूरबाड़	नवपुर–कोल्डे	13 डाउन पैसेंजर	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चलित थी, 10 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	रेलपथ उपस्कर की खराबी (रेलपथ उपस्कर की खराबी)	23.05	3075876
71	20.11.06	छपरा	बिहार	पूर्वोत्तर	बीएसबी	बाबे–छपरा	एकमा स्टेशन पर	484 पैसेंजर	जब गाड़ी लाइन सं. 1 पर प्रवेश कर रही थी, उसका पिछला एसएलआर पटरी से उतर गया	या रे अ	अधिक गति के कारण उछाल और एसएलआर की पिछली ट्रॉली की केन्द्रीय साइडिंग बेयरिंग जाम होने के कारण पार नहीं कर पाया (मिलेजुले कर्मचारी)	6.42	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	01.12.06	अमृतसर	पंजाब	उरे	फिरोजपुर	अमृतसर	वरका स्टेशन पर	4 एबीपी पैसेंजर	जब गाड़ी वल्ले स्टेशन से प्रस्थान कर रही थी, 3 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	पटरी की टूटफूट (इंजी. अनुरक्षण कर्मचारी)	 6.06	60500
73	3.12.06	वेस्ट सिंघभूम	झारखंड	दपूरे	सीकेपी	राजखरस्वान–बरजामुडा	केंद्रपोसी स्टेशन पर	2021 जनसाधारण	जब गाड़ी को अप लूप पर स्वीकार किया जा रहा था, अगला एसएलआर पटरी से उतर गया जिससे केवल अप लूप लाइन अवरुद्ध हुई	या रे अ	वेल्डन कार्य के लिए रेलपथ के निकट रखे हुए लकड़ी ब्लॉक पर रखी हुई पटरी के कारण उल्लंघन से (इंजी. अनुरक्षण कर्मचारी)	 0	19418
74	6.12.06	रायबरेली	उत्तर प्रदेश	उरे	लखनऊ	लखनऊ–रायबरेली	हरचंदपुर–गंगज	डाउन गौरीगंज बोक्सन	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, 27 बोक्सन (L) पटरी से उतर गए, जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	भारी झटके के बारे में ड्राइवर और एससीएनएल द्वारा त्वरित कार्रवाई की कमी (मिले जुले कर्मचारी)	 6.10	2475000
75	9.12.06	होशियारपुर	पंजाब	उरे	फिरोजपुर	पठानकोट–जालंधर	छोलंग स्टेशन पर	2332 एक्सप्रेस	2332 एक्सप्रेस को चलने की अनुमति दी गई थी, बिना गैर–सिगनल लाइन के कांटे को सही सुनिश्चित किए जिसके परिणामस्वरूप गाड़ी इंजन और अगला एसएलआर पटरी से उतर गया	या रे अ	स्टेशन मास्टर द्वारा कांटों का गलत सत्यापन (स्टेशन मास्टर)	 8.00	22500
76	4.1.07	जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल	पूसीरे	एपीडीजे	न्यूजलपाईगुड़ी–अलीपुरद्वार	विश्वनगुड़ी स्टेशन पर	अप एचबीएन	जब गाड़ी स्टेशन में लाइन सं. 2 पर प्रवेश कर रही थी, 7 मालडिब्बे सम्मुख कांटे पर पटरी से उतर गए, जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	शरारती तत्वों द्वारा रेलपथ के भीतर रखे गए लकड़ी के लट्ठों से उत्पन्न बाधा के कारण (तोड़फोड़)	 18.57	15619684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	10.1.07	बीरभूम	पश्चिम बंगाल	पूरे	हावड़ा	रामपुरहाट–गुमनी	पाकुर स्टेशन पर	शोक्सन (एल) कोय	जब गाड़ी को साइडिंग से खींचकर लाइन सं. 4 पर लाया जा रहा था, गाड़ी इंजन और 4 मालडिब्बे पटरी से उतर गए जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	या अ	वात दाब की अविच्छिन्नता के बिना गाड़ी का चालन (मिलेजुले कर्मचारी)	7.33	1137626
78	12.01.07	लातेहर	झारखंड	पूरे	देहरादून	बरकाकाना–गढ़वा रोड़	कुमेंदी–हेडेगढ़ा	अप पीएनपी	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, उसका वैगन इंजन, एमटी और 3 शोक्सन (एल) पटरी से उतर गए और एक बीओएक्स पटरी से रेलपथ पर उतर गया, जिससे केवल अप लाइन अवरुद्ध हुई	या रे अ	 (अंतः सिद्ध नहीं हो सका)	47.55	10807000
79	14.1.07	दक्षिण कन्नड़ा	कर्नाटक	दपरे	एमवाईएन	हसन–मंगलौर	येदेकुमारी–मंगलौर	जब कप्ल डीजल एल/ई ब्लाक खंड में चलित था, पुच्छल इंजन पटरी से उतर गया और पुल सं. 316 पर गिर गया	या रे अ	पटरी की खराबी (इंजी. अनुरक्षण कर्मचारी)	20.15	40150000
80	20.1.07	बांदा	उत्तर प्रदेश	उमरे	जेएचएस	मणिकपुर–बांदा	बांदा स्टेशन	अप मेला स्पेशल	जब गाड़ी बांदा स्टेशन के प्लेटफार्म 2 में प्रवेश कर रही थी, उसका गाड़ी इंजन सभी पहियों से पटरी से उतर गया	या रे अ	अधिक गति और अचानक ब्रेक लगाना (डीजल ड्राइवर) (अधिक गति)	1.50	5000
81	27.01.07	झारसुगूड़ा	उड़ीसा	पूतरे	एसबीपी	बोलनगहर–झारसुगुड़ा	लपांग स्टेशन	एन/ एलपीजी	4.10 बजे एन/एलपीजी को भूषण साइडिंग पर उतराई के लिए स्थापन किया गया था, 12 बोक्सन का आंशिक भार लुढ़क गया।	या रे	पर्याप्त संख्या उपाय नहीं अपनाना और ट्रिप्लिंग के दौरान रेक सम्हलाई का अपर्याप्त ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का उपयोग	14	17590458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									11 मालडिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए और मुख्य लाइन का उल्लंघन हुआ।	अ	(निजी साइडिंग मालिक) (एफओआरएस)		
82	28.1.07	वेल्लोर	तमिलनाडु	दरे	मद्रास	जोलारपेट्टै–कटपाडि	विलममंगलम स्टेशन	2674 एक्सप्रेस	सिगनल स्टार्टर सं. 31 को पार करने के बाद 2674 एक्सप्रेस के पांच सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे केवल अप लाइन अवरुद्ध हो गए	या रे अ	गर्म धुरा (यांत्रिक उपस्कर की खराबी)	14.56	4788000
83	1.2.07	चित्रदुर्ग	कर्नाटक	दपरे	मैसूर	रायदुर्ग–चिकजाजूर	बोम्मागुंदानाकेरे स्टेशन पर	584 पैसेंजर	जब गाड़ी स्टेशन में प्रवेश कर रही थी, एक जीएस सीएन पिछली ट्रॉली से पटरी से उतर गया, जिससे धू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	सिगनलों और स्थानीय रूप से चालित कांटो का समय से पहले चालन (स्टेशन मास्टर)	10.05	99900
84	12.02.07	मानसी	बिहार	पूपरे	एसईई	कटिहार–बरौनी	मानसी स्टेशन पर	2505 एक्सप्रेस	जब गाड़ी मानसी स्टेशन से गुजर रही थी, उसका एक सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया जिससे अप लाइन अवरुद्ध हो गई	या रे अ	अगली ट्रॉली के पिछले धुरा की टूटफूट (डीबीआरटी कारखाने सी एंड डब्ल्यू कर्मचारी)	3.05	43443
85	18.2.07	डिब्रूगढ़ टाउन	असम	पूसीरे	टीएमके	डिब्रूगढ़ टाउन–तिनसुकिया	डिब्रूगढ़ टाउन–छलखोवा	4055 एक्सप्रेस	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, एक ट्रक ने गाड़ी को यूएमएलसी नं. डीडी/13 पर टक्कर मारी जिसके परिणामस्वरूप गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया और मुख्य लाइन अवरुद्ध हो गई	या रे अ	सड़क वाहन की बाधा के कारण इंजन पटरी से उतर गया (एफओआरएस)	8.05	48000

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	19.02.07	जयपुर	राजस्थान	उपरे	जयपुर	फुलेरा–मदार	किशनगढ़–गेगल अखरी	अप एमओजेड/बीसीएन	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, एक बीसीएन पटरी से उतर गया, जिससे थू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	मवेशी का कुचला जाना (आनुषंगिक)	7.21	1295000
87	22.02.07	पुणे	महाराष्ट्र	मरे	पुणे	पुणे–मिरज कोल्हापुर	दौंदाज स्टेशन पर	1023 एक्सप्रेस	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, गाड़ी इंजन पटरी से उतर गए, जिससे थू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	इंजन की खराबी (डीजल इंजन अनुरक्षण कर्मचारी)	4.46	0
88	22.02.07	पश्चिम मिदनापुर	पश्चिम बंगाल	दपूरे	कैजीपी	मद्रक–खड़गपुर	नारायणगढ़–बेनापुर	उन सांपी–बीसी	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, एक बीसीएन पटरी से उतर गया, जिससे केवल डाउन लाइन अवरुद्ध हो गई	या रे अ	पिछली ट्रॉली की टूटफूट के कारण (मिलेजुले कर्मचारी)	0	1520000
89	1.03.07	दिल्ली	दिल्ली	उरे	दिल्ली	रेवाड़ी–दिल्ली	बिजवासन स्टेशन पर	4312 एक्सप्रेस	जब गाड़ी बिजवासन में प्रवेश कर रही थी, गाड़ी इंजन पटरी से उतर गया जिससे डाउन मुख्य लाइन अवरुद्ध हो गई	या रे अ	इंजन की खराबी (डीजल इंजन अनुरक्षण कर्मचारी)	1.47	0
90	5.03.07	गोधरा	गुजरात	परे	बीआरसी	वड़ोदरा–गोधरा	करसलिया–गोधरा	डाउन डब्ल्यूकेबी	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, एक बोक्सन पश्चिम लाइन पर पटरी से उतर गया	या रे अ	धुरा जर्नल की टूटफूट (सी एंड डब्ल्यू)	0.00	4000000
91	12.03.07	मुर्शीदाबाद	पश्चिम बंगाल	पूरे	एसडीएए	राणाघाट–गेडे	बागुला–माझदिया	36 डाउन	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, तीन मालडिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे थू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	स्प्रिंग शैकल्प की खामी के कारण पहियों का असंतुलन जिसके कारण रेलपथ का क्रॉस लेवल विचलन हुआ	10.40	61000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	19.3.07	देवनगेरे	कर्नाटक	दपरे	मैसूर	अरसीकेरे–हुबली	कोडागनूर तोलाहन्से	एसटी–11 जी	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, एक बोक्सन पटरी से उतर गया, जिससे थू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	गर्म धुरा (मिले जुले कर्मचारी)	10.40	2700000
93	21.3.07	बरेली	उत्तर प्रदेश	उरे	एमबी	मुरादाबाद–शाहजहांपुर	परसा खेड़ा–कलटरबकगंज	5716 एक्सप्रेस	जब गाड़ी ब्लॉक खंड में चालित थी, 6 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे थू संचार अवरुद्ध हो गए	या रे अ	घटरी की टूटफूट (इंजी. अनुरक्षण कर्मचारी)	10.40	1010000
94	23.3.07	विदिशा	मध्य प्रदेश	पमरे	बीपीएल	बीना–भोपाल	पवै स्टेशन पर	पीबीजी–कॉनको गुड्स	जब गाड़ी पवै स्टेशन से गुजर रही थी, 11 बीआरएन (एल) पटरी से उतर गए, जिससे थू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	धुरा की कोल्ड ब्रेकेज (यांत्रिक उपस्कर की खराबी)	22.05	11100000
95	26.03.07	दिल्ली	दिल्ली	उरे	दिल्ली	दिल्ली–अंबाला	होलंबी–कलां स्टेशन पर	एचएम बोक्सन	जब गाड़ी लूप लाइन से प्रस्थान शुरू कर रही थी, 5 बोक्सन एल कांटा सं. 34 के पास पटरी से उतर गए, जिससे थू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	अत्यधिक भार (वाणिज्य कर्मचारी)	17.30	197000
96	15.03.07	झारसुगुडा	उड़ीसा	दपूरे	सीकेपी	राउरकेला–झारसुगुडा	झारसुगुडा स्टेशन पर	बोक्सन (एल) स्पेशल	जब गाड़ी को लाइन नं. 1 पर स्वीकार किया जा रहा था, एक बोक्सन(एल) पटरी से उतर गया, जिससे थू संचार अवरुद्ध हो गया	या रे अ	अविषम लदान के कारण (एफओआरएस)	8	252500

यूरिया का आयात

2955. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में यूरिया का आयात किया गया तथा इस पर कितनी राशि व्यय की गई तथा वे कौन–कौन से देश हैं जहां से यह यूरिया आयात किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान आयात किये गए यूरिया का मूल्य घरेलू उत्पादित यूरिया के मूल्य से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आयात करने के बदले सस्ते मूल्य पर देश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान यूरिया का आयात बहरीन, बांग्लादेश, सीआईएस देशों, इण्डोनेशिया, ईरान, लिबिया, कतर, रोमानिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, मिस्र और मलेशिया से किया गया। इन देशों के अतिरिक्त सरकार दीर्घावधि यूरिया उठाव करार (यूओटीए) के अंतर्गत 2005–06 से ओमान से भी यूरिया का आयात कर रही है। यूरिया के आयात और इस पर किए गए कुल व्यय पर वर्ष–वार विवरण इस प्रकार है:–

वर्ष	सरकार द्वारा किया गया यूरिया का आयात (लाख मी. टन में)			यूरिया के आयात पर किया गया कुल व्यय (करोड़ रु.)
	ओमान से	अन्य स्रोत से	कुल	
2004–05	0.00	6.41	6.41	742.64
2005–06	13.25	7.31	20.56	2164.63
2006–07	18.37	28.82	47.19	5071.06
2007–08	18.92	50.57	69.49*	9935.09#

* अनुमानित # संशोधित अनुमान 2008–09

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ओमान और अन्य स्रोतों से किए गए यूरिया के आयात का भारित औसत मूल्य तथा इसके साथ–साथ स्वदेशी यूरिया के लिए भारित औसत रियायत दर इस प्रकार है:–

वर्ष	ओमान से आयात किए गए यूरिया का भारित औसत लागत व मालभाड़ा मूल्य	अन्य स्रोतों से आयात किए गए यूरिया का भारित औसत लागत व मालभाड़ा मूल्य	स्वदेशी यूरिया के लिए भारित औसत रियायत दर
2004–05		10688	9488
2005–06	6872	11446	10159
2006–07	7632	11260	10675
2007–08	7249**	13850**	11645**

* 01.10.2006 से अनंतिम ** अनुमानित अनंतिम

कंपनियों द्वारा उपयोग में लाए गए फीडस्टॉक की किस्म के आधार पर स्वदेशी यूरिया की रियायत दरें अलग–अलग होती हैं। गैस के माध्यम से किया गया यूरिया का उत्पादन सबसे सस्ता होता है जबकि नेफ्था की फीडस्टॉक के रूप में प्रयोग करके किया गया यूरिया का उत्पादन सबसे महंगा होता है। आयातित यूरिया का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर घटता–बढ़ता रहता है।

(घ) गत 10 वर्षों से यूरिया क्षेत्र में कोई निवेश नहीं हुआ है। इसका प्रमुख कारण यूरिया उत्पादन हेतु प्राकृतिक गैस का कम मात्रा में उपलब्ध होना है। 2009 से गैस की उपलब्धता में होने वाले अनुमानित सुधार को ध्यान में रखते हुए विभाग यूरिया क्षेत्र में निवेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंचमार्क के आधार पर एक नई नीति को अंतिम रूप दे रहा है ताकि यूरिया क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिल सके और इसके परिणामस्वरूप स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त, सरकार बंद पड़ी उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

[हिन्दी]

चित्रकूट/झांसी के लिए वायु सेवा

2956. श्री राजनरायन बुधौलिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में चित्रकूट/झांसी को वायु सेवा प्रदान करने के संबंध में कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त स्थान को वायु सेवा प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) एक रीजन के भीतर विमान सम्पर्कता को प्रोत्साहित करने II टीयर तथा III टीयर शहरों के लिए विमान यातायात सेवा उपलब्ध कराने तथा विशिष्ट क्षेत्रों के बीच इन सेवाओं को उपलब्ध कराने की दृष्टि से अनुसूचित क्षेत्रीय विमान परिवहन सेवाओं के लिए सरकार द्वारा नागर विमानन अपेक्षाएं की गई हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा परिभाषितानुसार उड़ान सूचना क्षेत्रों (एफआईआर) के अनुसार 4 क्षेत्रों यथा उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व/उत्तर पूर्व की पहचान की गई है। बहरहाल, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे वाणिज्यिक विवेक के मद्देनजर विशिष्ट स्थानों को विमान सेवा उपलब्ध कराए।

नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) का वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चित्रकूट/झांसी में विमान सेवाएं आरंभ करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि इन स्थानों पर एयर फील्ड अनुसूचित वाणिज्यिक सेवाओं के लिए प्रचालनिक नहीं है। नैसिल उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद तथा कानपुर के लिए सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में एस एम एस सेवाएं

2957. श्री नवीन जिन्दल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सेवाओं के संबंध में प्रस्थान/आगमन तथा अन्य विशिष्ट जानकारी एस एम एस के माध्यम से उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक यह सुविधा लोगों को उपलब्ध होगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) गाड़ियों की पीएनआर स्थिति और आगमन एवं प्रस्थान के बारे में 'रेल संपर्क' एसएमएस सेवा सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास फोन नं. 56300 पर प्रायोगिक आधार पर पहले से ही उपलब्ध है।

इस सूचना को कुछ सेवा प्रदाताओं जिन्होंने इस उद्देश्य के लिए करार किया है, के द्वारा वेबसाइट www.indianrail.gov.in और www.trainenquiry.com पर पहुंचने के पश्चात मोबाइल फोन पर भी प्राप्त किया जा सकता है।

महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

2958. श्री प्रतीक पी. पाटील : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर उपरांत छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में 100970.44 रुपए व्यय की राशि के रूप में प्रतिपूर्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं तथा कब तक उक्त राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) अन्य पिछड़े वर्गों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, महाराष्ट्र सरकार को वर्ष 2007–08 के दौरान 888.32 लाख रुपए की राशि स्वीकृत और जारी की गई है।

पर्यटन परियोजनाएं

2959. श्री रवीन्द्रन सिप्पीपारई : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में देश में चल रही पर्यटन परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन/प्रगति का पुनरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार निर्धारित वास्तविक तथा वित्तीय निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त किए गए स्तर के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए नए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कब तक उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया जाएगा; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान तथा आगामी तीन वर्ष में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं को रेखांकित करते हुए पर्यटन के संवर्धन के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों के साथ, नियमित अंतराल पर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करता है। गत तीन वर्षों में कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा हेतु निरीक्षण और स्थल पर दौरे भी किए गए।

(ग) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, पारस्परिक प्राथमिकता एवं निधियों की उपलब्धता की शर्त पर, पर्यटन परियोजनाओं को स्वीकृति देता है। फरवरी, 2008 तक, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, पर्यटन के विकास और संवर्धन हेतु 248 परियोजनाओं के लिए 59240.12 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

पारादीप से हल्दिया तक पाइपलाइन

2960. श्री भर्तृहरि महताब : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप से हल्दिया तक पाइपलाइन परियोजना पूरी हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के लाभ और सीमाएं क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) पारादीप तेल परिशोधनशाला के पूरा होने के अनुमानित समय का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। पारादीप से हल्दिया तक पाइपलाइन परियोजना पर बीच रास्ते में पाइपलाइन कार्य के बारंबार रुकने, 55 कि.मी. पाइपलाइन की रीरूटिंग और संविदाकार मैसर्स ईरानियन आफशोर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, ईरान द्वारा कार्यनिष्पादन न करने के कारण प्रभावित हुआ।

(ग) पाइपलाइन परियोजना के पूरा होने से आईओसीएल की हल्दिया और बरौनी रिफाइनरियों तक कच्चे तेल के परिवहन के वर्तमान ढंग का लागत प्रभावी विकल्प उपलब्ध होगा।

(घ) सरकार उक्त परियोजना की पूर्णता के लिए सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ङ) आईओसीएल के निदेशक मंडल द्वारा सिद्धान्त रूप में प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार पारादीप रिफाइनरी–सह–पेट्रोकेमिकल परिसर अक्तूबर, 2011 तक पूरा करने का कार्यक्रम है। अंतिम निवेश अनुमोदन फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन के पूरा होने के बाद मिलेगा।

इस्पात उद्योग की क्षमता का उपयोग

2961. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस्पात उद्योग का अखिल भारतीय औसत क्षमता उपयोग कितना है तथा आठवीं योजनावधि के अंत तक इस्पात की उपलब्धता तथा मांग के बीच अनुमानित अंतर कितना है;

(ख) क्या भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत दुनिया में सबसे कम है और विश्व औसत से काफी नीचे है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस्पात उद्योग के विकास को रोकने वाले कारक कौन–से हैं तथा इसकी विस्तार योजनाएं क्या हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) आठवीं योजना अवधि (1992–93 से 1996–97) के दौरान भारत में उद्योग की अखिल भारतीय क्षमता उपयोगिता 77.2 प्रतिशत थी। आठवीं योजना अवधि के अंत (अर्थात् 1996–97) में कुल परिसज्जित इस्पात (मिश्र और गैर–मिश्र) के उत्पादन, बिक्री और खपत के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:–

वर्ष	कुल परिसज्जित इस्पात (हजार टन)		
	गैर–अलॉय	अलाय	कुल
बिक्री के लिए उत्पादन	25163	1161	26324
खपत	22128	1166	23294

स्रोत : जेपीसी

(ख) और (ग) 2006 में, भारत की प्रति व्यक्ति इस्पात खपत 40.1 कि.ग्राम थी जबकि विश्व औसत खपत 184.5 कि.ग्राम है। प्रति व्यक्ति कम खपत के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं:–

(i) प्रति व्यक्ति कम आय/खरीदने की शक्ति

(ii) कुल जीडीपी में विनिर्माण/औद्योगिक क्षेत्र का कम हिस्सा

(iii) अंतिम प्रयोक्ता क्षेत्रों विशेष रूप से निर्माण कार्यकलापों में इस्पात का कम उपयोग

(घ) काफी ग्रीनफील्ड/ब्रानफील्ड क्षमता सृजन परियोजनाएं प्रगति पर है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार 2011–12 तक, देश में इस्पात उत्पादन क्षमता 124.06 मिलियन टन होने की संभावना है।

इस्पात उद्योग के विकास को अवरुद्ध करने वाले घटक निम्नानुसार हैं:–

(i) अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण करने में विलंब

(ii) लौह अयस्क और कोयला खानों के आबंटन में विलंब

(iii) उपस्कर विनिर्माताओं के लिए क्षमता संबंधी अड़चनों के कारण समय पर उपस्कर खरीदने में कठिनाई।

(iv) प्रस्तावित स्थल पर और उसके आस–पास अवसंरचनात्मक अवरोध।

(v) कुशल जनशक्ति की कमी।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण

2962. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए व्यावसायिक तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के नासिक तथा मालेगांव जिलों के लिए ऐसी कोई योजना स्वीकृत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के उन व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना चलाई जा रही है, जो गरीबी रेखा से दोगुने नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। यह योजना सम्बद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से चलाई जा रही है। योजना के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अभ्यर्थियों को 500/– रु. प्रतिमाह की वृत्तिका और प्रशिक्षण लागत का 85 प्रतिशत अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराता है।

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा डा. जाकिर हुसैन कॉलिज, अजमेरी गेट, दिल्ली के पुराने परिसर में महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है, जहां मुख्यतः शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बालिकाओं को कटाई, सिलाई, वस्त्र निर्माण, ब्यूटी कल्चर और कम्प्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी 'मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामण्डल' द्वारा नासिक में 16.6.2006 से 14.10.2006 तक अल्पसंख्यक समुदायों की 100 महिलाओं के लिए "बेसिक ब्यूटिशियन कोर्स" का आयोजन तथा मालेगांव में 11.2.2008 से तीन माह के लिए 20 अभ्यर्थियों के लिए फैशन डिजाइनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है।

गांधी शांति प्रतिष्ठान

2963. डा. के.एस. मनोज : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांधी शांति प्रतिष्ठान को दी जाने वाली सहायता समाप्त कर दी है, जो गांधीवादी मूल्यों तथा जीवनशैली के प्रचार–प्रसार के क्षेत्र में काम करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संगठन के महत्व के मद्देनजर प्रतिष्ठान को पुनः सहायता देना शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) संस्कृति मंत्रालय ने विकास संबंधी कार्यकलापों हेतु गांधी शान्ति प्रतिष्ठान को चालू वित्त वर्ष में 5.00 करोड़ रु. का अक्षय अनुदान जारी किया है।

रेलवे में चादर तथा आम स्वच्छता

2964. श्री मिलिन्द देवरा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल में चादर तथा आम स्वच्छता के लिए ठेकेदारों के चयन हेतु निविदा की प्रक्रिया को समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) यह प्रथा कब से चली आ रही है तथा ठेकेदारी प्रथा से पूर्व की स्थिति क्या थी; और

(घ) बेहतर यात्री सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान प्रणाली को बदलने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी अन्य प्रणाली अपनायी गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इसकी शुरूआत से ही बेडरॉल सेवाओं के अलग-अलग सामान का प्रबंधन या तो विभागीय आधार पर किया जाता है या ठेका आधार पर। सफाई संबंधी गतिविधियां, जिनका प्रबंधन पहले विभागीय तौर पर किया जाता था अब उनका गाड़ियों तथा प्रमुख स्टेशनों दोनों पर धीरे-धीरे बाहर से प्रबंध किया जा रहा है।

[हिन्दी]

एयर इंडिया की उड़ान में विलम्ब

2965. श्री शिशुपाल एन. पटले :
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया की दिल्ली से न्यूयार्क की उड़ान में विलम्ब के कारण यात्रीगण 20 घंटे फंसे रहे जैसा कि दिनांक 28 फरवरी, 2008 के दैनिक जागरण में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विलम्ब के उन कारणों की जांच की है जिसकी वजह से विमान समय से उड़ान नहीं भर सका;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) जी, हां। दिनांक 27.2.2008 को दिल्ली-लंदन-न्यूयार्क मार्ग पर उड़ान संख्या एआई-111 जो 0720 पर निर्धारित था उसे 28.2.2008 को 0255 बजे पुन: अनुसूचित करना पड़ा। यद्यपि विमान उड़ान भरने के लिए तैयार था, परन्तु ईंधन बिखरने, कुछ अक्रियल यात्रियों के व्यवहार, एक चिकित्सा बक्से को उताने तथा विमान चालकों की उड़ान ड्यूटी समय सीमाओं के प्रतिबंध तथा लंदन हवाई अड्डे पर रात्रि के कर्फ्यू जैसे विभिन्न कारणों से इस उड़ान को परिवर्तित करना पड़ा था।

(ङ) विमान में ईंधन भरे जाने के दौरान, विमान में ईंधन बिखरने की घटनाएं एयरलाइन उद्योग में एक असामान्य घटना नहीं है। एयर इंडिया को, कठिनाई पैदा करने वाले यात्रियों से सख्ती से निपटने की सलाह दी गई है जिसमें कानूनी कार्यवाही किए जाने की संभावना भी शामिल है जिससे इस प्रकार की कार्यवाही से अन्य यात्री प्रभावित न हो।

[अनुवाद]

चेन्नई-कोचीन-गोवा के लिए एयर इंडिया की उड़ान

2966. श्री अब्दुल्लाकुट्टी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा एयर इंडिया की चेन्नई-कोचीन-गोवा मार्ग रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) इस गंतव्य से कितनी निजी विमान कंपनियों के विमान उड़ रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने मार्ग रद्द किए जाने के कारण होने वाले अनुमानित नुकसान का आकलन किया है; और

(ङ) यात्रियों के लिए विमान सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए कौन-से कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया का नेशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड (नेसिल) में विलय होने के उपरान्त, चेन्नई-कोचीन-गोवा-कुवैत उड़ान को 20 अक्तूबर, 2007 से पुनर्संरचित करके चेन्नई-गोवा-कुवैत उड़ान कर दिया गया है।

(ग) इस समय कोई निजी अनुसूचित एयरलाइन चेन्नई-कोचीन-गोवा मार्ग पर प्रचालन नहीं कर रही है।

(घ) नेसिल के अनुसार, चेन्नई-कोचीन-गोवा मार्ग की पुनर्संरचना से बचत होने की आशा है चूंकि इन सेक्टरों पर उत्सर्जित राजस्व से प्रचालनों की लागत पूरी नहीं होती थी।

(ङ) सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की हवाई परिवहन

सेवाओं संबंधी आवश्यकता के ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशानिर्देश जारी किए हैं। तथापि, यातायात मांग तथा वाणिज्यिक सांध्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं प्रदान करना एयरलाइनों पर है। इस प्रकार एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

एनआईपीईआर के वैज्ञानिकों के अनुबंध का नवीकरण नहीं किया जाना

2967. श्री उदय सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली (एनआईपीईआर) द्वारा वैज्ञानिकों को परेशान किए जाने/उनके अनुबंधों का नवीकरण नहीं किए जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शिकायतों को दूर करने तथा नवीकरण की प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभाग ने इस मामले की जांच नाईपर, एसएएस नगर में करवाई है। नाईपर, एसएएस नगर में ऐसा सिर्फ एक मामला प्रकाश में आया है। उक्त वैज्ञानिक से शिकायत प्राप्त होने के बाद निदेशक, नाईपर, एसएएस नगर की टिप्पणियां मांगी गई थीं। उन्होंने बताया है कि उनके द्वारा मामले पर नाईपर एक्ट, 1998 के तहत तैयार नियमावली/विनियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है और अनुबंध का नवीकरण नहीं किए जाने के संबंध में बताया गया है कि ऐसा बाहरी विशेषज्ञों वाली नवीकरण समिति की संबंधित वैज्ञानिक के कार्य निष्पादन व आचरण के आधार पर की गई सिफारिशों पर किया गया है।

दवाओं की अधिक कीमत लेना

2968. डी. पुन्नय्या हसन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दवाओं की अधिक कीमत लिए जाने के संबंध में विभिन्न न्यायालयों के समक्ष बड़ी संख्या में मामले लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो सभी मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्यन प्राधिकरण (एनपीपीए) ने सिप्ला, जाइडस कैडिला, रैनबैक्सी, लुपिन और ग्लैक्सो को अधिक कीमत वसूलने के लिए नोटिस भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दवाओं के नाम क्या हैं; और

(ङ) 193 करोड़ रुपए में से कुल कितनी वसूली हुई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ङ) अगस्त, 1997 में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के प्रारम्भ से, एनपीपीए ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के साथ पठित औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अंतर्गत में 511 मामलों में अतिप्रभारित राशि के रूप में वसूली के लिए (15.02.08 तक) कुल 1546.28 करोड़ रु. की मांग उठाई है। एनपीपीए ने अब तक (15.02.08 तक) चूककर्ता कंपनियों से 104.30 करोड़ रु. वसूले हैं। एनपीपीए अतिप्रभारित राशि की वसूली के लिए नियमित रूप से उपयुक्त कार्रवाई करता रहता है। कुछेक मामलों में माननीय उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय से प्राप्त आदेशों और वर्तमान में न्यायालयों में न्यायाधीन मामलों के कारण वसूली प्रभावित होती है। दिनांक 15.02.08 की स्थिति के अनुसार, 1441.98 करोड़ रु. की लम्बित वसूली में से 1252.71 करोड़ रु. की राशि मुकदमे में फंसी है।

व्यावसायिक एलपीजी कनेक्शन

2969. श्री समत कुमार मंडल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को राज्य-वार व्यावसायिक उपयोग हेतु कितने एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची में आवेदनों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा अप्रैल-दिसम्बर, 2007 के दौरान देश में नए वाणिज्यिक एलपीजी कनेक्शनों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने बताया है कि वर्तमान में, नए एलपीजी कनेक्शन मांग पर उपलब्ध हैं और देश में नए वाणिज्यिक कनेक्शनों को जारी करने के लिए ओएमसीज के पास कोई प्रतीक्षा सूची लंबित नहीं है।

विवरण

राज्यवार जारी वाणिज्यिक एलपीजी कनेक्शन

(आंकड़े संख्या में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005–06	2006–07	अप्रैल–दिसंबर 07
1	2	3	4
चंडीगढ़	210	192	150
एनसीटीडी दिल्ली	3587	2911	1935
हरियाणा	5625	6374	4592
हिमाचल प्रदेश	3357	8369	907
जम्मू व कश्मीर	2121	1178	740
पंजाब	2963	3670	3126
राजस्थान	9957	14806	5811
उत्तर प्रदेश	9331	11409	14061
उत्तराखंड	1849	2433	3486
उत्तर क्षेत्र योग	39000	51342	34808
अंडमान व निकोबार	111	0	6
अरुणाचल प्रदेश	77	125	53
असम	1330	1823	1378
बिहार	1088	855	321
झारखंड	2019	961	807
मणिपुर	28	16	6
मेघालय	130	206	220
मिजोरम	31	86	83
नागालैंड	35	820	649
उड़ीसा	2806	1158	1562
सिक्किम	230	113	748
त्रिपुरा	203	261	184
पश्चिम बंगाल	8617	5299	5490
पूर्व क्षेत्र योग	16705	11723	11507
छत्तीसगढ़	7111	1150	640
दादरा और नगर हवेली	57	336	43
दमन और दीव	23	184	77
गोवा	1227	1111	651
गुजरात	10108	10433	6308
मध्य प्रदेश	6208	6031	4452
महाराष्ट्र	22163	28524	14621
पश्चिम क्षेत्र योग	46897	47769	26792
आंध्र प्रदेश	12207	14303	13504
कर्नाटक	15125	13259	12460
केरल	7744	8612	13323
लक्षद्वीप	0	0	0
पुडुचेरी	918	582	544
तमिलनाडु	27841	32154	30388
दक्षिण क्षेत्र योग	63835	68910	70219
समग्र योग	166437	179744	143326

जीएमआर के साथ समझौता

2970. श्री रमेश दुबे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार जीएमआर नेतृत्व वाले समूह द्वारा विकसित किए जा रहे विमानपत्तनों के चालू होने के बाद देश में कुछ विद्यमान विमानपत्तनों को बंद करने पर सहमत हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और जीएमआर को विमानपत्तनों के विकास हेतु ठेके देने से पहले जीएमआर नेतृत्व वाले समूह के साथ केन्द्र सरकार द्वारा किन निबंधन व शर्तों पर सहमति दी गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने जीएमआर के साथ अनुबंध करने से पूर्व देश में विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं का उचित मूल्यांकन किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने हैदराबाद के निकट शमसाबाद में एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण एवं विकास के लिए, एचआईएएल, जो एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें जीएमआर के नेतृत्व वाले कंपनी समूह के पास अधिकांश शेयर हैं, के साथ एक रियायत करार किया है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण का निर्णय बढ़ते हुए यातायात तथा मौजूदा हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार में कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। रियायत करार में परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में जेवीसी के दायित्व को शामिल किया गया है और उनसे अपेक्षा की गई है कि करार में निर्धारित मानकों के अनुसार हवाई अड्डों का निर्माण, विकास तथा अनुरक्षण करें। अपनी ओर से भारत सरकार एक बार नए हवाई अड्डे प्रचालनरत हो जाने के बाद मौजूदा बेगमपेट हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक प्रचालनों को बंद करने के लिए बाध्य है। रियायत करार में प्रत्येक पक्ष द्वारा चूक के दुष्परिणाम विनिर्दिष्ट किए गए हैं। तथापि, मौजूदा बेगमपेट हवाई अड्डा सामान्य विमानन (कतिपय श्रेणियों को छोड़कर), रक्षा प्रयोजनों, राष्ट्रीय आपात स्थितियों इत्यादि के लिए प्रचालनरत रहेगा।

अनुसूचित जाति सूची में समुदायों को शामिल करना तथा सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोग

2971. श्री बंगारु सुरेन्द्रन :
श्री महावीर भगोरा :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ समुदायों को अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने तथा सूची से बाहर करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय परिसंघों से प्राप्त वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त व्यक्ति तथा सफाई कर्मचारियों के लिए सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत विभिन्न आयोगों का गठन किन तिथियों को किया गया था;

(ङ) इन आयोगों की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों की सूची और अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। संशोधन के प्रस्तावों पर संबद्ध अधिनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में निर्णय लिया जाता है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय निगमों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 19.2.2004 को, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग 1.9.2004 को और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2.4.1993 को गठित किए गए थे।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नागरिकों की किसी श्रेणी को अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किए जाने के अनुरोध की समय-समय पर जांच करता है और अपनी सिफारिशें देता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्टों में अपनी सिफारिशें देते हैं जिन्हें की गई कार्रवाई रिपोर्टों के साथ सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय निगमों से प्रदान की गई राज्य वार वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम			राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम			राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम		
		2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2423.40	4221.68	4239.88	225.00	200.00	586.50	16.66	1.30	0.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	असम	0.00	0.00	0.00	80.20	250.00	90.00	0.00	0.00	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00	170.00	30.00	47.50	0.00	0.00	0.00
4.	चंडीगढ़	36.35	23.35	21.11	24.70	10.00	3.00	5.59	3.41	3.27
5.	छत्तीसगढ़	210.40	569.46	235.60	108.19	150.00	90.00	4.18	64.68	131.42
6.	दिल्ली	156.33	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	64.27	4.50	2.18
7.	गोवा	2.17	1.54	14.59	28.45	41.87	30.00	0.95	0.95	2.40
8.	गुजरात	12.71	1254.49	779.85	350.00	250.00	513.23	0.95	1.50	0.00
9.	हरियाणा	140.03	62.51	502.30	175.00	300.00	662.50	207.41	241.52	275.00
10.	हिमाचल प्रदेश	62.71	94.95	544.87	249.99	185.93	137.24	48.78	130.62	112.35
11.	जम्मू व कश्मीर	196.11	208.40	285.60	40.60	2.00	50.01	3.35	2.45	6.90
12.	झारखंड	0.00	329.34	233.00	0.00	25.00	200.00	0.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	1101.00	2687.77	2483.96	1000.00	1005.00	1401.54	49.74	148.25	42.66
14.	केरल	333.63	398.60	220.15	1697.50	2334.00	3142.05	81.51	72.18	117.47
15.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	10.83	7.22
16.	मध्य प्रदेश	1156.25	1375.88	1763.86	148.75	100.00	100.00	63.05	127.17	239.12
17.	महाराष्ट्र	2572.34	1333.02	1467.15	1950.00	1700.00	2200.00	675.53	1117.06	1191.76
18.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	0.00	0.00
19.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	1.00	0.00
22.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	80.00	50.00	50.00	2.25	0.00	0.00
23.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.42	115.47
24.	पंजाब	68.08	164.56	160.61	200.00	230.00	300.00	2.00	0.00	4.00
25.	राजस्थान	816.44	622.70	274.72	293.40	400.00	529.53	298.44	228.10	163.03
26.	सिक्किम	78.56	88.67	108.85	257.90	352.05	276.90	0.00	0.00	0.00
27.	तमिलनाडु	0.00	0.00	575.07	800.00	1350.00	2125.75	50.38	65.66	83.61
28.	त्रिपुरा	173.15	188.67	194.90	99.03	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	उत्तर प्रदेश	4057.95	0.00	1693.20	618.00	158.00	94.50	0.00	12.40	43.95
30.	उत्तरांचल	158.12	64.85	1.85	62.75	104.46	25.00	59.02	17.14	10.87
31.	पश्चिम बंगाल	957.40	1135.40	1101.02	600.00	400.00	600.00	7.05	58.03	57.74
	कुल	13597.61	14795.84	16902.14	9342.46	9763.34	13382.27	1768.55	2344.17	2610.94

प्रोपराइटरशिप फर्म

2972. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने भारतीय रेल में बुक स्टालों के स्वामित्व के संबंध में एकल स्वामित्व वाली फर्मों को पार्टनरशिप फर्म अथवा प्राइवेट लिमिटेड फर्म को पब्लिक लिमिटेड फर्म में बदले जाने पर अपनी आपत्ति जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) क्योंकि व्यापक बुकस्टॉल नीति, 2004 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायाधीन है तथा बुकस्टॉल के संबंध में यथापूर्व स्थिति कायम रखी जा रही है, फिलहाल कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

रेलवे में रेल यात्री सेवा एजेंट

2973. श्री वी.के. दुग्गर :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल यात्री सेवा एजेंटों की नियुक्ति हेतु चयन समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त समिति के क्या-क्या कार्य हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त चयन समिति द्वारा नियुक्त रेल यात्री सेवा एजेंटों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेल यात्री सेवा एजेंटों के चयन के लिए अपनाए गए मानदंड का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल यात्री सेवा एजेंट को नियुक्त करने के लिए गठित समिति के सदस्यों का निर्णय संबंधित मंडल/रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक/मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक और उचित स्तर के 2 अथवा 3 अधिकारियों द्वारा किया गया था।

(ख) समिति आवेदनों की जांच करती है और आर टी एस ए के तौर पर नियुक्ति के लिए उचित आवेदकों की सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा करती है।

(ग) अगस्त, 2004 और अक्टूबर, 2004 में अनुदेश जारी किए गए कि कोई नया आर टी एस ए नियुक्त नहीं होना चाहिए और आर टी एस ए की मौजूदा प्रक्रिया को स्थगित रखना चाहिए।

(घ) आर टी एस ए को संशोधनों सहित रेल यात्रा सेवा एजेंट नियम, 1985 के प्राधिकार के प्रावधानों और रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार नियुक्त किया जाता है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर संचार प्रणाली

2974. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देश में रेडियो फ्रीक्वेंसी समस्याओं के बारे में विभिन्न विमानपत्तनों से प्राप्त शिकायतों की अनदेखी करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कतिपय अवसरों पर क्रास-कनेक्शन के कारण विमानचालक नियंत्रण कक्ष से दिए जा रहे अनुदेशों का पालन नहीं कर पाते अथवा दूसरे विमान के चालकों के निमित्त अनुदेशों का पालन करने लगते हैं;

(ग) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है तथा देश में ऐसे विमानपत्तनों की संख्या कितनी है जहां ऐसी समस्या लम्बे समय से विद्यमान है; और

(घ) विमानपत्तनों पर संचार प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क)

से (घ) एटीसी नियंत्रक तथा पायलट के बीच संचार एयर–ग्राउंड वीएचएफ पर किया जाता है, जो एक ओमनी–बस ट्रांसमिशन है, जिसमें नियंत्रक किसी कतिपय विमान को उसके कॉल साइन द्वारा संबोधित करके हवाई यातायात क्लियरेंस का प्रसारण करता है किन्तु इसे आस–पास के वे सभी पायलट सुन सकते हैं जो उस विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होते हैं। यह एक मानक परिपाटी है जिसका विश्व भर में अनुसरण किया जाता है। नियंत्रक तथा पायलटों के बीच विश्वसनीय एयर–ग्राउंड संचार उपलब्ध कराने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारत के अनेक हवाई अड्डों पर एक फेल सेफ मोड में अत्याधुनिक वीएचएफ ट्रांसमीटर, रिसीवर, एन्टेना सिस्टम तथा मल्टी कूपलर्स केविटी आदि फिल्टर्स लगाए हैं।

निःशक्त व्यक्तियों के लिए पृथक बजट

2975. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में निःशक्त व्यक्तियों के लिए दृष्टिकोण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी मांग की जाती रही है कि निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित मामलों को मंत्रालयों से परे निपटाया जाना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार डिसेबिलिटी एक्ट, 1995 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु निःशक्त व्यक्तियों के लिए पृथक बजट पेश करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुचुलक्मी जगदीशन) : (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना में निःशक्तजनों के अभिज्ञात मुख्य मुद्दे निम्नलिखित हैं:

1. संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुरूप बनाने के लिए निःशक्तता विधान की समीक्षा और संशोधन;
2. संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के बीच दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण और निःशक्तजनों के लाभार्थ वार्षिक परिव्यय के 3 प्रतिशत का प्रावधान करना;
3. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांगता प्रभाग को एक अलग विभाग में बदलना;
4. निधियों की उपयोगिता और शिकायत निवारण तंत्र की बेहतर मॉनीटरिंग को सुनिश्चित करने के लिए निःशक्तजनों के मुख्य आयुक्त का कार्यकाल और राज्य (निःशक्तजन) आयुक्त के कार्यालय को सुदृढ़ करना; और
5. राष्ट्रीय संस्थानों को सुदृढ़ करना।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) निःशक्तजनों से संबंधित योजनाओं के लिए पहले से ही अलग बजट उपलब्ध कराया जा रहा है।

विमानन अकादमियों को मान्यता

2976. श्री फ्रांसिस फैन्थम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विमानचालकों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु विमानन अकादमियों को मान्यता देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कार्यरत विमानन अकादमियों की राज्य–वार सूची क्या है;

(घ) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कतिपय अकादमी प्रशिक्षु विमानचालों द्वारा प्रशिक्षण घंटों का लॉगबुक रखने में उचित तरीके नहीं अपना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन अपेक्षाओं खंड 7, सीरिज 'डी' भाग 1 के अनुसार, भारत में उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए अपना अनुमोदन देता है।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा 31 उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों को अनुमोदित कर दिया गया है जिसमें से आंध्र प्रदेश, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में प्रत्येक में 3, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में प्रत्येक में 2, आसाम, बिहार, झारखंड, केरल, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल में प्रत्येक में 1 है।

(घ) और (ङ) मैसर्स कारवेर एविएशन अकादमी के मुख्य उड़ान अनुदेशक द्वारा हेरा–फेरी की रिपोर्टों की डीजीसीए द्वारा विधिवत जांच की गई थी। छानबीन से अकादमी के कार्यकलापों में अनियमितताओं का पता लगता है। जांच होने तक, डीजीसीए द्वारा अकादमी के लाईसेंस को समाप्त कर दिया गया था। कैप्टन आशीम तक्षाली को मुख्य उड़ान अनुदेशक के स्तर से हटा दिया गया था तथापि, संस्थान प्रबंधन ने स्वयं

इन हेरा–फेरियों का पता लगाया तथा स्थानीय पुलिस प्राधिकरण को इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई तथा संस्थान में नामित प्रशिक्षणार्थियों के कैरियर प्रोस्पेक्टस को ध्यान में रखते हुए, अकादमी से कड़ी निगरानी प्रणाली के आश्वासन के बाद लाइसेंस के निलंबन की पुनः बहाली कर दी गई थी। डीजीसीए को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि हेरा–फेरी से बचने के लिए निगरानी प्रणाली सुनिश्चित करें।

मानव दुर्व्यापार रैकेट

2977. श्री जे.एम. आरून रशीद : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो माह पूर्व अपराध शाखा द्वारा मानव दुर्व्यापार रैकेट के भंडाफोड़ के बाद विभिन्न विमान कंपनियों की कई विमान परिचारिकाएं/उड़ान अधिकारी मुम्बई पुलिस तथा डीजीसीए शक के दायरे में आ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो दोषसिद्ध/विचारण अधीन अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) दोषी विमान कंपनियों के नाम क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां। एक एयर होस्टेस तथा एक उड़ान परसर को डिटेक्टिव ब्रांच, अपराध जांच विभाग सी आर सं. 120/07 में गिरफ्तार किया गया था।

(ख) और (ग) जेट एयरवेज में नियुक्त एयर होस्टेस तथा इंटर ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट, नई दिल्ली में नियुक्त उड़ान पर्सर भारत से यू. एस.ए. जाने के इच्छुक व्यक्तियों को यू.एस. का वीजा प्राप्त कराने के लिए अवप्रेरित करने के लिए धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में शामिल थे।

[हिन्दी]

सामाजिक समारोहों के लिए अतिरिक्त रसोई गैस सिलेंडर

2978. श्री मोहन सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विवाह इत्यादि जैसे सामाजिक समारोहों के लिए अतिरिक्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में वर्तमान में रसोई गैस कनेक्शनों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या घरेलू खपत के लिए प्रत्येक परिवार को दो सिलेंडर उपलब्ध कराने की कोई प्रस्तावित योजना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार पांच वर्षों के भीतर देश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार को रसोई गैस कनेक्शन देने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विरप्पा मोइली) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) विवाह आदि जैसे सामाजिक समारोहों के लिए निर्धारित जमा का भुगतान करने पर वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर प्रदान करती हैं।

(ग) से (ङ) ओएमसीज ने सूचना दी है कि 1.2.2008 की स्थिति के अनुसार वे देश में 993 लाख एलपीजी ग्राहकों को गैस प्रदान कर रही थीं। ओएमसीज ने यह सूचना भी दी है कि 1.2.2008 की स्थिति के अनुसार, देश में 'दुहरे सिलेंडर वाले कनेक्शन (डीबीसी) की कुल संख्या 493.6 लाख है।

(च) और (छ) सरकार ने ओएमसीज़ को यह स्वतंत्रता दे रखी है कि वे अपने वाणिज्यिक अनुमानों के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित कर सकते हैं और उनके द्वारा स्थानों का निर्धारण एक स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटरशिप कायम रखने के लिए उपलब्ध रीफिल क्षमता के आधार पर किया जाता है। तथापि, सरकार ने ओएमसीज को सलाह दी है कि वे अर्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विपणन योजना तैयार करें। ओएमसीज ने देश में, मुख्य रूप से ग्रामीण तथा शहरी–ग्रामीण (अर्ध–शहरी) स्थानों में नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए १३४० स्थलों का अंतिम रूप दिया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना करना एक सतत प्रक्रिया है और इसमें उपयुक्त स्थान का पता लगाना, गोदाम की स्थापना के लिए भूमि की व्यवस्था करना तथा अन्य सांविधिक स्वीकृतियां लेना शामिल होता है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु मानदण्ड

2979. श्री वसुदेव आचार्य :
श्री एन.एन. कृष्णदास :
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रोफेशनल संस्थानों में अध्ययन कर रहे तथा गैर-मुक्त सीट पर प्रवेश प्राप्त तथा निजी संस्थानों में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति देने से मना करते हुए आधिकारिक आदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के सहयोगात्मक तंत्र से वंचित करना तथा सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं है;

(ग) क्या दलित वर्ग के विद्यार्थियों को हाशिए पर रखे जाने से संबंधित चिन्ताएं भी व्यक्त की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या निजी संस्थाओं को फीस तथा दाखिले जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामाजिक नियंत्रण के अधीन लाने के लिए उचित विधान बनाने की मांग भी की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) भारत सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान अर्थात् मार्च, 2012 तक अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है क्योंकि यह 10वीं योजना अवधि के दौरान परिचालित की गई.

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद विमानपत्तन का निजीकरण

2980. श्री सुनील खां : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद-विमानपत्तन का निजीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकारी तथा निजी भागीदारी का अनुपात क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी राशि 'कोट' की गई है; और

(घ) इस इकाई को बेचने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

टीपू सुल्तान का महल

2981. श्रीमती मनोरमा माधवराज :
श्री एम. शिवन्ना :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलौर में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक टीपू सुल्तान के किला महल की शुचिता तथा महत्व के प्रति चिन्ता के अभाव में इसका इस्तेमाल एक सुविधाजनक खुले मंत्रालय के रूप में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का टीपू सुल्तान के किला महल के वैभव को पुनर्जीवित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ङ) टीपू सुल्तान का महल तथा टीपू किले दोनों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में घोषित किया गया है। यद्यपि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन स्मारकों पर अच्छी तरह से भूदृश्यों का विकास तथा नियमित रखरखाव किया जाता है, किन्तु ये अस्पताल तथा दुकानों से घिरे हुए भीड़ वाले, पुराने बाजार क्षेत्र में स्थित है।

अनारक्षित रेल डिब्बे और रेलगाड़ियां शुरू करना

2982. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंबी दूरी की यात्री गाड़ियों में अनारक्षित डिब्बों को जोड़ने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं और क्या इनका अनुपालन किया जा रहा है; और

(ख) उज्जैन-रतलाम-उदयपुर, उज्जैन-नागदा-मथुरा, उज्जैन-नीमच-उज्जैन, उज्जैन-नागदा-कोटा-अमृतसर, कोटा-श्यामगढ़-नागदा-रतलाम जो पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे के प्रमुख शहर हैं, के बीच सीधी गाड़ियां शुरू करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) गाड़ियों की संरचना गाड़ी की प्रकृति, सवारी डिब्बों की उपलब्धता, परिचालनिक व्यवहार्यता तथा यातायात पैटर्न पर निर्भर करती है, राजधानी, शताब्दी, जनशताब्दी तथा गरीब रथ जैसी पूरी आरक्षित गाड़ियों को छोड़कर, नए रेंकों वाली नई गाड़ियों में 6 अनारक्षित सवारी डिब्बे लगाए गए हैं। इसके अलावा, जहां-कहीं व्यवहारिक तथा औचित्यपूर्ण हो, मौजूदा गाड़ियों में अनारक्षित सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने के भी प्रयास किए गए हैं। 2007-08 के दौरान, मौजूदा गाड़ियों में दूसरी दर्जे के 329 अतिरिक्त अनारक्षित सवारी डिब्बे लगाए गए थे।

(ख) रतलाम के रास्ते इंदौर–उदयपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन), सूरत–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) चलाने तथा रतलाम, कोटा, बयाना के रास्ते 2947/2948 अहमदाबाद–पटना अजीमाबाद एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाकर सप्ताह में एक दिन की बजाय सप्ताह में दो दिन चलाने संबंधी घोषणा 2008–09 के रेल बजट में की गई है। बहरहाल, उज्जैन–नागदा–मथुरा तथा उज्जैन–नागदा–कोटा–अमृतसर के बीच गाड़ियां चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

भेल द्वारा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

2983. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भेल द्वारा मध्य प्रदेश सहित किन–किन राज्यों में विद्युत परियोजना (बिजली घर) पर कार्य चल रहा है और यह निर्माण कार्य किस तारीख से चल रहा है;

(ख) उक्त परियोजनाओं के निर्माण का ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजनाओं की वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजनाएं कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) वर्तमान में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) विभिन्न यूटिलिटी कंपनियों के 75 (पचहत्तर) थर्मल और हाईडल यूटिलिटी विद्युत परियोजनाओं में लगा है। ये परियोजनाएं आन्ध्र प्रदेश (10); असम (2); अरुणाचल प्रदेश (1); बिहार (3); छत्तीसगढ़ (4); गुजरात (5); हिमाचल प्रदेश (6); झारखण्ड (2); जम्मू और कश्मीर (2); कर्नाटक (2); केरल (1); मध्य प्रदेश (3); महाराष्ट्र (8); मिजोरम (1); पंजाब (2); राजस्थान (6); तमिलनाडु (3); उत्तर प्रदेश (4); उत्तराखंड (उत्तरांचल) (2); और पश्चिम बंगाल (8) में स्थित है।

इन 75 परियोजनाओं की निगरानी आदेश के विशिष्ट नियमों और शर्तों के अनुरूप की जाती है जिसके लिए संबंधित यूटिलिटी एजेंसी द्वारा आदेश दिया गया हैं बीएचईएल, जो विद्युत उपस्कर का आपूर्तिकर्ता है, के अलावा यूटिलिटी एजेंसी में कई अन्य ठेकेदार लगे हैं जिसमें प्रोजेक्ट डेवलपर, कोल हैंडलिंग, ऐश हैंडलिंग आदि जैसे शेष संयंत्र एक्जिक्यूटर्स शामिल हैं। कार्यान्वयन अनुसूची और समाप्ति की तिथि यूटिलिटी कंपनी द्वारा ऐसे ठेकेदारों को दिए गए विभिन्न आदेशों के आधार पर निर्धारित की जाती है जो वास्तविक और वित्तीय दोनों की प्रगति की निगरानी करता है।

[अनुवाद]

उर्वरक बांड जारी करना

2984. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक बांड जारी करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है और ऐसे बांडों से इसकी किस सीमा तक प्रतिपूर्ति होगी;

(घ) ऐसे बांडों की निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे बांड़ों से अब तक एकत्र की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ङ) सरकार ने वर्ष 2007–08 में उर्वरक राजसहायता के भुगतान के लिए 7500 करोड़ रुपए के उर्वरक बांड जारी किए हैं। वर्ष 2007–08 में अब तक आबंटित की गई कुल राजसहायता 7500 करोड़ रुपए मूल्य के उर्वरक बांड सहित 36501.01 करोड़ रुपए है। उपर्युक्त उर्वरक बांड 3890 करोड़ रुपए और 3610 करोड़ रुपए की दो खेप में क्रमशः 7 दिसम्बर, 2007 और 18 फरवरी, 2008 को जारी किए गए हैं। बांड की निबंधन और शर्तें संलग्न विवरण–I और II में दी गई हैं।

सरकार उर्वरक राजसहायता के भुगतान के एवज में कंपनियों को उर्वरक बांड जारी कर रही है और आवश्यक होने पर उर्वरक उद्योग बांड की बिक्री करके बाजार से निधियां जुटाने के लिए स्वतंत्र है।

विवरण-I

भारत सरकार द्वारा जारी 7 दिसम्बर, 2007 को कुल 3,890 करोड़ रुपए (नामिनल) की राशि के लिए "8.30% उर्वरक कंपनियों" के भारत सरकार विशेष बांड, 2023 हेतु निबंधन और शर्तें

विशेष बांडों में अभिदान की पात्रता और अभिदान की सीमा

यहां अनुबंध–I में यथा उल्लिखित कंपनियां ही विशेष बांड़ों में अभिदान की पात्र होंगी और विशेष बांडों में उनका अभिदान उक्त

अनुबंध–I में उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि की सीमा तक सीमित होगा। उक्त अनुबंध में यथा उल्लिखित कम्पनियों को छोड़कर कोई बैंक, कंपनी, निगम अथवा अन्य कोई निकाय सहित कोई अन्य व्यक्ति विशेष बांड़ों में अभिदान के लिए पात्र नहीं होगा।

2. मूल्य

विशेष बांड पात्र कंपनियों द्वारा किए गए आवेदन के अनुसार राशि के लिए सममूल्य पर किए गए आवेदन पर जारी किए जाएंगे। विशेष बांड न्यूनतम 10,000 रुपए (नामिनल) की राशि और उसके बाद 10,000 रुपए के गुणजों में जारी किए जाएंगे।

3. आवेदन पत्र

विशेष बांड पात्र कंपनियों से अनुबंध–II में दिए गए प्रपत्र के अनुसार आवेदन पर जारी किए जाएंगे।

4. प्रतिभूति का स्वरूप

विशेष बांड स्टॉक के रूप में अर्थात "स्टॉक प्रमाण पत्रों" सहायक सामान्य खाता बही धारक के साथ धारित ग्राहक सहायक सामान्य खाता लेखा में क्रेडिट द्वारा जारी किए जाएंगे।

5. कार्यकाल का प्रारम्भ और वापसी अदायगी की तारीख

विशेष बांड़ों का कार्यकाल 7 दिसम्बर, 2007 से शुरू होगा। विशेष बांड़ों पर ब्याज उनकी अवधि प्रारम्भ होने की तारीख से उपचित होगा। विशेष बांड़ों की वापसी अदायगी सममूल्य पर 7 दिसम्बर, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के लोक ऋण कार्यालय में की जाएगी।

6. ब्याज

विशेष बांड़ों पर 8.30 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज का हिसाब विशेष बांड़ों की अवधि प्रारंभ होने की तारीख से लगाया जाएगा और यह भुगतान विशेष बांड़ों की परिपक्वता तक अर्द्धवार्षिक आधार पर 7 जून और 7 दिसम्बर को देय होगा।

विशेष बांडों पर ब्याज का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के फोर्ट, मुम्बई के लोक ऋण कार्यालय में किया जाएगा। ब्याज का भुगतान ब्याज की राशि को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित करने के बाद किया जाएगा।

7. हस्तांतरणीयता

(i) इस अधिसूचना के पैरा 4 के प्रावधानों के अधीन भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के अंतर्गत विशेष बांड का नवीकरण, उप–विभाजन, समेकन, रूपान्तरण अथवा अंतरण किया जा सकता है।

(ii) इस अधिसूचना में ऊपर पैरा 1 में दिए गए कथन के बावजूद, अभिदानकर्ताओं द्वारा विशेष बांडों को बैंकों, निगम अथवा किसी अन्य निकाय सहित किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अंतरण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और ऐसी प्रतिभूति का अन्तरिती भी उन्हें उसी तरीके से धारण तथा अंतरण करने का पात्र होगा।

8. सांविधिक प्रावधान

ऐसे किसी भी मामले के संबंध में जिसकी व्यवस्था इस अधिसूचना के तहत नहीं की गई है, विशेष बांड भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के अंतर्गत नियंत्रित किए जाएंगे।

9. कर कानून की प्रयोज्यता

विशेष बांड़ों में निवेश का मूल्य और उसके देय ब्याज समय–समय पर लागू कर कानूनों के उपबंधों द्वारा शासित किए जाएंगे।

10. बांड़ों की पात्रता

बैंकों द्वारा विशेष बांडों में निवेश को बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा उनकी सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों में पात्र निवेश नहीं माना जाएगा। लेकिन बीमा कंपनियों द्वारा ऐसे निवेश को बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के तहत यथा परिभाषित "अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां" की श्रेणी के तहत निवेश माना जाएगा। इसके अलावा, भविष्य निधियों, उपादान निधियों, अधिवार्षिता निधियों आदि द्वारा विशेष बांड़ों में निवेश को वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक आदेश के अधीन पात्र निवेश के रूप में माना जाएगा।

11. रिपो के लिए पात्रता

विशेष बाण्ड हस्तान्तरणीय होंगे और बाजार के तत्काल वायदा लेन–देन (रिपो) के लिए पात्र होंगे। लेकिन, इन बाण्डों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ तत्काल वायदा लेन–देन (रिपो/रिवर्स रिपो) के लिए पात्र आधारिक प्रतिभूति नहीं माना जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

(एल.एम. जास)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

विवरण-II

भारत सरकार द्वारा जारी 18 फरवरी, 2008 को कुल 3,610 करोड़ रुपए (नामिनल) की राशि के लिए "7.95% उर्वरक कंपनियों" के भारत सरकार विशेष बांड, 2026 हेतु निबंधन और शर्तें

1. **विशेष बांडों में अभिदान की पात्रता और अभिदान की सीमा**

यहां अनुबंध–I में यथा उल्लिखित कंपनियां ही विशेष बांड़ों में अभिदान की पात्र होंगी और विशेष बांडों में उनका अभिदान उक्त अनुबंध–I में उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि की सीमा तक सीमित होगा। उक्त अनुबंध में यथा उल्लिखित कम्पनियों को छोड़कर कोई बैंक, कंपनी, निगम अथवा अन्य कोई निकाय सहित कोई अन्य व्यक्ति विशेष बांड़ों में अभिदान के लिए पात्र नहीं होगा।

2. **मूल्य**

विशेष बांड पात्र कंपनियों द्वारा किए गए आवेदन के अनुसार राशि के लिए समतुल्य पर जारी किए जाएंगे। विशेष बांड न्यूनतम 10,000 रुपए (नामिनल) की राशि और उसके बाद 10,000 रुपए के गुणजों में जारी किए जाएंगे।

3. **आवेदन पत्र**

विशेष बांड पात्र कंपनियों से अनुबंध–II में दिए गए प्रपत्र के अनुसार आवेदन पर जारी किए जाएंगे।

4. **प्रतिभूति का स्वरूप**

विशेष बांड स्टॉक के रूप में अर्थात "स्टॉक प्रमाण पत्रों" सहायक सामान्य खाता बही धारक के साथ धारित ग्राहक सहायक सामान्य खाता लेखा में क्रेडिट द्वारा जारी किए जाएंगे।

5. **कार्यकाल का प्रारम्भ और वापसी अदायगी की तारीख**

विशेष बांड़ों का कार्यकाल 18 फरवरी, 2008 में शुरू होगा। विशेष बांड़ों पर ब्याज उनकी अवधि प्रारम्भ होने की तारीख से उपचित होगा। विशेष बांड़ों की वापसी अदायगी सममूल्य पर 18 फरवरी, 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के लोक ऋण कार्यालय में की जाएगी।

6. **ब्याज**

विशेष बांड़ों पर 7.95 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज का हिसाब विशेष बांड़ों की अवधि प्रारंभ होने की तारीख से लगाया जाएगा और यह भुगतान विशेष बांड़ों की परिपक्वता तक अर्द्धवार्षिक आधार पर 18 अगस्त और 18 फरवरी को देय होगा।

विशेष बांडों पर ब्याज का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के फोर्ट, मुम्बई के लोक ऋण कार्यालय में किया जाएगा। ब्याज का भुगतान ब्याज की राशि को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित करने के बाद किया जाएगा।

7. **हस्तांतरणीयता**

(i) इस अधिसूचना के पैरा 4 के प्रावधानों के अधीन भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के अंतर्गत विशेष बांड का नवीकरण, उप–विभाजन, समेकन, रूपान्तरण अथवा अंतरण किया जा सकता है।

(ii) इस अधिसूचना में ऊपर पैरा 1 में दिए गए कथन के बावजूद, अभिदानकर्ताओं द्वारा विशेष बांडों को बैंकों, निगम अथवा किसी अन्य निकाय सहित किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अंतरण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और ऐसी प्रतिभूति का अन्तरिती भी उन्हें उसी तरीके से धारण तथा अंतरण करने का पात्र होगा।

8. **सांविधिक प्रावधान**

ऐसे किसी भी मामले के संबंध में जिसकी व्यवस्था इस अधिसूचना के तहत नहीं की गई है, विशेष बांड भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के अंतर्गत नियंत्रित किए जाएंगे।

9. **कर कानून की प्रयोज्यता**

विशेष बांड़ों में निवेश का मूल्य और उसके देय ब्याज समय–समय पर लागू कर कानूनों के उपबंधों द्वारा शासित किए जाएंगे।

10. **बांड़ों की पात्रता**

बैंकों द्वारा विशेष बांडों में निवेश को बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा उनकी सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों में पात्र निवेश नहीं माना जाएगा। लेकिन बीमा कंपनियों द्वारा ऐसे निवेश को बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के तहत यथा परिभाषित "अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां" की श्रेणी के तहत निवेश माना जाएगा। इसके अलावा, भविष्य निधियों, उपादान निधियों, अधिवार्षिता निधियों आदि द्वारा विशेष बांड़ों में निवेश को वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक आदेश के अधीन पात्र निवेश के रूप में माना जाएगा।

11. रिपो के लिए पात्रता

विशेष बाण्ड हस्तान्तरणीय होंगे और बाजार के तत्काल वायदा लेन–देन (रिपो) के लिए पात्र होंगे। लेकिन, इन बाण्डों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ तत्काल वायदा लेन–देन (रिपो/रिवर्स रिपो) के लिए पात्र आधारिक प्रतिभूति नहीं माना जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

(एल.एम. वास)
सचिव, भारत सरकार

लाभांश और निवेश

2985. श्री अनिल बसु :
श्री ए.वी. वेल्लापल्लिन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में और चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक तेल उपक्रम द्वारा सरकार को लाभांश करों और शुल्क के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक तेल उपक्रम द्वारा निवेशों में कितनी राशि का निवेश किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) विगत तीन वर्षों और चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान, तेल पीएसयूज द्वारा सरकार को अदा किए गए लाभांश, कर और शुल्कों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल कंपनियों द्वारा विदेशों में किया गया पूंजी निवेश निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये)

तेल पीएसयूज के नाम	विदेशों में किए गए निवेश की राशि
ओएनजीसी	30855.00
ओआईएल	327.52
आईओसीएल	524.50
बीपीसीएल	0.10
एचपीसीएल	7.94
गेल	155.67

विवरण

(करोड़ रुपये में)

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख तेल उपक्रमों का नाम	सरकार को अदा किया गया लाभांश (लाभांश कर के अतिरिक्त)			
	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08 (वर्तमान राजकोषीय वर्ष)
ओएनजीसी	4228.75	4757.34	4915.86	3849.97
एचपीसीएल	363.49	173.09	155.77	207.71
बीपीसीएल	327.69	151.26	171.46	201.71
गेल	388	582	485	291
ओआईएल	336.00	556.50	546.00	262.50
आईओसीएल	1967	959	1775	1247

(करोड़ रुपये में)

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख तेल उपक्रमों का नाम	सरकार को अदा किये गये कर			
	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08 (वर्तमान राजकोषीय वर्ष)
1	2	3	4	5
ओएनजीसी	10047.1	9605.94	13051.11	9837.85
एचपीसीएल	9131.15	8931.15	9522.33	7945.23
बीपीसीएल	9448.17	10298.62	12495.68	11805.60

1	2	3	4	5
गेल	1731	1970	1715	1289
ओआईएल	772.27	1263.69	1077.75	888.85
आईओसीएल	17749	22431	29129	23449

(करोड़ रुपये में)

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख तेल उपक्रमों का नाम	सरकार को अदा किये गये शुल्क			
	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08 (वर्तमान राजकोषीय वर्ष)
ओएनजीसी	9364.48	9522.25	12287.67	9533.64
एचपीसीएल	7586.78	7275.86	9924.72	7479.90
बीपीसीएल	5443.36	9942.02	11689.08	11190.97
गेल	549	415	583	555.40
ओआईएल	1232.75	1507.73	1830.21	1402.00
आईओसीएल	19095	21231	25260	19453

बागलकोट में रसोई गैस वितरण केन्द्र

2986. श्री पी.सी. गद्दीगउडर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बागलकोट जिले में रसोई गैस के कुछ और वितरण केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने रिपोर्ट दी है कि वर्तमान में बागलकोट जिले की एलपीजी आवश्यकता को 14 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों द्वारा पूरा किया जा रहा है। इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने, बागलकोट जिले में रक्षा श्रेणी के तहत एक नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए दिनांक 2.11.07 को विज्ञापन दिया है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा

2987. श्री अजीत जोगी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना तैयार करने संबंधी कोई परियोजना/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, उनके साथ परामर्श और बातचीत से अभिनिर्धारित, पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए 'गंतव्यों और परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास' की योजना के अंतर्गत, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त, सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों का, पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदन किया जाता है और संबंधित शीर्ष के अंतर्गत उपलब्धता की शर्त पर निधियां जारी की जाती हैं।

चालू वित्तीय वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान, पर्यटन के संवर्धन और विकास के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार को प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का वर्ष–वार ब्यौरा निम्नलिखित है :–

(लाख रुपए में)

वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत धनराशि
2004–05	5	1117.94
2005–06	7	1775.59
2006–07	16	3540.17
2007–08	3	1232.04

आसनसोल से बोकारो तक
ई एम यू ट्रेन

2988. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को आसनसोल से बोकारो शहर तक ई एम यू ट्रेन चलाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दोनों शहरों के बीच ई एम यू ट्रेन कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। आसनसोल से बोकारो स्टील सिटी तक ई एम यू गाड़ी चलाने के लिए माननीय संसद सदस्य से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) आसनसोल–बोकारो स्टील सिटी खंड ई एम यू गाड़ी चलाने लायक नहीं है। बहरहाल, 30.07.2006 से 5 बी ए/6 बी ए आसनसोल बाकारो स्टील सिटी मेमू गाड़ी चलाई गई है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में संरक्षित स्मारक

2989. श्री एनेम बर्मन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय महत्व के घोषित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास उनके दैनिक रख–रखाव की कोई ठोस योजना है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन स्थलों के संरक्षण हेतु उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय संस्कृति कोष से पश्चिम बंगाल के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है तथा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में इन स्मारकों/स्थलों पर वास्तव में खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय महत्व के 133 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक हैं। इनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। स्मारकों का संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। स्मारकों के नेमी रखरखाव के अलावा, चुनिंदा स्मारकों के संरचनात्मक संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण तथा पर्यावरण संबंधी विकास के लिए वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं जिनको आवश्यकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार वरीयता प्रदान की जाती है।

(घ) राष्ट्रीय संस्कृति निधि के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कोई परियोजना नहीं है। पश्चिम बंगाल में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्मारकों के संरक्षण पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	वर्ष	व्यय (लाखों में)
1.	2004–05	566.89
2.	2005–06	449.46
3.	2006–07	368.84

विवरण

पश्चिम बंगाल के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	प्राचीन मंदिर	बिहुलारा	बांकुरा
2.	दलमादल तोप तथा वह मंच जिस पर यह है	बिष्णुपुर	बांकुरा
3.	पुराने किले का दरवाजा	बिष्णुपुर	बांकुरा
4.	जोर मंदिर	बिष्णुपुर	बांकुरा
5.	जोर बंगला मंदिर	बिष्णुपुर	बांकुरा
6.	कलाचंद मंदिर	बिष्णुपुर	बांकुरा

1	2	3	4
7.	लालजी मंदिर	बिष्णुपुर	बांकुरा
8.	मदंन गोपाल मंदिर	बिष्णुपुर	बांकुरा
9.	मदन मोहन मंदिर	बिष्णुपुर	बांकुरा
10.	मल्लेश्वर मंदिर	बिष्णुपुर	बांकुरा
11.	मुरली मोहन मंदिर	बिष्णुपुर	बांकुरा
12.	नंद लाल मंदिर	बिष्णुपुर	बांकुरा
13.	पाटपुर मंदिर	बिष्णुपुर	बांकुरा
14.	राधा विनोद मंदिर	बिष्णुपुर	बांकुरा
15.	राधा गोविंद मंदिर	बिष्णुपुर	बांकुरा
16.	राधा माधव मंदिर	बिष्णुपुर	बांकुरा
17.	राधा श्याम मंदिर	बिष्णुपुर	बांकुरा
18.	रासमंच	बिष्णुपुर	बांकुरा
19.	श्याम राय मंदिर	बिष्णुपुर	बांकुरा
20.	किले का छोटा प्रवेश द्वार	बिष्णुपुर	बांकुरा
21.	पत्थर का रथ	बिष्णुपुर	बांकुरा
22.	सैलेश्वर मंदिर	दीहर	बांकुरा
23.	सरेश्वर मंदिर	दीहर	बांकुरा
24.	राधा दामोदर जीव का मंदिर	घुटगेरिया	बांकुरा
25.	गोकुल चंद मंदिर	गोकलनगर	बांकुरा
26.	रत्नेश्वर मंदिर	जगन्नाथपुर	बांकुरा
27.	श्याम सुंदर मंदिर	मदनपुर	बांकुरा
28.	मंदिर स्थल जहां सिर्फ एक टीला और सूर्य की एक प्रतिमा है।	पारसनाथ	बांकुरा
29.	पुराने जैन मंदिर का मंदिर स्थल जहां अब सिर्फ एक जैन प्रतिमा के साथ एक टीला है।	पारसनाथ	बांकुरा
30.	एक पेड़ के नीचे महिषासुर का वध करती दुर्गा की प्रतिमा	सारेनगढ़	बांकुरा
31.	मंदिर स्थल जहां अब सिर्फ एक टीला है	सारेनगढ़	बांकुरा
32.	मंदिर स्थल जहां अब सिर्फ एक टीला है जिस पर गणेश और नंदी की एक प्रतिमा है।	सारेनगढ़	बांकुरा

1	2	3	4
33.	मंदिर स्थल जहां अब सिर्फ एक टीला है जिस पर नंदी की एक प्रतिमा है।	सारेनगढ़	बांकुरा
34.	चन्द्र वर्मन के शिलालेख	सुसुनिया	बांकुरा
35.	सामान्यतः जयदेव के नाम से जाना जाने वाला राधा विनोद मंदिर	जयदेव–केंडुली	बीरभूम
36.	धर्मराज मंदिर	कुबिलाशपुर	बीरभूम
37.	दो टीले	भडेश्वर	बीरभूम
38.	बासुली मंदिर एवं टीला साथ में उनके पास स्थित 14 अन्य मंदिर जहां शिवालिंग की प्रतिमाएं हैं।	नानूर	बीरभूम
39.	रासमंच मंदिर (दामोदर मंदिर)	सूरी	बीरभूम
40.	दो प्राचीन मंदिर (एक साथ जुड़े)	वैद्यपुर	बर्दवान
41.	रूद्रेश्वर मंदिर	बामुनारा	बर्दवान
42.	चार प्राचीन मंदिरों का समूह	बेगुनिया	बर्दवान
43.	बहराम सक्का, शेर अफगान तथा नवाब कुतुबुद्दीन का मकबरा	बर्दवान	बर्दवान
44.	प्रस्तर मंदिर	गुरूई	बर्दवान
45.	ईचई घोष का मंदिर	गौरंगपुर	बर्दवान
46.	प्राचीन स्थल	नधिया	बर्दवान
47.	सत देउल के नाम से मशहूर ईंट का जैन मंदिर	देउलिया	बर्दवान
48.	मंदिर समूह (12 मंदिर)	कलना	बर्दवान
	1. विजय वैद्यनाथ मंदिर		
	2. गिरी गोवर्धन मंदिर		
	3. गोपालजी मंदिर		
	4. जलेश्वर मंदिर		
	5. कृष्ण चंद्र जी मंदिर		
	6. लालजी मंदिर		
	7. नव–कैलाश मंदिर		
	8. पंचरत्न मंदिर		
	9. राजबाड़ी परिसर में प्रतापेश्वर शिव मंदिर		
	10. रामेश्वर मंदिर		

1	2	3	4
	11. रत्नेश्वर मंदिर		
	12. रूपेश्वर मंदिर		
49.	पांडुक राजा धिपी का प्राचीन स्थल एवं अवशेष	पांडुक	बर्दवान
50.	प्राचीन टीला	भरतपुर	बर्दवान
51.	मेटकाफ हॉल	कलकत्ता	कलकत्ता
52.	कूचबिहार महल	कूचबिहार	कूचबिहार
53.	राजपथ स्थल	खालसा गसनीमारी	कूचबिहार
54.	अलेक्जेंडर–सी सोमा डी कोरस का मकबरा	दार्जिलिंग	दार्जिलिंग
55.	जनरल लॉयड का मकबरा	दार्जिलिंग	दार्जिलिंग
56.	टीले	बाणगढ़ (गंगारामपुर)	दिनाजपुर (दक्षिण)
57.	शाह अटा की दरगाह	गंगारामपुर	दिनाजपुर (दक्षिण)
58.	हनेश्वरी तथा वासुदेव मंदिर	बांसबेरिया	हुगली
59.	डच कब्रिस्तान साथ में यहां स्थित सभी मकबरे एवं स्मारक	चिनसुराह	हुगली
60.	सूसान अन्ना मारिया का डच स्मारक	चिनसुराह	हुगली
61.	वृंदावन चंद्र मठ के नाम से मशहूर मंदिर समूह	गुप्तीपारा	हुगली
62.	टीले	महानद	हुगली
63.	मीनार	पांडुआ	हुगली
64.	मस्जिद	पांडुआ	हुगली
65.	मस्जिद एवं मकबरा	सतगांव	हुगली
66.	i) डेनिश कब्रिस्तान	सेरामपुर	हुगली
	ii) उक्त दीवारों के घेरे में आने वाले सभी प्राचीन स्थल, सभी मकबरे, प्रस्तर स्मारक अवशेष तथा शिलालेख		
67.	जफर खान गाजी की दरगाह के नाम से विख्यात वेदी एवं मस्जिद	त्रिवेणी	हुगली
68.	श्री मेयर घाट	हावड़ा	हावड़ा
69.	अदीना मस्जिद	पांडुआ (अदीना)	मालदा
70.	बैसगाजी दीवार	गौड़	मालदा
71.	बारादुआरी मस्जिद या बड़ी सुनहरी मस्जिद	गौड़	मालदा

1	2	3	4
72.	चांद सदागार का भीटा	गौड़	मालदा
73.	चमकट्टी मस्जिद	गौड़	मालदा
74.	चीका मस्जिद	गौड़	मालदा
75.	दाखिल मस्जिद	गौड़	मालदा
76.	फिरोज मीनार	गौड़	मालदा
77.	गुमटी गेटवे	गौड़	मालदा
78.	गुणामंत मस्जिद	गौड़	मालदा
79.	कोतवाली दरवाजा	गौड़	मालदा
80.	लोटन मस्जिद	गौड़	मालदा
81.	लुकोचोरी गेटवे	गौड़	मालदा
82.	कादम रसूल मस्जिद	गौड़	मालदा
83.	फतेह खान का मकबरा	गौड़	मालदा
84.	टंटीपाड़ा मस्जिद	गौड़	मालदा
85.	टंटीपाड़ा मस्जिद के सामने दो मकबरे	गौड़	मालदा
86.	दो प्रस्तर स्तंभ	गौड़	मालदा
87.	मीनार	नीमा सराय	मालदा
88.	इकलाखी समाधि	पांडुआ	मालदा
89.	कुतुब शाही मस्जिद	पांडुआ	मालदा
90.	कुरूम्बेरा किला	गगनेश्वर	मिदनापुर
91.	जॉन पियर्स मकबरा	मिदनापुर	मिदनापुर
92.	मुर्शीद कुली खान की पुत्री अंजीमुन्नीशा बेगम का मकबरा	अजीम नगर	मुर्शिदाबाद
93.	रेजीडेंसी कब्रिस्तान जिसे दफन भूमि स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है	बाबुलबोना बहरामपुर	मुर्शिदाबाद
94.	भवानीश्वर मंदिर	बारानगर	मुर्शिदाबाद
95.	चार शिव मंदिरों का चार बंगला ग्रुप	बारानगर	मुर्शिदाबाद
96.	मीरमर्दन का मकबरा	फरीदपुर	मुर्शिदाबाद
97.	डच कब्रिस्तान	कलिकापुर	मुर्शिदाबाद
98.	प्राचीन अंग्रेज कब्रिस्तान या पुराना रेजीडेंसी कब्रिस्तान	कासिम बाजार	मुर्शिदाबाद

1	2	3	4
99.	मस्जिद	खेरौल	मुर्शिदाबाद
100.	अली वर्दी खान का मकबरा एवं सिराजुद्दौला का मकबरा	खोस बाग	मुर्शिदाबाद
101.	बरकोना देउल नामक टीला	पंचपुथी	मुर्शिदाबाद
102.	भूत टीला तथा राजा कर्ण महल के नाम से विख्यात टीले	रंगामटी	मुर्शिदाबाद
103.	सुजाउद्दीन का मकबरा	रोशनी बाग	मुर्शिदाबाद
104.	मुर्शीद कुली खान का मकबरा एवं मस्जिद	सब्जी कटरा	मुर्शिदाबाद
105.	जहां कोसा तोप	तोप खाना	मुर्शिदाबाद
106.	हजारदुआरी महल एवं इमामबाड़ा (मुर्शिदाबाद)	किला निजामत	मुर्शिदाबाद
107.	बहानपुकुर टीला या किला के नाम से जाना जाने वाला टीला	बामनपुकुर	नादिया
108.	किले का खंडहर	बामनपुकुर	नादिया
109.	मंदिर	पालपारा	नादिया
110.	बांदा स्थित पुराना मंदिर	बांदा	पुरुलिया
111.	चंद्रकेतु का किला	बेरचम्पा	24 परगना (उत्तर)
112.	बराह मंदिर धीपी तथा खाना मिहिरेर धीबी के नाम से जाना जाने वाला प्राचीन टीला	देउलिया और कोकीपाड़ा	24 परगना (उत्तर)
113.	जट्टर देउल	जाटा	24 परगना (दक्षिण)
114.	कन्हैयाजी मंदिर के नाम से विख्यात टीला तथा इसके साथ लगा टीला	बन्दर झुला	पुर्णियां
115.	करेंसी बिल्डिंग	डलहौजी स्क्वेयर	कोलकाता
116.	एशियाटिक सोसायटी बिल्डिंग	पार्क स्ट्रीट	कोलकाता
117.	माघेन डेविड सायनागॉग	वार्ड नं. 45	कोलकाता
118.	बेथ–उल–सायनागॉग	पोलाक स्ट्रीट	कोलकाता
119.	डुप्लेक्स महल (चंदन नगर का संस्थान)	चंदन नगर	हुगली
120.	दक्षिण गेट, केला निजामत	लाल बाग	मुर्शिदाबाद
121.	इमामबाड़ा, केला निजामत	लाल बाग	मुर्शिदाबाद
122.	सफेद मस्जिद, केला निजामत	लाल बाग	मुर्शिदाबाद
123.	पीली मस्जिद, केला निजामत	लाल बाग	मुर्शिदाबाद
124.	त्रिपोलिया गेट, केला निजामत	लाल बाग	मुर्शिदाबाद

1	2	3	4
125.	धर्मराज मंदिर, पश्चिम बंगाल	पाथरा	मिदनापुर
126.	बंद्योपाध्याय परिवार का मंदिर, पश्चिम बंगाल	पाथरा	मिदनापुर
127.	सीतला मंदिर, पश्चिम बंगाल	पाथरा	मिदनापुर
128.	नवरतन मंदिर परिसर, पश्चिम बंगाल	पाथरा	मिदनापुर
129.	तालमुक राजवटी, पश्चिम बंगाल	पदमवासन, तालमुक	पूर्व मिदनापुर
130.	बड़ा कोठी के नाम से प्रख्यात क्लाइव का घर, डमडम	डमडम पो.आ. नगर बाजार	जिला 24 उत्तर परगना
131.	26 शिव मंदिर	बर्राकपुर खरडाह	जिला 24 उत्तर परगना
132.	नील गुड्डी टीला	मौजा चाक चांदपाड़	जिला मुर्शिदाबाद
133.	वारेन हेस्टिंग गृह	बारासत	जिला 24 उत्तर परगना

प्राकृतिक गैस की बिक्री हेतु बोली

2990. श्री हरिन पाठक :
डा. वल्लभभाई कथीरिया :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन्ना, मुक्ता और तापी (पीएमटी) संयुक्त उद्यम भागीदारों ने 1 अप्रैल, 2006 से विभिन्न कंपनियों को 4 एमएमएससीएमडी तक प्राकृतिक गैस की बिक्री हेतु बोलियां लगाने के लिए आमंत्रित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (जीएसपीसीएल) ने सबसे ऊंची बोली लगाई थी किन्तु केन्द्र सरकार ने पीएमटी को सारी गैस गेल को बिक्री करने का निदेश दिया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या गुजरात राज्य ने केन्द्र सरकार को निविदा प्रक्रिया का पालन करने और जीएसपीसीएल को गैस देने हेतु कोई अभ्यावेदन दिया है क्योंकि उनकी बोली सबसे अधिक थी, और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) पन्ना–मुक्ता और तापी (पीएमटी) संयुक्त उद्यम ने दो वर्षों की अवधि के लिए 4 एमएमएससीएमडी तक प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए संभावित क्रेताओं से बोलियां आमंत्रित की थी।

(ग) जेवी की बोली के उत्तर में एक बोलीदाता, जीएसपीसी ने 4 एमएमएससीएमडी गैस के लिए 4.75 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू की सबसे ऊंची बोली लगाई थी।

(घ) पीएमटी जेवी के साथ सरकार द्वारा हस्ताक्षरित उत्पादन डिस्सेदारी संविदा (पीएससी) के अनुसार प्राकृतिक गैस उठाने के लिए सरकार द्वारा गेल को नामित किया गया है। तथापि, गेल और पीएमटी जेवी के बीच गैस मूल्य पर सहमति के अभाव को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने जेवी भागीदारों को प्रारंभ में 1.4.2005 से एक वर्ष की अवधि के लिए और बाद में दो और वर्षों के लिए सीधे गैस बेचने की अनुमति दी थी। तथापि, विद्युत और उर्वरक क्षेत्रों में विद्यमान प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ताओं का ध्यान रखने के लिए, गेल गैस का अधिकांश भाग प्राप्त करता रहा जबकि शेष गैस, कंपनियों से प्राप्त बोलियों के अनुसार आपूर्ति की गई।

(ङ) और (च) गुजरात सरकार ने भारत सरकार को अभ्यावेदन दिया था। पीएससी की शर्तों और उपबंधों के अनुसार, सरकार द्वारा नामित गेल का पन्ना मुक्ता तथा तापी ब्लाकों से उत्पादित प्राकृतिक गैस पर पहला अधिकार है। तनदुसार, यदि गेल पक्षकारों में पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर पीएमटी जेवी द्वारा उत्पादित संपूर्ण गैस उठाने में समर्थ है, तो गेल संपूर्ण गैस बेच सकती है। गेल और पीएमटी जेवी के

बीच गैस मूल्य पर असहमति को ध्यान में रखते हुए 2006 में कंपनियों से बोलियां आमंत्रित की गई थी।

[हिन्दी]

रसोई गैस वितरकों द्वारा रबर गैस पाइप की बिक्री

2991. मो. मुकीम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रसोई गैस वितरक ग्राहकों को उनसे रबर गैस पाइप आदि खरीदने को बाध्य करते हैं और उक्त पाइप खरीदने पर ही गैस बुक करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वितरकों के अनुचित कार्यों को रोकने और ग्राहकों के बचाव हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) जी नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने घरेलू एलपीजी प्रयोग करने वाले ग्राहकों के लिए गैस रबड़ पाइपों आदि की बिक्री हेतु अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को कोई निदेश नहीं दिए हैं। तथापि, सुरक्षा की दृष्टि से, ओएमसीज द्वारा ग्राहकों को ऐसी एलपीजी ट्यूबों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो बेहतर सुरक्षा प्रदान करें जैसे, लंबे समय तक चले, अग्नि रोधी हों, क्रन्तक रोधी तार से लिपटी हो तथा उनमें ओजोन रोधी परत चढ़ी हो। ग्राहकों पर ऐसा कोई दबाव नहीं होता कि वे, इन्हें उसी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों से खरीदें। वास्तव में, ग्राहकों को यह छूट होती है कि वे इन पाइपों (बीआईएस विनिर्देशों को पूरा करने वाली) को अपनी पसंद के किसी स्रोत से खरीद सकते हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में पर्यटन परियोजनाएं

2992. श्री मधुसूदन मिस्त्री :
श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :
श्री जशुभाई धान्नभाई बारड़ :
श्री महेश कनोडीया :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से पर्यटन के विकास हेतु कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) आज की तारीख तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तारीख तक स्वीकृत न की गई या लंबित परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्हें कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ङ) पर्यटक रूचि के स्थानों का विकास और संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों के परामर्श से, प्राथमिकता प्रदत्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2007–08 के दौरान, गुजरात सरकार से निम्नलिखित परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए :–

क्रम संख्या	परियोजना का नाम
1.	चम्पानेर–पावागढ़ का गंतव्य विकास
2.	पाटन का गंतव्य विकास
3.	अम्बाजी का गंतव्य विकास
4.	देव–नी–मोरी में पर्यटक सुविधाओं का एकीकृत विकास
5.	वृहत परिपथ : द्वारका का विकास
6.	नवरात्रि उत्सव
7.	तारनेतर उत्सव, 2007
8.	अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव, 2008
9.	शरद उत्सव, 2008
10.	आई टी परियोजना

योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों का पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है तथा संबंधित शीर्ष के अंतर्गत उपलब्धता की शर्त पर निधियां जारी की जाती हैं।

वर्ष 2007–08 के दौरान, गुजरात के लिए निम्नलिखित परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं :–

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राशि
1.	अमरेली जिले में वाइल्ड लाईफ इंटरप्रेटेशन पार्क हेतु अम्बार्डी का विकास	474.25
2.	जामनगर जिले में नागेश्वर गांव का विकास	65.33

पिछले तीन वर्षों के दौरान, गुजरात राज्य में पर्यटन के विकास के लिए 2594.16 लाख रुपए की 14 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

गुरू-ता-गद्दी की 300वीं वर्षगांठ

2993. डा. रतन सिंह अजनाला : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरू–ता–गद्दी व 300वीं वर्षगांठ के लिए अभी तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) के तहत् निधियों के अलावा, भारत सरकार ने गुरू–ता–गद्दी, नांदेड़ (महाराष्ट्र) के शताब्दी समारोह की तैयारियों हेतु 2007–08 के दौरान एक बारगी के रूप में 195 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए सी ए) की राशि अनुमोदित की है जिसमें 30 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार का है तथा शेष राशि की व्यवस्था संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जानी है। अनुदान के 58.5 करोड़ रु. के भाग को जारी किया जा चुका है।

[हिन्दी]

नई रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण

2994. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर, दमोह, पन्ना और दमोह से कुंडलपुर तक की रेल लाइनों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा सर्वेक्षण के बाद दूरी सहित कितनी निर्माण लागत आने का अनुमान लगाया गया है और कौन–कौन से स्टेशन बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं के कब शुरू होने और कब पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) सर्वेक्षण की मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है :–

दमोह के रास्ते जबलपुर से पन्ना तक नई बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण 1999 में किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 246 किमी. लंबी इस लाइन के निर्माण की लागत ऋणात्मक प्रतिफल दर (–) 2.67% के साथ 444 करोड़ रु. निर्धारित की गई थी। संसाधनों की अत्यधिक तंगी तथा चालू परियोजनाओं के भारी थोफारवर्ड को देखते हुए, प्रस्ताव पर विचार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

दमोह और कुंडलपुर (33.25 किमी.) के बीच नई बड़ी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण हाल ही में पूरा किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस लाइन के निर्माण की लागत ऋणात्मक प्रतिफल दर (–)5.37% के साथ 49.01 करोड़ रु. निर्धारित की गई है। चूंकि प्रस्तावित लाइन अलाभप्रद है तथा इसके लिए सामाजिक आर्थिक तथ्यों के आधार पर प्रस्ताव किया जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे इस लाइन का कम से कम 50% लागत वहन करें, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है।

(ग) इसके बारे में बताया जाना व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

निम्न और मध्यम आय वर्ग के पर्यटक

2995. श्री असादुद्दीन ओवैसी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से निम्न और मध्य आय वर्ग के पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने हेतु कुछ ठोस परियोजनाओं के बारे में कोई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान इससे संबंधित कार्यान्वयन हेतु कोई विशेष योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) पर्यटन मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, उनसे प्राप्त

परियोजना प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन अवसंरचना के सृजन/उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। "गंतव्यों तथा परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास" योजना के अंतर्गत राज्यों को जम्मू–कश्मीर के चुनिंदा स्थलों और सभी उत्तर–पूर्वी राज्यों पर बजट आवास के निर्माण और ईको पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जहां निजी क्षेत्र का निवेश उपलब्ध या संभव नहीं है।

पर्यटन मंत्रालय ने पूरे देश में 1 से 3 सितारा और हैरिटेज बेसिक श्रेणी के होटलों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना बनायी है, जहां 01.04.2007 से 31.03.2008 तक होटल परियोजनाएं प्रारंभ और वर्गीकृत कर किया गया है। प्रोत्साहन, पूंजी इमदाद के रूप में एक सितारा होटल में 2.00 लाख रु. प्रति कमरा, अधिकतम 30.00 लाख रु. की शर्त पर, दो सितारा होटल में 3.00 लाख रु. प्रति कमरा, अधिकतम 75.00 लाख रु. की शर्त पर, तीन सितारा होटल और हैरिटेज बेसिक श्रेणी के होटल में 3.00 लाख रु. प्रति, कमरा अधिकतम 100.00 लाख रु. की शर्त पर होगी।

इस्पात की मांग और आपूर्ति

2996. श्री नथु सौख वाल्मी :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री अभिषेक प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री देविदास पिंगले :
श्री शिशुपाल एन. पटले :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान देश में इस्पात की कितनी आवश्यकता है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में देश की इस्पात की मांग और आपूर्ति कितनी रही;

(ग) क्या इस्पात की मांग में अप्रत्याशित दर से वृद्धि हो रही है और जल्दी ही इसके 14 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है जबकि आपूर्ति में 6 प्रतिशत से भी कम दर से वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा मांग–आपूर्ति के अंतर को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार मांग को पूरा करने तथा इसके मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए इस्पात के आयात की योजना बना रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने देश में प्रमुख इस्पात उत्पादकों की लंबित मेगा निवेश योजनाओं के मुद्दों का समाधान करने तथा इस्पात के मूल्यों को लेकर हाल ही में प्रमुख इस्पात उत्पादकों की कोई बैठक बुलाई है; और

(ज) यदि हां, तो बैठक के क्या परिणाम निकले?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) इस्पात संबंधी कार्यसमूह के अनुमानों के अनुसार 11वीं योजना अवधि के अंतिम वर्ष में परिसज्जित कार्बन इस्पात की मांग 70.3 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। तथापि 12/13% की दर पर इस्पात खपत की वर्तमान वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए 2011–12 तक इस्पात की खपत 100 मिलियन टन से अधिक होने की संभावना है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में परिसज्जित कार्बन इस्पात की मांग और आपूर्ति के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :–

(मिलियन टन)

	2004–05	2005–06	2006–07	अप्रैल 07–जन 08 (अनंतिम)
परिसज्जित इस्पात उत्पादन	41.32	44.39	50.20	42.48
प्रत्यक्ष खपत	34.39	39.19	44.33	39.38

(ग) पिछले 4 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान परिसज्जित कार्बन इस्पात के उत्पादन और मांग की वार्षिक वृद्धि दर नीचे दी गई है :–

(% वृद्धि)

	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	अप्रैल 07–जन 08
उत्पादन	9.0	7.0	7.4	13.1	5.1
प्रत्यक्ष खपत	7.9	10.3	13.9	13.1	12.6

पिछले चार वर्षों (2003–07) के दौरान मांग में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) में 11.3% की असाधारण दर से वृद्धि हुई है। जबकि इसी अवधि के दौरान उत्पादन में सी एन जी आर 9.1% हुई है। चालू वर्ष में परिसज्जित इस्पात की मांग में भी 12.6% की उच्च दर से वृद्धि हुई है जबकि इसी अवधि के दौरान परिसज्जित कार्बन इस्पात के उत्पादन में 5.1% वृद्धि हुई है।

(घ) अवसंरचना, कच्चे माल की आपूर्ति, पर्यावरण संबंधी अनुमति तथा संसाधनों संबंधी अन्य अड़चनों से संबंधित देश में प्रमुख इस्पात निवेशों के मामलों को मानिटर करने और समन्वय करने के लिए सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में अंतर–मंत्रालय समूह गठित किया है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2011–12 तक देश में अपरिष्कृत इस्पात की क्षमता 124 मिलियन टन हो जाएगी जो प्रक्षेपित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। सरकारी क्षेत्र की इकाइयां स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड मांग और पूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने हेतु 11वीं योजना में लगभग 16 मिलियन टन अपरिष्कृत इस्पात क्षमता बढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू मांग को पूरा करने तथा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए इस्पात पर आयात शुल्क प्रगामी रूप से घटाकर 5% कर दिया गया है।

(ङ) और (च) इस्पात के आयात में सरकार प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। उपभोक्ताओं अथवा व्यापारियों द्वारा सीधे आयात किया जाता है। तथापि इस्पात के सुगम आयात की सुविधा के लिए इस्पात पर आयात शुल्क प्रगामी रूप से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस्पात के आयात पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं है।

(छ) और (ज) इस्पात के मूल्यों में वृद्धि पर विचार–विमर्श करने के लिए माननीय इस्पात मंत्री जी की अध्यक्षता में 14.2.2008 को विद्यमान प्रमुख इस्पात उत्पादकों के साथ इस्पात मंत्रालय ने एक बैठक आयोजित की थी। माननीय इस्पात मंत्री द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता के आधार पर इस्पात उत्पादकों ने अपने खुदरा मूल्यों पर टी एम टी के लिए 1000 रु. प्रति टन और इस्पात उत्पादों की अन्य श्रेणियों के लिए 500 रु. प्रति टन की कमी करने की घोषणा की है।

इस्पात मंत्रालय ने प्रमुख निवेश से संबंधित मुद्दों पर और इस्पात परियोजनाएं शीघ्र शुरू करने के लिए विचार–विमर्श करने के लिए माननीय इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में 3 मार्च, 2008 को प्रमुख इस्पात उत्पादकों के साथ एक बैठक आयोजित की थी। माननीय इस्पात मंत्री ने प्रमुख इस्पात परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और इस्पात संबंधी निवेश शीघ्र करने के संभव तौर–तरीकों पर विचार–विमर्श किया।

बी आर पी एस ई की सिफारिशें

2997. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आर पी एस ई) द्वारा सरकारी क्षेत्र की कितनी केन्द्रीय कंपनियों के पुनरुद्धार की सिफारिश की गई है;

(ख) इन कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने बी आर पी एस ई की सिफारिशों के आधार पर इन सभी कंपनियों का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कंपनियों के पुनरुद्धार हेतु कितनी राशि आबंटित किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 49 उद्यमों के मामलों में पुनरुद्धार करने की अनुशंसा की है (विवरण–I)। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने सरकार से फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एफसीआईएल) तथा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लि. (एचएफसीएल) को बंद करने के अपने पहले के निर्णय को वापस लेने का "सैद्धांतिक" अनुमोदन करने की भी अनुशंसा की है ताकि उनके पुनरुद्धार के विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जा सके।

(ग) और (घ) बी आर पी एस ई की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार ने अब तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 28 उद्यमों (विवरण–II) के पुनरुद्धार प्रस्ताव का अनुमोदन किया है जिसमें 8409.31 करोड़ रु. (1962.51 करोड़ रु. की नकद सहायता तथा 6446.80 करोड़ रु. की गैर–नकद सहायता) की सहायता अन्तर्ग्रस्त है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने एफ सी आई एल तथा एच एफ सी एल के पुनरुद्धार की संभावना पर विचार करने का "सैद्धांतिक" निर्णय लिया है, बशर्ते कि गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

विवरण-I

बी आर पी एस ई द्वारा पुनरुद्धार के लिए अनुशंसित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची

क्र.सं.	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम
1	2
	भारी उद्योग विभाग
1.	हिंदुस्तान साल्ट्स लि., जयपुर, राजस्थान
2.	ब्रिज एंड रूफ क. (इंडिया) लि., कोलकाता
3.	बीबीजे कन्स्ट्रक्शन क. लि., कोलकाता
4.	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., कोलकाता
5.	एचएमटी बियरिंग्स लि., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

1	2
6.	प्रागा टूल्स लि., सिंकदराबाद, आंध्र प्रदेश
7.	ब्रेथपेट एंड कंपनी लि., कोलकाता
8.	नेपा लि., नेपा नगर, मध्य प्रदेश
9.	रिचर्डसन एंड क्रूडास लि., मुम्बई
10.	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लि., बेल्लारी, कर्नाटक
11.	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कं. लि. पटना, बिहार
12.	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लि. इलाहाबाद, उ.प्र.
13.	सीमेण्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., दिल्ली
14.	एचएमटी मशीन टूल्स लि., बंगलौर, कर्नाटक
15.	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि., रांची, झारखंड
16.	एन्ड्रयू यूले एंड कं. लि., कोलकाता
17.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि., कोटा, राजस्थान
18.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. इलाहाबाद, उ. प्र.
19.	एचएमटी लि., बंगलौर
20.	एमएमटी वाचेज लि., बंगलौर
21.	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लि., विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश
22.	हिन्दुस्तान केबल्स लि., कोलकाता
23.	एचएमटी चिनार वाचेज लि., जम्मू एंड कश्मीर
वस्त्र मंत्रालय	
24.	ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लि., कानपुर, उ.प्र.
25.	नेशनल टेक्सटाइल्स कॉर्पोरेशन लि. एवं इसकी सहायक कंपनियां, दिल्ली एवं अन्य राज्य
26.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कॉर्पोरेशन लि., कोलकाता, पश्चिम बंगाल
उर्वरक विभाग	
27.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि., मनाली, तमिलनाडु
28.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लि., कोच्ची, केरल

1	2
पोत परिवहन विभाग	
29.	केन्द्रीय अंतरदेशीय जल परिवहन निगम लि., कोलकाता
30.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लि., दिल्ली
31.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.
रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग	
32.	हिंदुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि., पूणे, महाराष्ट्र
33.	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि., मुंबई
34.	हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि., दिल्ली
35.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि., कोलकाता
36.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि., गुड़गांव, हरियाणा
37.	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि., चेन्नई
38.	बिहार ड्रग्स एवं आर्गेनिक केमिकल्स लि., मुजफ्फरपुर, बिहार
कोयला मंत्रालय	
39.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., बर्दवान, पश्चिम बंगाल
40.	भारत कोकिंग कोल लि., धनबाद, झारखण्ड
खान मंत्रालय	
41.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि., नागपुर, महाराष्ट्र
42.	हिंदुस्तान कॉपर लि., कोलकाता
विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	
43.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि., दिल्ली
जल संसाधन मंत्रालय	
44.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि., दिल्ली
इस्पात मंत्रालय	
45.	मेकॉन लि., रांची, झारखण्ड
46.	भारत रिफ्रेक्टरीज लि., बोकारो, झारखण्ड
कृषि और सहकारिता विभाग	
47.	स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., दिल्ली
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
48.	बीको लॉरी लि., कोलकाता
रेल मंत्रालय	
49.	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लि., दिल्ली

विवरण-II

बीआरपीएसई द्वारा अनुशंसित पुनरुद्धार प्रस्तावों के संबंध में सरकार द्वारा अनुमोदित नकद और गैर-नकद सहायता

क्र. सं.	केंद्रीय सरकारी उद्यम का नाम	सहायता (करोड़ रुपए में)		
		नकद #	गैर-नकद @	कुल
1	2	3	4	5
1.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	4.28	73.30	77.58
2.	एनटीसी और उसकी सहायक कंपनियां	39.23	–	39.23
3.	ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लि.	60.00	42.92	102.92
4.	बीबीजे कन्स्ट्रक्शन कं. लि.	–	54.61	54.61
5.	एचएमटी बियरिंग्स लि.	7.40	43.97	51.37
6.	प्रागा टूल्स लि.	5.00	209.71	214.71
7.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि.	4.00	280.21	284.21
8.	ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि.	47.35	–	47.35
9.	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.	73.60	280.00	353.60
10.	हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लि.	102.00	1116.30	1218.30
	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	184.29	1267.95	1452.24
	रिचर्डसन एंड क्रूडास लि.	–	–	–
	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	137.59	267.57	405.16
	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि.	250.00	अनुपलब्ध	250.00
	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	–	670.37	670.37
16.	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लि.	–	–	–
17.	हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि.	–	267.29	267.29
18.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लि.	–	104.64	104.64
19.	सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि.	–	6.02	6.02
20.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	–*	–*	–*
21.	भारत पम्पस एंड कम्प्रेशर्स लि.	3.37$	153.15	156.52$
22.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	207.19	233.41	440.60
23.	एचएमटी मशीन टूल्स लि.	723.00	157.80	880.80

1	2	3	4	5
24.	मेकॉन लि.	93.00	23.08	116.08**
25.	एण्ड्रयू यूले एंड क. लि.	–&	457.14	457.14
26.	हिंदुस्तान कॉपर लि.	–	612.94	612.94
27.	भारत हैवी प्लेट्स वेसल्स लि.	–	–	– –$$
28.	स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	21.21	124.42	145.63
	कुल	1962.51*	6446.80*	8409.31*

\# नकद सहायता में इक्विटी/ऋण/अनुदान के माध्यम से बजटीय सहायता शामिल है।

@ नकद निम्न सहायता में ब्याज/पेनल ब्याज/भारत सरकार का ऋण/गारण्टी शुल्क की छूट, ऋण को इक्विटी/ऋण–पत्र में बदलना शामिल है।

* सरकार द्वारा अनुमोदित की गई पुनरुद्धार योजना में अन्य बातों के साथ–साथ 2470.77 करोड़ रुपए की नकद–निम्न सहायता और कोल इंडिया लिमिटेड से वर्ष 2004–05 से 14 करोड़ रुपए प्रति वर्ष सेवा प्रभार की छूट शामिल है।

& भारत सरकार द्वारा या संयुक्त उद्यम या किसी महत्वपूर्ण भागीदार द्वारा निधियों के निवेश के संबंध में निर्णय वित्त मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।

$ इसके अलावा ओएनजीसी और बीएचईएल क्रमशः 150 करोड़ रु. और 20 करोड़ रुपए की नकद सहायता प्रदान करेंगे।

** वी आर एस ऋणों पर 50 प्रतिशत ब्याज सहायता (अधिकतम 6.50 करोड़ रु. प्रतिवर्ष) जारी रखे जाने को छोड़कर।

$$ मंत्रिमंडल ने बीएचपीवी का बीएचईएल द्वारा अधिग्रहण करने को सिद्धांत रूप में इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया है कि बीएचपीवी का मूल्य निर्धारण स्थापित सिद्धांतों के आधार पर विवेकसम्मत ढंग से किया जाएगा और यदि अधिग्रहण व्यवहार्य नहीं पाया जाता है, तो मामले को पुनः मंत्रिमंडल के सम्मुख लाया जाए।

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. अधिकारियों को प्रशिक्षण देना

2998. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयल इंडिया लिमिटेड और अन्य तेल कंपनियों में कंपनीवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को देश और विदेश में प्रशिक्षण और आरक्षण देने हेतु क्या दिशानिर्देश, नियम/अनुदेश निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश और विदेश में कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं;

(ग) आयल इंडिया लिमिटेड और अन्य तेल कंपनियों द्वारा कंपनीवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया;

(घ) क्या इस संबंध में नियमों का उल्लंघन करने का कोई मामला सामने आया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) सरकार द्वारा निम्नलिखित के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(1) समूह–क में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए देश तथा विदेश में संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करने के वास्ते 25% सीटें निर्धारित की जाती हैं।

(2) रियायती मानदंडों पर पदोन्नत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आंतरिक/बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया जाता है ताकि वे अन्य उम्मीदवारों के मानदंडों के समरूप पहुंच सकें।

(ख) कृपया संलग्न विवरण–I देखें।

(ग) कृपया संलग्न विवरण–II देखें।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं होता।

विवरण-I

सा.क्षे.उ. का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार देश तथा विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या					
	2004–05		2005–06		2006–07	
1	2	3	4	5	6	7
ओआईएल	–	–	–	–	–	
आईओसीएल	1840	27	1578	48	1265	74

1	2	3	4	5	6	7
बीको लॉरी	3	0	4	0	7	0
ओआईडीबी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सीपीसीएल	342	4	334	11	380	5
बीपीसीएल	386	26	485	44	446	64
बामर लॉरी	113	0	91	0	69	0
एचपीसीएल	2733	767	5627	889	2276	169
एनआरएल	79	4	82	0	95	1
गेल	342	33	328	16	408	10
एमआरपीएल	214	0	415	2	429	4
ओएनजीसी	222	16	240	23	211	32
ईआईएल	53	0	40	0	61	0
बीआरपीएल	75	7	79	3	129	8

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार देश तथा विदेशों में प्रशिक्षण के लिए मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या।

सा.क्षे.उ. का नाम	2004–05				2005–06				2006–07			
	अ.ज.		अ.ज.जा.		अ.ज.		अ.ज.जा.		अ.ज.		अ.ज.जा.	
	ए*	1*	ए*	1*	ए*	1*	ए*	1*	ए*	1*	ए*	1*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ओआईएल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
आईओसीएल	2	2024	0	890	15	1581	4	674	28	1608	5	671
बीको लॉरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ओआईडीबी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सीपीसीएल		268						229	256	8सी		
बीपीसीएल	3	308	1	99	3	324	–	122	5	302	4	133
बामर लॉरी	–	7	–	1	–	9	–	–	–	5	–	–
एचपीसीएल	28	868सी	1	–	–	1840सी	26	778	19	2445सी	3सी	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एनआरएल	–	52	1	75	–	65	–	76	–	62	–	41
गेल	5सी	–	5	417सी	3सी	395सी	–	–	1सी	480सी	–	–
एमआरपीएल	–	19	–	1	–	72सी	–	1	–	67	–	–
ओएनजीसी	–	588सी	26सी	–	–	545सी	30सी	–	–	373सी	44सी	–
ईआईएल	1	136	–	31	–	76	–	15	–	–	–	23
बीआरपीएल	–	48सी	–	–	2	32सी	–	–	3	48सी	–	–

* (ए) विदेश

* (आई) भारत

* (सी) सम्मिलित (अनु.जा. तथा अनु.ज.जा.)

[अनुवाद]

विश्व स्तर पर एयर इंडिया

2999. श्री रघुनाथ झा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया विश्व स्तर पर कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एयर इंडिया द्वारा अधिक यात्रियों को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) और (ख) जी हां। भारत के लिए/से विदेशी एयरलाइनों के प्रचालनों में वृद्धि, कम लागत वाली विमान कंपनियां इत्यादि के प्रवेश जैसे कारकों के कारण, प्रतिस्पर्धा बढ़ चली है।

(ग) अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए एअर इंडिया द्वारा उठाए गए कदम निम्न प्रकार हैं – उड़ानगत मनोरंजन प्रणाली सहित नये आधुनिक विमानों की खरीद, नयी सीटें लगाकर वर्तमान विमानों की सज्जा, उड़ानगत मनोरंजन प्रणाली इत्यादि सहित, उड़ानों की ओवरलेपिंग से बचने के लिए अनुसूचियों का युक्तिकरण, प्रचालनों का सरलीकरण, फ्री फ्लो कोड शेयर का कार्यान्वयन, सभी योजनाओं की संयुक्त भागीदारी। मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर और हैदराबाद में चैक इन सीमलैस हस्तांतरण के माध्यम से घरेलू सैक्टरों में प्रोत्साहन, जहां यात्री एक एकल चैक इन प्रक्रिया में घरेलू उड़ान को अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान सम्पर्क पा सकते हैं, मुम्बई और दिल्ली से न्यूयॉर्क, मुम्बई से हांगकांग तथा मुम्बई से सिंगापुर के लिए बिना रुकी उड़ाने आरंभ कर के, चुने हुए मार्गों पर इ–टिकिटिंग, सिटी चैक–इन, अग्रिम हवाई अड्डा चैक–इन, कॉल सैंटरों की स्थापना, रद्द करने/विलम्बों के मामले में एसएमएस एलर्ट।

[हिन्दी]

बी आर पी एस ई का गठन

3000. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
डा. वीरेंद्र अग्रवाल :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आर पी एस ई) के गठन के बाद उसकी कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) इन बैठकों में अभी तक कितने मामलों का अंतिम रूप से निपटान किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा बोर्ड के सुझावों के आधार पर लिए गए निर्णयों तथा स्वीकार न किए गए सुझावों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त सुझावों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) बोर्ड के पास तीन वर्षों से अधिक समय से कुल कितने मामले लंबित हैं; और

(च) भी आर पी एस ई द्वारा शेष मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) फरवरी, 2008 तक सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) ने 56 बैठकों का आयोजन किया है तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 49 उद्यमों के मामले में पुनरुद्धार करने तथा 2 उद्यमों के मामले में बंद करने की अनुशंसा की है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने सरकार से फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एफसीआईएल) तथा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लि. (एचएफसीएल) को बंद करने के अपने पहले के निर्णय को वापस लेने का "सैद्धांतिक" अनुमोदन करने की भी अनुशंसा की है ताकि उनके पुनरुद्धार के विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जा सके।

(ग) और (घ) बी आर पी एस ई की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार ने अब तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 28 उद्यमों का पुनरुद्धार करने तथा 2 उद्यमों को बंद करने की अनुशंसा की है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने एफसीआईएल तथा एचएफसीएल के पुनरुद्धार की संभावनाओं पर विचार करने का सैद्धांतिक निर्णय भी लिया है, बशर्ते कि गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

(ङ) और (च) बी आर पी एस ई के पास कोई मामला 3 वर्ष से अधिक समय से लंबित नहीं है। बोर्ड को सौंपे ग., मामलों के निपटान के लिए आवश्यकता के अनुसार बैठकें आयोजित की जाती हैं।

ओएनजीसी द्वारा गहरे समुद्र में अन्वेषण

3001. श्री मित्रसेन यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने गहरे समुद्र में तेल और गैस का अन्वेषण करना रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस समय निगम के पास ड्रिलिंग हेतु रिग्स उपलब्ध नहीं है;

(घ) क्या दिसंबर, 2007 में समाप्त ट्रांस ओसियन के डिस्कवरर सेवन सीज (डीएसएस) के साथ हुए करार के अनुसार उक्त कंपनी इस समय रिलायंस के लिए ड्रिलिंग कार्य कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या कृष्णा–गोदावरी, महानदी बेसिन और पूर्वोत्तर तटीय खाड़ी में ओएनजीसी के अन्वेषण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) ओएनजीसी के स्वामित्व में "रिग सागर विजय" था जिसकी क्षमता 900 मीटर गहरे समुद्र तक ड्रिलिंग करने की है और वह इस समय पूर्वी तट में ड्रिलिंग कर रहा है।

दूसरा किराये पर लिया गया रिग "डिस्कवरर सेवन सीज" जिसकी ड्रिलिंग क्षमता 1800 मीटर गहरे समुद्र तक है, उसे जून/जुलाई, 2008 में ड्रिलिंग कार्य में लगाया जाएगा। इस रिग के लिए ओएनजीसी के साथ पहले की गई संविदा 29 दिसंबर, 2007 को समाप्त हो गई है। इस रिग को ओएनजीसी द्वारा दोबारा किराए पर लिया गया है और इसे पहले की संविदा की तारीख के समाप्त होने से 180–210 दिन की तैयारी अवधि के भीतर ड्राइ डॉक की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पुनः ड्रिलिंग कार्य में लगाया जाएगा। यह रिग इस समय सिंगापुर में ड्राई डॉक के अंतर्गत है और ड्राई डॉक की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ओएनजीसी में वापस ड्रिलिंग कार्य में लगा दिया जाएगा।

(ङ) ओएनजीसी के पास उपलब्ध कुल अन्वेषण रकबों में से 34 (28 एनईएलपी और 6 नामांकन के अंतर्गत) गहरे समुद्र क्षेत्रों में हैं। गहरे समुद्रों में ड्रिलिंग कार्यक्रम 17 गहरे समुद्र एनईएलपी ब्लाकों (4 केजी में तथा महानदी/एनईसी बेसिन में एक–एक और तीन अंडमान, कावेरी और केके बेसिनों में एक–एक) तथा 6 नामांकन ब्लाकों (केजी और मुंबई में दो–दो, केके तथा जीके बेसिनों में एक–एक) में एमडब्ल्यूपी और 3 एनईएलपी ब्लाकों में जहां एमडब्ल्यूपी वचनबद्धताएं पूरी नहीं हुई हैं लेकिन अतिरिक्त अन्वेषी/मूल्यांकन कूपों की योजना को पूरा करने में कठिनाई होगी।

(च) कुछ ई एंड पी कंपनियों ने गहरे समुद्री रिगों की अंतर्राष्ट्रीय कमी को ध्यान में रखते हुए, गहरे समुद्री क्षेत्रों के लिए लगभग तीन वर्षों की अवधि के लिए वेधन अधिस्थगन चाहने हेतु सरकार से अनुरोध किया है। सरकार द्वारा इस मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

तेल और गैस क्षेत्र से संबंधित सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों का पुनर्गठन

3002. श्री एन.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल और गैस क्षेत्र से संबंधित सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों की कुशलता को बढ़ाने और उनके बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उनका पुनर्गठन करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में तेलशोधन की लागत निजी क्षेत्र के ऐसे ही उपक्रमों से काफी अधिक है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) डा. वी. कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता में ऊर्जा में सहक्रिया संबंधी सलाहकार समिति ने नीति तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की सिफारिश की है और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए कतिपय प्रबंधन संबंधी समाधानों का सुझाव भी दिया है। कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं –

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों (पीएसयूज) के विलय की फिलहाल सिफारिश नहीं की जाती है।

(2) नीति संबंधी मुद्दों पर एक एकीकृत ऊर्जा नीति के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में ऊर्जा संबंधी मंत्रिमंडल समिति गठित करने तथा एक ऊर्जा मंत्रालय बनाने की आवश्यकता है। इस समिति ने सार्वजनिक उपक्रमों के पूर्व प्रमुखों, सरकार तथा निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों को मिलाकर जांच पूर्व बोर्ड स्थापित करके केन्द्रीय सतर्कता आयोग जैसी विभिन्न निगरानी एजेंसियों द्वारा पर्यवेक्षण और निरीक्षण की विद्यमान रूपरेखा का पुनर्गठन करने की भी सिफारिश की है।

(3) हाइड्रोकार्बन महानिदेशक को एक स्वायत्त निकाय के रूप में शक्तियां प्रदान करना तथा उसमें विशेषज्ञों का अलग संवर्ग और उन्हें निधियां सुलभ हों।

(4) विदेशों में उद्यमों के लिए आयल इंडिया द्वारा एक समानांतर नई कंपनी की स्थापना करना। विदेशी बोलियों में कड़ी प्रतियोगिता को ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) के 2 मिलियन टन से अधिक तेल समकक्ष उत्पादन क्षमता की एक सीमा निश्चित करके रोका जाए, जिसकी अन्य कंपनी को बोली के लिए अनुमति दी जाएगी।

(5) इस समिति की अन्य सिफारिश एक राष्ट्रीय होयर होल्डिंग ट्रस्ट से संबंधित है जिसे सिंगापुर के तेमासेक और मलेशिया के खजाना के माडल पर स्थापित किया जाए लेकिन उसमें कुछ संशोधन किया जाए। इस ट्रस्ट में शामिल होने वाले तेल पीएसयूज अपना पीएसयू स्वरूप कायम रखेंगे और यह ट्रस्ट सोसायटी पंजीकरण अधिनियम अथवा कंपनी अधिनियम अथवा सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित गैर लाभकारी ट्रस्ट के रूप में कार्य करेगा। इस ट्रस्ट के बोर्ड में सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विख्यात गणमान व्यक्ति शामिल होंगे। इस समिति को आशा है कि इस ट्रस्ट को अधिक स्वायत्तता देने से वह कार्य प्रचालन में सहक्रिया सुनिश्चित करेगा।

ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) और (घ) शोधन की लागत अलग रिफाइनरियों में अलग–अलग होती है। कच्चे तेल की शोधन की लागत कच्चे तेल की किस्म, रिफाइनरी के आकार, रिफाइनरी के स्वरूप, उपस्करों का जीवन काल, प्रौद्योगिकी के उपयोग, पत्तन सुविधाएं, रिफाइनरी का स्थान आदि सहित अनेक कारकों पर निर्भर करती है।

एनपीके तथा एनपी काम्प्लेक्स उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित राज सहायता

3003. श्री पी. कलन्नाकरन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एनपीके तथा एनपी काम्प्लेक्स उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित राज सहायता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी एजेंसी/संगठन ने ब्लैन्डिड उर्वरकों पर राज सहायता देने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ब्लैन्डिड उर्वरकों को राज सहायता न दिए जाने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) उर्वरकों का उत्पादन करने वाली इकाइयां कच्चे माल/आदान के रूप में राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का प्रयोग कर रही है और इस प्रकार राजसहायता प्राप्त आदानों के रूप में राजसहायता प्राप्त कर रही हैं।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर सूचना प्रणाली

3004. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी विमानों की संख्या में बढ़ोत्तरी से विमान यातायात नियंत्रण प्रणाली का कार्यभार बढ़ गया है जिसकी वजह से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विमान के लैंडिंग से संबंधित सूचना दर्शाने में विफल हो रहा है जिसके कारण यात्रियों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विमानपत्तनों पर प्रभावी सूचना सेवा केन्द्रों हेतु क्या प्रयास किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) वायु यातायात नियंत्रण प्रणाली बढ़ती हुई वायु यातायात की हैंडलिंग करने के लिए सक्षम हैं।

(ग) यात्रियों को उड़ान की सूचना उड़ान सूचना डिस्पले प्रणाली (एफ आई डी एस) के माध्यम से उप¬ध करवाई जाती है। इस समय, यह सुविधा 26 हवाई अड्डों पर उपलब्ध है। उड़ानों की संख्या में हो रही बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने 10 हवाई अड्डों पर ऐसी प्रणालियों की क्षमता को बढ़ा दिया है।

[अनुवाद]

पर्यटन का विकास

3005. डा. के. धनराजू : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन में सुधार हेतु कोई नये कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है कि चीन अपने यहां पर्यटन का किस प्रकार से विकास कर रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या पर्यटन के विकास हेतु चीन के संबंध में कोई अध्ययन किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) पर्यटन के विकास एवं संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय उनके साथ विचार–विमर्श और बातचीत से अभिनिर्धारित पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है। देश में पर्यटन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम निम्न प्रकार से हैं :–

- होटल अवसंरचना, विशेषतया बजट होटलों की वृद्धि पर ध्यान देना;
- प्रमुख पर्यटक आकर्षणों के लिए एयर क्षमता में वृद्धि करने और सड़क अवसंरचना में सुधार करने के माध्यम से संपर्क बेहतर करना;
- "इन्क्रेडिबल इंडिया" अभियान द्वारा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्राहकों तक सीधी पहुंच बनाना;
- प्रचार सामग्री का उत्पादन एवं वितरण;
- विदेशी बाजारों में एयरलाइनों, टूर ऑपरेटरों तथा थोक विक्रेताओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष सहकारी मार्केटिंग करना;
- उभरते बाजारों, विशेषतया चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया पर अधिक ध्यान देना;
- व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना;
- इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का प्रयोग करना; और
- विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए, मीडिया कार्मिकों और टूर ऑपरेटरों को भारत की परिचायक यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए, आतिथ्य कार्यक्रम का पुनः प्रवर्तित करना, जिसमें एयर पैसेज प्रदान करना भी शामिल होगा।

(ग) पर्यटन मंत्रालय ने ऐसा कोई विशेष अध्ययन संचालित नहीं किया है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

अधिगृहीत भूमि हेतु मुआवजा

3006. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन किसानों को जिनकी भूमि गैस और तेल की खोज हेतु अधिगृहीत की गयी है; नाममात्र का मुआवजा मिलता है;

(ख) यदि हां, तो मुआवजे की राशि और इसकी वर्तमान दर क्या है; और

(ग) पिछली बार किस तिथि को मुआवजे का निर्धारण किया गया था?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। भूस्वामियों को मुआवजे का भुगतान अवार्ड के माध्यम से यथा अधिसूचित संबंधित राजस्व प्राधिकारियों द्वारा किए गए आकलनानुसार अथवा अन्वेषण तेल कंपनियों और भूस्वामी के मध्य परस्पर सहमति के अनुसार किया जाता है। मुआवजे की राशि की गणना आसपास के क्षेत्र की प्रचलित दर, भूमि की गुणवत्ता/किस्म और खड़ी फसल (यदि कोई हो) के मूल्य के आधार पर की जाती है।

(ग) दरों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है। तारीख, जिसको विभिन्न राज्यों/आस्तियों में अंतिम बार मुआवजा निर्धारित किया गया था, नीचे दिए अनुसार है :-

गुजरात में दरों में संशोधन 1.1.2006 से किया गया था।

तमिलनाडु में दरें 1.1.2006 से नियत की गई थीं।

त्रिपुरा आस्ति, अगरतला में अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान राज्य के राजस्व प्राधिकारी द्वारा निर्धारित/अवार्ड किए अनुसार भूमि अधिग्रहण समाहर्ता के माध्यम से किया जाता है।

असम आस्ति में पट्टे के मामलों में भूमि का मूल्य जिला राजस्व प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है और वर्तमान दर 1.1.2006 से लागू है।

निःशक्त व्यक्तियों, कुष्ठ रोगियों, वृद्धों और सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों हेतु पुनर्वास कार्यक्रम

3007. श्री पारसनाथ यादव :
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री विजय कृष्ण :
श्री गणेश सिंह :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निःशक्त व्यक्तियों, कुष्ठ रोगियों, वृद्धों और सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों हेतु एक पुनवार्स कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त पुनर्वास कार्यक्रम हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(घ) दिसम्बर, 2007 तक उक्त पुनर्वास कार्यक्रम पर राज्य-वार और योजना-वार कितना व्यय किया गया है;

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त पुनर्वास कार्यक्रम हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विकलांग व्यक्तियों को प्रमाणपत्र और पेंशन हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) मंत्रालय, निःशक्तजनों, कुष्ठ-मुक्त, वृद्धजनों और सिर पर मैला ढोने वालों के लिए निम्नलिखित पुनर्वास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहः है;

1. दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना;
2. उपकरणों/सहायक यंत्रों की खरीद/फिटिंग हेतु विकलांग व्यक्तियों को सहायता;
3. वृद्धजनों के लिए समेकित कार्यक्रम; और
4. सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास की स्व-रोजगार योजना।

कुष्ठ रोगियों को उपर्युक्त किसी भी योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) इस योजना के अंतर्गत, निधियां राज्य-वार आबंटित नहीं की जाती हैं। तथापि, इन योजनाओं के अंतर्गत दिसम्बर, 2007 तक जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) योजनाओं के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटित कुल निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) और (छ) जी, हां। विक्लांगता प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए एक समिति गठित की गई है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पेंशन प्रदान की जाती है।

विवरण-I

दिसम्बर, 2007 तक जारी राज्यवार निधियां

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना	वृद्धजनों के लिए समेकित कार्यक्रम	मैन्युअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास हेतु स्व–रोजगार योजना	उपकरणों/सहायक यंत्रों की खरीद/फिटिंग हेतु विकलांगजनों को सहायता
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	543.99	214.52	–	इस योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2007 तक व्यय 20.74 करोड़ रुपए था।
2.	असम	30.98	51.08	260.33	
3.	बिहार	100.03	2.76	7.28	
4.	चंडीगढ़	5.11	–	–	
5.	छत्तीसगढ़	23.65	1.18	–	
6.	दिल्ली	138.38	10.30	–	
7.	गोवा	14.87	–	–	
8.	गुजरात	31.03	–	200.00	
9.	हरियाणा	69.01	23.71	–	
10.	हिमाचल प्रदेश	–	4.76	16.55	
11.	जम्मू–कश्मीर	4.29	0.56	13.22	
12.	झारखंड	4.81	–	279.75	
13.	कर्नाटक	419.31	104.50	18.00	
14.	केरल	211.69	2.22		
15.	मध्य प्रदेश	75.86	2.77	965.66	
16.	महाराष्ट्र	84.84	15.20	304.70	
17.	मणिपुर	71.92	44.53	–	
18.	मेघालय	17.15	–	–	
19.	मिजोरम	3.50	–	–	
20.	नागालैंड	0.36	1.38	–	

1	2	3	4	5	6
21.	उड़ीसा	191.61	195.35	994.28	
22.	पांडिचेरी	5.88	–	24.15	
23.	पंजाब	51.35	3.42	–	
24.	राजस्थान	93.71	5.21	174.02	
25.	तमिलनाडु	188.40	142.52	55.90	
26.	त्रिपुरा	2.30	5.00	–	
27.	उत्तर प्रदेश	442.25	28.37	–	
28.	उत्तरांचल	24.97	3.63	–	
29.	पश्चिम बंगाल	269.74	86.65	1.35	

विवरण-II

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटित निधियां

क्र.सं.	योजना का नाम	11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटित निधियां
1.	दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना	600.00
2.	उपकरणों/सहायक यंत्रों की खरीद/फिटिंग हेतु विकलांगजनों को सहायता	542.00
3.	वृद्धजनों के लिए समेकित कार्यक्रम	660.00
4.	सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना	113.00

[अनुवाद]

सोमनाथ-मुंबई के लिए नई रेलगाड़ी

3008. डा. वल्लभभाई कथीरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोमनाथ से मुंबई के बीच एक सुपरफास्ट नई रेलगाड़ी चलाने की मांग को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई प्रतिवेदन दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नवजीवन एक्सप्रेस को राजकोट तक बढ़ाए जाने की मांग की जांच कर ली गई है और इस संबंध में निर्णय ले लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) जी हां। इस संबंध में माननीय संसद सदस्य, श्री जसुभाई डी बारड़ सहित कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) 2655/2656 चेन्नै–अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रेस का विस्तार राजकोट तक करना परिचालनिक एवं संसाधन तंगियों के कारण व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

रेल दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा

3009. श्री रशीद मसूद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 दिसंबर, 2007 के "हिन्दुस्तान" में "मौत के मुआवजे के लिए भी जद्दोजहद" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या रेल मंत्रालय ने समझौता एक्सप्रेस में हुए बम विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवारों को क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। समाचार पत्र की कतरन में उल्लिखित 6 मृत यात्री पाकिस्तानी राष्ट्रीयता के थे। लेकिन पहचान किए गए मृत व्यक्तियों की सूची में इनमें से केवल 3 के नाम थे तथा शेष तीन की अभी पहचान की जानी है। प्रत्येक को 10 लाख रु. के अनुग्रह भुगतान में से समाचार पत्र की कतरन में उल्लिखित तीन पहचान किए गए मृत व्यक्तियों के भारतीय संबंधियों को एक-एक लाख रु. का भुगतान कर दिया गया है। कानूनी वारिस की पहचान करने के बाद पाकिस्तान में भारतीय उच्च आयोग के माध्यम से 9 लाख रु. की बकाया राशि के भुगतान की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) से (ङ) इस संबंध में दायर किए गए दावों पर रेल दावा अधिकरण द्वारा निर्णय देने के बाद ही मुआवजे का भुगतान किया जाता है। अभी तक रेल दावा अधिकरण के समक्ष 22 दावे दायर किए गए हैं जिनमें से 2 पर निर्णय दे दिया गया है तथा मृतक के निकटतम संबंधी को 8 लाख रु. की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

[अनुवाद]

एलपीजी सिलेंडर बनाने वाली इकाइयों की स्थापना

3010. श्री जुएल ओराम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कंपनियां भारत में एलपीजी सिलिंडर बनाने वाली इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो संबंधित विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां वे इकाइयां स्थापित करने की योजना बना रही है; और

(ग) इन कंपनियों द्वारा की गयी पेशकश का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) जी नहीं। भारत में एलपीजी सिलेंडर इकाइयों की स्थापना करने के लिए किसी विदेशी कंपनी की उत्सुकता के बारे में मंत्रालय को जानकारी नहीं है।

पर्यटन योजनाएं

3011. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कौन-कौन सी बड़ी योजनाएं शुरू की गयी हैं;

(ख) उपर्युक्त परियोजनाओं/योजनाओं में से प्रत्येक पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं से कितना राजस्व अर्जित किया गया है; और

(घ) पर्यटन के विकास में विशेषकर पर्यटकों के अभाव वाले राज्यों में पर्यटन के विकास में कौन-सी मुख्य बाधाएं हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) गंतव्यों और परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास की विदेशी संवर्धन और प्रचार और घरेलू संवर्धन एवं प्रचार की मुख्य योजनाओं सहित, पर्यटन मंत्रालय की प्लान योजनाओं पर, पिछले तीन वर्षों में किए गए व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	व्यय (करोड़ रु. में)
2004-05	464.68
2005-06	768.16
2006-07	797.05

पिछले तीन वर्षों के दौरान, पर्यटन से अनुमानित विदेशी मुद्रा आय निम्न प्रकार है :-

वर्ष	विदेशी मुद्रा आय (करोड़ रुपयों में)
2005	33123
2006	40375
2007	49413

आवास की कमी और अपर्याप्त सम्पर्क, पर्यटक के विकास में कुछेक मुख्य बाधाएं हैं।

कर्नाटक में विमानन परियोजनाओं हेतु भूमि का पट्टा

3012. श्री एम. शिवन्ना : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कुछ विमानन परियोजनाओं को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जमीन को काफी कम दर पर पट्टे पर दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार सरकारी जमीन को इस प्रकार से औने–पौने दाम पर बेचने के कार्य को रोकने हेतु उपाय करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों हेतु मांग

3013. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत के दौरान विद्युत उत्पादन हेतु तरल ईंधन की आवश्यकता को छोड़कर पेट्रोलियम उत्पादों हेतु कितनी मांग का अनुमान लगाया गया था;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की वृद्धि दर क्या रही है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की वृद्धि को गति प्रदान करने के लिए हाइड्रोकार्बन भंडारों को बढ़ाने तथा उनकी खोज संबंधी कार्य में तेजी लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर कार्य दल द्वारा अनुमानित पेट्रोलियम उत्पादों की मांग निम्नवत् है :–

	2007–08	2008–09	2009–102010–11	2011–12
बेस केस	116.437	119.098	12.987 126.973	131.767
ऊपर केस	117.555	121.951	127.789 136.593	141.793

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की वृद्धि दर निम्नवत् है:–

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	सीएजारजी (%)
% वृद्धि	3.7	3.5	3.8	1.4	6.7	3.8

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की वृद्धि दर (%) निम्नवत् है:–

	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	सीए आरजी(%)
बेस केस	2.1	2.3	2.4	4.1	3.8	2.93
ऊपर केस	3.1	3.7	4.8	6.9	3.8	4.45

(घ) देश में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण तथा उत्पादन कार्यों में तेजी लाने तथा मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं/कई कदमों पर कार्रवाई की जा रही है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं –

(1) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनाईएलपी) के विभिन्न दौरों के तहत अन्वेषण के लिए प्रस्तुति हेतु अधिक से अधिक क्षेत्रों को तैयार करना।

(2) उत्पादन शुरू करने में सक्षम बनाने हेतु खोजे गए भंडारों का तेजी से विकास।

(3) मौजूदा क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्दीपन तकनीकों का प्रयोग।

(4) मौजूदा क्षेत्रों से वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) तकनीकों का अनुप्रयोग।

(5) पुराने तेल क्षेत्रों के ह्रास को रोकना।

(6) इक्विटी तेल हेतु विदेश में उत्पादनरत परिसंपत्तियों तथा अन्वेषण रकबों का अर्जन।

(7) ऊर्जा को अपारंपरिक स्रोत जैसे बायो डीजल, एथेनोल आदि के प्रयोग द्वारा तेल का प्रतिस्थापन।

(8) उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास करके राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट्स कार्यक्रम (एनजीएचपी) के अंतर्गत गैस हाइड्रेट्स से गैस निकालना।

पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा कुछ समय के लिए अन्वेषण गतिविधि रोकना

3014. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्रणी पेट्रोलियम कंपनियां उनको दिए गए डीप वाटर ब्लाक्स में अन्वेषण गतिविधि कुछ समय के लिए रोकने की मांग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अन्वेषण अवकाश देने हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा तेल उत्पादन में कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) कुछ ई एंड पी कंपनियों ने गहरे समुद्री रिगों की अंतर्राष्ट्रीय कमी को ध्यान में रखते हुए, गहरे समुद्री क्षेत्रों के लिए लगभग तीन वर्षों की अवधि के लिए वेधन अधिस्थगन चाहने हेतु सरकार से अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा इस मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन कार्यकलापों में तेजी लाने और देश में मांग और आपूर्ति के अंतराल को पाटने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं –

(1) एनईएलपी दौरों के जरिए गहरे समुद्र और सीमान्त क्षेत्रों सहित अन्वेषण के लिए अधिकाधिक क्षेत्रों की पेशकश करना।

(2) उत्पादन शुरू करने में समर्थ बनाने के लिए, खोजे गए भंडारों का अपेक्षाकृत अधिक त्वरित विकास करना।

(3) विद्यमान क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्प्रेरण तकनीकों का इस्तेमाल करना।

(4) विद्यमान क्षेत्रों से निकासी घटक में वृद्धि करने के लिए वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) तकनीकों को लागू करना।

(5) पुराने क्षेत्रों से गिरावट को रोकना।

(6) इक्विटी तेल को लाने के लिए अन्वेषण एकबे और विदेश स्थित उत्पादनरत संपत्तियों का अर्जन करना।

(7) बायो डीजल, एथेनोल आदि जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल के जरिए तेल का प्रतिस्थापन करना।

(8) उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित करके राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट्स कार्यक्रम (एनजीएचपी) के तहत गैस हाइड्रेट्स से गैस निकालना।

कोचीन विमानपत्तन

3015. श्री एस. अजय कुमार : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, कोचीन में सरकारी – निजी भागीदारी का ब्यौरा क्या है;

(ख) कोचीन विमानपत्तन की एयरोट्रो पोलिस अवधारणा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोचीन विमानपत्तन की उक्त अवधारणा के अंतर्गत भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) केरल राज्य सरकार द्वारा कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोक निजी–भागीदारी के आधार पर प्रोत्साहित किया गया था। इसमें लगभग 16,500 शेयर होल्डर हैं जिसमें केरल सरकार, राज्य सार्वजनिक उपक्रम, केन्द्रीय सरकारी उपक्रम बैंक, अनिवासी भारतीय तथा जनता शामिल है। उनकी शेयरधारिता है : राज्य सरकार तथा इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (35.15%), केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (एअर इंडिया 3.38%) बीपीसीएल–(3.54%), बैंक, अनिवासी भारतीय तथा जनता (20.48%), और निदेशक (37.45%)।

(ख) कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने एयरोट्रोपोलिस (एयरपोर्ट सिटी) के स्थापना के लिए निर्धारित भूमि में से हवाई अड्डे के विकास के प्रयोजन के लिए लगभग 1400 एकड़ भूमि प्राप्त की है। सीआईएएल में विभिन्न उपयोगकर्ताओं तथा स्टेकहोल्डरों के लिए आधुनिक सुविधाओं सहित हवाई अड्डे के आस–पास पूर्ण रूपेण हवाई अड्डा सिटी के रूप में विकसित किया जाना है।

(ग) सीआईएएल ने एक विमान अनुरक्षण मरम्मत और ओवरहॉल केन्द्र तथा एक विमानन अकादमी की स्थापना की योजनाएं बनाई हैं।

ई-दाभोल बंगलौर गैस-पाइपलाइन

3016. श्री सुरेश अंगड़ि : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेल (इंडिया) लिमिटेड ई–दाभोल बंगलौर गैस–पाइपलाइन बिछाने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यह कर्नाटक के लिए किस हद तक मददगार होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) 90 कि.ग्राम/वर्ग से.मी. की दाब पर, 16 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) न्यूनतम क्षमता से डाभोल–बंगलौर गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए गेल को प्राधिकार प्रदान किया गया है। इस क्षमता में से तृतीय पक्षकार को मुक्त पहुंच पर और गैर भेदभाव आधार पर, 4 एमएमएससीएमडी इस्तेमाल के लिए सामान्य वाहक आधार पर उपलब्ध होगी।

(घ) यह पाइपलाइन अन्य ग्राहकों के साथ–साथ कर्नाटक के ग्राहकों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगी।

[हिन्दी]

इंदौर रेलवे स्टेशन का विकास

3017. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास इंदौर स्टेशन मध्य प्रदेश के विकास हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) रेलवे स्टेशनों पर, यात्री सुविधाएं बढ़ाना एक सतत् प्रक्रिया है और इन्हें अपेक्षित समझे जाने पर, यात्री आमदनी में वृद्धि तथा धनराशि की उपलब्धता तथा अन्य सापेक्ष प्राथमिकताओं के आधार पर शुरू किया जाता है। इंदौर रेलवे स्टेशन पर मॉडल स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए पहले ही कार्य शुरू कर दिया गया है। इस स्टेशन पर निम्नलिखित सुधार/विकास कार्य पहले ही पूरे कर दिए गए हैं :

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत (लाख रु. में)
1.	कॉलमों के आसपास बैठने की व्यवस्था में सुधार	2.00
2.	अनारक्षित टिकटिंग सिस्टम की व्यवस्था	1.00
3.	एकतरफा यानीय यातायात के लिए नए प्रवेश द्वार, आर–आर के समीप स्थान का विकास तथा प्लेटफार्म सं. 5 के लिए अतिरिक्त प्रवेश द्वार की व्यवस्था	8.00
4.	परिचलन क्षेत्र में सुधार तथा मौजूदा साइकिल स्टैंड को शिफ्ट करना	40.00
5.	प्लेटफार्म नं. 1 पर फोटा फ्लोरिंग की व्यवस्था	17.00
6.	एम जी साइड पर परिचलन क्षेत्र में सुधार	5.00
7.	पानी की आपूर्ति में सुधार	5.00

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्य भी शुरू किए गए हैं और इन्हें 31 मार्च, 2009 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है।

1. 24 सवारी डिब्बें वाली गाड़ी को समाहित करने के लिए प्लेटफार्म सं. 5 का विस्तार;
2. प्लेटफार्म सं. 3,4 तथा 5 पर छत का विस्तार;
3. फर्नीचर सहित साइबर कैफे, एटीएम, एसटीडी/पीसीओ बूथ जैसी यात्री सुविधाओं संबंधी अवसंरचना सहित प्रतीक्षालय का निर्माण तथा बैठने की व्यवस्था में सुधार;
4. बड़ी लाइन की तरफ टू व्हीलर/साइकिल स्टैंड पार्किंग पर छत की व्यवस्था;
5. प्लेटफार्म सं. 2 पर प्लेटफार्म की सतह में सुधार;
6. स्टेशन भवन के सामने वाले भाग में सुधार कार्य।

[अनुवाद]

कर्मचारियों की सुरक्षा एवं संरक्षा

3018. एडवोकेट सुरेश कुरुप्प : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विमानन उद्योग के विभिन्न प्रचालन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या कठिन परिस्थितियों से निपटने हेतु विभिन्न कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को विशेषीकृत प्रशिक्षण दिए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) अन्य बातों के साथ–साथ अपने कर्मचारियों की संरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विमानन उद्योग भारतीय उद्योगिक विवाद अधिनियम तथा अन्य श्रमिक कानूनों की अपेक्षा का अनुपालन भी करता है।

(ख) और (ग) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो हवाईअड्डे पर विमानन सुरक्षा ड्यूटियों पर तैनात कर्मचारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण उपलब्ध करता है ताकि वे बम की सूचना/बम की धमकियों तथा अन्य आपातकालीन स्थितियों जैसे विमान अपहरण की सूचना से निपट सके।

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो हैंड बैगेज, पंजीकृत बैगेज, क्रिसिंग यात्रियों की तलाशी, पहुंच नियंत्रण, पैरीमीटर गार्डिंग, पैट्रोलिंग पर विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। एक्सरे स्क्रीनिंग ड्यूटी पर केवल उन्हीं स्क्रीनिरों को तैनात किया जाता है जो नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा प्रशिक्षित व प्रमाणीकृत होते है। बम की सूचना/बम की धमकियों तथा अन्य आपातकालीन स्थितियों जैसे विमान अपहरण पर विशिष्ट प्रशिक्षण नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरों के अतिरिक्त सीआईएसएफ तथा राज्य पुलिस द्वारा भी प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

कारगिल युद्ध के शहीदों के परिजनों को पेट्रोल पम्पों/गैस एजेंसियों का आबंटन

3019. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :
श्री तुकाराम गंगाधर गयाख :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारगिल युद्ध 1999 के शहीदों के परिवारों को एवं इस युद्ध में अपंग हुए लोगों को पेट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों के आबंटन हेतु प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक ऐसे कितने परिवारों और अपंग सैनिकों को पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां आबंटित की गयी हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कुल कितने उपर्युक्त परिवारों एवं कारगिल युद्ध के अपंग सैनिकों को अभी भी पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां आबंटित की जानी शेष हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई समिति गठित की गयी है;

(च) यदि हां, तो क्या इस समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन किया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) सरकार ने "ऑपरेशन विजय" (कारगिल) में युद्ध के दौरान शहीद हुए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं/निकटतम संबंधियों को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों (पेट्रोल पंपों) और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए 1999 में एक विशेष योजना शुरू की थी। शारीरिक रूप से अपंग हुए (पीएच) सिपाहियों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया था। इस विशेष योजना के तहत कुल 446 आरओ डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप सरकार द्वारा आबंटित किए गए थे और कोई भी मामला आबंटन के लिए लंबित नहीं रह गया है।

(ङ) से (छ) मंत्रालय द्वारा इस संबंध में किसी समिति का गठन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

बेघर लोग

3020. श्री विजय कृष्ण : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बेघर लोगों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) उनके लाभ के लिए विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में कौन–सी योजनाएं चलायी जा रही हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इनके लिए राज्य–वार कितना वित्तीय आबंटन किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में बेघर व्यक्तियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय, बिहार एवं उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत घरों के निर्माण के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले ग्रामीण परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत किए गए राज्यवार केन्द्रीय आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बेघर आबादी
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	242
2.	आंध्र प्रदेश	163938
3.	अरूणाचल प्रदेश	442
4.	असम	13355
5.	बिहार	42498
6.	चंडीगढ़	2722
7.	छत्तीसगढ़	28772
8.	दादरा व नागर हवेली	1471
9.	दमन व दीव	1071
10.	दिल्ली	24966
11.	गोवा	5280
12.	गुजरात	220786
13.	हरियाणा	59360
14.	हिमाचल प्रदेश	8364
15.	जम्मू–कश्मीर	12751
16.	झारखंड	10887
17.	कर्नाटक	102226
18.	केरल	16533
19.	मध्य प्रदेश	231246
20.	महाराष्ट्र	340924
21.	मणिपुर	2607
22.	मेघालय	1827
23.	मिजोरम	336
24.	नागालैंड	2002
25.	उड़ीसा	42871
26.	पांडिचेरी	1662
27.	पंजाब	46958
28.	राजस्थान	143497
29.	सिक्किम	286
30.	तमिलनाडु	86472
31.	त्रिपुरा	857
32.	उत्तर प्रदेश	201029
33.	उत्तरांचल	14703
34.	पश्चिम बंगाल	110535
	कुल	1943476

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत किए गए वर्षवार एवं राज्यवार केन्द्रीय आबंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा

लाख रुपए में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय आबंटन		
		2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	17981.83	24399.42	25939.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	825.98	949.43	1018.68
3.	असम	18584.99	20994.23	22525.46
4.	बिहार	48846.34	72020.72	76565.57
5.	छत्तीसगढ़	3074.96	3773.17	4011.28

1	2	3	4	5
6.	गोवा	116.18	150.28	159.77
7.	गुजरात	5167.82	11966.03	12721.14
8.	हरियाणा	1747.40	1680.04	1786.06
9.	हिमाचल प्रदेश	773.06	592.56	629.95
10.	जम्मू व कश्मीर	924.74	1840.52	1956.67
11.	झारखंड	14351.50	6423.93	6829.31
12.	कर्नाटक	9301.41	9400.43	9993.64
13.	केरल	5763.87	5227.51	5557.39
14.	मध्य प्रदेश	10730.71	7504.14	7977.69
15.	महाराष्ट्र	16503.47	14714.56	15643.12
16.	मणिपुर	984.83	824.15	884.26
17.	मेघालय	1308.47	1435.38	1540.07
18.	मिजोरम	314.12	305.89	328.20
19.	नागालैंड	844.67	949.84	1019.11
20.	उड़ीसा	14476.04	14149.75	15042.66
21.	पंजाब	1157.56	2077.71	2208.83
22.	राजस्थान	4876.10	6013.11	6392.56
23.	सिक्किम	226.45	181.66	194.91
24.	तमिलनाडु	9030.00	9768.97	10385.44
25.	त्रिपुरा	1910.49	1849.42	1984.31
26.	उत्तर प्रदेश	32923.88	32348.75	34390.12
27.	उत्तरांचल	3419.68	1621.77	1724.11
28.	पश्चिम बंगाल	19407.12	19518.40	20750.10
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	218.73	309.46	328.99
30.	दादरा व नगर हवेली	114.78	51.56	54.82
31.	दमन व दीव	47.51	23.07	24.52
32.	लक्षद्वीप	3.72	20.00	21.26
33.	पांडिचेरी	108.59	154.14	163.86
	कुल	246067.00	273240.00	290753.00

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) के भवन को स्थानांतरित किया जाना

3021. श्रीमती निवेदिता माने : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आर के पुरम, नई दिल्ली स्थित इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई आई एल) के कार्यालय को गुड़गांव स्थानांतरित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या "ड्राट्समैन" सहित ई आई एल के सभी कर्मचारियों को स्थानांतरित (शिफ्ट) किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ई आई एल भवन को कब तक गुड़गांव स्थानांतरित किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) ईआईएल ने रिपोर्ट दी है कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पाद

3022. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने यात्रा टिकटों के साथ शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों की गठरियों अथवा बैगों की बुकिंग के प्रावधान को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को छोटे किसानों को उनकी यात्रा टिकटों के साथ शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों की बुकिंग नहीं होने के कारण उन्हें होने वाली समस्याओं की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो यात्रा टिकटों के साथ शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों की गठरियों अथवा बैगों की बुकिंग के प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) टिकट के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को निजी सामान के रूप में सामान ले जाने के लिए विनिर्दिष्ट सीमा तक निःशुल्क यात्री डिब्बे में विनिर्दिष्ट आयामों के ट्रंक, सूट–केस तथा बक्से ले जाने की अनुमति है। विनिर्दिष्ट आयामों से अधिक सामान तथ नश्य कृषि उत्पाद गांठों तथा बोरियों को बुक कराने तथा पार्सल के रूप में ब्रेकयान में ले जाने की अनुमति है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आयोग

3023. श्रीमती रंजीत रंजन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पिछड़े वर्गों के लोगों की शिकायतें सुनने के लिए अधिकृत किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पिछड़े वर्गों की शिकायतों की सुनवाई करने हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिकृत करने का है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 9 के अंतर्गत, अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में किसी जाति के अति समावेशन और अल्प समावेशन की शिकायतें सुनने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिकृत है।

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक

3024. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री अभिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री मधु गौड यास्की :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) के प्रभार के अंतर्गत आने वाले केन्द्र द्वारा संरक्षित 35 से अधिक ऐतिहासिक स्मारक/स्थल विलुप्त हो गए हैं और उनका नामोनिशान नहीं रह गया है जैसाकि दिनांक 5 मार्च, 2008 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्मारकों/स्थलों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन स्मारकों और स्थलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी जांच का आदेश दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा इसके लिए जिम्मेदार कौन से लोग हैं; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ङ) 3667 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों में से 35 विलुप्त हैं। इनका ब्यौरा (राज्य–वार) संलग्न विवरण में दिया गया है। इनके विलुप्त होने के मुख्य कारण शहरीकरण, वाणिज्यिकीकरण तथा विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन है। स्मारकों का सर्वेक्षण करते समय इनका विलुप्त होना प्रकाश में आया और किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।

(च) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का एक सम्पूर्ण तथा विस्तृत डाटा आधार तैयार किया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के चुनिन्दा स्मारकों में निजी सुरक्षा गार्डों, राज्य पुलिस कार्मिकों, होम गार्डों तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती करके पहरा तथा निगरानी को भी सुदृढ़ किया है।

विवरण

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची जिनका पता नहीं चल सका

स्मारक/स्थलों के नाम
असम
1. सम्राट शेरशाह की बन्दूकें, ना – सादिया, जिला तिनसुकिया
अरूणाचल प्रदेश
1. पया के निकट ताम्र मंदिर के खण्डहर, जिला लोहित

दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)

1. दिल्ली स्थित शेरशाह सूरी का मोती दरवाजा, मौजा बाबरपुर बाजिदपुर, जिला नई दिल्ली
2. पूल चादर, मौजा चौकरी मुबारकबाद, जिला उत्तर दिल्ली
3. अलीपुर कब्रिस्तान, अलीपुर शिविर ग्राउंड, जिला उत्तर दिल्ली
4. बाराखम्भा कब्रिस्तान, इम्पीरियल सिटी, जिला दिल्ली
5. कैप्टन मैक बारनेट तथा अन्यों का मकबरा जो किशनगंज पर आक्रमण में गिर गया, किशनगंज, जिला उत्तर दिल्ली
6. रेलवे स्टेशन के निकट तीन गुम्बदों वाला मकबरा, निजामुद्दीन, जिला दक्षिणी दिल्ली
7. "राइट अटैक, लैफ्टीनेंट एफ.आर. मानसेल, आर.ई. डायरेक्टिंग इंजीनियर, सं. । बैटरी – राइट, मेजर जेम्स ब्राइन्ड, आर. ए., कमांडिंग – आर्मामेंट फाइव 18–पाउंडर्स : एक 18 – इंच हॉबिटजर। टू साइलेन्स मोरी बेस्टन" अंकित सीज बैटरी का स्थल, पुलिस लाइन में हॉस्पिटल का पूर्व, जिला उत्तर दिल्ली।
8. "सं ॥ बैटरी – राइट, मेजर एडवर्ड काये, आर.ए., कमांडिंग आर्मामेन्ट टू 18 – पाउंडर्स; सेवन 8 – इंच हॉबिटजर, टू ब्रीच कश्मीर बेस्टन" अंकित सीज बैटरी का स्थल कर्जन ह्राउस का अहाता, जिला उत्तर दिल्ली।
9. इंचला वाली गुमटी, गांव मुबारकपुर कोटला, जिला दक्षिण दिल्ली
10. सर्वेक्षण भूखण्ड सं. 167 के भाग में सम्मिलित जोगाबाई के नाम से प्रसिद्ध टीला, जामिया नगर, जिला दक्षिणी दिल्ली।
11. प्लेटफार्म के दोनों प्रवेश द्वारों के साथ शमसी तालाब, महरौली, जिला दिल्ली
12. कश्मीरी गेट के बाहर की ओर निकलसन मूर्ति, इसका प्लेटफार्म, इसके आस पास के उद्यान, मार्ग एवं अहाता दीवार, जिला उत्तर दिल्ली

गुजरात

1. प्राचीन स्थल, सेजकपुर, जिला सुरेन्द्रनगर
2. ऐतिहासिक स्थल सं. 431 से 435, वडोदरा, जिला वडोदरा

हरियाणा

1. मुगल कोस मीनार, मुजेसर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा
2. मुगल कोस मीनार, शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा

जम्मू-कश्मीर

1. शीतला नारद, ब्रह्मा तथा राधा कृष्ण की शैल नक्काशी, बसोहली, जिला कथूरा
2. शेर पर सवार देवा की शैल नक्काशी, बसोहली, जिला कथूरा
3. विश्वेश्वर तथा अन्य गुफा मंदिर, बसोहली, जिला कथूरा

कर्नाटक

1. प्रागैतिहासिक स्थल, कित्तूर, जिला मैसूर

राजस्थान

1. किला में लेख, नागर, जिला टोंक
2. बारहवीं शताब्दी का मंदिर, बारन, जिला बारन

उत्तरांचल

1. कुटुम्बरी मंदिर, द्वारहाट, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा
2. खेरा की बांदी, पुराना कब्रिस्तान, तहसील रूड़की, हरिद्वार
3. वैरापटपटना के साथ स्थानीय तौर पर अभिज्ञात प्राचीन भवनों के अवशेष, ढिकुली, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल

उत्तर प्रदेश

1. बन्द कब्रिस्तान, कटरा नाका, तहसील बांदा, जिला बांदा
2. संही खेडा नामक विशाल ध्वस्त स्थल, पाली, तहसील शाहबाद, जिला हरदोई
3. कब्रिस्तान, जालौन (बस स्टैंड), तहसील जालौन, जिला जालौन
4. तोपची बरकिल का मकबरा, रनगांव, तहसील महरौनी, जिला ललितपुर
5. इमामबाड़ा अमिन–उद–दौला, लखनऊ, तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ
6. लखनऊ फैजाबाद रोड पर 3, 4 और 5 मील पर स्थित तीन मकबरे, तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ
7. 6 तथा 7 मील पर कब्रिस्तान, जहरैला रोड, तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ
8. गौ घाट स्थित कब्रिस्तान, लखनऊ, तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ

[हिन्दी]

रेल आरक्षण के लिए मानदंड

3025. श्री रामदास आठवले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेल टिकटों के आरक्षण के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्धारित मानदंडों में लोक प्रतिनिधियों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर टिकटों का आरक्षण शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रेल टिकटों का आरक्षण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जा सकता है।

(ग) और (घ) उच्च पदाधिकारी मांग पत्र धारकों, संसद सदस्यों/विधायकों, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अन्य तात्कालिक मांगों की तत्काल यात्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंध में सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों में विभिन्न श्रेणियों में आपातकालीन कोटा के तौर पर बर्थों/सीटों को एक सीमित संख्या में निर्धारित किया गया है। इस कोटे में उच्च गणमान्य व्यक्तियों की स्वयं की यात्रा के लिए वरीयता दी जाती है। इसके बाद विभिन्न विभागों से प्राप्त अन्य मांगों पर विचार किया जाता है और अन्य कारकों जैसे यात्रा कर रहे यात्रियों की स्थिति, तात्कालिकता की प्रवृति जैसे सरकारी कार्य से यात्रा, परिवार में मृत्यु, बीमारी आदि को ध्यान में रखकर अनुपयुक्त कोटा रिलीज किया जाता है। संसद सदस्यों द्वारा अग्रेषित मांगों को सामान्यतः पूरा किया जाता है लेकिन कभी-कभी इन सभी मांगों को समाहित करना व्यवहार्य नहीं होता जब मांग, उपलब्धता से अधिक हो।

[अनुवाद]

ऑटोमोबाइल रसोई गैस वितरण स्टेशनों की स्थापना

3026. श्री नन्द कुमार साय :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन (आई. ओ. सी.) का प्रस्ताव वर्ष 2007-08 के दौरान देशभर में और अधिक संख्या में आटोमोबाइल रसोई गैस वितरण स्टेशनों (ए.एल.डी.एस.) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार इंडियन आयल कारपोरेशन के कितने आटोमोबाइल रसोई गैस वितरण स्टेशन कार्य कर रहे हैं;

(घ) ऑटोमोबाइल रसोई गैस वितरण स्टेशनों की स्थापना के लिए स्थलों के चयन हेतु इंडियन आयल कारपोरेशन के मानदंड क्या हैं; और

(ङ) वर्ष 2007-08 के अंत तक इंडियन आयल कारपोरेशन के बाजार हिस्से में कितनी वृद्धि होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) ने रिपोर्ट दी है कि वर्ष 2007-08 के दौरान देश में मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्रों पर 50 और ऑटोमोबाइल एलपीजी वितरण केन्द्रों (ए.एल.डी.एस.) को स्थापित करने का उनका प्रस्ताव है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 1.3.2008 को, देश के विभिन्न राज्यों में आईओसी द्वारा 155 ए.एल.डी.एस. का प्रचालन किया जा रहा है।

(घ) आईओसी द्वारा ऐसे मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्रों पर मांग निर्धारण करने के बाद ए.एल.डी.एस. लगाए जाते हैं, जहां स्थैतिक तथा चल दाब यान नियमों (एस.एम.पी.वी. नियमों) के तहत यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से पर्याप्त स्थान मौजूद हो।

(ङ) आईओसी ने रिपोर्ट दी है कि वर्ष 2007-08 के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) की कुल ऑटो एलपीजी बिक्रियों में से उनका बाजार हिस्सा बढ़कर 45.10% तक हो जाने की संभावना है।

विवरण

राज्य का नाम	वर्ष 2007-08 के दौरान प्रस्तावित एएलडीएस की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	6
असम	3
गुजरात	4

1	2
कर्नाटक	7
केरल	4
मध्य प्रदेश	5
महाराष्ट्र	4
उड़ीसा	1
पंजाब	1
राजस्थान	7
तमिलनाडु	8
योग	50

राजधानी शहर में रेल यात्रा सुविधाओं में वृद्धि

3027. श्री अनन्त नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी शहर में रेल यात्रा सुविधाओं के लिए की जा रही भारी मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसके लिए प्रस्तावित विस्तार का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) संभवतः यह प्रश्न केंदुरझारगढ़ से भुवनेश्वर–राजधानी शहर तक रेल यात्रा सुविधाओं से संबंधित है। 2008–2009 के रेल बजट में भुवनेश्वर के रास्ते केंदुरझारगढ़–पुरी एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस्पात संयंत्र की स्थापना

3028. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके स्थान तथा निर्धारित उत्पादन क्षमता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए असम में आधारशिला रखी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसका स्थान तथा निर्धारित क्षमता क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार का पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई इस्पात संयंत्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

केशोद विमानपत्तन

3029. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में केशोद विमानपत्तन का विकास काफी पहले किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केशोद विमानपत्तन चालू हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसको कब तक चालू किया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अजमेर और किशनगढ़ के लिए विमानन सुविधाएं

3030. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐतिहासिक एवं पवित्र शहर अजमेर के लिए विमान सेवा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने छोटे विमानों के उतरने के लिए किशनगढ़ हवाईपट्टी विकसित करने एवं इसका विस्तार करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) राजस्थान सरकार ने किशनगढ़ में मौजूदा हवाई पट्टी के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुरोध किया है जो राज्य सरकार के अधीन है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में राज्य सरकार को एक मसौदा समझौता ज्ञापन भेजा गया है तथा इसकी स्वीकृति प्रतीक्षित है। एयरलाइन को किशनगढ़ के लिए प्रचालन करने का अनुरोध किया जाएगा।

[अनुवाद]

माजुली द्वीप

3031. श्री हितेन बर्मन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा असम राज्य सरकार ने माजुली द्वीप को विश्व विरासत दर्जा प्रदान करने के संबंध में युनेस्को की शर्तों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत किए जाने सहित सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन्हें प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(घ) इस सूचना के संकलन में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार विश्व विरासत मानचित्र में माजुली द्वीप को शामिल करने के लिए वर्ष 2008 में इसे पुनः नामांकित करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। यूनेस्को के विश्व विरासत केन्द्र को अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत कर दी गई है। इसमें सट्टारास से संबद्ध वास्तुशिल्प तथा स्थानिक पैटर्नों की सूची (इन्वेंटरी), शेष बचे सट्टारास पर और सूचना तथा माजुली द्वीप पर उनके प्रभाव, कानूनी ढांचा, जोखिम तैयारी, वनस्पति तथा जीवजन्तु की सूची (इन्वेंटरी) तथा प्रबंधन योजना का विस्तार करना शामिल है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) सरकार के 2008 में माजुली द्वीप का पुनः नामांकन करने के निर्णय के अनुसरण में, अतिरिक्त डाटा/सूचना एकत्र और समेकित करके पहली फरवरी 2008 की अन्तिम तिथि से पहले यूनेस्को के विश्व विरासत केन्द्र को प्रस्तुत कर दी गई थी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पुनर्गठन

3032. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पुनरुत्थान अथवा पुनर्गठन करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके प्रमुख कारण क्या हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पुणे-मिराज खंड में पानी की कमी

3033. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के पुणे–मिराज खंड में करार रेलवे स्टेशन पर पानी की काफी कमी के परिणामस्वरूप प्रतीक्षालय, अतिशिष्ट व्यक्ति कक्ष, प्रसाधनों तथा प्लेटफार्म को बंद करना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में तथा रेलवे स्टेशनों पर लूट की घटनाएं

3034. श्री राकेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में/रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को नशीले पेय पदार्थ/खाद्य पदार्थ देकर उन्हें लूटे जाने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में विशेषकर पश्चिम–मध्य रेलवे जोन, जबलपुर में हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने तथा यात्रियों के लिए भयमुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेलों तथा पश्चिम मध्य रेलवे पर नशायुक्त पेय पदार्थ तथा खाद्य पदार्थ देकर यात्रियों को नशा खिलाने की घटनाओं की संख्या निम्नानुसार है :–

वर्ष	रिपोर्ट की गई मामलों की संख्या	
	क्षेत्रीय रेलें	पश्चिम मध्य रेलवे
2005	548	57
2006	714	57
2007	723	51

(ग) यह उल्लेख करना संगत है कि कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार का विषय है और भारतीय दंड संहिता अपराध में जांच करने तथा अभियोजित करने की शक्तियां पुलिस के पास है। नशायुक्त पेय पदार्थ/खाद्य पदार्थ देकर गाड़ियों में तथा स्टेशनों पर यात्रियों को लूटने जैसे भा.दं.सं. अपराधों का पंजीकरण करना, पता लगाना तथा जांच करना राजकीय रेल पुलिस का उत्तरदायित्व है जो राज्य सरकार के नियंत्रण में काम करती है। अतः रेल मंत्रालय रेलों में अपराध को नियंत्रित करने के लिए बहुधा उन पर निर्भर करता है।

उपर्युक्त तथ्य के बावजूद, रेलें यात्रियों की सुरक्षा हेतु गाड़ियों का मार्गरक्षण करने के लिए रेल सुरक्षा बल कर्मियों को तैनात करके रेलों पर अपराध को नियंत्रित करने में राज्य सरकार की मदद करने का प्रयास कर रही हैं।

गाड़ियों और रेल परिसरों में जहरखुरानी की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए जा रहे हैं :–

1. इस प्रकार के क्रिया–कलापों में लिप्त आपराधिक गैंगों के संबंध में आसूचना के बेहतर आदान–प्रदान के लिए स्थानीय पुलिस तथा रा.रे.पु. के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

2. प्रभावित/सुभेद्य स्टेशनों और गाड़ियों की पहचान की गई है तथा इस प्रकार के मामलों को रोकने हेतु खंडों/गाड़ियों की पहचान करने के लिए अधिक ध्यान दिया जा रहा है। अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए प्रभावित स्टेशनों और प्रभावित गाड़ियों में छद्म जांचें की जा रही हैं।

3. गाड़ियों, प्लेटफार्मों और यात्री क्षेत्रों में जहरखुरानी के अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को अनुदेश दिए गए हैं।

4. प्रभावित स्टेशनों/खंडों पर गाड़ियों में अधिक सतर्क रहने के लिए गाड़ी की मार्गरक्षी पार्टियों को समझाया जा रहा है।

5. चूककर्ताओं को पकड़ने के लिए आपराधिक आसूचना इकट्ठा करने तथा आदान–प्रदान करने के लिए रा.रे.पु./नगर पुलिस के समन्वय से सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

6. गाड़ी में यात्रा करते समय अथवा प्लेटफार्म पर अनधिकृत विक्रेताओं तथा अज्ञात लोगों से खाद्य पदार्थ खरीदने/स्वीकार करने से रोकने हेतु यात्रियों को सजग करने के लिए गाड़ी के सामान्य डिब्बों में तथा लाइन बंदोबस्त के दौरान जन उद्घोषण प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित घोषणा बार–बार की जाती है।

7. यात्रा करने वाले यात्रियों में जागरूकता पैदा करने के लिए स्टेशनों पर तथा गाड़ियों में महत्वपूर्ण स्थानों पर जहरखुरानी के खिलाफ चेतावनी को दर्शाने वाले पोस्टर/इश्तेहार परिपत्रित तथा चिपकाए जा रहे हैं।

8. इस प्रकार की घटनाओं के मामलों में चूककर्ताओं की पहचान हेतु सामान्य डिब्बे में चढ़ने के लिए कतार में खड़े लोगों की वीडियोग्राफी की जा रही है।

9. जहरखुरानी के मामलों में संलिप्त अपराधियों का फोटोग्राफ सभी थानों को परिपत्रित किए गए हैं तथा मार्गरक्षी कर्मचारियों को मुहैया कराए गए हैं।

10. रेलों पर जहरखुरानी की घटनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए समुचित योजना के निर्माण के लिए महानिदेशक/रे.सु.ब. द्वारा महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। सभी क्षेत्रीय रेल मुख्यालयों पर राजपत्रित अधिकारी के नियंत्रणाधीन जहरखुरानी निरोधक कक्षों की स्थापना की जा रही है जो रिपोर्ट किए गए जहरखुरानी के सभी मामलों की विस्तार से जांच करेंगे तथा सभी निवारक उपाय करेंगे।

11. यह उल्लेखनीय है कि 2007 के दौरान रेल सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों की जहरखुरानी में संलिप्त 81 अपराधियों को पकड़ा तथा आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए राजकीय रेल पुलिस को सुपुर्द किया गया है।

विमानपत्तनों के निर्माण में निजी क्षेत्र

3035. श्री गणेश सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विमानपत्तनों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रयोजनार्थ निधियों का सृजन किस प्रकार किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) मौजूदा नीति हवाईअड्डा अवसंरचना में निजी साझेदारी की अनुमति देती है व प्रोत्साहित करती है ताकि वित्त पोषण की कमी को पूरा किया जा सकें तथा निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सकें। हवाईअड्डों पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित 100% निजी भागीदारी की अनुमति है।

हैदराबाद, बंगलौर, नवीं मुम्बई आदि में सार्वजनिक निजी साझेदारी के अंतर्गत ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना की जा रही है। मौजूदा आईजीआई हवाईअड्डा, दिल्ली तथा सीएसआई हवाईअड्डा, मुम्बई को निजी साझेदारी के माध्यम से आधुनिक बनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

नया बंगलौर विमानपत्तन

3036. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए बंगलौर विमानपत्तन पर कार्गो तथा यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि होने की संभावना है और कर्मचारियों की कमी तथा उनकी असंगत तैनाती के कारण विमानपत्तन पर कुछ समस्याएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि नए परिवर्तनों के अनुकूल बनने के लिए समझदारी तथा तकनीकी विशेषज्ञता के स्तर में वृद्धि की जाए; और

(ग) यदि हां, तो नए बंगलौर विमानपत्तन पर कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) मैसर्स बैंगलोर अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (बीआईएएल), जिसे देवनहल्ली में नए बंगलौर हवाईअड्डे के निर्माण तथा प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है, में आगामी वर्षों में कार्गो तथा यात्री यातायात की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होने की आशा है तथा कंपनी ने तदनुसार हवाईअड्डा अवसंरचना तथा श्रमशक्ति में वृद्धि का प्रावधान कर लिया है। बीआईएएल ने कार्गो तथा यात्री यातायात की मात्रा की संभलाई के लिए कर्मचारियों की किसी प्रकार की कमी की प्रत्याशा नहीं की है।

तमिलनाडु में पेट्रोल/डीजल/रसोई गैस एजेंसियों का खोला जाना

3037. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्रों तथा रसोई गैस एजेंसियों को खोलने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिला-वार किन-किन स्थलों की पहचान की गई है; और

(ग) नए बिक्री केन्द्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) दिनांक 01.04.2002 से प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था के समाप्त हो जाने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां नामतः, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) तथा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) चयनित स्थलों की व्यवहार्यता तथा आर्थिक साध्यता के आधार पर अपने वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिपों तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए स्वतंत्र हैं। विनिर्दिष्ट स्थलों पर खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए समय-समय पर विभिन्न वर्गों से प्राप्त अनुरोधों को सरकार द्वारा ओएमसीज़ को भेज दिया जाता है ताकि वह प्रस्तावित स्थल की व्यवहार्यता/आर्थिक साध्यता पर विचार कर सकें। यदि व्यवहार्य पाया जाए, तो स्थल को ओएमसीज़ की विपणन योजनाओं में शामिल किया जाता है।

(ख) ओएमसीज़ ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने तमिलनाडु राज्य में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए 239 (दो सौ उनतालीस) तथा एलपजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए 131 (एक सौ इकतीस) स्थलों का पता लगाया गया है। स्थल-वार ब्यौरे संबंधित ओएमसीज़ के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(ग) ओएमसीज़ ने बताया है कि आरओ डीलरशिपों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा

निर्दिष्ट कर पाना कठिन है, क्योंकि खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना की प्रक्रिय में कई कदम शामिल होते हैं जैसे विज्ञापनों को जारी करना, आवेदन पत्रों तथा दस्तावेजों की जांच, डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेना, मैरिट पैनल जारी करना, चयनित उम्मीदवारों के संबंध में फील्ड जांच, आशय पत्र जारी करना, विभिन्न सांविधिक प्राधिकारियों आदि से विभिन्न अनुमोदनों/अनापत्ति प्रमाण–पत्रों को प्राप्त करना, आदि।

पेराम्बूर, चेन्नै में रेलवे अस्पताल

3038. श्री एस.के. खारवेलन्थन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को पेराम्बूर, चेन्नै के रेलवे अस्पताल में अपर्याप्त सुविधाओं के कारण कर्मचारियों को होने वाली समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे के पास पेराम्बुर रेलवे अस्पताल के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका आधुनिकीकरण कब तक किए जाने की संभावना है एवं आधुनिकीकरण होने पर किन सुविधाओं में सुधार की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) दूर–दूर से बहुत सारे मरीज रेल अस्पताल, पेराम्बूर में इलाज करने के लिए आते हैं। मरीज के परिवारों को ठहरने के लिए आवास की कमी है। फिलहाल वहां 76 कमरे उपलब्ध हैं। इस प्रयोजन के लिए रेलवे द्वारा 1.75 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) पेराम्बूर में रेल अस्पताल के लिए एक नई परियोजना की स्वीकृति दी गई है तथा 2005–06 के दौरान चरण–I के लिए 31.22 करोड़ रु. की स्वीकृति दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है। 2008–09 के लिए चालू बजट में चरण–II के लिए 55.6 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आधुनिकीकरण कार्य 3 वर्षों में पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि

3039. श्री राजनरायण बुधौलिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू.पी. संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि कर इसे सप्ताह में पांच दिन किए जाने का सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी हां। अपेक्षित सवारी डिब्बों के उपलब्ध हो जाने पर 2447/2448 निजामुद्दीन माणिकपुर उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के फेरे सप्ताह में तीन दिन से बढ़ाकर 5 दिन कर दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

स्थलों का उत्खनन

3040. श्री गिरिधर गमांग : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भुवनेश्वर पुरातात्विक सर्कल द्वारा किन–किन पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन कार्य आरम्भ किया गया है और इसमें अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) भुवनेश्वर सर्कल के गठन के पश्चात् अभी तक प्राचीन स्मारकों का संरक्षण एवं परिरक्षण के लिए क्या कार्य किया गया है;

(ग) उड़ीसा में राज्य संरक्षित प्राचीन स्मारकों के संरक्षण एवं परिरक्षण के लिए मंत्रालय द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई है तथा वित्त आयोग द्वारा कितनी विशेष निधियों की सिफारिश की गई है; और

(घ) अभी तक शामिल किए गए स्थलों एवं स्मारकों की सूची क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) भुवनेश्वर स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उत्खनन शाखा ने क्षेत्र सत्र 2003–04 तथा 2006–07 के दौरान बाराबटी किला, कटक में उत्खनन किया था। उत्खनन से 14–17वीं शताब्दी ई. के संरचनात्मक अवशेष तथा विराजमान देवी, गन्धर्व, सिंह–शीर्ष आदि जैसे महत्वपूर्ण पुरावशेष प्राप्त हुए थे।

(ख) वर्ष 1985 में भुवनेश्वर मंडल की स्थापना से कुल 12 स्मारकों/स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है जिससे उड़ीसा में केन्द्रीय स्मारकों की संख्या 78 हो गई है। सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राज्य द्वारा संरक्षित प्राचीन स्मारकों के संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए वित्तपोषण नहीं करता है। उड़ीसा के राज्य संरक्षित प्राचीन स्मारकों के संरक्षण तथा परिरक्षण के

लिए 12वें वित्त आयोग ने 6.00 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इसमें से वर्ष 2006–07 के दौरान 1.50 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी।

(घ) सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

भुवनेश्वर मंडल की स्थापना से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची

1. महीमनी मंदिर, जिला कटक
2. कपिलेश्वर महादेव मंदिर, हतुआरी, जिला धेनुकनाल
3. चन्द्रशेखरजू मंदिर, कपिलास, जिला धेनुकनाल
4. अन्नाकोटेश्वरा मंदिर, लतादेईपुर, जिला धेनुकनाल
5. अनंतसायी विष्णु, सारंग, जिला धेनुकनाल
6. कनकेश्वरा महादेव मंदिर, कुआलो, जिला धेनुकनाल
7. भुवनेश्वर महादेव मंदिर, बतिया, जिला कटक
8. प्राचीन स्थल, लंगुडी, जिला जाजपुर
9. जगन्नाथ मंदिर, जाजपुर, जिला जाजपुर
10. त्रिलोचनेश्वर महादेव मंदिर, जाजपुर, जिला जाजपुर
11. वराहनाथ मंदिर, जाजपुर, जिला जाजपुर तथा
12. पापनाशनी हौज, भुवनेश्वर, जिला भुवनेश्वर

विवरण-II

वर्ष 2006–07 में 12वें वित्त आयोग द्वारा वित्तपोषित राज्य संरक्षित स्थलों/स्मारकों की सूची

क्रम. सं.	राज्य संरक्षित स्थल/स्मारक	स्थान	जिला
1	2	3	4
1	चन्देश्वरा मंदिर के जगमोहन का आंशिक जीर्णोद्धार	चंदेश्वरा	खुर्दा
2	राधामोहनजू मंदिर तथा नीलमाधव मंदिर परिसर	कांतिला	नयागढ़
3	जगान्त्रा मोहन देव तथा रामनिधि मंदिर	रामेश्वर	खुर्दा
4	सोमनथ मंदिर	विष्णुपुर	पुरी
5	बुद्धनाथ मंदिर	गरेलीपंचाना	खुर्दा
6	गंजाम किला तथा कब्रिस्तान	गंजाम	गंजाम
7	रामेश्वर मंदिर	नुआससाना	कटक
8	गोविन्दराजू मंदिर का संरचनात्मक संरक्षण	अथागाडा	कटक
9	मसियम मठ की प्रवेश संरचना	कटक टाउन	कटक
10	स्वराज्य आश्रम	कटक टाउन	कटक
11	नरसिंहनाथ मंदिर	पैकामाला	बारगढ़
12	बटेश्वर मंदिर	चारीश्री	पुरी
13	बालादेवजू मंदिर	मंजुरी	भद्रक
14	खुर्दा किला	खुर्दा	खुर्दा
15	लक्ष्मणेश्वरा मंदिर समूह	भुवनेश्वर	खुर्दा
16	कान्तारेश्वरा मंदिर	कान्तरा	जगतसिंहपुर
17	गोपीनाथ मंदिर	सखीगोपाल	पुरी
18	केन्दुली के स्मारक	केन्दुली	खुर्दा
19	बिरनाची नारायण मंदिर	बुगुदा	गंजाम
20	मर्दा मंदिर	मर्दा	गंजाम

1	2	3	4
21	रघुनाथ मंदिर	तुरूम, कुलादा	गंजाम
22	लक्ष्मीनरसिंहा मंदिर	कालापंघन, नवा पटना	पुरी
23	मधु स्मृति	कटक टाउन	कटक
24	मदन मोहन मंदिर	हिंजलीकट, बेलनगांव	गंजाम
25	त्रुतियादेव मंदिर	कासंदा, रानपुर	नयागढ़
26	गुडीचन मंदिर	नीलागुड़ी	बालासोर
27	श्री जगन्नाथ मंदिर	कापासिरा	बारगढ़
28	एग्रेश्वरा शिव तथा दाधीवामन मंदिर	म्याली	कटक
29	स्वप्नेश्वरा मंदिर	पुरानावासुदेईपुर	जगतसिंहपुर
30	पद्मपाणी अवलोकीतेश्वरा तथा श्री हनुमानजू	परशुरामेश्वरा, महांगा	कटक
31	नीलकंठेश्वरा मंदिर	चांदीपटनाकुरूशनादासपुर	गंजाम
32	श्री जगन्नाथ मंदिर	बीरप्रताप्पुरासन	पुरी
33	जामादेई मठ और नारायणी मंदिर	चिकिटीगढ़	गंजाम
34	गोपाल जी मंदिर	बारपली	बारगढ़
35	पंचदेवालय मंदिर	भंजनगर	गंजाम
36	जगन्नाथ, चादी सती तथा माधवजू मंदिर	अगरपदा	भद्रक
37	सिद्धेश्वरा मंदिर	जाजपुर	जाजपुर
38	मारिची मंदिर	मरिचीपुर, ऐरसामा, जे. पुर	जगतसिंहपुर
39	नीलकंठेश्वरा मंदिर	जामरासुआम चारीश्री	पुरी
40	बलुंकेश्वरा मंदिर	बिजयरामचन्द्रपुर	पुरी
41	मंदिर परिसर	श्रीकेला, तितलीगढ़ के निकट	बोलंगिर
42	ब्याग्रादेवी मंदिर	कुलादा	गंजाम
43	गोपीनाथ मंदिर	त्रिलोचनपुर	पुरी
44	अनन्तनारायण मंदिर (मूर्ति शेड)	मुकुन्दपुर	जाजपुर
45	उदयनाथेश्वरा मंदिर	नीमाखदान्दी पेन्था	गंजाम
46	नीजेबंकेश्वरी मंदिर	दुभुना	गंजाम
47	शिव मंदिर	पोनोडा	गंजाम
48	गोपीनाथ मंदिर	ब्रह्मारपुर	गंजाम
49	स्थल संग्रहालय	पोडागढ़	नवरंगपुर
50	चांगुदेई माउंटेन स्थित मंदिर	दिगपाहाड़ी	गंजाम

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को राजकोषीय प्रोत्साहन

3041. श्री के.एस. राव : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू बाजार तथा निर्यात दोनों के लिए प्रसंस्कृत खाद्य की मांग एवं वृद्धि क्षमता कितनी है;

(ख) इसके लिए कितने मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना की गई है और ऐसे कितने पार्कों की स्थापना करने की योजना है;

(ग) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कर अवकाश तथा राजसहायता सहित क्या–क्या राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाते हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार संगठित खुदरा क्षेत्र को काफी बढ़ावा देने की योजना के भाग के रूप में बड़े फार्मेट वाले खाद्य पार्कों के विकास के लिए राजसहायता उपलब्ध कराकर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित एवं आमंत्रित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) सरकार द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, अनुमान है कि वर्ष 2003–04 में 4,60,000 करोड़ रुपए के खाद्य का उपभोग किया गया और अनुमान है कि इसमें से पैक किए फल–सब्जियों, पैक किए दूध आदि समेत प्राथमि प्रसंस्कृत खाद्य का हिस्सा 2,80,000 करोड़ रुपए है। उद्योग अनुमानों के अनुसार, प्रसंस्कृत खाद्य बाजार कुल खाद्य बाजार का 32 प्रतिशत बैठता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 13.14 प्रतिशत की दर पर बढ़ रहा है और इसमें दोहरी वृद्धि प्राप्त करने की संभावना है। प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात में भी जो वर्ष 2003–04 में 5192 करोड़ रुपए था, वर्ष 2006–07 में 10201 करोड़ रुपए की मात्रात्मक वृद्धि दर्शाई गई है। भारत के पास विभिन्न खाद्य उत्पादों के लिए विशाल कच्ची सामग्री आधार है। अर्थव्यवस्था लाभप्रद आधार पर बढ़ रही है। यहां तेजी से आगे बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग है, बदली हुई जीवन शैली है, शहरीकरण है, आय का बढ़ता हुआ स्तर है, संगठित फुटकर बिक्री की वृद्धि से प्रसंस्कृत खाद्य की मांग बढ़ रही है। इन सबसे और प्रसंस्कृत खाद्य द्वारा पेश की गई सुविधाओं और लाभों से आशा है कि देश में प्रसंस्कृत खाद्य बाजार की वृद्धि में तेजी आएगी। विश्व के खाने के शौकीन लोग विश्व के विभिन्न भागों का परम्परागत खाद्य खाना चाहते हैं और वे इसे अपने दैनिक भोजन का हिस्सा भी बनाना चाहते हैं। भारत, अपने सुदृढ़ कृषि आधार और विभिन्न किस्म के उत्पादों की वजह से इसका लाभ उठा सकता ताकि विश्व खाद्य व्यापार में उसका अंशदान और बढ़े।

(ख) अभी तक कोई मेगा खाद्य पार्क स्थापित नहीं किया गया है।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए उपलब्ध बजटीय प्रोत्साहनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) 11वीं योजना में मंत्रालय का प्रस्ताव बुनियादी ढांचा विकास संबंधी पुनः तैयार की गई स्कीम कार्यान्वित करने का है जिसके अंतर्गत वह अधिमानतः सरकारी–निजी भागीदारी मॉडल पर मंत्रालय मेगा खाद्य पार्कों, शीत श्रृंखला बुनियादी ढांचा विकास, मूल्यवर्धित केंद्रों और पैकेजिंग केंद्रों की स्थापना के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देगा। मेगा खाद्य पार्क संबंधी स्कीम बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज के साथ–साथ विश्वसनीय और धारणीय आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराएगा। झुंड आधारित मांग प्रेरित दृष्टिकोण खेत से बाजार तक लिंकेज प्रदान करेगा जिससे उन मूल प्रसंस्करण केंद्रों, संग्रहण केंद्रों आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वितरण केंद्र – सह – शीत श्रृंखला के जरिए स्थानीय स्तर से क्षेत्रीय स्तर तक लिंकेज उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें नियंत्रित वातावरण वाले शीतागार तथा वितरण केंद्र होंगे जहां बड़ी मात्रा में भंडारण किया जा सकता है और उसकी सप्लाई ताजी बिक्री तथा प्रसंस्करण हेतु प्रसंस्करण उद्योग को करने हेतु वितरण केन्द्रों को की जा सकती है। अच्छी गुणवत्ता वाली कृषि बागवानी उपज की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य जोर कृषि और बागवानी के साथ सुदृढ़ लिंकेज बनाने, परियोजना कार्यान्वयन क्षमताओं को बढ़ाने, निजी क्षेत्र द्वारा किए जा रहे निवेश को बढ़ाने और ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास के सृजन हेतु सहायता करने पर होगा।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए उपलब्ध बजटीय प्रोत्साहनों के ब्यौरे

उत्पाद शुल्क

जल्दी खराब होने वाली सब्जियों, फलों, दूध और मुर्गी–मांस से तैयार की जाने वाली प्रसंस्कृत खाद्य मदें कुल मिलाकर उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं। इसी तरह, मछली, डेरी उत्पाद, खाद्य उत्पाद, फल, मेवे, खट्टे फल, कॉफी, मसाले, अनाज, खाद्य वनस्पति तेल, सब्जियां, फल मेवों से बने व्यंजन जैसे कि जैम, जैली, जूस, टमाटर प्यूरी, सॉस, कैचप चिकौरी आदि भी उत्पाद शुल्क से मुक्त है।

उत्पाद शुल्क से पहले ही मुक्त वनस्पति तेल जैसी अन्तरवर्त मदें, 4% के विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क से भी मुक्त हैं। टेक्स्चूराइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन (सोया बड़ी) और खाने के लिए तैयार पैक किए खाद्य मुक्त हैं।

ऐसे बिस्कुटों पर उत्पाद शुल्क नहीं लगता है जिनकी फुटकर कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं है। कंडेन्स्ड मिल्क, आइसक्रीम, मांस, मछली और पॉलट्री से तैयार खाद्य वस्तुओं, पैक्टिन, पास्ता और खमीर, पैक किया हुआ नारियल पानी, चाय और काफी, प्री मिक्सीज़, पफ्ड राइस चीनी अथवा अन्य योगजों समेत खाद्य मेवों वाले दूध को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है।

शीतश्रृंखला सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए, 50 किलोवाट और उससे अधिक पॉवर इस्तेमाल करने वाले 2 टी आर (टन रेजिरेशन) से अधिक के रेफ्रिजरेशन उपकरण (जिसमें कंप्रेसर, कंडेन्सर यूनिट, वाष्पक आदि शामिल हैं) अंतिम उपयोग आधार पर उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं।

ओ.टी.एस. कैनों, असैप्टिक बैगों और असेप्टिक पैकेजिंग पेपर और नाश्ता आहार पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% कर दिया गया है।

केवल चीनी, मॉल्ट उत्पादों, चॉकलेट, कोको उत्पादों आदि पर उत्पाद शुल्क लगता है।

सीमा शुल्क

बैक्ट्रोफ्यूजिज पर लगने वाले सीमा शुल्क को 7.5% से घटाकर 0% कर दिया गया है। अधिकांश शीतश्रृंखला उपकरण जैसेकि रेफ्रिजरेंडिड वैनों को पहले ही सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है।

आयकर

सरकार ने फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकेजिंग के लिए स्थापित कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को आयकर अधिनियम के तहत पहले 5 सालों के लिए लाभ पर 100% और अगले 5 सालों के लिए 25% कर अवकाश दिया गया है।

अन्य

प्रौद्योगिकी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सेवाएं सेवाकर से मुक्त हैं। इसी तरह उनके इन्क्यूबेट्स जिनका सलाना कारोबार 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को पहले तीन वर्षों के लिए सेवाकर से छूट दी गई है।

बाहरी स्रोतों से अनुसंधान कार्य कराने को बढ़ावा देने के लिए, अनुसंधान तथा विकास कार्य में लगी कंपनियों को किए जाने वाले भुगतान पर 125% की भारित कटौती उपलब्ध कराई गई है।

हरियाणा में रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार/विस्तार

3042. श्री नवीन जिन्दल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006–07 के दौरान हरियाणा में किन–किन रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार/विस्तार किया जाएगा;

(ख) क्या इन स्टेशनों पर कार्य को पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 2007–08 के दौरान किन–किन स्टेशनों पर यह कार्य शुरू किए जाने की संभावना है और इसके लिए कितनी राशि संस्वीकृत की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) वर्ष 2006–07 के दौरान हरियाणा राज्य में निम्नलिखित आठ (8) रेलवे स्टेशनों के पुनरुद्धार/विस्तार/विकास कार्य किए गए थे:

रेवाड़ी, हिसार, भिवानी, सिरसा, कुरूक्षेत्र, बल्लभगढ़, पलवल और अंबाला छावनी।

(ख) और (ग) अंबाला कैंट और कुरूक्षेत्र को छोड़कर उपर्युक्त सभी स्टेशनों के कार्य पूरे हो चुके हैं। अंबाला कैंट और कुरूक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर मौजूदा अवसंरचनाओं के शिफ्टिंग के कारण कार्य को पूरा करने में विलंब हुआ है। अब इन कार्यों को 31 अगस्त, 2008 तक पूरा करने की योजना है।

(घ) हरियाणा राज्य में वर्ष 2007–08 के दौरान मंजूर की गई धनराशि सहित शुरू किए गए रेलवे स्टेशनों के पुनरुद्धार/विस्तार/विकास कार्य निम्नानुसार हैं:–

क्रमांक	रेलवे स्टेशन	मंजूर की गई निधियां (लाख रुपयों में)
1.	मंडी डबवाली	56.00
2.	गुड़गांव	15.00
3.	फरीदाबाद	40.00
4.	रोहतक	60.00
5.	पानीपत	60.00
6.	कालका	35.27
7.	जगाधरी	82.22
	कुल	348.49

ड्यूटी के दौरान शराब/नशीली दवाओं का सेवन

3043. श्री मिलिन्द देवरा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमों के अनुसार पायलटों, कमांडरों, नैविगेटरों, इंजीनियरों, केबिन कर्मीदल से उड़ान पर जाने के 12 घंटों की अवधि के पहले शराब, नशीली दवा, स्वापक अथा उद्दीपक पदार्थ का सेवन नहीं किए जाने की अपेक्षा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और गत दो वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में ऐसे कितने मामले आए हैं; और

(ग) ड्यूटी पर शराब पीकर जाने की घटनाओं के आलोक में चूककर्ता पायलटों तथा केबिन कर्मीदल एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमान नियमावली के नियम 24, 1937 उड़ान प्रारम्भ होने के 12 घण्टों के भीतार या उड़ान के दौरान किसी मद्यसारिक पेय, सैडेटिव, नशीली या उत्तेजक दवा के प्रयोग या पायलट, कमांडर, दिक्कचालक, इंजीनियर, केबिन कर्मीदल के अन्य प्रचालनिक सदस्यों द्वारा इन्हें तैयार करने से वर्जित करती है। पिछले दो वर्षों के दौरान यथा 2006 से 2008 तक (अब तक) कॉकपिट कर्मीदल तथा केबिन कर्मीदल में पॉजेटिव एलकोहोल डिटेक्शन के 105 मामले सामने आए थे।

(ग) श्वास विश्लेषक जांचों के दौरान कर्मीदल के सदस्य के शराब के सेवन का पता लगाने वाले मामले में दण्डात्मक कार्रवाई के रूप में कॉकपिट/केबिन कर्मीदल को ग्राउंडिंग तथा वेतन व भत्तों में कटौती की जाती है। पुनः ऐसे मामले का पता चलने पर कर्मीदल के सदस्य को निलम्बित भी किया जाता है।

एन.आई.पी.ई.आर. का कार्यकरण

3044. श्रीमती जयाप्रदा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एन.आई.पी.ई.आर.), मोहाली के कार्य–दशा में सुधार के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) ऐसा एक पत्र प्राप्त हुआ है। मामले की जांच की जा रही है।

निःशक्त व्यक्तियों के लिए कल्याण केन्द्र

3045. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री नन्द कुमार साय :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में गुजरात, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में निःशक्त व्यक्तियों के लिए जिला–वार कितने कल्याण केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 के दौरान आज की तिथि तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऐसे प्रत्येक केन्द्र को सरकार द्वारा संस्वीकृत सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऐसे केन्द्रों में कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) इन केन्द्रों पर प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुचुलक्मी जगदीशन) : (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोई "कल्याण केन्द्र" नहीं चलाया जा रहा है। तथापि, इन राज्यों में दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के तहत निःशक्तजनों के पुनर्वास हेतु कई परियोजनाएं संचालित करने वाले गैर–सरकारी संगठनों को सहायता–अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, निःशक्तजनों को पुनर्वास संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए इन राज्यों में 39 जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों को संस्वीकृति प्रदान की गई है।

ऐतिहासिक इमारतों को विकृत करना

3046. श्री सुव्रत बोस : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिशानिर्देश तैयार किए जाने के बावजूद ऐतिहासिक स्मारकों को विकृत किया जाना जारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) हमारी मूर्त विरासतों के मूल्य के बारे में सामान्य जागरूकता की कमी के कारण स्मारकों की दीवारों पर स्क्राइबिंग और ग्राफिटी की घटनाएं हुई हैं।

(ग) जनता तथा छात्रों को शामिल करते हुए समय समय पर स्मारकों पर आवधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पहरा तथा निगरानी स्टाफ को कला–विध्वंस के कृत्यों का पता लगाने तथा इन्हें रोकने हेतु सतर्क रहने के लिए कहा गया है। चुनिंदा स्मारकों की सुरक्षा तथा संरक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहरा तथा निगरानी स्टाफ के अलावा निजी सुरक्षा कार्मिकों, राज्य पुलिस कार्मिकों, होम गार्डों तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है। जागरूकता बढ़ाने के लिए मीडिया अभियान भी शुरू किया गया है। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 में दंड की धाराएं विद्यमान हैं जिसके अंतर्गत विकृति/कला विध्वंस के कृत्यों के लिए 3 माह तक की कैद या 5000/– रु. तक का जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।

महाराष्ट्र में एल पी जी डीलरशिप का वितरण

3047. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2007 के दौरान महाराष्ट्र में एल पी जी डीलरशिप के वितरण हेतु कोई विज्ञापन प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई एल पी जी डीलरशिप हेतु किन–किन जिलों को शामिल किया गया है; और

(घ) यवतमाल और महाराष्ट्र के अन्य संकट वाले जिलों में जहां एल पी जी की कमी के कारण आम लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं, वहां एल पी जी डीलरों की नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) ने रिपोर्ट की है कि उन्होंने सितंबर, 2007 में महाराष्ट्र में 112 स्थलों के लिए विज्ञापन दिया है। जिला–वार और स्थल–वार ब्यौरा संबंधित ओएमसीज़ के निदेशकों (विपणन) के पास उपलब्ध है।

ओएमसीज़ ने यह भी सूचित किया है कि वर्तमान में यवतमाल जिले की एलपीजी मांग 18 डिस्ट्रीब्यूटरशिपों द्वारा पूरी की जा रही है। ओएमसीज़ ने आगे यह भी सूचित किया है कि उन्होंने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 2 नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए विज्ञापन दिया है।

ओएमसी ने सूचित किया है कि फिलहाल महाराष्ट्र राज्य सहित देश में एलपीजी की कुल मिलाकर कोई कमी नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटरों को एलपीजी की आपूर्तियां ओएमसीज द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार घरेलू उत्पादन और आयातों के माध्यम से की जा रही हैं।

विदेशी संयुक्त उद्यम

3048. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में उर्वरकों की बढ़ती मांग के मद्देनजर और विदेशी संयुक्त उद्यमों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) सरकार संसाधन सम्पन्न देशों में भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में संयुक्त उद्यम लगाने की संभावनाओं को तलाश कर रही है। इस दिशा में बातचीत केवल प्रारम्भिक अवस्था में है और किसी भी प्रस्ताव को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

तेलुगू भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा

3049. श्री वाडिगा रामकृष्णा :
डा. बाबू राव मिडियम :
श्री सुव्रत बोस :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी भाषा को "प्राचीन भाषा" का दर्जा देने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) कितनी भारतीय भाषाओं को अब तक यह दर्जा प्रदान किया गया है तथा इस प्रयोजनार्थ कौन–कौन सी भाषाओं की पहचान की जा चुकी है;

(ग) क्या किसी अन्य भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा देने की मांग की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से तेलुगू को प्राचीन भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किसी भाषा को 'श्रेण्य भाषा' के रूप में वर्गीकृत करने संबंधी मानदंड इस प्रकार हैं:

(i) इसके प्रारंभिक पाठों/अभिलेखित इतिहास का 1500–2000 वर्षों की अवधि में अति प्राचीन होना।

(ii) प्राचीन साहित्य/पाठों का ऐसा एक समूह, जिसे इसके प्रवक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक बहुमूल्य विरासत माना जाता है।

(iii) साहित्यिक परम्परा मौलिक हो और इसे किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं लिया गया हो।

(iv) प्राचीन भाषा और साहित्य, आधुनिक साहित्य से पृथक हो, प्राचीन भाषा और इसके बाद के स्वरूपों तथा इससे उत्पन्न होने वाली भाषाओं के बीच अंतर हो।

(ख) तमिल और संस्कृत, दो भाषाओं को "श्रेण्य भाषाओं" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। कन्नड़ तथा तेलुगू भाषा को 'श्रेण्य भाषा' का दर्जा देने की मांग है।

(ङ) और (च) जी, हां। संस्कृति मंत्रालय को तेलुगू भाषा को 'श्रेण्य भाषा' का दर्जा देने के संबंध में कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्राप्त प्रस्ताव भी शामिल हैं।

पुराने शहर के अवशेष

3050. श्री मोहन सिंह : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा पुणे विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप भुवनेश्वर के निकट शिशुपालगढ़ में 2500 वर्ष पुराने शहर तथा सभ्यता के अवशेष मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा में पाए गए सभ्यता के अवशेष ग्रीस के एथेंस शहर के समान ही हैं;

(घ) यदि हां, तो इस अत्यंत विकसित सभ्यता के लोगों/पीढ़ी का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विश्व के अन्य प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के सहयोग से पूर्वी तथा उत्तरी भारत में ऐसे और ऐतिहासिक स्थलों का पता लगाने हेतु कोई रणनीति बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) दक्कन कालेज, पुणे तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा शिशुपालगढ़ के आदि ऐतिहासिक अवधि के स्थल पर हाल ही में किए गए उत्खनन से पता चलता है कि इसकी प्रारम्भिक तिथि 2500 वर्ष से भी पहले की हो सकती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पहले ही 1948 में इस स्थल का उत्खनन किया था। भुवनेश्वर के लगभग 4 कि.मी. पूर्व में स्थित शिशुपालगढ़ की पहचान अशोक के (तीसरी शताब्दी ई.पू.) आदेशपत्रों और खारवेला के कलिंगनगर (दूसरी शताब्दी ई.पू.) के उत्कीर्ण लेख में वर्णित तोसली के रूप में भी पहचान की जाती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। दोनों की सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विशेषताएं अलग-अलग हैं।

(ङ) और (च) इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पूर्वी तथा उत्तरी भारत में ऐसे और ऐतिहासिक स्थानों का पता लगाने के लिए कोई सहयोग नहीं किया है।

[अनुवाद]

पेटेंट प्राप्त दवाओं के मूल्य

3051. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री नन्द कुमार साय :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पेटेंट प्राप्त दवाओं के मूल्य में तोल-मोल के मुद्दे की जांच हेतु एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति के विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त समिति ने अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (घ) जी, हां। फरवरी, 2007 में सरकार ने सन्दर्भ मूल्य निर्धारण/मूल्य वार्ता/विभेदी मूल्य संबंधी प्रणाली, जिसे भारत में उनके विपणन अनुमोदन से पूर्व पेटेंटशुदा औषधियों और चिकित्सा उपकरणों के मूल्य समझौतों के लिए लागू किया जा सकता है, की जांच एवं प्रस्ताव करने के लिए पेटेंट की गई औषधियों हेतु मूल्य समझौता सम्बन्धी समिति गठित की है। इस समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत नहीं की हैं।

भारी उद्योगों की स्थापना

3052. श्री पी.सी. गद्दीगौडर : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर बागलकोट जिले में भारी उद्योगों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रारंभिक सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) बागलकोट जिले में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई नया उपक्रम स्थापित करने का प्रस्ताव भारी उद्योग विभाग के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक

3053. श्री अजीत जोगी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ में इस समय केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त स्थलों की उचित देख-रेख के लिए जिम्मेदार एजेंसी कौन सी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक इन स्मारकों के रख-रखाव पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक क्रमशः इन स्मारकों से प्राप्त राजस्व का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) छत्तीसगढ़ में 47 स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों/अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण।

(ग) पिछले तीन वर्षों में इन स्मारकों पर व्यय की गई धनराशि निम्नानुसार है:-

2004-05	रु. 278 लाख
2005-06	रु. 253 लाख
2006-07	रु. 242 लाख
2007-08 (17 मार्च, 2008 तक)	रु. 211 लाख

(घ) छत्तीसगढ़ में केवल लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर टिकटेड स्मारक है। एकत्र किए गए राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

2004-05	रु. 0.62 लाख
2005-06	रु. 1.45 लाख
2006-07	रु. 2.00 लाख
2007-08 (फरवरी, 2008 तक)	रु. 1.46 लाख

विवरण

छत्तीसगढ़ में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्रम सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1	दंतेश्वरी मंदिर में प्राचीन मूर्ति	बरसूर	बस्तर
2	चन्द्रादित्य मंदिर	बरसूर	बस्तर
3	गणेश मूर्ति	बरसूर	बस्तर
4	मामा भांजा मंदिर	बरसूर	बस्तर
5	महादेव मंदिर	बरसूर	बस्तर
6	भरम देव मंदिर	भैरमगढ़	बस्तर
7	दंतेश्वरी मंदिर	दंतेवाड़ा	बस्तर
8	काका स्मारक अथवा उरसगट्टा पोस्ट	ढिलमिल	बस्तर
9	ईंटों का टीला	गढ़धनोरा	बस्तर
10	उर्सकल का महापाषाणीय स्थल	गामेसवाड़ा	बस्तर
11	नारायण मंदिर	नारायणपाल	बस्तर
12	कर्ली महादेव मंदिर	समलूर	बस्तर

1	2	3	4
13	विशाल वैष्णव मंदिर	जांजगीर	बिलासुर
14	छोटा विष्णु मंदिर	जांजगीर	बिलासुर
15	सवरी का ईंटों का मंदिर	खरोड़	बिलासुर
16	छोटा ईंटों का मंदिर (अंदलदेव मंदिर)	खरोड़	बिलासुर
17	मल्हार किला	मल्हार	बिलासपुर
18	महादेव मंदिर	पाली	बिलासपुर
19	पातालेश्वर महादेव मंदिर तथा आसपास के अन्य मंदिरों के अवशेषों सहित	मल्हार	बिलासपुर
20	कांति देउल	रतनपुर	बिलासपुर
21	रतनपुर/रतनपुर किले के चारों तरफ का पूर्ण स्थल	रतनपुर	बिलासपुर
22	जसपेर के स्लैब पर पाली शिलालेख	समरसोल	बिलासपुर
23	अर्द्ध ध्वस्त ईंटों का बना केशव नारायण मंदिर	श्योरीनारायण	बिलासपुर
24	श्योरीनारायण मंदिर तथा उसी परिसर में ध्वस्त मंदिर	श्योरीनारायण	बिलासपुर
25	शिव मंदिर के अवशेष	अरभर	बिलासपुर
26	एक बहुत प्राचीन महादेव मंदिर के अवशेष	तुमान	बिलासपुर
27	चित्तूरगढ़ किला	लेफा	बिलासपुर
28	कोटगढ़ किला	बारगांव के समीप	बिलासपुर
29	कासीगढ़ किला	बावनबाढ़ी	बिलासपुर
30	अजमेरगढ़ किला	अमनाला	बिलासपुर
31	मंदिर	बेलपान	बिलासपुर
32	ध्वस्त मंदिर	गटोरा	बिलासपुर
33	कोटमी किला	कोटमी	बिलासपुर
34	ध्वस्त शिव मंदिर	देओबालोडा	दुर्ग
35	सीता देवी मंदिर	देओरबीजा	दुर्ग
36	सती स्तंभ	देओरबीजा	दुर्ग
37	भांड देउल	अरंग	रायपुर
38	बैरागी के मठ एवं मंडप सहित महादेव मंदिर	नारायणपुर	रायपुर

1	2	3	4
39	श्योरीनारायण के महंत लाल दास से संबंधित मंदिर जोकि सूर्य को समर्पित है।	नारायणपुर	रायपुर
40	राजीव लोचन के नाम से जाने जाने वाले मंदिर समूह	राजिम	रायपुर
41	सीता बाड़ी के नाम से प्रसिद्ध सीता	राजिम	रायपुर
42	रामचन्द्र का मंदिर	राजिम	रायपुर
43	लक्ष्मण मंदिर तथा प्राचीन स्थल	सिरपुर	रायपुर
44	सिरपुर गांव के चारों तरफ का क्षेत्र तथा गांव के पूर्व में टीला	सिरपुर	रायपुर
45	प्राचीन शिव मंदिर	गंडई	राजनंदगांव
46	सीता बेंगरा गुफाएं	रामागढ़ हिल, उदयपुर	सरगुजा
47	जोगीमारा गुफाएं	रामागढ़ हिल, उदयपुर	सरगुजा

[अनुवाद]

नांदेड़ में विमानन प्रबंध

3054. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2008 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में हजूर साहिब में गुरता–गद्दी की 300वीं वर्षगांठ में विश्वभर के लाखों लोगों के भाग लेने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सुविधा हेतु निकटवर्ती विमानपत्तनों पर किए गए/किए जा रहे आवश्यक प्रबंधों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का निकटतम हवाईअड्डा औरंगाबाद से 200 किलोमीटर (लगभग) की दूरी पर है और यह सभी मौसमों में बी–737–400/एबी–320/एबी–319 प्रकार के विमानों का प्रचालन करने के लिए उपयुक्त है। महाराष्ट्र सरकार ने निकट भविष्य में वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ करने के लिए नानदेड़ हवाई अड्डे के स्तरोन्नयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

[हिन्दी]

दवाओं की अनुपलब्धता

3055. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जिन दवाओं के मूल्य घटाए गए हैं वे बाजार में उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इसमें संलिप्त कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (घ) सरकार द्वारा जिन दवाओं के मूल्य घटाए गए हैं उनकी अनुपलब्धता के संबंध में सरकार/राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कोई जानकारी नहीं है। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप औषध उद्योग स्वेच्छा से 886 फार्मूलेशन के मूल्य घटाने पर सहमत हो गया था। तथापि, घटे मूल्य पर इन फार्मूलेशनों की उपलब्धता एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न–भिन्न है। सरकार ने घटे मूल्य पर इन 886 दवाओं की उपलब्धता सुधारने के लिए संबंधित कंपनियों से कहा है।

[अनुवाद]

रेलवे द्वारा भूमि की बिक्री

3056. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) के वित्तपोषण हेतु बांद्रा–कुर्ला परिसर में लगभग 4.7 हेक्टेयर भूमि को बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो एमयूटीपी का ब्यौरा क्या है तथा इसकी लागत कितनी है; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। बहरहाल, रेलवे ने पश्चिम और मध्य रेल पर मुंबई उपनगरीय प्रणाली के सुधार के लिए मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एम यू टी पी) चरण–II का आंशिक रूप से वित्त पोषित करने हेतु बांद्रा पर 4.5 हेक्टेयर रेल भूमि पर वाणिज्यिक विकास के लिए लीज़ पर देने का प्रस्ताव किया है।

(ख) एम यू टी पी चरण–II की लागत 5300 करोड़ रु. आकलित की गई है।

(ग) बांद्रा पर रेल भूमि के वाणिज्यिक विकास के कार्य को हाल ही में रेल भूमि विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है, जिसने लीज़ प्रभारों के आकलन सहित विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए कंसलटेंट नियुक्त किए हैं।

[हिन्दी]

राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव

3057. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को कोडरमा रेलवे स्टेशन पर कुछ समय के लिए सियालदह राजधानी रेलगाड़ी के ठहराव हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है लेकिन व्यवहार्य नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटकों के आगमन में कमी

3058. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2006–07 के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी पर्यटकों के आगमन में कमी आने का एक कारण देशभर में उन पर बढ़ते हमले हैं; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी पर्यटकों के विरुद्ध इन अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) वर्ष 2007 के दौरान, देश में विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या, वर्ष 2006 के तदनुरूप आंकड़ों की तुलना में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए लगभग 5 मिलियन थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में आमान-परिवर्तन

3059. श्री पी.सी. थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में चल रही आमान–परिवर्तन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) केरल में, क्विलोन–पुनालूर–सेनगोटै खण्ड का आमान परिवर्तन क्विलोन–तिरुनेलवेली–तिरुचेन्दूर और तेनकासी–विरुधनगर आमान परिवर्तन परियोजना (357 कि.मी.) के एक भाग के रूप में प्रगति पर है। क्विलोन–पुनालूर (45 कि.मी.) के आमान परिवर्तन को 2007–08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। बहरहाल, इसकी प्रगति भूमि विवाद तथा ठेकेदारों की विफलता के कारण प्रभावित है। इस खण्ड को 2008–09 के दौरान पूरा होने की आशा है।

केरल में कार्य का शेष भाग अर्थात् पुनालूर–सेनगोटै (49 कि. मी.) घाट खण्ड है जिसका अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और विस्तृत अनुमान का कार्य प्रगति पर है। इस खण्ड के आमान परिवर्तन को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

रेलवे में सिगनल प्रणाली हेतु प्रयोग किया जाने वाला केबल वायर

3060. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सिगनल प्रणालियों हेतु विभिन्न प्रकार के केबल वायर भारी मात्रा में खरीद रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान खरीदे गए प्रत्येक प्रकार के केबल्स का ब्यौरा क्या है तथा ये केबल किस प्रकार के हैं, आपूर्तिकर्ता कौन–कौन हैं, इनकी मात्रा तथा दरें कितनी हैं;

(ग) क्या रेलवे को निविदा खुलने के समय रेलवे भंडारों की कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से समूह बन जाने की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी आपूर्तिकर्ताओं तथा रेलवे के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी एयरलाइंस में परोसे जाने वाले उत्पाद

3061. श्री अधु अवीरा मंडल :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया द्वारा परोसे जाने वाले उत्पादों की घटिया गुणवत्ता के बारे में शिकायतें बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) यात्रियों की शिकायतें एयरलाइन उद्योग में एक सामान्य प्रवृत्ति है। तथापि, जहां तक नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का संबंध है, शिकायतों की संख्या में निम्नगामी रुझान देखने को मिला है।

(ग) पूर्ववर्ती एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के विमानों को निरंतर प्रतिस्थापित किया जा रहा है और 111 नए विमानों के लिए आर्डर दिया जा चुका है जिनमें से 31 विमान डिलीवर किए जा चुके हैं। इस बीच मौजूदा विमानों को नई सीटों, उड़ानगत मनोरंजन प्रणाली से पुनःसज्जित करने की कार्रवाई की गई है। सेवा में सुधार लाने के अन्य उपाय भी किए गए हैं जैसे सिटी चेक इन, अग्रिम हवाईअड्डा चेक इन, ई–टिकटिंग, कॉल सेंटरों की स्थापना, रद्दकरण/विलंबों की स्थिति में एसएमएस आर्लट, मुम्बई तथा दिल्ली से न्यूयार्क के लिए अविराम उड़ानें आरम्भ करना आदि।

[हिन्दी]

मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में गैस एजेन्सी का खोला जाना

3062. मो. मुकीम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील में गैस एजेन्सी खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोश पटेल) : (क) से (ग) जी, नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) ने सूचित किया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कैराना, मुजफ्फरनगर में एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू की गई है, जिसकी अप्रैल, 2007 से फरवरी, 2008 की समयावधि के दौरान औसतन मासिक रीफिल बिक्रियां प्रति माह 8000 रीफिल की उच्चतम सीमा से कम है। स्थल की एलपीजी आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु कुछ और वर्षों के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पास पर्याप्त रीफिल स्लैक संबंधित उपलब्ध है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इस समय उक्त स्थल में नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलना/स्थापित करना व्यवहार्य नहीं है।

रेलवे में रेल ड्राइवरों के रिक्त पद

3063. श्री महावीर भगोरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेलवे में रेल ड्राइवरों के स्वीकृत और खाली पदों का जोन–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय रेल ड्राइवरों के लिए निर्धारित कार्य घंटे और दूरी का ब्यौरा क्या है;

(ग) लम्बी दूरी की ट्रेनों में ड्राइवरों के कार्य घंटों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे का विचार रेल ड्राइवरों की कमी के कारण रेल ड्राइवरों के कार्य घंटों में वृद्धि करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या थकान के कारण रेल ड्राइवरों की कार्य क्षमता कम हो रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 01.01.2008 तक रेलों में रेल ड्राइवरों की जोन–वार स्वीकृत पद और खाली पद निम्नानुसार हैं:–

जोन का नाम	स्वीकृत पद	खाली पद
मध्य	2560	428
पूर्व	1332	265
पूर्व मध्य	2810	558
पूर्व तट	1524	347
उत्तर	4003	879
उत्तर मध्य	2439	551
पूर्वोत्तर	957	91
पूर्वोत्तर सीमा	1289	185
उत्तर पश्चिम	1166	89
दक्षिण	1580	123
दक्षिण मध्य	2830	222
दक्षिण पूर्व	2098	187
दक्षिण पूर्व मध्य	2012	512
दक्षिण पश्चिम	943	324
पश्चिम	2144	334
पश्चिम मध्य	1808	188
कुल	31495	5283

(ख) भारतीय रेलवे में रनिंग कर्मचारी को "निरंतर" कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें वैधानिक रूप से 14 दिनों की दो सप्ताह की अवधि में औसत एक सप्ताह में 54 घंटों के कार्य दिए जाते हैं। लेकिन कर्मचारियों के इस कोटि को काम के लिए तैयारी करने और काम समाप्त करने में लगने वाले समय के अलावा, 14 दिनों की दो सप्ताह की अवधि में 104 घंटों के रोस्टर घंटे निर्धारित किए गए हैं।

मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, सामान्यतः एकबारगी रनिंग ड्यूटी गाड़ी के छूटने से 10 घंटे से अधिक की नहीं होनी चाहिए और समग्र ड्यूटी आपातकाल परिस्थितियों जैसे दुर्घटनाओं, बाढ़ों, आन्दोलनों, उपस्करों के सही ढंग से काम न करने को छोड़कर "ड्यूटी के प्रारंभ" से "ड्यूटी की समाप्ति" तक 12 घंटों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) लंबी दूरी की गाड़ियों और सभी कोचिंग गाड़ियों के लिए संबद्ध कर्मी तैयार रहते हैं जो उपर्युक्त पैरा (ख) के अनुसार नियोजन विनियमन के घंटों (एचओईआर) का निर्धारण करते हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी नहीं। ड्यूटी घंटे एचओईआर के अनुसार होते हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पोर्ट ब्लेयर में सेल्युलर जेल का विकास

3064. श्री मनोरंजन भक्त : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्टब्लेयर स्थित प्रसिद्ध सेल्युलर जेल के संरक्षण और विकास के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में पोर्ट ब्लेयर स्थित सेल्युलर जेल केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है। सुनामी के कारण सेल्युलर जेल का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और अंडमान और निकोबार प्रशासन ने संरचना को हुई क्षति की मरम्मत करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सलाह देने हेतु अनुरोध किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के चेन्नई मंडल द्वारा आवश्यक सलाह प्रदान की गई थी। संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत कार्य किया गया था।

नि:शक्त लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

3065. श्री प्रहलाद जोशी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शारीरिक रूप से नि:शक्त लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए कोई व्यापक और विशिष्ट योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों अर्थात् 2004–05 से 2006–07 के दौरान क्रियान्वित की जा रही ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने शारीरिक रूप से नि:शक्त लोगों के कल्याण के उद्देश्य से अपनी कुल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय धनराशि के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) नि:शक्त व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए, सरकार ने निम्नलिखित योजनाएं तैयार की हैं:–

(i) दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना

(ii) नि:शक्त व्यक्तियों को सहायता यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता योजना

(iii) नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन की योजना

इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान क्रमश: 84.64 करोड़ रुपए, 170.34 करोड़ रुपए और 172.20 करोड़ रुपए आबंटित किए गए।

(ग) और (घ) कर्नाटक सरकार से नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए केन्द्रीय निधियों हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य से दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों द्वारा संचालित चालू परियोजनाओं के वित्त–पोषण के लिए नि:शक्त व्यक्तियों के हितार्थ लगभग 100 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 58 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण

3066. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेल परियोजनाओं विशेषकर नई रेल लाइनों को बिछाने के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के प्रत्येक राज्य में नई रेल लाइनों के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मूल्य कितना है;

(घ) देश के प्रत्येक राज्य में नई रेल लाइनों के कार्य को पूरा करने के लिए कितने एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है/किए जाने का विचार है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहित की गई भूमि का स्थान–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनारक्षित डिब्बे जोड़ना

3067. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा विभिन्न ट्रेनों में और अधिक अनारक्षित डिब्बे जोड़ने संबंधी यात्रियों की मांग पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) उन पैसेंजर गाड़ियों के क्या नाम हैं, जिनमें वर्ष 2008–09 के दौरान अतिरिक्त अनारक्षित बोगियां जोड़ी जाएंगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 2007–08 के दौरान मौजूदा गाड़ियों में दूसरे दर्जे के 329 अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाए गए थे।

(ख) भारतीय रेलों पर, यातायात पैटर्न, परिचालनिक व्यवहार्यता तथा सवारी डिब्बों की उपलब्धता के आधार पर गाड़ियों में स्थाई तथा अस्थाई आधार पर डिब्बों की संख्या में वृद्धि करना एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

वैगनों की अनुपलब्धता

3068. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सामान और कच्चे माल को लाने और भेजने में वैगनों की अनुपलब्धता की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या को रेल मंत्रालय के ध्यान में लाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर रेल मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) से (घ) इस्पात मंत्रालय के सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम सामान और कच्ची सामग्रियों की ढुलाई के लिए कतिपय किस्म के वैगनों की उपलब्धता की अंतवर्ती समस्याओं का सामना करते हैं। ये समस्याएं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संबंधित डिविजनल/जोनल रेलवे कार्यालयों के साथ और यदि आवश्यक होता है तो रेलवे बोर्ड के साथ तथा आवश्यक होने पर इस्पात मंत्रालय रेल मंत्रालय के साथ उठाता है।

इसके अतिरिक्त वैगनों के प्रेषण और रोके रखने सहित रेलवे से संबंधित मुद्दे मंत्रिमंडल सचिवालय में नियमित रूप से होने वाली बैठकों में भी उठाए जाते हैं। इन बैठकों में रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधि भी उपस्थित होते हैं।

वैगनों की उपलब्धता से संबंधित इस प्रकार की समस्याओं के समाधान में उपरोक्त तन्त्रों ने सहायता की है।

वृद्ध अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकरण

3069. श्री जे.एम. आरून रशीद : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे वृद्ध अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों जिन्हें उनके परिवारों ने त्याग दिया है, को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अधिकरणों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दोषी बच्चों पर कौन से कानून लागू होते हैं;

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों को ऐसे अधिकरणों की स्थापना करने के अनुदेश दिए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे अधिकरणों और प्रवर्तन करने वाले प्राधिकरणों की शक्तियां क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीसन) : (क) से (घ) माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 में अधिकरणों को स्थापित करने का प्रावधान है। यदि बच्चे या संबंधी, जैसा भी मामल हो, ऐसे माता–पिता या वरिष्ठ नागरिक जो स्वयं अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ हैं, की उपेक्षा करते हैं या उनका भरण–पोषण करने से मना कर देते हैं, तब ये अधिकरण ऐसे बच्चों या संबंधियों को ऐसे माता–पिता या वरिष्ठ नागरिकों को मासिक भत्ता अदा करने का आदेश दे सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए आदेश की वही मान्यता और प्रभाव होगा जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय IX के अंतर्गत किसी आदेश का होता है।

सरकार ने पहले ही सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अधिनियम परिचालित कर दिया है।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर विमानों के निर्बाध रूप से उतरने हेतु उपकरण

3070. श्री निखिल कुमार :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर विमानों के और अधिक निर्बाध रूप से उतरने के लिए अत्याधुनिक उपकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अन्य महत्वपूर्ण विमानपत्तनों पर इसी प्रकार के उपकरणों की स्थापना की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इससे विमानपत्तनों पर विमानों का उतरना और कितना अधिक सुरक्षित हो जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के रनवे 28 पर पहले की कैट–III बी उपकरण अवतरण प्रणाली (आईएलएस) उपलब्ध करा दी है। आईजीआई हवाईअड्डे के तीसरे रनवे, जिसके जून 2008 में प्रचालनिक होने का कार्यक्रम है, पर भी दोनों दिशाओं से पहुंच के लिए कैट–III बी प्रणाली संस्थापित की जाएगी।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने खराब दृश्यता परिस्थितियों में विमानों के सुगम व सुरक्षित अवतरण के लिए 40 हवाईअड्डों पर उपकरण अवतरण प्रणाली (आईएलएस) उपलब्ध करवाई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा गया, कोलकाता (दूसरा रनवे), तिरूपति, सिल्चर, कालीकट, पूने, गोंदिया, सूरत, चेन्नई, देहरादून, पोरबंदर, बेलगाम, हुबली, विजयवाड़ा, पोर्टब्लेयर, दिल्ली (तीसरा रनवे) के हवाई अड्डों पर उपकरण अवतरण सुविधाएं उपलब्ध कराने का

प्रस्ताव है। कोलकाता, कोचीन तथा दिल्ली (रनवे 27 व रनवे 10) पर उपकरण अवतरण प्रणाली को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, लखनऊ, जयपुर तथा अमृतसर हवाईअड्डों पर उपकरण अवतरण प्रणालियों को कैट–I स्तरोन्नयित करके कैट–II किया जा रहा है।

(घ) उपकरण अवतरण प्रणाली (आईएलएस) सुविधाओं को उपलब्ध करवाने से विमान की लैंडिंग सुरक्षित हो गई है क्योंकि ये विमान की प्रचालनिक श्रेणी के अनुसार उसे अवतरण के लिए मार्गदर्शन देती है।

अलॉय-स्टील के रेल कंटेनर

3071. श्री सुनील खां : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल के कुछ कंटेनरों को अलाय–स्टील से बनाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या अलाय–स्टील संयंत्र, दुर्गापुर और सलेम इस्पात संयंत्र को क्रयादेश दिए जाने वाले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन संयंत्रों को लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) से (घ) रेलवे ने वैगनों के लिए सेलम इस्पात संयंत्र को 28231 टन स्टेनलैस स्टील के लिए आर्डर दिया है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिश्र इस्पात संयंत्र (ए एस पी) स्टैनलैस स्टील स्लैबों का उत्पादन करेगा जिन्हें उसके बाद सेलम इस्पात संयंत्र (एस एस पी) में बेल्लित किया जाएगा और रेलवे को सप्लाई किया जाएगा।

स्टेनलैस स्टील ग्रेड स्लैबों का उत्पादन करने के लिए एक नई आर्गोन आक्सीजन डी–कार्बोनाइजेशन (ए.ओ.डी.) यूनिट तथा एक नई इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ई ए एफ) ए एस पी में स्थापित की और चालू की गई है।

बेहला विमानपत्तन

3072. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न जिला केन्द्र विमानपत्तनों और कोलकाता के बीच संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से छोटे विमानों की सेवाओं के लिए बेहला विमानपत्तन का उन्नयन और आधुनिकीकरण करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) बेहला उड़ान क्लब को सक्रीय बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 300 फुट के मौजूदा रनवे का सुदृढ़ीकरण कार्य आरंभ किया गया है।

एटीआर प्रकार के विमान के प्रचालनों के लिए रनवे को 4500 फुट तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है बशर्ते राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित भूमि अधिग्रहित करके निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए।

तेल पाइपलाइनों को अवसंरचना का दर्जा देने की मांग

3073. श्री वसुदेव आचार्य : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 नवम्बर, 2007 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में "मिनिस्ट्री रिन्यूज इन्फ्रा स्टेटस काल फार आयल पाइपलाइन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामला क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) सरकार को प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित समाचार लेख की कोई जानकारी नहीं थी। वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्होंने कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों से संबंधित बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुरोध की जांच की है ताकि बजट 2008 के लिए बजटीय व्यवस्था के दौरान आयकर अधिनियम की धारा 80–1ए के तहत कटौती के लिए उन्हें पात्र बनाया जा सके और इस अनुरोध को मानना व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान जैसे संस्थानों की स्थापना

3074. श्री रघुवीर सिंह कौशल :
श्री सुव्रत बोस :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में औषध और भेषज उत्पादों का राज्य–वार कुल कितना उत्पादन किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान जैसे और अधिक संस्थाओं या इसकी शाखाओं की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे संस्थानों की स्थापना कब तक होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) इस विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान वार्षिक घरेलू उत्पादन का तकरीबन मूल्य निम्नानुसार है:

2004–05	–	52,029 करोड़ रु.
2005–06	–	62,586 करोड़ रु.
2006–07	–	68,442 करोड़ रु.

पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल में दवाओं व औषधों का उत्पादन लगभग 500 करोड़ रु. का है।

(ख) से (घ) अगस्त, 2007 में मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद, केन्द्र सरकार ने अहमदाबाद (गुजरात), हाजीपुर (बिहार), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), गुवाहाटी (असम) एवं रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) स्थापित करने का निर्णय लिया है। इनमें से चार नाइपरों, अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद और कोलकाता में अपने संगत मेन्टर संस्थानों की सहायता से कुछ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की कक्षाएं शुरू की गई हैं।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा प्राकृतिक गैस का उत्पादन

3075. श्रीमती सी.एस. सुजाता : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी) की कावेरी–गोदावरी बेसिन से प्राकृतिक गैस का उत्पादन शुरू करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उत्पादन कब तक शुरू होगा तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा वर्ष–वार उत्पादित की जाने वाली प्राकृतिक गैस का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दक्षिणी राज्यों को कावेरी–गोदावरी बेसिन के साथ जोड़ने वाली दक्षिणी गैस ग्रिड परियोजना को लागू करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) ब्लॉक केजी–डीडब्ल्यूएन–98/2 में, गैस की कुल 8 खोजें की गई हैं, इनमें से 5 खोजें ओएनजीसी द्वारा और 3 खोजें ब्लॉक के पूर्व प्रचालक मै. कैर्न एनर्जी द्वारा की गई थीं। ओएनजीसी ने केजी–डीडब्ल्यूएन–98/2 में की गई खोजों के लिए मूल्यांकन योजना हाल ही में प्रस्तुत की है।

(ख) वाणिज्यिकता की घोषणा के बाद, चिन्हित क्षेत्र को प्रचालक द्वारा विकसित किया जा सकता है। गैस की मात्रा तथा उत्पादन शुरू होने की तारीख विकास योजना, यदि कोई हो, पर निर्भर करेगी।

(ग) और (घ) उत्पादन तथा खपत केन्द्रों को जोड़ने के लिए गैस पाइपलाइनें गैस की उपलब्धता के अनुरूप बिछाई जाती हैं। देश के दक्षिणी भाग में ग्राहकों को प्राकृतिक गैस के विभिन्न स्रोतों के साथ जोड़ने के लिए एक ट्रंक गैसपाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जा रहा है।

इस समय गेल (इंडिया) लिमिटेड का क्रमशः आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कृष्णा–गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन में पाइपलाइन नेटवर्क है। रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रेचर लिमिटेड (आरजीटीआईएल) काकीनाड़ा–हैदराबाद–उरण–अहमदाबाद पाइपलाइन, जो अन्य के अलावा आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के कुछ भागों को केजी–डी–6 क्षेत्र के साथ जोड़ेगी, का निर्माण कर रही है। आरजीटीआईएल को विजयवाड़ा–नेल्लौर–चेन्नई पाइपलाइन और साथ ही चेन्नई–तूती कोरिन तथा चेन्नई–बंगलौर–मंगलौर पाइपलाइनों के विस्तार के लिए भी प्राधिकार प्रदान किया गया है, ये पाइपलाइनें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भागों को केजी–डी6 के साथ जोड़ेंगी। गेल को दाभोल–बंगलौर पाइपलाइन के लिए प्राधिकार प्रदान किया गया है। यह द्वि–दिशा पाइपलाइन होगी जो बंगलौर को दाभोल एलएनजी केन्द्र से पुनर्गैसीकृत एलएनजी और महाराष्ट्र को बंगलौर स्थित आरजीटीआईएल की पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस का परिवहन करेगी। गेल को कोच्चि–कांजीराकोड–मंगलौर/बंगलौर पाइपलाइन के लिए भी प्राधिकार प्रदान किया गया है, यह भी द्वि–दिशा पाइपलाइन होगी जो

केरल और कर्नाटक को तैयार होने वाले कोच्चित एलएनजी केन्द्र से पुनर्गैसीकृत एलएनजी और आरजीटीआईएल की पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस का परिवहन करेगी।

वृद्ध यात्रियों के लिए कम ऊंचाई वाली बसें

3076. श्री भर्तृहरि महताब : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विमानपत्तन लाउंज से विमान तक आने–जाने के लिए उपयोग में लाई जा रही ऊंची बसों में यात्रा करने वाले वृद्ध यात्रियों को पेश आ रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कारण केवल नई दिल्ली विमानपत्तन पर कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ग) क्या सरकारी एयरलाइनों विशेषकर एयर इंडिया के लिए कम ऊंचाई वाली बसों का उपयोग किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली हवाई अड्डे पर अभी तक हाई–राइज बसों की वजह से दुर्घटनाओं की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) एयर इंडिया ने नई दिल्ली समेत विभिन्न हवाईअड्डों पर पारम्परिक हाई–राइज बसों के अतिरिक्त लो–राइज बसें लगाई हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

लौह अयस्क खानों का पट्टा

3077. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री चाडिगा रामकृष्णा :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड अनेक वर्षों से अपने रक्षित उपयोग हेतु लौह–अयस्क खानों के पट्टे के लिए आवेदन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आदि राज्य सरकारों से जहां लौह–अयस्क भंडार हैं, इन खानों को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को पट्टे पर देने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को रक्षित लौह अयस्क खनन अधिकार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों में लौह अयस्क खानों के पट्टे के लिए आवेदन किया है। आरआईएनएल द्वारा किए गए आवेदनों की इस्पात मंत्रालय ने राज्य सरकारों तथा खान मंत्रालय से सिफारिश की है। आरआईएनएल द्वारा इन राज्य सरकारों के साथ खनन पट्टों की मंजूरी हेतु किए गए आवेदनों में से कुछ मामले फिलहाल राज्य सरकारों द्वारा नामंजूर कर दिए गए हैं जब कि अन्य शेष मामलों के संबंध में निर्णय लंबित हैं।

विदेशी सह-विमान चालकों की सेवाएं लेना

3078. श्री किन्जरपु येरणनायडु :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घरेलू एयरलाइनें विदेशी सह–विमान चालकों की सेवाएं ले रही हैं, जैसाकि दिनांक 3 मार्च, 2008 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में भारतीय सह–विमान चालक भारी संख्या में उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सह–विमान चालकों की भर्ती के संबंध में घरेलू एयरलाइनों को क्या दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा घरेलू एयरलाइनों में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सह–विमान चालकों को एडवांस प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न एयरलाइन प्रचालकों द्वारा सह–पायलटों के रूप में 134 विदेशी पायलटों को नियुक्त किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। विमानन क्षेत्र में हाल के विकास के कारण अनेक भारतीय युवाओं ने फ्लाईंग को एक व्यवसाय के रूप में चुना है। नागर विमानन महानिदेशालय ने नागर विमानन आवश्यकताओं (सीएआर) खण्ड 7, श्रृंखला जी, भाग–II दिनांक 1/11/2006 के रूप में दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें यह प्रावधान है कि सह–पायलट के कार्यों के लिए प्रचालक द्वारा भारतीय पायलटों को प्रशिक्षित तथा नियुक्त किया जाएगा। यदि उड़ान को विदेशी पायलटों द्वारा पायलट–इन–कमांड तथा सह–पायलट के रूप में प्रचालित किए जाने की आवश्यकता होती है तो उड़ान में प्रशिक्षण/अतिरिक्त उड़ान के लिए भारतीय पायलट का होना आवश्यक है।

(ङ) संबंधित एयरलाइनें नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत प्रशिक्षण मैनुअल के अनुसार उनके पास उपलब्ध विमानों पर उन्नत प्रशिक्षण उपलब्ध कराती हैं।

[हिन्दी]

रेलवे के विकास हेतु जोनवार धनराशि

3079. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री वी.के. दुग्गर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे के विकास पर जोनवार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या रेलवे के विकास पर धनराशि खर्च किए जाने के मामले में कुछ जोनों का पक्ष लिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान सं 16 (बाजार से ऋण सहित) रेलवे के विकास पर जोन–वार किए गए खर्च निम्नानुसार हैं:–

(करोड़ रुपयों में)

रेलवे	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4
मध्य	865.59	1096.70	1689.94
पूर्व	847.47	1195.28	1579.30
पूर्व मध्य	1209.17	1383.00	1858.45
पूर्व तट	599.03	771.88	862.89
उत्तर	2600.10	3489.55	5198.55
पूर्व मध्य	520.03	679.12	933.17
पूर्वोत्तर	446.34	623.85	892.89
पूर्वोत्तर सीमा	876.52	1234.46	1563.43
उत्तर पश्चिम	754.73	816.68	879.89
दक्षिण	1085.35	1314.53	1586.04
दक्षिण मध्य	1068.28	1471.00	1580.37
दक्षिण पूर्व	762.73	886.97	1245.38
दक्षिण पूर्व मध्य	695.87	617.96	830.80
दक्षिण पश्चिम	832.51	861.17	1360.65
पश्चिम	814.61	906.57	1364.09
पश्चिम मध्य	764.85	966.79	802.72
अन्य	678.63	522.83	773.52
कुल	15421.81	18838.34	25002.08

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे अस्पताल

3080. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास रोगियों की देखभाल के लिए रेलवे अस्पताल के समूह "ग" और "घ" के कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के परिणामस्वरूप रेलवे पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) इस समय रोगी की देखभाल के लिए रेलवे अस्पतालों के ग्रुप सी एवं डी

कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बहरहाल, ग्रुप सी एवं डी (गैर–लिपिकीय) के उन विशिष्ट रेलवे कर्मचारियों के संबंध में 1.1.2008 से अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता शुरू किया गया है जो (i) उन रेलवे अस्पतालों में जिनमें 30 अथवा अधिक बिस्तर हों, अथवा (ii) उन सुपर स्पेशलिटी रेलवे अस्पतालों में जिनमें 10 अथवा अधिक बिस्तर हों, में कार्यरत हों। ग्रुप सी एवं डी (गैर–लिपिकीय) के उन विशिष्ट रेलवे कर्मचारियों के संबंध में 01.01.2008 से रोगी देखभाल भत्ता शुरू किया गया है जो (i) उन रेलवे अस्पतालों में जिनमें 30 से कम बिस्तर हों अथवा (ii) उन सुपर स्पेशलिटी रेलवे अस्पतालों में जिनमें 10 से कम बिस्तर हों अथवा (iii) रेलवे स्वास्थ्य इकाइयों/क्लीनिकों में कार्यरत हों। अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता तथा रोगी देखभाल भत्ता प्रदान करना निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगा:–

I) इन भत्तों को प्रदान करना रेलवे अस्पतालों तथा स्वास्थ्य इकाइयों/क्लीनिकों में कार्यरत ग्रुप सी एवं डी (गैर–लिपिकीय) कोटियों के निम्नलिखित रेलवे कर्मचारियों तक सीमित है:

(i) रेडियोग्राफर

(ii) फार्मासिस्ट (केवल भंडार फार्मासिस्टों को छोड़कर तथा जो दवाइयों के वितरण में शामिल नहीं हैं)

(iii) प्रयोगशाला कर्मचारी

(iv) रोगी के सीधे संबंध में आने वाले मेडिकल तकनीशियन (ई सी जी, ई ई जी, कारडिएक पंप, डायलिसिस आदि)

(v) एम्बूलेंस ड्राइवर

(vi) ड्रेसर

(vii) ऑपरेशन थिएटर सहायक

(viii) अटेंडेंट/आया

(ix) एम्बूलेंस क्लीनर

(x) स्ट्रेचर बियरर

(xi) सफाई वाला

II) अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता ग्रुप सी (गैर–लिपिकीय) के उपर्युक्त विनिर्दिष्ट रेलवे कर्मचारियों को 700 रु. प्रतिमाह की दर पर तथा ग्रुप डी (गैर–लिपिकीय) के उपर्युक्त विनिर्दिष्ट रेलवे कर्मचारियों को 695 रु. प्रति माह की दर पर स्वीकार्य है।

III) रोगी देखभाल भत्ता ग्रुप सी एवं डी (गैर–लिपिकीय) के उपर्युक्त विनिर्दिष्ट रेलवे कर्मचारियों को 690 रु. प्रतिमाह की दर पर स्वीकार्य है।

IV) रात्रि ड्यूटी भत्ता अथवा जोखिम भत्ता यदि उपर्युक्त कोटियों के कर्मचारियों को स्वीकार्य होगा जो 1.1.2008 से बंद हो जाएगा।

(ग) रेलों पर इन भत्तों की शुरूआत पर वित्तीय अनुमानित खर्च 10.12 करोड़ रु. प्रतिवर्ष होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया द्वारा विमान सेवाओं का विस्तार

3081. श्री अमिताभ नन्दी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान एयर इंडिया द्वारा कुल कितने अन्य देशों में विमान सेवाओं का विस्तार किया गया है; और

(ख) उक्त सेवाओं के संचालन में उपयोग किए जा रहे विमानों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) पूर्ववर्ती एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रति सप्ताह आवृत्तियां की संख्या बढ़कर 44 कर दी गई है तथा प्रति सप्ताह 40 नई आवृत्तियां आरंभ की गई हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने नए सेक्टरों पर प्रति सप्ताह 64 आवृत्तियां आरंभ की हैं।

(ख) प्रचालित किए जा रहे विमानों का ब्यौरा इस प्रकार है – बी 747–300, बी 747–400, बी 747–400 सी, ए 310–300, ए 330–200, 700-200 ईआर, बी 767–300, ए 310–300, बी 777–200 एलआर, बी 777–300 ईआर, ए 310–300 मालवाही, बी 737–800, ए 319, ए 320, ए 321 तथा ए 300

[हिन्दी]

बांदा के निकट केन नदी पर सड़क ऊपरी पुल

3082. श्री श्यामा चरण गुप्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने उत्तर प्रदेश में बांदा रेलवे स्टेशन के निकट केन नदी पर 100 वर्ष पुराने लकड़ी के पुल की खस्ता हालत के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। बांदा रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश के पास केन नदी के ऊपर रेलवे पुल का निरीक्षण किया गया है।

(ख) और (ग) जांच के परिणामस्वरूप, ऊपरी फ्लैंज प्लेट्स को बदलने का कार्य तथा लकड़ी के स्लीपरों के बदले स्टील चैनल स्लीपरों की व्यवस्था 2002–03 में स्वीकृत की गई थी। कार्य पूरा हो चुका है।

[अनुवाद]

अभय घाट

3083. डा. वल्लभभाई कथीरिया :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री मोरारजी देसाई की स्मृति में एक अभय घाट स्मारक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इसको कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) गुजरात में जिला खेड़ा, साबरमती नदी के तट पर 'अभय घाट' नाम से श्री मोरारजी देसाई का स्मारक बनाया गया है। स्मारक का निर्माण कार्य जुलाई, 1997 में शुरू हुआ था और इसे मार्च, 1999 में पूरा किया गया।

[हिन्दी]

टपरी से सहारनपुर तक ई.एम.यू. ट्रेनें

3084. श्री रशीद मसूद : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार दिल्ली और हरिद्वार से यात्रियों को ले जाने के लिए टपरी से सहारनपुर तक ई.एम.यू. ट्रेनें शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार अंबाला और सहारनपुर के बीच चलने वाली ई.एम.यू. ट्रेन को टपरी स्टेशन तक चलाने का है;

(घ) यदि हां, तो इसका कब तक विस्तार किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी नहीं। अम्बाला–सहारनपुर पर चलने वाली मेमू सेवाओं को टपरी तक बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि सहारनपुर–टपरी खंड विद्युतीकृत नहीं है।

[अनुवाद]

बंगलौर-देवनहल्ली के बीच रेल लाइन

3085. श्रीमती मनोरमा माधवराज :
श्री एम. शिवन्ना :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.आर.वी. ग्राउंड (शिवाजी नगर के निकट) से देवनहल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन तक 34 कि.मी. लंबी रेल लाइन का कार्य पूरी रफ्तार से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और क्या डी.एम.आर.सी. (परामर्शदाता) और बी.एम.आर.सी. ने बंगलौर शहर से देवनहल्ली के बीच सबसे महत्वपूर्ण रेल लाइन के कार्य को निर्धारित सीमा के भीतर पूरा करने का निर्णय लिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, नहीं। रेल मंत्रालय के पास इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, शहरी विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि कर्नाटक सरकार ने इस परियोजना के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश और विकास निगम लिमिटेड (के एस आई आई डी सी एल) को नियुक्त किया है और उसे परियोजना परामर्शदाता के रूप में कार्य के आधार पर दिल्ली मेट्रो निगम (डी एम आर सी) की सेवा लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है ताकि वह कर्नाटक सार्वजनिक प्रापण पारदर्शिता अधिनियम 1999 के तहत आवश्यक छूट प्राप्त करके इस परियोजना को क्रियान्वित करने में विशेष प्रयोजन योजना (एस पी वी) में सहायता प्रदान कर सके। बैंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन को इस परियोजना में अभी तक सहयोजित नहीं किया गया है। शहरी विकास मंत्रालय को कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

धनराशि के आवंटन के लिए अपनाया गया मापदंड

3086. श्री जुएल ओराम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल परियोजनाओं के लिए धनराशि के आबंटन हेतु क्या मापदंड अपनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्व सृजन क्षमता ऐसे मापदंडों में से एक है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में चल रही उन विभिन्न परियोजनाओं के लिए धनराशि के आबंटन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, जहां से रेलवे को अत्यधिक लाभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) 2002–03 से, रेल परियोजनाओं को क्षेत्र और जनसंख्या, प्रत्येक के लिए 15% तथा उस राज्य की चालू परियोजनाओं के बकाया कार्यों के लिए 70% का भार डालते हुए राज्य–वार फार्मूले के आधार पर निधियां आबंटित की गई थी। बहरहाल, 2005–06 से पूंजी निधि के पुनः प्रारम्भ होने से सभी दोहरीकरण, रेल विद्युतीकरण और लास्ट माइल आमान परिवर्तन की कुछ परियोजनाओं को राज्य–वार फार्मूले के आधार पर शामिल किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व धरोहर स्थलों की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटक

3087. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विश्व धरोहर स्थलों की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त जगहों के लिए पर्यटकों को फिर से आकर्षित करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार के अधीन, केन्द्रीय रूप से संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों में बिक्री किए गए टिकटों के अनुसार, वर्ष 2007 में इन स्मारकों की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या, वर्ष 2006 में 1.73 मिलियन की तुलना में 2.09 मिलियन थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल संरक्षण

3088. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुशल उपयोग द्वारा तेल संरक्षण के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विश्वभर में मौजूद अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने का निर्णय लिया है;

(घ) केन्द्र सरकार ने संपूर्ण संरक्षण क्षमता हासिल करने के उद्देश्य से एक प्रणाली रूपरेखा और दृष्टिकोण हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तेल संरक्षण के संबंध में क्या सफलता हासिल हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) संघ सरकार ने "ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001" अधिनियमित किया है और इस अधिनियम में निहित प्रावधानों को अमल में लाने के लिए एक सांविधिक संगठन, ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (बीईई) की स्थापना की है। इस ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में व्यापक रूप से सभी प्रकार की ऊर्जा सम्मिलित है और ऊर्जा खपत साधनों के लिए, जिससे ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग होता है, स्टार लेबलिंग प्रणाली के विकास हेतु प्रावधान शामिल हैं। स्टार लेबलिंग प्रणाली का उद्देश्य उन उपकरणों के बारे में उपभोक्ताओं की जानकारी के स्तर को बढ़ाया है जो ऊर्जा का दक्षता से प्रयोग करते हैं। आज तक, मानक तथा लेबलिंग कार्यक्रम में 5 ऊर्जा–खपत उपस्कर अर्थात् रेफ्रिजरेटर एयर–कंडीशनर, ट्यूब लाइटें, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तथा इलेक्ट्रिक मोटरें हैं। बीईई और पीसीआरए ईंधन कार्यकुशलता मानकों के विकास हेतु मिलकर कार्य कर रहे हैं जिससे निम्नलिखित के संबंध में ऊर्जा लेबलिंग होगी:–

* एलपीजी स्टोव
* आटोमोबील्स

(ग) बेहतर रूप में उपलब्ध ऊर्जा कार्यकुशलता प्रौद्योगिकियों के साथ विद्यमान प्रौद्योगिकियों को अद्यतन करना एक सतत् प्रक्रिया है जिन्हें संबंधित इकाईयां कार्यान्वित कर रही हैं। संघ सरकार आवश्यक समझौतों/करारों के विकास में सहायता देती है जिनमें जानकारी तथा प्रौद्योगिकियों के आदान–प्रदान की अनुमति है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पीसीआरए और "जापान के ऊर्जा संरक्षण केन्द्र" (ईसीसीजे) के बीच व्यापक मुद्दों पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में सहायता प्रदान की है जिससे ऊर्जा कार्यकुशलता में सुधार आएगा। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग के भाग के रूप में ईसीसीजे ऊर्जा संरक्षण प्रौद्योगिकियों की एक

डायरेक्ट्री का आदान–प्रदान किया है जिसे जापान में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है। इन ऊर्जा संरक्षण प्रौद्योगिकियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है।

(घ) "ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001" के प्रावधानों के अनुसार, नौ औद्योगिक क्षेत्रों को मनोनीत क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जहां ऊर्जा प्रबंधकों की नियुक्ति करना तथा साथ ही किसी प्रमाणित संयंत्र ऊर्जा निरीक्षण एजेंसी के द्वारा संयंत्र ऊर्जा निरीक्षण कराना इस अधिनियम के अधीन अनिवार्य हो गया है। घरेलू तथा परिवहन क्षेत्रों के लिए स्टार लेबलिंग प्रणाली के अंतर्गत अधिक से अधिक ऊर्जा खपत साधनों को शामिल करने के वर्तमान प्रयासों से संरक्षण क्षमताएं प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, घरेलू तथा परिवहन क्षेत्रों में पीसीआरए कार्यक्रमों को इस प्रकार बनाया गया है ताकि संकेतों द्वारा तथा व्यवहार परिवर्तन द्वारा बचत प्राप्त की जा सके।

(ङ) पीसीआरए के ड्राइवर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ड्राइवरों में अच्छी ड्राइविंग आदतें डाल कर पेट्रोलियम ईंधन का संरक्षण करना है। यह तीन दिन का तैयार किया गया कार्यक्रम संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में ड्राइवरों के लिए आयोजित किया जाता है। हर वर्ष लगभग 18000 ड्राइवर प्रशिक्षित किए जा रहे हैं और यह अनुमान है कि इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों की (8–10) प्रतिशत समग्र बचत होगी। इस कार्यक्रम से हर वर्ष 25 करोड़ रुपए मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों की बचत होगी।

जेट एयरवेज को अनुमति

3089. श्री एस. अजय कुमार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जेट एयरवेज को चीन के शंघाई शहर तक अपनी विमान सेवा शुरू करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अन्य निजी विमान कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्राष्ट्रीय मार्ग हेतु आवेदन सरकार के पास लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। जेट एयरवेज को, यूएसए में सेन फ्रांसिस्को के प्रचालन किए जाने के साथ, भारत और चीन के बीच सहमत सेवाओं के प्रचालन के लिए भारतीय विमान कम्पनी के रूप में नामित किया गया है।

(घ) सरकार को मैसर्स जेटलाइट तथा मैसर्स डक्कन एविएशन लिमिटेड से अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए/से प्रस्तावित प्रचालनों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। वर्तमान पात्रता मापदंडों के अनुसार मैसर्स डक्कन एविएशन लिमिटेड 26 अगस्त, 2008 से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए पात्र बन जाएगा। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित विमान कम्पनियों को यातायात अधिकाररों की स्वीकृति एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो उनसे प्राप्त अनुरोधों के आधार पर है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करने, यातायात अधिकारों की उपलब्धता, यातायात मांग, बढ़ी हुई विमान सेवा सम्पर्क इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर, उनसे प्राप्त अनुरोध के अनुसार होती है।

तेल शोधनशालाओं में दुर्घटनाएं

3090. एडवोकेट सुरेश कुरूप : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश की विभिन्न तेल शोधनशालाओं में हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) संबंधित कंपनी द्वारा किए गए बचाव/पुनर्वास उपायों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) वर्ष 2005–06, 2006–07 और 2007–08 (जनवरी, 2008 तक) के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरियों में बड़ी हुई दुर्घटना/आग लगने संबंधी घटनाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) एक दुर्घटना के बाद संबंधित कंपनी द्वारा आवश्यक बचाव/स्वास्थ्य लाभ उपाय किए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो तुरन्त चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। मृत्यु की स्थिति में दिवंगत के आश्रितों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जाती है।

विवरण

कम्पनी/रिफाइनरी का नाम	2005–06	2006–07	अप्रैल, 07 से जन., 08 तक
1	2	3	4
आईओसीएल			
पानीपत	3	1	1
गुजरात	1	1	1
मथुरा	2	0	1

1	2	3	4
हल्दिया	0	1	1
बरौनी	2	2	0
डिग्बोई	1	1	0
गुवाहाटी	0	1	0
सीपीसीएल			
मानाली	2	2	3
बीआरपीएल			
बोंगाईगांव	1	0	0
एचपीसीएल			
विज़ाग	1	1	3
मुंबई	1	1	0
बीपीसीएल			
मुंबई	1	1	2
कोच्चि	0	1	0
ओएनजीसी			
एमआरपीएल	1	1	3

ए.डी.आई.पी. योजना

3091. श्री रघुनाथ झा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निःशक्त व्यक्तियों के लिए सहायक वस्तु और उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु सहायता (ए.डी.आई.पी.) के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु निःशक्त लोगों के लिए कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठनों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा गत तीन वर्षों में आयोजित किए गए जागरूकता शिविरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने निःशक्त व्यक्तियों ने इन शिविरों में भाग लिया और इनसे लाभ उठाया;

(ग) बिहार में निःशक्त व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान ए.डी.आई.पी. योजना के अंतर्गत कितने लोगों को सहायता प्राप्त हुई;

(घ) सहायक वस्तु और उपकरण खरीदने हेतु सहायता प्राप्त करने वाले निःशक्त व्यक्तियों की निःशक्ततावार संख्या कितनी है;

(ङ) सहायक वस्तु और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए निःशक्त व्यक्तियों को सहायता योजना (ए.डी.आई.पी.) के अंतर्गत निर्धारित किए गए वास्तविक वार्षिक लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या लक्ष्य हासिल किए गए हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) एडिप योजना के अंतर्गत सहायक यंत्र और उपकरण संवितरित करने और जागरूकता सृजन के लिए संयुक्त शिविर आयोजित किए जाते हैं। कुल लाभार्थियों की संख्या और कार्यान्वयन एजेंसियों, जिन्होंने शिविर आयोजित किया, का ब्यौरा इस प्रकार है :–

क्र. सं.	वर्ष	जारी निधि (लाख रुपए)	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	कार्यान्वयन एजेंसियों की संख्या
1.	2004–05	6318.85	2.79	144
2.	2005–06	5791.69	3.12	138
3.	2006–07	6758.99	3.06	87

(ग) और (घ) जनगणना, 2001 के अनुसार, बिहार में 18,87,611 विकलांग व्यक्ति थे और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :–

क्र.सं.	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
1.	2004–05	2050
2.	2005–06	6400
3.	2006–07	6200

(ङ) से (छ) नियत लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

क्र.सं	वर्ष	लक्ष्य (लाभार्थियों की संख्या लाख में)	उपलब्धियां (लाख में)
1.	2004–05	–	2.79
2.	2005–06	2.70	3.12
3.	2006–07	3.25	3.06

[हिन्दी]

रेलवे पासों का दुरुपयोग

3092. श्री मित्रसेन यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को भारतीय रेलवे द्वारा संसद सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, वीरता पुरस्कार विजेताओं और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले निःशुल्क रेलवे पासों का दुरुपयोग रोकने में सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान उक्त शीर्ष के तहत रेलवे द्वारा किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी कमी आई है;

(ग) क्या ऐसे निःशुल्क रेलवे पासों के लाभार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) संसद सदस्य, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए परिचय पत्र के प्राधिकार पर रेल यात्रा सुविधा का उपयोग करते हैं, जिसकी लागत का भुगतान बाद में रेल मंत्रालय को किया जाता है। निःशुल्क रेल यात्रा के लिए रेल मंत्रालय द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं, वीरता पुरस्कार विजेताओं और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को मानार्थ पास मुहैया कराए जाते हैं। सतर्कता और टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा गाड़ियों में जांचों के दौरान निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा के दुरुपयोग के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं। इन मामलों को रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाता है।

(ख) रेल मंत्रालय द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं, वीरता पुरस्कार विजेताओं, और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को जारी किए गए पास मानार्थ प्रकृति के होते हैं और इन पासों पर वहन की गई लागत अथवा व्यय की कोई गणना नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर निगरानी करने वाले राडार

3093. श्री विजय कृष्ण : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई विमानपत्तन विभाग के आगमन और उड़ान की स्थिति का पता लगाने के लिए द्वितीयक निगरानी राडार से सज्जित नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार इन विमानपत्तनों को नवीनतम प्रौद्योगिकी से सज्जित कराने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) उच्च विमान यातायात घनत्व वाले हवाईअड्डों को प्राथमिक तथा गौण निगरानी राडार उपलब्ध कराए गए हैं। तदनुसार दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलौर, अहमदाबाद तथा गुवाहाटी हवाईअड्डों पर ऐसे राडार संस्थापित किए गए हैं। विमान यातायात में वृद्धि के कारण अमृतसर तथा कोचीन हवाईअड्डों पर अतिरिक्त प्राथमिक तथा गौण राडारों तथा दिल्ली हवाईअड्डे पर अतिरिक्त राडार को उपलब्ध कराने की योजना है। संपूर्ण भारत के विमान क्षेत्र को राडार कवरेज उपलब्ध कराने के लिए झारसागुडा, जोधपुर, कटिहार/किशनगंज, भोपाल, पोरबन्दर, बिल्लारी तथा वाईजैग हवाईअड्डों पर 7 अतिरिक्त गौण राडार उपलब्ध कराने की योजना है।

[हिन्दी]

बेलिसा पर सड़क उपरिपुल

3094. डी. पुनय्यर हसन : क्या रेल मंत्री दिनांक 7 दिसंबर, 2007 के अतारांकित प्रश्न सं. 2361 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजमगढ़ सराय रानी मार्ग में बेलिसा क्रासिंग (लेवल क्रासिंग सं. 29ए) पर सड़क उपरिपुल पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण के लिए वर्ष 2006–07 में उपलब्ध कराए गए 50 लाख रु. के परिव्यय में से उत्तर प्रदेश पुल निर्माण निगम को कुल कितनी धनराशि जारी की गई और उक्त नियम द्वारा इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) वर्ष 2007–08 और 2008–09 के लिए कितना प्रावधान रखा गया है; और

(ग) उक्त सड़क उपरिपुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेलें रेलपथ के आर–पार पुल खास का निर्माण करती हैं जबकि राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का कार्य प्रारंभ किया जाता है। लागत में 50:50 की भागीदारी होती है और तदनुसार समापन पर क्रेडिट/डेबिट पूरा होता है। रेलें इस मामले में बेलिसा समपार पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश पुल निगम को धनराशि सीधे नहीं देती है।

(ख) 2007–08 के दौरान, इस कार्य के लिए 15 लाख रु. की लागत मुहैया कराई गई थी और 2008–09 के दौरान 80 लाख रु. का प्रस्ताव है।

(ग) राज्य सरकार ने पहुंच मार्गों पर अभी कार्य प्रारंभ नहीं किया है। रेलवे संयुक्त विस्तृत अनुमान की स्वीकृति मिलने पर कार्य प्रारंभ करेगी।

[अनुवाद]

घरेलू विमान कंपनियों में भारतीय विमानचालकों की भर्ती

3095. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश अभी भी प्रशिक्षित विमानचालकों/कमांडरों/कप्तानों की भारी कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार युवाओं को कैरियर के रूप में विमानचालक का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या घरेलू विमान कंपनियां भारतीय विमानचालकों की भर्ती करने की अनिच्छुक हैं; और

(ङ) यदि हां, तो विमानचालक का विकल्प चुनने वाले भारतीय छात्रों को संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां। देश में नागर विमानन उद्योग, टाइप रेटिड विमानचालकों की कमी का सामना कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार प्रशिक्षण के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इगुआ) को सहायता देने के लिए अनुदान देती है। विमानन क्षेत्र को कैरियर के रूप में अपनाने के लिए युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन देने के लिए गोंदिया, महाराष्ट्र में एक विश्व श्रेणी के उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। सरकार देश में और अधिक प्रशिक्षण आधार संरचना जुटाए जाने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय और एयरोक्लब ऑफ इंडिया के माध्यम से विभिन्न उड़ान क्लबों को प्रशिक्षण विमान उपलब्ध कराती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) नागर विमानन महानिदेशालय ने नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) अनुभाग 7, सीरिज जी, भाग–II दिनांक 01.11.2006 के तहत मार्ग दर्शन सिद्धांत जारी किए हैं जिसमें यह व्यवस्था है कि सह विमानचालक कार्यकलापों के लिए, भारतीय विमानचालकों को आपरेटर द्वारा नियुक्त तथा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उस मामले में जहां उड़ान का प्रचालन पायलट–इन–कमांड तथा सह–विमानचालक के रूप में विदेशी विमानचालक द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है, वहां प्रशिक्षण/अतिरिक्त उड़ान के लिए विमान पर भारतीय विमानचालक का उपस्थित रहना अपेक्षित होता है।

[हिन्दी]

दवाइयों की कीमतों में कमी

3096. श्री शिशुपाल एन. पटले :
श्री देविदास पिंगले :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) के अंतर्गत आने वाली दवाइयों की कीमतें उत्पाद शुल्क में कटौती के पश्चात कम हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में एन.पी.पी.ए. द्वारा कोई अधिसूचना जारी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दवाइयों की कीमतों में कुल कितने प्रतिशत कमी होने की संभावना है;

(च) क्या सभी राज्यों में एक समान कीमतें निर्धारित किए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : (क) से (छ) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 1 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. 4/2008–सीई के माध्यम उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर 8% करने तथा अधिसूचना सं. 14/2008–सीई (एनटी) दिनांक 1 मार्च, 2008 के जरिए शुल्क में छूट को 42.5% से घटाकर 35.5% करने के परिणामस्वरूप, एनपीपीए ने का.आ. सं. 418 (अ.) दिनांक 3 मार्च, 2008 के माध्यम से सभी अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन पैकों के समतुल्य अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित) में 4.58% की कमी कर दी है।

गैर–अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन पैकों के मामले में एनपीपीए ने मार्गनिर्देश सं. 2/2008, दिनांक 10 मार्च, 2008 के माध्यम से सभी विनिर्माताओं और विपणन कंपनियों को यह सलाह दी है कि उत्पाद शुल्क में कमी के परिणामस्वरूप एमआरपी (सभी करों सहित) में 4.58% की कमी सुनिश्चित की जाए।

नई एमआरपी सभी राज्यों में, जहां सरकार को उत्पाद शुल्क का वास्तव में भुगतान किया गया है, समान रूप से लागू होगी।

का.आ. सं. 418(अ.) दिनांक 3 मार्च, 2008 तथा मार्गनिर्देश सं. 2/2008, दिनांक 10 मार्च, 2008 एनपीपीए की वेबसाइट www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

इफको के फॉस्फोरिक एसिड प्लांट का पुनरुद्धार

3097. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लि. (इफको) ने फास्फोरिक एसिड प्लांट के पुनरुद्धार के लिए सेनेगल सरकार के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और उक्त समझौता ज्ञापन की निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(ग) इंडस्ट्रीज चिमिक्वेस डे सेनेगल (आई.सी.एस.) के उत्पादन को बढ़ाने/उसकी पुनर्संरचना के लिए इफको द्वारा कितना निवेश किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी हां, सेनेगल सरकार और इफको द्वारा 16 जुलाई, 2007 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें 14 जनवरी, 2008 को संशोधन किया गया था।

(ख) इफको और सेनेगल सरकार के बीच हुए करार में किए गए प्रमुख प्रावधान विवरण में संलग्न हैं।

(ग) इफको परिसंघ आईसीएस के पुनर्वास हेतु इस कंपनी में 100,000,000 अमेरिकी डॉलर (एक सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश करेगी।

विवरण

इफको और सेनेगल सरकार के बीच संशोधित करार के मुख्य प्रावधान

- इफको आईसीएस के पुनर्गठन और पुनः पूंजीकरण के लिए एक परिसंघ बनाएगा।
- इफको परिसंघ संयंत्र और मशीनरी के पुनरुद्धार और प्रचालनों में सुधार करने के लिए कंपनी में 100,000,000 अमेरिकी डॉलर (एक सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश करेगा।
- राज्य प्रबंधन और प्रचालन नियंत्रण सहित नियंत्रण लेने के लिए इफको परिसंघ को अनुमति प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
- राज्य, इफको परिसंघ को आईसीएस और/या इफको परिसंघ के प्रति किसी अघोषित देनदारी या तृतीय–पक्ष दावे से उत्पन्न होने वाले सभी परिणामों के लिए एक गारंटी जारी करेगा।
- राज्य द्वारा की गई वचनबद्धता को देखते हुए राज्य को कंपनी में पंद्रह प्रतिशत (15%) की शेयरधारिता का लाभ मिलेगा।
- पुनः पूंजीकरण पर इफको परिसंघ फॉस्फोरिक एसिड के उत्पादन को बढ़ाकर 600,000 टन प्रतिवर्ष करने की दृष्टि से अगले तीन वर्षों के अंदर ऋण या अन्यथा द्वारा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी, या जैसी स्थिति होगी आईसीएस के प्रचालन से सृजित होगी।
- सेनेगल बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऋण में कमी किए बिना पंद्रह (15) वर्ष में अदायगी की जाएगी।
- ऋण में कमी किए बिना व्यापार ऋणदाताओं को दो वर्ष में अदायगी की जाएगी।
- उर्वरक फैक्टरी मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन के अधीन होंगी जिसे राज्य और इफको परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त किया जाएगा।
- सेनेगल सरकार को उर्वरक संयंत्र में प्रयोग के लिए पंद्रह प्रतिशत फॉस्फोरिक एसिड बेचा जाएगा।

आई.जी.आई. विमानपत्तन पर यात्रियों को होने वाली कठिनाइयां

3098. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री अभिषेक प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री मधु गौड यास्की :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.जी.आई. विमानपत्तन पर कुप्रबंधन उड़ानों के विलंब होने, लंबी कतारों और ट्रालियों के गुम हो जाने तक ही सीमित नहीं है जबकि यहां की एक्स–रे मशीन भी कार्य नहीं कर रही है जैसा

कि दिनांक 7 मार्च, 2008 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) आई.जी.आई. विमानपत्तन पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) आईजीआई हवाईअड्डा, दिल्ली को "प्रचालन, प्रबंधन एवं विकास करार" के तहत स्तरोन्नयन तथा विकसित किया जा रहा है। हवाईअड्डों पर सुरक्षा स्टाफ द्वारा यात्रियों के बैगेज की नॉन–इनवेसिव स्क्रीनिंग के लिए एक्सरे मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्सरे मशीनें, अन्य इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपस्करों की भांति, असेवायोग्य आपात स्थिति में आ सकती है।

ऐसी आपातस्थितियों, अवरोधक तथा/अथवा ब्रेक डाउन अनुरक्षण के दौरान, संबंधित एक्सरे मशीन इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं होती। कभी–कभी एक्सरे मशीन की मरम्मत में लम्बा समय लग जाता है। इस अवधि के दौरान, हवाईअड्डों पर उड़ानों का प्रचालन प्रभावित होता है। इस समस्या पर काबू पाने के लिए, स्टैण्ड बाई मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा परिचालित विनिर्दिष्टताओं के अनुसार हवाईअड्डों को इन एक्सरे मशीनों के स्थान पर स्वचालित एक्सरे स्क्रीनिंग प्रणाली की स्थापना करनी है।

यात्री यातायात के आधार पर, सभी मशीनों पर हर वक्त मानवीय उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। अंतरदेशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के बीच स्क्रीनरों का रोटेशन किया जाता है चूंकि व्यस्ततम यातायात के घंटों में टर्मिनल पर भिन्नता होती है। प्रत्येक हवाईअड्डे पर प्रशिक्षित तथा प्रमाणित स्क्रीनरों को तैनात किया जाता है।

इस्पात और लौह निर्माण के लिए अवसंरचना

3099. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत उच्च कीमतों पर इस्पात का आयात कर रहा है और लौह अयस्क का कम कीमत पर निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में किए जा रहे लौह अयस्क से इस्पात और लोहा बनाने के लिए देश में अवसंरचना उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो देश में लौह अयस्क के बेहतर उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) और (ख) भारत न तो उच्च मूल्य पर इस्पात का आयात कर रहा है और न ही कम मूल्य पर लौह अयस्क का निर्यात कर रहा है। इस्पात और लौह अयस्क जैसी वस्तुओं के आयात मूल्य और निर्यात मूल्य प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस प्रकार की वस्तुओं की मांग और पूर्ति तथा गौण रूप से माल भाड़ा प्रभारों और घरेलू करों पर निर्भर करते हैं। इस्पात पर आयात शुल्क बहुत कम 5% है और अप्रैल–जनवरी, 08 की अवधि के दौरान परिसज्जित इस्पात के आयात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 70% वृद्धि हुई। लौह अयस्क के मामले में दीर्घकालीन मूल्य बातचीत द्वारा तय किए जाते हैं और चीन, जापान और दक्षिण कोरिया आदि जैसे प्रमुख ग्राहकों सहित आस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे प्रमुख निर्यातक देशों द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय रुख का अनुसरण करते हैं। लौह अयस्क का निर्यात मौटे तौर पर स्पोट आधारित हैं जोकि संविदागत दीर्घकालीन मूल्यों की तुलना में काफी अधिक है।

(ग) और (घ) वर्ष 2006–07 के दौरान देश में उत्पादन किए गए 181 मिलियन टन लौह अयस्क में से 93.79 मिलियन टन लौह अयस्क का निर्यात किया गया है तथा शेष को घरेलू उपयोग के लिए बचा कर रखा है (स्रोतः भारतीय खान ब्यूरो)। वर्ष 2011–12 तक देश में इस्पात निर्माण क्षमता 124.06 मिलियन टन होने का अनुमान है। उत्पादन के स्तर के लिए 198 मिलियन टन लौह अयस्क की आवश्यकता होगी। इस्पात उत्पादन प्रौद्योगिकीय रूप से जटिल प्रक्रिया है और लौह अयस्क की उपलब्धता के अलावा भारी निवेश, लम्बी जेस्टेशन अवधि तथा इस्पात की मांग की चक्रीय प्रकृति जैसे घटक हैं, जो इस्पात उत्पादन क्षमता स्थापित करना निर्धारित करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस्पात की घरेलू मांग घरेलू उत्पादन की तुलना में तेज गति से बढ़ी है, सरकार ने विद्यमान इस्पात क्षमताओं के विस्तार के साथ साथ नई इस्पात क्षमता स्थापित करने को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

- अवसंरचना, कच्चे माल की आपूर्ति, पर्यावरण संबंधी अनुमति तथा संसाधनों संबंधी अन्य अड़चनों से संबंधित देश में प्रमुख इस्पात निवेशों के मामले को मानीटर करने और समन्वय करने के लिए सरकार ने अंतर–मंत्रालय समूह गठित किया है।
- सरकार ने सरकारी क्षेत्र की इस्पात इकाइयों नामतः सेल और आर आई एन एल द्वारा 11वीं योजना में अपरिष्कृत इस्पात की क्षमता 16 मिलियन टन बढ़ाने की मंजूरी दी है। इन इकाइयों द्वारा किए जा रहे अपने आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रमों में घमन भट्ठियों में सिन्टर और पैलेटों के जरिए लौह अयस्क चूरे का अधिक उपयोग करने की योजना बनाई है।

– इसी प्रकार निजी क्षेत्र के कुछ बड़े एकीकृत इस्पात उत्पादकों ने भी सिन्टरिंग और पैलेटाइजेशन के जरिए अपने बर्डन में 90% से अधिक लौह अयस्क चूरे का उपयोग करने की योजना बनाई है।

समर्पित मल्टी-मोडल हाई एक्सल माल भाड़ा-गलियारा परियोजना

3100. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने एक समर्पित मल्टी मोडल हाई एक्सल भार मालभाड़ा परियोजना की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय रेल ने आने वाले वर्षों में यातायात घनत्व में भारी वृद्धि की सम्हलाई करने के लिए एक समर्पित माल गलियारा परियोजना (लुधियाना से दानकुनी तक पूर्वी कॉरिडोर तथा मुंबई के नज़दीक जवाहर लाल नेहरू पोर्ट से दादरी/तुगलकाबाद पश्चिमी कॉरिडोर) का निर्माण करने का प्रस्ताव किया। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अक्तूबर, 2006 में समर्पित माल गलियारा निगम नाम से एक विशेष प्रयोजन योजना स्थापित की गई है।

(ग) लंबी दूरी वाली गाड़ियों तथा 25 टन एक्सल लोड वाली भारी गाड़ियों को चलाने के लिए पूर्वी तथा पश्चिमी गलियारे दोनों को उपयुक्त बनाया जाएगा। इन मार्गों पर उच्चतम भार की गाड़ियों को चलाना ज्यादा आसान होगा तथा भारी एवं लंबी दूरी की गाड़ियों को चलाने के लिए विश्व मानकों के तुलनीय होगा।

रेलगाड़ियों में विज्ञापन

3101. श्री नन्द कुमार साय :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे का विचार रेलगाड़ियों में विज्ञापन के प्रचार की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के विज्ञापन प्रचार से रेलवे वार्षिक रूप से कितना राजस्व अर्जित करेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) गाड़ियों में वाणिज्यिक विज्ञापन देने के लिए नीति–निर्देश पहले से ही मौजूद हैं। गाड़ियों के भीतर तथा बाहर वाणिज्यिक विज्ञापन देने की विभिन्न योजनाएं तथा विज्ञापन पैनलों का प्रदर्शन, सवारी डिब्बों की विनाइल रैपिंग, गाड़ियों में विज्ञापन अधिकार का पैकेज इत्यादि हैं।

(ग) अप्रैल, 07 से दिसंबर, 07 तक वाणिज्यिक प्रचार के जरिए 99.50 करोड़ रुपए की राशि अर्जित की गई है, जिसमें गाड़ियों में प्रचार के जरिए प्राप्त आमदनी भी शामिल है। गाड़ियों में वाणिज्यिक विज्ञापन देने के लिए विभिन्न प्रकार के विचार/योजनाएं लाई जा रही हैं तथा इससे अच्छी राशि मिलने की संभावना है।

नए शहरों को विमान सेवा

3102. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री बची सिंह रावत 'बचदा' :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री भावरचन्द गेहलोत :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में त्वरित आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कुछेक नए शहरों को विमान सेवा से जोड़ने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो शहरवार और राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की बिहार राज्य के भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और छपरा शहरों को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा किया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) एक रीजन के भीतर विमान संपर्कता को प्रोत्साहित करने II टीयर तथा III टीयर शहरों के लिए विमान यातायात सेवा उपलब्ध कराने तथा विशिष्ट क्षेत्रों के बीच इन सेवाओं को उपलब्ध कराने की दृष्टि से अनुसूचित क्षेत्रीय विमान परिवहन सेवाओं के लिए सरकार द्वारा नागर विमानन अपेक्षाएं की गई हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा परिभाषितानुसार उड़ान सूचना क्षेत्रों (एफआईआर) के अनुसार 4 क्षेत्रों यथा उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व/उत्तर पूर्व की पहचान की गई है। बहरहाल, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मद्देनजर विशिष्ट स्थानों को विमान सेवा उपलब्ध कराएं।

(ग) और (घ) नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का वर्तमान में भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, छपरा के लिए/से विमान सेवाएं आरंभ करने की कोई योजना नहीं है।

प्रवेश शुल्क में वृद्धि

3103. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सभी स्मारकों के लिए प्रवेश शुल्क में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शहरों के अति महत्वपूर्ण स्मारकों और दूरस्थ क्षेत्रों के स्मारकों के बीच कोई अंतर किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार एक समान राष्ट्रीय शुल्क प्रणाली लागू करने के लिए श्रेणियों की संख्या बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टिकटेड विश्व विरासत स्थलों पर भारत, सार्क तथा बिम्सटेक देशों के नागरिकों से 10/रुपये प्रति व्यक्ति तथा अन्य देशों के नागरिकों से 250/रुपये प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क लेता है। अन्य टिकटेड स्मारकों पर भारत, सार्क तथा बिम्सटेक देशों के नागरिकों से 5/– रुपये प्रति व्यक्ति तथा अन्य देशों के नागरिकों से 100/रुपये प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क लिया जाता है।

(ङ) और (च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आर.आई.एन.एल. को लाभ

3104. श्री हितेन बर्मन : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात का व्यवसाय करने वाली सभी प्रमुख कंपनियां काफी अच्छा लाभ कमा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर. आई.एन.एल.) का लाभ वर्ष–दर–वर्ष घट रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) से (ग) वर्ष 2003–04 से 2006–07 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) सहित प्रमुख इस्पात कंपनियों द्वारा अर्जित कर–पश्चात लाभ का विवरण निम्नानुसार है :–

(करोड़ रुपए)

कंपनी	कर पश्चात लाभ			
	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	2512	6817	4013	6202
राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	1547	2008	1252	1363
टाटा स्टील लि.*	1746	3474	3506	4165
जे एस डब्ल्यू स्टील लि.*	793	870	857	1303
एस्सार स्टील लि.*	60	590	530	436

(*स्रोत : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज)

तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2005–06 का छोड़कर, वर्ष 2002–03 में आरआईएनएल के समग्र परिवर्तन से आरआईएनएल का लाभ दर वर्ष बढ़ता रहा है। वर्ष 2005–06 के दौरान लाभ में गिरावट का रुख जो सेल, एस्सार स्टील लिमिटेड तथा जेएसडब्ल्यू स्टील लि. जैसी अन्य इस्पात कंपनियों में बना हुआ था इसका मुख्य कारण यह था कि वर्ष 2004–05 की तुलना में वर्ष 2005–06 में इस्पात की कीमतों में भारी गिरावट हुई थी। विशेषज्ञ रूप से आरआईएनएल के लाभ में गिरावट कंपनी के कारण है जो गत वर्षों में कम न्यूनतम वैकल्पिक कर की तुलना में नियमित आय तथा बढ़ रही आदान लागतों की शर्त पर है।

(घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

माथेरन रेल को विश्व विरासत का दर्जा दिया जाना

3105. श्री मिलिन्द देवरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे माथेरन रेल को यूनेस्को की विश्व विरासत का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को को एक विस्तृत आवेदन देने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इसके रख–रखाव पर वार्षिक रूप से कितना व्यय किया जाता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) यूनेस्को के पास जमा करने के लिए विस्तृत आवेदन (माथेरन रेल के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थिति प्राप्त करने के लिए) हेतु रेलों द्वारा सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) वार्षिक व्यय निम्नानुसार है :

2002–03	–	6,23,98,490 रु.
2003–04	–	7,25,56,950 रु.
2004–05	–	7,57,42,040 रु.
2005–06	–	7,78,27,130 रु.
2006–07	–	1,03,89,997 रु.

भारी उद्योग विभाग का पुनरुद्धार

3106. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री नन्द कुमार साय :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में भारी उद्योग में सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 के दौरान की गई बीआईएफआ द्वारा पुनरुद्धार हेतु संस्वीकृत पैकेज तथा उद्योग के लिए नकद निवेचन तथा वित्तीय पुनर्संरचना का उद्योग–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 2008–09 के दौरान देश में भारी उद्योग क्षेत्र में अपनी इक्विटी कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्योग–वार ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) जहां तक भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसई) का संबंध है, राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में घोषित की गई नीति के अनुसार 5 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् प्रागा टूल्स लि., भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लि., एचएमटी (एमटी) लि., एम्ब्रू यूल एण्ड कं. लि. और नागालैंड पल्प एण्ड पेपर क. लि. के–पुनरुद्धार कार्यक्रम सरकार/बीआईएफआर द्वारा वर्ष 2006–07 और 2007–08 के दौरान अनुमोदित कर दिए गए हैं। नकद अंतःप्रवाह का विवरण आदि निम्नानुसार है :–

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र का उपक्रम	भारत सरकार की नई निधियां		अधित्याग/ परिवर्तन	भारत सरकार की गारंटी	कुल
		पूंजी निवेश	अन्य			
1.	प्रागा टूल्स लि., सिकन्दराबाद (आं.प्र.)	5.00	–	177.12	32.59	214.71
2.	भारत पंप्स एण्ड कंप्रेशर्स लि., इलाहाबाद	–	3.37	153.15	–	156.52
3.	एचएमटी (एमटी) लि.	180.00	543.00	157.80	–	880.80
4.	**एम्ब्रू यूल एण्ड कं. लि.	–	87.06	154.75	111.96	353.77
5.	*नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कं. लि.	251.26	38.19	126.98	252.99	669.42
	कुल	436.26	671.62	769.80	397.54	2275.22

* 1000 रुपए प्रति शेयर से 100 रुपए प्रति शेयर फेस वेल्यू में कमी के रास्ते विद्यमान प्रदत्त पूंजी को 120.20 करोड़ रुपए से घटाकर 12.02 करोड़ रुपए करने के कारण पूंजीगत कटौती निधि के समंजन हेतु 108.18 करोड़ रुपए।

** विद्यमान इक्विटी को 283.04 करोड़ रुपए से 58.61 करोड़ रुपए दर्ज करना।

इसके अतिरिक्त नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि. को जादवपुर विश्वविद्यालय को हस्तांतरित करने का निश्चय किया गया है।

(ग) और (घ) अब तक, सरकार की नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि. की 8.31 करोडञ्ज रुपए की इक्विटी पूंजी को बट्टे खाते डालने की इच्छा बीआईएफआर को सूचित कर दी गई है और अभी बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत किया जाना है।

(घ) भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य उपक्रम में इक्विटी घटाने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विश्व धरोहर स्थलों पर पर्यटन संबंधी अवसंरचना

3107. श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री मिलिन्द देवरा :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व विरासत स्थलों पर प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन संबंधी अवसंरचना का सृजन करने हेतु इनकी पहचान की है तथा इन परियोजनाओं पर तेजी से कार्य शुरू करने के लिए नागर विमानन, रेल, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा शहरी विकास मंत्रालयों के साथ बेहतर समन्वय बनाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कदम का क्या प्रयोजन है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कदम पर्यटकों को कितना आकर्षित कर पाएगा; और

(घ) देश में विरासत स्थलों को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) जी, हां। पर्यटक स्थलों में पर्यटक अवसंरचना के सुधार को, और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण समझा जाताा है।

(घ) पर्यटन मंत्रालय ने आगरा, बोधगया, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, हम्पी, खजुराहो, मामल्लापुरम और सांची स्थित विश्व धरोहर स्थलों में, स्मारकों सहित, देश के पर्यटक स्थलों में अवसंरचना के सुधार हेतु परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

एल पी जी की कमी

3108. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

श्री पंकज चौधरी :

श्री रेवती रमन सिंह :

डा. टोकचोम मैन्या :

डा. सत्यनारायण जटिया :

श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस (एल पी जी) की कमी इतनी बढ़ गई है कि डीलरों के पास मांग दर्ज करने के बाद गैस सिलिन्डरों की आपूर्ति में एक माह का या उससे अधिक समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो गत छः माह के दौरान एल पी जी की मासिक मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है;

(ग) सिलेन्डर की आपूर्ति हेतु उपभोक्ता की मांग पर प्रतिक्रिया करने में एल पी जी डीलरों द्वारा औसतन कितना समय लिया जाता है; और

(घ) आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) ने सूचित किया है कि वर्तमान में देश में कुल मिलाकर एलपीजी की कोई कमी नहीं है और ओएमसीज़ द्वारा वितरकों को एलपीजी की आपूर्तियां, एलपीजी वितरकों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार घरेलू उत्पादन और आयातों के माध्यम से की जा रही है। ओएमसीज ने आगे बताया है कि उन्होंने अप्रैल 2007–जनवरी, 2008 की अवधि के दौरान, देश में 8450 टीएमटी (हजार मीटरी टन) घरेलू एलपीजी की आपूर्ति की है, जबकि गत वर्ष उक्त अवधि में 8030 टीएमटी की आपूर्ति की थी जो 5.2% की वृद्धि दर्शाता है।

तथापि, ओएमसीज़ ने देश के कुछ राज्यों में एलपीजी आपूर्तियों में बैकलॉग की सूचना दी थी, जिसके संयुक्त रूप से ये कारण थे, अर्थात् जनवरी, 2008 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) और एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा एलपीजी की भारी मात्रा में आपूर्ति की कटौती करना, जामनगर से उत्तरी क्षेत्र में रेल द्वारा भारी मात्रा में एलपीजी भिजवाने में विलंब होना, कड़ाके की सर्दी के कारण राज्यों की मांग का बढ़ना जिससे ग्राहकों ने घबराहट में बुकिंग की, ठेका श्रमिकों द्वारा हड़ताल करना, आंदोलन संबंधी कार्यकलाप होने, कम ड्राफ्ट, बंध आदि के कारण हल्दिया पत्तन पर पोतों की बर्थिंग में विलंब होना, आदि।

सरकार ने ओएमसीज़ को सलाह दी है कि छुट्टियों और काम के घंटे बढ़ाकर भरण संयंत्रों को चला कर राज्यों में बैकलॉग को समाप्त करें। बैकलॉक को शीघ्र समाप्त करने के लिए कार्य दिवसों के दौरान भरण को भी बढ़ाया जा रहा है।

ओएमसीज़ ने यह भी रिपोर्ट दी है कि उन्होंने अगस्त, 2007 से जनवरी, 2008 की अवधि के दौरान, देश के प्रति मास औसतन 876 हजार मीटरी टन (टीएमटी) एलपीजी की आपूर्ति की है।

प्रयोग में न लाये जा रहे विमानपत्तन/धावनपट्टियां

3109. श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री सुरेश अंगड़ि :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विमानपत्तनों/धावन पट्टियों की कुल संख्या कितनी है तथा इनमें से कितने विमानपत्तन/धावन पट्टियां कार्य कर रही हैं;

(ख) देश में प्रयोग में नहीं लाये जा रहे तथा कार्य नहीं कर रहे विमानपत्तनों/धावन पट्टियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्य न कर रहे विमानपत्तनों/धावन पट्टियों को वाणिज्यिक विमानपत्तनों में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) विमानन नेटवर्क के विस्तार के रूप में विमानपत्तनों/धावन पट्टियों का पुनरुद्धार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 125 हवाई अड्डों का प्रबंध करता है जिनमें से दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों सहित 92 हवाई अड्डे प्रचालनात्मक है। 33 हवाई अड्डे अप्रयुक्त तथा अप्रचालित पड़े हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का राज्य सरकारों की और से निशुल्क तथा ऋणभारों से मुक्त भूमि की उपलब्धता के अध्यधीन, अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से अथवा राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम में, अपने अप्रचालित छोटे हवाई अड्डों में से कुछ के स्तरोन्नयन का प्रस्ताव है। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, मौजूदा हवाई अड्डों को पर्याप्त सरकारी वित्तपोषण से विकसित किए जाने का प्रस्ताव है।

जिन अप्रचालित हवाई अड्डों को स्तरोन्नयन के लिए अस्थाई रूप से चिन्हित किया गया है वे हैं : पश्चिम बंगाल में बेलूरघाट, बेहाला, कूच बिहार, मालदा, झारखण्ड में चाकुलिया, उड़ीसा में झरसुगदा, बिहार में मुजफ्फरपुर, महाराष्ट्र में शोलापुर, अकोला, आंध्र प्रदेश में कुडप्पा, वारंगल, कर्नाटक में मैसूर, तमिलनाडु में वेल्लोर, अरूणाचल प्रदेश में राज्य सरकार के पासीघाट, जेते, तेजू हवाई अड्डे, असम में रूपसी, त्रिपुरा में कमालपुर, कैलाशहर तथा मेघालय में राज्य सरकार का तुरा हवाई अड्डा। तथापि, इस समय अपेक्षित निधियों को इंगित करना संभव नहीं है, चूंकि इनमें से अधिकांश हवाई अड्डों के संबंध में मामला प्रारंभिक अवस्था में है।

घरेलू एल पी जी रसोई गैस की आपूर्ति

3110. श्री पी. सी. थामस : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धमार्थ संगठनों, छात्रावासों, कामगारों तथा वाणिज्यिक आधार पर गैस का उपयोग नहीं करने वाले लोक समूहों की अन्य श्रेणियों को घरेलू एल पी जी रसोई गैस की आपूर्ति करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी हां। इस समय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज़) घरेलू तथा गैर घरेलू छूट प्राप्त उपभोक्ताओं की श्रेणी जैसे स्कूलों, कालेजों, सरकारी अस्पतालों, अर्द्ध सैनिक और रक्षा प्रतिष्ठानों, सरकारी कार्यालयों से जुड़ी कैन्टीनों और जो सहकारी समिति अधिनियम के तहत चल रही हैं, समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थाओं और रेड क्रास सोसायटी की सभी शाखाओं को राजसहायता प्राप्त एलपीजी की आपूर्ति कर रही हैं।

पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल में निजी कैटरिंग ठेकेदार

3111. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल के 15 टर्मिनल रेलवे स्टेशनों पर निजी कैटरिंग ठेकेदारों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सुविधाओं का ठेकेदार-वार एवं तिथि-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी अतिरिक्त सुविधाएं देने के समय किस प्रकार का अनुबंध किया गया था ऐसी अतिरिक्त सुविधाएं किस आधार पर दी गई;

(घ) रेलवे के किन दिशा-निर्देशों के आधार पर अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई थीं; और

(ङ) रिफ्रेशमेंट रूम के आधार पर किन इकाइयों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई थीं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों पर शुल्क मुक्त व्यापार

3112. श्री के.एस. राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमानपत्तनों पर शुल्क मुक्त व्यापार से संबद्ध एशिया पैसिफिक ट्रेवल रिटेल एसोसिएशन (ए पी टी आर ए) द्वारा क्या मांग की गई है तथा तरल पदार्थों, एरोसोल तथा जैल्स (एलएजी) पर लगाए गए प्रतिबंध से किस प्रकार की सुरक्षा संबंधी चिंताएं सामने आई हैं;

(ख) एलएजी के अंतर्गत शामिल शराब, इत्र तथा डियोडेरेंट आदि को ले जाने पर क्या चालू अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का मानक लागू है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतिबंध की समीक्षा तथा सुरक्षा आवश्यकताओं से समझौता किए बिना विमानपत्तनों पर शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति देने हेतु एक प्रणाली का विकास करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) *यूरोपियन यूनियन कमीशन (ईयूसी) ने भारत समेत अन्य देशों से यूरोपियन यूनियन में प्रवेश करने वाले आउटबाउण्ड यात्रियों द्वारा तरल पदार्थ, एयरोसोल तथा जेल (एलएजी) के वहन के लिए सुरक्षा प्रबंधों तथा प्रक्रियाओं की वैधता के संबंध में दिनांक 31.7.2007 को विनियम संख्या 915/2007 जारी किया है। एशिया पेसिफिक ट्रैवल रिटेल एसोसिएशन (आप्ट्रा) ने भारत सरकार से यूरोपियन यूनियन (ईयू) के साथ ऐसा कोई करार करने का अनुरोध किया है, जिसके द्वारा आउटबाउण्ड ट्रांसफर यात्री भारतीय हवाई अड्डों की खुदरा दुकानों से खरीदे गए एलएजी को ई यू सी के विनियमन के अनुपालन में अपने हैण्ड–बैगेज में लेकर जा सके।*

(ख) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने दिसम्बर, 2006 में एक परामर्श जारी किया जिसमें सदस्य देशों की एलएजी की स्क्रीनिंग के लिए क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित सुरक्षा विनियामक दिशानिर्देश सम्प्रेषित किए गए थे :–

(i) सभी तरल पदार्थों को 100 मिली (अथवा अन्य मात्रात्मक मापों में समतुल्य, यथा फ्लूड आउंस) से अधिक क्षमता वाले कन्टेनर में ले जाया जाना अपेक्षित होना चाहिए। 100 मिली. से बड़े कन्टेनरों में वाहित तरल पदार्थ स्वीकार्य नहीं हैं, चाहे कन्टेनर केवल आंशिक रूप से भरा हो;

(ii) कन्टेनरों को एक पारदर्शी री–सीलेबल (पुनः सील किए जाने योग्य) प्लास्टिक बैग में रखा जाना चाहिए जिनकी अधिकतम क्षमता 1 लीटर से अधिक न हो। कन्टेनर पारदर्शी प्लास्टिक बैग में आसानी से फिट हो जाना चाहिए, जिसे पूर्णतया बन्द किया जाना चाहिए;

(iii) प्लास्टिक बैग को स्क्रीनिंग प्वाइंट पर दृश्य परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रति यात्री केवल एक प्लास्टिक बैग की अनुमति होनी चाहिए; तथा

(iv) दवाइयों, शिशु आहार/दूध तथा विशिष्ट आहार संबंधी आवश्यकताओं के लिए छूट दी जानी चाहिए। ऐसे तरल पदार्थों की प्रकृति के सत्यापन के लिए समुचित तथा पर्याप्त उपाय उपलब्ध होने आवश्यक होंगे।

इसके अतिरिक्त सदस्य देशों को ऐसे तरल पदार्थों के संबंध में छूट पर भी विचार करना था जिन्हें या तो हवाई अड्डे की ड्यूटी फ्री दुकानों से अथवा विमान के भीतर खरीदा गया हो। इस पर विचार इस शर्त पर होना था, कि तरल पदार्थ को एक सीलबंद प्लास्टिक बैग में पैक किया गया हो जो टेम्पर–एवीडेण्ट भी हो और उस पर प्रस्थान करने वाले तथा यात्रियों के साथ साथ ट्रांसफर यात्रियों के लिए यात्रा की तिथि पर, हवाई अड्डे की ड्यूटी फ्री दुकान, अथवा विमान के भीतर खरीद के संतोषजनक प्रमाण प्रदर्शित हों।

(ग) और (घ) जी, नहीं। जहां भारत इकाओ अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता तथा सदस्य देश होने के नाते, अपने हवाई अड्डों पर ड्यूटी फ्री व्यापार की अनुमति के लिए ई यू के साथ एक पारस्परिक करार करना चाह रहा है, वहीं भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मानकों तथा अनुशंसित परिपाटियों का अनुपालन करता है।

नक्सलवादियों/माओवादियों द्वारा रेलवे की सम्पत्ति को नष्ट किया जाना

3113. श्रीमती जयाप्रदा :
श्री उदय सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2007 के दौरान नक्सलवादियों/माओवादियों ने राज्यों में कई करोड़ की रेलवे सम्पत्ति नष्ट कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान नक्सलवादियों/माओवादियों द्वारा नष्ट की गई अथवा क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे की नक्सलवादियों/माओवादियों से सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए कोई रणनीति बनाने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2007 के दौरान, नकसलियों/माओवादियों द्वारा रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की उप घटनाओं की रिपोर्ट की गई है जिसमें 5,86,59,969/–रु. की संपत्ति नष्ट हो चुकी है।

(ग) और (घ) जी, हां। "पुलिस व्यवस्था" राज्य का विषय होने के कारण रनिंग गाड़ियों सहित रेलों पर अपराध की रोकथाम, पंजीकरण और जांच संबंधित राज्यों की सरकारों की सांविधिक जिम्मेदारी है। बहरहाल, रेल यात्रियों और रेल संपत्ति की बेहतर सुरक्षा हेतु रेलों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :–

1. प्रभावित राज्यों ने भेद्य खंडों में नक्सलियों/माओवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए राज्य पुलिस और राजकीय रेल पुलिस के साथ नजदीकी समन्वय बनाए रखा जाता है।

2. प्रभावित राज्यों के असुरक्षित और संवेदनशील खंडों/स्टेशनों की पहचान कर ली गई है और राजकीय रेल पुलिस, राज्य पुलिस और रेल सुरक्षा बल द्वारा पेट्रोलिंग को गहन कर दिया गया है।

3. रेल प्रणाली पर नक्सल/माओवादियों की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी संयुक्त कार्यनीति तैयार करने हेतु प्रभावित राज्यों के राज्य प्रशासनों और पुलिस प्राधिकारियों के साथ आवधिक बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है।

4. रेलों पर नक्सलियों/माओवादियों से निपटने के लिए रे.सु.ब.,रा. रे.पु. और प्रभावित राज्यों के आसूचना ब्यूरो के बीच सूचना को आदान–प्रदान करने की प्राथमिकता दी गई है।

5. भेद्य और संवेदनशील क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संस्थानों और पुलों की चौकसी गहन कर दी गयी है।

अण्डमान और निकोबार में रह रहे मुसलमान

3114. श्री मनोरंजन भक्त : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में रह रहे मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनकी रहने की स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख) वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों, सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानदंडों के आधार पर देश में अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों का अभिनिर्धारण किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकोबार जिले को इन जिलों की सूची में शामिल किया गया है।

(ग) सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्रीय कार्यक्रम, जिसमें अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिमों के सामाजिक–आर्थिक तथा शैक्षिक स्थिति में सुधार लाने संबंधी विशिष्ट कार्यकलापों का समावेश है, इस दिशा में बड़ा कदम है। निकोबार जिले सहित 90 अभिनिर्धारित पिछड़े जिलों में 'धीमी विकास' की समस्या के समाधान के लिए एक बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टॉफ की कमी

3115. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :
श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल सहित रेलवे में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक समूह में आज की तारीख तक रिक्त पदों की जोन–वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या रेलवे कर्मचारियों की कमी के कारण रेलवे के कर्मचारियों को कार्य करने के निश्चित घंटों के बाद भी कार्य करना पड़ता है और उन्हें ओवरटाइम का भुगतान किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे ने हाल ही में एक विशेष अभियान के माध्यम से रेलवे के विभिन्न विभागों में रिक्त पद भरने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रेलवे जैसे विशाल संगठन में सामान्य सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, देहांत होने, पदोन्नित होने आदि के कारण रिक्तियां होती रहती हैं और इस

प्रकार 01.01.2008 तक विभिन्न जोनों में रेलवे सुरक्षा बल सहित विभिन्न ग्रुपों में कर्मचारी की रिक्तियां निम्नानुसार हैं :–

जोन का नाम	स्वीकृत पद ग्रुप "ग"	ग्रुप "ग" रिक्त पद	स्वीकृत पद ग्रुप "घ"	ग्रुप "घ" रिक्त पदें
मध्य	88978	8455	40574	4131
पूर्व तट	30191	7750	20011	1891
पूर्व मध्य	55277	8766	38119	6479
पूर्व	92877	8525	44628	4793
उत्तर मध्य	47758	7811	31149	1228
पूर्वोत्तर	40126	3918	23004	–235#
पूर्वोत्तर सीमा	51285	7871	26470	2881
उत्तर	108564	13737	60420	3065
उत्तर पश्चिम	42911	4973	21720	3548
दक्षिण मध्य	68113	7442	32881	3235
दक्षिण पूर्व मध्य	33485	7389	17262	888
दक्षिण पूर्व	64116	7528	37500	4700
दक्षिण	82479	8760	27894	54
दक्षिण पश्चिम	28970	4731	11476	2457
पश्चिम मध्य	41004	4806	24986	3324
पश्चिम	72640	5099	48676	4791

नोट : ऋणात्मक (–) स्वीकृत पद में वृद्धि दर्शाता है।

(ग) कर्मचारियों को आपवादिक परिस्थितियों जैसे रेल दुर्घटनाओं, बाढ़ों, आन्दोलनों, उपस्करों के सही ढंग से काम न करने आदि में कार्य की आवश्यकताओं के कारण उनकी ड्यूटी घंटों से अधिक समय तक रोका जाता है जिसके लिए नियमानुसार उन्हें आर्थिक भरपाई भी की जाती है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नई रेल लाइनों को मंजूरी दिया जाना

3116. श्री एस.के. खारवेलमणन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वेक्षण पूर्ण होने के बाद नई लाइनों को मंजूरी देने के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ख) वर्ष 2004–05 से रेलवे बजट में शामिल की गई नई लाइनों हेतु नए सर्वेक्षणों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ग) रिकनेसां इंजीनियरी–कम–ट्रेफिक सर्वे के आधार पर प्रत्येक लाइन के लिए आमदनी की दर (रेट आफ रिटर्न) कितनी है;

(घ) नई लाइनों के लिए संस्वीकृत सर्वेक्षणों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा छोड़ दिए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों पर आतंकवादी हमले

3117. श्री मोहन सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रेलगाड़ियों पर कुछ आतंकवादी हमले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन हमलों में हुए जान–माल के नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार रेलगाड़ियों पर ऐसे हमलों को रोकने के लिए कोई विशेष सुरक्षा उपाय करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2005, 2006 और 2007 के दौरान भारतीय रेलवे पर हताहतों/मृतकों की संख्या और रेल संपत्ति को क्षति सहित गाड़ियों पर आतंकी हमलों की संख्या निम्नानुसार है :–

वर्ष	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या		रेल संपत्ति को हुई क्षति का मूल्य (रु. में)
		मृत	घायल	
2005	2	18	61	10,92,146
2006	10	188	897	97,66,239
2007	7	75	19	51,34,666

(घ) और (ङ) जी, हां। "पुलिस व्यवस्था" राज्य विषय होने के कारण, रेलवे पर आइपीसी अपराधों जैसे आतंकी हमलों, हत्या, डकैती, लूटपाट आदि की रोकथाम, पंजीकरण और जांच करना राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है जिसे वे राजकीय रेल पुलिस के सहयोग से निभाते हैं। बहरहाल, रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए मार्गरक्षण के लिए रेल सुरक्षा बल को तैनात करके रेलवे पर अपराधों के नियंत्रण में राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा कर रही है। गाड़ियों में आतंकी हमलों की रोकथाम के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :–

1. आतंकी हमलों को टालने के लिए प्रभावित राज्यों के सुभेद्य खंडों में उचित निरोधक कदमों के लिए राज्य पुलिस और राजकीय रेल पुलिस के साथ गहन संपर्क।

2. रेल प्रणाली पर आतंकी हमलों की समस्या से निबटने के लिए संयुक्त रणनीति को प्रभावी रूप से मूर्त रूप देने के लिए प्रभावित राज्यों के राज्य प्रशासन और पुलिस प्राधिकारियों के साथ नियमित आवधिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

3. रेलों पर आतंकी हमलों से निबटने के लिए प्रभावित राज्यों की रेल सुरक्षा बल, राजकीय रेल पुलिस और आसूचना ब्यूरो के बीच आसूचना को आदान–प्रदान करने में प्राथमिकता दी गई है।

4. सुभेद्य और संवेदनशील क्षेत्रों महत्वपूर्ण संस्थापनाओं और पुलों के रक्षण को गहन कर दिया गया है।

5. रेलवे पर आतंकी हमलों को रोकने के लिए 100 से अधिक संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्वियललेंस प्रणाली, आधुनिक सुरक्षा उपकरण आदि शीघ्र ही लगाए जाने हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पिग आयरन, स्पंज आयरन तथा इस्पात का उत्पादन

3118. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष पिग आयरन, स्पंज आयरन तथा इस्पात का संयंत्र–वार उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सरकार ने आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से पिग आयरन, स्पंज आयरन तथा इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ग) यदि हां, तो शुरू किए गए उक्त कार्यक्रमों का संयंत्र–वार ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान कितना निवेश किया गया; और

(घ) उक्त आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के फलस्वरूप पिग आयरन, स्पंज आयरन तथा इस्पात के उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हुई तथा इसका मूल्य कितना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कच्चे लोहे, स्पंज लोहे और अपरिष्कृत द्रव इस्पात के संयंत्र–वार उत्पादन के आंकड़े क्रमश संलग्न विवरण–I, II तथा III में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) आज के उदारीकृत, नियंत्रण–मुक्त बाजार में सरकार बाजार परिस्थितियों को आंकने के आधार पर उपयुक्त नीतिगत उपायों के जरिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सहायता प्रदाता की भूमिका अदा करती है। घरेलू और वैश्विक बाजार–मांग आपूर्ति स्थिति सहित विभिन्न घटकों के आधार पर कच्चा लोहा/स्पंज लोहा/इस्पात के विभिन्न संयंत्रों/उत्पादकों द्वारा आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अपनी विद्यमान परिसम्पत्तियों को बनाए रखने तथा कार्यकरण में सुधार करने के लिए कई परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (ए एम आर) योजनाएं शुरू की हैं। सेल ने 54,000 करोड़ रु. की वर्तमान इंडिकेटिव लागत पर 2006–07 में तप्त धातु के 14.6 मिलियन टन वार्षिक के स्तर को वर्ष 2010–11 तक बढ़ाकर 26.2 मिलियन टन वार्षिक करने के लिए अपने पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों और विशेष इस्पात संयंत्र का विस्तार और आधुनिकीकरण भी शुरू किया है।

प्रस्तावित निवेश सहित राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल) के प्रमुख आधुनिकीरकरण कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं :–

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु.)
1.	यूटिलिटीज में आक्सीजन कम्प्रैशरों का नाइट्रोजन कम्प्रैशरों में कन्वर्जन	6.5
2.	सतत ढलाई मशीन नं. 2 का आधुनिकीकरण	77
3.	एल डी कन्वर्टरों में कम्बाइंड ब्लोकिंग सुविधाओं की स्थापना	37.3
4.	धमन भट्टी में पुल्वराइज्ड कोल डस्ट इंजेक्शन	133
5.	आर एम एच पी के लिए स्टेकर–कम–रिकलेमर की अधिप्राप्ति	10.13
6.	एस एम एस के लिए हैण्डलिंग एंड फिनिशिंग लाइन नं. 3 का एक्सटेंशन	15.2
7.	सिन्टर प्लान्ट के लिए कैपिसिटी इनहांस्ड इम्पैलर की अधिप्राप्ति	7

आर आई एन एल आधुनिकीकरण के तहत कोक ओवन बैटरी नं. 4, एयर सैपरेशन पावर प्लान्ट, धमन भट्टी 1 और 2 के लिए पुल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन तथा सतत् ढलाई मशीन लगा रहा है। क्षमता वृद्धि योजना के तहत सिन्टर प्लान्ट नं. 3, धमन भट्टी नं. 3, स्टील मैल्टिंग शाप नं.2, वायर रॉड मिल लं. 2 तथा बार मिल एवं स्ट्रक्चरल मिल लगाई जा रही है। विस्तार योजना के लिए पहले ही की गई प्रतिबद्धता 8702 करोड़ रु. है।

यूटिलिटीज में आक्सीजन कम्प्रैशर के नाइट्रोजन कम्प्रैशन में कन्वर्जन की परियोजना पूरी कर ली गई है और 2006–07 में कन्वर्टर का औसत जीवन काल 3225 टन से बढ़कर 2007–08 में 3400 टन हो गया है। अन्य परियोजनाएं इस समय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। 8692 करोड़ रु. की लागत पर आर आई एन एल अपनी वर्तमान द्रव इस्पात क्षमता 3 एम टी वार्षिक से बढ़ाकर 6.3 एम टी वार्षिक कर रही है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख इस्पात संयंत्रों (निजी और सरकारी क्षेत्र) के लिए कार्यचालन क्षमता और उत्पादन हेतु इकाई–वार वृद्धि नीचे दी गई है।

	2004–05			2005–06			2006–07		
	क्षमता	उत्पादन	उपयोगिता (%)	क्षमता	उत्पादन	उपयोगिता (%)	क्षमता	उत्पादन	उपयोगिता (%)
सेल	12.86	12.46	97%	12.86	13.47	105%	12.84*	13.5	105%
आरआईएनएल	2.91	3.45	119%	2.91	3.49	120%	2.91	3.50	120%
टिस्को	4.0	4.1	103%	5.0	4.7	95%	5.0	5.17	103%
अन्य प्रमुख व ईएएफ#	11.13	10.23	92%	11.7	11.3	96%	16.6	13.3	80%
धमन भट्टी	17.1	13.2	77%	18.7	13.5	72%	19.5	15.4	79%
सकल योग	48.0	43.4	91%	51.2	46.5	91%	56.8	50.9	89%

स्रोत : जेपीसी
* क्षमता में कमी इस्को की बंद क्षमता को शामिल करने के कारण है।
# ईएएफ = इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस

विवरण-I

कच्चे लोहे का उत्पादन

('000 टन में)

क्र.सं.	संयंत्र	2004–05	2005–06	2006–07	अप्रैल–जन '08 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
क	सरकारी क्षेत्र				
	भिलाई इस्पात संयंत्र	10	127	40	116

1	2	3	4	5	6
	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	52	26	38	44
	राउरकेला इस्पात संयंत्र	9	15	44	25
	बोकारो इस्पात संयंत्र	74	166	160	94
	इस्को इस्पात संयंत्र	186	213	177	87
	विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टली प्लांट	21	21	49	27
	राष्ट्रीय इस्पात निगम	273	439	352	450
	उप योग (क):	625	1007	860	843
ख	**निजी क्षेत्र**				
	अन्य धमन भट्टी/कोरैक्स इकाई	2603	3688	4133	3550
	उप योग (ख):	2603	3688	4133	3550
	कुल (क+ख):	3228	4695	4993	4393

(स्रोत: जेपीसी)

विवरण-II

स्पंज आयरन का उत्पादन

('000 टन में)

	2004–05	2005–06	2006–07	अप्रैल–जन 08 (अनंतिम)
गैस आधारित	4640	4545	5265	4870
एस्सार		3153	3591	3444
इस्पात		886	1149	944
विक्रम		506	525	482
कोयला आधारित	7897	10280	13080	10630
कुल (स्पंज आयरन)	12537	14825	18345	15500

(स्रोत जेपीसी)

(* सेल व आरआईएनएल स्पंज आयरन का उत्पादन नहीं करते हैं)

विवरण-III

अपरिष्कृत/द्रव इस्पात का उत्पादन

उत्पादक	2004–05			2005–06			2006–07			अप्रैल–जन '08 (अनंतिम)		
	कार्य क्षमता	उत्पादन	% उपयोगिता	कार्य क्षमता	उत्पादन	% उपयोगिता	कार्य क्षमता	उत्पादन	% उपयोगिता	कार्य क्षमता	उत्पादन	% उपयोगिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सरकारी क्षेत्र												
बीएसपी	3925	4582	117%	3925	5054	129%	3925	4799	122%	3272	4191	128%
डीएसपी	1802	1806	100%	1802	1801	100%	1802	1869	104%	1502	1590	106%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आरएसपी	1900	1603	84%	1900	1661	87%	1900	1990	105%	1583	1728	109%
बीएसएल	4360	3835	88%	4360	4228	97%	4360	4067	93%	3633	3427	94%
आईएसपी	520	357	69%	520	434	83%	500	472	94%	417	393	94%
एएसपी	234	150	64%	234	140	60%	234	150	64%	195	128	66%
वीआईएसएल	118	127	108%	118	152	129%	118	159	135%	98	131	134%
कुल (सेल):	12859	12460	97%	12859	13470	105%	12839	13506	105%	10700	11588	108%
आरआईएनएल	2910	3452	119%	2910	3494	120%	2910	3497	120%	2425	2589	107%
कुल (सरकारी क्षेत्र)	15769	15912	101%	15769	16964	108%	15749	17003	108%	13125	14177	108%
निजी क्षेत्र												
टाटा स्टील लि.	4000	4103	103%	5000	4730	95%	5000	5174	103%	4160	4127	99%
प्रमुख	6560	6237	95%	7160	6968	97%	9750	8410	86%	9550	7700	81%
अन्य ईएएफ इकाइयां/कारैक्स–बीओएफ/एमबीएफ–ईओएफ	4566	3992	87%	4542	4305	95%	6844	4840	71%	5600	4400	79%
धमन भट्टी इकाइयां	17100	13193	77%	18700	13493	72%	19500	15390	79%	17400	14000	80%
कुल: (निजी क्षेत्र)	32226	27525	85%	35402	29496	83%	41094	33814	82%	36710	30227	82%
सकल योग:	47995	43437	91%	51171	46460	91%	56843	50817	89%	49835	44404	89%

बीएचईएल का विस्तार कार्यक्रम

3119. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी.एच.ई.एल.) का विचार हरिद्वार संयंत्र की उत्पादन क्षमता का विस्तार करने/उन्नयन करने तथा भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स का अधिग्रहण करने का है, जैसा कि दिनांक 23 दिसम्बर, 2007 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) हरिद्वार के ब्लेड शॉप की उत्पादन क्षमता कब तक पूर्ण होगी तथा इस पर अनुमानतः कितना व्यय किया जाएगा;

(घ) भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड के अधिग्रहण को किन शर्तों तथा निबंधनों पर अंतिम रूप दिया जाएगा; और

(ङ) विद्युत उपकरणों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) अपनी विद्युत उत्पादन उपस्कर निर्माण क्षमता को

बढ़ाकर दिसम्बर, 2009 के अंत तक 15,000 मेगावाट प्रतिवर्ष कर रहा है जिसमें देश में विद्युत परियोजनाओं की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हरिद्वार इकाई में क्षमता विस्तार भी सम्मिलित है। इस विस्तार कार्यक्रम के भाग के रूप में, बीएचईएल दिसम्बर, 2009 तक 216 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अपने हरिद्वार संयंत्र में विकसित डिजायन ब्लेड सहित अपनी स्टीम टरबाइन सुविधाओं, टर्बो जेनरेटरों का विस्तार कर रहा है। सरकार ने बीएचईएल को भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स (बीएचपीवी) के अधिग्रहण और शर्तों पर उपयुक्त रूप से विचार करने का विकल्प दिया है।

(ङ) देश में उभरती विद्युत क्षमता विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बीएचईएल ने बहुत से कदम उठाए हैं जिनमें ढाई गुना क्षमता विस्तार के अलावा निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

- विशेष रूप से वृहद विद्युत परियोजनाओं और उन्नत गैस टरबाइन सेटों के लिए सुपर–क्रिटिकल थर्मल पावर सेटों के लिए तकनीकी समझौतों के माध्यम से नई तकनीकों का उन्नयन/प्रारंभ
- बीएचईएल और एनटीपीसी ने भारत में एक संयुक्त उपक्रम कंपनी (जेवीसी) के गठन हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो भारत और विदेश में विद्युत उपस्करों के निर्माण एवं आपूर्ति के साथ–साथ विद्युत संयंत्रों और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग प्राप्ति और उत्पादन (ईपीसी) का कार्य करेगी।
- बीएचईएल ने हायर रेटिंग हाइड्रो टरबाइन जेनरेटर सेटों को शुरू करने की योजना बनाई है।

बंगलौर और हैदराबाद विमानपत्तन

3120. श्री सुनील खां : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी उद्यमियों द्वारा नए ग्रीनफील्ड विमानपत्तन बनाने के लिए बंगलौर और हैदराबाद विमानपत्तन को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा; और

(ग) इससे कुल कितने राजस्व के नुकसान होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने हैदराबाद के निकट शम्साबाद तथा बंगलौर के निकट देवनहल्ली में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण तथा विकास के लिए क्रमशः मैसर्स हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एचआईएएल) तथा बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) के साथ रियायत करार किए हैं। रियायत करारों में भारत सरकार एक बार नए हवाई अड्डों के प्रचालनरत हो जाने के बाद हैदराबाद का बंगलौर के मौजूदा हवाई अड्डों पर से वाणिज्यिक नागर विमानन् प्रचालनों को बंद करने पर सहमत है। तथापि, मौजूदा हवाई अड्डे सामान्य विमानन (कतिपय श्रेणियों को छोड़कर), रक्षा प्रयोजनों, राष्ट्रीय आपात स्थितियों आदि के लिए प्रचालनरत रहेंगे। इसके अतिरिक्त, इन हवाई अड्डों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के हितों की पूर्ण रक्षा की जाएगी।

(ग) यातायात तथा गैर–यातायात दोनों प्रकार के राजस्व के उत्सर्जन में बदलाव आएगा और इसी प्रकार आवर्ती व्यय प्रोफाइल में भी बदलाव आएगा। कुछ मदों पर वृद्धि होगी और कुछ अन्य पर कमी आएगी। विवरण की गणना की जा रही है।

सी.ए.आर. की अधिसूचना

3121. श्री नवीन जिन्दल :
श्री रमेश दुबे :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशक (डी जी सी ए) ने नागर विमानन आवश्यकताओं (सी ए आर) के मसौदे में निशक्त व्यक्तियों को निःशुल्क कतिपय सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नागर विमानन आवश्यकताओं के मसौदे को तैयार करने में कितना समय लिया गया; और

(घ) सीएआर को अधिसूचित न करने के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) निशक्त व्यक्तियों को कतिपय सुविधाएं दिए जाने पर नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) का मामला सरकार के विचाराधीन है।

विमानपत्तन हब का विकास

3122. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिंगापुर तथा दुबई में विद्यमान विमानपत्तन हबों की तरह भारत में एक विमानपत्तन हब बनाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मंत्रालय ने इस प्रयोजनार्थ करों में छूट देने अथवा कमी क़रने के लिए वित्त मंत्रालय को लिखा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव इस विमानपत्तन हब को कोलकाता के विद्यमान नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विमानपत्तन के समीप निर्मित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) सरकार ने सैद्धांतिक रूप से डा. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे में विश्व–स्तरीय मल्टी–माडल अन्तर्राष्ट्रीय यात्री व कार्गो हब के रूप में सृजन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसे परियोजना के प्रचालनीकरण व इसे प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हवाई अड्डों के आसपास अनेक अवसंरचनात्मक कार्य आरंभ किए हैं तथा वित्तीय प्रोत्साहन के लिए स्टैंप ड्यूटी को हटाना जैसी सुविधा इत्यादि उपलब्ध करा रही है।

(घ) से (च) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का 1942.51 करोड़ रुपये की कुल लागत पर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा कोलकाता के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहले ही कोलकाता हवाई अड्डों पर 1,00,695 मीट्रिक टन कार्गो संभालने की क्षमता का सृजन कर दिया है जो वर्ष 2015–16 तक कार्गो यातायात के लिए पर्याप्त समझा गया है।

नेशनल गैस ग्रिड की स्थापना

3123. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक दूसरे से जुड़ी क्रास–कंट्री गैस पाइपलाइनों के एक नेटवर्क नेशनल गैस ग्रिड की स्थापना करने हेतु तकनीकी सहायता देने तथा इसका अध्ययन करने के लिए अमरीका के एक परामर्शदाता को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई प्रगति की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) भारत में राष्ट्रीय गैस ग्रिड पर अध्ययन करने के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक संगठन पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) और यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड एंड डिवलपमेंट एजेंसी (यूएसटीडीए) के माध्यम से भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच 30 जून, 2006 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस करार के अंतर्गत, यूएसटीडीए इस अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता देगी जो पीपीएसी द्वारा चयनित उपयुक्त अमरीकी ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

बोकारो इस्पात संयंत्र में दुर्घटना

3124. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र (बी एस पी) में हाल ही में कोई (आग संबंधी) दुर्घटना हुई है;

(ख) यदि हां, तो हताहतों का ब्यौरा क्या है तथा इससे कितनी पूंजी का नुकसान हुआ;

(ग) क्या इस मामले की जांच करने के लिए कोई जांच समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी सिफारिशें भेज दी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) और (ख) जी हां। कोल्ड रोलिंग मिल की टेंडम मिल–1 में 2.9.2007 और 12.9.2007 को आग की दुर्घटना हुई थी। इन दुर्घटनाओं में कोई मानव क्षति नहीं हुई। इन दो तारीखों को आग की दुर्घटनाओं के कारण क्रमशः 51,77,250/–रु. तथा 1,19,00,000/–रु. की पूंजीगत हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। इस मामले की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी और समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं।

(ङ) और (च) जांच समिति की सिफारिशों और अनुपालन के लिए उठाए गए उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जांच समिति की सिफारिशों तथा अनुपालन हेतु उठाए गए उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

सिफारिश	की गई कार्रवाई
मिल के मूल डिजायन में की गई व्यवस्था के अनुसार मैकेनाइज्ड सलज रिमोवल सिस्टम जो 1992 से काम नहीं कर रहा था, को प्राथमिकता दी जाए। पुनरुद्धार करते समय बेहतर सिस्टम की संभावनाओं का पता लगाया जाए।	मैकेनाइज्ड सलज रिमोवल के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। सलज रिमोवल के लिए 3 स्क्रू पम्प प्रचालनरत हैं और दिन प्रति दिन आधार पर सफाई की जा रही है।
प्रकाश प्रणाली को स्थायी किया जाए और बेसमेंट/सेलर्स/केबल गैलरी में प्रकाश करने के लिए कोई अस्थायी प्रकाश और केबल नहीं होने चाहिएं।	प्रकाश में सुधार करने का कार्य प्रगति पर है और अस्थायी प्रकाश तथा केबल हटा दी गई हैं।
सेलर्स में रहने के लिए अटेंडैंटों के लिए सहायक वातावरण बनाने के लिए वैंटिलेशन सिस्टम पूर्णतः प्रभावी होना चाहिए।	सभी 4 वैंटिलेशन सिस्टम चालू हैं।
उपयुक्त हायर डिटेक्शन सिस्टम प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाए।	व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।
आपात स्थिति में तैयार रहने को सुनिश्चित करने के लिए मोक ड्रिल किया जाए।	किया जा रहा है।
आयल सेलर्स तथा केबल गैलरी आदि जैसे महत्वपूर्ण इंस्टालेशन का संयुक्त रूप से स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल इंस्पेकशन किया जाए।	महत्वपूर्ण इंस्टालेशन का स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल इंस्पेक्शन किया जा रहा है।
सेलरों/केबल गैलरियों के प्रवेश करने/बाहर जाने के सभी रास्ते व्यवधान मुक्त रखे जाएं तथा क्षेत्र का ले–आउट बाहर जाने/प्रवेश करने के समीप स्थित सभी जगह प्रदर्शित किए जाएं।	ले–आउट प्रदर्शित किया गया तथा हाउसकीपिंग का अनुरक्षण किया गया।
आयल लीकेज को रोका जाए।	आयल लीकेज की मॉनीटरिंग की जा रही है तथा हाउसकीपिंग का अनुरक्षण किया जा रहा है।
केबल जंक्शन बाक्सिस को टाइटनस हेतु नियमित रूप से चैक किया जाए।	केबल जंक्शन बाक्सिस की नियमित रूप से जांच की जाती है/साफ किये जाते हैं।
मिल के चालू रहने के दौरान मिल स्टैन्ड के पास वैल्डिंग करने/गैस कटिंग की अनुमति नहीं दी जाए।	इसका अनुपालन किया जा रहा है।
इलेक्ट्रिक कैबलों में आग फैलने से रोकने के लिए फायर रिटार्डिंग सिस्टम लगाए जाएं।	मिल के समीप दो अतिरिक्त फायर हाइड्रैंट प्वाइंट्स स्थापित किए गए हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार हेतु संयुक्त उद्यम

3125. श्री अमिताभ नन्दी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी आई एफ आर के तत्वाधान के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का पुनरुद्धार करने के लिए किसी संयुक्त उद्यम भागीदार की पहचान की गई है;

(ख) सरकार कामगारों के हितों पर असर डाले बिना पीएसयू को एक संयुक्त उद्यम वाली कंपनी में कब तक बदलेगी;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस कंपनी के पुनरुद्धार संबंधी निर्णय लेने में हो रहे विलम्ब से यह कंपनी और रुग्ण हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे पीएसयू को व्यावहारिक बनाने के लिए

संयुक्त उद्यम का पता लगाने में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या तत्काल कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने नेपा लि., एचएमटी बियरिंग्स लि., रिचर्डसन एंड क्रूडास लि., तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लि., ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि., एचएमटी मशीन टूल्स लि. एवं टायर कॉर्पोरेशन इंडिया लि. की संयुक्त उद्यमों के माध्यम से पुनरुद्धार के लिए पहचान कर ली गई है।

(ख) राष्ट्रीय साझा न्यूतनम कार्यक्रम के अनुसार सरकारी क्षेत्र की रुग्ण कंपनियों के आधुनिकीकरण एवं पुनर्गठन तथा रुग्ण उद्योग के पुनरुद्धार के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाएगा, फिर भी लम्बे समय से घाटा उठाने वाली कंपनियों के सभी कर्मचारियों द्वारा अपनी सांविधिक देयता एवं प्रतिपूर्ति प्राप्त कर लेने के बाद उन कंपनियों को या तो बेच दिया जाएगा अथवा बंद कर दिया जाएगा।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र रुग्ण उद्यमों के शीघ्र पुनरुद्धार के लिए सरकार ने दिसंबर, 2004 में बीआरपीएसई गठित किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों के पुनर्स्थापन/पुनर्गठन के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सरकार को सलाह देगा। यदि बोर्ड के विचार में प्रारंभिमक रुग्णता को रोकने के लिए पुनर्स्थापन/पुनर्गठन आवश्यक है, तो वह केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उद्यमों के पुनर्स्थापन पर विचार कर सकता है। विमिन्न मंत्रालयों/विभागों के केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के [illegible] उद्यमों के 58 प्रस्ताव पहले ही बीआरपीएसई के विचारार्थ प्रस्तुत कर दिए गए हैं। बीआरपीएसई ने पुनरुद्धार के लिए 51 मामलों (केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के दो उद्यमों को बंद करने सहित) पर अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। सरकार ने इनमें से 28 प्रस्तावों को 8409.31 करोड़ रुपये की कुल लागत (1962.51 करोड़ रुपये की नकद सहायता व 6446.80 करोड़ रुपये की गैर-नकद सहायता) पर पुनरुद्धार के लिए अनुमोदित कर दिया है।

उड़ीसा में रेल परियोजनाएं

3126. श्री जुएल ओराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं योजना के दौरान उड़ीसा के लिए स्वीकृत अनेक परियोजनाएं अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर आने वाली अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा दया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वर्ष 2008-09 के दौरान इनमें से किसी परियोजना को वरीयता के आधार पर प्रारंभ करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) दसवीं योजना अवधि अर्थात् 2002-03 से 2006-07 के दौरान रेल बजट में शामिल उड़ीसा में अंशतः/पूर्णतः पड़ने वाली परियोजनाओं का उनकी परियोजनावार लागत और पूरा करने की तिथि जहां-कहीं भी निर्धारित है, के साथ ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	शामिल करने की तिथि	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	पूरा करने की लक्षित तिथि
1	2	3	4	5
1.	संबलपुर-रेंगली (22.7 कि.मी.) दोहरीकरण	2002-03	81.32	2008-09
2.	झारसुगुड़ा बाईपास लाइन (8.73 कि.मी.)	2002-03	44.00	31.12.2007 को चालू कर दी गई है।
3.	कटक-बारंग (12 कि.मी.) दोहरीकरण	2003-04	178.98	2008-09
4.	खुर्दा रोड़-बारंग (35 कि.मी.) तीसरी लाइन	2003-04	207.00	2008-09
5.	तालचेर-बिमलागढ़ (154 कि.मी.)	2003-04 (पूरक)	873.54	अभी निर्धारित नहीं
6.	झारसुगुडा-रेंगली (25.6 कि.मी.) दोहरीकरण	2005-06	91.41	अभी निर्धारित नहीं

1	2	3	4	5
7.	विजयनगरम–कोट्टावलासा (34.7 कि.मी.) तीसरी लाइन	2006–07	167.67	अभी निर्धारित नहीं
8.	संबलपुर–टिटलागढ़ (182 कि.मी.) दोहरीकरण	2006–07	474.25	अभी निर्धारित नहीं
9.	कोट्टावलासा–सिम्हाचलम (16.9 कि.मी.) चौथी लाइन	2006–07 (पूरक)	94.73	अभी निर्धारित नहीं

चालू परियोजनाएं संबंधित परिचालनिक प्राथमिकताओं और संसाधनों की समग्र उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रही है।

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

3127. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लिए राज्य–वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) राज्य–वार, विशेषकर कर्नाटक में कुल कितने किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण किया गया है;

(ग) निर्धारित लक्ष्यों से पीछे चल रही रेल लाइन के विद्युतीकरण कार्य का राज्य–वार विशेषकर कर्नाटक के संदर्भ में ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना–वार शेष रेल लाइनों का लम्बित पड़ा विद्युतीकरण कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित किए गए 1800 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण के लक्ष्य की तुलना में 1810 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है। राज्य–वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं क्योंकि रेलवे परियोजनाएं राज्य परिसीमाओं तक ही सीमित नहीं होतीं।

(ख) भारतीय रेल में 31.03.2007 तक 17811 मार्ग किलोमीटर रेलपथ का विद्युतीकरण कर लिया गया है। राज्य–वार विद्युतीकृत रेलपथों के मार्गकिलोमीटर का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	राज्य	विद्युतीकृत मार्ग किलोमीटर
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2155
2.	बिहार	723
3.	छत्तीसगढ़	861
4.	दिल्ली	129
5.	गुजरात	723
6.	हरियाणा	366
7.	हिमाचल प्रदेश	23
8.	झारखंड	1585
9.	कर्नाटक	104
10.	केरल	519
11.	मध्य प्रदेश	1883
12.	महाराष्ट्र	2059
13.	उड़ीसा	1228
14.	पंजाब	385
15.	पांडिचेरी	11
16.	राजस्थान	497
17.	तमिलनाडु	1067
18.	उत्तर प्रदेश	1570
19.	उत्तरांचल	52
20.	पश्चिम बंगाल	1871
21.	अन्य राज्य	–
	कुल	17811

(ग) कार्यों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए और वर्षानुवर्ष संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर परियोजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

(घ) चालू/लंबित विद्युतीकरण परियोजनाओं और उनके पूरा होने के लक्ष्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रेलवे	लक्ष्य तारीख
1	तालचेर–कटक–पारादीप की शाखा लाइन सहित खड़गपुर/निमपुरा–भुवनेश्वर	दक्षिण पूर्व/ पूर्व तट	तालचेर–कटक–पारादीप लाइन सहित खड़गपुर–भुवनेश्वर का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। जाखापुरा–दैतारी की स्वीकृति बाद में दी गई थी जिसे जुलाई, 2008 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
2	कारपल्ली–भद्राचलम–मनुगुरू	दक्षिण मध्य	अगस्त, 2008
3	अंबाला–मुरादाबाद	उत्तर	सितंबर, 2008
4	अंडाल–पांडवेश्वर	पूर्व	दिसंबर, 2008
5	बेंगलोर–चेन्नैसंदरा लूप लाइन बरास्ता यशवंतपुर और येलहंका–बैयापन्नैहल्ली लूप लाइन बरास्ता हेब्बल	दक्षिण पश्चिम	मार्च, 2009
6	इंदौर–उज्जैन और देवास–मक्सी	पश्चिम	मार्च, 2009
7	विषुपुरम–तिरूचिरापल्ली	दक्षिण	सितंबर, 2009
8	तिरूवनंतपुरम–कन्याकुमारी और त्रिचुर–गुरूवयूर सहित एर्नाकुलम–तिरूवनंतपुरम	दक्षिण	एर्नाकुलम–तिरूवनंतपुरम पूरा हो चुका है तिरूवनंतपुरम–कन्याकुमारी और त्रिचुर–गुरूवयूर की बाद में मंजूरी दी गई है जिसे सितंबर 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है
9	लिंगामपल्ली–वाडी	दक्षिण–मध्य	सितंबर, 2009
10	बीना–कोटा	पश्चिम मध्य	सितंबर, 2009
11	मुरादाबाद–लखनऊ–उतरातिया	उत्तर	दिसंबर, 2009
12	खुरजा–मेरठ–सहारनपुर	उत्तर	मार्च, 2010
13	शकूरबस्ती–रोहतक	उत्तर	मार्च, 2010
14	रेनिगुंटा–गुंतकल	दक्षिण–मध्य	रेनिगुंटा–नंदलूर खण्ड पूरा हो चुका है और नंदलूर–गुंतकल खण्ड का विद्युतीकरण रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा शुरू किया जा रहा है
15	तिरूचिरापल्ली–मदुरै	दक्षिण	मार्च, 2010
16	बाराबंकी–गोंडा–गोरखपुर–बरौनी	पूर्वोत्तर/पूर्व मध्य	जून, 2010
17	उतरातिया–सुल्तानपुर–मुगलसराय	उत्तर	सितंबर, 2010
18	जालंधर–जम्मू तवी	उत्तर	मार्च, 2011
19	झांसी–कानपुर	उत्तर मध्य	जून, 2011
20	बाराबंकी–कटिहार–गुवाहाटी	पूर्व मध्य पूर्वोत्तर सीमा	मार्च, 2012.

भारत-म्यांमार गैस पाइपलाइन

3128. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम तथा भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को म्यांमार में भारी मात्रा में गैस मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या म्यांमार ने प्रस्तावित म्यांमार–भारत पाइपलाइन के लिए गैस की आपूर्ति की कोई गारंटी दी है;

(घ) क्या भारतीय फर्मों की हिस्सेदारी प्रस्तावित पाइपलाइन को चलाने के लिए पर्याप्त है;

(ङ) यदि हां, तो भारत–म्यांमार पाइपलाइन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो प्रस्तावित पाइपलाइन को चलाने का अन्य स्रोत क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनशा पटेल) : (क) और (ख) भारत ने भारत–म्यांमार गैस पाइपलाइन परियोजना के जरिए म्यांमार के ए–1 और ए–3 ब्लाकों से प्राकृतिक गैस के आयात की कार्यवाही की थी। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) और गेल (इंडिया) लिमिटेड के इन ब्लाकों में क्रमशः 20% और 10% शेयर हैं। इन ब्लाकों से कुल अनुमानित प्राप्ति योग्य भंडार 4.8 ट्रिलियन घन फुट हैं।

(ग) से (च) म्यांमार सरकार ने भारत के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें यह माना गया था कि गेल म्यांमार से प्राकृतिक गैस का तरजीही क्रेता होगा। इसके बाद म्यांमार की सरकार ने इन ब्लाकों से प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की थी। गेल ने भी अपनी बोली प्रस्तुत की थी। इसके बाद, म्यांमार ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के लिए बोलियां आमंत्रित कीं। गेल ने इस मामले में भी बोली प्रस्तुत की। तथापि, म्यांमार सरकार ने चीन को पाइपलाइन मार्ग के जरिए गैस बेचने का निर्णय लिया। म्यांमार सरकार का निर्णय अभी वैसा ही है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, भारत–म्यांमार गैस पाइपलाइन परियोजना पर इस कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

अवसंरचना विकास पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन

3129. श्री वाडिगा रामकृष्णा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्रियों को अवसंरचना विकास की तात्कालिक आवश्यकता से अवगत कराने के लिए राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सम्मेलन के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या एटीएफ पर विक्रय कर घटाने का मुद्दा सम्मेलन में उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां। नई दिल्ली में दिनांक 18.1.2008 को नागर विमानन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें संबंधित मंत्रालय तथा सभी राज्यों व संघशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव शामिल थे।

(ख) इस सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य राज्यों को भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों तथा नीतियों के संबंध में अवगत कराने के साथ–साथ राज्यों को उनके संबंधित परियोजनाओं के लिए एक मंच उपलब्ध कराना था। सभी राज्यों संघ शासित प्रदेशों ने इसमें काफी रुचि दिखाई और सम्मेलन में भाग लिया।

(ग) और (घ) जी, हां। एटीएफ पर बिक्री कर को कम करने संबंधी मामला राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के ध्यान में लाया गया था। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा

3130. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री मित्रसेन यादव :
श्री अभिरूद्र प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री मधु गौड यास्की :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मार्च, 2008 को विश्व भर में जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट, 2008 की ओर आकर्षित किया गया है जैसा कि दिनांक 7 मार्च, 2008 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो हमारे देश के संबंध में इस रिपोर्ट में क्या तथ्य दिए गए हैं;

(ग) इन तथ्यों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) हमारे देश में आने के लिए विदेशी पर्यटकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विनियामक फ्रेमवर्क, व्यावसायिक परिवेश एवं अवसंरचना तथा मानव, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधन नामक यात्रा एवं पर्यटन (टीएंडटी) उद्योग से संबंधित, तीन श्रेणियों के अंदर 14 बड़े इंडिकेटरों में वर्गीकृत 71 इंडिकेटरों के आधार पर, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम (डब्ल्यूइएफ) की रिपोर्ट में, भारत सहित, विश्व के 130 देशों के लिए टीएंडटी प्रतिस्पर्धात्मक सूची की वेल्यूज के साथ-साथ, दर्जे दिए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2008 में भारत का दर्जा 65 है, जैसा कि यह 2007 में था।

2008 के रिपोर्ट के परिणामों की तुलना 2007 की रिपोर्ट से नहीं की जा सकती है, क्योंकि 2008 में 71 इंडिकेटरों में से 2007 की रिपोर्ट में सिर्फ 46 को शामिल किया गया था। इसके अलावा, 2008 की रिपोर्ट में हार्ड डाटा का प्रयोग 71 में से सिर्फ 42 इंडिकेटरों के लिए किया गया है और अन्य के लिए डब्ल्यूइएफ द्वारा संचालित एक्जीक्यूटिव ओपीनियन सर्वे का प्रयोग किया गया है।

(घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पब्लिक आर्डर' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। इस प्रकार पर्यटकों के साथ अपराध सहित, अपराध की रोकथाम की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में अन्य मामलों के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन सचिवों, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के साथ, पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा के मामले पर चर्चा की है। इस पर जोर दिया गया है कि पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र भी अनिवार्य रूप से इसे सुनिश्चित करें। सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटक सुरक्षा के उपायों में वृद्धि हेतु दिशा-निर्देशों को परिचालित कर दिया गया है।

एपीएल और बीपीएल के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारण

3131. श्री अलाउद्दीन ओवेसी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एपीएल और बीपीएल के लिए केरोसीन और एलपीजी के अलग-अलग मूल्य निर्धारण की जांच करने के लिए पेट्रोलियम सचिव की अध्यक्षता में कोई कार्यदल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल ने अपनी सिफारिशें सरकार को दे दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोत्तरी

3132. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ईंधन की कीमतों में वृद्धि के समर्थन में दिए गए तथ्य सही नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों की वैश्विक कीमतों के आधार पर सरकारी क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को कितना घाटा हुआ है;

(घ) परिशोधनशालाओं में वास्तविक उत्पादन लागत के आधार पर तेल कंपनियों को कितना घाटा हुआ है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा पारदर्शिता लाने और ईंधन की कीमतों में वृद्धि करते समय तथ्यों को न छिपाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) वर्ष 2003-04 से अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में लगातार वृद्धि का रुख रहा है। प्रत्येक वर्ष, वार्षिक तेल मूल्य विगत वर्ष के दौरान प्रचलित मूल्यों से औसतन अधिक रहा है। मार्च, 2002 में प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एपीएम) के समाप्त होने के समय कच्चे तेल का औसत मूल्य लगभग 23 अमरीकी डालर प्रति बैरल तथा मई 2004 में 36 अमरीकी डालर प्रति बैरल, 2007-08 के दौरान लगभग 62.5 अमरीकी डालर प्रति बैरल रहा है। वर्तमान वर्ष (अप्रैल, 07 – 06 मार्च, 08) के लिए कच्चे तेल की भारतीय बास्केट का औसत मूल्य 77.79 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल है। मार्च, 08 (06 मार्च तक) के दौरान औसत मूल्य 97.66 अमरीकी डालर प्रति बैरल है।

चूंकि तेल के मूल्यों में होने वाली वृद्धि के समस्त भाग को

उपभोक्ताओं पर डालने से आम आदमी को कठिनाई हुई होती, संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात् पेट्रोल, डीजल, पीडीएस, मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के अनुरूप वृद्धि नहीं की गई है। इस कारण, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को इन संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू बिक्री पर अल्प–वसूलियां हो रही हैं। अप्रैल–दिसम्बर, 07 अवधि के लिए इन उत्पादों पर ओएमसीज़ की अल्प वसूलियां निम्नवत् हैं–

करोड़ रुपए

	अप्रैल–दिस. 07 (अनुमानित)
पेट्रोल	4,564
डीज़ल	20,155
पीडीएस मिट्टी तेल	13,441
घरेलू एलपीजी	9,459
योग	47,619

अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में हुई इस अत्यधिक वृद्धि से निपटने के लिए, सरकार ने आम आदमी, समाज के अत्यधिक कमजोर वर्गों और ओएमसीज़ की वित्तीय स्थिति के भी हितों की रक्षा करने के लिए सरकार, तेल पीएसयूज़ और उपभोक्ताओं के बीच समान भार बांटने के सिद्धांत को अपनाया है।

इस संदर्भ में सरकार ने 15.2.2008 से पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में क्रमशः 2/– रुपए प्रति लीटर और 1/– रुपया प्रति लीटर की मामूली सी वृद्धि की है जो कि वास्तव में खुदरा मूल्यों को फरवरी, 2007 से पहले के मूल्य स्तर तक बहाल करने के रूप में है। इसके बाद भी, यह अनुमानित है कि वर्ष 2007–08 के दौरान इन उत्पादों की बिक्री पर 70,000 करोड़ रुपए की अल्प वसूलियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने तेल बंध–पत्र जारी किए हैं और अपस्ट्रीम तेल कंपनियों ने कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर छूट देकर अंशदान किया है ताकि ओएमसीज़ की अल्प वसूलियों की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति की जा सके।

अलग–अलग पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन/शोधन की लागत का अलग से पता नहीं लगाया जा सकता। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण तथा कराधान पर रंगाराजन समिति ने यह टिप्पणी की:

"कच्चे तेल का शोधन एक संसाधन उद्योग है जहां कच्चे तेल के घटक अंश कुल लागत का लगभग 90% के आसपास होते हैं। चूंकि इसमें मूल्यवर्धन सापेक्षतया कम होता है, इसलिए अलग–अलग उत्पादवार मूल्य निर्धारण समस्यात्मक होता है। तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज़) इस समय अपने उत्पाद आयात समानता के आधार पर शोधनशालाओं से मंगा रहे हैं जो बाद में उनकी लागत कीमत बन जाती हैं। लागत मूल्य तथा वसूल किए गए मूल्य के बीच अंतर ओएमसीज़ की कम वसूलियां प्रकट करते हैं।

ऊपर आकलित न्यून वसूलियां तेल कंपनियों की वास्तविक लाभ तथा हानियां उनके प्रकाशित परिणामों के अनुसार अलग होती हैं। बाद में लाभांश आय, पाइपलाइन आय, मालसूची परिवर्तन, मुक्त मूल्य उत्पादों से लाभ तथा स्वीकृत कंपनियों के मामले में शोधन लाभ जैसे अन्य आय स्रोतों को शामिल किया जाता है।"

वैगनों में लौह अवशेष की लोडिंग पर प्रतिबंध

3133. श्री पी.एम. सिद्धीश्वर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने निर्यात हेतु वैगनों में लौह अवशेष की लोडिंग पर कतिपय प्रतिबंध लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, हां। पत्तन क्षमताओं तथा परिचालनिक तंगियों के कारण प्रतिबंध लगाए गए हैं। 2007–08 के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

टर्मिनल/साइडिंग	दिनों की संख्या	कारण
1	2	3
विजग पत्तन टिपलर	4	भारी पाइप लाइन तथा भीड़भाड़
विजग पत्तन मैनुअल साइडिंग	37	
पारादीप	8	
काकीनाडा सी पोर्ट लिमिटेड (केएसएलके)	75	भारी पाइप लाइन तथा भीड़भाड़

1	2	3
वेंकटाचलम (वीकेटी)	47	
कादीयम (केवाईएम)	16	
चेन्नई हार्बर (एचओएम/बीडी)	39	
चेन्नई हार्बर (एचओएम/जेडी)	124	
तिनाईघाट (टीजीटी) तथा संवोदरम (एसवीएम)	4	तिनाईघाट पर दुर्घटना के कारण

गैस की ढुलाई लागत

3134. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के समग्र मूल्य का निर्धारण करने में विभिन्न उर्वरक संयंत्रों तक गैस की ढुलाई लागत एक महत्वपूर्ण घटक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने देश में उर्वरक संयंत्रों के प्रयोग हेतु गैस की ढुलाई संबंधी लागत को कम/स्थिर करने के लिए कोई तंत्र विकसित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) उर्वरकों के समग्र मूल्य का निर्धारण करने में गैस की परिवहन लागत एक महत्वपूर्ण घटक बन गई है। यूरिया का उत्पादन करने वाली इकाइयों के लिए गैस की वास्तविक परिवहन लागत गैस आपूर्ति के स्रोत और गैस पाइपलाइन नेटवर्कों की संख्या, जिनके माध्यम से इकाई गैस प्राप्त करती है, पर आधारित है। चूंकि यूरिया इकाइयों के लिए वर्तमान में पर्याप्त गैस उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस कमी को नेफ्था और ईंधन तेल/एलएसएचएस जैसे अन्य फीडस्टॉक के माध्यम से पूरा किया जाता है। यह अनुमान है कि यदि पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस उपलब्ध हो जाती है तो इसको यूरिया का उत्पादन करने वाली इकाइयों तक पहुंचाने में आने वाली परिवहन लागत यूरिया की रियायत दर का लगभग 12 प्रतिशत होगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अंधेरी रेलवे स्टेशन की खानपान इकाइयों का आवंटन

3135. श्री कृंजभूषण शरण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेल के मुंबई मंडल ने भूमि लाइसेंस के आधार पर पर अंधेरी रेलवे स्टेशन (पूर्वी ओर) के परिचालन क्षेत्र में खानपान इकाइयों का आबंटन किया है; और

(ख) यदि हां, तो ठेकेदार के नाम, ठेके की प्रकृति और आबंटन की तारीख सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) अंधेरी (पूर्व) के परिचालन क्षेत्र में न तो रेलवे के वाणिज्य विभाग द्वारा और न ही रेलवे खानपान एवं पर्यटन विभाग द्वारा कोई खानपान इकाई आबंटित की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ओ एन जी सी द्वारा अन्वेषण

3136. श्रीमती जयाप्रदा :

श्री निखिल कुमार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं योजना अवधि के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी) तेल और गैस के नए भण्डारों का अन्वेषण करने में निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओ एन जी सी को दसवीं योजना अवधि के दौरान घटिया आयोजन के कारण फिजूल खर्च में दण्डस्वरूप भारी राशि व्यय करनी पड़ी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) ओ एन जी सी द्वारा फिजूल खर्च पर नियंत्रण लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के दौरान अन्वेषण में और नए तेल गैस क्षेत्रों को खोजने में ऑयल एण्ड नेचुरल

गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) का निष्पादन संतोषजनक रहा है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के दौरान ओएनजीसी ने अपने जमीनी और अपतटीय प्रचालन क्षेत्रों में 35 हाईड्रोकार्बन खोजें की हैं और 10वीं योजना के 570.43 एमएमटी स्थानिक और अन्ततोगत्वा श्रेणी में 155.51 एमएमटी (ओ+ओईजी) के लक्ष्य की तुलना में क्रमशः 676.76 एमएमटी तेल और अंततोगत्वा घटक के साथ 240.88 एमएमटी तेल समतुल्य गैस (ओ+ओईजी) की अभिवृद्धि की है। ओएनजीसी द्वारा 2006–07 के दौरान की गई के जी अपतट में अत्यंत गहरे समुद्री क्षेत्र में खोज देश में एक बहुत बड़ी अत्यंत गहरे जल क्षेत्र में खोज है। ओएनजीसी ने महानदी बेसिन में पूर्वी अपतट में भी हाइड्रोकार्बन की खोज की है।

दसवीं योजना अवधि के दौरान ओएनजीसी द्वारा अपने जमीनी और अपतटीय प्रचालन क्षेत्रों में विस्तारित अन्वेषण निवेशों में 59683. 26 ग्राऊंड लाईन किलो मीटर/लाईन किलोमीटर (जीएलके/एलके) 2 डी भूकंपीय आंकड़ों का अर्जन शामिल है जबकि लक्ष्य 35286 जीएलके/एलके था तथा 34834 व कि.मी. 3 डी भूकंपीय आंकड़ों के लक्ष्य की तुलना में 92988 व कि.मी. 3 डी भूकंपीय आंकड़ों का अर्जन शामिल है और उन्होंने 561 अन्वेषण कूपों के लक्ष्य की तुलना में 576 अन्वेषण कूपों का वेधन किया है। तथापि प्रचालक के रूप में ओएनजीसी उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) के अनुसार न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) पूरा नहीं कर सकी और इसने अपूर्ण कार्य कार्यक्रम के लिए और समय विस्तार प्राप्त करने के लिए 50.3 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान किया।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में नए पेट्रोल पंपों की स्थापना

3137. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्ष–वार कितने पेट्रोल पंप खोले गए;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में नए पेट्रोल पंप खोले जाने संबंधी सरकार का लक्ष्य पूरा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। तथापि इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) ने सूचित किया है कि सितम्बर, 2007 माह के दौरान हटबे नामक एक स्थान पर एक पेट्रोल पंप चालू किया गया है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में लांबालाईन, दिगलीपुर और दानीखारी स्थानों के लिए पेट्रोल पंपों की स्थापना करने हेतु आईओसी द्वारा तीन आशय पत्र (एलओआईज़) भी जारी किए गए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बीपीसीएल और एचपीसीएल के कोई खुदरा बिक्री केन्द्र नहीं है।

(ख) से (घ) 1.4.2002 से प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) की समाप्ति के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां नामतः इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आइओसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) चयन किए गए स्थलों की संभाव्यता और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर अपने वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

सबरी रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण

3138. श्री एस.के. खादरवेन्थन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने सबरी तक रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मौजूदा स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई रेल लाइनल बिछाने का कार्य कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अंगामाली–सबरीमाला नई लाइन परियोजना 1997–98 के रेल बजट में पहले ही शामिल की जा चुकी है। बहरहाल, इस नई लाइन को रिजर्व वन क्षेत्र के नजदीक अजुथा पर टर्मिनेट करने का विनिश्चय किया गया है क्योंकि वन विभाग ने रिजर्व वन क्षेत्र से होकर लाइन गुजरने पर आपत्ति की थी और राज्य सरकार ने अजूथा पर उस लाइन को बंद करने की भी अनुशंसा की थी।

परियोजना के लिए अपेक्षित 516.42 हेक्टेयर भूमि में से, 470.86 हेक्टेयर के लिए मांग पत्र राज्य सरकार को भेज दिया गया है। अब तक, राज्य सरकार द्वारा 79 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई गई है। परियोजना को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

विमान सुरक्षा

3139. श्री मोहन सिंह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2007 के दौरान हवा में दुर्घटना होने से बचाने के लिए देश मे विभिन्न विमानपत्तनों पर कितने विमानों को आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए बाध्य होना पड़ा;

(ख) क्या एक ही समय पर एक ही ऊंचाई पर विमानपत्तन के

ऊपर लैंडिंग के लिए चक्कर लगाते हुए विमानों के बीच हवा में ही टकराने की संभावना हमेशा बनी रहती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार देश के विभिन्न विमानपत्तनों, विशेषकर दिल्ली में विमानों के उतरने और उड़ान भरने में सुरक्षा उपायों को दुरुस्त बनाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) वर्ष 2007 के दौरान देश में किसी भी हवाईअड्डे पर आकाश में मिडन्त से बचने के लिए किसी भी विमान को आपातकालीन लैंडिंग के लिए बल नहीं दिया गया था।

(ख) और (ग) जी, नहीं। हवाईअड्डों के ऊपर लैंडिंग का इंतजार कर रहे एयरक्राफ्टों के लिए विभिन्न अनिवार्य दूरी निर्धारित की गई है। हालांकि एक ही समय में समान ऊंचाई बनाए रखते हुए भी क्षैतिज दूरी उपलब्ध कराई जाती है ताकि विमानों के मध्य मानक दूरी सुनिश्चित की जा सके। दो विमानों के बीच उर्ध्वाधर न्यूनतम दूरी 1000 फुट है। रडार परिस्थितियों में दो विमानों के मध्य अपेक्षित क्षैतिज दूरी विमान के इर्दगिर्द 60 नाटिकल मील के त्रिज्या के भीतर 5 नॉटिकल मील है। समय के एक बिन्दु विशेष पर दो विमानों के मध्य इन दोनों दूरियों (उर्ध्वाधर या क्षैतिज) उपलब्ध कराई जाती है। विमानों पर एयरबोर्न कोलिज़न एवॉयडेंस सिस्टम (एसीएएस) का संस्थापन अनिवार्य है जिससे पायलट के लिए अपने आस-पास के सभी विमानों की स्पष्ट तस्वीर, उनकी संदर्भ ऊंचाई तथा अपने विमान से दूरी का पता लगाना संभव हो पाता है।

(घ) और (ङ) विमान यातायात तथा सुरक्षा आवश्यकताओं के मद्देनजर मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को नियमित रूप से सृजित व संशोधित किया जाता है। सुरक्षा स्तरों में संवर्धन तथा घटनाओं की आवृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं – (i) विमान यातायात सेवाओं का आधुनिकीकरण (ii) दुर्घटनाओं/घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को लागू करना (iii) वायु क्षेत्र में यातायात की व्यस्तता को कम करने के लिए वायु क्षेत्र के लचीले प्रयोग को लागू करना (iv) मानक प्रचालन प्रक्रियाओं/एक साथ रनवे प्रचालनों के लिए समन्वय प्रक्रिया में आशोधन। नई प्रक्रिया के अनुसार एक रनवे का प्रयोग विशिष्ट रूप से आगमन के लिए तथा अन्य का प्रस्थान के लिए किया जायेगा।

[अनुवाद]

हांगकांग के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं

3140. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और हांगकांग ने द्विपक्षीय यातायात अधिकारों के मुद्दों पर चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस चर्चा के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या भारतीय विमान अब सीधे हांगकां के लिए उड़ान भर सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोनों देशों के बीच यात्रा करने वाले यात्री इससे किस प्रकार लाभान्वित होंगे?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) जी, हां। भारत तथा हांगकांग के बीच दिनांक 17–18 दिसम्बर, 2007 को नई दिल्ली में द्विपक्षीय वायु सेवा वार्ताएं हुई थीं जिसके दौरान एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। एमओयू का विवरण निम्नवत् है:–

(i) सीधी सेवाओं के लिए क्षमता हकदारी को कुछ प्रतिबंधों के साथ 27 सेवाएं प्रति सप्ताह बढ़ा दी गई हैं।

(ii) हांगकांग तथा भारतीय नामित वाहक कुछ प्रतिबंधों के साथ कुल 21 सेवाएं प्रति सप्ताह पर पांचवीं स्वतंत्रता यातायात अधिकारों से परे प्रयोग कर सकते हैं।

(ङ) नामित विमान कम्पनियों के लिए क्षमता हकदारी को बढ़ाने से सेक्टर में बढ़ती हुई यातायात मांग के पूरा होने की आशा है तथा दोनों देशों के बीच यात्रा कर रहे यात्रियों को और अधिक यात्रा विकल्प मिलेंगे।

बीबीयूएनएल की हावड़ा और बर्नपुर इकाइयां

3141. श्री सुनील खां : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीबीयूएनएल की भारत वैगन को रेलवे को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हावड़ा की बीएससीएल और बीबीयूएनएल की बर्नपुर इकाइयों को रेलवे को न सौंपे जाने तथा भारी उद्योग से पुनरुद्धार पैकेज के लिए सौंपे जाने हेतु विचार न किए जाने के क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने यह निदेश देते हुए कि वित्तीय पुनर्गठन के पहलुओं की जांच मंत्रिमंडल सचिव द्वारा की जाएगी, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) का प्रशासनिक नियंत्रण रेल मंत्रालय को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

(ग) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) की बर्नपुर इकाई को रेल मंत्रालय को हस्तांतरित करने से संबंधित मामले को वर्ष 2002–03 के दौरान रेल मंत्रालय के साथ उठाया गया था, लेकिन रेल मंत्रालय इसके लिए सहमत नहीं हुआ। वर्तमान में बीएससीएल की हावड़ा और बर्नपुर इकाइयों को रेल मंत्रालय को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बीएससीएल के पुनरुद्धार के संबंध में, कंपनी की वृहद देयताएं हैं और बीआईएफआर के संदर्भाधीन है इसलिए न्यायाधीन है। बीआईएफआर ने बीएससीएल के पुनरुद्धार की संभावनाओं की जांच करने के लिए यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया को प्रचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

कोलकाता और जिला मुख्यालय के बीच वायु संपर्क

3142. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाहरी जिले के मुख्यालय तथा कोलकाता के बीच वायु संपर्क पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की उड़ानों को कब तक प्रचालित कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) नेशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) की कोलकाता तथा बाहरी जिला मुख्यालय के बीच हवाई सेवाएं आरम्भ करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एनएमडीसी द्वारा लौह अयस्क की आपूर्ति

3143. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) द्वारा लघु और मध्यम उद्योगों को लौह अयस्क की आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनएमडीसी द्वारा लघु और मध्यम उद्योगों को की जा रही लौह अयस्क की आपूर्ति बंद कर दी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार लौह अयस्क आधारित लघु और मध्यम उद्योगों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के मद्देनजर कोई सुधारात्मक उपाय करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) एनएमडीसी द्वारा लौह अयस्क की सप्लाई, लघु और मध्यम उद्योगों अथवा अन्यथा के तहत पार्टियों के श्रेणीकरण पर आधारित नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (एसआईपीबी) की सिफारिशों के आधार पर एनएमडीसी छत्तीसगढ़ में स्थित विभिन्न स्पंज/कच्चा लोहा इकाइयों को बैलाडिला से लौह अयस्क ऑफर कर रहा है। इनमें से कुछ इकाइयां लघु और मध्यम उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत हो सकती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, छत्तीसगढ़ स्थित स्पंज/कच्चा लोहा इकाइयों द्वारा उठाई गई मात्रा नीचे दी गई है:–

(मात्रा : लाख टन)

क्रम सं.	वर्ष	उठाई गई मात्रा (लाख टन)
1.	2004–05	1.4
2.	2005–06	8.5
3.	2006–07	18.3

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार विभिन्न इस्पात उद्योगों को लौह अयस्क की सप्लाई पर नियंत्रण नहीं रखती। विभिन्न इकाइयों को लोह अयस्क की सप्लाई लौह अयस्क के उत्पादकों के साथ उनके अपने–अपने टाई–अप पर निर्भर करती है। तथापि, उल्लेखनीय है कि इस समय भारत में लौह अयस्क का कुल उत्पादन घरेलू लोहा और इस्पात उद्योगों की मांग की तुलना में अधिक है और काफी मात्र में लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर 2006–07 के दौरान देश में 181 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ जिसमें से लगभग 68.504 मिलियन टन लौह अयस्क (अनुमानित) की खपत घरेलू इस्पात उद्योग द्वारा की गई जबकि 93.79 मिलियन टन लौह अयस्क का निर्यात किया गया (अनंतिम)।

स्रोत: उत्पादन और घरेलू खपत के लिए खान मंत्रालय तथा निर्यात के लिए वाणिज्य विभाग।

कोल बेड मीथेन

3144. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने पारदर्शिता और सतत ढांचे को अपनाने हेतु बोली में बेड मीथेन ठेकों के अंतर्गत अन्वेषण में अधिक समय की मांग हेतु प्रस्तावों के लिए कड़ी नीति तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई नीति को सरकार के पास लंबित अथवा भविष्य में प्राप्त होने वाले अधिक समय की मांग के प्रस्तावों पर लागू किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार ने 13600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए 26 ब्लाकों हेतु ठेकों पर हस्ताक्षर किए हैं तथा इन ब्लाकों में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ब्लाकों में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल वचनबद्धता 675 करोड़ रुपए की है जिनमें सी बी एम गैस उत्पादन की परिकल्पना 3.78 बिलियन क्यूबिक मीटर की गई है;

(घ) यदि हां, तो नई नीति के मुख्य बिन्दु क्या हैं; और

(ङ) यह दोनों सी बी एम परियोजनाओं के सुधार के लिए किस हद तक सहायक होंगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) जी हां। सरकार ने अन्वेषण चरणों में अधिक अवधि प्रदान करने हेतु एक पारदर्शी और सतत रूपरेखा अपनाने की दृष्टि से एनईएलपी और एनईएलपी पूर्व संविदाओं के अधीन अवधि बढ़ाने की विद्यमान नीति के अनुरूप सीबीएम संविदाओं के अधीन अन्वेषण चरणों में अधिक अवधि प्राप्त करने संबंधी प्रस्तावों जो या तो सरकार के पास लंबित हैं अथवा भविष्य में प्राप्त होंगे, पर विचार करने के लिए अवधि बढ़ाने की नीति तैयार की है। इन नीतिगत रूपरेखा की शर्तों के अनुसार, सीबीएम संविदाओं के अधीन चरणों में अवधि बढ़ाने पर अन्वेषण अवधि की वैद्यता के भीतर विचार किया जाएगा। अवधि बढ़ाने की नीति के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं–

(1) सीबीएम गैस का शीघ्र अन्वेषण और उत्पादन करने के लिए बोली प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और संविदा की भावना कायम रखना।

(2) उचित समय अवधि प्रदान करना ताकि संविदाकार न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) अथवा अतिरिक्त अन्वेषण संबंधी कार्यक्रम को पूरा करने में समर्थ हो सके।

(3) विकास योजना के निष्पादन अथवा उत्पादन अथवा पूर्ण परियोजना के कार्यकाल तथा रायल्टी, करों के भुगतान और संविदागत भुगतानों में विलंब न किए जाए।

(4) अनावश्यक अवधि बढ़ाने की मांग अथवा बिना कोई अन्वेषण कार्य अथवा थोड़ा अन्वेषण कार्य के साथ रकबे को रोके रखना अथवा धीमी गति से कार्यकलाप को नियंत्रित करने के लिए कार्य करना।

(5) इस नीति में अपूर्ण अथवा अतिरिक्त कार्यकलाप के बदले तथा पूर्व अनुमानित सम्मत परिसमापन हानियों (कुछ मामलों/परिस्थितियों में) के बदले बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के द्वारा जुर्माने की व्यवस्था है। प्रस्ताव करते समय बैंक गारंटी तथा पूर्व अनुमानित सहमत परिनिर्धारित नुकसानों की राशि, परिस्थितियों/कारणों जैसे कि क्या यह समय अवधि एमडब्ल्यूपी अथवा अतिरिक्त कार्यकलाप कार्यक्रम को पूरा करने के लिए है, क्या संविदागत क्षेत्र में वाणिज्यिकता सिद्ध हो गई है, क्या संविदाकार इस क्षेत्र को आगे अन्वेषण के लिए रोकना चाहता है, को ध्यान में रखा गया है।

(6) संबंधित संविदाओं के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार गुण–दोष के आधार पर संचालन समिति अथवा सरकार द्वारा 6 महीने तक की समय अवधि बढ़ाई जा सकती है।

(7) जिन संविदाओं के बारे में सरकारी अनुमोदन/परमिट/स्वीकृति प्राप्त करने में द्रष्टव्य विलंब हुआ हो और उसका कारण संविदाकार न रहा हो, उसे माफ करने योग्य विलंब माना जाएगा और इस प्रकार के विलंब के लिए माफी दे दी जाएगी। इस संबंध में यदि माफी योग्य विलंब के कारण संचालन समिति/सरकार द्वारा पहले ही कुछ समय अवधि बढ़ा दी गई हो, जो संविदा की प्रभावी तारीख से लागू हुई हो, अर्थात् उसमें समय अवधि बढ़ाने संबंधी नीति के प्रवर्तन से पूर्व का विलंब भी शामिल है, उसे इस सीबीएम समय अवधि बढ़ाने संबंधी नीति के अनुसार विनियमित कर दिया जाएगा।

(8) यदि संविदाकार, निर्धारित समय अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि जैसा भी मामला हो, के भीतर कार्य कार्यक्रम पूरा नहीं करता है, तो उसे बिना पूरा किए कार्य निर्धारित, यदि कोई हो, के लिए संविदाओं के संविधित प्रावधान के अनुसार सरकार को धन का भुगतान करना होगा।

भारत सरकार ने अब तक हुई सीबीएम की तीन दौर की वार्ताओं के अंतर्गत 26 सीबीएम ब्लाकों (नामांकन आधार पर 3 संविदाओं को प्रदान करने सहित) के लिए हस्ताक्षर किए हैं जिसमें 13000 वर्ग कि. मी. क्षेत्र शामिल है। 11वीं योजना अवधि में अन्वेषण के दौरान अनुमानित निवेश लगभग 1000 करोड़ रुपए होगा और सीबीएम का उत्पादन 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 2.6 बीसीएम होने की संभावना है।

लौह और इस्पात सामग्री का आवंटन

3145. श्री अमिताभ नन्दी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के लघु उद्योग तथा आनुषंगिक क्षेत्रों के लिए लौह अयस्क और इस्पात सामग्री के राज्य–वार आवंटन को बनाए रख रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी आवंटन नीति क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2007–08 के लिए राज्य–वार आवंटन दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। सरकार लघु उद्योग (एसएसआई) क्षेत्र तथा लघु उद्योग निगमों को आवंटन हेतु लोहे और इस्पात की मदों की उचित आपूर्ति के लिए प्रति वर्ष वितरण योजना तैयार करती है। यह योजना एसएसआई कोर्डिनेशन एंड रिव्यू कमेटी द्वारा तैयार की जाती है और इसमें राज्य सरकारों के लघु उद्योग निगमों के सचिव, राज्य लघु उद्योग निगमों के प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि., राष्ट्रीय इस्पात निगम लि., टाटा स्टील जैसे प्रमुख इस्पात उत्पादकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक तथा प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन इसके सदस्य हैं। वर्ष 2007–08 के लिए वितरण नीति की प्रति संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड – वर्ष 2007–08 के लिए लोहा और इस्पात सामग्रियों का एसएसआई कारपोरेशन को आबंटन

(आंकड़े : एमटी में)

इस्पात मदें	बिहार	चंडीगढ़	छत्तीसगढ़	गोवा	एचपी	जे एंड के	कर्नाटक	केरल	एमपी	महा–राष्ट्र	उड़ीसा	पंजाब	राज–स्थान	तमिल–नाडु	यूपी	प. बंगाल	योग
जोइस्ट	200	0	0	38	0	0	43	7	41	0	11	77	0	0	268	0	685
चैनल	700	2	0	313	0	289	778	52	61	0	0	365	29	301	222	388	3500
एंगल्स	1000	0	18	148	0	455	228	158	359	0	36	472	0	119	852	64	3907
राउण्ड्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
टीओआर/टीएमटी	0	114	0	1235	11	422	0	30	0	0	0	325	0	0	0	0	2137
वायर रॉड	0	7789	14929	43	11492	4894	305	32	2507	1963	0	11628	2073	129	5605	0	63390
प्लेट/सीव्यू प्लेट	1200	641	133	740	0	899	3713	508	4363	0	1397	3862	44	1305	951	260	20015
एचआर/बीपी क्वायल, शीट्स/ स्कैल्प	2000	19998.65	8	0	0	114	2438	31	1147	15	2296	15859	48933	572	23587	0	116999
सीआर क्वायल/ चादरें	1000	8472	48	304	0	52	2920	0	196	0	73	1087	78	366	362	0	14958
जीपी/जीसी चादरें	900	0	0	0	0	1121	467	25	0	0	48	24	0	188	5576	0	8349
एलपीजी चादरें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	1316	0	1346
[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	165
कच्चा लोहा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	7000	37017	15136	2822	11503	8246	10892	841	8674	1977	4025	33730	51158	2980	38739	712	235452

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड – वर्ष 2007–08 के लिए लोहा और इस्पात सामग्रियों का एसएसआई कारपोरेशन्स को आबंटन

(आंकड़े : एमटी में)

इस्पात मदें	बिहार	चंडीगढ़	छत्तीसगढ़	गोवा	एचपी	जे एंड के	कर्नाटक	केरल	एमपी	महा–राष्ट्र	उड़ीसा	पंजाब	राज–स्थान	तमिल–नाडु	यूपी	प. बंगाल	योग
जोइस्ट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चैनल	0	0	0	0	0	0	612	40	41	74	77	0	0	191	110	0	1146
एंगल्स	0	0	0	0	0	0	0	5	0	29	0	145	0	47	288	0	514
राउण्ड्स	0	9671	0	0	0	0	1529	148	467	1220	149	43	32	1374	701	348	15682
टीओआर/टीएमटी	0	457	0	0	964	0	59	344	20	30	0	0	0	525	0	0	2401
वायर रॉड	5000	32834	0	0	30063	0	4104	4168	10562	7240	612	34734	8639	4471	9108	527	152062
प्लेट/सीक्यू प्लेट	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
एचआर/बीपी क्वायल, शीट्स/ स्कैल्प	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सीआर क्वायल/ चादरें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जीपी/जीसी चादरें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एलपीजी चादरें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बिलेट्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2795	0	2795
शीट पाईल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कच्चा लोहा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	5000	42962	0	0	31027	0	6304	4708	11090	8593	839	34923	8671	6609	13002	875	174603

टाटा स्टील – एसएसआई कारपोरेशन्स को वर्ष 2007–08 के लिए आई एंड एस सामग्रियों का आवंटन

(आंकड़े : एमटी में)

इस्पात मदें	बिहार	चंडीगढ़	छत्तीसगढ़	गोवा	एचपी	जे एंड के	कर्नाटक	केरल	एमपी	महा–राष्ट्र	उड़ीसा	पंजाब	राज–स्थान	तमिल–नाडु	यूपी	प. बंगाल	योग
जोइस्ट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चैनल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एंगल्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
राउण्ड्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
टीओआर/टीएमटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2788	0	0	0	0	0	2788
वायर रॉड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	126
प्लेट/सीक्यू प्लेट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एचआर/बीपी क्वायल, शीट्स/ स्कैल्प	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सीआर क्वायल/ चादरें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0	188
जीपी/जीसी चादरें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	139
एलपीजी चादरें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बिलेट्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
शीट पाईल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कच्चा लोहा	0	0	0	0	0	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316
योग	0	0	0	0	0	316	0	0	0	0	2788	454	0	0	0	0	3557

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. – एसएसआई कारपोरेशन्स को वर्ष 2007–08 के लिए आई एंड एस सामग्रियों का आबंटन

(आंकड़े : एमटी में)

इस्पात मदें	आंध्र प्रदेश	असम	दिल्ली	दादरा व नगर हवेली	गुजरात	हरियाणा	झारखंड	मेघालय	पांडिचेरी	उत्तरांचल	योग
जोइस्ट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चैनल	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	45
एंगल्स	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24
राउण्ड्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
टीओआर/टीएमटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
वायर रॉड	105	0	1031	154	1207	182	27	0	63	0	2771
प्लेट/सीक्यू प्लेट	59	0	0	0	132	167	1433	0	0	0	1791
सीआर क्वायल	24	535	22	0	13	226	489	90	226	0	1624
एचआर/बीपी क्वायल, चादरें/स्कैल्प	120	1260	10	0	12	443	5600	33	23	0	7501
जीपी/जीसी चादरें	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	70
एलपीजी चादरें	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308
बिलेट्स	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	270
शीट पाईल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कच्चा लोहा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	617	1795	1087	154	1634	1018	7619	168	312	0	14404

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड – वर्ष 2007–08 के लिए एसएसआई कारपोरेशन्स को आई एंड एस सामग्री का आबंटन

(आंकड़े : एमटी में)

इस्पात मदें	आंध्र प्रदेश	असम	दिल्ली	दादर व नगर हवेली	गुजरात	हरियाणा	झारखंड	मेघालय	पांडिचेरी	उत्तरांचल	योग
जोइस्ट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चैनल	12	0	0	0	46	0	0	0	0	0	58
एंगल्स	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
राउण्ड्स	532	0	0	0	1155	2833	407	0	0	0	4928
टीओआर/टीएमटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
वायर रॉड	7098	0	1248	0	7244	4825	1124	0	660	495	22696
प्लेट/सीक्यू प्लेट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सीआर क्वायल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एचआर/बीपी क्वायल, चादरें/स्केल्प	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जीपी/जीसी चादरें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एलपीजी चादरें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बिलेट्स	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20
शीट पाईल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कच्चा लोहा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	7665	0	1248	0	8466	7658	1531	0	660	495	27724

टाटा स्टील लि. – वर्ष 2007–08 के लिए एसएसआई कारपोरेशन्स को आई एंड एस सामग्री का आबंटन

(आंकड़े : एमटी में)

इस्पात मदें	आंध्र प्रदेश	असम	दिल्ली	दादरा व नगर हवेली	गुजरात	हरियाणा	झारखंड	मेघालय	पांडिचेरी	उत्तरांचल	योग
जोइस्ट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चैनल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एंगल्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
राउण्ड्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
टीओआर/टीएमटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
वायर रॉड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्लेट/सीक्यू प्लेट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सी आर क्वायल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एचआर/बीपी क्वायल, चादरें/स्कैल्प	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जीपी/जीसी चादरें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एलपीजी चादरें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बिलेट्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
शीट पाईल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कच्चा लोहा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

विवरण-II

वर्ष 2007–08 के लिए लघु उद्योग क्षेत्र हेतु लोहे और इस्पात की मदों का ब्यौरा

राज्य लघु उद्योग निगमों (एसएसआईसी) तथा जहां राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमों (एलएसआईसी) एसएसआईसी कार्य नहीं कर रहे हैं अथवा अस्तित्व में नहीं है, वहां राष्ट्रीय लघु उद्योग के जरिए एसएसआई इकाइयों तथा अन्य सरकारी विभागों (कुल आबंटन के 30% तक) को सेल आरआईएनएल तथा टाटा स्टील जैसे प्रमुख उत्पादकों की लोहा और इस्पात सामग्रियों का आबंटन करने के लिए सरकार की एक योजना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उद्योग निगम ने कच्ची सामग्रियां उचित मूल्य पर प्राप्त करें, सरकार लगभग 500 रुपए प्रति टन नोमिनल संभाल प्रभार देती है ताकि निगम एसएसआई इकाइयों को उनके दरवाजे पर इस्पात सामग्रियों की सप्लाई कर सके।

2. "कोर्डिनेशन कमेटी" को संयुक्त सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में "स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोर्डिनेशन एंड रिन्यू कमेटी" के रूप में पुनर्गठित की गई है। इसमें राज्य सरकारों के लघु उद्योग निगमों के सचिव, राज्य लघु उद्योग निगमों के प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय लघु निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि., राष्ट्रीय इस्पात निगम लि., टाटा स्टील जैसे प्रमुख इस्पात उत्पादकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक तथा प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन इसके सदस्य हैं। इस समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में होती है। समिति के कार्य नीचे दिए गए हैं।

- लघु उद्योग क्षेत्र को लोहे और इस्पात की मदों की उचित सप्लाई तथा निगमों को आबंटन के लिए नीतिगत दिशा–निर्देश तैयार करने के लिए सुझाव देना।
- निगमों के निष्पादन की समीक्षा करना।
- समस्या के क्षेत्रों और विभिन्न अड़चनों का पता लगाना तथा एसएसआई क्षेत्र को इस्पात सामग्रियों की आश्वस्त सप्लाई करने के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपायों के बारे में सुझाव देना।

3. पिछले तीन वर्षों के दौरान लोहे और इस्पात की मदों का किया गया आबंटन नीचे दिया गया है:–

(मात्रा : हजार एमटी)

निगम	2004–2005	2005–2006	2006–07
1	2	3	4
एसएसआईसी	861	619	432
	(59.4%)	(–28.1%)	(–30.2%)
एनआईसी	428	212	62
		(–50.4)	(–70.75%)
कुल	1289	831	492
	(139.7%)	(–35.5%)	(–40.55%)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत दर्शाते हैं। वर्ष 2006–07 में आबंटन वर्ष 2005–06 में वास्तविक रूप से उठाए गए माल +10% के आधार पर दिया गया था।

4. वर्ष 2006–07 में आबंटन वर्ष 2005–06 में उठाए गए माल +20% के आधार पर किया गया था।

5. इस्पात सामग्रियों के आबंटन के लिए अनुदेश

- लघु उद्योग इकाइयां अपने आकार को ध्यान में रखे बगैर अपनी पसंद के किसी भी स्रोत अर्थात् निगमों के जरिए अथवा सीधे उत्पादकों से लोहे और इस्पात मदें खरीद सकती हैं। इस प्रकार के मामलों में निगमों/उत्पादकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामग्री वास्तविक प्रयोक्ताओं को ही सप्लाई की जा रही हैं।
- यदि निगमों का तिमाही आबंटन समाप्त हो जाता है तो वे अगली तिमाही के आबंटन का उपयोग कर सकते हैं।
- वर्ष के लिए आबंटित नहीं की गई लोहे और इस्पात की मदों के लिए अंतर–श्रेणी समायोजन की अनुमति दी गई है।
- अतिरिक्त आबंटन के अनुरोध पर निगमों के आबंटन के 75% समाप्त होने की शर्त पर विचार किया जा सकता है।

6. आबंटित माल नहीं उठाने की स्थिति में आबंटित मात्रा राज्य औद्योगिक विकास निगमों (एसआईडीसी) के जरिए अथवा राज्य सरकार अथवा राज्य लघु उद्योग निगम द्वारा नामित प्रयोक्ताओं की एसोसिएशन के जरिए आबंटित की जा सकती है।

7. लोहे और इस्पात की मदों के आबंटन और माल उठाने के लिए वितरण संबंधी नीति दिशा–निर्देश अनुलग्नक में दिए गए हैं।

एसएसआई/एनएसआई द्वारा लोहे और इस्पात की सामग्रियों के आबंटन और माल उठाने के लिए वितरण संबंधी नीतिगत दिशा–निर्देश

1. सैक्शन, शेप और साईज का ध्यान रखे बगैर श्रेणी–वार आबंटन वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

2. उत्पादकों द्वारा उचित योजना बनाने और सप्लाई करने के लिए वैयक्तिक वार्षिक आबंटन के 25% आबंटन को तिमाही आबंटन माना जा सकता है। प्रत्येक कारपोरेशन को उस तिमाही के लिए

कम से कम 15 दिन पहले प्रत्येक श्रेणी के साईज/ग्रेड–वार अपनी विशिष्ट आवश्यक.ता अवश्य दर्ज करानी चाहिए।

3. यदि निगमों का तिमाही आबंटन समाप्त हो जाता है तो वे अगली तिमाही के आबंटन को रजिस्टर्ड और उपयोग कर सकते हैं।

4. रजिस्ट्रेशन के आधार पर उत्पादकों को वैयक्तिक एसएसआईसी/एनएसआईसी को ऑफर की गई मात्रा बतानी चाहिए। उत्पादकों को सम्पूर्ण रजिस्टर्ड मात्रा को पूरे करने का प्रयास करना होगा। यदि ऑफर रजिस्टर्ड की गई मात्रा से कम है तो शेष अगली तिमाही में ले जाया जा सकता है। यदि एसएसआईसी/एनएसआईसी उत्पादकों द्वारा ऑफर की गई मात्रा के किसी भी भाग को उठाने में विफल रहते हैं तो उस मात्रा को अगली तिमाही में समायोजित कर सकते हैं।

5. आबंटन के लिए सप्लाई की समीक्षा रजिस्टर्ड मात्रा, आफर की गई मात्रा तथा ऑफर के लिए उठाई गई मात्रा के आधार पर की जाएगी।

6. एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में सामग्री का समायोजन उत्पादक के पास उपलब्धता की शर्त पर अनुमेय है।

7. वर्ष के लिए आबंटित नहीं हुई लोहे और इस्पात की मदों के लिए अंतर–श्रेणी समायोजन की अनुमति दी गई है।

8. एसएसआईसी/एनएसआईसी द्वारा सरकारी विभागों को आबंटित सामग्री की सप्लाई की अनुमेय सीमा 30% होगी।

9. डिलीवरी के समय/इन्वाईस स्टेज पर एसएसआईसी/एनएसआईसी द्वारा उठाई गई सामग्रियों के आधार पर प्रमुख उत्पादकों द्वारा संभाल प्रभारों का भुगतान एसएसआईसी/एनएसआईसी को किया जाएगा।

10. संभाल प्रभार दावों की जांच करने के प्रयोजन से एसएसआईसी/एनएसआईसी तथा प्रमुख उत्पादकों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित मासिक विवरणी, जिसमें पिछले माह के दौरान प्रमुख उत्पादकों द्वारा की गई सप्लाई का उल्लेख किया गया हो, अगले माह की 10 तारीख तक इस्पात मंत्रालय और जेपीसी को प्रस्तुत करनी होगी। संयुक्त विवरण समय पर प्रस्तुत करने में विफल रहने पर इन्वाईस स्टेज पर संभाल प्रभार पर बंद किए जा सकते हैं।

11. जेपीसी 7 दिन के भीतर दावों की जांच करेगी और इस प्रकार के दावों की उचित और अपेक्षित जांच के पश्चात् प्रमुख उत्पादकों को संभाल प्रभारों का भुगतान कर सकती है।

12. समय आबंटन सीमा के भीतर अंतर–श्रेणी समायोजन पर संभाल प्रभार प्रमुख उत्पादक तथा एसएसआईसी/एनएसआईसी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित विवरणी के आधार पर अनुमेय है।

13. किसी भी स्थिति में एसएसआईसी/एनएसआईसी गैर पात्र श्रेणियों अर्थात् ट्रेडरों को सामग्री बेचने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि इस प्रक्रिया का उल्लंघन किया हुआ पाया जाता है तो इस्पात मंत्रालय एसएसआईसी/एनएसआईसी को संभाल प्रभारों का भुगतान बंद करने के लिए जेपीसी को निदेश दे सकता है और सप्लाई बंद कर दी जाएगी।

14. एसएसआईसी/एनएसआईसी तिमाही समाप्त होने के बाद अगले माह की 20 तारीख तक इस्पात मंत्रालय और जेपीसी को उपयोग प्रमाण–पत्र (यूसी) अवश्य प्रस्तुत करेंगे। समय पर यूसी प्रस्तुत नहीं करने पर एसएसआईसी/एनएसआईसी को संभाल प्रभार समाप्त करने के अयोग्य करार दिया जा सकता है। यूसी निगमों के प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक द्वारा लिखित में विधिवत रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

15. निगमों द्वारा सामगी उठाने के लिए उत्पादकों के ऑफर की वैधता उस अवधि के बीच हुई छुट्टियों को छोड़कर 7 कार्यदिवस होगी।

16. निगमों के लिए बेहतर आयोजना सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों के रोलिंग सेड्यूल को निगमों के साथ शेयर किया जाएगा। उत्पादक रोलिंग सेड्यूल अपनी वेबसाईट पर डालेंगे और उसे एसएसआईसी/एनएसआईसी को सूचित करेंगे।

17. उत्पादक प्रत्येक शाखा विक्रय कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर इस्पात की प्रत्येक मद के स्टॉक की स्थिति तथा विक्रय मूल्य दर्शाएंगे।

18. उत्पादक एसएसआईसी/एनएसआईसी से चैक स्वीकार करेंगे। तथापि, उत्पादक पारस्परिक विचार–विमर्श से चैकों के लिए पृथक–पृथक सीमा निर्धारित कर सकते हैं।

उर्वरक क्षेत्र में विशेष आर्थिक जोन

3146. श्री पुएल ओराम : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरक क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उर्वरक उपक्रम ने इस प्रकार के एसईजेड स्थापित किए जाने में रुचि दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम निवेश क्षेत्रों की स्थापना

3147. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के तटीय क्षेत्र के साथ वृहद् पेटोलियम निवेश क्षेत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस संबंध में निवेश केन्द्र स्थापित किए जाने हेतु चिन्हित स्थल कौन से हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रेलगाड़ियों में डिश टीवी

3148. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कुछ निजी विमान कंपनियों की तर्ज पर रेलों में डिश टीवी सेवा शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ किन्हीं समूह/सेवा प्रदाताओं के साथ परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अंगामालि रेलवे स्टेशन का विकास

3149. श्री पी.सी. थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी रेलवे के तहत केरल के अंगामालि रेलवे स्टेशन पर यातायात घनत्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे का अंगामालि रेलवे स्टेशन के विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) अंगामालि रेलवे स्टेशन के यातायात घनत्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

खंड पर पैसेंजर/एक्सप्रेस गाड़ियों की कुल संख्या–38

अंगामालि पर रुकने वाली पैसेंजर गाड़ियों की संख्या–4

अंगामालि पर रुकने वाली एक्सप्रेस गाड़ियों की संख्या–9

इस खंड पर चलने वाली माल गाड़ियों की कुल संख्या–10.7 प्रति दिन

अंगामालि पर रिलीज किए गए गुड्स रेकों की संख्या–9.5 रेक प्रति माह

2006–07 के दौरान अंगामालि पर बुक किए गए पैसेंजरों की संख्या–11476 प्रतिदिन है।

(ख) जी, हां।

(ग) (i) अंगामालि पर वर्तमान उतराई क्षमता आधे रेक से कम है। माल उतराई क्षमता के पूरे रेक का आवर्धन कार्य प्रगति पर है और मार्च, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ii) अंगामालि और सबरीमाला के बीच एक नई रेल लाइन को 1997–98 के निर्माण कार्यक्रम में 517.17 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत किया गया है और कार्य प्रगति पर है।

सीसीआई इकाइयों का पुनरुद्धार

3150. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या भारी उद्योग और लघु उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) की कितनी इकाइयों का पुनरुद्धार किया गया तथा उनके पुनरुद्धार के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या पुनरुद्धार के पश्चात् कुछ इकाइयों ने अच्छे परिणाम दिखाए है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) माननीय बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना में राजबन और बोकाजन इकाइयों का क्षमता विस्तार और तांदूर इकाई के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है। इन तीन संयंत्रों के लिए निर्धारित की गई राशि निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

इकाई का नाम		पहला चरण	दूसरा चरण	कुल
1.	राजबन इकाई	6.80	–	6.80
2.	बोकाजन इकाई (दो अलग–अलग ग्राईडिंग इकाईयों के लिए)	20.02	70.49	90.51
3.	तांदूर इकाई	3.85	39.95	43.80
	कुल	30.67	110.44	141.11

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 के दौरान पहले चरण के लिए निधियां मुहैया कराई गई थीं और दूसरे चरण के लिए सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. की 7 गैर–प्रचालनकारी इकाइयों की परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त निधियां मुहैया कराई जानी हैं।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) द्वारा दिनांक 03.07.2006 और उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 21.02.2007 के स्थगन आदेश के कारण स्वीकृत स्कीम को लागू नहीं किया जा सका। एएआईएफआर द्वारा पहला स्थगन आदेश दिनांक 17.11.2006 को रद्द कर दिया गया और दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.01.2008 को स्थगन आदेश रद्द कर दिया।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते क्योंकि स्वीकृत स्कीम के अनुसार हाल ही में पुनरुद्धार आरंभ किया गया है।

जीवन रक्षक दवाओं पर शुल्क में छूट

3151. श्री वसुदेव आचार्य : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से जीवन रक्षक दवाओं पर शुल्क में छूट देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) शुल्क में छूट के पश्चात् इस प्रकार की दवाओं के मूल्य पर दवा–वार क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने वित्त मंत्रालय को कतिपय दवाओं पर केन्द्रीय उत्पाद/सीमा शुल्क/प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) में छूट देने की सिफारिश की थी ताकि ये दवाएं उपभोक्ताओं को कम कीमतों पर उपलब्ध हो सकें।

(ख) वित्त मंत्रालय, इस विभाग की कुछ सिफारिशों से सहमत हो गया है।

(ग) आशा है कि औषध विनिर्माता दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में कटौती कर के सरकार द्वारा प्रदत्त कर छूट का लाभ मरीजों तक पहुंचाएंगे।

मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में दिल्ली

3152. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विशेष रूप से वर्ष 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर दिल्ली को मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में दर्शाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। यद्यपि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, उनके साथ परामर्श से अभिनिर्धारित, पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय ने क्रमशः दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) और चालू वित्तीय वर्ष (2007–08) के दौरान, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की सरकार को, प्रमुख स्मारकों पर प्रदीप्तीकरण की परियोजना सहित, पर्यटन के विकास और संवर्धन हेतु 6123.36 लाख रुपए और 724.08 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।

मंत्रालय प्रचार हेतु, मीडिया अभियानों और ब्रोशरों/मानचित्रों के वितरण के माध्यम से, दिल्ली सहित, प्रमुख गंतव्यों का संवर्धन करता है।

चीन के साथ विमानन समझौते

3153. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी में प्रधान मंत्री की चीन यात्रा के दौरान किसी नए नागर विमानन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच नई वायु सेवाएं आरंभ की गई हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तन अवसंरचना के विकास पर समझौता ज्ञापन

3154. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विमानपत्तन अवसंरचना विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपए खर्च करने तथा इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने का है जैसा कि 22 फरवरी, 2008 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्तावित निधि की सहायता से विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित विमानपत्तन अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एएआई ने प्रस्तावित निधि का उचित व्यय सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सौदों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में हवाई अड्डों के अवसंरचनात्मक विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा 12,434 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के दौरान प्रस्तावित पूंजीगत व्यय का ब्यौरा निम्नवत् है:–

(क) गैर–महानगरीय हवाई अड्डे (i) गैर–महानगरीय हवाई अड्डों पर सिविल तथा इलैक्ट्रिकल कार्य (4131.00 करोड़ रुपए); (ii) वैमानिकी संचार सेवाएं (1743.16 करोड़ रुपए); (iii) सूचना तकनीकी (86.75 करोड़ रुपए); (iv) ग्राउंड संरक्षा सेवाएं (उपस्कर) (482.62 करोड़ रुपए)।

(ख) मेट्रो हवाई अड्डे 1. कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय (i) आधुनिकीकरण योजनाएं (1942.51 करोड़ रुपए); (ii) अन्य योजनाएं (474.78 करोड़ रुपए); 2. चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय (i) आधुनिकीकरण योजनाएं (2249.41 करोड़ रुपए); (ii) अन्य योजनाएं (213.08 करोड़ रुपए); 3. त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय (452.35 करोड़ रुपए); 4. सुविधाकरण तथा प्रचालनात्मक उपस्कर (347.00 करोड़ रुपए);

(ग) संयुक्त उद्यम कम्पनियों में इक्विटी अंशदान (डीआईएएल, एमआईएएल, बीआईएएल, एचआईएएल) (185.68 करोड़ रुपए) तथा

(घ) नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे (इक्विटी) (126.00 करोड़ रुपए) क्रमशः।

(घ) से (च) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 50 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के सिविल/इलैक्ट्रिकल/कम्पोजिट परियोजनाओं तथा 25 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य के सीएनएस/इलैक्ट्रोनिक्स परियोजना, भूमि तथा वाणिज्यिक ठेकों पर इंटेग्रिटी समझौते को 01.04.2008 के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 15.02.2008 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

एयरक्राफ्ट दुर्घटना के पीड़ितों हेतु योजना

3155. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का विचार एयरक्राफ्ट दुर्घटना के पीड़ितों हेतु परिवार सहायता योजना तथा प्रभावी आपदा प्रबंधन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इंडियन (इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया दोनों) के प्रचालन के किन क्षेत्रों को इसके तहत कवर किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या व्यवस्था को एक निजी फर्म को सौंपे जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे जुड़ी शर्तें क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) पूर्ववर्ती एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस दोनों के पास, किसी विमान दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों, उनके परिवारों तथा अन्य पीड़ित व्यक्तियों व उनके परिवारों की आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए, एक विस्तृत आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं परिवार सहायता योजना है।

(ख) एयर इंडिया द्वारा एक व्यापक आपात प्रबंधन मैनुअल विकसित एवं जारी किया गया है, जो, जब कभी भी आपात स्थिति के प्रबंधन की आवश्यकता होगी, सभी विभागों/प्रभागों/अनुभागों के संदर्भ के लिए फील्ड दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा।

(ग) और (घ) एयर इंडिया का मैसर्स केन्योन इंटरनेशनल इमरजेंसी सर्विसेज ऑफ यूएसए के साथ एयर इंडिया/एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से आपदा प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने और प्रभावी व्यक्तियों व अवशेषों की खोज, रिकवरी तथा निपटान के लिए एक करार हुआ है। केन्योन अमरीका, कैरिबियन अथवा कनाडा में हुई अथवा अमरीकी नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना की स्थिति में एयर इंडिया/एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड तथा अन्य संबंधित अमरीकी एजेंसियों के सहयोग से दुर्घटना स्थल पर (आपदा मानवीय सेवाएं) परिवार सहायता सेवाओं के साथ–साथ लॉजिस्टिक्स सहायता भी उपलब्ध कराएगी।

विमानपत्तनों पर तलाशी से छूट

3156. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सशस्त्र सेना प्रमुखों को सिविल विमानों द्वारा उनकी यात्रा के दौरान सुरक्षा जांच से छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की छूट देने हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या हैं; और

(घ) देश में विमान यात्रा के दौरान सुरक्षा जांच/तलाशी से छूट प्राप्त अधिकारियों/व्यक्तियों की श्रेणी क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। फुल जनरल अथवा इसके समकक्ष का रैंक धारण करने वाले चीफ ऑफ स्टाफ को आरोहण पूर्व सुरक्षा जांचों से छूट प्रदान की गई है।

(ग) सामान्यतया नागर विमानन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आसूचना ब्यूरो के परामर्श से अथवा इनकी ओर से प्राप्त सूचनाओं के पश्चात् आरोहण पूर्व सुरक्षा जांचों से छूट प्रदान करता है।

(घ) आरोहण पूर्व सुरक्षा जांच से छूट प्राप्त अति विशिष्ट व्यक्तियों/विशिष्ट व्यक्तियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1 राष्ट्रपति

2 उप राष्ट्रपति

3 प्रधान मंत्री

4 राज्यों के राज्यपाल

5 भूतपूर्व राष्ट्रपति

6 भूतपूर्व उप राष्ट्रपति

7 भारत के मुख्य न्यायाधीश

8 लोक सभा अध्यक्ष

9 कैबिनेट स्तर के केन्द्रीय मंत्री

10 राज्यों के मुख्य मंत्री

11 राज्यों के उप मुख्य मंत्री

12 उपाध्यक्ष, योजना आयोग

13 लोक सभा तथा राज्य सभा में विपक्ष के नेता

14 भारत रत्न सम्मान के धारक

15 विदेशों के राजदूत, चार्ज की अफेयर्स तथा उच्चायुक्त और उनकी पति/पत्नियां

16 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश

17 मुख्य चुनाव आयुक्त

18 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

19 राज्य सभा के उप सभापति तथा लोक सभा के उपाध्यक्ष

20 केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री

21 भारत के महान्यायवादी

22 मंत्रिमंडल सचिव

23 संघ शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल

24 फुल जनरल अथवा इसके समकक्ष का रैंक धारण करने वाले चीफ ऑफ स्टाफ

25 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश

26 संघ शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्री

27 संघ शासित प्रदेशों के उप मुख्य मंत्री

28 उपरोक्त स्तर के आगंतुक विदेशी महानुभाव

29 महामहिम दलाई लामा

30 श्री रॉबर्ट वढेरा, एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के साथ यात्रा करते समय।

खानपान इकाइयों का आबंटन

3157. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क, ख और ग श्रेणियों की खानपान इकाइयों के आबंटन हेतु रेलवे की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) संपूर्ण देश में रेलवे स्टेशनों पर "क" श्रेणी की बड़ी खानपान इकाइयों का इकाई–वार, ठेकेदार–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खानपान इकाइयों के आबंटन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन इकाइयों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए सभी निविदाएं आमंत्रित की जानी हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) ए, बी और सी कोटि के स्टेशनों पर छोटी और अनारक्षित छोटी खानपान इकाइयों को निविदा प्रणाली के माध्यम से आबंटित किया जाता है और अन्य छोटी खानपान इकाइयों अर्थात् आरक्षित कोटियों के लिए, इकाइयों को आवेदन मंगाकर आबंटित किया जाता है।

(ख) भारतीय रेल पर ए कोटि के स्टेशनों पर 51 फूड प्लाजा, 158 जलपान गृह, 518 ऑटोमैटिक वेंडिंग मशीन और एक–एक सेल किचन और क्विक सर्विस फूड कियोस्क है।

(ग) और (घ) "ए" कोटि के स्टेशनों पर कुल 710 बड़ी खानपान इकाइयों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(ङ) 381 बड़ी खानपान इकाइयों के लिए निविदा आमंत्रित करना शेष है।

जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में कमी

3158. श्री एस.के. खारवेलन्थन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई दवा विनिर्माता कंपनियों ने जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें कम नहीं की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में दवा विनिर्माताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कोई अनुदेश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध एवं उन पर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत हैं और उनके मूल्य डीपीसीओ 95 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। ऐसे मूल्य पूरे देश में संबंधित विनिर्माताओं पर लागू हैं, यदि उन्हें डीपीसीओ 95 के प्रावधानों के अंतर्गत अन्यथा छूट न दी गई हो।

गैर–अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य – उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान और विकास व्यय, व्यापार कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्द्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में सरकार द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 जीवनरक्षक दवाओं और अन्य दवाओं के बीच फर्क नहीं करता है। किन दवाओं को जीवनरक्षक दवा के रूप में वर्गीकृत किया जाए, यह निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट मानक या दिशानिर्देश नहीं है। सामान्यतः सभी दवाइयां जीवन बचाने और दीर्घायु बनाने में लाभदायक मानी जाती हैं।

सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप औषध उद्योग 886 फार्मूलेशनों

के मूल्य घटाने पर स्वेच्छा से सहमत हो गया था। तथापि, घटे हुए मूल्यों पर इन फार्मूलेशनों की उपलब्धता अलग-अलग राज्यों में भिन्न है। सरकार ने घटे हुए मूल्यों पर इन 886 दवाओं की उपलब्धता सुधारने के लिए संबंधित कंपनियों को कहा है।

कृभको और ओमान तेल कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम

3159. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृभको) ने ओमान तेल कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इससे कृभको किस सीमा तक लाभान्वित होगा; और

(घ) उक्त परियोजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (घ) मैसर्स कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) और ओमान की ओमान ऑयल कंपनी (ओओसी) ने दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू में उर्वरक क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, तेल-शोधन और पेट्रो-रसायन क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र आदि सहित औद्योगिक क्षेत्र के वृहत् क्षेत्र में कृभको और ओओसी के बीच सहयोग करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित एमओयू से कृभको को मिलने वाले लाभ की मात्रा एमओयू के अंतर्गत प्रस्तावित दोनों कंपनियों के बीच भावी विचार-विमर्श और सहयोग पर निर्भर करेगी।

वैगनों की कमी

3160. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को ज्ञात है कि देश में विशेष रूप से पूर्व रेलवे जोन में माल वैगनों की कमी के कारण बड़ी संख्या में माल अपने गंतव्य स्थान पर समय से नहीं पहुंच पाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे रेलवे की आय पर क्या प्रभाव पड़ता है; और

(ग) माल की ढुलाई में तेजी लाने के लिए वैगनों और रेकों की कमी को दूर करने के लिए रेलवे द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) भारतीय रेलवे के माध्यम से लदान किया गया माल मुख्यतः उपयुक्त समय पर अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचता है। कभी-कभार मार्ग में दुर्घटनाओं अथवा यातायात अवरुद्ध हो जाने के कारण इसमें विलंब हो सकता है। जहां तक माल डिब्बों की उपलब्धता का संबंध है, पर्याप्त संख्या में मालडिब्बे उपलब्ध हैं, तथापि सीजनल कमी-बेशी, परिचालनिक तंगियों आदि के कारण मांग और सप्लाई में अंतर हो सकता है।

(ख) चालू वर्ष में फरवरी, 08 (अप्रैल, 07 – फरवरी, 08) तक अनुमानित माल यातायात आमदनी पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 37648.87 करोड़ रु. की तुलना में 42696.22 करोड़ रु. थी अर्थात् इसमें 13.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) भारतीय रेल वर्ष 2008-09 के दौरान लगभग 20,000 मालडिब्बों (वाहन इकाइयां) के अधिग्रहण पर विचार कर रही है। माल यातायात संचलन की गति बढ़ाने के लिए, थ्रू-पुट संवर्द्धन कार्यों तथा यातायात सुविधा कार्यों को पूरा करने पर बल दिया गया है जिससे माल यातायात संचलन के लिए अतिरिक्त क्षमता सृजित होगी।

पर्यटन अवसंरचना

3161. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर राजस्व सृजन करने हेतु आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाने की पेशकश के बावजूद, पर्यटन मंत्रालय को पर्यटन क्षेत्र में अवसंरचनात्मक कार्य करने के लिए इच्छुक पार्टियों से बहुत कम परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने पर्यटन के लिए लाभकारी परियोजना आरंभ किए जाने हेतु कंपनियों अथवा सरकारी/अर्ध-सरकारी एजेन्सियों तथा आगंतुकों पर शुल्क उद्ग्रहण अथवा उपयोगकर्ता प्रभारों के माध्यम से राजस्व सृजन के लिए राजसहायता के रूप में 40 करोड़ रुपए निर्धारित किए थे;

(ग) क्या मंत्रालय ने देश में पर्यटन अवसंरचना के निर्माण हेतु बोली में इस प्रकार की परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत हिस्सा प्रदान करने की पेशकश की थी।

(घ) यदि हां, तो क्या 2006-07 में इस प्रकार की केवल चार परियोजनाओं को संस्वीकृत किया जा सका तथा मंत्रालय 40

करोड़ रुपए की कायिक निधि में से केवल एक करोड़ रुपए का उपयोग कर पाया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस कायिक निधि के इष्टतम उपयोग हेतु क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय को, "वृहत राजस्व सृजक परियोजना के लिए सहायता" की योजना के अधीन राज्य सरकारो/राज्य पर्यटन विकास निगमों तथा निजी उद्यमियों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

वर्ष 2006–07 के दौरान, इस योजना के अधीन चार परियोजनाओं के लिए 2.65 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी। वार्षिक योजना 2007–08 में, वृहत राजस्व सृजक परियोजनाओं की सहायता की योजना के लिए 40.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। फरवरी, 2008 तक हुआ खर्च 2.21 करोड़ रु. है।

योजना दिशा–निर्देशों के अनुसार, परियोजनाओं हेतु 50.00 करोड़ रुपए तक की इमदाद प्रदान की जाती है, बशर्ते कि वह कुल परियोजना लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत हो अथवा प्रोमोटर की इक्विटी अंशदान का 50 प्रतिशत हो, इनमें से जो भी कम हो। यह योजना सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में परिचालित की गई है और इस सूचना का प्रचार वेबसाइट के माध्यम से भी किया जाता है।

50 पी.पी.एम. सल्फर डीजल आरम्भ किया जाना

3162. श्री अमिताभ नन्दी :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का "क्लीन एयर पॉलिसी" के भाग के रूप में संपूर्ण देश में 50 पी.पी.एम. सल्फर डीजल शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 2005 माशेलकर समिति रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या मंत्रालय ने उक्त रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों को लागू किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) माशेलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर वाहन ईंधन नीति में दी गई रूपरेखा के अनुसार, सरकार 1.4.2010 से 11 शहरों अर्थात् दिल्ली/रा.रा.क्षे., मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलौर, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर तथा आगरा में 50 पीपीएम सल्फर युक्त यूरो–IV के समकक्ष पेट्रोल तथा डीजल आरंभ करेगी।

(ग) माशेलकर समिति की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं:

- 1.4.2005 से 11 शहरों अर्थात् दिल्ली/रा.रा.क्षे., मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलौर, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर तथा आगरा में यूरो–III समकक्ष भारत चरण–III पेट्रोल तथा डीजल तथा देश के बाकी भागों में यूरो–II समकक्ष भारत चरण–II पेट्रोल तथा डीजल आरंभ करना।
- 1.4.2010 से 11 शहरों अर्थात् दिल्ली/रा.रा.क्षे., मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलौर, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर तथा आगरा में यूरो–IV समकक्ष भारत चरण–IV पेट्रोल तथा डीजल और देश के शेष भागों में यूरो–III समकक्ष भारत चरण–III पेट्रोल तथा डीजल आरंभ करना।

(घ) से (च) मंत्रालय ने 1.4.2005 से यथा लागू ईंधन गुणवत्ता के संबंध में माशेलकर समिति की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित कर दिया है।

काल्टा खान का बंद होना

3163. श्री जुएल ओराम : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की उड़ीसा के कच्चे माल के प्रभाग द्वारा संचालित उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में स्थित काल्टा खान बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें कितने कर्मचारी तथा अधिकारी को नियोजन मिला था; और

(घ) उनके हितों को संरक्षण देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) : (क) सेल के कच्चे माल प्रभाग के प्रबंधन में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित काल्टा खान को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पुल्लेपेड्डी पर सड़क ऊपरी मार्ग

3164. श्री पी.सी. थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी रेलवे के तहत एर्णाकुलम में पुल्लेपेड्डी पर सड़क ऊपरी मार्ग के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पुल के निर्माण कार्य में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने में हुए विलम्ब के कारण लागत वृद्धि तथा आज की तिथिनुसार परियोजना की संशोधित लागत क्या है; और

(घ) परियोजना कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेलपथों के आर-पार पुल खास पर, सभी कार्य, ट्रैक स्पैन को छोड़कर, पूरे किए जा चुके हैं। पहुंचमार्गों पर 92 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है।

(ख) राज्य सरकार ने पहुंचमार्गों के लिए सामान्य व्यवस्था आरेखण (जी ए डी) और विस्तृत अनुमान हेतु अनुमोदन में विलंब किया था। कार्य प्रारंभ करने हेतु समय पर गति प्रतिबंध उपलब्ध नहीं था। ठेकेदार ने दरों में बढ़ोत्तरी के लिए कहा था जिसे ठेके संबंधी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः मौजूदा करार को रोकने और नई एजेंसी निर्धारित करने हेतु नई निविदा मंगाने का प्रस्ताव है।

(ग) लागत में रेलवे की भागीदारी के रूप में 5.56 करोड़ रु. की लागत 2000-01 में इस कार्य को स्वीकृत किया गया था। रेलवे के हिस्से के कार्य को स्वीकृत लागत के भीतर पूरा किए जाने की संभावना है।

(घ) वर्तमान करार को रोकने और शीघ्रताशीघ्र नई एजेंसी निर्धारित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और वर्ष के अंत तक कार्य पूरा करवाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

नवरत्न/मिनी रत्न सी.पी.एस.यू.

3165. श्री वसुदेव आचार्य : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) को नवरत्न/मिनी रत्न का दर्जा देने हेतु क्या मानदण्ड हैं;

(ख) उन सी.पी.एस.यू. के क्या नाम है जिन्हें पहले ही नवरत्न/मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया जा चुका है; और

(ग) उन सी.पी.एस.यू. का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस प्रकार का दर्जा दिए जाने हेतु विचार किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) विगत 5 वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के अनुसूची 'क' व मिनिरत्न श्रेणी के जिन उद्यमों ने समझौता ज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत 'उत्कृष्ट' व 'अति उत्तम' का दर्जा प्राप्त किया है तथा 6 चुनिंदा निष्पादन मानदण्डों में 60 या इससे अधिक संयुक्त अंक प्राप्त किए हैं, वे नवरत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों ने विगत 3 वर्षों से लगातार लाभ अर्जित किया है तथा जिनकी निवल परिसंपत्तियां धनात्मक हैं वे मिनीरत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।

(ख) इस समय केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 13 नवरत्न उद्यम हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 54 उद्यमों को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न एवं मिनी रत्न उद्यमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) शीर्ष समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया जाता है। शीर्ष समिति ने केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 3 और उद्यमों अर्थात् (i) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि. (ii) पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. तथा (iii) रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लि. को इस शर्त पर नवरत्न का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है कि केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के निदेशक मंडलों में अपेक्षित संख्या में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग यदि इस बात से संतुष्ट है कि वे उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी उद्यम निर्धारित मानदंड को पूरा करते हैं तो वे उन्हें मिनीरत्न का दर्जा प्रदान कर सकते हैं।

विवरण

नवरत्न और मिनी रत्न सीपीएसईएस की सूची

	नवरत्न सीपीएसईएस
1	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड
2	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड
3	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
4	गेल (इंडिया) लिमिटेड
5	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
6	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
7	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड

8 महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड

9 एन एम डी सी लि.

10 एनटीपीसी लि.

11 ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि.

12 पॉवर फाईनेन्स कॉरपोरेशन लि.

13 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.

मिनी रत्न श्रेणी-I सीपीएसईएस

1 बामेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड

2 भारत डायनामिक्स लिमिटेड

3 भारत अर्थ मूवर्स लि.

4 भारत संचार निगम लि.

5 बोगई गांव रिफाइनरीज एंड पेट्रो–केमिकल्स लिमिटेड

6 सेण्ट्रल वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन

7 सेण्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

8 चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड

9 कोल इंडिया लि.

10 कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

11 ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

12 इंजीनियर्स इंडिया लि.

13 गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि.

14 गोवा शिपयार्ड लि.

15 हिंदुस्तान लेटेक्स लि.

16 हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लि.

17 हाऊसिंग एंड अर्बन डवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.

18 इंडिया टूरिज्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.

19 इरकॉन (इण्टरनेशनल) लिमिटेड

20 कुद्रेमुख ऑयरन ओर इंडिया लि.

21 मझगांव डॉक लि.

22 महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

23 मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रो–केमिकल्स लिमिटेड

24 एमएमटीसी लिमिटेड

25 एमएसटीसी लिमिटेड

26 नेशनल एल्युमिनियिम कंपनी लिमिटेड

27 नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

28 नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन

29 नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

30 नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.

31 ऑयल इंडिया लि.

32 पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन लि.

33 राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

34 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

35 रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड

36 राइट्स लि.

37 शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

38 साउथ–ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

39 स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

40 टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स (इंडिया) लि.

41 वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

मिनी रत्न श्रेणी-II सीपीएसईएस

42 एजुकेशनल कन्सलटेंट्स (इंडिया) लि.

43 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

44 फेरो स्क्रेप निगम लि.

45 एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.

46 एचएलसीसी (इंडिया) लिमिटेड

47 इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन

48 इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लि.

49 मेंगनीज ओर इंडिया लि.

50 मेकॉन लि.

51 नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.

52 पी ई सी लि.

53 राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लि.

54 वाटर एंड पावर कंसलटेंसी (इंडिया) लि.

हिमाचल प्रदेश में आरक्षण

3166. श्री लालमणि प्रसाद : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अनुसूचित जाति आरक्षित कोटा के अंतर्गत मिलने वाले आरक्षण लाभ को गलत तरीके से उच्च जाति/स्वर्ण जाति (लोहार जाति) को देने के संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या आयोग ने जनवरी, 2008 में प्राप्त इस शिकायत के तथ्यों को सत्यापित करने हेतु कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है/की जाने वाली है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

औषध संबंधी उत्पाद शुल्क में छूट

3167. श्री मनोरंजन भक्त : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में औषध संबंधी उत्पाद शुल्क में छूट दी गई है जबकि अन्य राज्य अब भी उच्च उत्पाद शुल्क के बोझ से दबे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्धिक) : (क) से (ग) वर्तमान में विनिर्दिष्ट औषधों एवं दवाओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से कुछ पूर्ण/आंशिक छूट/रियायतें लागू हैं। इसके अतिरिक्त, कतिपय क्षेत्रों में विनिर्मित दवाओं/औषधों सहित वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अदा करने से सरकार ने छूट दी है ताकि उन क्षेत्रों की आर्थिक उन्नति हो सके।

1.3.2008 से सभी औषधीय उत्पादों पर मूल उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है।

15.04.08

[अनुवाद]

नवयुग विद्यालयों में प्रवेश

3168. श्री मकुल दास राई :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नवयुग विद्यालयों में प्रवेश देने के लिए केवल नई दिल्ली महानगर पालिका के निवासियों पर विचार करने की नीति में छूट देने का है ताकि नवयुग विद्यालय से 200 मीटर के भीतर आराम बाग जैसे सरकारी क्वार्टरों में रह रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे समायोजित किए जा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नवयुग स्कूल, नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र और नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पहले से ही अतिभारित है। इसके अतिरिक्त, नवयुग स्कूल शैक्षणिक समिति की निर्धारित प्रवेश नीतियों के अनुसार इसमें केवल नई दिल्ली संसदीय चुनाव क्षेत्र और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इस प्रकार उल्लिखित क्षेत्र के बाहर के बच्चों को प्रवेश देना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

डी.टी.एच. सेवाओं में सुधार

3169. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डायरेक्ट–टू–होम (डी.टी.एच.) प्रसारण प्रणाली के संबंध में कोई नीति तैयार की है या कोई कानूनी व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेट टॉप बाक्सेस में विविधीकरण तथा बहुआयामी उपयोगिता के माध्यम से डी.टी.एच. सेवाओं में सुधार लाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में इस नीति में कोई अन्य परिवर्तन लाने का विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी हां, मंत्रिमंडल द्वारा नवंबर 2000 में लिए गये निर्णय के बाद सरकार ने दिनांक 15.3.2001 को देश में डी टी एच सेवा के लिए दिशा–निर्देश जारी किए थे जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ पात्रता शर्तों, लाइसेंस शुल्क आदि का प्रावधान किया गया था। ये दिशा–निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने डी टी एच सेवा से संबंधित मुद्दों जैसे प्रति कार्यक्रम भुगतान आवासीय इकाई, सेट टॉप बॉक्स, अंतर प्रचालनीयता आदि पर कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। ये सिफारिशें ट्राई की वेबसाईट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

(ङ) और (च) डी टी एच सेवा पर ट्राई द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

दूरदर्शन केन्द्रों की बकाया राशि

3170. श्री सुनील खां : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों की विभिन्न कंपनियों के पास धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो कोलकाता दूरदर्शन सहित तत्संबंधी कंपनी–वार तथा दूरदर्शन–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है/प्रस्तावित है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों की विभिन्न कंपनियों के पास बकाया धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि मामले को संबंधित केन्द्रों द्वारा अनुस्मारकों, नोटिसों आदि के जरिए उठाया जा रहा है। सभी केन्द्रों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि किसी नए प्रस्ताव को सौंपने से पहले संबंधित एजेंसियों/निर्माताओं के पूर्व भुगतान आचरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए और किसी कार्यक्रम को आबंटित करने से पहले सभी बकाया राशि की वसूली की जाए। पुराने चूककर्ताओं के मामले में माध्यस्थम् कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

विवरण

दिनांक 29.2.2008 की स्थिति के अनुसार चूककर्ता एजेंसियों की दूरदर्शन केन्द्रवार सूची

क्र. सं	दूरदर्शन केन्द्र का नाम	चूककर्ता कंपनियों की संख्या	मूल राशि (रुपए में)	ब्याज (रुपए में)
1.	अहमदाबाद	97	21524845	3562504
2.	बंगलौर	57	201729127	70986009
3.	भोपाल	65	10283321	6131233
4.	भुवनेश्वर	64	28420596	21372619
5.	चैन्ने	54	73061674	83258237
6.	दिल्ली	130	1958743088	1252304787
7.	गुवाहाटी	15	3795010	4296412
8.	हिसार	2	5520	2267
9.	हैदराबाद	34	43517070	55519773
10.	जयपुर	17	4475237	4760839
11.	जालंधर	51	20331966	21097539
12.	जम्मू	1	30	00
13.	कोलकाता	64	318189491	237895728
14.	लखनऊ	82	36966016	28154384
15.	मुम्बई	82	82320242	111637960
16.	पटना	33	10395971	10905410
17.	रांची	3	1044025	00
18.	श्रीनगर	35	980741	222673
19.	तिरुवनन्तपुरम	112	90391712	8120538
		कुल	2906175682	1920228912

जॉर्जिया टेक कैंपस की स्थापना

3171. श्री ए. साई प्रताप : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जॉर्जिया टेक का विचार आंध्र प्रदेश के हैदराबाद तथा विशाखापत्तनम में कैंपस स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या जार्जिया टेक का भारतीय कैंपस अमेरिका में मान्यताप्राप्त डिग्रियां प्रदान करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार जार्जिया टेक से उनके द्वारा कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

3172. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों में औद्योगिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा देश के पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए कौन–कौन से कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द सरकार ने किस हद तक सफलता प्राप्त की है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग ने उसकी स्कीम "बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ग्राण्ड फंड" के उद्देश्य हेतु हाल ही में 2005 में एक कार्य किया है। इस सर्वेक्षण में 170 जिलों की पहचान पिछड़े जिलों के रूप में की गई थी, जिनमें देश के विभिन्न राज्यों के 55 उग्रवाद प्रभावित जिले भी शामिल थे। इस सर्वेक्षण में क्षेत्रीय असमानताओं की अवधारणा पर बल दिया गया। राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। हाल ही में, औद्योगिक पिछड़ेपन के जिले विशिष्ट मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने की दृष्टि से अंतर–विभागीय बैठकें आयोजित की गई है तथा ठोस नीतिगत निर्णयों को अंतिमरूप देने व कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध संगत आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा हैं ताकि विभिन्न जिलों में एक उपयुक्त तरीके से औद्योगिक पिछड़ेपन के मामले का निराकरण किया जा सके।

(ग) और (घ) 1991 के नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् निवेश के निर्णय उद्यमियों की व्यावसायिक समझ पर पर छोड़ दिए गए हैं। सरकार की भूमिका नियंत्रण से बदलकर विलंबों को दूर कर अनिवार्य प्रक्रियाओं को पूर्णतः पारदर्शी बनाते हुए सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करने की कर दी गई है। केन्द्र सरकार पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा की गई सभी पहलों में सहायता करती है। केन्द्र सरकार के विभिन्न स्कीमों के जरिये उनके प्रयासों में पूरक की भूमिका प्रदान करती है। ये स्कीमें पिछड़े क्षेत्रों को पूंजी प्रवाह प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उद्योगों के विकास हेतु अनेक स्कीमें मौजूद हैं, जिनमें से कुछ विशेष क्षेत्रों पर केंद्रित हैं जो इस विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है:

(i) विकास केन्द्र योजना

(ii) औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस)

(iii) परिवहन राजसहायता योजना

(iv) पूर्वात्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति, 2007 (अनईआई आईपीपी) तथा

(v) विशेष श्रेणी राज्यों के लिए नई औद्योगिक नीति एवं अन्य रियायतें।

विवरण

बढ़ते हुए क्षेत्रीय असन्तुलन में सुधार करने के लिए अन्तः मंत्रालय कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार 55 आतंकवाद प्रभावित जिलों सहित 170 जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	अदीलाबाद
2	आंध्र प्रदेश	करीमनगर
3	आंध्र प्रदेश	खम्माम
4	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर

1	2	3
5	आंध्र प्रदेश	मेढ़क
6	आंध्र प्रदेश	नालगोंडा
7	आंध्र प्रदेश	निजामाबाद
8	आंध्र प्रदेश	वारंगल
9	असम	वारपेटा
10	असम	कछ्वार
11	असम	धीमाजी
12	असम	गोलपाड़ा
13	असम	हालाकाड़ी
14	असम	करबीआंग्लोंग
15	असम	कोकराझार
16	असम	मारीगांव
17	बिहार	अररिया
18	बिहार	औरंगाबाद
19	बिहार	बांका
20	बिहार	बेगू सराय
21	बिहार	भागलपुर
22	बिहार	भोजपुर
23	बिहार	बक्सर
24	बिहार	दरभंगा
25	बिहार	गया
26	बिहार	गोपालगंज
27	बिहार	जमोई
28	बिहार	जहांनाबाद
29	बिहार	कैमूर (भाबुआ)
30	बिहार	कटिहार
31	बिहार	खगरिया
32	बिहार	किशनगंज
33	बिहार	लखीसराय
34	बिहार	मधेपुरा
35	बिहार	मधुबनी
36	बिहार	मुंगेर
37	बिहार	मुजफ्फरपुर
38	बिहार	नालन्दा
39	बिहार	नवादा
40	बिहार	पश्चिम चंपारन
41	बिहार	पटना
42	बिहार	पूर्वी चंपारन
43	बिहार	पूर्णियां
44	बिहार	रोहतास
45	बिहार	सहरसा
46	बिहार	समस्तीपुर
47	बिहार	सारन
48	बिहार	शेखपुरा
49	बिहार	सेवहर
50	बिहार	सीतामढी
51	बिहार	सुपोल
52	बिहार	वैशाली
53	छत्तीसगढ़	बस्तर
54	छत्तीसगढ़	दंतेवाडा
55	छत्तीसगढ़	जसपुर
56	छत्तीसगढ़	कांकेर
57	छत्तीसगढ़	कवार्धा
58	छत्तीसगढ़	मोरबा
59	छत्तीसगढ़	महांसमंद
60	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव

1	2	3
61	छत्तीसगढ़	सर्गुजा
62	गुजरात	दोहाड
63	झारखंड	बोकारो
64	झारखंड	छत्र
65	झारखंड	देवघर
66	झारखंड	धनबाद
67	झारखंड	दुमका
68	झारखंड	गरवा
69	झारखंड	गिरिडीह
70	झारखंड	गोड्डा
71	झारखंड	गुमला
72	झारखंड	हजारीबाग
73	झारखंड	कोदारमा
74	झारखंड	लोहा दग्गा
75	झारखंड	पाकुड
76	झारखंड	पलामू
77	झारखंड	पश्चिम सिंग
78	झारखंड	रांची
79	झारखंड	साहिबगंज
80	मध्य प्रदेश	बालाघाट
81	मध्य प्रदेश	बारवानी
82	मध्य प्रदेश	छत्तरपुर
83	मध्य प्रदेश	दामोह
84	मध्य प्रदेश	डिन्डोरी
85	मध्य प्रदेश	गुना
86	मध्य प्रदेश	झाबुआ
87	मध्य प्रदेश	कटनी
88	मध्य प्रदेश	मांडला
89	मध्य प्रदेश	पन्ना
90	मध्य प्रदेश	राजगढ़
91	मध्य प्रदेश	रीवा
92	मध्य प्रदेश	सिवोनी
93	मध्य प्रदेश	शहडोल
94	मध्य प्रदेश	सेवपुर
95	मध्य प्रदेश	शिवपुरी
96	मध्य प्रदेश	सिद्धी
97	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़
98	मध्य प्रदेश	उमार्या
99	मध्य प्रदेश	पश्चिम निमोर
100	महाराष्ट्र	भदारा
101	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर
102	महाराष्ट्र	गढ़चिरोली
103	महाराष्ट्र	गोंदिया
104	मणिपुर	चंदेल
105	मणिपुर	चरचंदपुर
106	मेघालय	रिभोई
107	मेघालय	साउथ गारो हिल
108	मेघालय	वेस्ट गारो हिल
109	नागालैंड	मोन
110	नागालैंड	टयूनसेंग
111	नागालैंड	वोखा
112	उड़ीसा	बालांगीर
113	उड़ीसा	बौद्ध
114	उड़ीसा	देबागढ़
115	उड़ीसा	गजपति
116	उड़ीसा	गंजम
117	उड़ीसा	कालाहांडी

1	2	3
118	उड़ीसा	कांधमल
119	उड़ीसा	केदूझर
120	उड़ीसा	कोरापुट
121	उड़ीसा	मल्कानगिरी
122	उड़ीसा	मयूरभंज
123	उड़ीसा	नबरंगपुर
124	उड़ीसा	नौपाड़ा
125	उड़ीसा	रायगादा
126	उड़ीसा	सोनापुर
127	राजस्थान	बासवाड़ा
128	राजस्थान	बाड़मेर
129	राजस्थान	चित्तौड़गढ़
130	राजस्थान	डुंगरपुर
131	राजस्थान	जैसलमेर
132	राजस्थान	जालौर
133	राजस्थान	करोली
134	राजस्थान	संवाई माधीपुर
135	राजस्थान	टोंक
136	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर
137	उत्तर प्रदेश	बहराइच
138	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
139	उत्तर प्रदेश	बांदा
140	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी
141	उत्तर प्रदेश	बस्ती
142	उत्तर प्रदेश	बदायूं
143	उत्तर प्रदेश	चन्दोली
144	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट
145	उत्तर प्रदेश	ऐटा
146	उत्तर प्रदेश	फर्रूखाबाद
147	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर
148	उत्तर प्रदेश	गोंडा
149	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर
150	उत्तर प्रदेश	हरदोई
151	उत्तर प्रदेश	जालोन
152	उत्तर प्रदेश	कौशाम्बी
153	उत्तर प्रदेश	खीरी
154	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर
155	उत्तर प्रदेश	ललितपुर
156	उत्तर प्रदेश	महाराजगंज
157	उत्तर प्रदेश	मोहाबा
158	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर
159	उत्तर प्रदेश	राय बरेली
160	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर
161	उत्तर प्रदेश	सरस्वती
162	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर
163	उत्तर प्रदेश	सीतापुर
164	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र
165	उत्तर प्रदेश	उन्नाव
166	पश्चिम बंगाल	बांकुरा
167	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाज
168	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर
169	पश्चिम बंगाल	पुरूलिया
170	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाज

अ.जा./अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार

3173. श्री मिलिन्द देवरा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च–अप्रैल 2007 में दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रौढ़ और अनुवर्ती शिक्षा विभाग द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में पता चला कि अ.जा./अ.ज.जा. के विद्यार्थी उच्च अंक पाने वाले सहपाठी से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पाते हैं तथा बीच में ही विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूरे देश के विश्वविद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा. के विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या अ.जा./अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए परामर्श सत्र एक विकल्प हो सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे शुरू करने के लिए कौन–कौन से कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा विभाग ने वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय में दाखिला के आकांक्षी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों पर एक अनौपचारिक सर्वेक्षण आयोजित किया था। उक्त सर्वेक्षण के आधार पर इस प्रकार का कोई निष्कर्ष ; ;ी निकला था।

(ग) से (ङ) शैक्षिक कौशल, समझ का स्तर तथा परीक्षाओं में अनुसूचित जति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के सम्पूर्ण प्रदर्शन में सुधार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में अवर–स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारी कोचिंग की एक विशेष स्कीम आरंभ की है। इस स्कीम के तहत आवश्यक परामर्श तथा प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि छात्र उस स्तर तक पहुंच सके जो कुशलता पूर्वक उच्चतर अध्ययन करने के लिए आवश्यक है।

जवाहर नवोदय विद्यालयों को स्थापित करना

3174. श्री गिरिधर गमांग : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज तक कितने जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए;

(ख) राजधानी में कितने ऐसे विद्यालय स्थापित करने को मंजूरी मिली है;

(ग) शेष विद्यालयों को स्थापित करने में विलंब के क्या कारण है; और

(घ) कब तक मंजूर किए गए सभी नवोदय विद्यालय स्थापित कर दिए जाएंगे?

मानव संसाधान विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में दो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं।

(ख) से (घ) नवोदय विद्यालय स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली के दो जिले अर्थात् मध्य दिल्ली तथा नई दिल्ली जवाहर नवोदय विद्यालय हेतु पात्र नहीं हैं क्योंकि इन जिलों में कोई ग्रामीण आबादी नहीं है। शेष 5 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालयों ने संस्वीकृत/स्थापित करना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा शुरूआती कुछ वर्षों में विद्यालय चलाने हेतु अस्थाई आवास के प्रावधान तथा स्थाई भवन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने सहित इससे प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों पर निर्भर करता है।

सुतारकंडी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र

3175. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुतारकंडी (करीमगंज) में खोला गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी के कारण ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) सुतारकंडी (करीमगंज) सीमा व्यापार केन्द्र में अवसंरचना संबंधी कार्य को पूर्ववर्ती निर्णायक अवसंरचना संतुलन (सी आई बी) स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात राज्यों को निर्यात अवसंरचना के विकास और संबद्ध कार्यकलापों हेतु सहायता (ए एस आई डी ई) स्कीम में सी आई बी स्कीम का विलय कर दिया गया था। (ए एस आई डी) स्कीम के राज्य संघटक से वित्तीय सहायता द्वारा यह परियोजना जारी रही थी। कार्यान्वयन अभिकरण असम औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम ने सूचित किया है कि व्यापार केन्द्र के पहले चरण का दिनांक 12.1.2007 को उद्घाटन किया गया था जबकि ऊपरी टंकी, भाण्डागार और कार्यशाला का कार्य पूरा नहीं हुआ था तथापि बाद में इनकी अत्यधिक जरूरत को देखते हुए इन्हें पूरा कर लिया गया है।

[हिन्दी]

अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों का मारा जाना

3176. श्री कीरेन रिजीजू :

श्रीमती करुणा शुक्ला :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर–पूर्वी राज्यों में अप्रभावी पुलिस तथा खुफिया नेटवर्क को देखते हुए काफी बड़ा संख्या में केन्द्रीय बल तैनात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्षेत्र की भाषा तथा भूगोल से अपरिचित होने के कारण बड़ी संख्या केन्द्रीय बलों के कार्मिकों की प्रति वर्ष हत्या कर दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो बल–वार मारे गये कार्मिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार उत्तर पूर्व राज्यों में स्थानीय पुलिस तथा खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) राज्यों में तैनाती स्तर समग्र सुरक्षा परिदृश्य और इन बलों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात बलों की संख्या समय–समय पर भिन्न–भिन्न होती है।

(ग) और (घ) रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र में भाषा और भू–भाग संबंधी ज्ञान के अभाव में केन्द्रीय सुरक्षा बलों के किसी कार्मिक की हत्या नहीं हुई है।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों, जो अपने क्षेत्रों में लोक व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं, के प्रयासों को केन्द्रीय सरकार विभिन्न उपायों से बढ़ावा देती है जैसे कि धमकी आकलन के आधार पर संवेदनशील संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान कराने तथा गहन विद्राह विरोधी अभियान चलाने के लिए राज्य प्राधिकारियों को सहायता देने, अतिरिक्त केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती करना, सीमा पर बाड़ लगाने सहित सीमा पर चौकसी एवं निगरानी करना, आसूचना भागीदारी करना, पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत स्थानीय पुलिस बलों एवं आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता देना, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करके सुरक्षा ऐपरेटस के विभिन्न पहलुओं और उग्रवाद विरोधी अभियानों के अन्य पहलुओं को सुदृढ़ करने के लिए सहायता देना, इंडिया रिजर्व बटालियनों के रूप में अतिरिक्त बलों का गठन करने के लिए राज्यों को सहायता देना शामिल है। केन्द्रीय सरकार हालात की आवधिक समीक्षा करने और सतत आधार पर यथावश्यक अन्य कदम उठाने के उद्देश्य से क्षेत्र में राज्य सरकारों के साथ सघन एवं सतत समन्वय बनाए रखे हुए हैं।

[अनुवाद]

भारतीय वस्तुओं एवं सेवाओं के संवर्धन के लिए रणनीतियां

3177. श्री रमेश बर्मन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशिष्ट क्षेत्रों में भारतीय वस्तुओं तथा सेवाओं के संवर्धन हेतु रणनीतियां तैयार करने के लिए कार्य–समूहों तथा विशेष अध्ययन समूहों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समूहों को हाल में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी; और

(घ) यदि हां, तो इन समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है तथा इससे निर्यात को कितना लाभ पहुंचेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) हाल ही में अर्थात वर्ष 2006–07 और 2007–08 के दौरान ऐसा कोई कार्य दल और विशेष अध्ययन दलों का गठन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत की रैंकिंग

3178. श्री महावीर भगोरा : क्या **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में विश्व में भारत का 17 वां स्थान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैज्ञानिक दूसरे देशों में जा रहे हैं;

(घ) भारत से बेहतर रैंकिंग वाले देशों में कितने प्रतिशत भारतीय वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) वैज्ञानिक अनुसंधान की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है/उठाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित "वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, 2007–08" के अनुसार, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों की गुणवत्ता के संबंध में भारत 22 वें स्थान पर है।

(ग) और (घ) कुछ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीवाद वित्तीय तथा शैक्षिक लाभों सहित विभिन्न कारणों से अन्य देशों में जाते हैं। परंतु, देश छोड़ने वाले ऐसे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों का केन्द्रीय रूप में कोई रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है।

(ङ) सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान की रैंकिंग के प्रोन्नयन और सुधार हेतु विभिन्न उपाय किये हैं। इन उपायों में प्रत्येक योजना में वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु अधिक आबंटन के अतिरिक्त विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान हेतु नये संस्थानों की स्थापना, उत्कृष्टता केन्द्रों और शैक्षणिक तथा राष्ट्रीय संस्थानों में उभरते और अग्रणी क्षेत्रों में सुविधाओं का सृजन, नई और आकर्षक अध्येतावृत्तियों को शामिल करना, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास हेतु अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण करना, सार्वजनिक–निजी अनुसंधान एवं विकास भागीदारी प्रोत्साहित करना, अतिविशिष्ट अनुसंधान और विकास हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

एन.ए.ए.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों के विकास हेतु अनुदान

3179. श्री बसंतराव भोरे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संस्थानों या महाविद्यालयों को स्थायी पंजीकरण देने का निर्णय लिया है जिन्होंने नेशनल एसेसमेंट एण्ड एकेडिटेशन काउन्सिल (एन.ए.ए.सी.) बंगलौर से मान्यता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन संस्थानों के विकास हेतु विशेष अनुदान मंजूर करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम की धारा 2 (घ) के तहत मान्यता प्राप्त और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 1956 की धारा 12 (ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र घोषित उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं और कालेजों को अनुदान प्रदान करता है। तथापित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रत्यायित संस्थाओं की निधियन में वृद्धि कर देता है।

[हिन्दी]

क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम

3180. श्री कैलाश मेघवाल : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र–वार क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के अंतर्गत प्रदत्त धनराशि में से व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र–वार खादी, ग्रामीण उद्योग तथा हथकरघा के विकास हेतु औद्योगिक क्लस्टर को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदान की गई तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गए विभिन्न प्रस्ताव केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर नहीं किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) (क) क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा 4:1 के अनुपात में अंशदान से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सी जी टी एम एस ई) का एक निधि संग्रह बनाया गया है। सी जी टी एम एस ई द्वारा प्राप्त गारंटी शुल्क/वार्षिक सेवा शुल्क के साथ निधि संग्रह के निवेश से अर्जित राशि अन्य बातों के साथ, योजना के तहत बकाया ऋणों के लिए एम एल आई के द्वारा अधिमानी दावों के निपटान के लिए प्रयुक्त की जाती है। इस योजना के तहत विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दावों के निटान के लिए किये गये खर्च तथा प्रस्तावों की संख्या के साथ योजना के तहत गारंटी कवर के लिए अनुमानित ऋण राशि का राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण, I और II पर दिया गया है।

(ख) खादी, ग्रामीण उद्योग एवं हस्त शिल्प के विकास के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत औद्योगिक क्लस्टरों को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई तकनीकी

सहायता का राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र–वार ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) के तहत जिसका लक्ष्य अन्य बातों के साथ खादी, ग्रामीण उद्योग एवं कॅयर क्षेत्र से संबंधित पारंपरिक औद्योगिक कलस्टरों का विकास करना है, के लिए निधि को सरकार द्वारा सीधे नोडल अभिकरणों (जैसे खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग तथा कॅयर बोर्ड) को जारी की जाती है न कि राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को। ये निधिया नोडल अभिकरणों द्वारा कार्यानवयन अभिकरणों तथा तकनीकी अभिकरणों को उनकी आवश्यकतानुसार जारी की जाती है। योजना के तहत दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नोडल अभिकरणों को सरकार द्वारा जारी कुल निधि 27.03 करोड़ रूपये है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण-I

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के तहत दावों के निपटान का राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र–वार किया गया खर्च

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2005–06	2006–07	2007–08
1	2	3	4	5
1	अंडमान एवं निकोबार	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	1.90	10.62	51.64
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
4	असम	0.00	0.00	55.18
5	बिहार	0.00	15.15	0.43
6	चंडीगढ़	0.25	0.77	28.36
7	छत्तीसगढ़	0.00	0.66	2.20
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	13.50	14.76
11	गोवा	0.30	0.00	0.00
12	गुजरात	0.00	0.00	5.10
13	हरियाणा	0.00	0.00	0.00
14	हिमाचल प्रदेश	0.00	3.09	38.60
15	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00
16	झारखंड	0.00	0.00	52.79
17	कर्नाटक	2.50	2.38	75.00
18	केरल	9.93	12.82	160.98
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	52.83	14.06	67.50
21	महाराष्ट्र	0.22	10.93	34.67
22	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
26	उड़ीसा	0.00	0.00	12.85
27	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
28	पंजाब	0.00	0.00	0.00
29	राजस्थान	0.00	0.00	0.00
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	2.15	0.00	26.47
32	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
33	उत्तर प्रदेश	5.81	30.23	101.06
34	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.92
35	पश्चिम बंगाल	0.00	5.07	12.96
	कुल	75.89	119.28	741.47

विवरण-II

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के तहत प्रस्ताव तथा गारंटी कवर के लिए संस्तुत ऋण राशि का राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र–वार किया गया खर्च

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2005–06		2006–07		2007–08	
		अनुमोदित प्रस्ताव	ऋण राशि	अनुमोदित प्रस्ताव	ऋण राशि	अनुमोदित प्रस्ताव	ऋण राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंडमान और निकोबार	2	6.30	13	25.35	9	16.78
2	आंध्र प्रदेश	1475	1685.07	3323	2610.01	1156	3465.23
3	अरुणाचल प्रदेश	22	17.10	105	110.71	31	79.03
4	असम	356	660.86	1252	2147.52	943	2543.90
5	बिहार	344	368.98	1416	2229.28	891	2182.48
6	चंडीगढ़	47	316.16	60	387.41	93	631.84
7	छत्तीसगढ़	379	1737.33	180	1328.16	333	1856.59
8	दादरा और नगर हवेली	1	12.00	4	32.28	10	145.85
9	दमन और दीव	5	17.00	8	97.50	9	79.61
10	दिल्ली	108	949.44	79	738.74	175	1456.18
11	गोवा	52	167.50	69	314.88	51	334.33
12	गुजरात	334	2775.76	816	5482.09	1295	8070.97
13	हरियाणा	451	1300.44	1085	1567.83	859	1696.32
14	हिमाचल प्रदेश	254	451.42	503	744.88	299	1021.18
15	जम्मू और कश्मीर	201	179.61	182	246.47	427	366.64
16	झारखंड	459	1250.85	232	839.58	470	2312.96
17	कर्नाटक	1649	6909.09	1748	9221.50	2340	15668.90
18	केरल	3459	4908.74	3867	5936.36	4298	8422.98
19	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20	मध्य प्रदेश	769	1892.87	1038	2491.20	1446	4101.17

1	2	3	4	5	6	7	8
21	महाराष्ट्र	518	3177.82	447	3631.50	732	6042.61
22	मणिपुर	48	59.23	24	53.76	1	1.97
23	मेघालय	12	74.55	226	541.95	66	143.23
24	मिजोरम	41	45.85	189	287.74	67	193.31
25	नागालैंड	8	10.58	44	75.58	65	139.55
26	उड़ीसा	707	1311.56	2319	3565.37	2557	3757.75
27	पांडिचेरी	26	41.04	137	179.33	81	266.98
28	पंजाब	324	1064.51	322	1457.46	620	2544.05
29	राजस्थान	230	809.72	1457	1408.12	1984	2179.79
30	सिक्किम	14	39.54	21	51.13	42	91.55
31	तमिलनाडु	1713	6193.59	3607	10782.97	5793	21319.53
32	त्रिपुरा	43	32.37	73	123.99	117	155.27
33	उत्तर प्रदेश	1055	2672.30	1109	3636.91	1539	5166.15
34	उत्तरांचल	39	129.38	106	622.24	121	830.39
35	पश्चिम बंगाल	1139	4921.14	1396	7484.23	1365	8299.44

विवरण-III

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत खादी, ग्रामीण उद्योग एवं हस्त शिल्प के विकास के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई तकनीकी सहायता का राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्लस्टर का नाम	अवस्थिति	क्लस्टर का प्रकार	तकनीकी सहायता का रूप
1.	नागालैंड	केन एवं बांस उद्योग	दीमापुर	हस्तशिल्प	साफ्ट इंटरनेशनल
2.	उड़ीसा	काष्ठ के खिलौने एवं हस्तशिल्प	कालाहांडी	हस्तशिल्प	डायग्नोस्टिक स्टडी
3.	तमिलनाडु	अगरबत्ती	बेलौर	हस्तशिल्प	डायग्नोस्टिक स्टडी
4.	त्रिपुरा	बांस एवं अगरबत्ती स्टिक्स	बागबाशा	हस्तशिल्प	डायग्नोस्टिक स्टडी
5.	त्रिपुरा	पेपर बैग	सुभाष नगर अगरतला सिटी	खादी	डायग्नोस्टिक स्टडी

[अनुवाद]

'इग्नूज' की स्थापना

3181. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी के लिए सार्वभौमिक प्राथमिकी शिक्षा की सरकारी योजना के 'उच्चतर शिक्षा' में उन्नयन के साथ सरकार ने उत्तर–पूर्व में तीन और 'इग्नूज' संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर–पूर्व क्षेत्र में 'इग्नूज' का नेटवर्क किस प्रकार का होगा; और

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत क्या होगी तथा इसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) इग्नू ने सूचित किया है कि उसने योजना अवधि के दौरान 35,00 करोड़ रूपये की परियोजना लागत से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों की विभिन्न शैक्षिक तथा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीन केन्द्र मुख्यतः मुक्त दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्यापक व्यवसायिक क्षमता सुधार संस्थान, राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान, और पूर्वोत्तर अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

अन्य देशों के साथ व्यापार संबंध

3182. श्री सुव्रत बोस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार किन–किन देशों के भारत के साथ व्यापार संबंध हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज तक प्रत्येक देश से किए गए आयात तथा उसको किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न देशों के साथ व्यापार संबंध को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) निर्यातित एवं आयातित वस्तुओं का देशवार ब्यौरा और उनका मूल्य एवं मात्रा वाणिज्य विभाग की वेबसाइट www.commerce.gov.in पर दी गई है।

(ग) व्यापार मेलों में भागीदारियों को सुकर बनाकर, क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित करके, संयुक्त व्यापार समितियों, संयुक्त व्यवसाय परिषदों आदि की स्थापना करके और देश–विशिष्ट निर्यातों हेतु कार्यनीतियां तैयार करके भारतीय उत्पादों के निर्यातों का संवर्धन करने के लिए सरकार द्वारा संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं।

डिसइम्बारकेशन तथा इम्बारकेशन कार्डों का प्रतिस्थापन

3183. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास मौजूदा डिसइम्बारकेशन तथा इम्बारकेशन कार्डों के स्थान पर नए कार्ड देने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) नए कार्ड कब तक दे दिए जायेंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) विदेशियों का पंजीकरण नियम, 1992 में संशोधन करते हुए 'विदेशियों का पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2008 भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 28.03.2008 की सा.का.नि.सं. 237 (अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे। इस अधिसूचना के अनुसार प्रपत्र 'घ' के अंतर्गत यात्रियों के लिये आगमन एवं प्रस्थान कार्ड में प्रविष्टियों को आशोधित किया गया है।

(ख) इस अधिसूचना के अनुसार यात्रियों के लिए मौजूदा आगमन कार्ड में जानकारी के निम्नलिखित अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल किया गया है :

(i) देश जहां के निवासी हैं;

(ii) एन आर आई/पी आई ओ/ओ सी आई (अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति/भारत के विदेशी नागरिक) स्थिति;

(iii) पी आई ओ/ओ सी आई कार्ड संख्या, यदि कोई है;

(iv) क्या पासपोर्ट पर ई.सी.आर. (अपेक्षित आप्रवासन जांच) मुंहर है;

(v) क्या विदेश में रोजगार प्राप्त है और यदि हां, तो वापिस आने का कारण;

(vi) वीजा का प्रकार;

(vii) प्रस्थान की सम्भावित तारीख

इसी तरह यात्रियों के लिए मौजूदा प्रस्थान खण्ड में निम्नलिखित अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल किया गया है:

(i) देश जहां के निवासी है;

(ii) एन आर आई/पी आई ओ/ओ सी आई स्टेटस;

(iii) पी आई ओ कार्ड संख्या, यदि कोई है;

(iv) क्या पासपोर्ट पर ई सी आर मुंहर लगी है; और

(v) आने का उद्देश्य।

(ग) यह संशोधित आगमन/प्रस्थान कार्ड 1 जुन, 2008 से शुरु किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

सर्वशिक्षा अभियान हेतु वित्तीय सहायता

3184. श्री रामदास आठवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान के तीव्र गति से कार्य करने की दिशा में सरकार द्वारा अपनाये जा रहे प्रभावी उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से कोई सहायता प्राप्त हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या है जिनसे गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है तथा वे कौन-कौन से राज्य हैं जहां इसका उपयोग किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को एक निश्चित समय में प्राप्त करने के लिए मिशन रूप में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान पर किए जाने वाले व्यय का कुछ हिस्सा विदेशी निधीयन एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जाता है। डिपार्टमेंट फॉर इन्टरनेशनल डैवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, विश्व बैंक तथा यूरोपीय आयोग ने 2004-07 की अवधि के लिए 4710 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की।

[अनुवाद]

पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य से ही विश्वविद्यालय स्थापित करना

3185. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास पर्यावरण अध्ययन को समर्पित किसी विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह कहां पर स्थापित किया जाएगा; और

(ग) उक्त विश्वविद्यालय कब तक स्थापित कर दिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आत्महत्या संबंधी मामलों पर एन सी आर बी का अध्ययन

3186. श्री के. एस. राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार विभिन्न आयु समूहों में कितने पुरुषों तथा महिलाओं ने आत्महत्या की है;

(ख) क्या एनसीआरबी ने अवैध गर्भधारण के कारण हुई आत्महत्याओं का कोई राष्ट्रव्यापी अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो क्या एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मामलों की भविष्य में पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वसारा संकलित सूचना के अनुसार वर्ष 2004 से 2006 के दौरान विभिन्न आयु समूहों में की गई आत्महत्याओं की राज्य/संघ शासित वार तथा लिंग-वार संख्या क्रमशः संलग्न विवरण I, II और III में दी गयी है।

(ख) एन सी आर बी ने इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं करवाया है। अवैध गर्भ धारण के कारण आत्महत्याओं के संबंध में की गई आत्महत्याओं के संबंध में एन सी आर बी द्वारा संकलित आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2004 से 2006 के दौरान देश में अवैध गर्भधारण के कारण क्रमशः 204, 171 और 267 आत्महत्याएं की गई।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की पुनर्गठित रणनीति के अंतर्गत जिसका जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम एक संघटक है, 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ, आत्महत्या की परिकल्पना की गई है।

विवरण-I

लिंग और आयु समूह द्वारा आत्महत्याओं का राज्य/संघ शासित वार वितरण 2004

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	14 वर्ष तक			15–29 वर्ष			30–44 वर्ष			45–59 वर्ष			60 वर्ष और उससे ऊपर			कुल		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
राज्य:																			
1	आंध्र प्रदेश	95	142	237	2562	1959	4521	3448	1344	4792	2175	689	2864	802	310	1112	9082	4444	13526
2	अरुणाचल प्रदेश	1	4	5	18	13	31	24	13	37	6	0	6	1	0	0	49	30	79
3	असम	41	18	59	691	446	1137	764	296	10..	377	120	497	72	14	86	1945	894	2839
4	बिहार	16	9	25	75	59	134	76	51	127	30	14	44	15	6	21	212	139	351
5	छत्तीसगढ़	77	92	169	879	654	1533	1057	460	1517	707	225	932	266	78	344	2986	1509	4495
6	गोवा	6	5	11	73	46	119	82	31	113	44	14	58	7	6	13	212	102	314
7	गुजरात	34	29	63	988	927	1915	1037	604	1641	611	257	868	180	109	289	2850	1926	4776
8	हरियाणा	34	22	56	516	307	823	544	204	748	255	72	327	105	23	128	1454	628	2082
9	हिमाचल प्रदेश	5	4	9	77	71	148	82	42	124	54	14	68	18	4	22	236	135	371
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	27	29	56	16	29	45	8	3	11	0	0	0	51	61	112
11	झारखंड	9	4	13	72	65	137	80	70	150	61	45	106	11	0	11	233	184	417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	कर्नाटक	159	146	305	2329	1688	4017	2928	1231	4159	1862	597	2459	740	257	997	8018	3919	11937
13	केरल	48	53	101	1107	729	1836	2067	654	2721	2110	536	2646	1266	483	1749	6598	2455	9053
14	मध्य प्रदेश	109	110	219	1408	1753	3161	1202	819	2021	595	321	916	320	158	478	3634	3161	6795
15	महाराष्ट्र	87	93	180	3080	2573	5653	3738	1353	5091	2138	536	2674	860	271	1131	9903	4826	14729
16	मणिपुर	0	1	1	17	5	22	12	3	15	3	0	3	0	0	0	32	9	41
17	मेघालय	0	0	0	11	14	25	18	2	20	8	0	8	2	0	2	39	16	55
18	मिजोरम	0	0	0	29	6	35	17	1	18	7	0	7	0	0	0	53	7	60
19	नागालैंड	0	0	0	10	4	14	13	2	15	2	0	2	0	0	0	25	6	31
20	उड़ीसा	84	79	163	747	785	1532	104	496	1400	616	227	843	193	84	277	2544	1671	4215
21	पंजाब	4	14	18	186	58	244	183	39	222	04	13	117	39	5	44	516	129	645
22	राजस्थान	66	43	109	851	542	1393	931	427	1358	499	175	674	139	52	191	2486	1239	3725
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	17	9	26	13	15	28	26	18	44	56	42	98
24	तमिलनाडु	190	176	366	2020	1814	3834	2753	1555	4308	2170	1021	3191	813	327	1140	7946	4893	12839
25	त्रिपुरा	5	22	27	204	183	387	134	105	239	77	20	97	13	7	20	433	337	770
26	उत्तर प्रदेश	85	67	152	737	922	1659	647	446	1093	355	184	539	130	64	194	1954	1683	3637
27	उत्तरांचल	8	2	10	59	55	114	53	22	75	21	10	31	7	0	7	148	89	237
28	पश्चिम बंगाल	284	289	573	2355	2370	4725	2550	1936	4486	1909	916	2825	563	252	815	7661	5763	13424
कुल	(राज्य)	1447	1424	2871	21128	18077	39205	25377	12244	37621	16817	6024	22841	6587	2528	9115	71356	40297	111653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
संघ शासित:																			
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1	1	34	23	57	24	13	37	14	3	17	9	1	10	81	41	122
30	चंडीगढ़	0	0	0	23	19	42	21	2	23	7	2	9	1	0	1	52	23	75
31	दा. और नगर हवेली	0	0	0	7	12	19	6	5	11	4	1	5	3	1	4	20	19	39
32	दमन और दीव	0	0	0	1	8	9	3	0	3	1	0	1	0	0	0	5	8	13
33	दिल्ली (संघ शासित)	19	17	36	342	283	625	298	117	415	120	24	144	20	16	36	799	457	1256
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	1	4	5	82	97	179	121	65	186	102	20	122	32	15	47	338	201	539
कुल (संघ शासित)		20	22	42	489	442	931	473	202	675	248	50	298	65	33	98	1295	749	2044
कुल (अखिल भारत)		1467	1446	2913	21617	18519	40136	25850	12446	38296	17065	6074	23139	6652	2561	9213	72651	41046	113697

विवरण-II

लिंग और आयु समूह द्वारा आत्महत्याओं का राज्य/संघ शासित-वार वितरण 2005

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	14 वर्ष तक			15–29 वर्ष			30–44 वर्ष			45–59 वर्ष			60 वर्ष और उससे ऊपर			कुल		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	राज्य																		
1	आंध्र प्रदेश	143	161	304	2444	1904	4348	3178	1360	4538	2156	733	2889	944	419	1363	8865	4577	13442
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	13	10	23	28	9	37	4	1	5	4	1	5	49	21	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	असम	36	37	73	643	425	1068	791	299	1090	408	116	524	73	18	91	1951	895	2846
4	बिहार	14	5	19	123	104	227	106	77	183	70	23	93	14	7	21	327	216	543
5	छत्तीसगढ़	160	73	233	1062	742	1804	1174	465	1639	676	209	885	233	87	320	3305	1576	4881
6	गोवा	2	2	4	54	42	96	85	15	100	40	15	55	16	11	27	197	85	282
7	गुजरात	25	33	58	960	851	1831	1082	601	1683	623	259	882	192	119	311	2902	1863	4765
8	हरियाणा	28	15	43	510	257	767	608	187	795	274	76	350	73	18	91	1493	553	2046
9	हिमाचल प्रदेश	2	1	3	69	81	150	86	47	133	42	13	55	15	3	18	214	145	359
10	जम्मू और व कश्मीर	3	4	7	113	54	167	59	36	95	17	1	18	4	3	7	196	98	294
11	झारखंड	8	13	21	181	112	293	187	128	315	133	28	161	14	4	18	523	285	808
12	कर्नाटक	104	87	191	2261	1614	3875	2691	1226	3917	1952	651	2603	699	272	971	7707	3850	11557
13	केरल	46	50	96	1238	690	1928	2119	632	2751	2207	576	2783	1220	466	1686	6830	2414	9244
14	मध्य प्रदेश	83	78	161	1124	1527	2651	949	684	1633	472	212	684	223	96	319	2851	2597	5448
15	महाराष्ट्र	75	79	154	2877	2613	5490	3631	1296	4927	2101	549	2650	919	286	1205	9803	4823	14426
16	मणिपुर	0	0	0	5	2	7	17	2	19	1	0	1	0	0	0	23	4	27
17	मेघालय	3	0	3	16	13	29	14	5	19	10	2	12	7	1	8	50	21	71
18	मिजोरम	2	0	2	19	3	22	20	4	24	4	1	5	2	0	2	47	8	55
19	नागालैंड	0	0	0	4	3	7	13	3	16	4	0	4	0	0	0	21	6	27
20	उड़ीसा	58	60	118	726	686	1412	919	572	1491	618	263	881	233	73	306	2554	1654	4208
21	पंजाब	0	2	2	164	42	206	167	40	207	112	20	132	39	2	41	482	106	588
22	राजस्थान	88	50	138	932	574	1506	1125	463	1588	576	212	788	137	21	158	2858	1320	4178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23	सिक्किम	2	2	4	26	14	40	17	19	36	13	7	20	4	5	9	62	47	109
24	तमिलनाडु	147	172	319	1966	1735	3701	2707	1365	4072	1967	923	2890	720	374	1094	7507	4569	12076
25	त्रिपुरा	10	16	26	149	174	323	127	78	205	83	38	121	32	8	40	401	314	715
26	उत्तर प्रदेश	58	59	117	567	864	1431	613	473	1086	369	208	577	165	73	238	1772	1677	3449
27	उत्तरांचल	0	4	4	76	54	130	66	26	92	29	9	38	9	0	9	180	93	273
28	पश्चिम बंगाल	214	205	419	2962	2780	5742	2901	1919	4820	2008	1178	3186	529	319	848	8614	6401	15015
कुल	(राज्य)	1311	1208	2519	21304	17970	39274	25480	12031	37511	16969	6323	23292	6520	2686	9206	71584	40218	111802
संघ शासितः																			
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	3	8	15	27	42	24	8	32	25	10	35	17	5	22	86	53	139
30	चंडीगढ़	2	1	3	33	15	48	18	6	24	10	4	14	0	0	0	63	26	89
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	16	12	28	13	8	21	6	7	13	6	1	7	41	28	69
32	दमन और दीव	1	0	1	10	5	15	4	2	6	10	0	10	0	0	0	25	7	32
33	दिल्ली (संघ शासित)	8	13	21	370	281	651	264	140	404	111	26	137	24	8	32	777	468	1245
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35	पांडिचेरी	1	2	3	75	101	176	129	56	185	105	19	124	30	20	50	340	198	538
कुल (संघ शासित)		17	19	36	519	441	960	452	220	672	267	66	333	77	34	111	1332	780	2112
कुल (अखिल भारत)		1328	1227	2555	21823	18411	40234	25932	12251	38183	17236	6389	23625	6597	2720	9317	72916	40998	113914

विवरण-III

लिंग और आयु समूह द्वारा आत्महत्याओं का राज्य/संघ शासित–वार वितरण 2005

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	14 वर्ष तक			15–29 वर्ष			30–44 वर्ष			45–59 वर्ष			60 वर्ष और उससे ऊपर			कुल		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
राज्य																			
1	आंध्र प्रदेश	169	195	364	2696	1987	4683	3278	1357	4635	2032	583	2615	688	291	979	8863	4413	13276
2	अरुणाचल प्रदेश	1	3	4	28	15	43	45	12	57	21	3	24	1	0	1	96	33	129
3	असम	44	32	76	753	413	1166	853	348	1201	385	107	492	81	15	96	2116	915	3031
4	बिहार	28	24	52	123	123	246	102	129	231	35	38	73	11	5	16	299	319	618
5	छत्तीसगढ़	112	96	208	1067	775	1842	1085	428	1513	590	188	778	206	79	285	3060	1566	4626
6	गोवा	1	6	7	60	40	100	69	22	91	40	13	53	13	11	24	183	92	275
7	गुजरात	30	28	58	986	925	1911	1134	614	1748	694	298	992	204	122	326	3048	1987	5035
8	हरियाणा	25	21	46	610	252	862	701	177	878	338	71	409	92	29	121	1766	550	2316
9	हिमाचल प्रदेश	4	1	5	90	67	157	121	43	164	65	37	102	21	8	29	301	156	457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	जम्मू और कश्मीर	1	0	1	64	68	132	56	33	89	25	9	34	6	0	6	152	110	262
11	झारखंड	21	15	36	190	158	348	193	120	313	95	38	133	22	4	26	521	335	856
12	कर्नाटक	151	131	282	2307	1753	4060	2840	1325	4165	2025	690	2715	725	265	990	8048	4164	12212
13	केरल	54	60	114	1066	682	1748	1991	640	2631	2199	602	2801	1273	459	1732	6583	2443	9026
14	मध्य प्रदेश	96	83	179	1167	1559	2726	1227	890	2117	714	285	999	299	115	414	3503	2932	6435
15	महाराष्ट्र	68	85	153	3088	2683	5771	4042	1366	5408	2326	525	2851	966	325	1311	10510	4984	15494
16	मणिपुर	0	0	0	7	11	18	11	1	12	5	0	5	1	0	1	24	12	36
17	मेघालय	1	1	2	40	17	57	19	5	24	5	0	5	4	0	4	69	23	92
18	मिजोरम	0	0	0	31	5	36	22	2	24	3	3	6	4	0	4	60	10	70
19	नागालैंड	1	0	1	9	4	13	6	4	10	3	1	4	0	0	0	19	9	28
20	उड़ीसा	43	59	102	741	747	1488	870	565	1435	493	247	740	226	74	300	2373	1692	4065
21	पंजाब	11	16	27	216	79	295	211	49	260	124	16	140	48	2	50	610	162	772
22	राजस्थान	59	46	105	916	609	1525	1172	469	1641	629	186	815	134	43	177	2910	1353	4263
23	सिक्किम	4	3	7	49	26	75	31	13	44	14	1	15	0	4	4	98	47	145
24	तमिलनाडु	26	80	106	1996	1995	3991	2797	1621	4418	1935	870	2805	755	306	1061	7509	4872	12381
25	त्रिपुरा	11	11	22	145	168	313	167	118	285	78	34	112	27	6	33	428	337	765
26	उत्तर प्रदेश	65	54	119	629	737	1366	673	362	1035	276	120	396	118	65	183	1761	1338	3099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27	उत्तरांचल	0	5	5	51	77	128	70	55	125	39	13	52	13	3	16	173	153	326
28	पश्चिम बंगाल	150	184	334	3037	2998	6035	3475	1913	5388	1893	1234	3127	565	276	841	9120	6605	15725
	कुल (राज्य)	1176	1239	2415	22162	18973	41135	27261	12681	39942	17081	6212	23293	6523	2507	9030	74203	41612	115815
	संघ शासित:																		
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	1	5	21	21	42	34	10	44	25	3	28	12	2	14	96	37	133
30	चंडीगढ़	0	2	2	26	14	40	26	6	32	3	1	4	1	1	2	56	24	80
31	दादरा और नगर हवेली	0	1	1	8	8	16	5	6	11	3	2	5	7	2	9	23	19	42
32	दमन और दीव	0	3	3	7	4	11	5	1	6	1	0	1	1	0	1	14	8	22
33	दिल्ली (संघ शासित)	9	16	25	449	335	784	340	148	488	139	28	167	23	5	28	960	532	1492
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2
35	पांडिचेरी	5	8	13	84	103	187	137	38	175	93	15	108	30	13	43	349	177	526
कुल (संघ शासित)		18	31	49	595	486	1081	548	209	757	264	49	313	74	23	97	1499	798	2297
कुल (अखिल भारत)		1194	1270	2464	22757	19459	42216	27809	12890	40699	17345	6261	23606	6597	2530	9127	75702	42410	118112

जीन सीक्वेंस के पेटेंट हेतु दिशा निर्देश

3187. श्री नरहरि महतो : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जीन सीक्वेंस के पेटेंट हेतु कोई दिशा निर्देश तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे भारत को व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए कतिपय जीव वैज्ञानिक सामग्रियों का उपयोग करने से अन्य देशों को रोकने में किस तरह सहायता मिलने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जीन सीक्वेंस सहित प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में पेटेंट की जांच तथा प्रदान करने हेतु प्रक्रिया समय–समय पर यथा संशोधित पेटेंट अधिनियम, 1970 तथा पेटेंट नियमावली, 2003 के उपबंधों द्वारा नियमित होती है।

(ग) जैविक सामग्री तथा संसाधनों क, दुरुपयोग तथा अपयोजन रोकने के लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 तथा पेटेंट अधिनियम, 1970 के मौजूदा उपबंधों में पर्याप्त उपबंध विद्यमान हैं।

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 का उद्देश्य देश से जैविक संसाधानों तथा संबद्ध ज्ञान तक पहुंच नियमित करने पर होता है ताकि उनके उपयोग से मिलने वाले लाभों को बराबर हिस्से में ग्रहण करना सुनिश्चित हो सके। यह अधिनियम भारत में निकलने वाले किसी जैविक संसाधन के प्राप्त करने से पूर्व तथा भारत से प्राप्त जैविक संसाधन पर आधारित किसी बौद्धिक संपदा के लिए आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव–विविधता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन की भी व्यवस्था करता है।

पेटेंट अधिनियम, 1970 के अनुसार पौधों, जानवरों, बीजों, अनेक रूपताओं तथा परम्परागत ज्ञान को खोज नहीं माना गया है और इसलिए ये पेटेंटनीय विषय नहीं है। जैविक सामग्री के दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 10(4) (ii) (घ) जैविक सामग्री के स्रोत तथा भौगोलिक उत्पत्ति के खुलासे से अनिवार्य बनाती है जब भारत में पेटेंट हेतु आवेदन करते हुए यह किसी खोज में प्रयोग किया गया हो। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 25 तथा 64 में पेटेंट के विरोध के लिए आधार के रूप में तथा पेटेंट प्रदानगी के लिए जैविक सामग्री के स्रोत तथा भौगोलिक उत्पत्ति का खुलासा न करना अथवा गलत खुलासा करने की व्यवस्था होती है।

सीमा विवाद

3188. श्री पुएल ओराम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने हेतु राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा और झारखंड सहित राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सकील अहमद) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) **महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल**

कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद, महाराष्ट्र में कर्नाटक से सटे हुए कन्नड भाषी क्षेत्रों को कर्नाटक में स्थानांतरित करने के कर्नाटक के दावे और कर्नाटक में मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में स्थानांतरित करने के महाराष्ट्र के दावे से संबंधित है। कर्नाटक ने केरल के कसरगोड के तालुका का भी दावा किया है। यह विवाद 1956 से चला आ रहा है। केरल ने कर्नाटक का दावा स्वीकार नहीं किया है। सीमा विवाद हल करने की दृष्टि से संघ सरकार द्वारा गठित महाजन आयोग की सिफारिशों पर महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने परस्पर विरोधी रुख अपनाया हुआ है।

पंजाब-हरियाणा

पंजाब और हरयिाणा के बीच विवाद 1966 से चला आ रहा है। यह विवाद चंडीगढ़ को पंजाब में और पंजाब की फजिल्का तहसील के एक भाग को हरियाणा में स्थानांतरित किए जाने के बारे में है।

असम-नागालैंड

असम सरकार ने जमीनी आधार पर अपनी सीमाओं के सीमांकन के लिए संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में एक मूल मामला दायर किया है। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 25.9.2006 के अपने निर्णय में, असम और नागालैंड के बीच सीमा की पहचान हेतु एक स्थानीय आयोग की नियुक्ति की है। स्थानीय आयोग निरन्तर सुनवाई कर रहा है।

असम-अरुणाचल प्रदेश

असम सरकार ने जमीनी आधार पर अपनी सीमाओं के सीमांकन के लिए संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय

में एक मूल मामला दयार किया है। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 25.9.2006 के अपने निर्णय में, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा की पहचान हेतु एक स्थानीय आयोग की नियुक्ति की है। स्थानीय आयोग निरन्तर सुनवाई कर रहा है।

असम-मेघालय

असम और मेघालय के बीच कुछ सीमा विवाद है। केन्द्र सरकार ने आपसी समझ के जरिए मामले को निपटाने के लिए समय-समय पर दोनों राज्य सरकारों को सलाह दी है।

असम-मिजोरम

मिजोरम सरकार ने असम-मिजोरम सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अलग सीमा आयोग गठित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। केन्द्र सरकार ने इस संबंध असम राज्य सरकार से टिप्पणी मांगी है।

(ग) केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के सीमा विवादों के समाधान हेतु समय-समय पर प्रयास किए हैं हालांकि अनिवार्य रूप से यह संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है कि वे अपने विवादों को विचार-विमर्श और आपसी समायोजन से सुलझाएं। केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल सीमा विवाद के समाधान हेतु अक्तूबर 1966 में महाजन आयोग का गठन किया था। चंडीगढ़ की एवज में हरियाणा को दिए जाने वाले पंजाब के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अभी तक तीन आयोगों की नियुक्ति की जा चुकी है। भारत सरकार ने विगत में असम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद के समाधान के लिए प्रयास किए हैं लेकिन सभी प्रयास असफल रहे हैं। उड़ीसा, झारखंड अथवा आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने सीमा विवाद के निपटारे के लिए केन्द्र सरकार से सम्पर्क नहीं किया है।

उद्योग विहीन जिले

3189. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में 'उद्योग विहीन जिले' घोषित करने हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक पहचान किए गए ऐसे जिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ख) जी, नहीं। तथापि अतीत में विभिन्न अध्ययनों ने देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने की मांग की है। अभी हाल ही में औद्योगिक पिछड़ेपन के विशिष्ट मामलों के जिलों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से अन्तःमंत्रालयीय बैठकें आयोजित की गई हैं और उपलब्ध संगत आंकड़ों का विभिन्न जिलों में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों का समाधान करने के उद्देश्य से ठोस नीतिगत निर्णयों को अंतिम रूप देने व उन्हें क्रियान्वयन करने के लिए विश्लेषण किया जा रहा है।

(ग) वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् निवेश के निर्णय उद्यमियों की व्यावसायिक समझ पर छोड़ दिये गये हैं। सरकार की भूमिका नियंत्रण से बदलकर विलंबों को दूर कर अनिवार्य प्रक्रियाओं को पूर्णतः पारदर्शी बनाते हुए सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करने की कर दी गई है। पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए पहल प्राथमिक रूप से राज्य सरकरों की होती है। संघ सरकार विभिन्न स्कीमों के जरिये उनके प्रयासों में मदद करती है। ये योजनाएं पिछड़े क्षेत्रों को पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उद्योगों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं है, जिनमें से कुछ इस विभाग द्वारा क्रियान्वयनाधीन विशिष्ट क्षेत्रों पर केन्द्रित है:-

(i) विकास केन्द्र योजना

(ii) औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस)

(iii) परिवहन राजसहायता योजना

(iv) पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति, 2007, (एनईआई आईपीपी) तथा

(v) विशेष श्रेणी राज्यों के लिए नई औद्योगिक नीति एवं अन्य रियायतें।

साम्प्रदायिक सौहार्द संवर्धन

3190. श्री प्रतीक पी. पाटील : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान ने वर्ष 2007 के दौरान आज तक पुलिस अधिकारियों के प्रभावी ढंग से संवेदनशील बनाने हेतु सेमिनार का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आयोजित सेमिनारों की कुल संख्या कितनी है और इनमें किन मुद्दों पर चर्चा की गयी तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) साम्प्रदायिक हिंसा के कारण अनाथ व बेसहारा हुए बच्चों

की कुल संख्या कितनी है तथा उक्त अवधि के दौरान प्रतिष्ठान द्वारा राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द संवर्धन हेतु कुल कितने व्यक्तियों को कबीर पुरस्कार दिए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। वर्ष 2007 के दौरान राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सदभाव प्रतिष्ठान (एन एफ सी एच) द्वारा दो सेमिनार आयोजित किए गए हैं। सेमिनार में मुख्य जोर साम्प्रदायिक सदभावना और राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन में पुलिस अधिकारियों को कारगर तरीके से सुविज्ञ बनाने पर था। सेमिनार में यह भी चर्चा की गई थी कि पुलिस साम्प्रदायिक सदभावना के लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित करके साम्प्रदायिक सदभावना को प्रोत्साहित कर सकती है तथा त्वरित जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और अभियोजन आदि के जरिए साम्प्रदायिक दुर्भावना की समस्याओं को हल करने के लिए संबंधित कानूनों को कारगर ढंग से लागू कर सकती है। इस पर जोर दिया गया है कि पुलिस एक साथ रहने वाले विभिन्न सम्प्रदाय के व्यक्तियों के मस्तिष्क से अज्ञानता, पूर्वाग्रह और भय को दूर कर सकती है, प्रतिष्ठित सदस्यों, शांति समितियों, प्रतिष्ठित, संगठनों, मीडिया व्यक्तियों आदि की अंतर साम्प्रदायिक बैठकें आयोजित करके उनको विश्वास में ले सकती है। सेमिनार में भाग लेने वालों की राय थी कि अपने व्यक्तिगत विश्वास की परवाह किए बिना प्रत्येक पुलिस कार्मिक को नागरिक और पुलिस के बीच आत्म विश्वास स्थापित करने के लिए पूरी तरह न्यायपूर्ण और समान तरीके से व्यवहार करना चाहिए। इस पर पुनः बल दिया गया है अनेकवादी, बहु-धार्मिक, बहु-जातीय, बहु-भाषाई और बहु-सांस्कृतिक समाज में, सौहार्दपूर्ण संबंध के प्रोत्साहन और अनुरक्षण में सार्वजनिक भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निकट पुलिस-जनता संबंध महत्वपूर्ण है। वक्ताओं ने बल दिया कि सभी स्तरों पर पुलिस अधिकारियों हेतु शुरुआती और सेना-मध्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में साम्प्रदायिक सदभावना संबंधी विशिष्ट माडयूलों को शामिल किया जाना चाहिए।

(ग) एन एफ सी एच ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो कि जातीय, साम्प्रदायिक, वर्गीय अथवा आतंकवादी हिंसा में अनाथ/निराश्रित हो गए हों तथा जिनकी सहायता के मामलों को अपेक्षित दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टरों द्वारा एन एफ सी एच को भेजा गया है। एन एफ सी एच द्वारा साम्प्रदायिक हिंसा में अनाथ/निराश्रय हुए बच्चों की संख्या के संबंध में अलग से सूचना नहीं रखी जाती। वर्ष 2007-08 के दौरान जातीय, साम्प्रदायिक, वर्गीय अथवा आतंकवादी हिंसा, द्वारा प्रभावित विभिन्न राज्यों के 4429 बच्चों को 4,93,99,850 रुपए की कुल सहायता जारी की गई थी।

(घ) वर्ष 2007 के दौरान साम्प्रदायिक सदभावना के प्रोत्साहन हेतु कबीर पुरस्कार हेतु एक व्यक्ति का चयन किया गया है। वर्ष 2007 में राम बाबू सिंह चौहान को वर्ष 2006 का कबीर पुरस्कार प्रदान किया गया था।

अर्द्ध सैनिक बलों में हताहत कर्मियों की संख्या

3191. श्री सुभाष महरिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अर्द्ध-सैनिक बलों में हताहतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अक्षम राइफल्स सहित बल-वार पीड़ितों/उनके आश्रितों को कितनी मुआवजा राशि दी गयी है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) ब्यौरा निम्नवत् है:-

बल	वर्ष	कार्रवाई के दौरान /ड्यूटी पर हताहत	प्रदत्त मुआवजा
1	2	3	4
सी आर पी एफ	2005	104	कार्रवाई के दौरान मारे गए कार्मिक के मामले में 7.50 लाख रुपए और आकस्मिक मौत में मारे गए कार्मिक के मामले में 5 लाख रुपए की दर से अनुग्रह राशि का भुगतान पीड़ित के निकट संबंधी/उनके आश्रितों को आई टी बी पी के 2 मामलों और सी आर पी एफ के 40 मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों में भुगतान कर दिया गया है।
	2006	79	
	2007	94	
बी एस एफ	2005	109	
	2006	119	
	2007	177	
सी आई एस एफ	2005	14	

1	2	3	4
	2006	17	
	2007	4	
आई टी बी पी	2005	30	
	2006	14	
	2007	14	
एस एस बी	2005	08	
	2006	12	
	2007	15	
ए आर	2005	34	
	2006	33	
	2007	21	

* इसमें ए आर पर प्रतिनियुक्ति वाले 3 सेना अधिकारी शामिल हैं (2 वर्ष 2005 और 1 वर्ष 2007 में)।

(ग) हताहतों से बचने के लिए जंगल युद्ध हथियारों और युक्ति आदि में विशेष रूप से बलों के प्रशिक्षण के सुधार के लिए ठोस प्रयास किए जाते हैं। टुकड़ियों को उच्च तकनीकी उपकरण जैसे नाईट विजन डिवाइस, थर्मल इमेजर्स, स्पोटर स्कोपस, आधुनिक हथियार, बुलैट प्रुफ जैकेट तथा पटका आदि उपलब्ध कराए गए हैं। घटनाओं और अन्य जानकारियों से प्राप्त अनुभव के आधार पर मानक परिचालन प्रक्रियाओं को भी निरंतर उन्नतन किया जाता है।

उच्च न्यायालयों को सुरक्षा

3192. श्री के. सी. पलनाडी स्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में सभी उच्च न्यायालयों को सीआईएसएफ सुरक्षा प्रदान कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। उच्च न्यायालयों की सुरक्षा संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र की पुलिस द्वारा की जाती है।

मदरसों के लिए अनुदान

3193. श्री अरुण कुमार शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को असम सरकार से मान्यताप्राप्त हाई स्कूलों तथा मदरसों के शिक्षकों के वेतन के लिए 250 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अनुदान हेतु एक प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सौगत राय) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, असम के मुख्यमंत्री ने एक पत्र भेजा है जिसमें मान्यताप्राप्त (उच्चतर) हाई स्कूलों तथा उच्च मदरसा शिक्षकों हेतु 250.00 करोड़ रू. की राशि जारी करने का अनुरोध किया गया है। असम राज्य में मदरसों हेतु सहायता केवल मदरसा आधुनिकीकरण की मौजूदा स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ पुलिस बल का आधुनिकीकरण

3194. श्री विष्णु देव साय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007-08 के दौरान छत्तीसगढ़ में पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु केन्द्र केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी राशि स्वीकृत व जारी की गयी है;

(ख) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सली समस्या को मद्देनजर पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु राज्य को अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अपेक्षित धनराशि कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम (एम पी एफ स्कीम) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 25.00 करोड़ रुपए के केन्द्रीय आवंटन में से, वर्ष 2005–06 तक के विगत वर्षों से संबंधित 2.53 करोड़ रुपए की खर्च न की गई और राज्य सरकार के पास उपयोग न की गई बकाया राशि को कम करने के पश्चात राज्य को इस अवधि के दौरान 22.47 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(ख) से (घ) वर्ष 2007–08 के दौरान एम पी एफ स्कीम के अंतर्गत सामान्य आबंटन के अलावा, नक्सली समस्या द्वारा थोपी गई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य को पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु 19.25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की गई है।

[अनुवाद]

बाल दुर्व्यापार

3195. श्री अनिताभ नन्दी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का इस्तेमाल एशिया में बाल दुर्व्यापार करने के रास्ते के तौर पर किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ऐसे क्रियाकलापों में भारत के इस्तेमाल को रोकने के लिए कौन से उपचरात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि, सरकार ने सीमा से दुर्व्यापार को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। वेश्यावृत्ति हेतु महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने और उसका शमन करने हेतु दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) अभिसमय के कार्यान्वयन हेतु एक क्षेत्रीय कार्य बल का गठन किया गया है तथा स्टेण्डर्ड ऑपरेशन प्रोसिजर (एसओपी) का एक मसौदा, सीमा पार दुर्व्यापार के पहलुओं को कवर करने वाले सदस्य राज्यों के बीच परिचालित किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने सीमापार दुर्व्यापार से संबंधित मामलों में बंगलादेश के नोडल अधिकारी के साथ तालमेल हेतु एक नोडल अधिकारी को नामित किया है।

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आवक की जांच

3196. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मामले की जांच करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा दिए गए सुझाव के पश्चात् प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवक की जांच की जा रही है, जैसा कि दिनांक 20 दिसंबर, 2007 के "इकोनामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो मामले की जांच कर रही एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की नीति विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तातरण या निर्गम) नियमावली, 2000 में शामिल की गई है, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत अधिसूचित की गई थी। फेमा विनियमावली, 2000 की धारा 5 (1) के अनुसार भारत से बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति या भारत से बाहर निगमित कोई कंपनी, जो पाकिस्तान का नागरिक न हो या पाकिस्तान की कंपनी न हो, एफडीआई स्कीम के तहत किसी भारतीय कंपनी के शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचर खरीद सकती है। अधिनियम की धारा 13 में अधिनियम या नियमावली/ विनियमावली के उपबंधों का उल्लघंन करने पर अधिनिर्णय के पश्चात जुर्माना लगाने की व्यवस्था है।

(ग) से (ङ) वर्तमान नीति के अनुसार, स्वतः मार्ग के तहत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। सरकार के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा वाले प्रस्तावों पर एक अंतर्मंत्रलयी निकाय, विदेशी संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा विचार किया जाता है, जो सुरक्षा के मुद्दों सहित सभी बातों को ध्यान में रखता है। एफडीआई की समीक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की सभी चिंताओं पर सरकार द्वारा निरंतर रूप से उचित ध्यान दिया जा रहा है।

भारत में शैक्षिक संस्थाएं

3197. श्री अजीत जोगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र–वार निजी शैक्षिक संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या कितनी है;

(ग) देश में शिक्षा प्रदान करने के नाम पर धर्मान्तरण कार्य में लिप्त शैक्षिक संस्थाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) अब तक प्रकाश में आए धर्मान्तरण के ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "2005–2006 के चयनित शैक्षिक आंकड़ों का सार" के अनुसार सहायता प्राप्त निजी और सहायता रहित निजी शैक्षिक संस्थाओं का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इन शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों का ब्यौरा मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ग) ऐसे किसी मामले की मंत्रालय को जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सहायता प्राप्त निजी और सहायता रहित निजी शिक्षण संस्थाओं का ब्यौरा

(आंकड़े संख्या में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्री–डिग्री/ जूनियर कॉलेज/उच्च माध्यमिक स्कूल		उच्च/उच्चतर बुनियादी स्कूल		मिडिल/वरिष्ठ बुनियादी स्कूल		प्राथमिक/कनिष्ठ बुनियादी स्कूल		पूर्व प्राथमिक/ पूर्व बुनियादी स्कूल	
		निजी सहायता प्राप्त	निजी गैर सहायता प्राप्त	निजी सहायता प्राप्त	निजी गैर सहायता प्राप्त	निजी सहायता प्राप्त	निजी गैर सहायता प्राप्त	निजी सहायता प्राप्त	निजी गैर सहायता प्राप्त	निजी सहायता प्राप्त	निजी गैर सहायता प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	473	2548	830	5096	430	4754	2274	5202	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	4	17	20	5	58	2	114	0	21
3.	असम	25	80	659	1324	0	2524	0	0	44	0
4.	बिहार	5	9	48	58	59	10	17	8	0	0
5.	छत्तीसगढ़	109	801	13	752	104	1532	245	1607	9	801
6.	गोवा	67	0	262	10	11	1	36	69	0	0
7.	गुजरात	1812	457	3304	1510	369	4695	267	3408	946	2552
8.	हरियाणा	160	778	48	1504	2	741	167	3043	0	6
9.	हिमाचल प्रदेश	0	218	0	324	8	284	5	631	0	0
10.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	1	43	108	79	217	32	366	45	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	कर्नाटक	531	1139	2599	3140	2375	4888	455	2465	0	0
13.	केरल	657	692	1410	683	1852	220	3934	277	0	0
14.	मध्य प्रदेश	287	1856	42	2066	370	10470	961	12594	0	0
15.	महाराष्ट्र	3736	312	10005	3332	2403	1412	2818	2122	2208	4857
16.	मणिपुर	0	63	102	301	94	430	408	142	0	0
17.	मेघालय	40	18	388	166	980	723	2475	837	0	0
18.	मिजोरम	7	49	19	275	90	308	52	382	0	0
19.	नागालैंड	42	0	213	0	0	210	0	215	0	0
20.	उड़ीसा	233	1006	1616	2008	605	1822	291	1536	0	0
21.	पंजाब	171	146	342	0	31	104	73	844		0
22.	राजस्थान	180	1343	27	3768	227	12422	267	4202	1	0
23.	सिक्किम	3	3	1	16		59	0	230	4	308
24.	तमिलनाडु	1091	1656	625	2295	1716	0	5255	4622	0	0
25.	त्रिपुरा	32	8	9	18	6	13	11	16	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	2810	4669	2029	3528	4191	12373	3392	9316	26	10
27.	उत्तराखंड	222	127	51	178	227	1012	0	3008	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	3605	157	4645	192	1214	14	0	0	0	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	2	0	3	0	11	0	15	0	21
30.	चंडीगढ़	1	17	6	19	0	5	0	9	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली		3	0	6	4	2	13	1	0	0
32.	दमन और दीव	1	1	5	1		2	0	5	0	9
33.	दिल्ली	160	391	29	243	28	524	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप			0				0		0	0
35.	पुडुचेरी	7	29	23	59	1	54	3	79	0	246
	भारत	16475	18625	29475	32974	17619	61709	23787	57044	3238	8825

[अनुवाद]

जिनेवा कनवेन्शन, 1949 के प्रोटोकाल की जांच

3198. श्री नन्द कुमार साय :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केन्द्र सरकार से जिनेवा कन्वेन्शन, 1949 के 1977 प्रोटोकाल की जांच करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कब तक अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) जी, हां श्रीमान। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय 1977 के अतिरिक्त प्रोटोकाल से संबंधित वास्तविक समस्याओं की गहन जांच करने के लिए भारत सरकार की अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ परामर्श करके जिनेवा कन्वेन्शन, 1949 के 1977 प्रोटोकाल की निरन्तर जांच करता है। इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी सरकार के सम्पर्क में है।

इस संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण समस्याओं का गहराई से विश्लेषण आवश्यक है। इसमें न केवल अन्तर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून शामिल है परन्तु सीमा–पार आतंकवाद और आतंरिक विद्रोह से उठने वाली भारत सरकार की सुरक्षा चिन्ताएं भी शामिल है।

उक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए, इस समस्या पर सरकार में परामर्श की प्रक्रिया के पूरा होने के लिए कोई निश्चित समय सीमा विनिर्दिष्ट करना सम्भव नहीं है।

चीनी अभियंताओं को राजस्थान में काम करने की अनुमति देना

3199. श्रीमती जयाप्रदा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय आप्रवासन कानूनों का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान भारत सीमा के निकट राजस्थान प्रतिबंधित क्षेत्र में चीनी अभियंताओं को काम करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन अभियंताओं को अनुमति देने से पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा पहलुओं पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो विचार–विमर्श का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) राष्ट्रीय सुरक्षा पहलुओं पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (च) भारत सरकार ने राजस्थान के संरक्षित क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे थर्मल पावर प्लांट के कार्यस्थल का दौरा करने और वहां कार्य करने की सासत चीनी राष्ट्रिकों को अनुमति देने के राजस्थान सरकार के निर्णय का अनुसमर्थन किया है। यह अनुसमर्थन सम्बंधित सुरक्षा एजेन्सियों से अपेक्षित क्लीयरेन्स प्राप्त करने के पश्चात राजस्थान राज्य सरकार की अनुशंसा पर किया गया है। विदेशियों को प्रतिबंधित/संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने की अनुमति से पहले एक सुरक्षा जांच की जाती है।

समुद्र में द्वीपों का जलमग्न होना

3200. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में समुद्र तल के ऊपर उठने के कारण देश के कई द्वीप समूह समुद्र में जलमग्न हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वैश्विक तापन के कारण कई और ऐसे द्वीप समूहों के जलमग्न होने का खतरा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध मं कोलकता स्कूल ऑफ ओसियनोग्राफी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट का अध्ययन किया है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी नहीं।

सुदंस्वन डेल्टा प्रणाली के भारतीय क्षेत्र के दो द्वीपों अर्थात लोहाचरा (बसा हुआ) तथा सुपारीभांगा (न बसा हुआ) के जलमग्न होने की रिपोर्ट मिली है। एक अन्य द्वीप घोरामारा का 41% भू क्षेत्र वर्ष 1970–2000 के बीच डूब गया है। इस प्रकार जलमग्न होने का कारण

वैश्विक तापमान का बढ़ना नहीं है, क्योंकि समुद्र तल में रिकॉर्ड की गई वृद्धि (औसतन 1.29 मिमी./वर्ष) नगण्य है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (च) जी नहीं। परन्तु, समुद्र–विज्ञानी अध्ययन विद्यालय जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता द्वारा मार्च 2003 में विनरॉक इंटरनेशनल इंडिया को "जलवायु परिवर्तन परिदृश्य में परिवर्तनीयता का मूल्यांकनः परिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील सुन्दरवन द्वीप प्रणाली, पश्चिम बंगाल पर प्रयोगिक अध्ययन" नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

[हिन्दी]

जाली बीजा के मामले

3201. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर दिल्ली में बीजा रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है जैसा कि दिनांक 2 फरवारी, 2008 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आज तक बीजा रैकेट के कुल कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) देश में ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

मदरसों में डिग्री

3202. श्री शफीकुर्रहमान बर्क : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उच्च शैक्षिक संस्थाएं मदरसों से प्राप्त डिग्रियों को मान्यता नहीं दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उच्च शिक्षा हेतु संस्थाओं को मदरसो से संबद्ध करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोहनपाल अली अंसारुल कातमी) : (क) से (ग) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय और जामिया हमदर्द मदरसों से निकले हुए विद्यार्थियों को विभिन्न अवर स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला देते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कहा गया है कि वह भारतीय विश्वविद्यालय संघ से परामर्श करके विशेषज्ञों का एक समूह गठित करे ताकि उच्चतर शिक्षा में दाखिलों के प्रयोजनार्थ मदरसों द्वारा दी गई डिग्रियों के बारे में एक राष्ट्र स्तरीय समानता तंत्र विकसित किया जा सके।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा के लिए अनुदान

3203. डा0 सत्यनारायण जटिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वर्ष 2004–05 से आज की तारीख तक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु परियोजना वार कितने अनुदान की मांग की गई;

(ख) वर्ष 2004–05 से लेकर प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में अनुमोदित की जा चुकी और लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश में किन–किन स्थानों पर एकेडमी स्टॉफ कालेज की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और

(घ) उक्त कालेजों को शुरू करने के संबंध में क्या कार्य योजना है और इस संबंध में क्या वित्तीय प्रावधान किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य सरकार को अनुदान नहीं प्रदान करता है। तथापि, आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1056 के प्रावधानों के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र विश्वविद्यालयों एवं कालेजों को अनुदान प्रदान करता है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार, चार विश्वविद्यालयों, नामतः शिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, विक्रम, विश्वविद्यालय, उज्जैन, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (जिला सतना) और बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 'एकेडमिक स्टाफ कालेज' की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजा है। विश्वविद्यालय आयोग ने इन चार विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव पर दिनांक 18.12.2005 को विचार किया। तथापि, आयोग ने इन प्रस्तावों को अनुमोदन नहीं प्रदान किया।

इसके अतिरिक्त, इस समय देश में 75 'एकेडमिक स्टाफ कालेज' कार्य कर रहे हैं। जिसमें से चार 'एकेडमिक स्टाफ कालेज' मध्य प्रदेश राज्य में हैं। माध्यम प्रदेश के इन 'एकेडमिक स्टाफ कालेजों' को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों की स्थिति (एकेडमिक स्टाफ कॉलेज–वार एवं वर्ष–वार) इस प्रकार से है;

(लाख रुपये में)

ऐकेडमिक स्टाफ कॉलेज का नाम	दिया गया अनुदान			
	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (मध्य प्रदेश)	–	40.00	72.00	50.00
डा. एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय, सागर	15.00	25.00	–	50.00
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	35.00	–	30.00	50.00
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, (मध्य प्रदेश)	27.00	25.00	–	50.00
कुल	77.00	90.00	102.00	220.00

उद्योगों के विकास हेतु कार्यक्रम

3204. श्री धावरचन्द गेहलोत : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा देश में उद्योगों के विकास, संरक्षण और प्रोत्साहन हेतु गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को जिन योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश से औद्योगिक कार्यकलापों हेतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने हेतु प्राप्त उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र सरकार के पास स्वीकृत हेतु लंबित हैं;

(ग) ये प्रस्ताव कितने समय से लंबित है और उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत स्टाफ

3205. श्री पुष्प जैन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत स्टॉफ की नियुक्ति हेतु क्या मानक निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक श्रेणी हेतु वेतन निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(ख) योजना को बन्द करने के बाद अध्यापकों और स्टॉफ का क्या भविष्य है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान की अवसंरचना के अंतर्गत, राज्य सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में कार्यक्रम प्रबंधन कर्मचारियों की नियुक्ति संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नियमों तथा विनियमों के अनुसार अनुबंध/प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाती है। कार्यक्रम के पद कार्यक्रम की अवधि और आवश्यकता के अनुसार होते हैं।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां

3206. श्री रामलखन सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के सहयोग से कौन–कौन सी औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं;

(ख) अनुदान प्राप्त करने के बाद कौन–कौन सी इकाइयां बंद कर दी गई हैं अथवा उन्होंने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी इकाइयों के विरुद्ध की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग के साथ कार्य कर रही औद्योगिक एककों से संबंधित रिकार्ड केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है। तथापित, जनवरी, 2003 से फरवारी, 2008 के दौरान औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन के रूप में 764 औद्योगिक निवेश आशय पत्र दायर किए गए, आशय पत्र/प्रत्यक्ष

औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए। यह 65601 करोड़ रूपये के प्रस्तावित निवेश के साथ मध्य प्रदेश राज्य के लिए रिकार्ड किया गया है।

(ख) श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 2003 से 2007 के दौरान औद्योगिक एकक का स्थायी रूप से बन्द होने का कोई भी मामला मध्य प्रदेश राज्य ने सूचित नहीं किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर केन्द्र

3207. श्री अबु अशीश मंडल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर (एलपीटी) केन्द्रों को बंद करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर (एच.पी.टी.) लगाए जाने के परिणामस्वरूप, जो निम्न शक्ति वाले ट्रांसमीटर, एच. पी. टी. के कवरेज जोन के अंतर्गत आते हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है क्योंकि इस क्षेत्र की आवश्यकताओं की पर्याप्त रूप से पूर्ति हो रही है। पश्चिमी बंगाल के रानाघाट और कलना नामक स्थानों पर लगे हुए दो निम्न शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को फिलहाल बंद किए जाने की परिकल्पना की गई है क्योंकि इनके द्वारा कवर किए गए क्षेत्र के कृष्णानगर के समीपस्थ एच.पी.टी द्वारा पर्याप्त रूप से कवर किया जाता है।

[हिन्दी]

सेज पर संसद सदस्यों के पैनल की रिपोर्ट

3208. श्री वी. के. दुग्गर :

श्री तुकाराम गणपतराव् रेंगे पाटील :

क्या वाणिज्य राज्य उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों के एक पैनल ने विशेष आर्थिक (सेज) के संबंध में सरकार को एक रिपोर्ट दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या सेज स्थापित करने संबंधी मानको का कड़ाई से पालन नहीं किया गया जिनके परिणामस्वरूप उपजाऊ कृषि भूमि को कम मूल्य पर खरीदकर उसे उद्योगपतियों को दे दिया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने मानकों का पालन न करने हेतु जिम्मेदारी निर्धारित की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी हां।

(ख) समिति की सिफारिशें मुख्यतः एस ई जेड प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग; भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 एवं पुनः स्थापना एवं पुनर्वास नीति में संशोधन; एस ई जेड में संसाधन एवं गैर संसाधन क्षेत्र; आई टी क्षेत्र के लिए कर अवकाश का विस्तार; एस ई जेड से संबंधित अधिशासी मुद्दों; सामाजिक अवसंरचना से संबंधित मुद्दों; राजकोषीय रियायतों संबंधी मुद्दों; एस ई जेड में सीमाशुल्क स्टाफ में वृद्धि और नव अधिसूचित एस ई जेडों के लिए पदों का सृजन; एस ई जेड के निष्पादन के मूल्यांकन और एस ई जेड में श्रम कानून को क्षीण न करने से संबंधित हैं।

(ग) से (छ) भूमि/भूमि का उपयोग राज्य का विषय है और प्रत्येक राज्य अपनी–अपनी नीति के अनुसार विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूमि का अधिग्रहण करता है। विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेडों) के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि भूमि अधिग्रहण के मामले में बेकार एवं बंजर भूमि को वरीयता दी जाए और यदि आवश्यक हो तो एस ई जेड के लिए एकल फसल कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। न्यूनतम क्षेत्र अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विशेषकर बहु–उत्पाद वाले विशेष आर्थिक जोनों के लिए मजबूरीवश यदि द्विफसली कृषि के एक भाग का अधिग्रहण करना पड़े तो यह एस ई जेड के लिए कुल अपेक्षित भूमि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई कि अनुमोदन बोर्ड एस ई जेड के लिए किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा यदि राज्य सरकारों ने एस ई जेड के लिए अनिवार्य रूप से भूमि अधिग्रहण 5 अप्रैल 2007 के बाद किया है अथवा करने का प्रस्ताव किया है। अनुमोदन बोर्ड द्वारा केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा जिनकी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश की जाती है।

बांग्लादेश में आतंकवादी प्रशिक्षण केन्द्र

3209. डा. चिन्ता मोहन :

श्री सुरेश सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत ने बांग्लादेशी धरती पर चल रहे 141 आतंकवादी प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची बांग्लादेश को सौंपी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उक्त सूची सौंपने के बाद इस संबंध में बांग्लादेश द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी.राधिका सेल्वी) : (क) से (घ) विभिन्न एजेंसियों/स्रोतों से उपलब्ध इनपुट/जानकारी के आधार पर ढाका में 24–27 अक्तूबर, 2007 को आयोजित डी जी, बी एस एफ और डी जी, बंगलादेश राइफल्स (बीडीआर) के महानिदेशक (डीजी) स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक के दौरान बंग्लादेश के भू–भाग में भारतीय विप्लवकारी गुटों (आई आई जी) के सदस्यों के छिपने के 114 ठिकानों की सूची दी गई थी। हालांकि, बंगलादेश के प्राधिकारियों द्वारा की गई विशिष्ट कार्रवाई की जानकारी नहीं है फिर भी 9–1 अप्रैल, 2008 को दिल्ली में आयोजित डी जी स्तर की उत्तरवर्ती बैठक में बंगलादेश पक्ष को छिपने के 117 ठिकानों की संशोधित सूची दी गई थी।

बंगलादेश सरकार ने सदैव आश्वस्त किया है कि भारत के लिए विद्रोही क्रियाकलापों को करने के लिए उनके भू–भाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस मामले पर विभिन्न स्तरों से द्विपक्षीय वार्ताओं और अन्योन्यक्रिया के दौरान नियमित रूप से उठाया जाता है।

[अनुवाद]

सुनामी चेतावनी प्रणाली

3210. डा. के. धनराजू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली तैनात की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रणाली किन–किन स्थानों पर स्थापित की गई है; और

(ग) परियोजना हेतु आवंटित की गई धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या और अभी तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) जी हां श्रीमान।

(ख) इस प्रणाली की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना प्रणाली केन्द्र, हैदराबाद में की गई है और यह अक्तूबर, 2007 से प्रचालन में है।

(ग) इस परियोजना के लिए 125.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है जिसमें से 105. 00 करोड़ रुपए की राशि अब तक खर्च की जा चुकी है।

केन्द्रीय विद्यालयों हेतु स्थायी भवन

3211. श्री एम. राजामोहन रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अस्थायी/किराए के भवनों में चल रहे केन्द्रीय विद्यालयों की स्थिति और आज की तारीख तक उन्हें प्रदान कराई गई बुनियादी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय विद्यालयों के लिए स्थायी भवन बनाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) (ख) 218 केन्द्रीय विद्यालय अस्थायी भवनों में कार्य कर रहे हैं। इन 218 केन्द्रीय विद्यालयों में से 67 केन्दीय विद्यालयों में स्थायी भवन निर्माण किए जाने को केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है और निर्माण कार्य विभिन्न स्तरों पर है। 12 केन्द्रीय विद्यालयों का निर्माण कार्य आयोजना एवं आकलन स्तर पर है। शेष 139 केन्द्रीय विद्यालयों के मामले में स्थायी भवन निर्माण हेतु प्रायोजक एजेंसी द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

तकनीकी संस्थानों में एस सी/एस टी/ ओ बी सी को प्रवेश

3212. श्रीमती रंजीत रंजन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने आई आई टी/आई आई एम/इंडियन स्कूल ऑफ माइंस तथा स्कूल ऑफ मैरीन्स आदि हैं और इस समय इन संस्थानों में पृथक–पृथक कुल कितनी सीटें हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)/अनुसूचित जातियों (एस सी)/अनुसूचित जनजातियां (एस टी) के कितने छात्रों को इनमें प्रवेश मिला;

(ग) क्या प्रत्येक संस्थान में आरक्षण नियमों के अनुसार एस सी/एस टी/ओ बी सी छात्रों की सीटें भरी जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्थान–वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आरंभिक शिक्षा हेतु आबंटन

3213. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2007–08 में स्कूली शिक्षा हेतु बजट में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वर्ष में आरंभिक शिक्षा के बजट में कितनी वृद्धि की गई है;

(घ) क्या वर्ष 2007–08 के बजट में किए गए आबंटन का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो देश में आरंभिक शिक्षा की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(च) वर्ष 2008–09 में सभी के लिए शिक्षा की प्राप्ति के प्रति सरकार कितनी आशान्वित है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के बजट आबंटन में 2006–07 की तुलना में 2007–08 में 21.18% बढ़ोतरी की गई। संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के बजट में 2007–08 की तुलना 2008–09 में 17.01% वृद्धि हुई है।

(घ) वर्ष 2007–08 में विभाग में बजट आबंटन के उपयोग की प्रतिशतता 99.83% रही है।

(ङ) और (च) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम प्रारंभिक स्तर पर स्त्री–पुरूष एवं सामाजिक श्रेणी के सभी अंतरालों को पाटने और 2010 तक सर्वसुलभ अवधारण का लक्ष्य समयबद्ध ढंग से प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का प्रावधान करता है।

सकल नामांकन अनुपात (घुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी 2005–06 के आंकड़ों के अनुसार) प्राथमिक स्तर पर 109.40 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 71.15 रहा है। वर्ष 2006–07 में बालिकाओं का नामांकन प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन का 48% और उच्च प्राथमिक स्तर पर 46.5% है। स्कूल–बाह्य बच्चों की संख्या 2001–02 में 3.20 करोड़ थी जो मार्च 2007 की राज्य रिर्पोटों के मुताबिक घटकर 0.67 करोड़ रह गई है। वर्ष 2006–07 में बालिकाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात में प्राथमिक स्तर पर 105.87% और उच्च प्राथमिक स्तर पर 66.50% वृद्धि हुई है।

दिल्ली पुलिस अधिकारियों और भू-माफिया की सांठ-गांठ

3214. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न कार्यकलापों के दिल्ली पुलिस अधिकारियों की भू–माफिया के साथ सांठ–गांठ है और वे भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को संरक्षण देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं; और

(ग) इन पर मामले–वार क्या कार्रवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. पालिका सेल्वी) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस के अनुसार दिल्ली पुलिस और भू–माफिया के बीच गठजोड़े होने से संबंधित कोई मामला वर्ष 2005 से 2008 तक (31.3.08 तक) ध्यान में नहीं लाया गया है।

पॉम ऑयल और अन्य खाद्य तेलों का आयात

3215. श्री पी.सी. थामस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य तेलों के उत्पाद–शुल्क में हाल ही में किए गए परिवर्तन के कारण पाम आयल और अन्य खाद्य तेलों के आयात में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक मद–वार किए गए आयात का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नारियल और अन्य खाद्य तेल बीजों का उत्पादन करने वाले किसानों के प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में किसानों की सहायता करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव राम एनेज) : (क) से (ङ) खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। उपभोक्ताओं को खाद्य तेलों की उचित कीमतों पर निर्बाध रूप से आपूर्ति करते रहने के लिए आयातों की अनुमति दी जाती है। तदनुसार खाद्य तेलों पर आयात शुल्क हाल ही में घटा दिया गया है। खाद्य तेल के आयात का मदवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

देश में नारियल उपजकर्त्ताओं के हितों संरक्षण के लिए नारियल तेल का आयात केवल राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के माध्यम से अनुमत्य है। इसके अलावा केरल में किसी भी पतन के माध्यम से पॉम ऑयल के आयात की अनुमति नहीं है। अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत आयातित नारियल तेल पर निर्यात बाध्यता अवधि 24 माह से घटाकर 90 दिन कर दी गई है। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि ऐसे आयातित तेल का इस्तेमाल केवल निर्यात बाध्यता को पूरा करने के लिए किया जाए, न कि घरेलू बाजार में बिक्री के लिए।

विवरण

खाद्य तेलों का आयात

क्र.सं.	एच.एस.	वस्तु	मात्रा हजार कि.ग्रा. में				मूल्य लाख रु. में			
			2004–2005	2005–2006	2006–2007	2007–2008 (अप्रैल–अगस्त–2007)	2004–2005	2005–2006	2006–2007	2007–2008 (अप्रैल–अगस्त–2007)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	150710	अपरिष्कृत सोयाबीन तेल डिम्स्ड हो या नहीं	1005855.94	1619593.75	1,198,264.25	769,114.47	270518.28	378836.38	303,285.63	185449.68
2	150790	अन्य सोयाबीन तेल व इसके अंश	86796.80	31538.70	18,085.53	12,540.48	24982.18	11154.75	7,081.97	4791.15
3	150890	अन्य परिष्कृत मूंगफली तेल व इसके अंश	3.38	34.04	9.05	0.3	6.56	11.09	3.98	0.48
4	150910	जैतून तेल वर्जिन	92.48	126.77	299.37	214.064	127.94	182.85	389.85	280.81
5	150990	अन्य जैतून तेल व इसके अंश (वर्जिन छोड़कर)	859.47	1298.90	1,181.55	815.64	1421.64	2137.88	2,066.55	1385.89
6	151000	जैतून से प्राप्त अन्य तेल व इसके अंश जो रासायनिक रूप से आशोधित न हो। शीर्ष सं. 1509 के तेल/अंश सहित इन तेलों/अशों. के मिश्रण	1.27	0.11	4.86	1.241	1.40	0.27	4.09	3.85
7	151110	अपरिष्कृत पाम ऑयल व इसके अंश	1558431.50	1959920.13	2,541,629.00	1,349,720.58	322744.91	363938.28	511,235.13	254111.61
8	151190	परिशोधित पाम ऑयल व इसके अंश	1944933.50	489263.75	224,753.33	95,949.60	446382.31	92402.75	51,678.55	23615.49
9	151211	अपरिष्कृत सूरजमुखी तेल व कुसुन बीज	38909.00	67834.00	108,867.11	84,695.00	10549.89	17679.26	32,244.47	24687.71
10	151219	अन्य सूरजमुखी कुसुन, तेल व इसके अंश	1519.07	3045.29	32,582.81	130.40	436.19	788.03	10,053.74	76.27
11	151229	अन्य बिनौले का तेल व इनके अंश	0.08	3.04	1.04	1.113	0.70	0.84	6.37	1.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	151311	अपरिष्कृत नारियल तेल व अंश	1285.35	1106.00	46		416.01	281.55	16.78	
13	151319	परिशोधित नारियल तेल व अंश	11925.13	2963.47	14,050.00	103.00	3671.48	864.47	5,189.40	40.94
14	151321	अपरिष्कृत पामगिरी/बाबसू तेल व अंश	89976.09	108768.29	126,478.00	59,644.00	24506.50	29095.53	31,960.77	18801.75
15	151329	परिशोधित पामगिरी/बाबसू तेल व अंश	8999.48	899.06	972.76	289.879	2407.13	378.99	356.34	108.06
16	151411	अपरिष्कृत लोइकएसिडरेप कोल्जा ऑयल व अंश			21.38				9.94	
17	151419	लोइकएसिडरेप कोल्जा आयल व अंश अपरि. से इतर	1.20	1.20	3.89		0.44	0.48	2	
18	151491	अन्य अपरिष्कृत कोल्जा मस्टर्ड रेपसीड ऑयल			1.86				1.22	
19	151499	अन्य रेप, कोल्जा, मस्टर्ड तेल अपरिष्कृत से इतर	19.39	103.40	12.89	38.984	3.96	15.05	5.85	17.67
20	151519	अन्य अलसी तेल व अंश	509.84	2012.49	3,271.78	2,246.70	191.93	768.67	1,295.97	735.90
21	151529	अन्य मक्का (कार्न) तेल प अंश		0.07	4.62	0.691		0.04	3.31	0.68
22	151530	अरण्डी तेल व अंश	1.26	1.02	0.94	0.239	2.02	2.10	1.94	0.38
23	151540	टुंग ऑयल व अंश	15.19	92.93	45.6		12.81	70.19	27.45	
24	151550	तिल तेल व अंश	35.41	58.30	56.05	25.416	58.66	94.41	88.68	33.67
25	151590	अन्य जमी हुई वनस्पतिक व तेल व उनके अंश	5104.72	5084.57	3,742.59	1,238.05	1766.26	1572.19	1,062.98	377.10
		कुल	4753172.55	4293749.28	4274386.26	2376769.85	1110209.20	900276.05	958052.96	514519.64

स्रोत : डीजीसीआईएस

फल एवं सब्जी निर्यातकों के लाभ में कमी

3216. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री सुकाराम गणपतराव रैंगे पाटील :

क्या वाणिज्य उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि खुदरा बाजार में बड़ी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से फल एवं सब्जियों के निर्यातकों के लाभ में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों के हितों की रक्षा हेतु क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) मौजूदा नीति के अनुसार एकल ब्राण्ड उत्पाद संबंधी खुदरा व्यापार, जिसमें सरकार के पूर्व अनुमोदन से 51 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ

डी आई) की अनुमति है, को छोड़कर खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है। फलों एवं सब्जियों के निर्यातकों के लाभ में गिरावट आने के बारे में कोई सूचना नहीं है। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से फलों व सब्जियों के निर्यात में वृद्धि है। ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(मात्रा : मी.टन में मूल्य: करोड़ रूपये में)

2004–05		2005–06		2006–07	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मूल्य
1296530	1363.71	1465040	1658.72	1983870	411.65

स्रोत: डी जी सी आई एंड एस

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने किसानों, खास तौर से फलों व सब्जियों के उपजकर्त्ताओं के हित के संरक्षण हेतु अनेक कार्यक्रम/स्कीमें शुरू की हैं। इन कार्यक्रमों/स्कीमों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ग्रामीण गोदाम स्कीम तथा किसानों को उचित बैकवर्ड लिंकेज सहित बेहतर कीमतें दिलाने के लिए बेहतर बाजार पहुंच सुनश्चित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति से टर्मिनल मंडियां शामिल है। कृषि विपणन अवसंरचना के विकास/सुदृढ़ीकरण, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण हेतु एक स्कीम लागू है।

राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान

3217. श्री पन्नियन रवीन्द्रन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तिरूवनंतपुरम स्थित राजीव गांधी जैवप्रौद्योगिकी संस्थान का प्रबंध अपने हाथ में लेने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(ग) संस्थान का प्रबंधन कब तक अपने हाथ में ले लिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राजीव गांधी जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र (आर.जी.सी.बी.) तिरूवनंतपुरम को अगस्त 2007 में पहले ही अधिकग्रहण किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

पामोलिन का आयात

3218. श्री परशुराम माझी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पामोलिन के आयात में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक किन–किन देशों से पामोलिन का मात्रा–वार और मूल्य–वार आयात किया जा रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा पामोलिन के आयात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3219. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थाओं के पाठ्यक्रम पढ़ाने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी संस्थाओं के सहयोग से विदेशी पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले भारतीय शैक्षिक संस्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे संस्थानों पर रोक लगाने हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ): सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और प्रोन्नति विभाग) के दिनांक 11.2.2000 के प्रेस नोट 2 (2000 श्रृंखला) के द्वारा लागू सेक्टोरल नियमों/विनियमों की शर्त पर शिक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। इस समय, केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भारत में शिक्षा प्रदाता विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के प्रवेश और संचालन के लिए विनियम बनाए हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में विदेशी विश्वविद्यालय कार्यक्रम चलाने के लिए चार संस्थाओं को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। पाठ्यचर्या दो सहयोगी संस्थाओं के बीच करार पर निर्भर करती है।

भारत में विदेशी शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश और संचालन के विनियम हेतु एक विधायी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

शिक्षकों को प्रशिक्षण

3220. श्री एम. अप्पादुरई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के अनेक सरकारी और निजी विद्यालयों में कुछ शिक्षक विशेषकर गणित के शिक्षक विषय से संबंधित बिना किसी समुचित प्रशिक्षण व ज्ञान के शिक्षण कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्यार्थियों के लाभार्थ सरकारी/अर्द्ध सरकारी/निजी विद्यालयों में कार्यरत गणित के सभी शिक्षकों को प्रत्येक तीन वर्ष पर प्रशिक्षण देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) ..ल ही में ऐसा कोई विशिष्ट मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ग) से (ङ) शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के नाते स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण देना उनका उत्तरदायित्व है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गणित के शिक्षकों सहित सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जहां तक दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों का संबंध है, इन स्कूलों के संबंधित प्रबंधन का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।

औद्योगिक उत्पादन में गिरावट

3221. श्री रेवती रमण सिंह :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री एस. के. सावरेमथन :
श्री मोहन सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 2006 की तुलना में वर्ष 2007 के दौरान दर्ज औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर का उपभोक्ता वस्तु और आधारभूत क्षेत्र सहित सेक्टर-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान वृद्धि दर में कोई गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रतिशत में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में मापी गई औद्योगिक वृद्धि दर अप्रैल-जनवरी 2007-08 के दौरान 8.7 प्रतिशत थी जबकि गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 11.2 प्रतिशत थी। सामान्यतः मौजूदा अवधि में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में विकास दर में कमी आई है। विकास दर का क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

तालिका : औद्योगिक वृद्धि (%)

	अप्रैल-जनवरी, 2007-08	अप्रैल-जनवरी, 2006-07
समग्र विकास, जिसमें	8.7	11.2
(i) खनन व उत्खनन	4.6	4.8
(ii) बिजुत	6.3	7.6
(iii) विनिर्माण	9.2	12.1
	अप्रैल-जनवरी, 2007-08	अप्रैल-जनवरी, 2006-07
उपयोग आधारित वर्गीकरण		
(i) मूलभूत वस्तुएं	7.4	10.0
(ii) पूंजीगत वस्तुएं	18.3	18.3
(iii) मध्यवर्ती वस्तुएं	9.3	11.6
(iv) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	-1.7	10.6
(v) उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं	8.6	9.4
मेमो मद :		
छह मुख्य अवसंरचना उद्योग	5.6	8.7

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ)

(घ) और (ङ) सीएसओ द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन आंकड़ा सूचकांक पर आधारित देश की औद्योगिकीय कार्यक्षमता की गहण निगरानी सरकार द्वारा निरंतर की जाती है। बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था में विभिन्न उद्योगों का विकास आपूर्ति एवं मांग स्थितियों की बाजार शक्तियों द्वारा प्रभावित होता है। औद्योगिक वृद्धि में मौजूदा कमी कई कारकों जैसे कि ब्याज दरों में वृद्धि, रुपये की मूल्य वृद्धि आदि के कारण है।

(च) सरकार ने व्यापक आधार वाले औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक नीतियां बनाई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ औद्योगिक क्षमता को लाइसेंस मुक्त करना, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर इनपुट तक बेहतर पहुंच प्रदान करने हेतु विदेश व्यापार व्यवस्था में उदारीकरण, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क की दरों को तर्क संगत बनाना तथा उनमें कमी करना, बेहतर अवसंरचनात्मक सहायता, और उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व्यवस्था आदि शामिल है।

सरकार ने निर्यातोन्मुख उद्योगों के लिए अनेक उपायों की घोषणा की है जिनमें शामिल हैं: ड्यूटी इन्टाइटलमेंट पास बुक (डीईपीबी) को बढ़ाना, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (ईसीजीसी) के प्रीमियम में 10 प्रतिशत की कटौती, ड्यूटी ड्रावैक की दरों में बढ़ोत्तरी, जहाज पर सामान की लदाई से पहले इसके बाद के ऋण के ब्याज पर आर्थिक सहायता, सेवाकर की वापसी, विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना आदि के लिए राजस्व की अधिकतम सीमा बढ़ाना।

वर्ष 2008–09 के बजट में, सरकार ने विनिर्माण उद्योग की घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्पाद शुल्क सभी वस्तुओं पर 16 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी किया है। इसके अतिरिक्त घरेलू उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने छोटे कारों, मोटरसाईकिलों एवं स्कूटरों आदि हेतु उत्पादक शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी किया है।

सरकार ने इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आईटीआईआर) सृजित करने के लिए एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इन आईटीआई आर को निवेश अनुकूल नीतियों के जरिये उत्कृष्ठ अवसंरचना एवं सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के उद्देश्य से विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों में सुधार के लिए, राज्य सरकारों/उद्योगों/ संगठनों/ कंपनियों/एनजीओ/व्यक्तियों के सहयोग से सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत देश में मिनी टूल रूम्स स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया है।

नागालैंड का प्रस्ताव

3222. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागालैंड सरकार ने म्यांमार के साथ वार्ता शुरु करने और नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड (एन. एस. सी. ए.) को मान्यता देने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. शंकिका सेल्वी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

नक्सली कृतिक बल की बैठक

3223. श्री निखिल कुमार :
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सली समस्या से निपटने के लिए समन्वित रणनीति के लिए तौर–तरीकों पर चर्चा करने हेतु हाल ही में नक्सल कृतिक बल की लखनऊ में एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर इस बैठक में चर्चा की गई तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या देश में नक्सली हिंसा से निपटने हेतु राज्यों की पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच समन्वय को और अधिक मजबूत बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) कार्य बल की एक बैठक 18.3.2008 को लखनऊ में आयोजित की गई थी। यह कार्य बल गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) के अधीन गठित किया गया है और इसमें आसूचना एजेंसियों, राज्य पुलिस बलों और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह नक्सली गतिविधियों से निटपने के लिए आवश्यक प्रचालनात्मक उपाय करने और विभिन्न राज्यों के प्राधिकारियों के बीच समन्वय करने के लिए यथावश्यक सुझाव देता है। यह संयुक्त पुलिस अभियानों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट अंतर–राज्य समन्वय की अपेक्षा के संदर्भ में राज्यों के

छोटे–2 ग्रुपों के साथ अन्योन्य क्रिया एवं चर्चाएं आयोजित करता है।

इन पहलुओं से संबंधित मुद्दों के अतिरिक्त बैठक में जिला आर्मरी, पुलिस थानों, जेलों आदि के बारे में सुरक्षा आडिट करने की जरूरत पर विशेष बल दिया जाता है।

(ग) और (घ) अंतर राज्य समन्वय पर कार्य बल के माध्यम से अन्योन्यक्रिया के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के स्तर पर नियमित पुनरीक्षा और अंतर–राज्य बैठकें भी आयोजित की गई हैं।

विभिन्न उपायों और अन्योन्यक्रिया के परिणामस्वरूप समन्वित अभियान बढ़े हैं और हाल के 2–3 माह में कई सफल अंतर–राज्य संयुक्त पुलिस अभियान आयोजित किए गए हैं।

स्कूल शिक्षा में सरकारी-निजी भागीदारी

3224. श्री रमेश दूबे :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई) ने स्कूल शिक्षा में सरकारी–निजी भागीदारी का सुझाव दिया है जैसा कि 25 मार्च, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) मार्च, 2008 में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित एक सम्मेलन के उद्घाटन से पूर्व मीडिया के साथ बात–चीत करते हुए अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया था कि सम्मेलन में माध्यमिक स्तर पर सुलभता का विस्तार करने हेतु सरकारी–निजी भागीदारी पर चर्चा की जाएगी। इस संबंध में मंत्रालय को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

जनजातीय और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों का औद्योगिक विकास

3225. श्री पुन्नूलाल मोहले :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यक बहुल और जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ाने हेतु कोई विशेष योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों विशेषकर छत्तीसगढ़ सहित देश के जनजातीय और अल्पसंख्यक बहुल पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु राज्य–वार कुल कितनी निधियां आवंटित व जारी की गयी हैं;

(घ) अब तक राज्य–वार कितनी निधियां उपयोग की गई हैं; और

(ङ) इन पिछड़ों क्षेत्रों के विकास पर वित्तीय सहायता के उपयोग का क्या प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एन.डी.एफ. बी. के साथ शांति वार्ता

3226. श्री लालचुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन.डी.एफ.बी.) के साथ शांति वार्ता शुरु की है;

(ख) यदि हां, तो एन. डी. एफ. बी. द्वारा वार्ता हेतु रखी गयी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) एन.डी.एफ.बी. ने अभी अपनी मांगों का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

आई.आई.टी. के विस्तार केन्द्रों की स्थापना

3227. श्री विजय कृष्ण : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी राज्य ने विद्यमान आई.आई.टी. के मुख्य कैम्पसों से बाहर इनके विस्तार केन्द्रों की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास देश में ऐसे विस्तार केन्द्रों की स्थापना करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) केरल तथा गुजरात की राज्य सरकारों ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के सैटेलाईट परिसरों, न कि विस्तार केन्द्रों की स्थापना करने का अनुरोध किया था।

(ग) से (ङ) सरकार को मुख्य परिसरों से बारह ऐसे छोटे विस्तार केन्द्रों की स्थापना करने में कोई आपत्ति नहीं है जो सतत् शिक्षा, डिप्लोमा पाठ्यक्रम, फिनिशिंग स्कूलों, शुरुआती कार्यक्रम इत्यादि को समर्पित हैं।

[हिन्दी]

प्रशासनिक सुधार आयोग की विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधी रिपोर्ट

3228. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री सूरज सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस ई जेड) के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में उल्लिखित विशेष आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित विशेष विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस निर्णय को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ङ) दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने 'विवाद के समाधान हेतु क्षमता निर्माण' संबंधी अपनी सातवीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ भूमि सुधार की गति में तेजी लाने, पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति को तेजी से कार्यान्वयन, एस ई जेड हेतु प्रमुख कृषि भूमि के परिहार, पिछड़े क्षेत्रों में एस ई जेड स्थापित करने, किसानों द्वारा संवर्धित एस ई जेडों को प्रोत्साहित करने, एस ई जेडों में गैर प्रसंस्करण क्षेत्रों हेतु भूमि पर प्रतिबंध, एस ई जेडों को राजकोषीय प्रोत्साहन की जरूरत पर बल दिया है। इन सिफारिशों की इस समय जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में परिवर्तन

3229. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में प्रत्यक्ष निवेश नीति के दिशा–निर्देशों की घोषणा के पश्चात् वर्ष 2008–09 के दौरान सरकार ने अनुमानित कितनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाक्षित किया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के संबंध में एक उदार और पारदर्शी नीति लागू की है। उदारीकृत आर्थिक परिवेश के तहत स्थान के चयन के साथ–साथ निवेश संबंधी निर्णय उद्यमियों द्वारा उनके प्रौद्योगिकीय–आर्थिक निर्णयों और वाणिज्यिक समझ के आधार पर लिए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इक्विटी में हुए एफ.डी.आई. अन्तर्वाह निम्नानुसार हैं :

वर्ष	अमेरिकी बिलियन डालर में अन्तर्वाहों की राशि	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
2004–05	3.22	(+) 45%
2005–06	5.55	(+) 72%
2006–07	15.73	(+) 184%
2007–08 (अप्रैल 2007–फरवरी 2008)	20.1	(+) 70%

सरकार ने वर्ष 2008–09 के लिए एफ.डी.आई हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं।

खनन पद्धतियों का आधुनिकीकरण

3230. श्री मनोरंजन भक्त : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में उपलब्ध अप्रचलित खनन पद्धतियों के कारण खनिज संसाधनों के भारी भण्डार का दोहन करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह सहित तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में खनिजों की खोज हेतु पद्धतियों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों के नवीकरण व आधुनिकीकरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार के पास खनिजों की खोज और उत्खनन हेतु अन्य देशों के उद्यमियों को आकर्षित करने की कोई नीति हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां सर्वेक्षण और गवेषणकारी एजेंसियों की प्रौद्योगिकी सीमाओं की वजह से गहराई में स्थित खनिजीकरण का पता नहीं लगाया जा सकता और विदोहन नहीं किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा में रॉक कवर के मोटे "डेकन ट्रेप" के नीचे गहराई में फैले हुए क्षेत्र।

(ii) पश्चिम बंगाल में मोटे एल्लुवियम कवर से बने इण्डो–जेन्जेटिक मैदानों वाले क्षेत्र।

(iii) राजस्थान में रगिस्तान से ढके हुए क्षेत्र।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 में यह परिकल्पना की गई है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सवोक्षण भूवैज्ञानिकी मानचित्रण और क्षेत्रीय खनिज स्रोत निर्धारण की प्रमुख एजेंसी होगी जबकि टोही और गवेषण में निवेश का मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जाएंगे कि अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके देश के सम्पूर्ण भूवैज्ञानिक सहायक खनिज धारित क्षेत्र में क्रमबद्ध रूप से क्षेत्रीय और विस्तृत गवेषण कार्य किया जाए। यह नीति गणेश और खनन के लिए भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम में उच्च मूल्य वाले और दुर्लभ खनिजों तथा विदेशी इक्विटी निवेश के लिए गवेषण और खनन में विदेशी भागीदारी की भी परिकल्पना करती है।

सोने की कीमत में वृद्धि

3231. श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री एन. एस. वी. चित्तन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में सोने की अनुमानित मांग और आपूर्ति कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक आयातित और नियंत्रित सोने का वर्ष–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में सोने की कीमतों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा हाल के दिनों के दौरान सोने की कीमतों में आए उतार–चढ़ाव के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सोने की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि की वजह से घरेलू बाजार में जेवरातों की बिक्री तथा इसके निर्यात में गिरावट आई है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में सोने की कीमतों को नियंत्रित करने हेतु कया कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) देश में सोने की अनुमानित मांग एवं उपलब्धता संबंधी कोई निश्चित आंकड़े नहीं हैं। तथापि, देश में सोने की मांग के प्रति वर्ष 700–800 टन होने का अनुमान लगाया गया है। उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक सोने का आयात एवं निर्यात निम्नानुसार रहा है:–

सोने का आयात

(मि. अम. डालर में)

क्र.सं.	वर्ष	आंकड़े
1	2004–05	10537.72
2	2005–06	10830.51
3	2006–07	14450.62
4	2007–08 (जुलाई, 2007 तक)	8352.82

स्रोत : डी जी सी आई एंड एस

सोने का निर्यात

(मि. अम. डालर में)

क्र.सं.	वर्ष	आंकड़े
1	2004–05	0.07
2	2005–06	0.29
3	2006–07	0.54
4	2007–08 (जुलाई, 2007 तक)	1.15

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

सोने के आयात एवं निर्यात के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले एक वर्ष के दौरान मुम्बई में सोने की मासिक औसत कीमत निम्नानुसार रही थी:–

क्र.सं.	मास	कीमत रुपए/10 ग्राम
1.	अप्रैल, 2007	9321.09
2.	मई, 2007	8878.13
3.	जून, 2007	8707.42
4.	जुलाई, 2007	8741.35
5.	अगस्त, 2007	8835.58
6.	सितम्बर, 2007	9310.96
7.	अक्तूबर, 2007	9690.96
8.	नवम्बर, 2007	10340.38
9.	दिसम्बर, 2007	10311.00
10.	जनवरी, 2008	11290.96
11.	फरवरी, 2008	11887.83
12.	मार्च, 2008	12153.48

सोने की घरेलू कीमत में उतार–चढ़ाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में होने वाले समान उतार–चढ़ावों के अनुरूप है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से मांग एवं पूर्ति, निवेशक की रुचि, ब्याज दरें, अमरीकी डालर की तुलना में अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की विनिमय दर में उतार–चढ़ाव, आदि जैसे विभिन्न कारकों का सोने की कीमत पर प्रभाव पड़ता है

(घ) स्वर्ण आभूषणों के निर्यात सोने की निविष्टि लागत के अलावा विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं। उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार अप्रैल, 2007 से जुलाई, 2007 तक की अवधि के दौरान स्वर्ण आभूषणों का निर्यात 1612.40 मिलियन अमरीकी डालर था जिससे वर्ष 2006 की समनुरूपी अवधि की तुलना में 29.52 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रदर्शित होती है। घरेलू बाजार में आभूषणों की बिक्री संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) हाल की अवधि में भारत से सोने की कीमतों में हुई बढ़ोत्तरी मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमत के उतार–चढ़ाव को प्रदर्शित करती है।

खानों के आसपास के क्षेत्र के विकास में योगदान

3232. श्री अनन्त नायक : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रही सरकारी और निजी क्षेत्र की खनन कम्पनियों का राज्य वार–ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से किसी भी कम्पनी ने अपने आस–पास के क्षेत्रों के विकास हेतु कोई योगदान दिया है, और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज की तिथि तक तत्संबंधी कम्पनी–वार ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) देश में प्रचालनरत निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनियों द्वारा धारित कई खानों के संबंध में राज्यवार संलग्न सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। भारतीय खान ब्यूरो (आई बी एम) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ कंपनियां खनन क्षेत्रों के इर्द–गिर्द परिधीय विकास में अंशदान कर रही है; तथापि, इन कम्पनियों द्वारा परिधीय विकास के लिए-किए गए अंशदान के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

राज्य	खनन कम्पनियां		कुल
	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	289	45	334
असम	2	1	3
बिहार	8	–	8
छत्तीसगढ़	65	15	80
गोवा	70	–	70
गुजरात	412	12	424
हिमाचल प्रदेश	24	2	26
जम्मू – कश्मीर	3	1	4
झारखंड	103	15	118
कर्नाटक	199	24	223
केरल	26	9	33
मध्य प्रदेश	230	22	252
महाराष्ट्र	80	19	99
मेघालय	6	2	8

1	2	3	4
उड़ीसा	111	102	213
राजस्थान	158	36	194
तमिलनाडु	96	66	162
उत्तर प्रदेश	19	2	21
उत्तरांचल	33	1	34
पश्चिम बंगाल	9	2	11

जापान को किए जाने वाले कृषि निर्यात में गिरावट

3233. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री मधु गौड यास्की :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान को किए जाने वाले कृषि निर्यात में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक उत्पाद–वार व मूल्य–वार गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन अन्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां आयात/निर्यात में गिरावट आयी है/वृद्धि हुई है;

(घ) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं जिसमें भारत और आपान के बीच व्यापार के अगले दो वर्षों में दुगुना होने की क्षमता की बात कही गयी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है अथवा किए गए जाने की संभावना है;

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जापान को आयात/निर्यात का क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण–I एवं II में दिया गया है। आंकड़े व्यापार में क्षेत्रवार वृद्धि एवं गिरावट को दर्शाते हैं।

(घ) और (ङ) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

(च) प्रोत्साहनवर्धक निर्यात एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए वस्तु बोर्ड एवं निर्यात संवर्धन परिषदों की योजना स्कीमों के अन्तर्गत उपायों एवं प्रोत्साहनों के माध्यम से कदम उठा रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कई स्कीमों नामतः बाजार विकास सहायता (एमडीए), बाजार सहायता पहल (एमएआई) निर्यात अवसंरचना के विकास एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) विशेष कृषि एवं ग्राम उपज योजना, फोकस उत्पादक स्कीम, फोकस बाजार स्कीम, निर्यात उत्कृष्टता का नगर आदि को स्थापित किया है इस संबंध में बाजार शिष्टमंडल विदेश में भेज जाते हैं और क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में सरकार माल सेवाओं और आर्थिक सहयोग को अन्य क्षेत्रों को व्यापार में लाने के लिए एक इण्डो–जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार की संभावना पर विचार–विमर्श कर रही है।

विवरण-I

निर्यात : देश–वार सभी वस्तुएं

(मूल्य करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वस्तु	मार्च 2006	मार्च 2007	% वृद्धि	अप्रैल–मार्च 2006	अप्रैल–मार्च 2007	% वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
देश : जापान							
1.	रत्न एवं आभूषण	193.09	182.37	–5.55	2,149.46	1,954.01	–9.09
2.	पेट्रोलियम (अपरिष्कृत एवं उत्पाद)	139.58	43.95	–68.52	928.60	1,929.03	107.73

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	लौह अयस्क	229.39	309.72	35.02	1,634.34	1,489.73	-8.85
4.	समुद्री उत्पाद	96.11	110.05	14.50	1,133.64	1,264.73	11.56
5.	तेल खाद्य	94.87	83.83	-11.64	583.65	578.46	-0.89
6.	अन्य वस्तुएं	25.41	27.50	8.23	296.38	527.42	77.95
7.	मशीन व उपकरण	48.03	55.76	16.10	421.02	508.03	20.67
8.	सूत यार्न, फैब्रिक्स, मेड अप्स	37.79	41.27	9.21	387.44	461.01	18.99
9.	सहा. सामग्री सहित आरएमजी काटन	63.11	45.39	-28.08	416.79	440.96	5.80
10.	औषध, भेषज व परि. रसायन	31.29	32.13	2.69	312.75	297.25	-4.95
11.	अन्य अयस्क व खनिज	25.37	41.21	62.43	157.03	295.38	88.10
12.	अकार्ब./कार्ब./कृषि रसायन	35.33	35.02	-0.88	261.67	269.39	2.95
13.	इलैक्ट्रानिक वस्तुएं	22.43	23.82	6.22	187.16	249.67	33.40
14.	फैरो अलाय	21.51	44.43	106.57	142.76	203.52	42.55
15.	प्राथ व अर्द्ध संस्कृतलौहा व इस्पात	0.00	37.02	2,644,128.57	17.53	161:14	819.42
16.	रंजक, मध्यवर्ती व कोलतार रसायन	14.28	14.13	-1.07	116.31	144.28	24.05
17.	मसाले	12.28	10.69	-12.94	120.65	134.49	11.47
18.	प्रसंस्कृत खनिज	7.98	14.78	85.15	116.98	131.00	11.99
19.	पेंट/इनामेल/वार्निश आदि	11.49	11.91	3.64	131.09	118.11	-9.90
20.	धातु विनिर्माण	8.76	11.78	34.40	89.64	116.13	29.55
21.	अवशिष्ट रसायन व संबद्ध उत्पाद	10.85	8.87	-18.27	113.90	110.02	-3.40
22.	पुष्पोत्पाद	2.70	0.17	-93.68	56.44	102.98	82.45
23.	प्लास्टिक व लिनोलियम उत्पाद	6.41	5.12	-20.20	63.17	102.35	62.02
24.	अलौह धातुएं	3.58	0.39	-89.07	41.37	91.64	121.52
25.	काजू	4.30	9.33	116.82	110.10	90.74	-17.59
26.	मानवनिर्मित सूतयार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स	6.74	5.09	-24.47	89.29	81.98	-8.19
27.	अरंडी तेल	1.12	3.27	192.66	85.34	75.28	-11.78
28.	सौंदर्य प्रसाधन/प्रसाधन आदि	8.75	5.42	-38.12	64.50	68.90	6.82
29.	परिवहन उपकरण	8.42	4.04	-51.99	68.05	67.78	-0.39

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	चाय	4.86	2.77	–43.06	69.39	61.91	–10.78
31	कालीन (रेशम छोड़कर) मानवनिर्मित	5.32	6.23	17.10	62.70	58.13	–7.29
32.	कॉफी	4.23	1.81	–57.14	37.74	41.97	11.21
33.	आर एम जी मानव निर्मित फाइबर	8.11	3.67	–54.72	46.94	39.44	–15.98
34.	कुक्कुट उत्पाद	2.99	3.31	10.71	29.83	31.61	5.97
35.	हस्तशिल्प (मानवनिर्मित कालीन रहित)	4.28	0.53	–87.57	49.99	30.30	–39.38
36.	उत्पादों से भिन्न एल्युमिनियम	4.45	2.13	–52.16	11.16	30.29	171.38
37.	ताजे फल	2.96	4.97	67.94	22.18	30.23	36.27
38.	आरएमजी ऊन	1.08	4.01	271.72	25.53	26.26	2.86
39.	तैयार चर्म	1.65	1.52	–7.99	23.67	22.71	–4.03
40.	अपशिष्ट सहित कपास	1.81	2.73	51.01	18.52	21.14	14.16
41.	प्रसंस्कृत फल व रस	0.96	1.18	23.27	17.52	17.29	–1.34
42.	आर एम जी रेशम	2.23	3.65	63.31	14.71	16.23	10.33
43.	अन्य वस्त्र सामग्री की आर एम जी	2.81	2.49	–11.45	20.15	15.44	–23.38
44.	कांच/कांच बर्तन/सिरेमिक/रेफ्री./सीमेंट	1.02	1.88	84.23	9.25	13.20	42.72
45.	ग्वारगम खाद्य	1.68	1.68	–0.21	10.32	13.20	27.89
46.	प्राकृ. रेशम यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स	1.43	1.08	–24.52	14.07	13.07	–7.09
47.	भौतिक रूप में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1.61	0.18	–88.81	12.39	12.95	4.53
48.	चर्म वस्तुएं	1.57	1.77	12.82	11.21	12.43	10.88
49.	फल/सब्जी बीज	1.28	0.22	–82.77	8.87	10.81	21.88
50.	चर्म फुट वियर	2.52	1.99	–20.97	11.65	10.73	–7.85
51.	रबड़ विनिर्मित उत्पाद, फुटवियर छोड़कर	0.60	1.10	83.34	5.87	10.65	81.38
52.	यार्न, ऊनी फैब्रिक्स, मेडअप्स आदि	1.51	1.96	29.84	7.43	10.35	39.37
53.	मशीनी औजार	0.83	2.69	226.33	6.82	9.18	34.58
54.	अभ्रक	1.11	0.66	–40.36	11.07	8.82	–20.29
55.	कागज/लकड़ी उत्पाद	0.76	0.90	18.83	11.19	8.67	–22.56
56.	कयर व कयर विनिर्माण	0.65	0.84	29.79	11.66	8.50	–27.05

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	जूट हैसियन	1.20	0.83	−31.09	17.52	8.25	−52.89
58.	लौह व इस्पात बार/रॉड आदि	0.03	2.62	7544.02	4.31	8.07	87.23
59.	अवशिष्ट इंजी. मदें	0.62	0.51	−18.03	7.99	7.94	−0.64
60.	स्पिरिट एवं पेय	0.09	0.19	121.67	1.15	7.00	509 04
61.	अन्य जूट विनिर्माण	0.79	0.66	−16.49	6.43	6.17	−4.07
62.	विविश प्रसंस्कृत मदें	1.10	0.25	−77.03	11.97	5.78	−51.69
63.	जूट फर्शाच्छादन	1.44	0.65	−54.84	8.04	5.54	−31.14
64.	खेल सामान	0.57	0.31	−45.44	3.74	5.35	42.90
65.	दुग्ध उत्पाद	0.53	0.00	−99.74	13.89	3.96	−71.49
66.	चर्म परिधान	0.01	0.29	2,926.32	4.79	3.21	−33.05
67.	रेशम कालीनें	0.07	0.61	748.47	0.65	2.14	230.22
68.	मौस व निर्मितियां				0.18	1.84	912.48
69.	जूट यार्न	0.21	0.05	−74.82	2.90	1.68	−41.93
70.	चर्म फुटवियर संघटक	0.69	0.42	−38.45	1.59	1.55	−2.15
71.	चमड़ा		0.19		4.36	1.15	−73.61
72.	प्रसंस्कृत सब्जियां	0.15	0.14	−2.63	2.45	1 12	−54.26
73.	अन्य अनाज	0.00	0.17	6,504.00	1.12	0.89	−20.69
74.	जीन साजी का सामान	0.04	0.02	−57.57	1.06	0.86	−18.34
75.	परियोजना सामान	0.32	0.18	−43.03	5.10	0.85	−83 38
76.	चावल–बासमती	0.13			0.16	0 77	364.54
77.	दाल	0.08	0.01	−91.56	1.36	0 69	−49 07
78.	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर		0.47		0.33	0.69	113.01
79.	रबड़ फुटवियर/केनवास आदि	0.14	0.24	70.63	0.80	0.66	−16.98
80.	काजू कवच द्रव्य	0.00	0.04	1852.38	0.00	0.24	11214.29
81.	तिल बीज	0.74			2.55	0 20	−92.363
82.	मूंगफली	0.28			0.28	0.14	−48.71
83.	ताजी सब्जियां				0.06	0.12	112.95
84.	चावल (बासमती से भिन्न)	0.00	0.03	1,082.61	0.02	0 03	87.21

1	2	3	4	5	6	7	8
85.	राम तिल				0.02	0.03	47.20
86.	तम्बाकू अनिर्मित	0.01	0.00	–89.13	0.01	0.02	34.71
87.	तम्बाकू निर्मित	0.01			1.60	0.02	–99.02
88.	चीनी				0.03	0.01	–77.81
89.	शीरा				0.00	0.00	
90.	गेहूं				0.05		
91.	रेशम अपशिष्ट				0.00		
	कुल	1,244.53	1,285.28	3.27	10,985.39	12,727.90	15.86

विवरण-II

आयात : देशवार सभी वस्तुएं

(मूल्य करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वस्तु	मार्च 2006	मार्च 2007	% वृद्धि	अप्रैल–मार्च 2006	अप्रैल–मार्च 2007	% वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मशीनें, इलैक्ट्रिकल व इलैक्ट्रानिक छोड़कर	428.99	551.70	28.61	4,172.18	5,443.13	30.46
2.	इलैक्ट्रानिक वस्तुएं	220.23	200.69	–8.88	2,079.58	2,464.41	18.51
3.	लोहा व इस्पात	191.29	222.37	16.24	1,502.12	2,207.66	46.97
4.	परिवहन उपकरण	663.85	127.71	–80.76	3,176.78	2,038.88	–35.82
5.	व्यावसायिक उपकरण, इलैक्ट्रानिक छोड़कर	144.35	136.24	–5.62	1,175.42	1,255.02	6.77
6.	मशीनी औजार	72.32	128.31	77.42	937.23	1,210.50	29.16
7.	कार्बनिक रसायन	94.61	76.84	–18.78	985.23	976.66	–0.87
8.	परियोजना सामान	94.17	32.49	–65.50	447.35	667.99	49.32
9.	अन्य वस्तुएं	53.13	72.58	36.60	548.36	616.31	12.39
10.	कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक सामग्री आदि	53.83	55.80	3.67	517.75	598.58	15.61
11.	धातु विनिर्माण	37.78	44.74	18.43	446.79	534.57	19.65
12.	विद्युत मशीनें, इलैक्ट्रॉनिक छोड़कर	34.25	48.64	42.02	388.23	502.25	29.37

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	रसायन सामग्री व उत्पाद	28.28	31.02	9.68	267.90	341.12	27.33
14.	कोयला, कोक व विकेट्स आदि	13.48	9.45	−29.86	68.13	256.93	277.09
15.	अकार्बनिक रसायन	15.11	18.65	23.41	124.16	202.73	63.28
16.	पेट्रोलियम, अपरिष्कृत व उत्पाद		6.11			180.55	
17.	रंजक, चर्मशोधन, रंगाई सामग्री	12.06	12.94	7.31	164.46	176.46	7.30
18.	अलौह धातुएं	15.57	9.74	−37.40	114.48	156.58	36.78
19.	मा.निर्मित फिलामेंट/स्पर्नयार्न (अप. सहित)	17.15	18.89	10.13	126.21	132.49	4.97
20.	सिंथे. व पुनः संसाधित रबड़	11.08	12.28	10.82	122.14	111.12	−9.02
21.	अलौह खनिज विनिर्माण, मोती छोड़कर	7.50	9.00	20.03	83.79	99.52	18.78
22.	धात्विक अयस्क व धातु स्क्रैप	1.68	40.48	2,309.43	68.02	90.12	32.49
23.	गत्ता व विनिर्माण	5.44	15.86	191.72	62.31	81.58	30.91
24.	औषधि व भेषज उत्पाद	5.89	9.80	66.51	62.49	75.90	21.45
25.	सोना	0.00	0.04	1,097.30	0.04	52.62	134,477.75
26.	अन्य वस्त्र यार्न, फैब्रिक, मेडअप्स वस्तुएं	4.70	4.10	−12.88	43.16	48.61	12.64
27.	सिंथेटिक व रिजनरेटिड फाइबर	3.38	4.13	22.25	40.06	47.07	17.49
28.	काटन यार्न व फैब्रिक्स	1.33	1.58	18.72	29.81	44.40	48.93
29.	भौतिक रूप में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	3.85	2.47	−35.90	57.87	39.08	−32.47
30.	मोती, बेशकीमती, कीमती नगीने	4.15	7.22	73.82	57.42	38.61	−32.76
31.	सल्फर व अनरोस्टेड आयरन पाउडरेट्स	4.16	3.10	−25.44	37.30	20.81	−44.20
32.	मुद्रित पुस्तकें, अखबार, पत्रिकाएं आदि	1.15	5.54	383.71	15.55	17.57	12.98
33.	अन्य अपरिष्कृत खनिज	0.42	1.58	279.87	14.53	13.18	−9.27
34.	मेडअप्स वस्त्र मदें	10.06	0.91	−13.95	5.31	8.49	59.83
35.	ऊनी यार्न व फैब्रिक्स	1.14	0.53	−53.43	9.51	8.41	−11.53
36.	सीमेंट	0.38	6.11	1,514.75	0.44	6.41	1,353.71
37.	प्राथमिक इस्पात ढलवां लोहा आधारित मदें	0.59	0.44	−25.93	8.27	5.69	−31.21
38.	ऊनी व सूती चीथड़े आदि	0.43	0.31	−27.62	5.41	3.29	−39.12
39.	अखबारी कागज़	0.15			3.41	2.75	−19.27

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	सुगन्धित तेल व सौंदर्य प्रसाधन मदें	0.25	0.19	−23.16	3.38	2.48	−26.68
41.	सिलेसिलाए वस्त्र (कढ़े व बुने)	0.03	0.81	2,576.08	0.71	1.97	176.86
42.	अपरिष्कृत चर्म व खाल		0.48		0.03	1.80	5,291.59
43.	लकड़ी व लकड़ी उत्पाद	0.12	0.03	−75.94	1.10	1.47	33.47
44.	लुग्दी व अपशिष्ट कागज	0.05	0.04	−22.22	2.37	1.30	−44.94
45.	उर्वरक परिष्कृत	0.23	0.16	−29.81	0.34	0.98	184.79
46.	चर्म	0.11	0.02	−78.38	0.48	0.38	−19.90
47.	मसाले	0.01	0.00	−74.59	0.23	0.32	42.69
48.	उर्वरक विनिर्मित	0.05			0.79	0.23	−70.83
49.	सब्जियां एवं पशु वसा	0.01			0.01	0.19	1,718.10
50.	अनाज से बनी वस्तुएं	0.02	0.03	106.25	0.12	0.17	36.63
51.	सूत अपरिष्कृतः पिनाया हुआ/पिनाया न गया/अप.				0.06	0.11	72.27
52.	रेशम यार्न फैब्रिक्स				0.04	0.06	56.23
53.	चाय	0.00	0.00	500.00	0.00	0.03	697.67
54.	फल व गिरी, काजू गिरी को छोड़कर				0.01	0.03	132.37
55.	चांदी				0.02	0.02	11.85
56.	वनस्पति तेल, जमा हुआ (खाद्य)		0.02		0.00	0.02	2,442.86
57.	दुग्ध व मक्खन		0.00			0.00	
58.	रेशम, अपरिष्कृत	0.43			1.01		
59.	ऊन, अपरिष्कृत				0.01		
	कुल	2,250.21	1,932.18	−14.13	17,979.90	20,789.61	15.63

अनुसंधान और विकास परियोजनाओं हेतु आसान ऋण

3234. चौ. मुनव्वर हसन : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसंधान और विकास हेतु विभिन्न पहल परियोजनाओं हेतु न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप स्कीम के अंतर्गत आसान ऋण दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संबंधित कम्पनियों और परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) उन चूककर्ता कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने ऋण का समय पर भुगतान नहीं किया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी हां। सीएसआईआर ने सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी

नेतृत्व पहल (एनएनआईटीएलआई) कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक–निजी भागीदारी मोड में सुकेन्द्रित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को जारी रखने के लिए उद्योग को 3% ब्याज पर आसान ऋण उपलब्ध कराता है।

(ख) विभिन्न परियोजनाओं के लिए जारी किए गए ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस ऋण को परियोजना विशेष के समाप्त होने के बाद 10 वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित लौटाया जाना होता है।

(ग) एफआईटीएल, सिकन्दराबाद; एंकर सॉफ्टवेयर, बेंगलौर और ऑप्टिक्स प्रा. लि., पुणे नामक केवल तीन कम्पनियां ऋण की देय राशि की वापसी समय पर नहीं कर पाई हैं। इन कम्पनियों ने ऋण चुकौती के आस्थगन हेतु अनुरोध किया है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कंपनी का नाम	अनुमोदित ऋण	जारी किया गया ऋण	31.03.2008 तक वापस ऋण
1	2	3	4	5	6
1	5 एवं 25 किलोवाट विकेन्द्रीकृत पावर पैक्स	सूद–कैमी इंडिया लि. नई दिल्ली	50.000	50.000	26.500
2	लेटेंट एम. ट्यूबरक्यूलोसिस: नए लक्ष्य, औषध डिलीवरी प्रणाली, जैव संवर्धक और चिकित्सा शास्त्र	ल्यूपिन लि.	1016.000	1016.000	
3	सुअभिनिर्धारित औद्योगिक रसायनों के एल्कलीकरण/एसिलीकरण नाइट्रीकरण हेतु नैनो–पदार्थ उत्प्रेरक और संबंधित प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, पेट्रोलियम ईंधनों से हाइड्रो कार्बन की प्रि–रिफार्मिंग और सल्फर समापन (<50 पीपीएम)	सूद–कैमी इंडिया लि. नई दिल्ली	95.000	95.000	50.065
4	बायोइंफर्मेटिक्स के लिए सर्वतोमुखी, सुवाह्य पीसी आधारित सॉफ्टवेयर	टीसीएस, हैदराबाद	780.000	780.000	389.212
		टीसीएस, हैदराबाद	174.000	174.000	44.506
		जालाजा टैक्नो, बैंगलूर	24.000	24.000	9.918
		एफटीआईएल, सिकन्दराबाद	40.000	40.000	
5	सोरायसिस के उपचार के लिए मुखीय हर्बल सूत्रण का चिकित्सीय अध्ययन	ल्यूपिन लि., मुम्बई	918.000	915.960	
	सोरायसिस चरण–II बी एवं III के उपचार हेतु मुखीय हर्बल सूत्रण का चिकित्सीय अध्ययन	ल्यूपिन लि., मुम्बई	743.350	515.500	
6	नवीन बायोटेक चिकित्सीय अणु–लाइसोस्टेफिन का विकास	बीबीआईएल	655.000	560.620	
	नवीन बायोटेक चिकित्सीय अणु–लाइसोस्टेफिन का विकास–चिकित्सीय जांच	बीबीआईएल	155.700	77.200	

1	2	3	4	5	6
7	एरिथ्रोमाइसिन का क्लेरिथ्रोमाइसिन और अन्य नवीन जैवीकीय रूप से सक्रिय अणुओं में सूक्ष्मजीवी रूपांतरण	एलेम्बिक लि. वडोदरा	28.500	28.500	14.987
8	आंखों के रोगों के लिए नवीन अणिवक नैदानिकी और कमजोर नजर को बढ़ाने वाले उपकरण	एलओपीएल, पुणे	14.750	14.750	
		जाइटोन डाइग्नोस्टिक, बैंगलूर	75.120	69.560	
		इंटरा ऑक्यूलर (राशि पर ब्याज)	0.000		0.129
9	सूरजमुखी और खमीर में α-लाइनोलेनिक अम्ल और डोकोसेहेक्सेओनिक अम्ल (डीएचए) के उत्पादन हेतु पुनर्योगज अभिगम	अवेस्था गेंगरेन	303.500	303.500	41.499
10	पीसी के स्थान पर सस्ता सिम्पल ऑफिस कम्प्यूटिंग (सॉफकॉम) प्लेटफार्म	एंकर सॉफ्टवेयर	330.000	320.000	38.300
11	कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी के लिए पीसी आधारित हाई-एंड थ्रीडी विज्युलाइजेशन प्लेटफार्म-'दर्शी'	स्ट्रैंड जीनोमिक्स बैंगलूर	192.800	186.400	93.263
12	मशीन से सीखने और प्रयोगात्मक विधियों के संयोजन के माध्यम से उन्नत जीनोम एनोटेशन: केस स्टडी के रूप में प्लाजमोडियम फाल्सीपेरम	टीसीएस, हैदराबाद	291.000	291.000	
13	नवीन कवकनाशियों का विकास	आरआरसी, बैंगलूर	280.000	188.290	
14	नवीन एक्सप्रेशन सिस्टम	बायोकॉन	40.300	31.800	
		शांता बायोटिक	49.070	49.070	
15	वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक 'ट्रिपल प्ले' ब्रॉडबैंड विकास	डिवीनेट	938.750	938.750	
16	व्यापक अनुप्रयोगों का विकास करने तथा जागरूकता बढ़ाने के लिए सॉफकॉम और मोबिलिस का विपणन प्रारंभ	एंकर सॉफ्टवेयर	537.000	537.000	
17	स्वस्थाने अभिनिर्धारण सहित समेकित सूक्ष्म पीसीआर प्रणाली का विकास	बिगटेक	606.370	550.000	
18	फुफ्फुस क्षय रोग के उपचार हेतु नवीन सूत्रण-चिकित्सीय अध्ययन	ल्यूपिन लि.	443.000	213.000	
19	कपास में सूखा सहिष्णुता और फाइबर गुणवत्ता संबंधी लक्षणों में सुधार लाने के लिए चयन प्रणाली समर्थित हाई थ्रुपुट मार्कर का विकास	जेके एग्री, हैदराबाद	843.100	211.200	

1	2	3	4	5	6
20	रक्ताधिक्य हृद्पात के डायाग्नोसिस और उपचार के लिए बी–टाइप नेट्रीयूरिटिक पेप्टाइड (बीएनपी) के विकास हेतु नवीन विधि	विरचो बायोटेक, हैदराबाद	414.700	298.100	
21	नैक्स्ट जनरेशन प्लाज्मा डिस्प्ले प्रौद्योगिकी 50" हाई डैफिनेशन (एचडी) टीवी प्रोटोटाइप का विकास	सैमटेल कलर, गाजियाबाद	2063.000	1642.000	
22	अल्ट्रा–वाइड बैंड प्रौद्योगिकी पर आधारित वायरलैस सेंसर नेटवर्क्स के लिए चिपसेट का विकास	वर्चुअल वायर टेक, नई दिल्ली	460.000	322.000	
23	नवीकरणीय संसाधनों से मूल्यअभिवृद्धि वाले पॉलीमरिक पदार्थ: लेक्टिक एसिड और लेक्टिक एसिड आधारित पॉलीमर	गोदावरी, मुम्बई	485.000	210.000	
24	कुशन बांडिड/रिजिड बांडिड आर्गेनिक, सेरामटेलिक कुकी एवं सिंगल/फ्यूल सिंटर्ड बटन्स (कॉपर/आयरन आधारित), सिरामिक कूकर्स तथा एनुलर रिंग स्लच डिस्क्स तथा मैचिंग कवर असैम्बलीज का डिजाइन और विकास	कल्च ऑटो लि., फरीदाबाद	1503.550	1060.000	
25	सेप्सिस के प्रबंधन के लिए नवीन चिकित्सा शास्त्र	कैडिला फार्मा लि.	1702.000	1485.000	
26	एक्यूट इनसेफेलिटिक सिंड्रोम (एईएस) सैप्टीसिमिया और एंटीबायोटिक प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले रोगजन्यों का साथ–साथ पता लगाने के लिए डीएनए मैक्रो–चिप्सं का विकास	जाइटोन डायाग्नोस्टिक्स लि.	357.700	114.440	
	जोड़		16610.260	13292.640	708.379

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु पैकेज

3235. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन हेतु विशेष पैकेज के लिए निधियां आवंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अविध के लिए साफ्टवेयर और हार्डवेयर हेतु घटकों सहित अलग–अलग कुल कितनी निधियां आबंटित की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके लिए आबंटित की गई कुल निधियां 369.83 करोड़ रू. हैं। वर्ष 2007–08 और 2008–09 के दौरान हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के लिए आबंटित की गई नीधियां निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	पूंजी (हार्डवेयर)	राजस्व (सॉफ्टवेयर)
2007–08	47.50	17.50
2008–09	51.00	16.56

हॉकरों द्वारा अतिक्रमण

3236. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने देश में विशेषकर दिल्ली के थानाध्यक्षों (एस.एच.ओ) को अपने संबंधित क्षेत्रों में हॉकरों और वेन्डरों द्वारा किए गए अतिक्रमण से सभी फुटपाथों को मुक्त कराने के लिए कोई निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या थानाध्यक्षों (एस.एच.ओ.) ने हॉकरों और वेन्डरों के द्वारा किए गए अतिक्रमणों से अब तक सभी फुटपाथों को मुक्त करा लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन में विफल रहने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

हिरासत में हुई मौतों से संबंधित कानून में संशोधन

3237. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में हिरासत में हुई मौतों की जांच में कई खामियां रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने हिरासत में होने वाली मौतों से संबंधित कानून को संशोधित करने का सुझाव दिया था;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस कानून को कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को हिरासात में हुई मृत्यु के सभी मामलों की सूचना घटना के 24 घंटों के अन्दर जांच–पड़ताल रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट जांच–रिपोर्ट, शव–परीक्षा रिपोर्ट जैसे संबंधित रिपोर्टों के साथ एन एच आर सी को सूचित करना आवश्यक है। एन एच आर सी ने शव–परीक्षण रिपोर्टों की वीडियोग्राफी के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग को सूचित सभी मामलों का विश्लेषण और संवीक्षा आयोग के जांच प्रभाग द्वारा की जाती है। आयोग ऐसे मामलों, जहां कोई चूक, कुकृत्य अथवा लापरवाही पाई जाती है अथवा उसका संदेह होता है, तो उनको संबंधित राज्य प्राधिकारियों के साथ उठाता है तथा ऐसे सभी मामलों में निर्देश जारी करता है। ऐसे मामलों में आयोग संबंधित प्रतिवादी प्राधिकारियों से आवश्यक रिपोर्ट भी मांगता है अथवा तर्कसंगत निर्णय तक विशेष जांच एजेंसियों द्वारा आगे जांच करने का आदेश देता है।

एन एच आर सी को विगत एक वर्ष अर्थात् 1.4.2007 से 31.3.2008 के दौरान न्यायिक हिरासत में मृत्यु के संबंध में 1789 सूचनाएं तथा पुलिस हिरासत में मृत्यु के संबंध में 189 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(ग) से (ङ) दांडिक प्रक्रिया संहिता की धारा 176 में दांडिक प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 2005 की संहिता के जरिए यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया है कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा उसके गायब होने अथवा किसी महिला के बलात्कार के मामले में अनिवार्य न्यायिक जांच करवाई जाएगी तथा मृत्यु के मामले में मृत्यु होने के 24 घंटों के अन्दर शव का परीक्षण करवाया जाएगा।

[हिन्दी]

माध्यमिक शिक्षा में मानांकन

3238. श्री छत्तर सिंह दरबार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान के परिणामस्वरूप माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में हुई वृद्धि के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि हुई है;

(ग) विद्यार्थियों की बढ़ी हुई संख्या के लिए समुचित शिक्षा व्यवस्था करने हेतु माध्यमिक विद्यालयों में विकसित की गई अवसंरचना और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या और अधिक संख्या में माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु किसी केन्द्रीय योजना पर विचार किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) 'एडुसेट' के माध्यम से प्रत्येक राज्य को क्या सुविधाएं मुहैया करायी जा रही हैं; और

(छ) 'एडुसेट' सुविधा मुहैया कराने हेतु विद्यालयों को कितना आबंटन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति ने "माध्यमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण" विषयक अपनी रिपोर्ट (जून, 2005) में यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2007–08 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान की 100% सफलता के आधार पर कक्षा IX-X में 3.48 करोड़ विद्यार्थी और सर्व शिक्षा अभियान की 75% सफलता के आधार पर 2.80 करोड़ विद्यार्थी दाखिला लेंगे। इस मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए चुनिंदा शैक्षिक आंकड़े (अनन्तिम) में यथानिर्दिष्ट वर्ष 2005–06 (30.9.2005 की स्थितिनुसार) में कक्षा IX तथा X हेतु दाखिला संख्या 2.50 करोड़ थी।

स्कूल शिक्षा मुख्यतः राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है और यह मूल रूप से उनकी जिम्मेदारी है कि माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करे। केन्द्र सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार करने संबंधी केन्द्रीय प्रयोजित योजना को लागू करने का भी निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक बस्ती के एक उचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था करके सभी युवाओं को कम लागत पर अच्छी गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध एवं सुलभ कराना है।

(च) और (छ) विभिन्न एजेंसियों द्वारा एडुसेट के जरिए निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती है:–

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन अपने कक्षाकक्ष कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण हेतु एडुसैट नेटवर्क का उपयोग करते हैं, और सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल (एस. आई. टी) अथवा रिसीव ओनली टर्मिनल (आर ओ टी) युक्त सभी संस्थाएं इन कार्यक्रमों को दिखाती हैं।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सेमिनारों का संचालन करके अधिकांशः पाठ्यचार्या आधारित हेतु ए आई सी टी ई–एडुसैड नेटवर्क के जरिए इन कार्यक्रमों का प्रसारण करती हैं।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पाठ्यचर्या आधारित शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों और सॉफ्टवेयर विषयवस्तु निर्माण हेतु टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सत्र का संचालन करता है।
- एन सी ई आर टी शिक्षकों तथा शिक्षक शिक्षा हेतु इंटरएक्टिव प्रबोधन/प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करती है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सामूहिक परिचर्चा, व्याख्यान, डिमॉन्स्ट्रेशन, वीडियो शो, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों हेतु एडुसैट नेटवर्क का उपयोग करता है।

[अनुवाद]

बाड़ लगाने के कार्य की प्रगति की समीक्षा

3239. श्री दुष्यंत सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत की सीमाओं पर बाड़ लगाने के कार्य की प्रगति की कोई समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो सीमावर्ती क्षेत्रों पर बाड़ लगाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र की तुलना में अभी तक हुई प्रगति का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) सरकार ने भारत–पाकिस्तान और भारत–बंग्लादेश सीमाओ पर बाढ़ के निर्माण का कार्य शुरु किया है। गृह सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति सहित विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा नियमित रूप से बाड़ के कार्य की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

बाड़ लगाए जाने के लिए प्रस्तावित सीमा की लम्बाई की तुलना में पूरी की गई बाड़ के राज्य वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

भारत–पाकिस्तान सीमा

(लम्बाई कि. मी. में)

राज्य का नाम	सीमा की कुल लम्बाई	बाड़ लगाए जाने के लिए प्रस्तावित सीमा की कुल लम्बाई	अभी तक सीमा पर लगाई गई बाड़ की लम्बाई (फरवरी, 2008 तक)	बाड़ लगाए जाने के लिए बाकी सीमा की लम्बाई
1	2	3	4	5
पंजाब	553	461	462.45*	–
राजस्थान	1037	1056.63	1048.27*	–

1	2	3	4	5
जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा	210	180	184.59*	–
गुजरात	508	310	217	93
कुल	2308	2007.63	1912.31	93

*स्थालाकृति तथ्यों/बाड़ के संरेखण के कारण लम्बाई भिन्न-भिन्न है।

भारत–बांगलादेश सीमा

(लम्बाई कि. मी. में)

राज्य का नाम	सीमा की कुल लम्बाई	बाड़ लगाए जाने के लिए प्रस्तावित सीमा की कुल लम्बाई	अभी तक सीमा पर लगाई गई बाड़ की लम्बाई (फरवरी, 2008 तक)	बाड़ लगाए जाने के लिए बाकी सीमा की लम्बाई
पश्चिम बंगाल	2216.70	1528.00	1186.25	341.75
असम	263.00	223.81	200.71	23.10
मेघालय	443.00	399.06	378.25	20.81
त्रिपुरा	856.00	856	684.14	174.86
मिजोरम	318.00	400.00*	122.75	277.25
कुल	4096.70	3406.87	2572.10	834.77

*स्थलाकृति तथ्यों/बाड़ के संरेखण के कारण लम्बाई भिन्न-भिन्न है।

लाइसेंसशुदा आग्नेयास्त्रों से हत्या

3240. श्री भाईलाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लाइसेंसशुदा आग्नेशस्त्रों से हत्या की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य–वार आज की तिथि तक कुल कितने ऐसे मामले दर्ज किए गए; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा संकलति आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2004 से 2006 के दौरान देश में लाइसेंसशुदा आग्नेयास्त्रों के प्रयोग से क्रमशः कुल 813, 556 और 587 व्यक्ति मारे गए थे, इस प्रकार ये आंकड़ों मिश्रित प्रकृति को दर्शाते हैं।

(ख) लाइसेंसशुदा आग्नेयास्त्रों द्वारा की गई हत्याओं के मामलों की संख्या एन सी आर बी द्वारा नहीं रखी जाती है। वर्ष 2004 से 2006 के दौरान लाइसेंसशुदा आग्नेयास्त्रों के प्रयोग से मारे गए व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सरकार हथियारों के अप्रसार की नीति और सख्त गन नियंत्रण प्रणाली का अनुसरण कर रही है जिसमें शामिल हैं:–

I सशस्त्र और गोली बारूद के निर्माण हेतु नए लाइसेंस जारी नही करना :–

II छोटे हथियारों और गोली बारूदों का निमार्ण करने वाले मौजूदा कोटे को न बढ़ाने के आदेश और

III केवल उन नागरिकों को हथियारों का लाइसेंस दिया जाना जिनकी जिन्दगी को बड़ा/गंभीर खतरा है।

विवरण

वर्ष 2004 से 2006 के दौरान लाइसेंस शुदा अग्नेयास्त्रों के प्रयोग से मारे गए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2004	2005	2006
1	2	3	4	5
राज्य:				
1	आंध्र प्रदेश	8	13	0
2	अरुणाचल प्रदेश	3	5	4
3	असम	5	1	4
4	बिहार	107	45	19

1	2	3	4	5
5	छत्तीसगढ़	2	27	1
6	गोवा	0	0	0
7	गुजरात	5	9	6
8	हरियाणा	18	19	23
9	हिमाचल प्रदेश	3	5	0
10	जम्मू और कश्मीर	14	1	22
11	झारखंड	0	0	8
12	कर्नाटक	5	9	3
13	केरल	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	67	61	49
15	महाराष्ट्र	5	7	3
16	मणिपुर	2	3	12
17	मेघालय	0	0	0
18	मिजोरम	4	4	2
19	नागालैंड	3	7	2
20	उड़ीसा	4	0	0
21	पंजाब	72	54	71
22	राजस्थान	36	13	17
23	सिक्किम	0	0	0
24	तमिलनाडु	0	1	0
25	त्रिपुरा	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	437	257	330
27	उत्तरांचल	5	3	6
28	पश्चिम बंगाल	2	0	1
	कुल (राज्य)	807	544	583
	संघ शासित क्षेत्र			
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	1	0	0
32	दमन और दीव	0	0	0
33	दिल्ली	5	12	4
34	लक्षद्वीप	0	0	0
35	पांडिचेरी	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	6	12	4
	कुल (अखिल भारत)	813	556	587

स्रोत : भारत में अपराध

भारतीय केलों का खाड़ी देशों में निर्यात

3241. श्री हितेन बर्मन :
श्री रमेन बर्मन :
श्री सुव्रत बोस :
श्री नरहरि महतो :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज की तिथि तक केलों तथा इसके उत्पादों के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय केलों तथा इसके उत्पादों का निर्यात खाड़ी देशों में किए जाने की संभावनाओं का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) :(क) जी, नहीं।

केला उत्पादों के निर्यात संबंधी आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) निर्यातकों से प्राप्त पूरक सूचना से यह पता चलता है कि फिलीपीन्स, थाईलैंड, चीन तथा लैटिन अमेरिका जैसे केला उत्पादक देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण केला तथा उसके उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई है।

(ग) और (घ) भारतीय केले का निर्यात खाड़ी देशों को किया जा रहा है। कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा खाड़ी देशों सहित विभिन्न बाजारों को केले तथा उसके उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के लिए उठाए गए कदमों में केलों के लिए गुजरात में एक तथा महाराष्ट्र में दो पैकहाउसों की स्थापना, केरल तथा महाराष्ट्र में केलों के लिए एक-एक कृषि निर्यात जोन की स्थापना, पैकेजिंग मानकों के विकास के लिए वित्तीय सहायता तथा अवसंरचना विकास, बाजार विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन सहायता संबंधी स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्रदान करना शामिल है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केले के निर्यात में गिरावट केवल वर्ष 2006-07 में ही दिखाई दी है। गत चार वर्षों के दौरान केले के निर्यात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

(मात्रा मी. टन में; मूल्य करोड़ रूपए में)

2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08*
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मूल्य
10876	11.71	12817	13.42	14411	23.36	11475	16.06	5.56

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस) * अप्रैल-जून, 2007 के लिए अनंतिम

विश्वविद्यालयों की रैंकिंग

3242. श्री महावीर भगोरा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भारत का विश्व में 17 वां स्थान है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा भारतीय विश्वविद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित नियमों एवं विनियमों पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण भारतीय विश्वविद्यालयों के स्तर में कमी आई; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय विश्वविद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) यद्यपि कतिपय संस्थाएं या एजेंसियां अपने मानदण्डों के अनुसार कभी-कभी विश्वविद्यालयों या शैक्षिक संस्थाओं की वरीयता सूचियां प्रकाशित करती हैं, तथापि विश्वविद्यालयों की वैश्विक वरीयता सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रमाणिक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नहीं हैं।

(ग) और (घ) उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता-सुधार एक सतत प्रक्रिया है। उच्चतर शिक्षा के विस्तार, शामिल न किए गए राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों जैसी संस्थाओं की स्थापना, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थानों, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों और आयोजना एवं वास्तुकला स्कूलों की स्थापना के लिए ग्यारहवीं योजना में योजनागत आबंटन में पर्याप्त वृद्धि की अभिकल्पना की गई है। उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार के लिए ग्यारहवीं योजना के दौरान वर्तमान संस्थानों की क्षमता में विस्तार, उच्चतर शिक्षा में राज्य परिव्यय में वृद्धि के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन, विश्वविद्यालयों में विज्ञान आधारित अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण, सेमेस्टर प्रणाली की शुरूआत, संकाय सुधार कार्यक्रम और अन्य सुधार भी प्रस्तावित हैं।

गंभीर रोगों के लिए अनुसंधान एवं विकास

3243. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंभीर रोगों यथा कैंसर, तपेदिक तथा अन्य घातक रोगों के संबंध में आधुनिक तकनीक के अनुसंधान तथा विकास हेतु प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्य के लिए स्वीकृत, भरे गए तथा रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आवश्यकतानुसार पदों तथा प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्रावधान है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक अनुसंधान एवं विकास के लिए व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। कैंसर, तपेदिक और अन्य घातक बीमारियों जैसी गम्भीर बीमारियों के संबंध में आधुनिक तकनीकों के अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रावधान है। जैवप्रौद्योगिकी विभाग विभिन्न प्रकार के कैंसर, तपेदिक और अन्य घातक बीमारियों पर विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों/विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त पोषण कर रहा है। तपेदिक पर लगभग 70 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं; कैंसर पर 100 और अन्य घातक बीमारियों पर लगभग 200 परियोजनाएं कार्यरत हैं। अनुसंधान एवं विकास जीनोमिक्स और प्रोटियो मिक्स उपायों का प्रयोग करते हुए प्ररंभिक नैदानिकी और पूर्वानुमानः टीका विकास और बिमारियों के रोग–जीवविज्ञान से संबंधी मूलभूत अनुसंधान से संबंधित है।

(ग) विभाग वित्तपोषित परियोजनाओं में वैज्ञानिक/तकनीकी जनशक्ति/कर्मिकों को नियुक्त किए जाने के लिए प्रावधान करता है। तथापि, ऐसे प्रावधान परियोजना के सह–अवसानिक अवधि तक हैं। ऐसी परियोजनाओं के अंतर्गत औसतन 2 वैज्ञानिक/तकनीकी कार्मिकों को छात्रवृत्तियां/परिलब्धियां प्रदान की जाती हैं। अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के अंतर्गत कोई नियमित पद संस्वीकृत नहीं की जाती।

(घ) और (ङ) लागू नहीं होता।

(च) विगत 3 वर्षों में ऐसी बीमारियों के अनुसंधान एवं विकास के अनुगमन के लिए लगभग 30,000.00 लाख रूपए का कुल वित्तपोषण किया गया है।

[अनुवाद]

सरकारिया आयोग

3244. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारिया आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तां तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सरकारिया आयोग द्वारा 1988 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विभिन्न राज्य सरकारों से अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सभी क्षेत्रों में शक्तियों, कार्यों तथा दायित्वों के संबंध में केन्द्र और राज्यों के बीच व्यवस्थाओं के कार्यकरण की जांच और समीक्षा करने तथा यथा उपयुक्त परिवर्तनों अथवा अन्य उपायों की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार ने न्यायपमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जून, 1983 में एक आयोग का गठन किया था। 1988 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आयोग ने 247 सिफारिशें की थीं। अन्तर–राज्य परिषद, जिसमें राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के क्रमशः सभी मुख्यमंत्री और प्रशासक शामिल हैं, ने सभी सिफारिशों पर विचार किया तथा सर्वसममति से अंतिम निर्णय लिया है। अंतर–राज्य परिषद ने जिन 179 सिफारिशों को स्वीकार किया था, सरकार ने उन्हें स्वीकार और कार्यान्वित कर दिया है। 65 सिफारिशों ने तो अंतर राज्य परिषद ने और न ही संघ सरकार ने स्वीकार की हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

3245. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान तथा अन्य राज्यों में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत वर्ष–वार, एजेंसी–वार कार्यक्रम/योजना–वार अनुदानों, ऋणों, अन्य वित्तीय सहायता के रूप में कितनी निधि व्यय की गई; और

(ख) उक्त कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इन पर व्यय की गई लेखा–परीक्षित राशियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' नामक कोई योजना/कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जाता। तथापि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–03 से 2006–07 तक) के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई अनुदान राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग में 2002–03 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां (योजनागत)

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एस.एस.ए.	ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड	शिक्षक शिक्षा	डीपीईपी	महिला समाख्या	लोक जुम्बिश	मध्याह्न भोजन	शिक्षाकर्मी	साक्षरता अभियान और ऑपरेशन रेस्टोरेशन	जन शिक्षण संस्थान	सतत शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा के लिए एन.जी.ओ. को सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	8226.10	0.00	19.00	16500.00	0.00	0.00	9638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	1412.00	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	10175.92	805.31	672.53	0.00	0.00	0.00	5328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	7914.97	0.00	319.50	6400.00	0.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	3639.73	2778.59	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	0.00	0.00	47.64	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	14004.30	0.00	1961.14	4668.00	0.00	0.00	1173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	हरियाणा	2735.87	0.00	961.88	0.00	0.00	0.00	2695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	1717.62	0.00	797.48	0.00	0.00	0.00	1181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	1948.85	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	झारखंड	3244.32	0.00	0.00	4100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	8270.46	0.00	1437.34	0.00	0.00	0.00	5905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	केरल	2250.78	0.00	617.74	0.00	0.00	0.00	2963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	11017.10	0.00	1157.05	0.00	0.00	0.00	8238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	महाराष्ट्र	11000.00	0.00	257.30	0.00	0.00	0.00	14265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	मणिपुर	0.00	0.00	98.84	0.00	0.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	मेघालय	711.37	0.00	193.49	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मिजोरम	903.29	833.06	166.02	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	नागालैंड	973.28	0.00	243.17	0.00	0.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	उड़ीसा	2214.15	11.38	584.02	7300.00	0.00	0.00	6528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	पंजाब	4868.00	0.00	889.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	9995.58	0.00	1259.39	11300.00	0.00	0.00	5438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	सिक्किम	425.14	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	13526.90	0.00	1734.18	0.00	0.00	0.00	5059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	त्रिपुरा	1162.18	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	20245.40	0.00	1965.27	23900.00	0.00	0.00	24313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	उत्तरांचल	2067.69	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	पश्चिम बंगाल	10867.61	0.00	98.01	7850.00	0.00	0.00	12770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दमन और दीव	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	161.27	0.00	468.57	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	पांडिचेरी	116.46	0.00	58.59	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	गैर सरकारी संगठन/ अन्य एजेंसियां आदि	1097.68	0.00	0.00	0.00	735.00	6000.00	0.00	0.00	2457.00	2332.00	13303.00	2203.00
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	156926.00	4428.34	16166.04	84018.00	735.00	6000.00	109893.00	0.00	2457.00	2332.00	13303.00	2203.00

शब्द संक्षेप – एसएसए : सर्व शिक्षा अभियान डीपीईपी : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

माध्यमिक और उच्चतर विभाग में 2002–03 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां (योजनागत)

(रु. लाख में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	व्यावसायिक शिक्षा	स्कूलों में गुणवत्ता सुधार	स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	आई.ई.डी. सी.	ए.आई. एम.एम.पी.	भाषा शिक्षकों की नियुक्ति	संस्कृत का विकास	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभावान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	63.32	968.51	143.32	27.51	0.00	35585.76
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.19	0.00	0.00	1668.39
3	असम	0.00	584.59	0.00	0.00	0.00	276.20	2.70	0.00	17845.25
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15053.47
5	छत्तीसगढ़	0.00	108.60	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6832.92
6	गोवा	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.64
7	गुजरात	467.58	0.00	0.00	798.15	0.00	0.00	0.00	0.00	23072.17
8	हरियाणा	329.00	0.00	39.30	30.33	0.00	0.00	1.08	0.42	6792.88
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.42	0.00	3851.52
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	2000.88
11	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7344.32
12	कर्नाटक	0.00	500.00	0.00	517.02	0.00	167.05	23.71	0.00	16820.58
13	केरल	0.00	0.00	0.00	376.73	0.00	95.46	5.96	0.00	6309.67
14	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	571.12	205.98	0.00	757.97	0.00	21947.22
15	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	140.50	0.00	0.00	14.52	0.00	25677.32
16	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	129.15	0.00	133.45	0.00	0.00	914.44

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
17	मेघालय	0.00	0.00	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	931.59
18	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	33.58	0.00	273.37	0.00	0.00	2443.32
19	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1935.45
20	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	51.56	0.00	0.00	17.90	0.00	16707.01
21	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5841.00
22	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	33.66	0.00	0.00	10.53	12.39	28049.55
23	सिक्किम	291.48	0.00	72.50	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	861.16
24	तमिलनाडु	0.00	0.00	72.66	0.00	0.00	0.00	44.23	0.00	20436.97
25	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	8.20	45.72	0.00	6.89	0.04	2088.03
26	उत्तर प्रदेश	375.00	0.00	0.00	0.00	1624.37	0.00	16.78	0.00	72439.82
27	उत्तरांचल	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5163.69
28	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	469.84	47.61	0.00	0.00	23.82	0.00	32126.89
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	87.49
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00	0.00	10.00	0.00	19.34
31	दादरा और नगर हवेली	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.18
32	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.23	31.40
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.10	1039.51
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98
35	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	204.56
36	गैर सरकारी संगठन/अन्य एजेंसियां आदि	24.94	406.63	1422.70	549.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30531.35
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	1488.00	1880.00	2452.00	3384.41	2844.58	1261.04	1122.62	23.69	412917.72

संक्षेप:– आई.ई.डी.सी. विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा ए.आई.एम.एम.पी. क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम

प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग में 2003–04 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां (योजनागत)

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एस.एस.ए	शिक्षक ब्लैकबोर्ड	डीपीईपी शिक्षा	महिला समाख्या	लोक जुम्बिश	मध्याह्न भोजन	शिक्षाकर्मी	साक्षरता अभियान और ऑपरेशन रेस्टोरेशन	जन शिक्षण संस्थान	सतत शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा के लिए एन.जी.ओ. को सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	9884.41	1933.35	9000.00	0.00	0.00	1946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	675.35	90.56	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	12190.43	593.20	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	19515.75	0.00	12833.00	0.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	6589.02	950.73	0.00	0.00	0.00	5743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	0.00	53.64	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	11660.13	494.29	2888.00	0.00	0.00	2274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	हरियाणा	6895.55	326.08	0.00	0.00	0.00	2643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	5462.17	631.69	0.00	0.00	0.00	1428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	5326.62	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	झारखंड	11474.31	0.00	7150.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	10426.67	1021.49	0.00	0.00	0.00	7980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	केरल	4966.00	374.45	0.00	0.00	0.00	3114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	35237.91	1064.20	0.00	0.00	0.00	11128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	महाराष्ट्र	20526.67	1049.13	0.00	0.00	0.00	2040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मणिपुर	500.00	121.14	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	मेघालय	825.77	20.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मिजोरम	1182.37	390.20	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	नागालैंड	0.00	295.91	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	उड़ीसा	13453.27	240.03	6138.00	0.00	0.00	6576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	पंजाब	6492.49	589.25	0.00	0.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	15627.00	993.54	18500.00	0.00	0.00	8367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	सिक्किम	269.73	63.14	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	10505.84	548.18	0.00	0.00	0.00	6068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	त्रिपुरा	2752.39	144.11	0.00	0.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	34043.30	1661.04	11960.00	0.00	0.00	25429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	उत्तरांचल	3522.02	787.72	1152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	पश्चिम बंगाल	16748.23	62.50	8140.00	0.00	0.00	13658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	224.54	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	दादरा और नगर हवेली	447.42	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	1959.62	371.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	28.31	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	पांडिचेरी	141.06	52.30	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	गैर सरकारी संगठन/ अन्य एजेंसियां आदि	3391.69	0.00	1030.00	1030.00	12500.00	0.00	1000.00	2499.55	2585.97	14449.77	2450.00
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	273230.00	14962.87	77761.00	1030.00	12500.00	137499.00	1000.00	2499.55	2585.97	14449.77	2450.00

संक्षेप शब्द : एसएसए : सर्व शिक्षा अभियान डीपीईपी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

माध्यमिक और उत्तर विभाग में 2003–04 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां (योजनागत)

(लाख रु. में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	व्यावसायिक शिक्षा	स्कूलों में गुणवत्ता सुधार	आई.ई.डी.सी.	स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	सुलभता के साथ पहुंच	ए.आई. एम.एम. एम.पी.	भाषा शिक्षकों की नियुक्ति	संस्कृत का विकास	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभावान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	कुल सी. एस.एस. दोनों विभाग
1	2.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	13.05	0.00	0.00	1026.04	92.52	0.00	0.00	0.00	41595.37
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.93	0.00	0.00	0.00	938.84
3	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	0.00	1342.06
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	32925.67
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13282.75
6	गोवा	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	66.89
7	गुजरात	0.00	0.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	18252.82
8	हरियाणा	27.90	0.00	180.67	0.00	0.00	998.62	0.00	3.72	0.00	0.96	11076.50
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.44	0.00	0.00	7643.30
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5408.30
11	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18659.31
12	कर्नाटक	0.00	0.00	541.48	0.00	0.00	0.00	252.95	102.35	0.00	0.00	20324.94
13	केरल	247.20	348.60	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.50	0.00	0.00	10092.75
14	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	48237.69
15	महाराष्ट्र	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37	0.00	0.00	42087.17
16	मणिपुर	47.65	0.00	670.45	0.00	0.00	0.00	80.00	6.44	0.00	0.00	1183.68

1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
17	मेघालय	0.00	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	1127.66
18	मिजोरम	8.79	0.88	19.40	0.00	0.00	0.00	300.31	0.00	0.00	0.00	1934.95
19	नागालैंड	0.00	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00	164.40	0.00	0.00	0.00	505.72
20	उड़ीसा	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26662.80
21	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.85	11.85	7604.59
22	राजस्थान	0.00	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43526.94
23	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	526.72
24	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07	0.00	0.00	17130.09
25	त्रिपुरा	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	48.96	0.00	6.89	0.00	0.55	3493.90
26	उत्तर प्रदेश	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.78	0.00	12.76	0.00	0.00	73997.88
27	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5461.74
28	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29	0.00	0.00	38654.49
29	अ. और नि. द्वीपसमूह	0.00	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.97
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	263.41
31	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.42
32	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.23	16.35
33	दिल्ली	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	2506.84
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.31
35	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	269.93
36	गैर सरकारी संगठन/ अन्य एजेंसियां आदि	3.32	554.00	649.78	900.00	591.89	0.00	0.00	454.58	0.00	0.00	43060.55
	कुल (राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र)	709.86	1113.00	3846.97	900.00	591.89	2900.00	1019.11	1479.00	14.06	2.25	552544.30

स्पष्टीकरण:– आई.ई.डी.सी. विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा ए.आई.एम.एम.पी. क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम

प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग में 2004–05 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां (योजनागत)

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एस.एस.ए.	शिक्षक शिक्षा	डीपीईपी	महिला समाख्या	जीजीवी	लोक जुम्बिश	मध्याह्न भोजन	शिक्षाकर्मी	साक्षरता अभियान और ऑपरेशन रेस्टोरेशन	जन शिक्षण संस्थान	सतत शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा के लिए एन.जी.ओ. को सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	28000.00	1841.81	15500.00	0.00	1823.77	0.00	21645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	3009.00	0.00	0.00	0.00	210.74	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	20654.00	1093.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	31970.56	0.00	3700.00	0.00	4.00	0.00	20909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	20786.76	1018.16	0.00	0.00	810.33	0.00	10458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	14072.00	1384.11	2297.00	0.00	497.03	0.00	4233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	हरियाणा	12881.55	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	6144.00	0.00	0.00	0.00	192.47	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	7747.18	0.00	0.00	0.00	4.33	0.00	3083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	झारखंड	16568.50	0.00	7751.00	0.00	4.00	0.00	13317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	26280.70	1638.46	0.00	0.00	845.47	0.00	6513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	केरल	8939.00	636.47	0.00	0.00	0.00	0.00	22088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	44608.92	2348.14	0.00	0.00	700.81	0.00	26355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	महाराष्ट्र	35489.79	1232.45	0.00	0.00	527.61	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मणिपुर	1225.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	मेघालय	2930.81	149.93	0.00	0.00	13.32	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मिजोरम	3300.24	322.68	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	नागालैंड	2088.49	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	उड़ीसा	21807.27	555.43	2991.00	0.00	884.02	0.00	3297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	पंजाब	3040.00	280.80	0.00	0.00	32.55	0.00	20276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	23549.40	1648.07	10500.00	0.00	350.65	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	सिक्किम	1000.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	26517.00	2046.01	0.00	0.00	644.39	0.00	1297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	त्रिपुरा	4703.96	0.00	0.00	0.00	32.54	0.00	2134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	87761.00	2453.87	9469.00	0.00	676.03	0.00	41188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	उत्तरांचल	9144.70	0.00	1310.00	0.00	291.11	0.00	29701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	पश्चिम बंगाल	46024.36	205.00	6291.00	0.00	711.43	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	272.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	447.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	दादरा और नगर हवेली	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	पांडिचेरी	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	एनजीओ/अन्य एजेंसियां	2660.85	0.00	0.00	1475.00	0.00	2941.00	0.00	5204.00	2539.14	2782.07	15546.47	1793.82
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	513975.29	20253.38	59809.00	1475.00	9256.60	2941.00	282053	5204.00	2539.14	2782.07	15546.47	1793.82

शब्द संक्षेप :– एसएसए : सर्व शिक्षा अभियान केजीबीवी : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय डीपीईपी : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

माध्यमिक और उत्तर विभाग में 2004–05 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां (योजनागत)

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	व्यावसायिक शिक्षा	स्कूलों में गुणवत्ता सुधार	आई.ई.डी.सी.	स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	सुलभता के साथ पहुंच	ए.आई. एम.एम.पी.	भाषा शिक्षकों की नियुक्ति	संस्कृत का विकास	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना छात्रवृत्ति	प्रतिभावान ग्रामीण बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	कुल सी.एस.एस. दोनों विभाग
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	आंध्र प्रदेश	500.55	0.00	0.00	527.59	0.00	0.00	120.40	0.00	0.00	0.00	69959.12
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.13	0.00	0.00	0.00	3728.87
3	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29852.49
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	56626.76
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	33073.49
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	034	8060.34
7	गुजरात	0.00	0.00	765.87	0.00	0.00	0.00	8.40	33.13	0.00	0.00	23290.54
8	हरियाणा	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1.20	0.00	0.00	0.63	15850.61
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.81	0.00	0.00	6687.28
10	जम्मू और कश्मीर	599.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11434.20
11	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	37648.30
12	कर्नाटक	0.00	0.00	772.91	389.52	0.00	0.00	406.60	0.00	0.00	0.00	36846.66
13	केरल	1425.00	0.00	337.38	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	33436.05
14	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	118.57	0.00	0.00	478.84	1.80	285.51	0.00	23.24	74920.83
15	महाराष्ट्र	0.00	0.00	123.02	0.00	0.00	0.00	88.74	0.00	0.00	15.95	38451.56
16	मणिपुर	0.00	0.00	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	3983.67

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
17	मेघालय	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	3413.03
18	मिजोरम	150.00	64.37	61.46	0.00	0.00	0.00	330.82	0.00	0.00	0.00	5087.57
19	नागालैंड	0.00	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	20663.97
20	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.17	0.00	0.00	29562.89
21	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	23641.35
22	राजस्थान	0.00	0.00	67.55	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	36387.07
23	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.83	0.00	0.00	12289.08
24	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	1.20	4.95	0.00	0.00	30511.27
25	त्रिपुरा	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	45.72	0.00	12.78	1.26	0.01	6996.95
26	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1229.72	34.80	29.04	8.42	0.00	142849.88
27	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40446.81
28	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00	53472.03
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	322.03
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	3.34	0.00	0.00	494.01
31	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.91
32	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.21	1370.24
33	दिल्ली	0.00	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.60	4.56	0.00	0.26	610.68
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
35	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.10	0.10	1229.97
36	एनजीओ/अन्य एजेंसियां	4.54	457.28	1107.04	1021.58	372.36	0.00	0.00	202.39	0.00	0.00	38107.54
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	2813.69	521.65	3657.51	1938.69	372.36	2205.72	1487.49	751.99	21.81	42.40	931442.08

शब्द संक्षेप :– एसएसए : सर्व शिक्षा अभियानकेजीबीवी : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय डीपीईपी : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2005–06 के दौरान जारी अनुदान (योजनागत)

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एस.एस.ए.	शिक्षक शिक्षा	डीपीईपी	मध्याह्न भोजन	महिला समाख्या	केजीबीवी	शिक्षाकर्मी	साक्षरता अभियान और ऑपरेशन रेस्टोरेशन	जन शिक्षण संस्थान	सतत शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा के लिए एन.जी.ओ. को सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	37999.00	496.20	1000.00	21201.44	0.00	2679.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	4442.51	420.40	0.00	401.90	0.00	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	13850.00	675.67	0.00	10885.25	0.00	350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	32399.56	0.00	6000.00	36782.62	0.00	2794.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	30184.39	0.00	0.00	9675.89	0.00	766.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	728.12	0.00	0.00	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	15084.84	227.20	795.10	10526.76	0.00	326.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	हरियाणा	10196.55	0.00	0.00	4050.12	0.00	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	7614.66	0.00	0.00	2196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	18530.65	0.00	0.00	1542.56	0.00	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	झारखंड	28568.50	0.00	6145.00	13162.89	0.00	4083.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	28303.78	2101.85	0.00	14726.33	0.00	1584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	केरल	5939.00	496.16	0.00	4476.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	77173.12	1839.74	0.00	26197.07	0.00	1769.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	महाराष्ट्र	50235.31	50.00	0.00	13563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मणिपुर	3208.44	601.52	0.00	915.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	मेघालय	1921.00	381.30	0.00	1600.93	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मिजोरम	2559.15	440.21	0.00	290.97	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	नागालैंड	2323.01	592.58	0.00	550.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	उड़ीसा	32792.50	822.19	2706.50	7304.95	0.00	2114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	पंजाब	14683.89	1644.34	0.00	1774.16	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	60313.43	2434.69	12552.42	17410.58	0.00	1272.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	सिक्किम	1062.50	0.00	0.00	463.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	35329.53	0.00	0.00	13646.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	त्रिपुरा	7070.19	6.73	0.00	1688.40	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	182799.00	4971.48	17842.00	51277.82	0.00	3768.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	उत्तरांचल	10004.00	1617.39	5651.00	2962.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	पश्चिम बंगाल	34199.79	630.01	3780.00	45464.52	0.00	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	163.00	0.00	0.00	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	350.00	0.00	0.00	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दमन और दीव	111.91	0.00	0.00	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	1100.00	600.00	0.00	3093.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	पांडिचेरी	529.40	0.00	0.00	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	एनजीओ/अन्य एजेंसियां	5069.27	0.00	0.00	0.00	1900.00	0.00	650.00	3029.75	4208.42	14909.01	1486.02
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	756840.00	21049.66	56482.02	318512.87	1900.00	22362.89	650.00	3029.75	4208.42	14909.01	1486.02

शब्द संक्षेप :– एसएसए : सर्व शिक्षा अभियान केजीबीवी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय डीपीईपी : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

माध्यमिक और उच्चतर विभाग में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2005–06 के दौरान जारी अनुदान (योजनागत)

(लाख रु. में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	व्यावसायिक शिक्षा	स्कूलों में गुणवत्ता सुधार	आई.ई.डी सी.	स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	समाज पहुंच	ए.आई. एम.एम.पी.	भाषा शिक्षकों की नियुक्ति	संस्कृत का विकास	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	कुल सी.एस.एस. दोनों विभाग
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1035.20	125.48	0.00	57.00	64594.05
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	444.81	0.00	0.00	204.00	0.00	2.99	6174.90
3	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.68	25791.70
4	बिहार	0.00	0.00	54.37	0.00	0.00	79.92	0.00	0.00	0.00	78111.16
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.36	19.56	40671.97
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	1199.08
7	गुजरात	0.00	0.00	690.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.55	27722.87
8	हरियाणा	24.52	0.00	41.56	230.50	0.00	0.00	0.00	5.28	48.25	14778.96
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.40	1.43	10082.24
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94	20271.40
11	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.24	51987.66
12	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	665.60	0.00	0.00	48581.73
13	केरल	0.00	0.00	499.02	312.50	0.00	59.04	0.00	10.80	0.00	11792.61
14	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	1496.72	0.00	0.00	384.00	27.48	407.98	47.13	109342.56
15	महाराष्ट्र	0.00	0.00	77.50	0.00	0.00	3.16	0.90	2.46	68.10	64000.41

1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
16	मणिपुर	20.12	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27	4758.23
17	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	3918.06
18	मिजोरम	538.00	0.00	50.27	150.00	0.00	0.00	484.00	0.00	1.24	4547.82
19	नागालैंड	0.00	0.00	4.18	319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3792.83
20	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.96	0.00	33.48	93.13	46035.80
21	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18117.09
22	राजस्थान	0.00	0.00	102.04	53.26	0.00	0.00	0.00	83.17	30.95	94252.83
23	सिक्किम	454.05	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	46.14	0.03	2296.59
24	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	51.59	49030.18
25	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.72	0.00	5.50	3.50	8951.44
26	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.12	0.00	8.00	153.70	261690.71
27	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	31.56	0.00	9.80	20351.18
28	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	598.08	393.17	0.00	0.00	0.00	7.52	74.49	85191.66
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	220.51
30	चंडीगढ़	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23	535.10
31	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	89.63
32	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	187.88
33	दिल्ली	0.00	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.79	4812.80
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	20.78
35	पांडिचेरी	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	711.78
36	एनजीओ/सोसायटियां/ अन्य एजेंसियां आदि	0.00	222.96	497.60	742.00	389.90	0.00	0.00	0.00	0.00	33104.93
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	1093.69	222.96	4147.96	4510.43	389.90	2646.12	1538.12	905.09	836.22	1217721.13

संक्षेप– आई.ई.डी.सी. विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा ए.आई.एम.एम.पी. क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम

प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग में केंद्र प्रायोजित योजनाओं

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2006–07 के दौरान जारी अनुदान (योजनागत)

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य राज्य क्षेत्र का नाम	एस.एस.ए.	शिक्षक शिक्षा	डीपीईपी	मध्याह्न भोजन	महिला समाख्या	केजीबीवी	साक्षरता अभियान और आपरेशन रेस्टोरेशन	जन शिक्षण संस्थान	सतत शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा के लिए एन.जी.ओ. को सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आंध्र प्रदेश	46245.56	25.00	0.00	36885.00	0.00	2535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	7143.74	49.97	0.00	2841.00	0.00	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	51464.72	419.62	0.00	29729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	107744.39	0.00	0.00	47830.00	0.00	2330.44	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	50182.20	0.00	0.00	15533.00	0.00	473.44	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	724.12	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	14806.97	2410.71	0.00	17641.00	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
8	हरियाणा	25647.12	0.00	0.00	5927.00	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	6250.75	0.00	0.00	4400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	22083.37	0.00	0.00	5940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	झारखंड	51515.00	0.00	0.00	15429.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	54206.98	610.08	0.00	24746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	केरल	6382.00	415.01	0.00	6232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	110879.68	739.00	0.00	49718.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	महाराष्ट्र	52158.56	1167.38	0.00	45328.00	0.00	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मणिपुर	9.24	283.72	0.00	1415.00	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
17	मेघालय	4294.00	377.53	0.00	2651.00	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	मिजोरम	3441.69	284.88	0.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	नागालैंड	2315.20	384.28	0.00	1693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	उड़ीसा	44010.95	167.99	6601.14	27981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	पंजाब	12879.92	373.40	0.00	6225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	75809.82	2174.54	3398.86	27562.00	0.00	1689.38	0.00	0.00	0.00	0.00
23	सिक्किम	402.14	0.00	0.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	37329.65	2815.91	0.00	14484.00	0.00	706.30	0.00	0.00	0.00	0.00
25	त्रिपुरा	5330.01	0.00	0.00	2762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	206654.00	4092.60	0.00	81389.00	0.00	1608.75	0.00	0.00	0.00	0.00
27	उत्तरांचल	16934.00	496.28	0.00	6223.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	पश्चिम बंगाल	61736.80	78.84	0.00	39644.00	0.00	357.94	0.00	0.00	0.00	0.00
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	419.62	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	300.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	दादरा और नगर हवेली	100.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	4230.24	518.70	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	87.47	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	पांडिचेरी	0.00	81.29	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	एनजीओ सोसायटियों/ अन्य एजेंसियां	4935.09	3.26	0.00	0.00	2575.00	0.00	2585.70	4047.87	12264.17	1580.82
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	1088655.00	17969.99	10000.00	523308.00	2575.00	11633.02	2585.70	4047.87	12264.17	1580.82

शब्द संक्षेप :– एसएसए : सर्व शिक्षा अभियान केजीबीवी : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय डीपीईपी : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

माध्यमिक और उच्चतर विभाग में 2002–03 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां (योजनागत)

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	व्यावसायिक शिक्षा	आई.ई.डी.सी.	स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	समान पहुंच	ए.आई. एम.एम.पी.	भाषा शिक्षकों की नियुक्ति	संस्कृत का विकास	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	कुल सी.सी.एस. दोनों विभाग
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	आंध्र प्रदेश	0.00	201.61	200.28	0.00	712.85	372.21	2.19	0.00	87179.70
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	267.26	0.00	0.00	204.00	0.00	0.15	10579.22
3	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.90	25.34	0.00	81887.58
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.41	75.60	158001.84
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	247.70	0.00	242.92	0.00	0.00	30.17	66709.43
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.73	1007.60
7	गुजरात	0.00	1302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62	110.82	36407.08
8	हरियाणा	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2.64	24.56	31887.88
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.74	10661.49
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	28035.97
11	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67334.00
12	कर्नाटक	0.00	1606.01	1200.00	0.00	77.41	313.21	2.56	88.51	82850.76
13	केरल	0.00	406.68	312.50	0.00	338.91	0.00	0.00	0.00	14087.10
14	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	287.69	0.00	560.18	48.71	163208.26
15	महाराष्ट्र	0.00	339.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.94	99168.81
16	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1743.56

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7328.47
18	मिजोरम	0.00	53.14	0.00	0.00	0.00	1292.38	0.00	0.00	5694.09
19	नागालैंड	0.00	7.72	443.21	0.00	0.00	143.00	0.00	6.60	4993.01
20	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	189.84	0.00	80.00	51.62	79082.54
21	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19478.32
22	राजस्थान	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.15	110704.21
23	सिक्किम	250.00	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	81.33	0.00	1533.54
24	तमिलनाडु	0.00	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	77.56	55562.16
25	त्रिपुरा	0.00	12.00	603.00	0.00	45.72	0.00	12.46	5.46	8770.65
26	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	2481.96	0.00	11.00	59.02	296296.33
27	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	109.03	0.00	0.72	0.00	23943.03
28	पश्चिम बंगाल	0.00	450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19.31	0.00	102287.49
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.62
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	35.20	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	435.92
31	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
32	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	25.32
33	दिल्ली	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	5711.31
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.87
35	पांडिचेरी	15.53	5.55	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.84
36	एनजीओ/अन्य एजेंसियां	0.00	553.60	0.00	299.34	0.00	0.00	497.49	0.00	29342.34
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	265.53	5128.61	3602.02	299.34	4499.65	2573.70	1327.72	717.20	1693033.34

संक्षेप:– आई.ई.डी.सी. विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा ए.आई.एम.एम.पी. क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम

[अनुवाद]

चाय कारखानों का आधुनिकीकरण

3246. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चाय प्रसंस्करण कारखानों के आधुनिकीकरण के माध्यम से चाय की गुणवत्ता में सुधार करने तथा ग्रीन चाय उत्पादन के लिए नए कारखानों की स्थापना करने एवं आर्गेनिक चाय के वर्गीकरण के लिए एक योजना स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त के दौरान चाय कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) योजना के कार्यान्वयन के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां। चाय बोर्ड द्वारा इस प्रयोजनार्थ "चाय गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधीकरण स्कीम" नामक एक स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ चाय विनिर्माताओं द्वारा चाय के प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन हेतु मशीनों की लागत के 25% की दर से सब्सिडी का प्रावधान है। 100 सीटीसी फैक्टरियों तथा स्व-सहायता समूहों द्वारा स्थापित फैक्टरियों में परम्परागत चाय के उत्पादन हेतु मशीनों के मामले में मशीनों की लागत के 40% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। स्कीम में गुणवत्ता एवं जैविक प्रमाणन के लिए 1 लाख रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 50% की दर से सब्सिडी का भी प्रावधान है।

(ग) वर्ष 2008-09 के दौरान स्कीम के अंतर्गत 50 करोड़ रूपए आबंटित किए गए हैं।

(घ) यह स्कीम सर्वप्रथम 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरु की गई थी और इसे 11 वीं योजना अवधि में भी जारी रखा जा रहा है। उद्योग द्वारा इस स्कीम की काफी सराहना की गयी है और स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली कई फैक्टरियों में चाय के विनिर्माण मे गुणवत्तात्मक सुधार हुआ है। xवीं योजना अवधि के दौरान स्कीम के अंतर्गत 65 करोड़ रूपए का व्यय किया गया था।

साइबर पुलिस स्टेशन

3247. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना का प्रस्ताव करने वाले/स्थापना के लिए उत्सुक राज्य सरकारों की सहायता के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों ने अभी तब साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) 'पुलिस' राज्य का विषय होने के कारण अपने पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करना और साइबर अपराधों की छानबीन करने के लिए साइबर पुलिस थानों की स्थापना करना मुख्यतः राज्य सरकारों से संबंधित दायित्व है। तथापि, अपने पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए एक गैर योजनागत स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य पुलिस थानों का निर्माण करके, पुलिस थानों को अपेक्षित आवाजाही, आधुनिक हथियार, संचार उपकरण, विधि विज्ञान ढांचा, पुलिस आवास, कम्प्यूटरीकरण आदि से लैस करके पुलिस अवस्थापना को सुदृढ़ करना है। गृह मंत्रालय राज्य सरकारों द्वारा स्थापित साइबर पुलिस थानों से संबंधित कोई आंकड़ों नहीं रखता है।

[हिन्दी]

न्यूनतम सक्षमता हेतु व्यावसायिक पाठ्यक्रम

3248. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में न्यूनतम सक्षमता व्यावसायिक पाठ्यक्रम (एम.सी.वी.सी) शुरू करने के लिए अनुदान हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यह हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य में न्यूनतम सक्षमता व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव वर्ष 2004 में प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण इस प्रस्तान को अनुमोदित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

ऑटोमैटिक मौसम सूचना केन्द्र

3249. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) के पास देश के विभिन्न भागों विशेषकार तमिलनाडु में भूकम्पीय गतिविधि की निगरानी के लिए ऑटोमैटिक मौसम सूचना केन्द्रों (ए. डब्ल्यू. एस) तथा टेलीमेट्री केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए पहचान किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) जी हां। भारत मौसम विज्ञान (आईएमडी) पहले ही पूरे भारत में 125 स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) स्थापित कर चुका है जिनमें से 11 तमिलनाडु में हैं। विवरण संलग्न है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आधुनिकीकरण की योजना के चरण–1 के अन्तर्गत वर्ष 2009 के अंत तक पूरे भारत में 550 अतिरिक्त ए.डब्ल्यू. एस. लगाए जाएंगे, जिनमें से 63 तमिलनाडु में लगाए जाएंगे। ए. डब्ल्यू. एस. नेटवर्क के लिए स्थानों की तलाश की जा रही है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग इस समय देश में 71 स्टेशनों वाला भूकंपीय टेलीमीटरी नेटवर्क चला रहा है। 11 वीं योजना अवधि के दौरान, 120 अतिरिक्त भूकंपीय टेलीमीटरी स्टेशन लगाने का प्रस्ताव है। भूकंपीय टेलीमीटरी नेटवर्क के लिए स्थानों की तलाश की जा रही है।

इस समय, चेन्नै, कोडैकनाल और तमिलनाडु स्थित सेलम में तीन भूकंपीय वेधशालाएं कार्यरत हैं। 11 वीं योजना के दौरान, रामनाथपुरम, तिरुचिरापल्ली और किरनूर में तीन और वेधशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

125 स्वचालित मौसम स्टेशनों की सूची

1	पुणे	19	अंटार्कटिका	37	रांची
2	अहमदाबाद	20	गोवा	38	धनबाद
3	मुम्बई (सांता क्रुज)	21	खड़कवासला	39	मशोब्रा
4	मुम्बई (कोलाबा)	22	रत्नागिरी	40	गुड़गांव
5	कच्छ–मांडवी	23	राजकोट	41	चंडीगढ़
6	द्वारका	24	राहोरी	42	लेह
7	महुआ	25	लोनेवाला	43	जोधपुर
8	दीव	26	इन्दौर	44	चेन्नै (तमिलनाडु)
9	मुरुड़	27	होशंगाबाद	45	कृष्णापट्टीनम
10	देवगढ़	28	नागपुर	46	चिराला
11	दापोली	29	रायपुर	47	पेड्डापुरम
12	झाकुआ	30	ग्वालियर	48	पांडिचेरी (तमिलनाडु)
13	मंगरोल	31	भोपाल	49	अदुथुरई (तमिलनाडु)
14	भुज	32	नई दिल्ली	50	भीमुनिपट्टीनम
15	कांडला	33	श्रीनगर	51	कावली
16	आनंद	34	बीकानेर	52	टूनी
17	राजगुरूनगर	35	हनुमानगढ़	53	श्रीहरिकोटा
18	डिन्डोरी	36	पुरुलिया	54	इच्छापुरम

55	टिन्डीवनम (तमिलनाडु)	79	रुद्र प्रयाग	103	नवापाड़ा
56	चिदम्बरम (तमिलनाडु)	80	आगरा	104	सागर द्वीप
57	डर्सी	81	मथुरा	105	पोर्ट ब्लेयर
58	नर्सापुर	82	भरतपुर	106	गुवाहाटी
59	करैकल (तमिलनाडु)	83	मिनीकॉय	107	हैंगबंग
60	तिरुमला	84	नैयूर (तमिलनाडु)	108	लेंगपुई
61	कलावई (तमिलनाडु)	85	कोलकाता	109	जैसलमेर
62	बिदार	86	रैंदीधी	110	बारौट
63	बिल्लेरी	87	केनिंग	111	लखनऊ
64	वारंगल*	88	कक्द्वीप	112	कानपुर
65	बंगलौर	89	निम्पारा	113	रानी चवरी
66	तिरुवनंतपुरम	90	राम्भा	114	पुरोला
67	हसन	91	ब्रह्मगिरी	115	पलैकलन
68	तावानूर	92	चांदीपुर	116	देहरादून
69	कयामकुलम	93	वासुदेवपुर	117	हैदराबाद
70	अगुम्बे	94	निम्पीठ	118	खेजुरी
71	कोट्टांकरा	95	दार्जिलिंग	119	चमोली
72	ब्रह्मवार	96	वीरपुर	120	उत्तर काशी
73	तिरुचेन्दुर (तमिलनाडु)	97	हसीमारा	121	मुक्तेश्वर
74	अदिरामपट्टीनम (तमिलनाडु)	98	बोनैगढ़	122	झुन्झुनु
75	रामनाथपुरम (तमिलनाडु)	99	बाघा	123	वाराणसी
76	पिलीकोड	100	गंगटोक	124	कपूरथला
77	सुल्तानपुर	101	पटना	125	जयपुर
78	जोशीमठ	102	भुवनेश्वर		

शिक्षा के लिए आबंटन

3250. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्य सरकारों को शिक्षा के लिए योजना-वार तथा राज्य-संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी राशि प्रदान की गई;

(ख) क्या स्वीकृत राशि का राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसी प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया है, जिसके लिए राशि प्रदान की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को शिक्षा हेतु दी गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण I-VI में दिया गया है।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त प्रास्तावों, संसाधनों की उपलब्धता तथा प्रत्येक योजना के तहत पहले जारी की गई निधियों के उपयोग में प्रगति को ध्यान में रखते हुए अनुदान जारी किए जाते हैं।

विवरण-I

(लाख रु. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वी.ई	स्कूलों में गुणवत्ता सुधार	आई.ई.डी. सी.	स्कूलों में आई.सी.टी.	समानता सहित सुलभता	एआई एमएमपी	भा.शि.की की नियुक्ति	संस्कृत का विकास	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाशाली बच्चों हेतु छात्रवृत्ति	कुल सीएसएस दोनो विभाग
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	आंध्र प्रदेश	500.55	0.00	0.00	527.59	0.00	0.00	120.40	0.00	0.00	0.00	69959.12
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.13	0.00	0.00	0.00	3728.87
3	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29852.49
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	56626.76
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	33073.49
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	034	8060.34
7	गुजरात	0.00	0.00	765.87	0.00	0.00	0.00	8.40	33.13	0.00	0.00	23290.54
8	हरियाणा	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1.20	0.00	0.00	0.63	15850.61
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.81	0.00	0.00	6687.28
10	जम्मू और कश्मीर	599.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11434.20
11	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	37648.30
12	कर्नाटक	0.00	0.00	772.91	389.52	0.00	0.00	406.60	0.00	0.00	0.00	36846.66
13	केरल	1425.00	0 00	337.38	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	33436.05
14	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	118.57	0.00	0.00	478.84	1.80	285.51	0.00	23.24	74920.83
15	महाराष्ट्र	0.00	0.00	123.02	0.00	0.00	0.00	88.74	0.00	0.00	15.95	38451.56
16	मणिपुर	0.00	0.00	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	3983.67

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
17	मेघालय	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	3413.03
18	मिजोरम	150.00	64.37	61.46	0.00	0.00	0.00	330.82	0.00	0.00	0.00	5087.57
19	नागालैंड	0.00	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	20663.97
20	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.17	0.00	0.00	29562.89
21	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	23641.35
22	राजस्थान	0.00	0.00	67.55	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	36387.07
23	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.83	0.00	0.00	12289.08
24	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	1.20	4.95	0.00	0.00	30511.27
25	त्रिपुरा	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	45.72	0.00	12.78	1.26	0.01	6996.95
26	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1229.72	34.80	29.04	8.42	0.00	142849.88
27	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40446.81
28	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00	53472.03
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	322.03
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	3.34	0.00	0.00	494.01
31	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.91
32	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.21	1370.24
33	दिल्ली	0.00	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.60	4.56	0.00	0.26	610.68
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03
35	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.10	0.10	1229.97
36	एनजीओ/अन्य एजेंसियां	4.54	457.28	1107.04	1021.58	372.36	0.00	0.00	202.39	0.00	0.00	38107.54
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	2813.69	521.65	3657.51	1938.69	372.36	2205.72	1487.49	751.99	21.81	42.40	931442.08

शब्द संक्षेप :– एसएसए : सर्व शिक्षा अभियान केजीबीवी : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय डीपीईपी : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

विवरण-II

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एस.एस.ए.	टी.ई.	डीपीईपी	महिला समाख्या	केजीबीवी	लोक जुम्बिश	मध्याह्न भोजन	शिक्षाकर्मी	साक्षरता अभियान और ओ.आर.	जन शिक्षण संस्थान	सतत शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा हेतु और सरकारी संगठनों को सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	28000.00	1841.81	15500.00	0.00	1823.77	0.00	21645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	3009.00	0.00	0.00	0.00	210.74	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	20654.00	1093.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	31970.56	0.00	3700.00	0.00	4.00	0.00	20909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	20786.76	1018.16	0.00	0.00	810.33	0.00	10458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	14072.00	1384.11	2297.00	0.00	497.03	0.00	4233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	हरियाणा	12881.55	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	6144.00	0.00	0.00	0.00	192.47	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	7747.18	0.00	0.00	0.00	4.33	0.00	3083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	झारखंड	16568.50	0.00	7751.00	0.00	4.00	0.00	13317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	26280.70	1638.46	0.00	0.00	845.47	0.00	6513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	केरल	8939.00	636.47	0.00	0.00	0.00	0.00	22088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	44608.92	2348.14	0.00	0.00	700.81	0.00	26355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	महाराष्ट्र	35489.79	1232.45	0.00	0.00	527.61	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मणिपुर	1225.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	मेघालय	2930.81	149.93	0.00	0.00	13.32	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मिजोरम	3300.24	322.68	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	नागालैंड	2088.49	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	उड़ीसा	21807.27	555.43	2991.00	0.00	884.02	0.00	3297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	पंजाब	3040.00	280.80	0.00	0.00	32.55	0.00	20276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	23549.40	1648.07	10500.00	0.00	350.65	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	सिक्किम	1000.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	26517.00	2046.01	0.00	0.00	644.39	0.00	1297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	त्रिपुरा	4703.96	0.00	0.00	0.00	32.54	0.00	2134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	87761.00	2453.87	9469.00	0.00	676.03	0.00	41188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	उत्तरांचल	9144.70	0.00	1310.00	0.00	291.11	0.00	29701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	पश्चिम बंगाल	46024.36	205.00	6291.00	0.00	711.43	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	272.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	447.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	दादरा और नगर हवेली	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	पांडिचेरी	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	एनजीओ/अन्य एजेंसियां	2660.85	0.00	0.00	1475.00	0.00	2941.00	0.00	5204.00	2539.14	2782.07	15546.47	1793.82
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	513975.29	20253.38	59809.00	1475.00	9256.60	2941.00	282053	5204.00	2539.14	2782.07	15546.47	1793.82

शब्द संक्षेप :– एसएसए : सर्व शिक्षा अभियान केजीबीवी : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय डीपीईपी : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

(लाख रु. में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वी.ई	स्कूलों में गुणवत्ता सुधार	आई.ई.डी. सी.	स्कूलों में आई.सी.टी.	समानता सहित सुलभता	एआई एमएमपी	भा.शि.की की नियुक्ति	संस्कृत का विकास	राष्ट्रीय योग्यता	कुल सीएसएस दोनो विभाग
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1035.20	125.48	0.00	57.00	64594.05
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	444.81	0.00	0.00	204.00	0.00	2.99	6174.90
3	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.68	25791.70
4	बिहार	0.00	0.00	54.37	0.00	0.00	79.92	0.00	0.00	0.00	78111.16
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.36	19.56	40671.97
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	1199.08
7	गुजरात	0.00	0.00	690.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.55	27722.87
8	हरियाणा	24.52	0.00	41.56	230.50	0.00	0.00	0.00	5.28	48.25	14778.96
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.40	1.43	10082.24
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94	20271.40
11	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.24	51987.66
12	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	665.60	0.00	0.00	48581.73
13	केरल	0.00	0.00	499.02	312.50	0.00	59.04	0.00	10.80	0.00	11792.61
14	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	1496.72	0.00	0.00	384.00	27.48	407.98	47.13	109342.56
15	महाराष्ट्र	0.00	0.00	77.50	0.00	0.00	3.16	0.00	2.46	68.10	64000.41

1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
16	मणिपुर	20.12	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27	4758.23
17	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	3918.06
18	मिजोरम	538.00	0.00	50.27	150.00	0.00	0.00	484.00	0.00	1.24	4547.82
19	नागालैंड	0.00	0.00	4.18	319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3792.83
20	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.96	0.00	33.48	93.13	46035.80
21	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18117.09
22	राजस्थान	0.00	0.00	102.04	53.26	0.00	0.00	0.00	83.17	30.95	94252.83
23	सिक्किम	454.05	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	46.14	0.03	2296.59
24	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	51.59	49030.18
25	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.72	0.00	5.50	3.50	8951.44
26	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.12	0.00	8.00	153.70	261690.71
27	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	31.56	0.00	9.80	20351.18
28	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	598.08	393.17	0.00	0.00	0.00	7.52	74.49	85191.66
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	220.51
30	चंडीगढ़	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23	535.10
31	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	89.63
32	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	187.88
33	दिल्ली	0.00	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.79	4812.80
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	20.78
35	पांडिचेरी	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	711.78
36	एनजीओ/सोसायटियों एजेंसियां आदि	0.00	222.96	497.60	742.00	389.90	0.00	0.00	0.00	0.00	33104.93
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	1093.69	222.96	4147.96	4510.43	389.90	2646.12	1538.12	905.09	836.22	1217721.13

संक्षेपः– आई.ई.डी.सी. विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा ए.आई.एम.एम.पी. क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वी.ई. : माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा आई. सीटी : सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भा.शि.कि.नि. : भाषा शिक्षकों की नियुक्ति सं.का.वि. : संस्कृत भाषा का विकास

विवरण-IV

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एस.एस.ए.	टी.ई.	डीपीईपी	मध्याह्न भोजन	महिला समाख्या	केजीबीवी	शिक्षाकर्मी	साक्षरता अभियान और तथा ओ.आर.	जन शिक्षण संस्थान	सतत शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा हेतु एन.जी.ओ. को सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	37999.00	496.20	1000.00	21201.44	0.00	2679.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	4442.51	420.40	0.00	401.90	0.00	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	13850.00	675.67	0.00	10885.25	0.00	350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	32399.56	0.00	6000.00	36782.62	0.00	2794.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	30184.39	0.00	0.00	9675.89	0.00	766.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	728.12	0.00	0.00	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	15084.84	227.20	795.10	10526.76	0.00	326.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	हरियाणा	10196.55	0.00	0.00	4050.12	0.00	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	7614.66	0.00	0.00	2196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	18530.65	0.00	0.00	1542.56	0.00	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	झारखंड	28568.50	0.00	6145.00	13162.89	0.00	4083.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	28303.78	2101.85	0.00	14726.33	0.00	1584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	केरल	5939.00	496.16	0.00	4476.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	77173.12	1839.74	0.00	26197.07	0.00	1769.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	महाराष्ट्र	50235.31	50.00	0.00	13563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मणिपुर	3208.44	601.52	0.00	915.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	मेघालय	1921.00	381.30	0.00	1600.93	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मिजोरम	2559.15	440.21	0.00	290.97	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	नागालैंड	2323.01	592.58	0.00	550.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	उड़ीसा	32792.50	822.19	2706.50	7304.95	0.00	2114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	पंजाब	14683.89	1644.34	0.00	1774.16	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	60313.43	2434.69	12552.42	17410.58	0.00	1272.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	सिक्किम	1062.50	0.00	0.00	463.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	35329.53	0.00	0.00	13646.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	त्रिपुरा	7070.19	6.73	0.00	1688.40	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	182799.00	4971.48	17842.00	51277.82	0.00	3768.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	उत्तरांचल	10004.00	1617.39	5651.00	2962.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	पश्चिम बंगाल	34199.79	630.01	3790.00	45464.52	0.00	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	163.00	0.00	0.00	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	350.00	0.00	0.00	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दमन और दीव	111.91	0.00	0.00	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	1100.00	600.00	0.00	3093.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	पांडिचेरी	529.40	0.00	0.00	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	एनजीओ/अन्य एजेंसियां	5069.27	0.00	0.00	0.00	1900.00	0.00	650.00	3029.75	4208.42	14909.01	1486.02
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	756840.00	21049.66	56482.02	318512.87	1900.00	22362.89	650.00	3029.75	4208.42	14909.01	1486.02

शब्द संक्षेप :– एसएसए : सर्व शिक्षा अभियान केजीबीवी : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय डीपीईपी : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम टी. ई. : शिक्षक शिक्षा

विवरण-V

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एस.एस.ए.	टी.ई.	डीपीईपी	मध्याह्न भोजन	महिला समाख्या	केजीबीवी	साक्षरता अभियान और ओ.आर.	जन शिक्षण संस्थान	सतत शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा के लिए एन.जी.ओ. को सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आंध्र प्रदेश	46245.56	25.00	0.00	36885.00	0.00	2535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	7143.74	49.97	0.00	2841.00	0.00	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	51464.72	419.62	0.00	29729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	107744.39	0.00	0.00	47830.00	0.00	2330.44	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	50182.20	0.00	0.00	15533.00	0.00	473.44	0.00	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	724.12	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	14806.97	2410.71	0.00	17641.00	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
8	हरियाणा	25647.12	0.00	0.00	5927.00	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	6250.75	0.00	0.00	4400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	22083.37	0.00	0.00	5940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	झारखंड	51515.00	0.00	0.00	15429.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	54206.98	610.08	0.00	24746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	केरल	6382.00	415.01	0.00	6232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश	110879.68	739.00	0.00	49718.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	महाराष्ट्र	52158.56	1167.38	0.00	45328.00	0.00	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मणिपुर	9.24	283.72	0.00	1415.00	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
17	मेघालय	4294.00	377.53	0.00	2651.00	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	मिजोरम	3441.69	284.88	0.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	नागालैंड	2315.20	384.28	0.00	1693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	उड़ीसा	44010.95	167.99	6601.14	27981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	पंजाब	12879.92	373.40	0.00	6225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	75809.82	2174.54	3398.86	27562.00	0.00	1689.38	0.00	0.00	0.00	0.00
23	सिक्किम	402.14	0.00	0.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	37329.65	2815.91	0.00	14484.00	0.00	706.30	0.00	0.00	0.00	0.00
25	त्रिपुरा	5330.01	0.00	0.00	2762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	206654.00	4092.60	0.00	81389.00	0.00	1608.75	0.00	0.00	0.00	0.00
27	उत्तरांचल	16934.00	496.28	0.00	6223.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	पश्चिम बंगाल	61736.80	78.84	0.00	39644.00	0.00	357.94	0.00	0.00	0.00	0.00
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	419.62	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	300.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	दादरा और नगर हवेली	100.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	4230.24	518.70	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	87.47	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	पांडिचेरी	0.00	81.29	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	एनजीओ/सोसायटियां अन्य एजेंसियां	4935.09	3.26	0.00	0.00	2575.00	0.00	2585.70	4047.87	12264.17	1580.82
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	1088655.00	17969.99	10000.00	523308.00	2575.00	11633.02	2585.70	4047.87	12264.17	1580.82

शब्द संक्षेप :– एसएसए : सर्व शिक्षा अभियान केजीबीवी : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय डीपीईपी : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम टी.ई. : शिक्षक शिक्षा

विवरण-VI

(रु. लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम		वी.ई	आई.ई.डी.सी.	स्कूलों में आई.सी.टी.	समानता सहित सुलभता	एआई एमएमपी	भा.शि.की नियुक्ति	संस्कृत का विकास	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	कुल सीएसएस दोनो विभाग
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	आंध्र प्रदेश	0.00	201.61	200.28	0.00	712.85	372.21	2.19	0.00	87179.70
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	267.26	0.00	0.00	204.00	0.00	0.15	10579.22
3	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.90	25.34	0.00	81887.58
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.41	75.60	158001.84
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	247.70	0.00	242.92	0.00	0.00	30.17	66709.43
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.73	1007.60
7	गुजरात	0.00	1302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62	110.82	36407.08
8	हरियाणा	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2.64	24.56	31887.88
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.74	10661.49
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	28035.97
11	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67334.00
12	कर्नाटक	0.00	1606.01	1200.00	0.00	77.41	313.21	2.56	88.51	82850.76
13	केरल	0.00	406.68	312.50	0.00	338.91	0.00	0.00	0.00	14087.10
14	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	287.69	0.00	560.18	48.71	163208.26
15	महाराष्ट्र	0.00	339.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.94	99168.81
16	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1743.56
17	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7328.47
18	मिजोरम	0.00	53.14	0.00	0.00	0.00	1292.38	0.00	0.00	5694.09

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
19	नागालैंड	0.00	7.72	443.21	0.00	0.00	143.00	0.00	6.60	4993.01
20	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	189.84	0.00	80.00	51.62	79082.54
21	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19478.32
22	राजस्थान	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.15	110704.21
23	सिक्किम	250.00	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	81.33	0.00	1533.54
24	तमिलनाडु	0.00	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	77.56	55562.16
25	त्रिपुरा	0.00	12.00	603.00	0.00	45.72	0.00	12.46	5.46	8770.65
26	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	2481.96	0.00	11.00	59.02	296296.33
27	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	109.03	0.00	0.72	0.00	23943.03
28	पश्चिम बंगाल	0.00	450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1[illegible].31	0.00	102287.49
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.62
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	35.20	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	435.92
31	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
32	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	25.32
33	दिल्ली	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	5711.31
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.87
35	पांडिचेरी	15.53	5.55	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.84
36	एनजीओ/अन्य एजेंसियां आदि	0.00	553.60	0.00	299.34	0.00	0.00	497.49	0.00	29342.34
	कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	265.53	5128.61	3602.02	299.34	4499.65	2573.70	1327.72	717.20	1693033.34

संक्षेप:– आई.ई.डी.सी. विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षाए.आई.एम.एम.पी. क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम टी.ई. : माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा भा.शि.की.नि. : भाषा शिक्षकों की नियुक्ति
आई. सी. टी. : सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सं.का.वि. : संस्कृत भाषा का विकास

स्कूली बच्चों में मोटापन

3251. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि स्कूल बच्चों विशेषकर समृद्ध वर्ग से आने वाले स्कूली बच्चों में मोटापन, अतिरक्तदाब तथा असामान्य कोलेस्ट्रॉल स्तर के विभिन्न मामले विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्कूलों में इन बच्चों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने तथा चिकित्सा जांच के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के नाते, स्कूल शिक्षा मुख्यतः राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है। स्कूली बच्चों में मोटापा, तनाव तथा असामान्य कोलेस्ट्रॉल स्तर जैसे मामलों का ब्यौरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन जो इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, ने विद्यार्थियों के शरीरिक वजन सूचकांक का आकलन करने और बच्चों में अधिक वजन पाए जाने पर संबंधित माता–पिता को सूचित करने हेतु नवम्बर, 2006 में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु वर्ष में दो मेडिकल चेकअप करवाने का प्रावधान भी है। अभिभावकों को गंभीर बीमारियों जिनमें विशेषज्ञ चिकित्सा अपेक्षित है, के बारे में सूचित किया जाता है। प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय जिनका संचालन इस मंत्रालय के अधीन एक और स्वायत्त संगठन नवोदय विद्यालय समिति करती है, में अधिमानतः किसी नजदीकी सरकारी अस्पताल से एक अंशकालिक डॉक्टर की व्यवस्था की गई है जो समय–समय पर स्कूल का दौरा करते हैं। इसके अलावा, प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की देखभाल करने हेतु एक पूर्णकालिक नियमित स्टाफ नर्स की व्यवस्था की गई है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमैंट, बंगलौर

3252. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट (आई आई पी एम) बंगलौर की वर्तमान कार्यात्मक स्थिति क्या है; और

(ख) इसके कार्यकलापों के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा 2008–09 के दौरान कितनी राशि आबंटित की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) भारतीय बागान प्रबंधन संस्थान (आई आई पी एम), बंगलौर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त संगठन है। बागान क्षेत्र तथा वस्तु बोर्डों अर्थात कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड, रबड़ बोर्ड तथा स्पाइसेस बोर्ड के प्रायोजन से संस्थान की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। आई आई पी एम में एक प्रशासक बोर्ड है जो संस्थान के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करता है। भारत सरकार ने संस्थान को 5.00 करोड़ रूपए का एकबारगी अनुदान दिया था और संस्थान के लिए वार्षिक आधार पर कोई आबंटन नहीं किया जाता है। संस्थान के व्यय की पूर्ति उसके विभिन्न कार्यक्रमों में अध्ययन कर रहे प्रतिभागियों से प्रभारित पाठ्यक्रम फीस से किए जाने की आशा है। तथापि, वर्ष 2007–08 के दौरान बालिका छात्रावास हेतु 50.00 लाख रूपए की राशि संस्वीकृत की गई थी जिसमें 25.00 लाख रूपए वर्ष 2007–08 के दौरान जारी किए गए थे और वर्ष 2008–09 में 25.00 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

सरकारी कालोनियों में अनाधिकृत कार्यकलाप

3253. श्री नकुल दास राई :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कालोनियों में विशेषकर आराम बाग, नई दिल्ली क्षेत्र में ब्लॉक सं. 143 तथा 185 आदि के निकट संदिग्ध तथा अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा सतत मटरगश्ती करने, अवैध रूप से वाहन पार्क किए जाने, अनाधिकृत मरम्मत कार्य, पार्कों में अतिक्रमण आदि के बारे में सरकारी कर्मचारी रेजीडेंट वेलफेयर एशोसिएशनों द्वारा विभिन्न अभ्यावेदनों के बावजूद इनका समाधान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अतिक्रमण किए गए पार्कों तथा सरकारी भूमि को खाली कराने के लिए कोई अभियान शुरु करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकारी कालोनियों के इर्द–गिर्द इस प्रकार के कार्यकलापों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) से (च): सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

भारत और म्यांमार के बीच वार्ता

3254. श्री मिलिन्द देवरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और म्यांमार के बीच 14 वीं गृह सचिव स्तर की वार्ता मार्च, 2008 के दूसरे सप्ताह के दौरान दिल्ली में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक के दौरान विमर्शित मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) जी हां, श्रीमान। भारत और म्यांमार के बीच 14 वीं सचिव स्तरीय वार्ता 7 से 10 मार्च, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(ख) इस बैठक में सुरक्षा, आसूचना भागीदारी, शस्त्रास्त्रों की तस्करी, मादक पदार्थों का दुर्व्यापार सीमा प्रबंधन, सीमा व्यापार, सीमापार की परियोजनाएं, भारत में गिरफ्तार म्यांमार के कैदियों की और म्यांमार जेलों में कैद भारत के कैदियों की रिहाई, और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्ष इन क्षेत्रों में सघन कार्य करने और भारत–म्यांमार सीमा पर शान्ति एवं स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

प्रवासी कामगारों की हत्या

3255. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री निखिल कुमार :
श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री मोहन सिंह :
श्री विजय कृष्ण :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
डा. शफीकुर्रहमान बर्क :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री पन्नियन रवीन्द्रन :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री रशीद मसूद :
श्री सुनील खां :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव
श्री इलियास आजमी :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री पंकज सिंह :
श्री उदय सिंह :
श्री एस. के. खारवेनथन :
श्री किन्जरपु येरनायडु :
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :
डा. के. एस. मनोज

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के कुछ भागों में प्रवासी कामगारों की हत्या तथा उन पर अत्याचार की हाल में हुई घटनाओं की जानकारी है जैसा कि दिनांक 19 मार्च, 2008 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो देश में महाराष्ट्र, असम, मणिपुर तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्य–वार कितने प्रवासी कामगार विशेषकर हिन्दी भाषी कामगार मारे गए;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए इस मामले को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई नोटिस जारी किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) रिपोर्टों के अनुसार, मणिपुर में 17 से 19 मार्च, 2008 के दीच हुई हिंसा की कई घटनाओं में 16 गैर–स्थानीय लोग मारे गए थे, असम में चालू वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2008 तक 7 हिन्दी भाषी व्यक्ति मारे गए हैं और महाराष्ट्र में फरवरी, 2008 में उत्तर भारतीय मजदूरों/कामगारों पर हमले की 8 घटनाएं हुईं।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाया हुआ है और उनसे राज्यों में शान्ति एवं सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए सभी जरूरी उपाय करने और किसी भी प्रकार की हिंसा अथवा अवैध क्रियाकलापों में संलिप्त तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पायनियर में दिनांक 14.2.2008 को 'फायरिंग वायलेंस, माइग्रेन्ट्स रिटर्निंग टू बिहार' शीर्षक

से प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट और हिन्दुस्तान टाइम्स में 'राजसेना किल्स बिहारी इन नासिक' शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में उल्लिखित घटनाओं के संबंध में मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार से टिप्पणी/वास्तविक रिपोर्ट मांगी है। इस आयोग को असम में हिन्दी भाषी व्यक्तियों को मारे जाने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है। आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसरण में, असम सरकार द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि जनवरी, 2007 में असम के डिब्रूगढ़ और धीमाजी जिलों में हुई उग्रवादी हिंसा में 7 प्रवासी श्रमिक मारे गये थे।

(छ) समाज के सभी वर्ग के लोगों में सुरक्षा की भावना और विश्वास बनाने तथा किसी अनहोनी घटना को होने से रोकने के लिए पुलिस की प्रभावी तैनाती और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

शिक्षा केन्द्रों में शिक्षकों की योग्यता

3256. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा केन्द्रों में शिक्षक न केवल अप्रशिक्षित हैं बल्कि उनके पास अपेक्षित योग्यता का भी अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) चालू शैक्षणिक वर्ष तक देश के विभिन्न शिक्षा केन्द्रों में छात्रों की कुल संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) ऐसे क्षेत्र जिनमें 1 किलोमीटर की दूरी में कोई स्कूल नहीं है अथवा पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों अथवा कभी नामांकित न हुए बड़े बच्चों, प्रवासी बच्चों आदि जैसे विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए अंतरिम उपायों के रूप में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए क्रमशः शिक्षा गारण्टी योजना केन्द्र अथवा वैकल्पिक एवं नवाचारी सुविधाएं खुली हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 31.12.2007 तक इन केन्द्रों में 28,57,273 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। इन केन्द्रों के लिए स्थानीय रूप से भर्ती शिक्षा स्वयंसेवकों को राज्य सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

लौह-अयस्क के लिए राष्ट्रीय नीति

3257. श्री सुनील खां : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लौह–अयस्क के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में भारत के विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बनने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2030 तक इस्पात उत्पादन के लिए हेमटाइट इस्पात अयस्क की कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी;

(ङ) क्या लौह–अयस्क के निर्यात के कारण लौह–अयस्क भंडार शीघ्र समाप्त होने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) सरकार ने नई राष्ट्रीय खनिज नीति घोषित की है जो खनिज लौह–अयस्क के लिए भी लागू है। यह नीति खान मंत्रालय की वेबसाइट (http: mines.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 के अनुसार, पिछले 15 वर्षों में इस्पात की घरेलू वृद्धि दर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। वर्ष 2004–05 के स्तर के 7.3 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर से वर्ष 2019–20 में इस्पात उत्पादन 110 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है जिसके लिए 176 मिलियन टन लौह अयस्क की आवश्यकता का अनुमान है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपरोक्त (ङ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान

3258. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का राज्य–वार तथा श्रेणी–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने शैक्षणिक संस्थानों के लिए आवेदन दिया गया तथा कितने संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया गया;

(ग) ऐसे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई; और

(घ) इन शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के कितने छात्रों का नामांकन किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) राज्यों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के संबंध में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों की कुल संख्या इस प्रकार है:–

1	2005	–	40
2	2006	–	1744
3	2007	–	838
	कुल		16622

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्रों की कुल संख्या इस प्रकार है :–

1	2005	–	18
2	2006	–	422
3	2007	–	385
	कुल	–	825

[हिन्दी]

गवाही से मुकरने वाले गवाहों से संबंधित आंकड़े

3259. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गवाही से मुकरने वाले गवाहों से संबंधित कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इस प्रवृत्ति को रोकने तथा गलत गवाही देने से असली अपराधी नहीं छूटें तथा निर्दोष व्यक्तियों को सजा न मिले यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) गवाही से मुकरने वाले गवाहों से संबंधित आकड़े नहीं रखे जाते हैं। इस तरह की जानकारी न्यायालयों से प्राप्त नहीं की जी रही है।

(घ) न्यायालय में सशपथ साक्ष्य के दौरान गवाहों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और गवाहों के गवाही से मुकरने की चुनौती को नियन्त्रित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2006 में, अन्य बातों के साथ–साथ, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में धारा 164 ख और 344 क नामक नई धाराएं जोड़ने का प्रस्ताव है जिनमें यह प्रावधान है कि मृत्युदंड अथवा दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित ऐसे मामलों के संबंध में जो तथ्यगत प्रतीत होते हैं या जिनमें समुचित छानबीन किया जाना अनिवार्य है, सभी व्यक्तियों के, बयान मजिस्ट्रेट द्वारा शपथपूर्वक रिकार्ड किए जाएंगे जो इस बात से भी अपनी संतुष्टि करेगा कि वह व्यक्ति स्वेच्छा से बयान दे रहा है और किसी प्रलोभन, धमकी या वायदे के दबाव में नहीं है और उसमें संक्षिप्त विचारण के पश्चात झूठी कसम खाने के लिए दंड में वृद्धि किए जाने का प्रावधान है।

[अनुवाद]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्वर्ण जयंती परिसर

3260. श्री राजू राणा :
श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पोवाई–बोर्ड ने गुजरात राज्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, स्वर्ण–जयंती परिसर शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई नया प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आतंकवाद के कारण हुई मौतें

3261. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गावली :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मुठभेड़ों में पुलिस, सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा मारे गए आतंकवादियों तथा

इन मुठभेड़ों में मारे गए जवानों अथवा पुलिसकर्मियों की बल–वार तथा वर्ष–वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सीमा पर तैनात सी आर पी एफ और अन्य बलों के जवान स्वचालित हथियारों से लैस होते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन मुठभेड़ों में मारे गए जवानों के परिवारों को सरकार द्वारा दिए गए रोजगार तथा मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) राज्य पुलिस के बारे में सूचना राज्य सरकारों के पास उपलब्ध है। सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :–

वर्ष	2005		2006		2007	
बल	आतंकवादी	कार्मिक	आतंकवादी	कार्मिक	आतंकवादी	कार्मिक
सी आर पी एफ	231	76	249	39	220	71
बी एस एफ	147	24	68	13	42	02

(ख) और (ग) सीमाओं पर तैनात बी एस एफ, आई टी बी पी, एस एस बी और असम राइफल जवानों को इनसास राईफल, लाईट मशीन गन, कारबाईन, पिस्तौल, मीडियन मशीन गन आदि जैसे स्वचालित हथियारों से सुसज्जित किया जाता है।

(घ) मुठभेड़ में मारे गए बी एस एफ और सी आर पी एफ जवानों के उन परिवारों की संख्या क्रमशः 01 और 41 है जिनको वर्ष 2005 से 2007 के बीच रोजगार प्रदान किया गया है। सभी मामलों में पीड़ितों के निकटतम आश्रित को कार्रवाई में मारे गए कार्मिकों के लिए 7.5 लाख रुपए की दर से अनुग्रहपूर्वक राशि तथा दुर्घटनात्मक मृत्यु के लिए 5 लाख रुपए की दर से अनुग्रहपूर्वक राशि प्रदान की जाती है।

एसईजेड के सृजन से कर का नुकसान

3262. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष आर्थिक जोनों का सृजन किये जाने से सरकार को केन्द्रीय करों के रूप में कितनी धनराशि का नुकसान होने की आंशका है;

(ख) सरकार द्वारा इस नुकसान की भरपाई किस प्रकार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) विशेष आर्थिक जोनों से कर लाभ सृजन की गणना करने का आधार वर्ष क्या है; और

(घ) आधार वर्ष निर्धारित किए जाने के मानदण्ड क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) इस विभाग द्वारा ऐसे कोई अनुमान नहीं लगाए गए हैं। तथापि, छूटों की मात्रा विकासकर्त्ताओं और इकाइयों द्वारा सृजित निवेशों, निर्यातों और लाभों पर निर्भर है। इसके अलावा, एसईजेडों में निवेशों और अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलाप के बहुगुणी प्रभाव और सृजित रोजगार से प्राप्त लाभ गंवाए गए राजस्व की मात्रा से कहीं अधिक महत्व के होंगे।

(ग) और (घ) प्रत्यक्ष कर लाभ आयकर अधिनियम की धारा 10 कक और धारा 80 झकख के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एसईजेड इकाइयों को एसईजेड इकाइयों हेतु निर्यात आय पर आयकर अधिनियम की धारा 10 कक के अंतर्गत पहले 5 वर्षों के लिए 100%, उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए 50% और अगले 5 वर्षों के लिए पुनः निवेशित निर्यात लाभ के 50% की आयकर छूट प्रदान की जाती है। एसईजेड विकासकर्त्ताओं को आयकर अधिनियम की धारा 80–झकख के अंतर्गत 15 वर्षों 10 वर्षों के एक ब्लॉक में एसईजेड के विकास के व्यवसाय से प्राप्त आय पर आयकर छूट प्रदान की जाती है।

जेलों में विचाराधीन कैदी

3263. श्री काशीराम राणा :
श्री पी. मोहन :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :
श्री छत्तर सिंह दरबार :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री श्रीपाद येसो नाईक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की विभिन्न जेलों में बहुत से विचाराधीन कैदी बिना किसी अभियोजन कार्रवाई के लंबे समय से बंद है;

(ख) यदि हां, तो 15 फरवरी, 2007 तक न्यायालयों द्वारा दण्ड दिए बिना दो वर्ष से दस वर्ष तक जेलों में बन्द रखे गए विचाराधीन कैदियों की राज्य–वार, लिंग–वार तथा वर्ष–वार संख्या कितनी है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान 2–5 वर्ष के बीच और 5 वर्ष से अधिक समय तक जेलों में रखे गए राज्य–वार विचारणाधीन कैदियों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में III में दिया गया है।

(ग) यद्यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के तहत "कारागार" राज्य का विषय है और कारागार प्रशासन की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है इसलिए भारत सरकार, कारगारों के विचाराधीन कैदियों की स्थिति की आवधिक समीक्षा करती है।

विचारणाधीन कैदियों की जनसंख्या कम करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

(1) संहिता में एक नई धारा अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436 क अंतर्निहित की गई है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां ऐसे अभियुक्त, जिसे अपराध के लिए दंड के रुप में मृत्यु दंड की सजा निर्धारित की गई है, को छोड़ कर विचारणाधीन कैदी को कथित अपराध के लिए नियत की गई कारावास की अधिकतम अवधि की आधी अवधि तक कैद में रखा गया हो तो उसे निजी मुचलके या जमानत के बगैर रिहा किया जाना चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी विचारणाधीन कैदी को कथित अपराध के लिए कारावास की उस अधिकतम अवधि से अधिक समय तक कारावास में नहीं रखा जाना चाहिए जिस अपराध के लिए उसे दोष सिद्ध ठहराया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436 (1) में भी संशोधन किया गया है ताकि यह अनिवार्य उपबंध किया जा सके कि यदि गिरफ्तार किये गए व्यक्ति का अपराध जमानती अपराध है और वह गरीब है तथा जमानती प्रस्तुत नहीं कर सकता है तो जमानत के बगैर उसके निजी मुचलके पर अदालत को उसे रिहा कर देना चाहिए।

(2) 2006 में सरकार ने प्ली बोर्गेनिंग की प्रणाली शुरु की है जिसका मुख्य उद्देश्य अदालतों में लंबित विचारणीय मामलों और कारगारों में भीड़ भाड़ कम करना है।

(3) लम्बे लंबित सत्रों और अन्य मामलों के निपटान के लिए भारत सरकार ने मामलों को तेजी से निपटान के लिए 1562 फास्ट ट्रैक अदालतें भी गठित की हैं।

विवरण-I

वर्ष 2004 के अंत तक 2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से अधिक समय तक जेलों में रखे गए विचारणाधीन कैदियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2 वर्ष से अधिक			पांच वर्ष से अधिक		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	38	2	40	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश*	–	–	–	–	–	–
3	असम	152	1	153	2	0	2
4	बिहार	3824	79	3903	613	15	628
5	छत्तीसगढ़	202	6	208	28	0	28

1	2	3	4	5	6	7	8
6	गोवा	27	0	27	0	0	0
7	गुजरात	768	12	780	71	1	72
8	हरियाणा	484	12	496	19	0	19
9	हिमाचल प्रदेश	10	0	10	0	0	0
10	जम्मू–कश्मीर	337	21	358	42	1	43
11	झारखंड	1148	37	1185	48	0	48
12	कर्नाटक	628	19	647	42	2	44
13	केरल	12	0	12	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	316	11	327	49	3	52
15	महाराष्ट्र	608	7	615	49	0	49
16	मणिपुर	28	3	31	0	0	0
17	मेघालय	90	1	91	17	1	18
18	मिजोरम	7	0	7	0	0	0
19	नागालैंड	33	0	33	3	0	3
20	उड़ीसा	615	16	631	35	0	35
21	पंजाब	1518	35	1553	330	4	334
22	राजस्थान	354	5	359	10	2	12
23	सिक्किम	2	0	2	0	0	0
24	तमिलनाडु	370	5	375	0	0	0
25	त्रिपुरा	45	0	45	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	4215	32	4247	211	1	212
27	उत्तरांचल	457	18	475	16	0	16
28	पश्चिम बंगाल	845	17	862	99	5	104
	कुल (राज्य)	17133	339	17472	1684	35	1719
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	0	3	0	0	0
30	चंडीगढ़	63	5	68	6	0	6
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
32	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	1453	52	1505	339	5	344
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	1519	57	1576	345	5	350
	कुल (अखिल भारत)	18652	396	19048	2029	40	2069

* जेल मौजूद नहीं है।

विवरण-II

वर्ष 2005 के अंत तक 2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से अधिक समय तक जेलों में रखे गए विचारणाधीन कैदियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2 वर्ष से अधिक			पांच वर्ष से अधिक		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	29	5	34	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश*	–	–	–	–	–	–
3	असम	138	10	148	19	0	19
4	बिहार	5266	124	5390	547	17	564
5	छत्तीसगढ़	60	2	62	2	0	2
6	गोवा	14	0	14	0	0	0
7	गुजरात	582	8	590	58	1	59
8	हरियाणा	575	33	608	129	0	129
9	हिमाचल प्रदेश	11	1	12	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	332	18	350	50	2	52
11	झारखंड	1247	32	1279	43	0	43
12	कर्नाटक	596	13	609	56	0	56
13	केरल	12	1	13	2	1	3
14	मध्य प्रदेश	559	16	575	18	0	18

1	2	3	4	5	6	7	8
15	महाराष्ट्र	734	39	773	65	1	66
16	मणिपुर	22	2	24	4	0	4
17	मेघालय	66	1	67	14	1	15
18	मिजोरम	21	0	21	0	0	0
19	नागालैंड	6	0	6	0	0	0
20	उड़ीसा	586	14	600	44	0	44
21	पंजाब	1500	51	1551	345	7	352
22	राजस्थान	441	16	457	9	1	10
23	सिक्किम	2	0	2	0	0	0
24	तमिलनाडु	124	0	124	0	0	0
25	त्रिपुरा	38	0	38	1	0	1
26	उत्तर प्रदेश	4118	36	4154	254	1	255
27	उत्तरांचल	140	1	141	5	0	5
28	पश्चिम बंगाल	866	13	879	105	3	108
	कुल (राज्य)	18085	436	18521	1770	35	1805
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	13	0	13	0	0	0
30	चंडीगढ़	40	2	42	10	0	10
31	दादरा और नगर हवेली	2	0	2	0	0	0
32	दमन और दीव	6	0	6	0	0	0
33	दिल्ली	559	68	627	66	3	69
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	13	0	13	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	633	70	703	76	3	79
	कुल (अखिल भारत)	18718	506	19224	1846	38	1884

* जेल मौजूद नहीं है।

विवरण-III

वर्ष 2006 (अनंतिम) के अंत तक 2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से अधिक समय तक जेलों में रखे गए विचारणाधीन कैदियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2 वर्ष से अधिक			पांच वर्ष से अधिक		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	47	0	47	1	0	1
2	अरुणाचल प्रदेश*	–	–	–	–	–	–
3	असम	197	4	201	28	0	28
4	बिहार	4075	105	4180	351	5	356
5	छत्तीसगढ़	118	4	122	8	0	8
6	गोवा	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
7	गुजरात	544	12	556	53	1	54
8	हरियाणा	429	19	448	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	13	0	13	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	95	0	95	0	0	0
11	झारखंड	1354	48	1402	37	0	37
12	कर्नाटक	450	12	462	44	3	47
13	केरल	149	0	149	1	0	1
14	मध्य प्रदेश	548	18	566	19	0	19
15	महाराष्ट्र	582	50	632	83	0	83
16	मणिपुर	30	2	32	4	0	4
17	मेघालय	110	0	110	19	0	19
18	मिजोरम	10	1	11	0	0	0
19	नागालैंड	47	5	52	0	0	0
20	उड़ीसा	592	24	616	33	0	33
21	पंजाब	1545	39	1584	372	5	377
22	राजस्थान	360	18	378	10	0	10

1	2	3	4	5	6	7	8
23	सिक्किम	11	2	13	0	0	0
24	तमिलनाडु	118	0	118	0	0	0
25	त्रिपुरा	62	0	62	5	0	5
26	उत्तर प्रदेश	4753	42	4795	319	2	321
27	उत्तरांचल	183	4	187	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	1109	24	1133	84	3	87
	कुल (राज्य)	17531	433	17964	1471	19	1490
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18	0	18	0	0	0
30	चंडीगढ़	39	1	40	11	0	11
31	दादरा और नगर हवेली	1	0	1	0	0	0
32	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	550	54	604	66	2	68
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	13	0	13	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	621	55	676	77	2	79
	कुल (अखिल भारत)	18152	488	18640	1548	21	1569

* जेल मौजूद नहीं है।

एन.ए. : आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

मालदीव को गेहूं के आटे का निर्यात

3264. श्री रूपचंद पुर्नू : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगे होने के बावजूद भी वर्ष 2008–09 के दौरान मालदीव को गेहूं के आटे का निर्यात करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी हां। वर्ष 2008–09 के दौरान सरकार ने मालदीव को गेहूं के आटे के निर्यात की अनुमति दी है।

(ख) वर्ष 1981 में हस्ताक्षरित भारत–मालदीव द्विपक्षीय व्यापार करार के अनुच्छेद VIII के अंतर्गत भारत प्रत्येक वर्ष मालदीव को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए वचनबद्ध है, भले ही वे वस्तुएं निषिद्ध अथवा प्रतिबंधित श्रेणी में आती हों।

भारतीय उद्योगों द्वारा अन्य देशों से सहयोग

3265. श्री अजय चक्रवर्ती :

डा. अरविन्द शर्मा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी कंपनी द्वारा निवेश के सभी मामलों में भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी सहयोग समझौता किये जाने की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हा, तो भारत में विदेशी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली

सहायक कंपनी के मामले में ऐसे समझौते का औचित्य क्या है तथा क्या आज के गतिशील निवेश विश्व में किसी अन्य देश की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा ऐसा समझौता किए जाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भी ऐसे सहयोग समझौते किए जाने की आवश्यकता होती है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (फेमा), 1999 के तहत अधिसूचित मौजूदा विनियमों के अनुसार, भारतीय कंपनियों एवं एफआईआई के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास विदेशी सहयोग समझौता दायर करना आवश्यक नहीं है। तथापि, भारत में कोई भी निवेश करने से पहले एफआईआई को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत होना आवश्यक है। जहां आरबीआई के साथ तकनीकी गठजोड़ पंजीकृत नहीं है, वहां भी राजशुल्क (रायल्टी) भुगतान एवं एकमुश्त शुल्क के प्रेषण की अनुमति है, बशर्ते भुगतान निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लौह-अयस्क का निर्यात

3266. श्री धावरचन्द गेहलोत :
श्री गणेश सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक किन-किन देशों को कुल कितनी मात्रा में लौह-अयस्क का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ ने लौह-अयस्क पर से निर्यात-कर हटाए जाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान निर्यातित कुल मात्रा तथा अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) जी, हां। भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ (एफआईएमआई) ने सरकार से लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क समाप्त करने का अनुरोध किया था। वर्तमान में मौजूदा लौह अयस्क निर्यात शुल्क ढांचे में परिवर्तन करने का कोई निर्णय नहीं है।

विवरण

भारत: देशवार लौह अयस्क का निर्यात

(मात्रा मिलियन टन में, मूल्य करोड़ रूपए में)

देश	2004-2005		2005-2006		2006-2007 (अनंतिम)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चीन	59.40	11,132.69	74.13	15,186.31	80.16	16,609.22
जापान	11.13	1,128.00	10.33	1,506.18	8.63	1,492.42
द. कोरिया	2.18	397.60	1.32	158.18	1.91	280.64
ताईवान	0.61	111.25	0.14	15.88	–	0.02
यूरोप	2.89	527.09	2.10	350.28	2.17	303.22
अन्य	1.94	353.83	1.25	158.17	10.2	150.57
कुल	78.15	13,650.46	89.27	17,375.00	93.79	18,836.09

स्रोत : 1) निर्यात-मात्रा: गोवा खनिज अयस्क निर्यातक संघ (जीएमओई), खुदेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी), एमएमटीसी लिमिटेड तथा निजी निर्यातक 2) मूल्य: वर्ष के दौरान मात्रा तथा कीमत के रुझान और जीएमओई, केआईओसीएल तथा एमएमटीसी से प्राप्त सूचना पर आधारित केवल अनुमान हैं।

3) विनिमय दर: अम. डा. 1=रूपए 44.03 (वित्त मंत्रालय की अगस्त 07 की रिपोर्ट के अनुसार)

[अनुवाद]

समुद्र तटीय आपदा हेतु सुरक्षात्मक उपाय

3267. श्री अबु अयीश मंडल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

समुद्र तटीय आपदाओं से मानव जीवन को बचाने के लिए सार्वजनिक सूचना प्रणाली सहित विभिन्न माध्यमों से समुद्र तटों के आस-पास रहने वाले लोगों को चेतावनी देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : चूंकि समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक चक्रवात और सुनामी आती हैं इसलिए सरकार ने तटवर्ती क्षेत्रों में इन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले लोगों को चेतबनी देने के उपाय किए हैं। इन उपायों में उपग्रह आधारित इंडियन नेशनल सेंटर फार ओशन इंफार्मेशन सिस्टम (आईएनसीओआईएस), हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में चौबीसों घंटे के लिए हिन्द महासागर में साइक्लोन वार्निंग डिस्सेमिनेशन सिस्टम (सी डब्ल्यू डी एस) और पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करना शामिल है। चक्रवात, तूफान और सुनामी की चेतावनी, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, पुलिस वायरलेस नेटवर्क आदि जैसे कई प्रकार के संचार माध्यमों से दी जाती हैं।

[हिन्दी]

गुजरात दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास

3268. श्री पी.के. दुम्मर :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में दंगा प्रभावित लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त दंगों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) गुजरात दंगों के पीड़ितों के पुनर्वास तथा मुआवजे के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2002 में गुजरात में साम्प्रदायिक दंगों में 1169 व्यक्ति मारे गए तथा 2548 व्यक्ति घायल हुए। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि 2002 के दंगों के संबंध में 4272 मामले पंजीकृत किए गए थे जिसमें से 33 मामलों में दोषसिद्धि की गई, 807 मामलों में दोषमुक्ति की गई और बाकी में विचारण लम्बित है। राज्य सरकार ने 27.2.2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बों में आग लगाए जाने की घटना तथा राज्य में हिंसा की अनुवर्ती घटनाओं की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत जांच आयोग का भी गठन किया है।

(ग) केन्द्र सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों हेतु स्वीकृत पैकेज की पद्धति पर देय गुजरात 2002 के दंगा-प्रभावित व्यक्तियों के पीड़ितों के अतिरिक्त राहत और पुनर्वास हेतु पैकेज की घोषणा की है तथा पैकेज की मुख्य विशेषएं निम्न हैं:-

(1) मृत्यु के मामले में, राज्य सरकार द्वारा पहले से प्रदान की जा रही सहायता के अतिरिक्त 3.5 लाख रुपए की अनुग्रहपूर्वक सहायता प्रदान की जाएगी।

(2) जांच के मामले में, 1.25 लाख रुपए की अनुग्रहपूर्वक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें से राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सहायता को घटा दिया जाएगा।

(3) आवासीय तथा गैर-बीमित वाणिज्यिक/औद्योगिक सम्पत्ति को हुई क्षति हेतु, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि की 10 गुणा अनुग्रहपूर्वक सहायता, पहले से प्रदान की गई राशि को घटाकर प्रदान की जाएगी।

[अनुवाद]

छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति

3269. श्री ए. साई प्रताप :
श्री एस. के. खारवेनथन :
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छात्रों द्वारा विशेषकर सी.बी.एस.ई. की परीक्षाओं के आरंभ होने से पहले और परीक्षा परिणामों की घोषणा के पश्चात् की जा रही आत्महत्याओं के मामलों की जानकारी सरकार को है जैसा कि 7 फरवरी, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के कारणों का पता लगाने हेतु कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा परीक्षाओं को तनावमुक्त बनाने तथा छात्रों के लिए परामर्श केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) 'द हिन्दू' समाचारपत्र के दिनांक 7.2.08 को प्रकाशित दिल्ली संस्करण में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं छपी थी। हालांकि, विभिन्न समाचार पत्रों में ऐसी रिपोर्टें छपी हैं।

(ख) इस मंत्रालय में ऐसी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बच्चों में तनाव कम करने हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

(i) विद्यार्थियों की रटंत विद्या से इतर उनके अभिकल्पनात्मक ज्ञान एवं समझबूझ की जांच करने के प्रयोजनार्थ परीक्षा प्रणाली को पुनः तैयार किया गया है।

(ii) आंतरिक मूल्यांकन हेतु अंक प्रदान करके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना।

(iii) कक्षा X तथा XII की परीक्षाओं में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाना ताकि विद्यार्थीगण प्रश्नपत्रों को भलीभांति पढ़ सकें।

(iv) परीक्षा हेल्पलाइन और सैम्पल प्रश्नपत्र उपलब्ध कराना।

(v) प्रश्नप्रत्रों को इस प्रकार तैयार करना ताकि ढाई घंटे में इसका उत्तर दिया जा सके, भले ही परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे की हो।

(vi) विषयवस्तु आधारित परीक्षा के स्थान पर प्रश्न हल तथा सक्षमता आधारित परीक्षा को अपनना।

(vii) प्रैक्टिकलों को अधिक वरीयता देना।

(viii) अभिकल्पनामूलक समझबूझ में सुधार करने हेतु स्कूलों में गणित प्रयोगशालाएं शुरू करना।

(ix) मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के तत्काल बाद विद्यार्थियों को कम्पार्टमेंटल परीक्षा में बैठने की अनुमति देना। कक्षा X में दो विषयों तथा कक्षा– XII में एक विषय में पांच अवसर प्रदान किए जाते हैं।

[हिन्दी]

लौह-अयस्क खानों का बंद किया जाना

3270. श्री अजीत जोगी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और आज की तिथि तक बंद की गई लौह–अयस्क खानों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त खानों में प्रचालन कार्य बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इन खानों के बंद हो जाने से प्रभावित हुए कर्मचारियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रभावित कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) से समापक (फाइनल) खान बंदी का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद पिछले तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क की कोई खान बंद नहीं की गई है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

महाद्वीपीय विस्थापन एवं भूकंप संबंधी अध्ययन

3271. डा. के. धनराजू : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलवायु–परिवर्तन तथा भूकंप के बीच कोई संबंध है;

(ख) यदि हां, तो महाद्वीपीय विस्थापन तथा भूकंप का पता लगाने के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) जलवायु परिवर्तन तथा भूकंपों से उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं। वैज्ञानिक तौर पर यह निर्धारित नहीं है कि जलवायु परिवर्तन और भूकम्प के बीच संबंध है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन

3272. श्री एम. राजामोहन रेड्डी : क्या संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रावधान करने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी बी एस ई) के उप–नियमों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठ रहे विद्यार्थियों को प्रदान किए गए अंकों के मूल्यांकन और सत्यापन की वर्तमान प्रणाली को उचित समझा जाता है।

औद्योगिक अवसंरचना का विकास

3273. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक औद्योगिक पार्क योजना के अंतर्गत उद्योग के लिए अवसंरचना के सृजन पर कुल कितनी धनराशि का अनुमानित व्यय किया गया;

(ख) क्या सरकार उद्योग के लिए अवसंरचना के विकास के लिए अपनी रणनीतियों को कारगर बनाने तथा और अधिक व्यापक एवं समेकित दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो औद्योगिक अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या पहल की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) औद्योगिक पार्क योजना के तहत आज की तारीख तक उद्योगों के लिए सृजित अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु अनुमानित व्यय 14.425.41 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग) मुख्यतः राज्य सरकारें ही बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु जिम्मेदार होती हैं। केन्द्र सरकार समय–समय पर तैयार की जाने वाली विभिन्न स्कीमों के जरिये राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है, जो इस प्रकार हैं;

(i) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय और राजकोषीय लाभों के विशेष पैकेज;

(ii) मौजूद औद्योगिक समूहों को पूंजी सहायता देने के लिए औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना;

(iii) औद्योगिक पार्कों के विकासकर्ताओं/आपरेटरों को राजकोषीय प्रोत्साहनों के जरिये निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना;

(iv) साफ्टवेयर टैक्नोलाजी पार्क/इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर टैक्नोलाजी पार्क योजनाएं राजकोषीय लाभों के जरिये हार्डवेयर/साफ्टवेयर के निर्यात को प्रोत्साहित करती हैं;

(v) निर्यात संवर्धन की ओर लक्षित अनेक लाभों वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र;

(vi) दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कोरिडोर परियोजना का लक्ष्य वैश्विक गुणवत्ता की औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं का एकीकृत क्षेत्रीय विकास करना है;

(vii) पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र हेतु नीति (पीसीपीआईआर) का लक्ष्य इस क्षेत्र में बड़े निवेश आकर्षित करना है।

आई पी टी वी संबंधी सिफारिशें

3274. डा. एम. जगन्नाथ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हाल ही में इंटरनेट प्रोटोकाल टेलीविजन (आई पी टी वी) के संबंध में सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) टेलीफोन उपभोक्ताओं द्वारा टेलीफोन लाइनों के माध्यम से टी वी कब तक देखे जाने की संभावना है?

संसदीय कार्यमंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। ये सिफारिशें ट्राई की वेबसाइट www. trai. gov.in/trai/upload/press release/527/recom 4 jan 08. Pdf/ पर उपलब्ध हैं। इन सिफारिशों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों की जांच कर ली गयी हैं और मंत्रिमंडल द्वारा अंतिम राय कायम की जानी है।

(ङ) ऐसे नीतिगत मुद्दों पर कोई समय–सीमा नहीं दी जा सकती है।

विवरण

सिफारिशों का सार

लाइसेंस संबंधी मुद्दे :

(i) वे टेलीकॉम सेवा प्रदाता (यू ए एस एल, सी एम टी एस) जिनके पास तीन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु लाइसेंस है और 100 करोड़ रुपये से अधिक की निवल राशि के आई एस पी हैं और जिन्हें आई पी टी वी उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस प्रदाता द्वारा अनुमति दी गई है, आगे बिना किसी पंजीकरण की आवश्यकता के, अपने लाइसेंसों के तहत आई पी टी की सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। इसी प्रकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1945 के अंतर्गत पंजीकृत केबल टीवी आपरेटर आगे किसी लाइसेंस की आवश्यकता के बिना आई पी टी वी सेवा उपलब्ध करा सकते हैं।

(ii) टेलीकॉम सेवा प्रदाता/केबल ऑपरेटर/प्रसारकों द्वारा अधिनियम/लाइसेंस/पंजीकरण/अनुमति के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन किए जाने पर नामित एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी जो कि ऐसे अधिनियमों/लाइसेंस/पंजीकरण/अनुमति को प्रशासित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(iii) बी आई एस से भी इसकी जांच करने और केबल ऑपरेटरों द्वारा अपने आई पी टी वी नेटवर्कों को अभिकल्पित करते समय उनकी मदद करने के लिए आई पी टी वी सेट टॉप बॉक्स विनिर्देशों के मानकीकरण को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया जा सकता है।

विषय-वस्तु विनियमन :

(i) आई पी टी वी के जरिए टी वी चैनल उपलब्ध कराते समय टेलीकॉम लाइसेंसधारक हूबहू उसी (अपरिवर्तित) रूप में केवल उन्हीं चैनलों का प्रसारण करेगा जिनके लिए प्रसारकों को भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) से अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग की अनुमति मिली है। ऐसे मामलों में, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रसारक की होगी कि विषय–वस्तु मौजूदा कानूनों, नियमां, विनियमों आदि के अनुरूप है और टेलीकॉम लाइसेंसधारक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

(ii) प्रसारकों द्वारा टी वी चैनलों के अलावा–वस्तु का प्रसारण करने के मामले में कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का अनुपालन करने की जिम्मेदारी टेलीकॉम लाइसेंसधारक की होगी और यह कार्यक्रम संहिता एवं विज्ञापन संहिता वही होगी जैसे कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और इसके तहत बनाए गए नियमों में प्रदत्त है।

(iii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अपने–अपने अधिकार क्षेत्रों से संबंधित विषय–वस्तु की मॉनीटरिं कर रहे हैं। इसलिए यह उपयुक्त होगा कि संबंधित मंत्रालय आई पी टी वी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई विषय–वस्तु को विनियमित करें। प्रचालनात्मक प्रक्रिया जैसे आई पी टी वी पर दिखाई गई विषय–वस्तु की एक प्रति रखने के लिए समय, मानीटरिंग संबंधी आवश्यकताओं आदि को संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर डी.ओ.टी. द्वारा तैयार किया जा सकता है। आई पी टी वी सेवा की प्रबंध व्यवस्था में टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं द्वारा विषय–वस्तु से संबंधित मौजूदा अधिनियमों/नियमों/दिशा–निर्देशों का कोई भी उल्लंघन संबंधित मंत्रालयों द्वारा डी ओ टी को सूचित किया जाएगा। विषय–वस्तु के संबंध में कानून/निदेश/दिशा–निर्देश के उल्लंघन के बारे में संबंधित मंत्रालयों का निर्णय अंतिम होगा। डी ओ टी एकरूपता बरकरार रखने के लिए उल्लंघन किए जाने पर शास्तियां लगाने हेतु संबंधित मंत्रालयों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है और वह उल्लंघन किए जाने पर शास्तियां अधिरोपित करने हेतु समयबद्ध तरीके से उपयुक्त कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आई पी टी वी उपलब्ध कराने वाला टेलीकॉम सेवा प्रदाता केवल वही समाचार चैनल दिखाएगा जिन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(v) उपर्युक्त प्रावधानों को समाविष्ट करने के लिए टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के संबंधित लाइसेंसों में उपयुक्त आशोधन किए जा सकते हैं।

डाउनलिंकिंग नीति:

(i) अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग दिशा–निर्देशों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि प्रसारक केबल ऑपरेटरों, बहु–प्रणाली संचालकों,

डी टी एव ऑपरेटरों, हिट्स ऑपरेटरों, आई पी टी वी सेवा प्रदाताओं जैसे टी वी चैनलों के सभी वितरकों को सिगनल उपलब्ध कराने में सफल हो सकें।

केरल में फसल को नुकसान हेतु क्षतिपूर्ति

3275. श्री पी. सी. थॉमस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मार्च 2008 के दौरान अप्रत्याशित और भारी वर्षा के कारण फसल को नुकसान हेतु क्षतिपूर्ति प्रदान करने के संबंध में केरल सरकार और संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) केरल सरकार ने भारी वर्षा द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान हेतु राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन सी सी एफ) से केन्द्रीय सहायता मांगने हेतु प्रारम्भिक ज्ञापन मार्च, 2008 के दौरान प्रस्तुत किया है। ज्ञापन की प्राप्ति पर, एक अंतर–मंत्रालयी केन्द्रीय टीम का गठन किया गया था, जिसने क्षति और धनराशि की आवश्यकता का स्थल पर ही आकलन करने के लिए 3–5 अप्रैल, 2008 के दौरान राज्य का दौरा किया था। एन सी सी एफ से सहायता जारी करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय टीम की रिपोर्ट की प्राप्ति पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकार के अनुरोध पर, भारत सरकार ने 10 अप्रैल, 2008 को वर्ष 2008–09 हेतु आपदा राहत कोष (सी आर एफ) के केन्द्रीय अंशदान की प्रथम किस्त के रुप में 37.115 करोड़ रुपए अग्रिम रूप से जारी किए हैं।

ए.आई.सी.टी.ई. के विरुद्ध शिकायतें

3276. श्री उदय सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पिछले कुछ वर्षों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) के प्राधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और भाई–भतीजावाद संबंधी अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को भंग करने और उच्च शिक्षा हेतु एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार द्वारा देश में उच्च शिक्षा को सुधारु बनाने के लिए और क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित शिकायतें मुख्यतः प्राप्त होती हैं;

(i) अनुमोदन प्रदान करने में विलम्ब।

(ii) अनुमोदन प्रदान करने में मानकों तथा स्तरों के प्रयोग में एक समानता में कमी।

(iii) प्रवेश में कदाचार करने वाले संस्थानों के खिलाफ शिकायत पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा कार्रवाई में कमी।

(iv) क्षेत्रीय कार्यालयों में अनियमितताएं।

(ग) इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। जहां तक उच्चतर शिक्षा में सुधार का संबंध है, XI वीं पंचवर्षीय योजना में अनेक क्षेत्रों जैसे प्रवेश, पाठ्यचार्या, मूल्यांकन, प्रत्यायन, शिक्षक योग्यता, स्वायत्तता और उत्तरदायित्व आदि में सुधार करने की परिकल्पना की गई है।

ए आई सी टी ई द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचनाएं

3277. श्री नन्द कुमार साय :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुप्रीय सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वायत्त विनियामक निकायों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि देश में किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों के मामले में उनकी फीस जब्त न की जाए जैसा कि दिनांक 14 मार्च, 2008 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एक सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए संस्थानों को इस बात की हिदायत दी है कि वे 1000 रुपए काटकर शेष वापिस कर दें;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी सूचनाओं के बारे में छात्रों में जागरूकता लाने के लिए इसका प्रचार–प्रसार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) अब तक उक्त आदेशों के उल्लंघन के संस्था–वार कितने मामलों का पता चला है; और

(छ) सरकार द्वारा दोषी संस्थानों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी हां। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग ने दिनांक 20 अप्रैल, 2007 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्देश जारी किए हैं।

(ग) तद्नन्तर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने दिनांक 19 अप्रैल, 2007 और 14 मार्च, 2008 को सार्वजनिक सूचना जारी करके संस्थानों को इस बात की हिदायत दी है कि वे 1000 रुपये काटकर शेष फीस वापिस कर दें।

(घ) और (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा के वेबसाइट (www.aicte.ernet.in) पर सार्वजनिक सूचना हेतु प्रदर्शित की गई है।

(च) और (छ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आदेशों के उल्लघंन के मामले में 89 मामले दर्ज किए गए हैं। संस्था–वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। शिकायत/प्रतिवेदन मिलने पर, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इस तरह के संस्थान को निर्धारित समय में मूल प्रमाणपत्र/शुल्क वापिस करने के लिए सूचना जारी करती है। नियमों के उल्लघंन के मामले में, इन प्रतिवेदनों में उठाए गए मुद्दों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दाखिले में वृद्धि/अनुमोदन को विस्तार मामले पर विचार करते समय नोट किए जा रहे हैं।

विवरण

ऐसे लंबित मामले, जिन पर संस्थाओं ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नोटिस पर या तो कोई उत्तर नहीं दिया है या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से आगे स्पष्टीकरण मांगा है

क्र.सं.	शिकायतकर्ता का नाम	संस्था का नाम
1	2	3
1	सुश्री नेहा जैन, बीटीएम, दूसरा स्टेज, बंगलौर–76	सिम्बायोसिस प्रबंधन एवं मानव संसाधन विकास केन्द्र, प्लॉट नं. –15, राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, हिंजेवाडी, एमआईडीसी, पुणे
2	श्री अर्षप्रीत सिंह, ई–मेल	सिम्बायोसिस प्रबंधन एवं मानव संसाधन विकास केन्द्र, प्लॉट नं. –15, राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, हिंजेवाडी, एमआईडीसी, पुणे
3	सुश्री मनी तिवारी, ओहिद मार्किट, फैंशी मार्किट गुवाहाटी	सिम्बायोसिस प्रबंधन एवं मानव संसाधन विकास केन्द्र, प्लॉट नं. –15, राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, हिंजेवाडी, एमआईडीसी, पुणे
4	श्री ए.के. रवि, 8, बासवेश्वर सीएचएस लिमिटेड, मडाने, राजाजी पथ, डोमबोवली (पूर्वी)	आईटीएम बिजनेस स्कूल, आईटीएम कैम्पस, 25 एवं 26 संस्थागत क्षेत्र, सेक्टर 4, खारगर (पूर्वी) नवी मुम्बई
5	श्री आर. जे. मेहता पिता सुश्री नीना मेहता सत्यनारायण अपार्टमेंट, पोज गार्डन, चेन्नई–86	सिम्बायोसिस जनसंचार संस्थान, सेनापति बापट रोड, पुणे
6	श्री सी.पी. गोपाल कृष्णन, मैकनिकोलस रोड, चटपेट चेन्नई–31	सिम्बायोसिस मिडिया एवं संचार संस्थान, सर्वेक्षण संस्था, 231, लुनकार्ड गोलार्ड पोस्ट के नजदीक विमान नगर पुणे

1	2	3
7	श्री रामगोपाल माडवीकर, 13, फुटी कोटी, इंदौर	वेंकटेश्वर प्रौद्योगिकी संस्थान, 84 हुकुमचन्द मार्ग, इंदौर मध्य प्रदेश
8	श्री विवेक गौतम, एसएमक्यूपी–10/5, वायु सेना स्टेशन टीकेडी	आईपीएस अकादमी, राजेन्द्र नगर, एबी रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश
9	श्री सुखराम विश्नोई, पुत्र श्री ओमप्रकाश, जिला बीकानेर, राजस्थान	शिवदान प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संस्थान, अलीगढ़, मथुरा रोड़ से 10 कि.मी. दूर, इग्लास, उत्तर प्रदेश
10	श्री आर.एस. त्रिपाठी, नारायणी रोड, अटारा, बांदा उत्तर प्रदेश	प्रौद्योगिकी प्रबंध केन्द्र (सी–मैट), 25, 27, 28 नोलेज पार्क फेज–1, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश
11	श्रीमती मनोज सिंघल, 2 प्रेमपुरम, बैंक कालोनी, सहारनपुर	शोभित प्रौद्योगिकी संस्थान, गागोहा जिला, सहारनपुर
12	श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, 10, स्टेट बैंक कॉलोनी आर्यनगर, गोरखपुर, उ.प्र.	बाबू बनारसी दास राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संस्थान सेक्टर–1, डा. अखिलेश दास, नगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ
13	श्री हरप्रीत सिंह, 1443, सिविल लाईन–2, कारवाड रोड, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय प्रबंध तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएमटी), जीटी रोड, दिल्ली–गाजियाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग, मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
14	श्री खिरोद कुमार परीदा, बी–18, बीडीए, डुप्लेक्स हाउस, भुवनेशर	राष्ट्रीय प्रबंध तथा प्रौद्योगिक संस्थान (एनआईएमटी), जीटी रोड, दिल्ली–गाजियाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग, मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
15	श्री मनोज कुमार यादव, आर–14, खिड़की एक्सटेन्शन, एमजीएफ मॉल के विपरीत, साकेत, मालवीय नगर, नई दिल्ली	यूनाईटेड इंजीनियरिंग तथा अनुसंधान कालेज, 50 नॉलेज पार्क–3, ग्रेटर नोएडा
16	श्री विपुल बेलवाल, बी–3 यमुना कालोनी, देहरादून	राष्ट्रीय प्रबंध तथा प्रौद्योगिक संस्थान (एनआईएमटी), जीटी रोड, दिल्ली–गाजियाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग, मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
17	श्री अनिरूद्ध ओझा, पुत्र डा. आर.डी. ओझा, 137, जहाज, अपार्टमेंट, इन्दर इन्क्लेव, नई दिल्ली–87	निदेशक, आईईसी इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी कालेज, प्लाट–4, संस्थागत क्षेत्र, सुरजपुर कासना रोड़, गौतम बुध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
18	श्रीमती मिथलेश कुमारी, मोहम्मद नगर कासगंज, अट्टा, उत्तर प्रदेश	जे.पी. होटल प्रबंधन तथा कैटरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, पोस्ट राजपुरा, मवाना रोड, मेरठ
19	श्री आर.एस. त्रिपाठी, नारायणी रोड, अट्टारा, बांदा, उत्तर प्रदेश	प्रौद्योगिकी प्रबंध केन्द्र (सी–मैट) 27, 28 नोलेज पार्क, फेज–1, ग्रेटर नोयडा, जिला गौतमबध नगर, (उत्तर प्रदेश)

1	2	3
20	श्री शिव करन पाण्डे, 532ए/264, चौधरी टोला, अलीगंज, लखनऊ	निदेशक, डा. के.एन. मोदी इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, मोदी नगर जिला गाजियाबाद–201204 (उत्तर प्रदेश)
21	श्री गुनावरे किशोर एन, प्लोट संख्या 124 न्यू आशिष कालोनी यशवांद्रो के पीछे	के.एल.ई फार्मेसी कालेज, जे.एम.एम.सी. परिसर, बेलगांव कर्नाटक
22	श्री जुगल किशोर गुप्ता, टी–2, मिलटन मानोर, 22 मिलटन स्ट्रीट, कुक टाउन बंगलौर	एम.एस. रमैया प्रौद्योगिकी संस्थान, विद्या सौध, एम.एस. रमैया नगर, एम.एस.आर.आई.टी. पोस्ट, बंगलौर
23	श्री डी. अश्विन, पुत्र डी दयाल दोस, अश्विन निवास संख्या 51, ए–सेक्टर, अमरूथ नगर, सहकार नगर पोस्ट, बंगलौर–560092	निदेशक एम.एस. रमैया प्रौद्योगिकल संस्थान, विद्या सौध, एम.एस. रमैया नगर, एम.एस.आर.आई.टी. पोस्ट, बंगलौर–560054
24	श्री अंचल शुक्ला, बी–52, कृष्णा विहार, (पूर्वी), खैरा रोड, नजफगढ़, नई दिल्ली	हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी कालेज, तमिलनाडु
25	श्री एन नलथम्बई, आरकोट रोड, वाड़ा पल्लनई, चेन्नई	श्री मुथुकुमारम प्रौद्योगिकी संस्थान, मंगाडू के नजदीक, चेन्नई
26	श्री आर. शंकर नारायण, 5/24, डा. जे.जे. नागर भरतियर विश्वविद्यालय पोस्ट, कोयम्बटूर	शंकर विज्ञान तथा वाणिज्य कालेज, श्रवणपट्टै, कोयम्बटूर
27	श्री के. जगन्नाथ, 142–डी/6 एच.टी.एम.एन. स्ट्रटी नवलपुर, रानीपट–632401	निदेशक, एम.के.पी. इंजीनियरिंग कालेज, तिरुअन्नामलाई–606611, तमिलनाडु
28	श्री अनिल कुमार पंडा, नीलाद्री विजय स्ट्रीट (प्रथम लेन), बेहरामपुर, उड़ीसा	संजय मैमोरियल प्रौद्योगिकी संस्थान, (डिग्री इंजीनियरिंग कालेज) चांदीपादर, बेहरामपुर, उड़ीसा
29	श्री पवित्र मोहन पंडा, सहायक इंजीनियर, दूरदर्शन, प्रसारण केन्द्र, राउरकेला, सी–674, कोयल नगर, राउरकेला	सत्यसाई इंजीनियरी कालेज, एस–1/12–13, इंडस्ट्रियल इनस्टेट, बालासौर (उड़ीसा)
30	श्री कुलमनी मिश्रा Vii-H/190, शिलाश्रीविहार, भुवनेश्वर	एन.एम. इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान सीजुआ, पातरपाड़ा, खांडीगिरी, भुवनेश्वर
31	श्री दीपक कुमार सिंह, पुत्र श्री रामस्वरूप सिंह, ब्लाक कालोनी प्राथमिक स्कूल के दक्षिण, औरंगाबाद बिहार–824101	निदेशक, गायत्री फार्मेसी कॉलेज, गायत्री विहार, जम्बदरपल्ली, सम्बलपुर–768101 (उड़ीसा)
32	श्री अभिषेक चक्रवर्ती, प्लाट नं. 4 अरबिन्द नगर, पो.आ. तथा जिला–जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल–735101	निदेशक, बंगाल प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, श्रीनिकेतन बाईपास, पो. डोरंडा, शांतिनिकेतन–731236, पश्चिम बंगाल
33	सुश्री सबीरा प्रधान, द्वारा जयंति महाराणा गेट बाजार लूछापाड़ा रोड, रेडियो सेंटर के सामने, बेरहामपुर (गंजाम) उड़ीसा–760001	निदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पल्लूरहिल्स, बेरहामपुर उड़ीसा–761008

1	2	3
34	श्री अरूण कुमार सिन्हा, मोहल्ला खोड़ानगर, धर्मसमाज रोड़, मोतीहाजी, जिला पूर्वी चम्पारण 845401, बिहार	निदेशक, इंजीनियरिंग कालेज, भुवनेश्वर, प्लाट 1ए, सेक्टर बी, चंदकान्यूकलस इंडस्ट्रीयल काम्पलेक्स, पतिया, भुवनेश्वर–751024
35	श्री रामचन्द्र आर्य भारती, गांव मेयार, पो.ओ. केयरी मेयार पी.एस. नूरसराय (नालंदा) बिहार	निदेशक, आर.सी.सी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कनालसाउथ रोड, बेलियाघाट, कोलकाता–700015
36	श्री नवीन कुमार, द्वारा नन्दकिशोर मेहता, शुभम निवास (कमरा नं.8) रामकृष्ण कालोनी बकरी बाजार, मेहेन्द्र शोधगंज, पटना–800006 (बिहार)	निदेशक, महावीर प्रौद्योगिकी संस्थान, महावीर नगर, पलाशपुर (पानीओर) गंगापाड़ा, भुवनेश्वर, (उड़ीसा)
37	श्री अजय कुमार पुत्र श्री शत्रुघ्नशाह ग्राम तथा पोस्ट महुआ बाजार, थाना बसनही, जिला सहरसा–852219, बिहार	निदेशक, महावीर प्रौद्योगिकी संस्थान, महावीर नगर, पलाशपुर (पानीओर) गंगापाड़ा, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
38	श्री सुकान्त कुमार पैट्रो, एम.जी. रोड, असका (गंजाम), उड़ीसा–761110	निदेशक, मझाघरियानी प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, भुजबल, कालनारा–765001, रायगढ़, उड़ीसा
39	श्री गिरिधर देव सर्मा, एस.आई.आफ पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, पुलिस कार्यालय, डी.एस.बी., सिटी गुवाहाटी पान बाजार, गुवाहाटी–781001 (असम)	निदेशक, गांधी इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान खर्लिंग पोस्ट, गोबरीगुडा, कुजुपुर–765022 रायगाडा (उड़ीसा)
40	श्री किशोर कुमार मोहपात्र हरिपुर, डाक–बक्शीबाजार, जिला कटक, उड़ीसा–753001	निदेशक, धनेश्वर रथ इंजीनियरी और प्रबंध अध्ययन संस्थान डी.आर.आई.ई.एम.एस., डाक खैरापारी कोशाही, तांगी, जिला कटक, उड़ीसा
41	श्री हरि प्रकाश मोहन्ती, क्वार्टर नं. एल.आई.जी. –167, बी.आर.टी. कालोनी नायापल्ली, भुवनेश्वर, जिला–खुर्दा–751012	निदेशक, सीमान्त इंजीनियरी कालेज आरपोखरिया मयूरभंज–757086, उड़ीसा
42	श्री दिवाकर कुमार लाभ, बी.ई. 398, हरिनगर, गली नं.7 नई दिल्ली–110064	निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, मेदिनीपुर–46 पश्चिम बंगाल
43	ईमेल श्री हर्मन	भाई गुरूदास इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, संगरूर
44	डा. एच.एस. भट्टी, प्रौफेसर (भौतिकी विज्ञान विभाग), पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	स्वामी विवेकानन्द इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, चण्डीगढ़–पटियाला राजमार्ग, रामनगर, बनूर के पास जिला पटियाला
45	सुश्री रीतादेव, मालवीय नगर, नई दिल्ली	फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बी–18, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–16
46	श्री राघव प्रसाद शर्मा, मकान नं. 39–बी/बी गांधी नगर, जम्मू	मोदी प्रौद्योगिकी संस्थान, रावतभाटा रोड, नवागांव, कोटा (राजस्थान)

1	2	3
47	श्री अंचल शुक्ला, नजफगढ़, नई दिल्ली	आई टी एम, गुडगांव, (2) पीडीएम बहादुरगढ़, (3) द्रोणाचार्य कालेज ऑफ इंजीनियरी, खेंटवास, गुडगांव, (4) एन सी कालेज ऑफ इंजीनियरी, पानीपत (5) कैरियर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, फरीदाबाद (6) गुडगांव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी एंड मैनेजमेंट, गुडगांव; (7) हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलाजी, बहादुरगढ़ (8) वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलाजी, गुडगांव
48	श्री संदीप सहारन, हाउस संख्या–73 दिल्ली पुलिस अपार्टमेंट, ए–3, पश्चिम विहार नई दिल्ली	अनुपता कालेज ऑफ इंजीनियरी, बोहादांकला, गुडगांव हरियाणा
49	श्री अशोक धूपर, सुपरिटेंडेंट, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साईज, अलवर	बलदेव राम मिर्धा इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलाजी, ईपीआईपी, सीतापुर, जयपुर
50	श्री आदिल वानी, रामा लेन, एक्सटेंशन तलब तलब तिल्लो, जम्मू	रायत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीरियरींग एंड इंफॉमेशन टैक्नोलाजी, रेलमार्जरा, नवां शहर, पंजाब
51	श्री पंकज राणा, टाईप–II, हाउस सं. 71, जल विहार जल विहार कॉलोनी, लाजपत नगर, नई दिल्ली	निदेशक, श्री सिंगेरी शारदा इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, प्लॉट–7, फेज–II, इंस्टिट्यूशनल एरिया, बिहाईंड ग्रांड होटल, बसंत कुंज, नई दिल्ली–70
52	श्री अभय सिंह यादव, जुनियर वारंट ऑफीसर, 6 टीएसी वायु सेना–937806	अजमेर इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलाजी, पुष्कर बाईपास, अजमेर–305004
53	श्री जुवेन बनर्जी, 1–बी/1, जिंक पार्क, मोती मगरी, स्कीम, उदयपुर–313004	निदेशक, राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरी एण्ड टेक्नोलाजी, भानकोता, जयपुर
54	श्री रॉबिन प्रींजा, 29 जगदम्बे कालोनी, पोस्ट खन्ना नगर, बटाला रोड़, अमृतसर	निदेशक बाबा कामा सिंह जी, इंजीनियरी कॉलेज, होशियार नगर, अमृतसर
55	श्री सुबोध कुमार जैन, एडवोकेट, तहसील, फिरोजपुर, झीरका (मेवात नूह) को उनके क्लाईंट कुमारी पारूल जैन के संबंध में	भगवान महावीर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत–131001
56	श्री ए.के. आचार्य, उप महाप्रबंधक एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, अजमेर–305003	निदेशक, अजमेर प्रौद्योगिकी संस्थान, पुष्कर बाईपास, अजमेर–305004
57	श्री गोपाल लाल गुज्जर, पोस्ट लखेर, वाया मोहरपुर, जिला जयपुर–303104	निदेशक, शंकर प्रौद्योगिकी संस्थान, एसपी–44, रीको औद्योगिकी एरिया, कुकास, जयपुर–303101 (राजस्थान)
58	श्री अमरजीत सिंह नन्दा, 1379–डी, मॉडल टाउन एक्सटेंशन लुधियाना	निदेशक, भाई महा सिंह इंजीनियरी कालेज, कोटकापुर मुक्तसर

1	2	3
59	श्री सुभाष चन्द्र जोशी, 47, भर्मपोल मार्ग, चन्द्रपोल के बाहर, उदयपुर (राजस्थान)	निदेशक, अलवर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, नार्थ एक्सटेंशन, एम आई ए अलवर, राजस्थान
60	श्री मणिमें सेमगुप्ता, एस एम एस हाउस, प्रथम तल, ई–1/4, सेक्टर–7, रोहिणी, दिल्ली–85	श्री रामदेव बाबा, कमला नेहरू इंजीनियरी कॉलेज रामदेव तेकड़ी, गिट्टीखदान, कटोल रोड, नागपुर–440013
61	श्री जे.के. सिन्हा, द्वारा समीर शेखर, 1/6, आनन्दपुरी पटना–800001	एम पी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएट, भारतीय विद्या भवन, 43, रेस कोर्स रोड, बंगलौर–560001
62	विंग कमांडर, अजय भल्ला (सेवानिवृत्त), ए–155 शिवालिक मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017	निदेशक, इंजीनियरिंग कालेज रूड़की, पो.बा.नं. 27 7, केएम रूड़की–हरिद्वार रोड़, वर्दमानपुरम, रूड़की–247667
63	श्री एम.वी नम्बूरदरी, द्वितीय सचिव (कांस) भारतीय उच्चायोग, पो.बा. 882, 36–38 गाले रोड़, कोलम्बो–3	वृन्दाबन कालेज, 2 क्रास, विनायक ले आउट, भूप सन्द्रा आर एम वी द्वितीय स्टेज, बैंगलोर–560094
64	श्री भानु प्रताप जैन, मार्फत् भारतीय चैकर्स मिसर मुर्रर, सहारनपुर–247001 (यू.पी.)	उत्तरांचल प्रौद्योगिकी संस्थान, अरकाडियाग्रांट, डाकखाना चन्दनबाड़ी, प्रेम नगर, देहरादून–248007, उत्तराखंड
65	श्रीकांत जांगड़ा, 331/19, कैलाश कालोनी, गली नं.5 नियर आई टी आई, सोनीपत, हरियाणा	अमिटी बिजनेस स्कूल, पंचगांव–122413, मानेसर, गुड़गांव
66	श्री अरिन्दम राय, फ्लैट नं. 80 सी, पॉकेट एफ, जी टीवी एन्क्लेव, दिल्ली–110093	राजकुमार गोयल प्रौद्योगिकी संस्थान, गाजियाबाद (यू.पी.)
67	श्री सोमित्रा मेहरोत्रा, पुत्र श्री सुनील मेहरोत्रा, रामप्लेस फैक्टरी, स्टेशन रोड, सीतापुर (यू.पी)–261001	कार्यकारी सचिव, कॉमडेक, सं. 37, प्रथम तल, रमण श्री चैम्बर्स, लेडी कर्जन रोड, बैंगलोर–560001
68	श्री आर.ए. त्यागी, ए–294, प्रथम तल, विकास, पुरी नई दिल्ली–110018	निदेशक, विश्व प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन कालेज, 5 के एम स्टोन फरूख नगर, हेलीमण्डी रोड (खेड़ा खुरमपुर) गुडगांव (हरियाणा)
69	श्री सौरभ जैन, 2–ई–36, तलवंडी, कोटा, राजस्थान	निदेशक, एपेक्स, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीतापुर, जयपुर
70	श्री ऋषि केसरवानी, मकान नं. 2, माधव नगर, सेक्टर 11, इन्दिरा नगर, लखनऊ	निदेशक, श्रीबालाजी इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी कालेज, जयपुर–302013
71	श्री सैयद नदीम, मं.सं. 9–2–485/4, पैंशनपुरी, लंगर हाऊस, हैदराबाद	निदेशक सदन फार्मेसी कालेज, पीरनचेरू, हिमायत सागर रोड, हैदराबाद–500008 (आंध्र प्रदेश)
72	श्री काशीनाथ नायक, केन्द्रीय विद्यालय, पोआ. मेहांतुबुरू, वाया छाईबासा, जिला पश्चिम सिंह भूम, झारखंड–833223	निदेशक, सिलीकॉन प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलीकॉन हिल्स पटिया, भुवनेश्वर–751024
73	श्री लोक पाल सिंह, पी जी टी (भौतिक), केन्द्रीय विद्यालय विकास पुरी, नई दिल्ली	निदेशक, सोमानी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, गढ़ी बोलनी रोड, रेवाड़ी–123401 (हरियाणा)

1	2	3
74	सुश्री शिल्पा माथुर, एम आई जी–146, माधव नगर, ग्वालियर, (म.प्र.)	निदेशक, प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, आईटीएम परिसर 25 एवं 26 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर–4, खाड़गढ़ (पूर्व) नवी मुम्बई–410210
75	श्री यशपाल सपरा, वकील, दिल्ली उच्च न्यायालय, 33 डा. मुखर्जी नगर (पश्चिम) दिल्ली–110009	निदेशक, प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, 35 केएम माइल्स स्टोन, कातोल रोड, नागपुर–441502 (महाराष्ट्र)
76	श्री अनिल कुमार जैन, 2–जी–7, सरदार पटेल नगर सैक्टर–11, उदयपुर, राजस्थान	निदेशक, शंकरा प्रौद्योगिकी संस्थान, एस पी–44, रिको इंडस्ट्रीयल एरिया, कुकस–जयपुर
77	श्री संदीप कुमार त्रिपाठी, मार्फत् जी एस पाण्डे, ए–13, आर बी आई स्टाफ क्वार्टर, कुर्जी, पटना–800010	निदेशक, गायत्री फार्मेसी कालेज, गायत्री विहार, जमादरी पल्ली, सम्भलपुर–768101 (उड़ीसा)
78	सुश्री पूजा प्रियदर्शनी राठ, मार्फत् जी.एस. राठ, एम/23, हाउसिंग बोर्ड, जिला कटक–754029	निदेशक, संजय मेमोरियल प्रौद्योगिकी संस्थान, बृन्दावन विहार, चांदीपदर, जिला गंजम–761003
79	श्री विष्णु भण्डारी, 898, सैक्टर–4, हिरण मागरी, उदयपुर	निदेशक गीतांजलि तकनीकी अध्ययन संस्थान, दाबोक, उदयपुर–313002
80	श्री आशु बावेजा, ई–71, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008	निदेशक, जी जी एस, मॉडर्न प्रौद्योगिकी कालेज, जिला मोहाली, खरड़–140301 (पंजाब)
81	श्री वी पी वर्मा, 50/बी, पॉकेट ए–2, मयूर विहार–III दिल्ली–110096	निदेशक, रूड़की इंजीनियरिंग कालेज, पो.बा. नं. 27 सातवां के एम. रुड़की–हरिद्वार रोड, वर्दमान पुरम, रूड़की–247667
82	श्री अरविन्द कुमार, नियर, 15/1–II, पी.डब्ल्यू.डी. कालोनी, राजेन्द्र नगर, बरेली (यू.पी.)	निदेशक, जे.एस. प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, मणिपुरी रोड़, शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद (यू.पी.)
83	श्री कन्हाई शंकर प्रसाद, मार्फत् श्री के.एस. प्रसाद कुमकुम कुंज, आनन्द पुरी, ब्रह्मपुरा, पी.ओ., एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर–842003 (बिहार)	निदेशक, व्यावसायिक प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, संख्या 298, 100 स्क्वेयर फीट रिंग रोड, फेज–4 ब्लाक 7, वनसंकरी, स्टेज 3, बंगलौर–560085
84	श्री बी.के. राठ, हाउस नं0. 79/97, शिपरा पाथ, मानसरोवर, जयपुर (राजस्थान)	निदेशक, सीडलिंग डिजाइन प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन एकेदमी, मुख्य परिसर, खोर बरियान, तहसील सांगामेड, जगतपुरा, राजस्थान–302017
85	श्री मयूर प्रताप पाटिल	पद्मश्री डा. डी वाई पटेल प्रबंधन अध्ययन संस्थान, पुणे
86	श्रीमती रेणु सेजवाल, सी 2बी/20 ए, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058	निदेशक, सीडलिंग डिजाइन प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन एकेदमी मुख्य परिसर, खोर बरियान, तहसील सांगामेड, जगतपुरा, राज.–302017
87	श्री ए.के. अग्रवाल, बी बी–39 एफ, डी डी ए, एम आई जी फ्लैट्स, जनकपुरी, दिल्ली–110058	निदेशक, आई आई टी टी इंजीनियरिंग कालेज, कलाअम्बा, जिला, सिरमोर, हिमाचल प्रदेश

1	2	3
88	सुश्री चारू अवस्थी, केन्द्रीय विद्यालय रायगढ़	विश्व विश्वाणी, प्रबंधन एवं सिस्टम संस्था, हैदराबाद
89	श्री अलीम–उल–इस्लाम, 15 एम आई जी विक्रम नगर, महुआ रोड, रतलाम–457001	निदेशक, आर एन मोदी इंजीनियरिंग कालेज, एस पी–2 रिको इंस्टीट्यूशनल एरिया, रानपुर, कोटा–झालावाड रोड पी.ओ. कालबे नगर–3255003, कोटा

[हिन्दी]

संसद सदस्यों की सुरक्षा

3278. डा. शफीकुर्रहमान बर्क : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्यों की सुरक्षा के संबंध में कोई बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी ऐसी सिफारिशें जारी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) संसद सदस्यों को सुरक्षा, खतरे की आशंका के आधार पर प्रदान की जाती है। यह सुरक्षा, संबंधित सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाती है जिसकी समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे संसद सदस्यों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करें और विशेष रूप से जब वे उनके राज्यों का दौरा करें वहां ठहरें तो किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए वे व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाएं।

दिल्ली पुलिस से भी अनुरोध किया गया है कि वे दिल्ली में, विशेष रूप से संसद सत्र के दौरान सुरक्षा क्षेत्र में वृद्धि करके, महत्वपूर्ण स्थानों पर सी सी टी वी स्थापित करके, वी आई पी आदि क्षेत्रों में निकट से निगरानी रखने के लिए और अधिक चलती–फिरती जिप्सी लगा करके संसद सदस्यों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाएं।

[अनुवाद]

नारियल तेल के निर्यात पर प्रतिबंध

3279. श्री परशुराम माझी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नारियल तेल सहित खाद्य तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पृथक्–पृथक् क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रतिबंध को हटाने और तेल उत्पादकों, विशेषकर नारियल उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) जी हां। देश में खाद्य तेलों की कमी से निपटने के लिए सरकार ने दिनांक 17 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. 85 (आरई. 2007)/2004–09 के जरिए नारियल तेल सहित सभी खाद्य तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। तथापि, बाद में कोचीन पत्तन से नारियल तेल के निर्यात की अनुमति देते हुए दिनांक 1.4.2008 की अधिसूचना सं. 92 (आरई 2007)/2004–09 के जरिए लगाए गए प्रतिबंध में ढील दी गई थी।

[हिन्दी]

विद्यालय विकास निधि के अंतर्गत किए गए कार्य

3280. श्री रामदास आठवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों से विद्यालय विकास निधि वसूलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा विद्यालय विकास निधि का उपयोग करके किए गए कार्यों का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विद्यालय विकास निधि के दुरुपयोग के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार उक्त निधि के खर्च की निगरानी हेतु कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) केन्द्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों से विद्यालय विकास निधि निम्नलिखित दरों पर एकत्र की जा रही है:–

कक्षा I से X : 160 रू. प्रतिमाह

कक्षा XI और XII (गैर–विज्ञान विषय) : 160 रू. प्रतिमाह

कक्षा XI और XII (विज्ञान विषय) : 200 रू प्रतिमाह

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किए गए कार्यों और उन पर किए गए खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्राप्त इस प्रकार की शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने विद्यालय विकास निधि का अनुवीक्षण करने के लिए पहले ही उपाय कर लिए हैं। विद्यालय विकास निधि योजना की समीक्षा की गई है और 1.4.2006 से संशोधित योजना कार्यान्वित की गई है। उन कार्यकलापों को अभिनिर्धारित किया गया है जिन पर विद्यालय विकास निधि खर्च की जा सकती है और प्रत्येक कार्यकलाप पर किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा को दर्शाया गया है। वे प्राधिकारी जिन्हें विद्यालय विकास निधि के समुचित उपयोग का अनुवीक्षण करने के लिए इस प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं उन्हें भी अधिसूचित किया गया है। विद्यालय विकास निधि के लेखाओं को वर्ष 2004–05 और इसके बाद से केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लेखाओं में शामिल किया गया है और महानिदेशक, लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली से इन्हें प्रमाणित कराया जाता है।

विवरण- I

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किए गए कार्यों और उन पर किए गए खर्च का ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08 (दिसम्बर, 07 तक)
1.	संविदा आधार पर नियुक्त किए गए अंशकालिक कर्मचारी	26.69	28.96	21.00	10.78
2.	भवन/खेलकूद के मैदान/अन्य परिसम्पतियों का रखरखाव व मरम्मत	18.78	14.86	19.84	10.18
3.	विद्यार्थी सोसाइटी, वार्षिक समारोह, अन्य विद्यालय समारोह, (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और शिक्षक दिवस इत्यादि) विद्यालय पत्रिका और विद्यार्थी डायरी का प्रकाशन।	21.84	21.86	17.16	8.81
4.	सुरक्षा और देखभाल सेवायें	8.91	10.37	9.84	5.06
5.	कम्प्यूटर उपयोग और गैर उपयोग सामग्री	11.10	15.26	21.51	11.04
	परीक्षा	14.03	14.81	14.43	7.41
6.	किराया/कर/जल/विद्युत बिल जैसे अन्य आवर्ती व्यय, खेलकूद, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और अन्य के लिए उपयोगी मद, चिकित्सा सुविधाए, साफ–सफाई व्यवस्था, ट्रेकिंग/ शिक्षा दौरा, स्काउट और गाइड कार्यकलाप तथा अन्य विविध खर्च इत्यादि	48.60	50.88	57.13	29.33
7.	अनावर्ती खर्च अर्थात छोटे–छोटे निर्माण कार्य, फर्नीचर और फिक्सचर, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, कार्यालय के लिए उपस्कर, अन्य नियत परिसम्पतियों इत्यादि से संबंधित खर्च	29.44	24.57	25.25	12.72
	कुल	179.39	181.57	186.16	95.38

विवरण-II

निधियों के दुरुपयोग के संबंध में प्राप्त हुई कुछ शिकायतों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अन्य ब्यौरा

1. केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पूर्व सहायक आयुक्त, के. वि. संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, के. वि, सेक्टर–8, के. वी. सेक्टर 25, रोहिणी के प्रधानाचार्यों, प्रभारी, प्रधानाचार्य, के. वी. सेक्टर– 22, रोहिणी के विरुद्ध रोहिणी स्थित केन्द्रीय विद्यालय में अस्थायी भवन संबंधी निम्न स्तरीय निर्माण कार्य के मामले में और केन्द्रीय विद्यालय सैक्टर 22 और केन्द्रीय विद्यालय सैक्टर 25, रोहिणी के बारे में श्रम–संविदा प्रदान करने, भवन निर्माण संबंधी सामग्री की आपूर्ति करने और अस्थायी कक्षा–कक्षों के निर्माण के लिए जमीन की भराई करने के मामले में ठेकेदारों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। इन संबंधित अधिकारियों को आरोप पत्र दिया गया जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:–

   सी.बी.आई मामलों के अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी ने भी रोहिणी और ग्रेटर नोएडा में विद्यालय विकास निधि से प्राप्त निधियों से निम्न स्तरीय अस्थायी विद्यालय भवन का निर्माण करने तथा इन निधियों के उपयोग में गम्भीर अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है।

   दिनांक 10–7–2006 के आदेश के जरिए तत्कालीन सहायक आयुक्त को निलंबित किया गया था। उनके विरुद्ध दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयो के अस्थाई कक्षा–कक्षों के निर्माण में तथाकथित गंभीर अनियमिततओं के आधार पर केन्द्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के तहत निम्नलिखित अनुशासनात्मक मामले शुरू किए गए थे।

(i) दिनांक 4.11.2006 के ज्ञापन के जरिए वर्ष 2003–04 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय, ग्रेटर नोएडा के अस्थाई भवन के निर्माण में तथाकथित गंभीर अनियमितताओं के लिए आरोप पत्र दिया गया।

(ii) दिनांक 3.09.2007 के ज्ञापन के जरिए वर्ष 2003–04 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर–8 रोहिणी और सैक्टर–5 द्वारका, दिल्ली के अस्थाई भवन के निर्माण में तथाकथित गंभीर अनियमितताओं के लिए आरोप पत्र दिया गया।

(iii) दिनांक 20.8.2007 के ज्ञापन के जरिए वर्ष 2003–04 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर–25 रोहिणी, दिल्ली के अस्थाई भवन के निर्माण में तथाकथित गंभीर अनियमितताओं के लिए आरोप पत्र दिया गया।

(iv) दिनांक 10.09.2007 के ज्ञापन के जरिए वर्ष 2003–04 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर–22 रोहिणी के अस्थाई भवन के निर्माण में तथाकथित गंभीर अनियमितओं के लिए आरोप पत्र दिया गया।

2. दिनांक 24.5.2007 और 10.10.2007 के ज्ञापन के जरिए वर्ष 2003–04 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय सैक्टर–25, रोहिणी और सैक्टर–8, रोहिणी, दिल्ली के अस्थाई कक्षा–कक्षों के निर्माण में तथाकथित गंभीर अनियमितताओं के आधार पर प्रधानाचार्य (सेवानिवृत्त) केन्द्रीय विद्यालय सैक्टर–8, रोहिणी, दिल्ली को बड़ी दण्डात्मक कार्रवाई के तहत आरोप पत्र प्रदान किया गया था।

3. दिनांक 13.8.2007 के ज्ञापन के जरिए प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय सैक्टर–25, रोहिणी को 2003–04 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय सैक्टर–25, रोहिणी, दिल्ली के अस्थाई भवन के निर्माण में तथाकथित गंभीर अनियमितताओं के आधार पर बड़ी दण्डात्मक कार्रवाई के तहत आरोप पत्र प्रदान किया गया था।

4. केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर–22, रोहिणी के प्रभारी, प्रधानाचार्य को केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर–22 में अस्थाई भवन में 2003–04 तथा 2004–05 के दौरान तथाकथित अनियमितताओं के कारण दिनांक 13.8.2007 के ज्ञापन के जरिए आरोप पत्र दिया गया था।

5. केन्द्रीय विद्यालय सैक्टर–3 रोहिणी और केन्द्रीय विद्यालय सैक्टर–22 के अस्थाई भवनों के निर्माण में 2003–04 के दौरान तथाकथित अनयमितताओं के संबंध में पूर्व प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय सैक्टर–3 रोहिणी, दिल्ली को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

6. पूर्व शिक्षा अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली, पूर्व प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्याालय, ग्रेटर नोएडा को 2003–04 तथा 2004–05 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय, ग्रेटर नोएडा में निर्माण संबंधी तथाकथित अनियमितताओं हेतु दिनांक 9.1.2007 के ज्ञापन द्वारा आरोप पत्र दिया गया था।

   सहायक आयुक्त, शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य, को केन्द्रीय विद्यालय, ग्रेटर नोएडा के अस्थाई भवन के घटिया निर्माण के लिए उत्तरदायी मानते हुए दिनांक 31.10.2005 को इनके विरुद्ध कासना पुलिस स्टेशन, बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

7. पूर्व प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर 8, आर, के, पुरम को 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान निधियों के उपयोग में अनियमितताओं के कारण दिनांक 8.10.2006 के ज्ञापन के

जरिए आरोप पत्र दिया गया था। दिनांक 19.4.2007 के आदेश के जरिए उनकी दो वेतन वृद्धियों को रोकने का दण्ड दिया गया था।

8. पूर्व प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर, नई दिल्ली के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर सहायक आयुक्त, दिल्ली क्षेत्र द्वारा 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान प्रश्न पत्रों तथा अध्ययन सामग्री की छपाई में कुछ प्रक्रिया संबंधी कमियों के बारे में सूचित किया गया था। इसकी जांच करने पर यह पता चला कि किया गया खर्च सही था और इस मामले को वापस ले लिया गया।

9. पूर्व प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, कोलाबा, मुम्बई को 2004–05 के दौरान लेखन सामग्री की खरीद तथा मरम्मत आदि में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आधार पर दिनांक 22.9.2006 के ज्ञापन के जरिए आरोप पत्र दिया गया था।

10. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) की विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सहायक आयुक्त (सेवानिवृत्त), केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा 2004–05 के दौरान विद्यालय विकास निधि में से अध्ययन सामग्री की छपाई संबंधी गंभीर अनियमिततओं का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में प्रथम स्तरीय सलाह प्राप्त करने हेतु मामले को केन्द्रीय सतर्कता आदेश को भेजा गया है।

11. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) की विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट में पूर्व प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, भेल, हरद्वार द्वारा 2004–05 के दौरान विकास उल्लेख में से अध्ययन सामग्री की छपाई संबंधी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में प्रथम स्तरीय सलाह प्राप्त करने हेतु मामले को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा गया है।

12. 2006–07 के दौरान बजटीय आवंटनों के अतिरिक्त विद्यालय विकास निधि से की गई खरीद में तथाकथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में पूर्व प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, उन्नाव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

13. चहारदीवारी तथा साइकिल स्टैंड के रख–रखाव तथा मरम्मत, 'वाच तथा वार्ड' तथा 'कंजर्वेंसी' सेवाओ के निजीकरण, प्रश्नपत्रों की छपाई तथा अग्नि शामकों को पुनः भरने हेतु 2004–05 के दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं के लिए पूर्व प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, अंबाजारी के मामले को प्रथम स्तरीय सलाह हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया गया है।

14. फर्नीचर, वाटर कूलर्स, एयर, कंडिशनरों, डेजर्ट कूलरों, की खरीद, दिहाड़ी मजदूरों की नियुक्ति, एम.बी. बिजली बोर्ड द्वारा बिना कार्यकारी समिति की मंजूरी के 140 कि. वा. के ग्रामीण बिजली कनेक्शन के संबंध में 2005–06 के दौरान प्रधानाचार्य (सेवानिवृत्त) केन्द्रीय विद्यालय सं. 4, ग्वालियर द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं हेतु मामले को प्रथम स्तरीय सलाह हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया गया है।

15. पूर्व सहायक आयुक्तों, लेखा परीक्षक एवं लेखाधिकारियों, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई तथा पूर्व प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य और टी.जी.टी. (अंग्रेजी) और प्रभारी प्रिंसिपल, केन्द्रीय विद्यालय, कावारेट्टी को केन्द्रीय विद्यालय, कावारेट्टी हेतु फर्नीचर की खरीद के संबंध में 2005–06 के दौरान हुई विशेष लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई अनियमितताओं हेतु 31.3. 2008 को कारण नोटिस जारी किया गया था।

16. पूर्व प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, सेक्टर–8 आर. के. पुरम को 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान सुरक्षा सेवाओं को किराये पर रखने में निधियों के प्रयोग, कम्प्यूटर तथा फर्नीचर की खरीद में हुई अनियमितताओं हेतु, 8.10.2006 के ज्ञापन के जरिए आरोप पत्र प्रदान किया गया था। दिनांक 19.4.2007 के आदेश के जरिए उनकी दो वेतन वृद्धियों को रोकने का दण्ड दिया गया था।

17. पूर्व प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, परिसर, नई दिल्ली के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान प्रश्न पत्रों की छपाई, फर्नीचर की खरीद में हुई प्रक्रिया संबंधी कमियों की जानकारी दी गई थी। इसकी जांच करने पर यह पता चला कि किया गया खर्च सही था और इस मामले को वापस ले लिया गया था।

18. पूर्व प्रधानाचार्य केन्द्रीय विद्यालय सं. 1, कोलाबा, मुंबई को 2004–05 के दौरान प्रश्न पत्रों की छपाई तथा मरम्मत कार्य संबंधी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं हेतु 22.9.2006 के ज्ञापन के जरिए आरोप पत्र प्रदान किया गया था।

19. केन्द्रीय विद्यालय, बी.एस. एफ., चावला, दिल्ली की विशेष लेखा परीक्षा 2007–08 के दौरान निर्माण कार्य, आडियोविजुअल की खरीद तथा क्षेत्रीय बैठक आदि पर हुए वित्तीय खर्च में वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थी।

[अनुवाद]

सीमापार से जाली मुद्रा का आगम

3281. श्री निखिल कुमार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में जाली भारतीय मुद्राओं की तस्करी करने वालों को पकड़ने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू करने हेतु एक व्यापक रणनीति बनाने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो आसूचना ब्यूरो, रॉ, राजस्व आसूचना विभाग, प्रवर्त्तन निदेशालय और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी।

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकलें; और

(ग) सरकार का देश में जाली भारतीय मुद्रा के प्रचालन को रोकने के लिए और क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) जाली भारतीय मुद्रा नोटों (एफ आई सी एन) संबंधित मुद्दों और उनसे निपटने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों को नामित किया गया है। एफ आई सी एन परिचालन रोकने के प्रयासों के एक भाग के रूप में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों ने दिनांक 29.2.2008 को एक कार्यशाला आयोजित की थी जिसमें अन्यों के साथ–साथ राज्य सरकारों, आई बी, आर बी आई और डी आर आई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका उद्देश्य, समस्या की गंभीरता का आकलन करना, समस्या से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा जाली मुद्रा नोटों के खतरे के संबंध में अधिकारियों को सुग्राही बनाना था। राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे वरिष्ठ पर्यवेक्षण के तहत सैल स्थापित करें ताकि एफ आई सी एन के परिचालन तथा अन्य संगठित अपराधों पर कारगर ढंग से निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

बांग्लादेश से शुल्क मुक्त गारमैंट का आयात

3282. श्री रमेश दूबे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार बांग्लादेश सहित विभिन्न देशों से शुल्क मुक्त गारमेंट आयात की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) बांग्लादेश से परिधानों के 8 मिलियन नगों तथा श्रीलंका से परिधानों के 3 मिलियन नगों को शून्य शुल्क बाजार पहुंच प्रदान करने के संबंध में सहमति बन गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय ऑटो कलपुर्जे उद्योग

3283. श्री सुव्रत बोस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कम लागत वाले देशों से विभिन्न देशों को किए जाने वाले ऑटो कलपुर्जों के निर्यात में भारत की देश–वार वर्तमान हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है;

(ख) क्या वर्ष 2006–07 की तुलना में वर्ष 2007–08 के दौरान भारतीय ऑटो अनुषंगी क्षेत्र की वृद्धि दर कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में ऑटो कलपुर्जों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) दक्षिण एशिया तथा अफ्रीका के निम्नलिखित देशों को भारत से ऑटो घटकों का निर्यात 10% से अधिक है:–

आयातक देश	भारत का % हिस्सा
1	2
भूटान	93.35
नेपाल	88.74
श्रीलंका	50.23
सेंट पियरे एवं मिक्वेलॉन	48.98
लेसोथो	35.92
बांग्लादेश	27.34
टोगो	18.95
सेनेगल	16.76
यूगांडा	16.44

1	2
अर्मेनिया	12.92
केन्या	11.72
अफगानिस्तान	11.63
मॉरीशस	10.60

(ख) और (ग) जी, नहीं। अप्रैल–जुलाई, 2007 की अवधि में निर्यात वर्ष 2006 की समान अवधि की तुलना में लगभग 7% की वृद्धि हुई थी।

(घ) सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति (2004–09) के वार्षिक पूरक अंक में निहित उपायों सहित नीतिगत उपायों की समय–समय पर घोषणा की जाती है। इन उपायों का उद्देश्य भारत के तुलनात्मक लाभ और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उभरती हुई परिस्थितियों के अनुरूप निर्यात वृद्धि की वर्तमान दर में वृद्धि करना एवं उसे जारी रखना है। इस क्षेत्र के प्रतिनिधि निकाय इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) द्वारा विज्ञापन प्रचार तथा अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, क्रेता–विक्रेता बैठकों के आयोजन के जरिए अपने उत्पादों का संवर्धन किया जा रहा है। सरकार द्वारा वाणिज्य विभाग की बाजार विकास सहायता (एमडीए) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीमों के जरिए ईईपीसी को उसके कार्यकलापों में सहायता प्रदान की जाती है।

पी.एच.डी. और एम. फिल. हेतु प्रवेश परीक्षा

3284. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पी.एच.डी. और एम. फिल. में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दोनों पाठ्यक्रमों के लिए विद्यमान व्यवस्था को समाप्त करने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) शैक्षणिक सुधार के एक भाग के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सलाह दी है कि एम. फिल. एवं पी.एच.डी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त संयुक्त मैरिट के आधार पर दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार इसके कारण यह है कि पी.एच.डी. में प्रवेश हेतु कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा इस समय जो तरीका अपनाया जा रहा है उसे समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। इन उच्च स्तरीय शोध पाठ्यक्रमों में प्रवेश के तरीकों को औपचारिक एवं पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और पी.एच. डी. को शोध–प्रबंध/ थीसिस आधारित बनाने के बदले इसमें पाठ्यक्रम कार्य शुरू करने की आवश्यकता है।

दक्षिण एशियाई देशों द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में निवेश

3285. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मलेशिया और अन्य दक्षिण एशियाई देशों ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में इस क्षेत्र के विशेष उद्योग में निवेश हेतु रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या औद्योगिक निवेश और व्यापार के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किसी व्यापारिक शिष्टमंडल ने पोर्ट ब्लेयर का दौरा किया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुलिस सुधार संबंधी उच्चतम न्यायालय के निदेश

3286. श्री के. एस. राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुलिस सुधार संबंधी उच्चतम न्यायालय के निदेशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस संबंध में पुलिस अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा आयोजित की गई पिछली बैठक के निष्कर्षों तथा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और भारतीय पुलिस को पश्चिमी देशों की पुलिस की तरह कुशल तथा प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आम आदमी के लिए सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जनता, मीडिया और गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करके अत्यावश्यक पुलिस सुधारों को लागू करने हेतु विभिन्न सुझावों और सिफारिशों के क्रियान्वयन

के लिए अन्य उपाय करने तथा भारतीय दंड संहिता में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में पुलिस राज्य का विषय होने के कारण उच्चतम न्यायालय के निदेशों पर कार्रवाई करना मुख्यतः राज्य सरकारों का दायित्व होता है। तथापि, गृह मंत्रालय उच्चतम न्यायालय के निदेशों और संबंधी मुद्दों के बारे में राज्य सरकारों के साथ अन्योन्यक्रिया करता है। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 22 सितम्बर, 2006 के निर्णय के आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी राज्यों को भेज दी गई थी। तत्पश्चात, इस विषय पर चर्चा करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री और केन्द्रीय गृह सचिव के स्तर से राज्य सरकारों के साथ, समय-समय पर बैठकें भी आयोजित की गई हैं। गृह मंत्रालय ने मॉडल पुलिस अधिनियम बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति भी गठित की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के निदेशों से संगत कई प्रावधान हैं। चूंकि पुलिस राज्य का विषय है इसलिए यह मसौदा माडल पुलिस अधिनियम विचारार्थ एवं समुचित कार्रवाई हेतु सभी राज्यों को भेज दिए गए हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान और त्रिपुरा राज्यों ने इस संबंध में विधायन बना लिये हैं। विभिन्न राज्यों ने उच्चतम न्यायालय में अपने जवाब दर्ज करा दिए हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में इन पर कार्रवाई करने का दायित्व केन्द्रीय सरकार का है और काफी कुछ अनुपालन पहले ही किया जा चुका है विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में स्थिति उनके विधिक, प्रशासनिक, जनसांख्यिकीय और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण भिन्न-भिन्न है। भारत संघ ने भी कुछ निदेशों के संबंध में स्पष्टीकरण/आशोधन की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय में दो आवेदन पत्र दायर किए हैं।

(ख) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने दिनांक 18 दिसम्बर, 2007 तक नई दिल्ली में एक तीन दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। इसमें एक मद के रूप में पुलिस सुधारों पर चर्चा की गई थी और चर्चा के आधार पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे :-

I. पुलिस को राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप से अलग रखने की जरूरत है।

II. पुलिस की सकारात्मक छवि के लिए मीडिया एन जी ओ और लोकमत प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।

III. भ्रष्ट/राजनीति से प्रेरित अधिकारियों को अलग रखना।

IV. स्थिरता के लिए परिवर्तन लाना।

उक्त संगोष्ठी में की गई विभिन्न सिफारिशों में से कमोबेश अधिकांश सिफारिशों को मॉडल पुलिस अधिनियम के मसौदे में शामिल कर लिया गया है।

(ग) से (च) इस समय पुलिस सुधारों के संबंध में भारतीय दंड संहिता, 1860 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

युवाओं का उग्रवाद में लिप्त होना

3287. श्री कीरेन रिजीजू :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और चेन्नई आदि में बड़े पैमाने पर युवा उग्रवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से अधिकतर लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रशिक्षण ले रहे हैं;

(घ) क्या नालगोंडा उग्रवादी गतिविधियों का केन्द्र बन गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (च) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, विदेशी तत्वों द्वारा प्रभावित और विध्वंसक कार्यों में लगाए गए असंतुष्ट स्थानीय युवकों की आंतकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के मामले ध्यान में आए हैं जिनके फलस्वरूप अनेकों गिरफ्तारियां की गई हैं। यह सूचित किया गया है कि, अन्य बातों के साथ-साथ, स्थानीय युवकों को प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश ले जाया गया था। हालांकि धार्मिक कट्टरवादी/आंतकवादी संगठनों के प्रभाव में आने वाले कुछ असंतुष्ट युवक विध्वंसक गतिविधियों में संलिप्त हैं फिर भी यह सुझाना उपयुक्त नहीं होगा कि नलगोंडा उग्रवादी गतिविधियों का अड्डा बन गया है। सरकार आसूचना के आदान-प्रदान में संवृद्धि करके, सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करके, प्रोन्नत/आधुनिक शस्त्रास्त्र संचार प्रणाली और प्रशिक्षण उपलब्ध करा कर पुलिस की क्षमताओं में वृद्धि करके आतंकवाद से निपटने के लिए एक व्यापक नीति का अनुसरण करती है। सरकार ने दिग्भ्रमित युवकों

को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए विकासात्मक कार्य प्रारंभ करने के अलावा बाह्य दायित्वों का समाधान करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तंत्र भी स्थापित किए हैं।

[अनुवाद]

नई शाखाएं खोलने हेतु एमपीईडीए के प्रस्ताव

3288. श्री रनेन बर्मन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्र उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) विभिन्न राज्यों में विशेषकर पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में नई शाखाएं खोलने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) एमपीईडीए द्वारा आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान/तकनीक की सहायता से श्रिम्प उत्पादकों की मदद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) श्रिम्प कृषि में उद्यतन वैज्ञानिक ज्ञान/प्रौद्योगिकी के साथ श्रिम्प कृषकों की सहायता करने के लिए एम्पीडा द्वारा कई संवर्धनात्मक कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कुछेक कार्यकलाप निम्नानुसार है :-

(1) सततधारणीय श्रिम्प/स्कैम्पी कृषि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

(2) आ. जा./अ.ज.जा. समुदायों के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन।

(3) जलकृषि हेतु विविध प्रजातियों पर प्रदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन।

(4) संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन।

(5) कृषकों हेतु अंतर-राज्यीय अध्ययन दौरे।

लघु कृषकों को जल कृषक सोसाइटियों में संगठित करने के लिए एम्पीडा ने एक नई स्कीम शुरू की है। सततधारणीय ढंग से श्रिम्प कृषि कार्य हेतु इन सोसाइटियों के सदस्यों द्वारा सामान्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एम्पीडा द्वारा चरणबद्ध रूप से अधिकतम 5 लाख रू. का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। एम्पीडा ने राष्ट्रीय सततधारणीय जलकृषि (एनएसीएसए) केन्द्र नामक एक अलग सोसाइटी की भी स्थापना की है, जिसका मुख्यालय काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में है और यह श्रिम्प कृषि में अद्यतन प्रौद्योगिकी को अपना कर लघु कृषकों के साथ काम करने के लिए राज्य समन्वयकों एवं क्षेत्रीय को नियोजित कर रही है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा खनिजों का सर्वेक्षण

3289. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में समुद्र तल के अन्वेषण सहित विभिन्न खनिजों के मानचित्रण का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो खनिज-वार, राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार खनिजों की घरेलू खपत की तुलना में खनिजों के निर्यात पर अधिक ध्यान दे रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में खनिजों के अधिकतम उपयोग हेतु अवसंरचना का निर्माण करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई ई जैड) में क्रमबद्ध समुद्र तल सर्वेक्षण सहित देश में विभिन्न खनिजों के मानचित्रण का कार्य करता है। यह मानचित्रण "बड़े पैमाने पर मानचित्रण" (एल एस एम) अथवा "विस्तृत मानचित्रण" (डी एम) होता है जो मानचित्रण के वियोजन (रिजोल्यूशन) पर निर्भर करता है। फील्ड सीजन 2006-07 के दौरान जी एस आई द्वारा किए गए ऐसे मानचित्रण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार की निर्यात नीति देश की दीर्घकालिक आवश्यकताओं और खनिज मालसूची की स्थिति को ध्यान में रखती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय समय-समय पर विदेश व्यापार नीति की समीक्षा करता है और इस संबंध में सुधारात्मक उपाय लागू करता है।

(ङ) से (छ) विगत कुछ समय में खनन और खनिज क्षेत्र में अत्यधिक अवसंरचना विकास हुआ है। तथापि, इस क्षेत्र की निरंतर वृद्धि के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अवसंरचना का विकास करने की भी आवश्यकता है। राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 में खनन संबंधी अवसंरचना पर विशेष जोर देने की परिकल्पना की गई है और इस क्षेत्र की अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं का विकास एवं वित्तपोषण करने हेतु अभिनव संरचनाएं विकसित की जानी हैं।

विवरण

राज्य	खनिज/धातुएं	मानचित्रण कार्यकलाप
1	2	3
राजस्थान	आधार धातुएं एवं सम्बद्ध खनिज	एलएसएम: 48 वर्ग कि.मी.
		डीएम: 3.65 वर्ग कि.मी.
	स्वर्ण	एलएसएम: 32 वर्ग कि.मी.
		डीएम: 3.5 वर्ग कि.मी.
	आर ई ई एवं आर एम	एलएसएम: 4.2 वर्ग कि.मी.
गुजरात	आधार धातुएं	एलएसएम: 9 वर्ग कि.मी.
झारखंड	स्वर्ण	एलएसएम: 71 वर्ग कि.मी.
		डीएम: 1.0 वर्ग कि.मी.
	लौह अयस्क	एलएसएम: 2.0 वर्ग कि.मी.
	कोयला	डीएम: 4.0 वर्ग कि.मी.
		एलएसएम: 7.0 वर्ग कि.मी.
उड़ीसा	मैग्नीज अयस्क	एलएसएम: 100 वर्ग कि.मी.
	चूनापत्थर	एलएसएम: 50 वर्ग कि.मी.
	प्लेटीनॉयड समूह के तत्व (पी जी ई)	डीएम: 0.5 वर्ग कि.मी.
	लौह अयस्क	एलएसएम: 50 वर्ग कि.मी.
		डीएम: 1.0 वर्ग कि.मी.
	कोयला	एलएसएम: 10 वर्ग कि.मी.
पश्चिम बंगाल	स्वर्ण	एलएसएम: 10 वर्ग कि.मी.
	कोयला	एलएसएम: 3.0 वर्ग कि.मी.
आंध्र प्रदेश	बेराइट्स	एलएसएम: 50 वर्ग कि.मी.
	स्वर्ण	एलएसएम: 95 वर्ग कि.मी.
		डीएम: 0.5 वर्ग कि.मी.
	मालीब्डेनम + आर ई ई	एलएसएम: 100 वर्ग कि.मी.
		डीएम: 0.5 वर्ग कि.मी.
	कोयला	एलएसएम: 4.0 वर्ग कि.मी.
कर्नाटक	स्वर्ण	एलएसएम: 55 वर्ग कि.मी.
		डीएम: 3.0 वर्ग कि.मी.
	प्लेटीनॉयड समूह के तत्व	एलएसएम: 25 वर्ग कि.मी.
		डीएम: 0.75 वर्ग कि.मी.
	लौह अयस्क	एलएसएम: 60 वर्ग कि.मी.
महाराष्ट्र	तांबा एवं सम्बद्ध स्वर्ण	डीएम: 0.5 वर्ग कि.मी.
	स्वर्ण	एलएसएम: 25 वर्ग कि.मी.
तमिलनाडु	चूनापत्थर	एलएसएम: 20 वर्ग कि.मी.

1	2	3
	ग्रेफाइट	एलएसएमः 75 वर्ग कि.मी.
		डीएमः 0.6 वर्ग कि.मी.
	पी जी ई	एलएसएमः 225 वर्ग कि.मी.
	स्वर्ण	डीएमः 0.6 वर्ग कि.मी.
	लौह अयस्क	एलएसएमः 30 वर्ग कि.मी.
केरल	स्वर्ण	एलएसएमः 50 वर्ग कि.मी.
मध्य प्रदेश	आधारधातु	एलएसएमः 10 वर्ग कि.मी.
		डीएमः 1.5 वर्ग कि.मी.
	चूना पत्थर	एलएसएमः 11 वर्ग कि.मी.
		डीएमः 0.45 वर्ग कि.मी.
	फोस्फोराइट	एलएसएमः 10 वर्ग कि.मी.
	कोयला	एलएसएमः 22 वर्ग कि.मी.
छत्तीसगढ़	स्वर्ण	डीएमः 0.5 वर्ग कि.मी.
	लौह अयस्क	एलएसएमः 5 वर्ग कि.मी.
		डीएमः 1.0 वर्ग कि.मी.
	हीरा	एलएसएमः 10 वर्ग कि.मी.
	कोयला	एलएसएमः 107 वर्ग कि.मी.
उत्तर प्रदेश	फोस्फोराइट	एलएसएमः 10 वर्ग कि.मी.
	आधार धातु	डीएमः0.25 वर्ग कि.मी.
हरियाणा	तांबा	डीएमः 0.05 वर्ग कि.मी.
मेघालय	पी जी ई और निकल	डीएमः 4.0 वर्ग कि.मी.
	चूनापत्थर	डीएमः 2.0 वर्ग कि.मी.

हीरों का निर्यात

3290. श्री नरहरि महतो : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आज तक किन–किन देशों को कितने–कितने मूल्य के हीरों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान हीरे के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) हीरों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल–मार्च, 2006 अप्रैल–मार्च, 2007 और अप्रैल–जुलाई, 2007 के दौरान विभिन्न देशों को निर्यातित तराशे हुए एवं परिष्कृत हीरों के निर्यात आंकड़े निम्नानुसार हैं:–

(मिलियन अम.डा. में)

क्र.सं.	देश का नाम	निर्यात मूल्य			
		अप्रैल–मार्च, 2005	अप्रैल–मार्च, 2006	अप्रैल–मार्च,2007	अप्रैल–जुलाई, 2007
1	2	3	4	5	6
1.	हांग कांग	2604.83	3127.96	3165.91	1344.27

1	2	3	4	5	6
2.	यू एस ए	2455.40	2612.75	2497.69	901.05
3.	बेल्जियम	1214.49	1278.29	1251.22	518.42
4.	यू ए ई	1 429.46	988.92	1066.60	497.72
5.	इजरायल	567.86	749.67	817.14	296.31
6.	जापान	453.40	434.69	371.55	110.29
7.	थाईलैंड	254.87	279.18	291.94	99.51
8.	स्विटजरलैंड	133.03	113.70	92.82	44.38
9.	सिंगापुर	515.03	1199.75	111.96	35.81
10.	अन्य	396.08	386.58	421.27	171.35
	कुल	10132.45	11171.49	10088.10	4019.19

स्रोत डी जी सी आई एंड एस

(ख) और (ग) आबद्ध भांडागारों से हीरों के व्यापार कार्यकलापों में कमी आने के कारण वर्ष 2006 की समनुरूपी अवधि की तुलना में अप्रैल–मार्च, 2007 के दौरान तराशे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों के निर्यात में गिरावट आयी थी।

(घ) तराशे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों के निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

(i) रत्नों एवं आभूषणों जिनमें तराशे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरे भी शामिल हैं के निर्यात को विदेश व्यापार नीति (2004–09) में एक थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

(ii) अपरिष्कृत हीरों के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त कर दी गई है और अपरिष्कृत हीरों के आयात पर सीमाशुल्क को घटा कर 0 प्रतिशत कर दिया गया है।

(iii) अपरिष्कृत हीरों के आयात के लिए बैंक गारंटी की मांग किए बगैर अग्रिम छूट की अनुमति प्रदान की गई है।

(iv) उपभोज्य वस्तुओं, औजारों, मशीनों और स्वर्ण एवं प्लेटिनम के उपकरणों की पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर शुल्क मुक्त आयात हकदारी।

(v) किसी वित्त वर्ष में रत्नों एवं आभूषणों के नमूनों की 300,000/–रूपए अथवा रत्न एवं आभूषण मदों के पिछले तीन वर्ष के निर्यात कारोबार के औसत के 0.25 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, शुल्क मुक्त आयात की हकरादरी की अनुमति दी गई है।

(vi) आयकर अधिनियम की धारा 10 क के अंतर्गत छूट के प्रयोजनार्थ तराशने एवं पॉलिश करने के कार्य को विनिर्माण के रूप में माना गया है।

(vii) प्रसंस्करण एवं पुनःआयात के लिए रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को तरशे हुए एवं पॉलिश किए हुए बेशकीमती एवं कीमती नगीनों का निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

(viii) तराशे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(ix) उन हीरा इकाइयों के लिए कारोबार आधार पर आयकर शुरू किया गया है जिनमें घोषित लाभ कारोबार का 6 प्रतिशत या इससे अधिक है।

(x) तराशे एवं पॉलिश किए हुए हीरों के निर्यात की भौतिक जांच की अधिकतम प्रतिशतता 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है।

(xi) तराशे एवं पॉलिश किए हुए हीरों के निर्यातों के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की संख्या 30 से घटाकर 12 कर दी गई है।

(xii) हीरों के लिए आबद्ध भांडागार में भण्डारण की अवधि का विस्तार करने में उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है।

इसके अलावा, सरकार विदेशी बाजारों में किए गए विभिन्न बिक्री संवर्धन कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार

3291. श्री जुएल ओराम : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों का ब्यौरा क्या है, जिनके साथ केन्द्र सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार स्थापित किया है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुछ देशों के साथ व्यापार असंतुलन बढ़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) निर्यातित एवं आयातित वस्तुओं का देशवार ब्यौरा और उनका मूल्य एवं मात्रा वाणिज्य विभाग की वेबेसाइट http://commerce. gov. in पर दी गई है।

(ख) और (ग) कच्चे पेट्रोलियम, दालों, सोने, हीरों, वायुयानों आदि जैसी वस्तुओं के आयात के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत का कुछेक देशों के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन बना हुआ है।

(घ) व्यापार मेलों में भागीदारी को सुकर बनाकर, क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित करके, संयुक्त व्यापार समितियों, संयुक्त व्यवसाय परिषदों आदि की स्थापना करके, और देश–विशिष्ट निर्यातों हेतु कार्यनीतियां तैयार करके भारतीय उत्पादों के निर्यातों का संवर्धन करने के लिए सरकार द्वारा संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं।

निर्यात के लिए आगत-निर्गत मानदंड

3292. डी. मुनब्बर हसन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक कंपनियां निर्यात के लिए अपने आगत–निर्गत मानदंड निर्धारित करने हेतु झूठे दावे प्रस्तुत कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के समक्ष ऐसे मामले आए हैं, जिनमें कंपनियों ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रमाणित ऐसे उपभोग संबंधी ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें बिना किसी जांच के हस्ताक्षरित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अभी तक पता लगाए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चार्टर्ड अकाउंटेंटों की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्ड

3293. श्री प्रतीक पी. पाटील : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शैक्षिक रूप से पिछड़े ऐसे खण्डों की कुल संख्या कितनी है, जहां महिला ग्रामीण साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है और साक्षरता में महिलाओं और पुरूषों का अंतराल राष्ट्रीय औसत से अधिक है;

(ख) ऐसे खण्डों की कुल संख्या कितनी है, जहां प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम चालू है;

(ग) इसका नामांकन और अवधारण परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(घ) वर्ष 2006–07 के दौरान शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों (ईबीबी) में कुल कितनी मुस्लिम अल्पसंख्यक बालिकाओं का नामांकन किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) वर्ष 2001 की गनगणना के अनुसार शैक्षिक रूप से पिछड़े उन 3073 ब्लाकों का अभिनिर्धारण किया गया जिनमें ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत दर से कम तथा शिक्षा क्षेत्र में स्त्री–पुरुष अंतराल राष्ट्रीय औसत दर से अधिक था। इन सभी ब्लाकों में प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को संचालित किया गया है। वर्ष 2006–07 तक बालिकाओं के नामांकन तथा कुल नामांकन में प्राथमिक स्तर पर 48% तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 46.5% की वृद्धि हुई। 31 दिसम्बर, 2007 तक शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 6645 मुस्लिम अल्पसंख्यक बालिकाओं को नामांकित किया गया।

[हिन्दी]

कारागारों में कैदी

3294. श्री छत्तर सिंह दरबार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक भारतीय और विदेशी कैदियों को देश के विभिन्न राज्यों के कारागारों में रखा जाता है और उन्हें अपनी सजा की अवधि की समाप्ति के बाद भी रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो 31 अक्तूबर, 2006 से आज तक राज्यवार अलग-अलग ऐसे कितने भारतीय और विदेशी कैदियों को कारागारों में रखा गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अमरीका के साथ व्यापार

3295. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमरीका ने उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में सहयोग की स्थापना के लिए एक कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अमरीका के साथ द्विपक्षीय व्यापार स्थापित करने के लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(घ) अमरीका के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी हां। अमरीका-भारत उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार के सुगमीकरण और संवर्धन हेतु एक कार्यढांचा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2003 में एक उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह (एचटीसीटी) का गठन किया गया था। उच्च प्रौद्योगिकी मदों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए चार व्यापक क्षेत्र अर्थात (1) रक्षा एवं कार्यनीतिक व्यापार, (2) जैव प्रौद्यगिकी, (3) सूचना प्रौद्योगिकी और (4) नैनो प्रौद्योगिकी अभिज्ञात किए गए हैं।

एचटीसीजी की छठी बैठक 28-29 फरवरी, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें दोनों सरकारों ने ऊपर उल्लिखित चार क्षेत्रों के संबंध में भारतीय और अमरीकी उद्योग से प्राप्त सिफारिशों पर विचार किया था और उच्च प्रौद्योगिक अंतरण बढ़ाने हेतु एक व्यापक योजना पर सहमत हुए थे।

(ग) अमरीका के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए अभिज्ञात किए गए अन्य क्षेत्रों में भी भारत-अमरीका व्यापार नीति मंच और वाणिज्यिक संवाद के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है और इनमें क्रमशः (i) कृषि, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं, सेवाएं, निवेश और नव प्रवर्तन एवं सृजनशीलता; (ii) मानक, पाटनरोधी/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी प्रथाएं, क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के अंतर्गत जन-जागरूकता कार्यक्रम तथा लघु एवं मध्यम आकार के उद्यम शामिल हैं।

(घ) व्यापार नीति मंच को कार्यनीतिक निर्देश, निविष्टि और सहायता प्रदान करने के लिए एक भारत-अमरीका निजी क्षेत्र सलाहकार समूह (पीएसएजी) सृजित किया गया है। भारतीय दूतावास और चार भारतीय वाणिज्यिक दूतावास (अमरीका स्थित) भारतीय निर्यातों में वृद्धि करने के लिए भारत से व्यापार शिष्टमंडलों के दौरों में सहायता करना; बाजार सर्वेक्षण करना और व्यापारिक पूछताछों का जवाब देने सहित नियमित बाजार संवर्धन कार्यकलाप करते हैं।

चमड़े का निर्यात

3296. श्री अनन्त नायक : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चमड़े के निर्यात के लिए अन्य देशों के साथ किसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हसताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो देशवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त तिथि और वर्ष 2008-09 के दौरान चमड़े के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) प्रौद्योगिकीय एवं बाजार सहयोग के जरिए अपने-अपने देश में चर्म क्षेत्र में विकासात्मक कार्यकलापों में सहायता प्रदान करने के लिए इथियोपिया सरकार और भारत सरकार के बीच 21 मार्च, 2008 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हसताक्षर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, चर्म निर्यात परिषद (सीएलई) ने भी दिसम्बर, 2006 के दौरान बोत्स्वाना निर्यात विकास एवं निवेश प्राधिकरण और अगस्त, 2007 के दौरान ब्रिटिश फुटवियर एसोसिएशन के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	निर्यात लक्ष्य (मिलि. अम. डॉ.)	वास्तविक उपलब्धि (मिलि. डॉ.)
2004–05	2284	2495.37
2005–06	2675	2752.50
2006–07	2943	2981.79
2007–08	3042	2485.58
		(अप्रैल से दिसम्बर 2007*)

* अद्यतन उपलब्ध डीजीसीआइ एण्ड एस के आंकड़े

वर्ष 2008–09 के संबंध में अभी तक कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया है।

(घ) चर्म एवं चर्म उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में अन्य बातों के साथ–साथ 5% की रियायती शुल्क दर पर चर्म क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट मशीनों का आयात, पिछले वर्ष के निर्यात के एफओबी मूल्य के 3% की सीमा तक आवश्यक निविष्टियों का शुल्क मुक्त आयात और बाजर पहुंच पहल तथा बाजार विकास सहायता स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग चर्म एवं फुटवियर क्षेत्र की डिजाइन, जांच एवं कुशल जनशक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए 15 करोड़ रू. तथा 83.16 करोड़ रू. की लागत से क्रमशः एफडीडीआई, नोएडा और फुरसतगंज स्थित उसकी शाखा के उन्नयन हेतु परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है।

वाहनों की पार्किंग

3297. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगरो, विशेषकर दिल्ली में दुकानदारों, फेरीवालों टेम्पोवालों आदि द्वारा मार्गों और पार्किंग का अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई हैं;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस केवल स्थानीय बाजारों से गाड़ियों को उठाकर ले जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में नागरिकों/वरिष्ठ नागरिकों को परेशान करने के क्या कारण हैं; जैसा कि दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ङ) दिल्ली में एमसीडी द्वारा उपलब्ध कराए गए निःशुल्क पार्किंग क्षेत्रों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या हैं;

(च) क्या दिल्ली नगर निगम पार्किंग की जगह बनाने के लिए धन के उपयोग हेतु पंजीकरण के समय गाड़ियों के मालिकों से पार्किंग के लिए शुल्क लेता है;

(छ) यदि, हां, तो दिल्ली नगर निगम द्वारा कोई पार्किंग स्थल न बनाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी. सालिका सेलवी) : (क) से (ज) जानकारी एकत्र की जा रही है और समापटल पर रख दी जाएगी।

शिक्षा की गुणवत्ता

3298. श्री विजय कृष्ण : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता की जांच के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र तैयार किया गया है;

(ख) क्या सरकार के पास विकसित देशों के विद्यालयों के साथ हमारे देश के विद्यालयों का तुलनात्मक अध्ययन करने का कोई आधार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार छात्रों में वैचारिक सूझ–बूझ को बढ़ावा देने और व्यावहारिक कौशल विकसित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में कोई अध्ययन नहीं कराया है। तथापि, भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से अपना छात्र अध्ययन उपलब्धि सर्वेक्षण करवाती हैं। सर्वेक्षण का लक्ष्य छात्रों के अध्ययन उपलब्धि स्तरों में परिवर्तनों की जानकारी रखना तथा छात्रों के अध्ययन स्तरों की स्थिति के संबंध में राष्ट्रीय तस्वीर प्रस्तुत करना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना–2005 में बच्चों के अनुभव तथा अध्ययन प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी की प्रमुखता पर विशेष बल दिया गया है। बच्चों में विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देने हेतु शिक्षाशास्त्र का उपयोग करना स्कूल शिक्षा में सुधार की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे बच्चों को रटंत विद्या अर्जन से हटाकर अपनी समझबूझ के अनुरूप सीखने की प्रवृत्ति की ओर उन्हें अभिमुख किया जा सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना –2005 के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार पाठ्यक्रम तथा पाठ्य–पुस्तकों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित बाल–केन्द्रित शिक्षा प्रणाली की मूल भावना को लागू करने के प्रयास को दर्शाते हैं।

क्लस्टर विकास के लिए कर्नाटक को वित्तीय सहायता

3299. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने क्लस्टर विकास संबंधी पांच परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) के तहत कर्नाटक राज्य से 8 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसमें से दो प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है एवं पांच प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया। दो प्रस्ताव, एक शिमोगा में ऑटो एवं संबद्ध औद्योगिक क्लस्टर एवं दूसरा हुबली में औद्योगिक वाल्व क्लस्टर को मंजूरी नहीं दी जा सकी क्योंकि आईआईयूएस हेतु 10 वीं योजना आवंटन को मंजूर परियोजना के पहले ही प्रतिबद्ध कर दिया गया था। इन प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 11 वीं योजना के दौरान नए प्रस्ताव पर विचार, मौजूदा योजना के निष्पक्ष मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर इस योजना के 11 वीं योजना में जारी रहने पर निर्भर करता है।

क्र. सं.	राज्य	क्लस्टर/परियोजना	परियोजना लागत	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अनुदान	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	कर्नाटक	मशीन टूल्स क्लस्टर, बंगलौर	135.50	49.12	47.65	अनुमोदित
2.		फाउण्ड्री क्लस्टर, बेलगांव	24.78	18.58	18.02	अनुमोदित
3.		औद्योगिक वाल्व क्लस्टर, हुबली	45.32	–	–	निधि की कमी के कारण मंजूरी नहीं दी जा सकी
4.		आटो एवं संबद्ध उद्योग क्लस्टर, शिमोगा	58.36	–	–	वही–
5.		वस्त्र क्लस्टर, बेल्लारी	20.00	–	–	अस्वीकृत(आईआईयूएस की दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं है)
6.		कैस्यू प्रोसेसिंग क्लस्टर, मंगलोर	29.30	–	–	अस्वीकृत (आईआईयूएस की दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं है)

1	2	3	4	5	6	7
7.		कयर क्लस्टर, चेन्नापटना	23.27	–	–	अस्वीकृत (आईआईयूएस की दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं है)
8.		कयर क्लस्टर, हासन	49.65	–	–	अस्वीकृत (आईआईयूएस की दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं है)
9.		पल्सेज क्लस्टर, गुलबर्ग	43.56	–	–	अस्वीकृत (आईआईयूएस की दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं है)

आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम

3300. श्री जी. एम. सिद्देश्वर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी सभी मान्यताप्राप्त भारतीय भाषाओं में गीत, संगीत और समाचार बुलेटिन सहित नियमित कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो भाषावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा मान्यताप्राप्त किंतु केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता न दी गई कुछ भाषाओं में भी कार्यक्रमों को नियमित रूप से तैयार किया जाता है? और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी सकरार द्वारा मान्यता प्रदत्त सभी 22 भारतीय भाषाओं अर्थात असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और सिंधी में कार्यक्रम निर्मित करते हैं। इनके अतिरिक्त, दूरदर्शन के 11 क्षेत्रीय भाषायी उपग्रह चैनल प्रतिदिन 24 घंटे की अवधि के लिए मलयालम, तमिल, उड़िसा, बंगला, तेलुगु, कन्नड़ , मराठी, गुजराती, कश्मीरी, असमिया और पंजाबी में भाषायी कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं। ये चैनल उर्दू, सिंधी, संस्कृत, तुलू, कोंकणी, डोगरी, हिमाचली, हरियाणवी, नेपाली और पूर्वोत्तर की सभी भाषाओं और बोलियों और भाषाओं में भी कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं। उपर्युक्त के अलावा, दूरदर्शन केंद्र अपनी स्थानीय बोलियों और भाषाओं में भी कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं जिनमें भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी अंगिका, बज्जिका, नागपुरी, खड़िया, ओराओं और कुरमाली आदि शामिल हैं। आकाशवाणी भी ऐसी अन्य भाषाओं/बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण करता है जो कि अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रमुखतया बोली जाती हैं और जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्रदत्त हैं। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न समुदायों की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से, संबंधित आकाशवाणी केन्द्रों से उन समुदायों की बोलियों में सामासिक संगीत कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया जाता है।

दूरदर्शन संथाली, मैथिली, बोडो, सिंधी, नेपाली और कोंकणी को छोड़कर सभी 16 मान्यता प्राप्त भाषाओं अर्थात असमिया, बंगला, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू में समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है। इस समाचार बुलेटिनों के अलावा, दूरदर्शन केन्द्र उन भाषाओं नामतः मिजो, राजस्थानी, कोकबोरोक और अंग्रेजी में भी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण कर रहे हैं जो कि मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

आकाशवाणी पूरे देश के 44 क्षेत्रीय एककों और नई दिल्ली से 50 घंटे की अवधि के लिए विभिन्न भाषाओं/बोलियों में प्रतिदिन 511 से अधिक बुलेटिनों का प्रसारण करता है। ये समाचार बुलेटिन भारत की संविधान की 8 वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी 22 भाषाओं में और अन्य भारतीय भाषाओं/बोलियों के अलावा 16 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किये जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। आकाशवाणी केंद्र राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी जैसी भाषाओं/बोलियों में नियमित रूप से कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं जो अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रमुखतया बोली जाती हैं और जो उनकी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्रदत्त हैं। दूरदर्शन केंद्र उन भाषाओं/बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं जो उनकी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्रदत्त हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कुछ भाषाओं/बोलियों की सूची जो उनकी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्रदत्त हैं।

केंद्र	भाषाएं (बोलियां)
आइजोल	हमार, मारा (लखेर), लई (पावी) अंग्रेजी, (ब्रू) और पैहते बोलियां
भुवनेश्वर	संथाली
ईटानगर	न्यशी, गालो, अदि, अपटनी, तगीन, हिममिड़ी, नोक्टे, वांचू और मोंपा
पटना	भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका
रांची	हो, खड़ी, मुंदरी, संसथाली, ओराओं, कुमली, सुरथा, नागपुरी और पंचपरागणिया
रायपुर	छत्तीसगढ़ी
गोरखपुर	भोजपुरी
श्रीनगर	कश्मीरी, डोगरी, गुजरी, पहाड़ी, बाल्टी, शीना, लद्दाखी, भदरवाही, पुश्तो
बंगलौर	तुलू, कोदावा
जालंधर	हिमाचली, हरयिाणवी
दिल्ली	हरियाणवी

विशेष प्रयोजन चाय निधि के अन्तर्गत ऋण आवेदन

3301. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आज तक विशेष प्रयोजन चाय निधि (एसपीटीएफ) के अन्तर्गत अभी तक ऋण के लिए राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) अभी तक कितनी आवेदनों पर विचार किया गया है;

(ग) क्या सभी लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) विशेष प्रयोजन चाय निधि जनवरी, 2007 में शुरू की गई थी। स्कीम के अंतर्गत दिनांक 31.03.2008 तक प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों की संख्या निम्नानुसार है :–

राज्य		आवेदन पत्रों की संख्या
उत्तर भारत		
(i)	असम	200
(ii)	पश्चिम बंगाल	104
(iii)	अन्य	19
दक्षिण भारत		
(i)	तमिलनाडु	2
(ii)	केरल	14
	कुल	319

(क) चाय बोर्ड ने अब तक 122 आवेदन पत्रों के संबंध में संस्वीकृति जारी की है।

(ग) से (ङ) स्कीम पिछले वर्ष ही शुरू की गई थी। स्कीम का निर्बाध कार्यान्वयन और आवेदन पत्रों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए चाय बोर्ड ने स्कीम के अंतर्गत रूपरेखाओं और प्रक्रियाओं को सरल बनाया है।

दूरदर्शन/आकाशवाणी ट्रांसमीटर

3302. श्री जसुभाई धाभाभाई बारड : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक देश में प्रचालनरत दूरदर्शन/आकाशवाणी ट्रांसमीटरों का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन पर हुए खर्चे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन ट्रांसमीटरों के प्रचालन और रखरखाव के लिए अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन ट्रांसमीटरों के रखरखाव और प्रचालन पर कितना वार्षिक व्यय होने का अनुमान है?

संसदीय कार्य मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन द्वारा 52.26 करोड़ रूपये और आकाशवाणी द्वारा 11.82 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था।

(ग) से (ङ) पुनः तैनाती करके सीमित स्टाफ उपलब्ध कराया गया है।

(च) आकाशवाणी द्वारा प्रचालन और रखरखाव पर किया जाने वाला प्राक्कलित वार्षिक व्यय 534.44 लाख रूपये है। जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (एच पी टी), एक अल्प शक्ति टांसमीटर (एल पी टी) और एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (वी एल पी टी) के प्रचालन और रखरखाव पर किया जाने वाला प्राक्कलित वार्षिक व्यय क्रमशः लगभग 77 लाख रूपये, 20 लाख रूपये और 4 लाख रूपये है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान परिचालित किए गए दूरदर्शन/आकाशवाणी के ट्रांसमीटरों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अवस्थितियां	
		दूरदर्शन	आकाशवाणी
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	हरीनगर, कदमतला, लांग द्वीपसमूह, रामाकृष्णापुरम स्थित अ. अ. शं. ट्रां., उ. श. ट्रां., पोर्ट ब्लेयर और उ. श.ट्रां. पोर्ट ब्लेयर (डीडी न्यूज), अ. श. ट्रां. कार निकाबार	पार्ट ब्लेयर (एफ एम)
2.	आंध्र प्रदेश	अ.श.ट्रां., कोल्हापुर और पुंगानूर	हैदराबाद, विजयवाड़ा और मचेरला (एफ एम)
3.	अरूणाचल प्रदेश	–	ईटानगर (एफ एम)
4.	असम	अ.श.ट्रां., सत्रासल और उ. श. ट्रां. कोकराझाार	–
5.	बिहार	उ. श. ट्रां., सहरसा	औरंगाबाद
6.	छत्तीसगढ़	अ.अ.श.ट्रां., देवभोग	सरायपल्ली (एफ एम)
7.	गुजरात	उ.श. ट्रां., वडोदरा, उ.श.ट्रां. (डीडी न्यूज) और उ.श.ट्रां. राधनपुर	हिम्मतनगर (मी वे)
8.	हरियाणा	अ.श.ट्रां.फतेहाबाद और कैथल, उ. श.ट्रां., करनाल एवं हिसार उ.श.ट्रां., हिसार (डीडी न्यूज)	रोहतक (एफ एम)
9.	हिमाचल प्रदेश	उ.श.ट्रां. धर्मशाला	शिमला (एफ एम)
10.	जम्मू और कश्मीर		करगिल, द्रास, तिसुक न्योमा और दिस्कीट (मी वे)

1	2	3	4
11.	झारखंड	–	–
12.	कर्नाटक	अ.श.ट्रां., मुधोल सिंधनूर	गुलबर्गा (एफ एम)
13.	केरल	–	मंजेरी (एफ एम)
14.	लक्षद्वीप	अ. अ. श. ट्रां., अगाति और अमिनी (डीडी न्यूज)	–
15.	मध्य प्रदेश	उ.श.ट्रां, सागर	मांडला और राजगढ़ (एफ एम)
16.	महाराष्ट्र	--	औरंगाबाद (एफ एम)
17.	मणिपुर	–	इम्फाल (एफ एम)
18.	मेघालय	–	शिलांग (एफ एम)
19.	मिजोरम	–	एजवाल (एफ एम)
20.	नागालैंड	–	कोहिमा (एफ एम)
21.	उड़ीसा	अ.श.ट्रां., बहालदा	देवगढ़ और बारीपाड़ा (एफ एम), सोरो (भीमे)
22.	पंजाब	उ.श.ट्रां., भटिंडा (डीडी न्यूज)	
23.	राजस्थान	अ.श.ट्रां., खाजूवला उ.श.ट्रां. बीकानेर	–
24.	सिक्किम	–	–
25.	तमिलनाडु	उ.श.ट्रां., धर्मापुरी और तिरूनेल्वेली	मदुरई, येरकोड और धर्मापुरी (एफ एम)
26.	त्रिपुरा	अ.श.ट्रां., अम्बासा	अगरतला (एफ एम)
27.	उत्तर प्रदेश	–	गोरखपुर, कानपुर और वाराणसी (एफ एम)
28.	उत्तराखंड	अ.श.ट्रा. हरिद्वार (डीडी न्यूज)	–
29.	पश्चिम बंगाल	उ. श. ट्रां. कर्सियांग (डीडी न्यूज)	कर्सियांग और दार्जिलिंग (एफ एम)
30.	पांडिचेरी	–	पांडिचेरी (एफ एम)

[हिन्दी]

राजस्थान के लिए बाढ़ राहत

3303. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में बाढ़ पुनर्वास और राहत कार्य के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त धनराशि जारी कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) :

(क) से (च) किसी प्राकृतिक आपदा के लिए एन सी सी एफ से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु 2007–08 के दौरान राज्य सरकार से इस मंत्रालय को कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि, आपदा राहत निधि (सी आर एफ) में वर्ष 2007–08 के लिए राजस्थान सरकार को 458.25 करोड़ रूपए की राशि आबंटित की गई है जिसमें केन्द्रीय अंशदान के रूप में 343.68 करोड़ रूपए और राज्य अंशदान के रूप में 114.56 करोड़ रूपए की राशि शामिल है। सी आर एफ के केन्द्रीय हिस्से की 171.84 करोड़ रूपए की पहली किश्त जारी कर दी गई है (2006 की बाढ़ के कारण अग्रिम के रूप में 21 सितम्बर, 2006 को 86.34 करोड़ रूपए और 26 जून, 2007 को 85.50 करोड़ रूपए)। इतनी ही राशि अर्थात् 171.84 करोड़ रूपए की दूसरी किश्त पहली जनवारी, 2008 को राज्य सरकार को जारी कर दी गई है। इसके साथ ही वर्ष 2007–08 के लिए सी आर एफ के केन्द्रीय हिस्से की पूरी राशि अर्थात् 343.68 करोड़ रूपए की राशि जारी कर दी गई है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम

3304. श्री मिलिन्द देवरा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों से अपनी बोर्ड परीक्षाओं में शत–प्रतिशत परिणाम लाने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बोर्ड के परिणामों के आधार पर अध्यापकों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस संबंध में अभी तक क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, परीक्षा परिणामों में मात्रात्मक तथा गुणवत्ता सुधार के लिए विभिन्न स्तरों अर्थात स्कूल, क्षेत्रीय कार्यालय तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) बोर्ड परिणामों के तुलनात्मक विश्लेषण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

तुलनात्मक परिणाम विश्लेषण

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा-X परीक्षा में केंद्रीय विद्यालयों का तुलनात्मक निष्पादन

	2003	2004	2005	2006	2007
केंद्रीय विद्यालय	84.60	80.44	89.95	90.63	95.64
नवोदय विद्यालय	88.50	91.40	90.82	91.13	96.41
स्वतंत्र विद्यालय	83.40	84.80	85.87	85.94	91.81
सभी सीबीएसई स्कूल	68.00	76.60	74.60	77.16	84.44

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा-XII परीक्षा में केंद्रीय विद्यालयों का तुलनात्मक निष्पादन

	2003	2004	2005	2006	2007
केंद्रीय विद्यालय	88.70	92.78	92.47	92.89	93.14
नवोदय विद्यालय	85.30	87.70	87.08	90.24	90.11
स्वतंत्र विद्यालय	81.10	80.50	81.28	82.35	82.29
सभी सीबीएसई स्कूल	73.60	80.40	77.80	79.55	80.64

योग्यता प्रमाण-पत्र - 2007

	कक्षा X	कक्षा XII
सीबीएसई	9924	4077
केंद्रीय विद्यालय संगठन	1158 (11.67%)	426 (10.15%)

कानून में संशोधन

3305. श्री हितेन बर्मन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मानव अधिकारों और उनके उल्लंघन संबंधी कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबंध में भारत के संविधान की संघ अथवा समवर्ती सूची के अन्तर्गत कोई संवैधानिक उपबंध किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारत के संविधान में मानव अधिकार के पहलुओं को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) भारत के संविधान में गारण्टी प्रदत्त विभिन्न मानव अधिकारों जैसे कि जीवन और स्वतन्त्रता, समानता और व्यक्ति की महत्ता के अधिकार की रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने "मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993" नामक एक विधायन अधिनियमित किया है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग गठित किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत आन्ध्रप्रदेश, असम,. छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उ. प्र. और पश्चिम बंगाल राज्यों ने भी अपने राज्य मानवाधिकार आयोग गठित किए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करते हैं।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

3306. श्री हरिभाऊ राठौड़ :
श्री शिशुपाल एन. पटले :
श्री देविदास पिंगले

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समाज के कमजोर वर्गों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थिति क्या है;

(ख) इस प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की महाराष्ट्र सहित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र–वार संख्या कितनी है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में उद्यमिता विकास कार्यक्रम तथा उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित और उपयोग में लाई गई कुल निधियों का राज्य और संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) फरवरी 2007 को घाषित सूक्ष्म और लघू उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज के तहत सभी उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (ईडीपी) और उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रमों (ईएसडीपी) का 22.5% विशिष्ट रूप से समाज के कमजोर वर्गों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा शरीरिक रूप से विकलांगों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। इन विशिष्ट कार्यक्रमों में नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा, प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को 500/– रूपये प्रतिमाह की वृत्तिका भी दी जा रही है। एमएसएमई मंत्रालय मंत्रालय ने अपने अभिकरणों द्वारा आयोजित सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रार्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण देने का भी निर्णय लिया है।

(ख) इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की महाराष्ट्र सहित राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के तहत राज्यवार एवं संघ राज्य क्षेत्रकार आबंटित एवं उपयोग की गई कुल निधि संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 2007–08 के दौरान प्रशिक्षित राज्यवार कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएं/शारीरिक रूप से विकलांग)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशिक्षित किए गए अनु.जा/ज.जा./म./ शारीरिक रूप से विकलांगों की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	1318	1729
2	असम	763	825
3	बिहार	1085	1167
4	छत्तीसगढ़	361	440

1	2	3	4
5	दिल्ली	405	603
6	गोवा	342	431
7	गुजरात	380	863
8	हरियाणा	290	477
9	हिमाचल प्रदेश	159	259
10	जम्मू और कश्मीर	110	128
11	झारखंड	142	213
12	कर्नाटक	1086	1632
13	केरल	739	1398
14	मध्य प्रदेश	539	784
15	महाराष्ट्र	1238	1793
16	मणिपुर	580	585
17	उड़ीसा	1501	2755
18	पंजाब	451	636
19	राजस्थान	642	858
20	सिक्किम	182	189
21	तमिलनाडु	988	1727
22	त्रिपुरा	75	115
23	उत्तर प्रदेश	9592	14208
24	उत्तरांचल	533	608
25	पश्चिम बंगाल	540	840
	कुल	24041	35263

विवरण-II

राज्य–वार गत तीन वर्षों के दौरान जारी तथा प्रयुक्त निधि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005–06		2006–07		2007–08	
		आबंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आबंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आबंटित निधि	प्रयुक्त निधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	9.10	8.99	7.35	7.20	39.63	39.63
2	असम	10.50	10.39	11.55	11.33	16.02	16.02
3	बिहार	9.80	9.56	3.15	3.04	27.62	21.62
4	छत्तीसगढ़	4.55	4.47	5.25	5.12	7.88	7.88
5	दिल्ली	0.70	0.65	3.85	3.71	10.38	10.38
6	गोवा	1.75	1.50	1.40	1.40	8.17	8.17
7	गुजरात	4.90	4.61	6.65	6.60	17.82	17.82
8	हरियाणा	5.60	5.38	4.90	4.65	13.75	13.75
9	हिमाचल प्रदेश	1.40	1.39	2.80	2.52	4.04	4.04
10	जम्मू व कश्मीर	1.05	0.84	2.10	1.97	4.61	4.00

1	2	3	4	5	6	7	8
11	झारखंड	3.85	3.81	3.85	3.39	7.41	7.41
12	कर्नाटक	9.10	8.83	16.80	16.60	40.51	40.51
13	केरल	18.20	18.08	29.75	29.70	35.57	35.57
14	मध्य प्रदेश	7.70	7.50	9.80	9.79	16.86	16.86
15	महाराष्ट्र	17.85	17.70	10.85	10.82	29.74	29.74
16	मणिपुर	5.25	5.19	5.25	5.19	11.61	11.61
17	उड़ीसा	9.10	8.66	14.00	13.65	66.02	66.02
18	पंजाब	7.35	7.34	7.35	7.34	14.61	14.61
19	राजस्थान	5.60	5.41	5.60	5.34	17.39	17.39
20	सिक्किम	1.40	1.40	1.40	1.25	3.84	2.96
21	तमिलनाडु	19.60	19.45	11.55	11.28	52.41	52.41
22	त्रिपुरा	2.80	2.55	1.04	1.03	9.00	4.58
23	उत्तर प्रदेश	40.95	40.69	74.20	74.03	337.14	337.14
24	उत्तरांचल	4.55	4.33	1.40	1.37	14.01	14.01
25	पश्चिम बंगाल	8.75	8.52	7.70	7.67	26.34	26.34
	कुल	211.4	207.24	249.54	245.99	832.38	820.47

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के कार्यकरण को सुचारु बनाना

3307. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के कार्यकरण को सुचारु बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के कार्यकरण के संबंध में सरकार को कई शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) सरकार को विभिन्न क्षेत्रों से ऐसी रिपोर्ट और अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा ऐसी अनेक संस्थाओं को मान्यता दे दी गई जो निर्धारित स्तरों एवं मानदण्डों को पूरा नहीं करते और यह कि अध्यापकों की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रही है। इस बात का मूल्यांकन करने के लिए कि क्या एन.सी.टी.ई. ने अपने अधिदेश का पालन किया; अथवा नहीं, वर्ष 2007 में सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्कालीन सलाहकार श्री सुदीप बनर्जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई ताकि एन.सी.टी.ई. के कार्यकरण की गहन समीक्षा की जा सके। समिति ने अन्य बातों के साथ–साथ यह पाया कि एन.सी.टी.ई. का कार्यकरण अध्यापक शिक्षा के सुनियोजित एवं समन्वित विकास के अनुरूप नहीं था। समिति ने सिफारिश की कि एन.सी.टी.ई. अधिनियम, 1993 को निरस्त किया जाना चाहिए। अन्तरमंत्रालयी परामर्शों के बाद विधायी विभाग से 'निरसन विधेयक' प्रारूप तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से निपटने की रणनीति

3308. श्री काशीराम राणा :
श्री मनसुखभाई डी. वसवा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा जम्मू और कश्मीर में प्रायोजित की जा रही आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए कोई रणनीति बनाई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कश्मीर घाटी में चलाए जा रहे आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) राज्य में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) सरकार राज्य आतंकवादी गतिविधियों का मुबाकला करने के लिए एक व्यापक एवं बहुआयामी रणनीति अपना रही है। इसमें शामिल है घुसपैठ रोकने के लिए सीमा/नियंत्रण रेखा पर गहन चौकसी, राज्य पुलिस एवं विद्रोह विरोधी ग्रिड स्थापित करना, राज्य पुलिस एवं केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों/एजेंन्सियों द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ सूचना/आसूचना आधारित सतत अभियान चलाना। इन अभियानों में न्यूनतम समपार्श्विक क्षति सुनिश्चित करने का ध्यान रखना मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों का ध्यान रखना तथा साथ ही विकास संबंधी एवं सरकारी प्रक्रियाओं को विस्तुत बनाने पर जोर देना।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त रणनीति के तहत आतंकवादियों के छुपने के ठिकानों का सतत आधार पर पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभियान, 97 में भारी संख्या में आतंकवादियों को गिरफ्तार करने/मार देने के अतिरिक्त वर्ष 2007 के दौरान आंतकवादियों के छुपने के ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने जम्मू–कश्मीर में सीमा पार से हो रहे आतंकवाद/घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें शामिल है सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना और सीमा/नियंत्रण रेखा पर बहुत स्तरीय और बहु माडल अवस्थापना करना, सीमा पर बाड़ लगाना, विकसित आयुध, निगरानी एवं संचार उपकरण देकर तकनीकी का प्रयोग करके आसूचना भागीदारी और राज्य में आतंकवादी विरोधी अभियानों में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रचालनात्मक सहयोग करके राज्य पलिस एवं केन्द्रीय बलों का सतत उन्नयन करना। वहां की स्थिति की जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एकीकृत मुख्यालयों के जरिए केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से सघन एवं आवधिक समीक्षा की जा रही है।

सी.सी.ई.ए. से स्वतः अनुमोदन

3309. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन विदेशी कंपनियों को अंतिम अनुमोदन हेतु सी. सी.ई. ए. को संदर्भित किया गया था, जिनका 1990 के दशक के मध्य तक वास्तविक निवेश 600 करोड़ रूपये से अधिक था;

(ख) यदि हां, तो कंपनीवार उनकी स्थिति क्या है;

(ग) क्या निवेश में थोड़ी वृद्धि करने या अनुमोदन पत्र में आंशिक संशोधन करने पर भी उक्त कंपनियों के आवेदनों को सी.सी. ई. ए. को भेजे जाने की आवश्यकता होती है;

(घ) यदि हां, तो क्या उन विदेशी कंपनियों को स्वतः अनुमोदन मिल जाएगा जो आज ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश कर रही हैं, जहां 100 प्रतिशत की इक्विटी स्वामित्व की अनुमति है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा 1990 के दशक के प्रारंभ में प्रवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को इस प्रकार के उदारीकरण का लाभ कब तक दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) वर्तमान एफडीआई नीति के अनुसार जिन क्षेत्रों/कार्यकलापों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है. उन पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा विचार किया जाता है। एफआईपीबी अन्तर–मंत्रालयीय कार्यालयी स्तर का निकाय है जो एक सिफारिश करने वाली एजेंन्सी के रूप में काम करता है। एफआईपीबी के संविधान के अनुसार कुल 600 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के निवेश वाली परियोजनाओं के लिए विदेशी निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएफआई)/आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के सतर पर अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। एफआईपीबी द्वारा विचार किए गए और सिफारिश किए गए ऐसे सभी प्रस्तावों को, जिनमें 600 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश शामिल है, निर्णय हेतु सीसीईए के समक्ष रखा जाता है वर्ष 1991 से सीसीएफआई/सीसीईए के समक्ष 348 प्रस्ताव रखे जा चुके हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान सीसीईए को भेजे गए प्रस्तावों की सूची संलग्न विवरण I, II, III में दी गयी है।

(ग) वर्ष 1999 के प्रेस नोट सं. 7 द्वारा सरकार ने यह अधिसूचित किया कि जिन मामलों में, वास्तविक परियोजना लागत 600 करोड़ रुपये तक थी, उनमें पहले से ही स्वीकृत विदेशी इक्विटी के प्रतिशत के अन्तर्गत विदेशी इक्विटी की राशि बढ़ाने के लिए एफआईपीबी/सरकार के पूर्व अनुमोदन की कोई जरूरत नहीं होंगी। फिर भी, विदेशी इक्विटी के प्रतिशत में वृद्धि करने से संबंधित मामलों के साथ–साथ उन मामलों में जिनमें शुरूआती अनुमोदन सीसीएफआई द्वारा दिया गया था, मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार एफआईपीबी/सरकार के पूर्व अनुमोदन की जरूरत होगी।

(घ) वर्तमान नीति के अनुसार जिन क्षेत्रों में स्वतः मार्ग उपलब्ध है, उनमें एफडीआई के लिए कुल निवेश पर कोई उच्चतम सीमा नहीं है।

(ङ) एफडीआई संबंधी नीति और साथ ही उसकी प्रक्रियाओं की समीक्षा अन्तर–मंत्रालयी परामर्शों द्वारा सतत आधार पर की जाती है।

विवरण-I

क. अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2008 तक सीसीईए द्वारा अनुमोदित एफडीआई संबंधी देश–वार ब्यौरा

(मिलियन में राशि)

क्र.सं.	देश का नाम	अनुमोदित एफडीआई की राशि	
		कुल	अमरीकी डालर
1.	केमैन आईलैण्ड	1	497.99
2.	लक्ज़मबर्ग	1	867.52
3.	मॉरिशस	5	1,073.32
4.	यू.के.	2	369.68
5.	यू.एस.ए.	1	173.20
6.	एफआईआई	3	1,163.20
	कुल योग	13	4,144.92

विवरण-II

ख. अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2008 तक सीसीईए द्वारा अनुमोदित एफडीआई का कम्पनीवार ब्यौरा

(मिलियन में राशि)

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या और तारीख	भारतीय कंपनी का नाम और पता	विदेशी सहयोगी का नाम और पता	विदेशी इक्विटी		विदेशी इक्विटी की प्रतिशतता
				रुपये में	अमरीकी डालर में	
1	2	3	4	5	6	7
			देश : केमन आईसलैंड			
1.	112 23 मई, 2006	साफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम, केमन आइसलैंड्स मार्फत अमरचंद मंगलदास, अमरचंद टावर्स, 216, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेस–3, नई दिल्ली–110020	सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम्स, केमन आइसलैंड्स	23,175.00	497.99	100.00
		स्थान : दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन संख्या (तारीख) : 160(31 अगस्त, 2006)		विनिर्माण की मद : सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय		

कुल तकनीकी मामले : 0 कुल वित्तीय मामले : 1 कुल विदेशी इक्विटी : मिलियन रुपये में : 23175.00
अमरीकी डालर मिलियन मे : 497.99

1	2	3	4	5	6	7
			देश : लक्समबर्ग			
2.	126 14 मई, 2007	मित्तल इंवेस्टमेंट्स एस.ए.आर.एल. मार्फत : सुश्री पल्लवी श्राफ अमरचंद एंड मंगलदा, 216, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेस–3 नई दिल्ली–110020	मैसर्स : मित्तल इंवेस्टमेंट, एस.ए.आर.एल0., लक्समबर्ग, यूके	35060.00	867.52	49.00
		स्थान : भटिण्डा (पंजाब) अनुमोदन संख्या (तारीख) 133 (31 जुलाई, 2007)		विनिर्माण की मद : भारत में रिफाइनरी कार्य		
		कुल तकनीकी मामले : 0 कुल वित्तीय मामले : 1 कुल विदेशी इक्विटी मिलियन रुपये में : 35060.00 अमरीकी डालर मिलियन में 867.52				
			देश : मारीशस			
3.	37 7 फरवरी, 2005	इमार प्रापर्टीज पीजेएससी, दुबई, यूएई मार्फत : के आर चावला एंड कंपनी, 7 वां तल कैलाश बिल्डिंग, 26 कस्तूरबा मार्ग, नई दिल्ली–110001	इमार होल्डिंग्स 2 लिमिटेड, मारीशस	264.00	5.89	60.00
		स्थान : राज्य निर्दिष्ट नहीं किया गया है (राज्य निर्दिष्ट नहीं किया गया है) अनुमोदन संख्या (तारीख) : 106 (31 अक्तूबर, 2005)		विनिर्माण की मद : एकीकृत टाउनशिप परियोजनाओं का विकास जिसमें रिहायशी अपार्टमेंट/मकान/ विला, वाणिज्यिक परिसर, स्कूल, अस्पताल/ डिस्पैंसरी, मनोरंजनात्मक शापिंग प्लाजा, होटल, पार्क, शामिल हैं, अन्य अवसंरचना सुविधाएं अर्थात सड़क पुल आदि।		
4.	100 30 मार्च, 2005	होल्डसेम सीमेंट्स प्रा. लि. मार्फतः न्यू दिल्ली कार्पोरेट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि., 5 वां तल, राजेन्द्रा भवन, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110002	होल्डर एंड इंवेस्टमेंट लि. (होल सिम, मारीशस) मारीशस	29,299.20	653.71	100.00
		स्थान : ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनमोदन संख्या (तारीख) 69 (31 अक्तूबर, 2005)		विनिर्माण की मदः सीमेंट–सीमेंट का विनिर्माण और विपणन		

1	2	3	4	5	6	7
5.	144 25 मई, 2007	स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर लि. मार्फतः एम्सट एंड यंग प्रा. लि. दूसरा तल, द कैपिटल कोड, एलएससी, फेज–3 ओल्फ पाल्मे मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली–110067	जीएल एरिया मारीशस 2 लि. मारीशस	10,000.00	253.57	26.00
		स्थान ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन संख्या (तारीख) 205 (30 नवम्बर, 2007)		विनिर्माण की मद : निर्माण विकास गतिविधियों और अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश बशर्ते की वह विदेशी प्रत्यक्ष नीति के अनुरूप हो		
6.	274 13 दिसम्बर, 2006	सन डायरेक्ट टीवी प्रा. लि. 367/369, अन्ना सलाई, टाइनमपेट, चेन्नई–600018	साउथ एशिया इंटरटेनमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड मारुति (सहल)	6,750.00	160.15	20.00
		स्थान : चेन्नई (तमिलनाडु) अनुमोदन संख्या (तारीख 59 (30 अप्रैल, 2007)		टेलीविजन सिगनलों के लिए इंक्रप्टेड और कंडीशनल एक्सेस कैपेबिलिटी युक्त डायरेक्ट–टू–होम (डीटीएच) सेवाएं मुहैया कराना और मल्टी चैनल टीवी प्रोग्राम के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक डीटीएच प्लेटफार्म की स्थापना, अनुरक्षण और संचालन। इसमें से प्राप्त चैनल भी शामिल है।		
7.	302 10 अक्तूबर, 2005	न्यूब्रिज इंडिया इंवेस्टमेंट्स 2 एंड 3 लिमिटेड मार्फतः जे सागर एसोसिएट्स, 84–ई, लेन सी–6, ऑफ सेंट्रल एवेन्यू, सैनिक फार्म, नई दिल्ली–110062	न्यूब्रिज इंडिया इंवेस्टमेंट्स 3 लिमिटेड, मारीशस	0.00	0.00	74.00
		स्थान : चेन्नई (तमिलनाडु) अनुमोदन संख्या (तारीख) 316 (31 जनवरी, 2006)		विनिर्माण की मद : ट्रकों के लिए वित्त मुहैया कराने के व्यवसाय लिप्त		
		कुल तकनीकी मामले : 0 कुल वित्तीय मामले : 5 कुल विदेशी इक्विटी मिलियन रुपये में : 46313.20 अमरीकी डालर मिलियन में 1073.32				
			देश : यू.के.			
8	323 8 अगस्त, 2002	स्काटिश एंड न्यू कैसल इंडिया प्रा. लि. (एनएनआईपीएल) लिटिल एंड कंपनी, ए– 445, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली–110024	स्काटिश एंड न्यू कैसल पीआईसी (एस एंड एन), 33 इलेर्सली रोड, एडिनबर्ग–एच–12, 6 एचएक्स, यूके	7,800.00	174.03	37.50

1	2	3	4	5	6	7
		स्थान : बंगलौर (अरबन) (कर्नाटक) अनुमोदन संख्या (तारीख) 346 (31 अक्तूबर, 2005)		विनिर्माण की मद : बीयर और संबद्ध उत्पादों के विनिर्माण, विपणन और संवितरण के संबंध में तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना और यह यूबी ग्रुप के साथ रणनीतिक साझेदारी करेगी		
9.	398 15 अक्तूबर, 2003	–	गैब्रियल ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट कंपनी लि. (जीटीआईसी), रूटलैंड हाउस, 23–25, फ्रायर लेन, लाइसेस्टर, एलईआई–5, क्यूक्यू, इंगलैंड	9,000.00	195.65	100.00
		स्थान : अहमदाबाद (गुजरात) अनुमोदन संख्या (तारीख) 291 (30 सितम्बर, 2004)		विनिर्माण की मद : मैथनॉल (एक साफ, रंगहीन और लगभग स्वादहीन द्रव जो कई रासायनिक उत्पादों में आधार के रूप में प्रयुक्त होता है) का विनिर्माण कार्य हाथ में लेना।		
		कुल तकनीकी मामले : 0 कुल वित्तीय मामले : 2 कुल विदेशी इक्विटी मिलियन रुपये में : 16800.00 अमरीकी डालर मिलियन में 369.68				
		देश : यूएसए				
10.	156 14 अगस्त, 2006	हिल्टन इंटरनेशनल कंपनी यूएसए, मार्फतः लुथरा एंड लुथरा, 103, अशोका इस्टेट, बाराखंबा रोड़, नई दिल्ली–110001	हिल्टन इंटरनेशनल कंपनी, यूएसए	7731.00	173.20	26.00
		स्थान : राज्य नहीं दर्शाया गया है (राज्य नहीं दर्शाया गया है) अनुमोदन संख्या (तारीख) 236 (31 दिसम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद : हिल्टन के तहत होटल और सर्विस अपार्टमेंट्स		
		कुल तकनीकी मामले : 0 कुल वित्तीय मामले : 1 कुल विदेशी इक्विटी मिलियन रुपये में : 7731.00 अमरीकी डालर मिलियन में 173.20				
		देश : एफआईआईज				
11.	31 5 फरवरी, 2007	डीएचएफएल, वेचर्स ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि., धीरत अरमा, 6वां तल, अनन्त कानेकर मार्ग, स्टेशन रोड, बान्द्रा ईस्ट–मुम्बई–400051 मार्फत श्री राजेन्द्रा पी चित्तले	एफआईआईज	10,500.00	249.12	100.00

1	2	3	4	5	6	7
		स्थान : ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन संख्या (तारीख) 87 (30 अप्रैल, 2007)		विनिर्माण की मद : भारतीय स्थावर सम्पदा क्षेत्र में इक्विटी फाइनेंसिंग और लम्बी अवधि के निवेश का संवर्धन		
12.	199 20 सितम्बर, 2006	अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर कैपिटल लि. स्किल हाउस, 209 बैंक स्ट्रीट, क्रास लेन, फोल्ट, मुम्बई	एन आर आई और विदेशी निवेशक	24,840.00	556.51	90.00
		स्थान : ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन संख्या (तारीख) 237 (31, दिसम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद : जिन क्षेत्रों में 100 प्रतिशत स्वतः निवेश की अनुमति है, उनमें निवेश करना, जैसे शहरी अवसंरचना क्षेत्र जिसमें बिजनेस सेंटर, आईटी पार्क और कार्यालयों सहित आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण शामिल है।		
13.	201 21 सितम्बर, 2006	पैनिनसुला रीयलिटी फंड मार्फत : आरएसएम एंड कंपनी, तीसरा तल, हैविटाट, इंडिया, टावर–1, ई–3, कुतुब इंस्टीटयूशनल एरिया, नई दिल्ली–110016	विभिन्न विदेशी निवेशक जैसे प्रतिष्ठित संस्थान, संस्थागत निवेशक, अनिवासी व्यक्ति जिनमें अनिवासी भारतीय और विदेशी कार्पोरेट शामिल है।	15,960.00	357.57	100.00
		स्थान : ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र)		विनिर्माण की मद : ऐसे निर्माण विकास परियोजनाओं में निवेश जो भारत सरकार की एफडीआई नीतियों और सभी लागू कानूनों और विनियमों का पालन करती हो।		

कुल तकनीकी मामले : 0 कुल वित्तीय मामले : 3 कुल विदेशी इक्विटी मिलियन रुपये में : 51300.00
अमरीकी डालर मिलियन में 1163.20

विवरण-III

ग. अगस्त 1991 से जनवरी, 2008 तक सीसीईए द्वारा अनुमोदित एफडीआई का देश वार ब्यौरा

(राशि मिलियन में)

क्र.सं.	देश का नाम	अनुमोदनों की संख्या			(अमरीकी डालर में)
		कुल	तकनीकी	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6
1	आस्ट्रेलिया	10	0	10	1,321.34
2	बेल्जियम	2	0	2	85.33

1	2	3	4	5	6
3	बरमूडा	5	1	4	84.63
4	कनाडा	9	1	8	426.42
5	केमेन आईजलैंड	3	0	3	1,498.79
6	चीन	4	0	4	193.09
7	चेक गणराज्य	1	0	1	0.10
8	डेनमार्क	7	0	7	39.24
9	फिनलैंड	1	0	1	0.18
10	फ्रांस	18	0	18	577.95
11	जर्मनी	13	0	13	626.38
12	हांगकांग	5	0	5	36.10
13	इंडोनेशिया	3	0	3	99.93
14	आयरलैंड	1	0	1	0.49
15	इजरायल	2	0	2	1,307.29
16	इटली	6	0	6	620.77
17	जापान	13	0	13	915.03
18	कोरिया (दक्षिण)	11	0	11	1,131.88
19	कुवैत	3	0	3	133.42
20	लक्जमबर्ग	1	0	1	867.52
21	मलेशिया	11	0	11	1,084.37
22	मारीशियस	33	1	32	3,240.44
23	मैक्सिका	1	0	1	48.94
24	एनआरआई	15	1	14	674.72
25	नीदरलैंड्स	8	1	7	664.49
26	न्यूजीलैंड	2	0	2	15.69
27	ओमान	2	0	2	177.08
28	पनामा	1	0	1	171.24
29	फिलिपिन्स	1	0	1	9.05
30	पुर्तगाल	1	0	1	54.96
31	सउदी अरब	3	0	3	37.07

1	2	3	4	5	6
32	सउदी अरब	2	0	2	176.68
33	सिंगापुर	8	2	6	305.11
34	स्वीडन	2	0	2	119.47
35	स्विटजरलैंड	6	0	6	115.51
36	ताइवान	1	0	1	0.17
37	थाईलैंड	9	0	9	745.30
38	यूएई	1	0	1	130.51
39	यूके	27	0	27	2,998.99
40	यूएसए	87	3	84	7,677.88
41	वेस्ट इंडीज	2	0	2	134.67
42	अनिर्दिष्ट देश	4	0	4	210.43
43	एफआईआईज	3	0	3	1,163.20
	कुल जोड़	348	10	338	29,921.85

अध्यापकों की नियुक्तियां

3310. श्री अबु अयीश मंडल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आरंभिक शिक्षा के लिए अध्यापकों की आवश्यकता के संबंध में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वास्तव में नियुक्त किए गए अध्यापकों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है; और

(ग) शेष अध्यापकों की नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) वर्ष 2007–08 तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत कुल 11,30,467 शिक्षक संस्वीकृत किए गए हैं। मार्च, 2008 तक संस्वीकृत शिक्षकों और पिछले तीन वर्षों में नियुक्त शिक्षकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कई राज्यों के मुकदमों, चुनाव आचार संहिता जैसे कारणों से शिक्षकों की समय पर नियुक्ति में मुश्किलें आई।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	मार्च 08 तक संस्वीकृत शिक्षक	वर्ष			सर्व शिक्षा अभियान की शुरूआत से दिसम्बर 07 तक कुल शिक्षक भर्ती
			2005–06 उपलब्धि	2006–07 उपलब्धि	2007–08 दिसम्बर, 07 तक उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान व निकोबार	67	53	0	0	46
2.	आंध्र प्रदेश	37933	9495	1624	0	38300
3.	अरुणाचल प्रदेश	3054	0	0	1298	3484

1	2	3	4	5	6	7
4.	असम	5410	3332		0	3871
5.	बिहार	220046	65650	84712	2271	157134
6.	चंडीगढ़	785	240	0	0	240
7.	छत्तीसगढ़	53391	19249	5059	10116	46358
8.	दादरा और नगर हवेली	750	192	309	0	665
9.	दमन और दीव	63	0	0	0	63
10.	दिल्ली	28	0	0	0	0
11.	गोवा	195	0	186	0	186
12.	गुजरात	0	0	0	0	0
13.	हरियाणा	8090	3659	1459	0	6074
14.	हिमाचल प्रदेश	3414	249	759	663	3333
15.	जम्मू और कश्मीर	27559	10032	0	0	15660
16.	झारखंड	88157	0	23196	4669	74054
17.	कर्नाटक	22404	7139	2459	2416	15873
18.	केरल	0	0	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	21	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	92715	0	34950	0	80316
21.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0
22.	मणिपुर	488	0	0	0	0
23.	मेघालय	7077	3232	2500	0	2500
24.	मिजोरम	961	150	0	0	578
25.	नागालैंड	168	0	0	0	0
26.	उड़ीसा	68724	0	6713	0	49875
27.	पुडुचेरी	32	0	0	0	0
28.	पंजाब	3091	0	0	0	1868
29.	राजस्थान	111132	22931	16168	26742	53459
30.	सिक्किम	468	0	2	0	377
31.	तमिलनाडु	20542	2460	0	7299	15985
32.	त्रिपुरा	3425	279	643	0	2796
33.	उत्तर प्रदेश	251745	27150	37295	6436	230223
34.	उत्तराखंड	5851	1560	614	0	4241
35.	पश्चिम बंगाल	92681	1463	0	23629	53962

[हिन्दी]

आई.आई.एम. द्वारा शुल्क में बढ़ोतरी

3311. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आई. आई. एमस्.) द्वारा हाल में ही की गई शुल्क वृद्धि के कारण अन्य गैर–सरकारी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले संस्थानों ने भी अपने शुल्कों में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शुल्क वृद्धि को रोकने और जरूरतमंद विद्यार्थियों को मुफ़्त और रियायती शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) आज की तारीख तक गैर–सरकारी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षा संस्थानों में कुल कितने विद्यार्थियों को निःशुल्क और रियायती दर पर शिक्षा प्रदान की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए अ.जा./अ.ज.जा. को सहायता

3312. श्री अजीत जोगी : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को सरकार द्वारा दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2007–08 के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों को सहायता के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा इससे लाभान्वित होन वाले व्यक्तियों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार सख्या कितनी है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2007–08 के लिए कितना बजटीय प्रावधान किया गया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) सूक्ष्म व लघु उद्यमों का संवर्धन प्रमुखतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, भारत सरकार विशिष्ट पहलों के माध्यम से इन प्रयासों को अनुपूरित करती है जिसमें वैद्यानिक ढांचा, वित्तीय एवं क्रेडिट समर्थन, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु समर्थन, उद्यमिता विकास तथा सरकार द्वारा खरीद में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अधिप्राप्ति वरीयता के लिए सहायता, एमएसएमई को भुगतान में देरी की स्थानिक समस्या कम करने के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करना आदि शामिल है। जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, सरकार विशिष्ट आबंटन करती है तथा समाज के लाभवंचित वर्ग प्रमुखतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों के सहायतार्थ विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करती है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को वर्ष 2007–08 के दौरान कुछ व्याख्यात्मक स्कीमों के तहत प्रदान की गई सहायता तथा लाभार्थियों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। इनमें वर्ष 2007–08 के लिए इन स्कीमों के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया गया आबंटन भी दर्शाया गया है। भारत सरकार कतिपय स्कीमों के लिए लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार अनुरक्षण नहीं करती चूंकि स्कीमें मांग आधारित होती हैं तथा स्त्रोतों के राज्यवार आबंटन पर आधारित नहीं होती।

विवरण

लाभग्राहियों की कुल संख्या के साथ–साथ वर्ष 2007–08 के दौरान कतिपय स्पष्ट योजना तथा कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सहायता के ब्यौरे को दर्शाने वाला एक स्पष्ट ब्यौरा

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	संशोधित अनुमान (2007–08) (लाख रुपयों में)	अनु.जा./अनु.ज.जा. के लिए आबंटन (लाख रुपयों में)	लाभग्राहियों की कुल संख्या (अनंतिम)	अनु.जा./अनु.ज.जा. के लिए वास्तविक उपलब्धि (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
1	टूल रूम तथा तकनीकी संस्थाएं	5370.00	900.00	41337 व्यक्ति	14115 व्यक्ति

1	2	3	4	5	6
2	ईडीपी/एमडीपी/कौशल विकास	1200.00	300.00	133005 व्यक्ति	28786 व्यक्ति लाभान्वित
3	नए उद्यमियों के लिए टेलर मेड पाठ्यक्रम आयोजित करने की योजना	65.00	24.00	1952 उद्यमी	264 उद्यमी
4	राष्ट्रीय पुरस्कार (उद्यमी तथा गुणवत्ता)	230.00	10.00	42 पुरस्कार	1 पुरस्कार
5	क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम	19000.00	5400.00	30285 एमएस एमई के लिए गारंटी कवर	4613 एमएस एमई के लिए गारंटी कवर
6	कार्य निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम	1000.00	150.00	3850 इकाईयों का मूल्यांकन किया गया	48 इकाईयों का मूल्यांकन किया गया
7	प्रशिक्षण संस्थाएं	440.00	0.00	19554 व्यक्ति लाभान्वित	2926
8	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	32000.00	7424.00	39655	8776
9	ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम	44500.00	10324.00	20365	3785

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन

3313. डा. के. धनराजू : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलवायु परिवर्तन देश पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गंभीर समस्या है

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या से निपटने के लिए अब तक कोई अनुसंधान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी हां, जब तक कि समस्या शीघ्र दूर न की जाए।

(ख) जी, हां।

(ग) पिछली शताब्दी में वार्षिक औसत सतही वायु तापमान में 0.5 सें./100 वर्ष तक की वृद्धि देखी गई है और हाल ही के डेटा दर्शाते है कि वर्ष 1990 के बाद से इस तापमान में काफी वृद्धि हुई है तथा ग्लोबल वार्मिंग की प्रवृत्ति से इसकी तुलना की जा सकती है। हालांकि मानसून की वर्षा में अखिल भारतीय स्तर पर कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है, लेकिन प्रादेशिक स्तर के क्षेत्रों में वर्षा बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई देती हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के जारी आधुनिकीकरण कार्यक्रम से भारतीय क्षेत्र पर जलवायु प्रेक्षणों की कवरेज काफी हद तक बढ़ाई जा सकेगी और इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन विज्ञान के क्षेत्र में अंतर–विधात्मक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए भारतीय उष्ण–देशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे में भारतीय संस्थान में अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है ताकि वैश्विक और क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यद्यपि, भारत की क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अपनी ग्रीन हाऊस गैस (जीएचजी) उपशमन संबंधी कोई वचनबद्धता नहीं है, फिर भी जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के लिए ऊर्जा क्षमता, संरक्षण और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों पर कई नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

विनिर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्रों में गिरावट

3314. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007–08 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में नकारात्मक अथवा धीमी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो कारणों सहित तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विनिर्माण और ऊर्जा क्षेत्रों में नरमी के कारण वर्ष 2007–08 के दौरान वृद्धि दर अनुमानित 9 प्रतिशत की तुलना में 8.9 प्रतिशत ही रही है;

(घ) क्या सरकार ने सी आई आई की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा 91 क्षेत्रों के किए गए एक अध्ययन के अनुसार अप्रैल–सितम्बर, 2006 के दौरान कार्य निष्पादन के मुकाबले, अप्रैल–सितम्बर, 2007 में 37 क्षेत्रों में मामूली और 17 क्षेत्रों में नकारात्मक प्रगति की सूचना दी गई है। वर्तमान अवधि के दौरान धीमी/नकारात्मक प्रगति के कारण ये बताए गए हैं: (1) ब्याज की उच्च लागत, (2) रूपये के मूल्य में वृद्धि और (3) अन्य देशों के साथ एफटीएज पर हस्ताक्षर।

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के दौरान पूरी योजना अवधि के लिए (सकल घरेलू उत्पाद के रूप में) औद्योगिक क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत वृद्धि की परिकल्पना की गई है। कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। उद्यतन आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी) के अनुसार उद्योग में क्षेत्रवार वृद्धि की दर का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

वृद्धि दर (प्रतिशत में)

अवधि	2006–07 (अप्रैल–फरवरी)	2007–08 अप्रैल–फरवरी
समग्र उद्योग	11.2	8.7
खनन	12.2	9.1
विनिर्माण	5.0	5.1
विद्युत	7.2	6.6

(घ) और (ङ) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर सरकार द्वारा औद्योगिक कार्य निष्पादन पर सूक्ष्म नजर रखी जाती है और स्वतंत्र संघटनों की अध्ययन रिपोर्टों पर भी पूरा ध्यान दिया गया जाता है। बाजार के आधार पर अर्थ–व्यवस्था के विभिन्न उद्योगों की प्रगति पूर्ति और मांग की बाजार–ताकतों द्वारा प्रभावित होती है। औद्योगिक प्रगति के इस हाल की मंदी अनेक कारणों के कारण है, जिसमें ब्याज दारों की वृद्धि, रूपये के मूल्य में वृद्धि आदि शामिल है।

सरकार ने व्यापक आधार वाले औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक नीतियां बनाई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ औद्योगिक क्षमता को लाइसेंस मुक्त करना, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर इनपुट तक बेहतर पहुंच प्रदान करने हेतु विदेश व्यापार व्यवस्था में उदारीकरण, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद, शुल्क की दरों को तर्कसंगत बनाना तथा उनमें कमी करना, बेहतर अवसंरचनात्मक सहायता और उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व्यवस्था आदि।

सरकार ने नियोतोन्मुख उद्योगों को सहायता देने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की है जिनमें ड्यूटी एन्टाइटलमेंट पास बुक (डीईपीबी) को बढ़ाना, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (ईसीजीसी) के प्रीमियम में 10 प्रतिशत की कटौती, ड्यूटी ड्रावैक की दरों में बढ़ोत्तरी, जहाज पर सामन की लदाई से पहले और इसके बाद ऋण के ब्याज पर आर्थिक सहायता, सेवाकर की वापसी, विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना आदि के लिए राजस्व की अधिकतम सीमा बढ़ाना शामिल है।

इसके अतिरिक्त सरकार का बजट 2008–09 में अनेक वस्तुओं पर उत्पाद शुलक को 16 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव है ताकि विनिर्माण उद्योग के लिए घरेलू मांग बढ़ सके।

औद्योगिक, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक नई विदेशी व्यापार नीति घोषित की गई है।

मसालों के लिए अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों की स्थापना

3315. डा. एन. जगन्नाथ : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मसालों के विभिन्न औषधीय उपयोगों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान तथा विकास केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त केन्द्र को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चाय के लिए ई-नीलामी सुविधा

3316. श्री पी.सी. थामस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय हेतु ई–नीलामी सुविधा प्रारंभ कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुविधा कृषकों के लिए लाभकारी है;

(घ) वर्तमान में नीलामी का आयोजन करने वाले नीलामी केन्द्रों का भविष्य क्या है; और

(ङ) चाय की कीमतों पर ई–नीलामी सुविधा के क्या प्रभाव पड़े हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) चाय के लिए ई–नीलामी प्रणाली को इसके कार्यान्वयन हेतु पुनः डिजाइन करने के लिए चाय बोर्ड ने पहले ही एक प्रतिष्ठित सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित कंपनी को नियुक्त कर लिया है। पुनः डिजाइन की गई ई–नीलामी परियोजना में व्यापार प्रणाली और बैक ऑफिस प्रणाली के सॉफ्टवेयर का अनुकूलन, प्रणाली का परीक्षण और प्रयोक्ता स्वीकार्यता परीक्षण आदि शामिल हैं तथा इसे शुरू किए जाने से पहले इस समय इस प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है।

(ग) यह ई–नीलामी सुविधा सभी हितबद्ध पक्षों अर्थात विनिर्माताओं, भाण्डागार मालिकों, नीलामी कर्ताओं और नीलामी क्रेताओं के लिए लाभदायक है। चाय की ई–नीलामी से किसानों को भी लाभ होगा।

(घ) इस समय नौ सार्वजनिक चाय नीलामी केन्द्र हस्तचालित प्रणाली के जरिए चाय के व्यापार हेतु सुविधा प्रदान कर रहे हैं। जबकि आरम्भ में छः प्रमुख चाय नीलामी केन्द्र ई–नीलामी सुविधा का प्रयोग करेंगे। शेष नीलामी केन्द्रों को भी ई–नीलामी प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ङ) चाय की किसी भी श्रेणी, मात्रा और किस्म को बेचने के लिए विक्रेताओं हेतु उपलब्ध सुविधाओं के अलावा ई–नीलामी प्रणाली के किसी क्रेता के लिए चाय की उसकी अपेक्षित मात्रा खरीदने के लिए विजयी बोली लगाने की सुविधा सृजित होगी। इस प्रणाली से क्रेताओं की भारी संख्या में भागीदारी होने से प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी जिसके परिणामस्वरूप मांग और पूर्ति की प्रचलित स्थिति के आधार पर उचित कीमत निर्धारण तंत्र सुनिश्चित होगा।

विदेशी संस्थानों की ओर से पाठ्यक्रमों का संचालन

3317. श्री उदय सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने यह घोषणा की है कि देश में विदेशी संस्थाओं की ओर से भारतीय संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम गैर कानूनी हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को चलाने वाले भारतीय संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश तथा संचालन के उद्देश्य के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में दिनांक 16मई, 2005 को अधिसूचना संख्या 37–3/कानूनी/ए.आई.सी.टी.ई./2005 के जरिए विनियम अधिसूचित किए हैं। इन विनियमों के अनुसार कोई विदेशी विश्वविद्यालय या संस्थान भारत में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन प्राप्त किए बिना सीधे तौर पर या भारतीय संस्थानों के सहयोग से तकनीकी शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं।

(ख) इन गैर अनुमोदित संस्थानों की सूची आम जनता एवं छात्रों के सूचना के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की वेबसाइट www.aicte.ernet. in पर दी गई है।

(ग) और (घ) जब भी इस तरह के मामले अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के ध्यान में लाये जाते हैं, तब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद उन संस्थानों जो विदेशी विश्वविद्यालयों के सहयोग से तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, को कारण बताओ नोटिस जारी करती है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन प्राप्त न करने के लिए क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए ब्यूरो

3318. श्री नन्द कुमार साय :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में स्वापक नियंत्रण ब्यूरों की तर्ज पर महिलाओं पर होने वाले अत्याचार/हिंसा को रोकने के लिए एक पृथक ब्यूरो की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेवानिवृत्त अध्यापकों की नियुक्ति

3319. **श्री परशुराम माझी :**
श्री अनन्त नायक :
श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(घ) इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा क्या दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या किसी विश्वविद्यालय ने सेवानिवृत्त अध्यापक को पुनर्नियोजित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी हां। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु, जो मानव संसाधान विकास मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के तहत उच्चतर और तकनीकी शिक्षा में केन्द्रीय वित्तपोषित संस्थाओं में वास्तव में कक्षा/पाठ्यक्रम/अध्ययन कार्यक्रम में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, को 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है ताकि ऐसी संस्थाओं में शिक्षकों की वर्तमान कमी को दूर किया जा सके और ऐसी संस्थाओं की क्षमता का विस्तार किया जा सके जिससे उच्चतर शिक्षा की सुलभता में वृद्धि हो सके और ऐसी संस्थाओं में गैर–आरक्षित श्रेणी की सीटों की संख्या को प्रभावित करके कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण की नीति को कार्यान्वित किया जा सके।

(ग) और (घ) सेवानिवृत्त की 65 वर्ष की आयु के पश्चात भी शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार दिशा–निर्देशों (संदर्भ www.ugc.ac.in) के अनुसरण में रिक्त संस्वीकृत शिक्षण पदों पर 70 वर्ष की आयु तक पुनः नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है।

(ङ) और (च) इस समय केन्द्र सरकार ऐसे कोई आंकड़े अनुरक्षित नहीं करती है।

राजस्थान में सर्वशिक्षा अभियान

3320. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सर्वशिक्षा अभियान पर राष्ट्रीय मिशन की सिफारिशों के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष–वार तथा निधि–वार एवं परियोजना–वार राजस्थान राज्य कार्यान्वयन सोसायटी को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सर्वशिक्षा अभियान के तहत दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर–सरकारी संगठनों का संगठन–वार, वर्षवार तथा परियोजना–वार प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किए गए अनुवीक्षण तथा पाई गई अनियमितताओं के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, जयपुर, सर्व शिक्षा अभियान कार्यान्वयन समिति को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

वर्ष	सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार की रिलीज (रू. करोड़ में)
2002–03	99.95
2003–04	156.27
2004–05	239.00
2005–06	615.85
2006–07	774.99

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा नवाचारी और प्रयोगिक शिक्षा योजना के तहत राजस्थान के विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

वर्ष	गैर–सरकारी संगठनों के नाम	केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि
2002–03	(i) दिगान्तर शिक्षा एवं खेल कूद समिति, जयपुर	18,00,110.00
	(ii) बोध शिक्षा समिति, जयपुर	4,38,031.00
2003–04	बोध शिक्षा समिति, जयपुर	14,36,760.00
2004–05	शून्य	शून्य
2005–06	बोध शिक्षा समिति, जयपुर	7,66,832.00
2006–07	शून्य	शून्य

(ग) और (घ) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की मानीटरिंग छमाही संयुक्त समीक्षा अभियान (जेआरएम) के द्वारा की जाती है और जे आर एम ने 23–29 जनवरी, 2008 को राजस्थान का दौरा किया। समाज विज्ञान संस्थान राजस्थान के जिलों में सर्व शिक्षा अभियान की स्वतंत्र क्षेत्र समीक्षाएं संचालित कर रहा है, जिसकी सितम्बर, 2007 तक की अवधि की अद्यतन रिपोर्ट दिसम्बर, 2007 में प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और स्वतंत्र चार्टर्ड लेखाकरों द्वारा समवर्ती वित्तीय समीक्षाएं तथा लेखा परीक्षा की जा रही हैं। इन सभी अनुवीक्षण रिपोर्टों के निष्कर्षों को उपचारी कार्रवाई के लिए सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान को अवगत कराया गया है।

राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन

3321. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत एक वर्ष में आज की तारीख तक केन्द्र सरकार को मंत्रालयों/केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा हिन्दी में लिखे पत्रों का अंग्रेजी में उत्तर देने के संबंध में राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन करने से संबंधित माननीय संसद सदस्यों से कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजभाषा अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) विगत एक वर्ष में आज की तारीख तक केन्द्र सरकार को मंत्रालयों/केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा हिंदी में लिखे पत्रों का अंग्रेजी में उत्तर देने के संबंध में राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन करने से संबंधित माननीय संसद सदस्यों से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में सीधे ही या केन्द्र सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग के माध्यम से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संघ सरकार की राजभाषा नीति, प्रेरणा प्रोत्साहन एवं सद्भावना की है। राजभाषा नियमों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियमों में की गई व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करे।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न सीमितियों जैसे, केन्द्रीय हिंदी समिति, संसदीय राजभाषा समिति, हिंदी सलाहकार समिति, केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के माध्यम से और क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा राजभाषा अधिनियम/नियम आदि के अनुपालन के संबंध में मानीटरिंग की जाती है।

केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों बैंकों/उपक्रमों आदि से प्राप्त राजभाषा हिंदी के प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करके पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित कार्यालय को उचित निर्देश दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

3322. श्री महावीर भगोरा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्र–वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में प्रवेश पाने वाली और उत्तीर्ण होने वाली बालिकाओं की राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्र–वार संख्या कितनी है;

(ग) इन विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) भारत सरकार ने अब तक देश में 2180 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संस्वीकृत किए हैं। कस्तूरबा

गांधी बालिका विद्यालयों में अब तक कुल 1,26,784 बालिकाओं का नामांकन किया गया है। 1 अप्रैल, 2007 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का वित्तपोषण सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक घटक के रूप में किया जाता है और उन्हें अनावर्ती तथा आवर्ती निधियों के रूप में शामिल किया जाता है। राज्य, संघ राज्य–वार संस्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा बालिकाओं के नामांकन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की कुल संख्या	चालू कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकित बालिकाओं की संख्या
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	342	21681
2	अरुणाचल प्रदेश	25	1550
3	असम	15	733
4	बिहार	350	15422
5	छत्तीसगढ़	84	6882
6	दादरा और नगर हवेली	1	0
7	गुजरात	52	2783
8	हरियाणा	9	458
9	हिमाचल प्रदेश	10	346
10	जम्मू और कश्मीर	51	787
11	झारखंड	187	17449
12	कर्नाटक	61	5447
13	मध्य प्रदेश	185	9245
14	महाराष्ट्र	36	1377
15	मणिपुर	1	30
16	मेघालय	1	60
17	मिजोरम	1	60
18	उड़ीसा	114	9736
19	पंजाब	2	50
20	राजस्थान	186	11414
21	तमिलनाडु	53	2679
22	त्रिपुरा	7	140
23	उत्तर प्रदेश	323	15090
24	उत्तराखंड	25	1128
25	पश्चिम बंगाल	59	2237
26	दिल्ली	0	0
27	नागालैंड	0	0
	कुल	2180	126784

[अनुवाद]

आतंकवाद से लड़ने के लिए सुरक्षा बलों के लिए आधुनिकतम उपकरण

3323. श्री निखिल कुमार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अशांत क्षेत्रों में नक्सलवाद से लड़ने के लिए सुरक्षा बलों को माईन रेसिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टिड वीहकल (एम आर एपी) मुहैया करवाने का निर्णय लिया है, जैसा की दिनांक 16 मार्च, 2008 के "स्टेट्समैन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक सरकार इस प्रकार के वाहनों की खरीद कर चुकी हैं;

(ग) क्या अशांत क्षेत्रों में नक्सलवाद से लड़ रहे सुरक्षा बल अद्यतन और अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस नहीं है जिसके कारण उन्हें नक्सलवाद से निपटने में समस्या आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाई जाने वाली रणनीति का ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एम पी एफ योजना) की स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को उपकरण, आयुध, आवाजाही,

संचार, प्रशिक्षण, पुलिस आवास और भवन, विधि विज्ञान तथा अन्य अवस्थापना के लिए सहायता दी जा रही है। इसमें विशेषीकृत हथियारों, उपकरणों और वाहनों (बाइन संरक्षित वाहनों सहित) के लिए सहायता शामिल है।

विश्व व्यापार संगठन द्वारा
पाटनरोधी शुल्क संबंधी नए मानदण्ड

3324. श्री सुव्रत बोस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन पाटनरोधी शुल्क संबंधी नए मानदण्ड बनाने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए मानदण्ड भारत को पाटनरोधी शुल्क के संबंध में प्राप्त संरक्षण को धीरे-धीरे समाप्त कर देंगे;

(घ) सरकार विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन में इस मुद्दे को किस प्रकार निपटाएगी;

(ङ) क्या सरकार ने इस उद्देश्य से कोई नीति तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (च) दोहा कार्यक्रम के एक भाग के रूप में डब्ल्यूटीओ में संबंधी नियम वार्ताकारी समूह (एनजीआर) में पाटनरोधी करार पर वार्ताएं चल रही हैं। एनजीआर के अध्यक्ष ने अन्य बातों के साथ-साथ पाटनरोधी करार में संशोधनों का प्रास्ताव करते हुए दिनांक 30 नवम्बर, 2007 को नियमों के संबंध में पाठ का एक मसौदा जारी किया है। अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए पाठ के मसौदे पर वार्ताएं अभी चल रही हैं। कृषि, गैर-कृषि बाजार पहुंच (एनएएमए), सेवाओं सहित दोहा कार्यक्रम के अन्य क्षेत्रों के संबंध में भी वार्ताएं चल रही हैं। एकल बचनबद्धता के भाग के रूप में नियमों सहित सभी क्षेत्रों से संबंधित वार्ताओं का अंतिम परिणाम वार्ताओं के दोहा दौर की समाप्ति के बाद प्राप्त होगा।

उड़ीसा में प्रधान मंत्री रोजगार योजना

3325. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा संबंधी मानदण्डों में छूट और राजसहायता घटक के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि संघीय सरकार ने हाल ही में वर्ष 2007-08 से प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के तहत सब्सिडी को 7500/-रूपये से बढ़ाकर 12,500/- रूपये प्रति उद्यमी कर दिया गया है। पीएमआरवाई के तहत आयु मानदण्ड सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 18 से 35 वर्ष, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा जम्मू व कश्मीर में सभी शिक्षित बे रोजगार युवाओं के लिए 18 से 40 वर्ष तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों तथा महिलाओं जैसे लाभग्राहियों के लिए 18 से 45 वर्ष है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बालिका छात्रावास

3326. श्री मनोरंजन भक्त : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में 'माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं हेतु रहने-खाने और छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने वाली योजना' के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों को प्रदान की जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा पहले से ही चलाये जा रहे ऐसे छात्रावासों के लम्बित प्रस्तावों पर क्या कार्यावाही की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) "माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं हेतु भोजन तथा आवास संबंधी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण" नामक केन्द्रीय प्रयोजित योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के किसी स्वैच्छिक संगठन को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई थी।

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के किसी भी गैर सरकारी संगठन का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के पास संस्वीकृत लंबित नहीं पड़ा है।

भारत और खाड़ी देशों के बीच आर्थिक सहयोग

3327. श्री भरहरि महतो : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोसिएटिड चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इण्डिया (एसोचैम) ने सरकार से भारत और खाड़ी देशों के बीच आर्थिक सहयोग के समझौता मसौदे को क्रियान्वित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय निर्यातकों को ऐसा समझौता न होने के कारण भारी आयात शुल्क अदा करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) भारत तथा जीसीसी के बीच दिनांक 25 अगस्त, 2004 को आर्थिक सहयोग संबंधी कार्य ढांचा करार (एफएसी) पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत तथा खड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीए) की संभाव्यता पर चर्चा शुरू करने सहित दोनों पक्षों द्वारा अपने व्यापार संबंधों को बढ़ाने तथा उदार बनाने के तौर-तरीकों पर विचार करना शामिल है। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, एफटीए की संभाव्यता का पता लगाने के लिए तीन डेस्कटॉप अध्ययन कराए गए थे। वस्तु व्यापार संबंधी अध्ययन में यह उद्घाटित किया गया था कि जीसीसी में औसत टैरिफ 5% है। एसोचैम ने भी जीसीसी के साथ एक एफटीए निष्पादित करने की जरूरत की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। मुद्दे की गहन जांच करने के बाद जीसीसी के साथ एक एफटीए पर वार्ता शुरू करने का निर्णय लिया गया था और तदनुसार वार्ता का एक दौर मार्च, 2006 में आयोजित किया गया था।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एक्सटर्नल सेल को बन्द करना

3328. श्री जुएल ओराम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय अपने एक्सटर्नल सेल को बन्द करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे अनुमानतः कितने छात्रों के प्रभावित होने की आंशका है; और

(घ) इन छात्रों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि मान-फारमल एक्सटर्नल सेल को स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में मिला दिए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

एनडीएमसी की बकाया धनराशि

3329. डी. पुनच्चर हसन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2008 की तारीख के अनुसार बिजली और पानी के संबंध में बीएसएनएल की कालोनियों और कार्यालयों पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की कुल कितनी बकाया धनराशि है;

(ख) एनडीएमसी द्वारा ब्याज सहित बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं; और

(ग) इन बकाया धनराशियों की कब तक वसूली किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) मार्च, 2008 तक बिजली और पानी प्रभारों के संबंध में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) की ओर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की 1,92,21,445/- रुपए की राशि बकाया है।

(ख) और (ग) पुराने लंबित बकाया की वसूली करने के उद्देश्य से नई दिल्ली नगर निगम पालिका परिषद ने बकाया देयों के लिए निपटान स्कीम शुरु की है। निपटान स्कीम के अंतर्गत ऐसे सभी मामले जहां सरकारों कार्यालयों, भवनों और विभागों पर राशि बकाया है, यदि 30.4.2008 को या उससे पूर्व देय का भुगतान किया जाता है तो किसी विलम्ब अधिभार के बिना केवल मूल राशि की वसुली की जाएगी।

नवयुवकों हेतु शिक्षा

3330. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार युवाओं को सामाजिक रूप से समान एवं वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी ढंग से शिक्षित करने के विशाल कार्य में अब तक विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विकसित देशों में 50-85 प्रतिशत की तुलना में उच्च शिक्षा में संबंधित आयु समूह के केवल 8-9 प्रतिशत ही नामांकन कराते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अभिगम, समानता और गुणवत्ता के मामलों पर पर्याप्त ध्यान दे रही है। उच्चतर शिक्षा में, सफल नामांकन दर को वर्तमान 5 प्रतिशत से XI वीं योजना के अंत तक 11 प्रतिशत करने के उद्देश्य से उच्चतर शिक्षा के प्रसार के लिए शामिल न किए गए राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं स्थापित करने के लिए, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए XI वीं योजना में योजनागत आबंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है। उच्च सकल नामांकन दर प्राप्त हेतु वर्तमान संस्थाओं की दाखिला क्षमता में वृद्धि, उच्चतर शिक्षा पर राज्य परिव्यय में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकारो को प्रेरित करना तथा राज्य सरकारो के साथ सहभागिता के माध्यम से निम्न सकल नामांकन दर वाले जिलों में नए कालेज स्थापित करना जैसे कुछ कदम प्रस्तावित XI वीं योजना में भी शामिल किए गए हैं।

अल्पसंख्यक समुदाय हेतु आरक्षण

3331. श्री विजय कृष्ण : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शैक्षिक संस्थानों में अल्पसंख्यक समुदाय हेतु सीटों के आरक्षण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अमेरिका और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार

3332. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अमेरिका के साथ किसी द्विपक्षीय व्यापार संधि पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार समझौते आसियान, ई. यू. और कनाडा द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम 10 संभावित भागीदारों के साथ क्रियान्वयनाधीन है;

(घ) यदि हां, तो वर्तमान में कितने देशों के साथ भारत की मुक्त व्यापार संधि है; और

(ङ) भारत को वर्ष 2008-09 के दौरान कितने देशों के साथ अभी मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर करने हैं और इन देशों के साथ व्यापार कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश का संवर्धन करने हेतु वर्ष 2005 में भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच का गठन किया गया है। "वाणिज्यिक संवाद" के अंतर्गत द्विपक्षीय विचार-विमर्श भी किया जाता है। व्यापार नीति मंच को कार्यनीतिक दिशा निर्देश, निविष्टियां एवं सहायता प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के एक सलाहकार समूह का गठन किया गया है।

(ग) भारत वर्तमान में आसियान तथा ईयू सहित अपने महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों के साथ व्यापक व्यापार करारों पर वार्ताएं कर रहा है, जिसमें वस्तु, सेवा, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों से संबंधित करार शामिल हैं।

(घ) भारत ने निम्नलिखित देशों के साथ मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए है :-

(i) केवल वस्तुओं को कवर करते हुए भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार दिनांक 28 दिसम्बर, 1998 को हस्ताक्षरित किया गया था।

(ii) भारत और सिंगापुर ने दिनांक 29 जून, 2005 को एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर हस्ताक्षर किए थे।

(iii) वस्तुओं को कवर करते हुए दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) करार पर इस्लामाबाद में हुए 12वें दक्षेस शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षेस सदस्य देशों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका) द्वारा 6 जनवरी, 2004 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(iv) भारत की नेपाल व भूटान के साथ द्विपक्षीय व्यापार संधियां भी है, जिनमें इन दोनों देशों से गैर-पारस्परिक आधार पर वस्तुओं की शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की गई है।

(ङ) भारत, ईयू, आसियान, थाइलैंड, जापान, कोरिया आदि के साथ करारों पर वार्ताएं कर रहा है। मुक्त व्यापार करार अथवा इन व्यापक करारों पर हस्ताक्षर करना इन करारों के वार्ताकारी पक्षों के साथ वार्ताओं के संतोषजनक रूप से सम्पनन होने पर निर्भर है। इन करारों के कार्यान्वयन के बाद दो तरफ व्यापार एवं निवेश प्रवाहों के बढ़ने की संभावना है।

इंजीनियरिंग के छात्रों को मेधावी छात्रवृत्ति

3333. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा इंजीनियरिंग के छात्रों को मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजनाए क्रियान्वयनाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इसके लिए क्या अर्हता मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार कितने छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई; और

(घ) इस प्रकार की छात्रवृत्तियों में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु दिशा-निर्देश

3334. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'सिंगल ब्रांड' उत्पादों के खुदरा व्यापार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में (एफडीआई) हेतु दिशा–निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन–किन कम्पनियों ने औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के पास पूर्व अनुमोदन हेतु अपने आवेदन जमा किए हैं और उन ब्राडों के नाम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसार, 'एकल ब्रांड' उत्पादों के खुदरा व्यापार में सरकार के पूर्व अनुमोदन से 51 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। एकल ब्रांड उत्पादों के खुदरा व्यापार में एफडीआई हेतु दिशा–निर्देशों के अनुसार एफडीआई निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

(i) बेचे जाने वाले उत्पाद केवल 'एकल ब्रांड' के होने चाहिए;

(ii) उत्पादों को अंतराष्ट्रीय तौर पर एकसमान ब्रांड के तहत बेचा जाना चाहिए; तथा

(iii) 'एकल ब्रांड' उत्पादों के खुदरा व्यापार में केवल विनिर्माण के दौरान ब्रांडेड उत्पाद शामिल होंगे।

(ग) वर्ष 2006 से सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए कुल 54 आवेदन दायर किये गए थे, जिसमें से 29 प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया था तथा 20 प्रस्तावों को या तो अस्वीकार कर दिया गया अथवा आवेदनों को वापस ले लिया गया। विभिन्न कंपनियों द्वारा किये गये आवेदनों की ब्रांड सहित सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

खुदरा व्यापार के लिए प्रस्ताव

क्रम सं.	आवेदक का नाम	विदेशी निवेशक का नाम	ब्राण्ड
1	2	3	4
2006 में प्राप्त प्रस्ताव			
1	मै. मोजा शूज	मै. तानो इंडिया प्राइवेट इक्विटी फंड 1/एवं अथवा इसकी सहायक कंपनियां, मॉरीशस	नाइके ब्रांड
2	मै. एल.वी ट्रेडिंग इंडिया	मै. लुइस व्यूटन मालेटियर	लुइस लॉयस व्यूटन
3	मै. लाडरो कॉमर्सियल एस.ए.	मै. लाडरो कॉमर्सियल एस.ए./	लाडरो
4	मै. फन फैशन इंडिया प्रा.लि.	मै. फैन्डी इंटरनेशनल, एस.ए.	फैन्डी
5	मै. सिकोरा अकटीनजेसेल साफ्ट	मै. सिकोरा अकटीनजेसेल साफ्ट	अस्वीकृत

1	2	3	4
6	मै. डामरो फर्नीचर प्रा. लि.	मै. डामरो एक्सपोर्ट प्रा. लि., श्रीलंका	डामरो
7	मै. ला मोडा फैशन्स प्रा. लि.	1. दामोदर लाल सेवक रमणी 2. अशोक सेवकरमणी	अस्वीकृत
8	मै. हसन जेम्स एंड ज्वैलरी प्रा. लि.	अलग–अलग एनआरआई	अस्वीकृत
9	मै. रीनो ग्रगिओ अरजेनटेरी, एस.पी.ए.	मै. रीनो ग्रेगिओ अरजेनटेरी, एस. पी. ए. इटली	रीनो
10	मै. मितसुई ऑटोमोटिव इन्वेस्टमेंट बी.वी.	मै. मितसुई ऑटोमोटिव इन्वेस्टमेंट बी. वी.	टोयटा
11	मै. इरमेनगील्डो जेजना होल्डीटाल्टा एसपीए	मै. इरमेनगील्डो जेजना होल्डीटाल्टा एसपीए	जेजना
12	मै. इटामिन्ट, बेल्जियम	मै. इटामिन्ट, बेल्जियम	ईटीएएम
13	मै. ली. कूपर इंटरनेशनल लि.	मै. ली कूपर इंटरनेशनल लि.	ली. कूपर
14	मै. न्यू होरीज़न रिटेल प्रा. लि.	स्टारबक्स सिंगापुर इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.	स्टारबक्स कैफेस–प्रस्ताव वापस ले लिया
15	मै. फेबइंडिया ओवरसीज प्रा. लि.	मै. फेबइंडिया इंक यू.एस.ए. मै. डब्ल्यूसीपी मॉरीशस होल्डिंग	फेबइंडिया
2007 में प्राप्त प्रस्ताव			
1	मै. सोकोमेक एस.ए. (प्राप्ति की तारीख 01.02.2007)	मै. सोकोमेक एस.ए. फ्रांस	एसओसीओएमईसी
2	मै. ग्रोटो एस.पी.ए. 8.2.2007	मै. ग्रोटो एस.पी.ए. इटली	गैस
3	मै. महतानी फैशन्स प्रा. लि.	मै. सिन रॉंग प्रा. लि., सिंगापुर	VI–जीए
4	मै. एम.के. रिटेल प्रा. लि.	मै. ब्रांड मार्केटिंग (आई) प्रा. लि. मै. रिटेल इंडिया लि. मॉरीशस	एफसीयूके
5	मै. एम.जे. रिटेल प्रा. लि.	मै. ब्रांड मार्केटिंग (आई) प्रा. लि. मै. रिटेल इंडिया लि. मॉरीशस	जिम्मी चू
6	मै. एम.एल. रिटेल प्रा. लि.	मै. ब्रांड मार्केटिंग (आई) प्रा. लि. मै. रिटेल इंडिया लि. मॉरीशस	"ला परला"
7	मै. एम.सी. रिटेल प्रा. लि.	मै. ब्रांड मार्केटिंग (आई) प्रा. लि. मै. रिटेल इंडिया लि. मॉरीशस	सीके/कलवीन कलीन

1	2	3	4
8	मै. एम.बी. रिटेल प्रा. लि.	मै. ब्रांड मार्केटिंग (आई) प्रा. लि. मै. रिटेल इंडिया लि. मॉरीशस	बिल्ड बीयर
9	मै. एम.टी रिटेल प्रा. लि.	मै. ब्रांड मार्केटिंग (आई) प्रा. लि. मै. रिटेल इंडिया लि. मॉरीशस	तमी ब्रांड
10	मै. ब्रांड मार्केटिंग (आई) प्रा. लि.	मै. रिटेल इंडिया लि. मॉरीशस	आवेदक द्वारा वापस लिया गया
11	मै. वाह लूइन इलैक्ट्रोनिक टूल्स कं. लि.	मै. वाह लूइन इलैक्ट्रोनिक टूल्स कं. लि. चीन	सीटी ब्रांड
12	मै. सिंगर श्रीलंका	मै. सिंगर श्रीलंका	सिंगर
13	मै. सिगनेचर किचन्स इंडिया प्रा. लि.	मै. सिगनेचर किचन्स, कुआलालामपुर, मलेशिया	सिगनेचर किचन
14	मै. एटीसी मल्टीप्रोडक्ट्स ट्रेडिंग प्रा. लि.	मै. एडवांस ट्रेडिंग कंपनी लि., कम्बोडिया गणराज्य	आवेदक द्वारा वापस लिया गया
15	मै. न्यू होरीजन्स रिटेल प्रा. लि.	मै. वी.पी शर्मा, एनआरआई, जकार्ता, इंडोनेशिया	स्टारबक कैफेस
16	मै. क्रिस्टेन डायर ट्रेडिंग इंडिया प्रा. लि.	मै. क्रिस्टेन डायर कॉचर, पेरिस, फ्रांस	क्रिस्टेन डायर
17	मै. कापी मशीन्स (इंडिया) प्रा. लि.	मै. सीएमए, इटली तथा मै. महलकोनिग, जर्मनी	आवेदक द्वारा वापस लिया गया
18	मै. फॉरएवर न्यू अपेरल्स प्रा. लि. 08.05.2007	मै. फॉरएवर न्यू क्लोथिंग प्रा.लि., आस्ट्रेलिया	फॉरएवर न्यू
19	मै. लग्जरी ब्रांड रिटेल प्रा. लि.	मै. ब्रांड मार्केटिंग (आई) प्रा. लि. मै. रिटेल इंडिया लि. मॉरीशस	जीयूसीसीआई
20	मै. मुरजानी रिटेल प्रा. लि.	मै. ब्रांड मार्केटिंग (आई) प्रा. लि. मै. रिटेल इंडिया लि. मॉरीशस	जीयूसीसीआई
21	मै. खन्ना स्पेसिलिटी रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.	हरमेस इंटरनेशनल फ्रांस	हरमेस
22	मै. हैलो रिटेल इंडिया प्रा. लि.	मै. शराफ ट्रेडिंग एलएलसी, यूएई	सानरियो
23	मै. ट्रिओ स्पोर्टस वियर प्रा. लि.	मै. ट्रिओ सलेक्शन इंक, कनाडा	ट्रोजी
24	मै. टोड्स रिटेल इंडिया प्रा. लि.	मै. टोड्स छांग–कांग लि. मै. टोड्स इंटरनेशनल बी.वी.	टीओडी
25	मै. डीजल फैशन इंडिया अरविंद प्रा. लि.	डीजल इंटरनेशनल बी.वी.	डीजल
26	मै. डोइस गब्बाना	मै. डोइस गब्बाना	डी एंड जी डोइस एंड गब्बाना

1	2	3	4
27	मै. एलए सोवरेन बाइसिकल प्रा. लि.	मै. एलए बाइसिकल (थाईलैंड) मै. इंडस ट्रेडिंग कं. थाईलैंड	एलए सोवरेन
28	मै. क्रिस्टल बाल फैशन्स प्रा. लि.	मै. ऐन डेरही, फ्रांस	डेरही
29	श्री सुभासिस मिश्रा	वेन्टी ओल्डी	वापस ले लिया
30	मै. क्रोक्स इंक.	मै. क्रोक्स इंक, यूएसए	क्रोक्स
31	मै. इवनिक्स एक्सरीज लि.	विदेशी जनता को जीडीआर का निर्गम	प्रस्ताव को फाइल पर अस्वीकृत कर दिया
32	मै. रिचमोण्ट सर्विसेज बी.वी.	मै. रिचमोण्ट सर्विसेज बी.वी.	कार्टियर
33	मै. टावेल ऑटो सेन्टर एलएलसी	मै. टावेल ऑटो सेन्टर, एलएलसी, ओमान	अस्वीकृत
2008 में प्राप्त प्रस्ताव			
1	मै. जोरडाओ फैशन्स (इंडिया) प्रा. लि.	जोरडाओ मॉरीशस लि.	जोरडानो
2	मै. पावर प्लेट इंडिया (प्रा.) लि.	मै. पावर प्लेट इंडिया होल्डिंग लि.	पावर प्लेट
3	मै. जेनीका कार इंडिया प्रा. लि.	1. मि. देबिन्दर सिंह पवार 2. मि. रशपाल सिंह टोड	आडी कार
4	मै. जॉजिओ अरमानी होल्डिंग बीवी	मै. जॉजिओ अरमानी होल्डिंग बीवी	अरमानी
5	मै. टावेल ऑटो सेन्टर एलएलसी	मै. टावेल ऑटो सेन्टर एलएलसी	हुंडई कार
6	मै. पर्ल यूरोप	मै. पर्ल यूरोप, नीदरलैण्ड	वीजन एक्सप्रेस

सर्व शिक्षा अभियान के अंतगर्त शिक्षक

3335. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में महाराष्ट्र सहित सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत राज्य और संबंध राज्यक्षेत्र–वार कितने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान 31 जनवरी, 2008 तक एसएसए के अंतगर्त राज्य और संघ राज्यक्षेत्र–वार कितने शिक्षकों की नियुक्ति की गई;

(ग) क्या एसएसए के अंतर्गत आबंटित धनराशि आवश्यकता से कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एसएसए के लिए धनराशि के आबंटन को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) सर्व शिक्षा अभियान के तहत अध्यापकों को सामान्यतः ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा कलस्टर संसाधन केन्द्र स्तर पर सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा कलस्टर संसाधन केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत भर्ती किए गए शिक्षकों की संख्या संबंधी राज्यवार सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) से (ङ) ग्यारहवीं योजना के लिए सर्व शिक्षा अभियान हेतु योजना आयोग ने 71,000 करोड़ रू. के आबंटन का अनुमोदन किया है। यह आबंटन दसवीं योजना में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जारी की गई 27,896.25 करोड़ रू. की राशि से अधिक है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ब्लाक संसाधन केन्द्र	क्लस्टर संसाधन केन्द्र
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	37
2.	आंध्र प्रदेश	1131	6953
3.	अरुणाचल प्रदेश	84	201
4.	असम	145	2473
5.	बिहार	533	4479
6.	चंडीगढ़	0	20
7.	छत्तीसगढ़	146	2169
8.	दादर और नगर हवेली	1	11
9.	दमन और दीव	2	7
10.	दिल्ली	9	0
11.	गोवा	11	155
12.	गुजरात	224	3351
13.	हरियाणा	119	1487
14.	हिमाचल प्रदेश	75	2103
15.	जम्मू और कश्मीर	118	1592
16.	झारखंड	212	2049
17.	कर्नाटक	196	2684
18.	केरल	152	1342
19.	लक्षद्वीप	3	10
20.	महाराष्ट्र	406	5755
21.	मणिपुर	35	225
22.	मेघालय	39	437
23.	मिजोरम	22	159
24.	मध्य प्रदेश	317	6330
25.	नागालैंड	41	0
26.	उड़ीसा	257	4140
27.	पुडुचेरी	6	8
28.	पंजाब	141	1499
29.	राजस्थान	194	3074
30.	सिक्किम	9	131
31.	तमिलनाडु	401	4088
32.	त्रिपुरा	40	332
33.	उत्तर प्रदेश	879	8249
34.	उत्तराखंड	95	1001
35.	पश्चिम बंगाल	343	1801

विवरण-II

2005–06, 2006–07 और 2007–08 के दौरान अध्यापकों की भर्ती

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष		
		2005–06 उपलब्धि	2006–07 उपलब्धि	दिसम्बर, 07 तक 2007–08 उपलब्धि
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	53	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	9495	1624	0

1	2	3	4	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1298
4.	असम	3332		0
5.	बिहार	65650	84712	2271
6.	चंडीगढ़	240	0	0
7.	छत्तीसगढ़	19249	5059	10116
8.	दादरा और नगर हवेली	192	309	0
9.	दमन और दीव	0	0	0
10.	दिल्ली	0	0	0
11.	गोवा	0	186	0
12.	गुजरात	0	0	0
13.	हरियाणा	3659	1459	0
14.	हिमाचल प्रदेश	249	759	663
15.	जम्मू और कश्मीर	10032	0	0
16.	झारखंड	0	23196	4669
17.	कर्नाटक	7139	2459	2416
18.	केरल	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	0	34950	0
21.	महाराष्ट्र	0	0	0
22.	मणिपुर	0	0	0
23.	मेघालय	3232	2500	0
24.	मिजोरम	150	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0
26.	उड़ीसा	0	6713	0
27.	पुडुचेरी	0	0	0
28.	पंजाब	0	0	0
29.	राजस्थान	22931	16168	26742

1	2	3	4	5
30.	सिक्किम	0	2	0
31.	तमिलनाडु	2460	0	7299
32.	त्रिपुरा	279	643	0
33.	उत्तर प्रदेश	27150	37295	6436
34.	उत्तराखंड	1560	614	0
35.	पश्चिम बंगाल	1463	0	23629

चर्मकारों हेतु वित्तीय सहायता

3336. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चमड़ा उद्योग ने छोटे चर्मकारों के लिए बहिस्राव शोधन संयंत्रों पर जल शोधन सुविधाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। अम्बूर तथा रानीपेट (तमिलनाडु) तथा प्रकाशम जिले (आन्ध्र प्रदेश) में विजयनगरम तथा पड़ोसी जिलों और मार्कापुर से लेदर क्लस्टर्स के चर्मकारों ने केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) के अन्तर्गत सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपीएस) के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। इसके अलावा चर्मकारों ने चमड़ा क्षेत्र के एकीकृत विकास (आईडीएलएस) योजना के अन्तर्गत चर्मशोधनशालाओं के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए भी आवेदन किया जिसमें अन्य बातो के साथ–साथ बहिस्राव शोधन संयंत्रों में जल शोधन सुविधाएं भी सम्मिलित हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने लेदर क्लस्टर, अम्बूर को 43.95 करोड़ रुपये की राशि की सहायता अनुमोदित कर दी है। चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईडीएलएस) के अन्तर्गत आधुनिकीकरण/ प्रौद्योगिकी उन्नयन की मांग करने वाली चर्मशोधनशालाओं को भी सहायता प्रदान की जा रही है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ लघु उद्योग इकाइयों के लिए लागत की 30 प्रतिशत तथा गैर लघु उद्योग इकाइयों के लिए लागत की 20 प्रतिशत की दर पर, 50 लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन दोनों श्रेणियों के लिए बहिस्राव उपचार संयंत्रों में जल शोधन सुविधाएं सम्मिलित हैं।

विद्यालयों में जाति/धर्म-वार नामांकन

3337. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय ने विद्यालयों में जाति/धर्म–वार नामांकन संबंधी कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) उक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (नूपा) जिला सूचना प्रणाली (डाइस) द्वारा देश के सभी जिलों से वर्ष–वार प्रारंभिक स्कूल आंकड़े एकत्र करता है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, 6–14 वर्ष आयु समूह के बच्चों के नामांकन के संबंध में बालक–बालिका और सामाजिक श्रेणियों की अलग–अलग सूचना शामिल होती है।

डाइस आंकड़ें वर्ष 2006–07 के लिए प्रारंभिक स्तर पर कुल पंजीयन 17,93,42,817 बच्चे दर्शाते हैं, जिनमें 8,54,97,566 बालिकाएं, 3,56,42,553 अनुसूचित जाति, 1,91,70,368 अनुसूचित जनजाति, 7,51,92,721 अन्य पिछड़ा वर्ग और 1,59,50,533 मुस्लिम वर्ग के बच्चे हैं।

सर्व शिक्षा अभियान अन्य बातों के साथ–साथ, स्कूल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों वाले जिलों के स्कूलों तक अधिक पहुंच और शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बालिका शिक्षा हेतु अतिरिक्त सहायता का प्रावधान करता है। इसके अलावा, लाभवंचित वर्ग

के बच्चों को लक्ष्य बनाने के लिए स्कूल में उनके नामांकन एवं अवधारण को बढ़ाने के लिए अन्य बातों के साथ–साथ, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, उपचारात्मक शिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

पश्चिम बंगाल में निवेश

3338. श्री हितेन बर्मन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य–वार निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में अब तक किन–किन क्षेत्रों में निवेश किया गया है और इस संबंध में कितना निवेश किया गया है; और

(ग) देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में त्वरित औद्योगिकीकरण के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) सरकार ने एफ.डी.आई. पर एक उदार तथा निवेशक अनुकूल नीति की शुरूआत की है जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों में स्वतः मार्ग के अन्तर्गत 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है जहां पूर्व सरकारी अनुमोदन अपेक्षित नहीं है। एफ. डी. आई नीति पूरे देश में लागू होती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एफ.डी.आई. अन्तर्वाह तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पश्चिम बंगाल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दर्ज किया गया अन्तर्वाह निम्नानुसार है:

वर्ष	देश में एफ.डी.आई. का अन्तर्वाह (यू एस मिलियन डालर)	भारतीय रिजर्व बैंक के पश्चिम बंगाल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रिकार्ड किया गया अन्तर्वाह (यू एस मिलियन डालर)
2004–05	3218.68	101.93
2005–06	5545.95	91.81
2006–07	15726.19	57.89
2007–08 (अप्रैल 07–जन.08)	14467.32	415.42

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय–वार एफ.डी.आई. अन्तर्वाह के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में क्षेत्रवार अन्तर्वाहों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पश्चिम बंगाल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रिकार्ड किया गया क्षेत्रवार अन्तर्वाहों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I तथा विवरण III में दिये गये हैं।

(ग) एफ.डी.आई. नीति की अन्तः मंत्रालयीय विचार–विमर्श के जरिये सतत् आधार पर समीक्षा की जाती है। तथापि, स्थापना स्थल के निर्णय सहित पारदेशीय निगमों के निवेश संबंधी निर्णय तकनीकी–आर्थिक तथा वाणिज्यिक विचार–विमर्शों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

विवरण-I

भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से (राज्य सम्मिलित सहित) अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2008 तक प्राप्त एफ.डी.आई. अन्तर्वाह

(राशि यू एस मिलियन डालर में)

क्र.सं.	भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय	राज्य सम्मिलित	2004–05 अप्रैल–मार्च	2005–06 अप्रैल–मार्च	2006–07 अप्रैल–मार्च	2007–08 अप्रैल–जन	संचयी योग (अप्रैल, 2004 से जनवरी 2008 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	162.71	238.20	594.24	692.68	1,687.83
2	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा	2.91	0.00	0.00	2.73	5.64

1	2	3	4	5	6	7	8
3	पटना	बिहार, झारखंड	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13
4	अहमदाबाद	गुजरात	133.39	150.83	368.92	296.00	949.14
5	बंगलौर	कर्नाटक	249.53	412.37	714.34	1,312.56	2,688.80
6	कोच्चि	केरल, लक्षद्वीप	7.37	13.09	13.56	25.61	59.63
7	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	15.24	9.67	29.09	37.79	91.79
8	मुंबई	महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	698.32	969.25	3,599.13	4,437.29	9,703.99
9	भुवनेश्वर	उड़ीसा	0.00	70.59	10.62	7.47	88.68
10	जयपुर	राजस्थान	1.00	0.76	50.20	19.03	70.99
11	चेन्नई	तमिलनाडु, पांडिचेरी	79.52	268.15	1,311.94	515.71	2,175.32
12	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	0.01	0.00	12.83	3.53	16.37
13	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	101.93	91.81	57.89	415.42	667.05
14	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	2.97	85.51	21.82	42.16	152.46
15	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के हिस्से	816.74	1,040.77	2,446.12	3,011.88	7,315.51
16	पणजी	गोवा	22.50	7.62	74.78	8.39	113.29
17	#क्षेत्र जो दर्शाये नहीं गये		924.54	2,181.10	3,186.16	3,635.90	9,930.70
	उप योग		3,218.66	5,539.72	12,491.77	14,467.15	35,717.32
18	अग्रिम अन्तर्वाह		540.25	0	0	0	540.25
19	स्टाक स्वैप्ड		0	6.23	3,234.42	0.17	3,240.82
	कुल योग		3,758.93	5,545.95	15,726.19	14,467.32	39,498.39

पाद-टिप्पण :

1. केवल 'इक्विटी पूंजी संघटक'
2. उपरोक्त आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों (राज्य सम्मिलित सहित) द्वारा प्राप्त किये गये एफ.डी.आई. अन्तर्वाहों को भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई द्वारा प्रस्तुत भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्रवार अन्तर्वाहों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।
3. अन्तर्वाह प्रवासियों के हस्तांतरण द्वारा मौजूदा शेयरों के अधिग्रहण के जरिये है। इसके लिए क्षेत्रवार सूचना आरबीआई द्वारा प्रदान नहीं की जाती है।

विवरण-II

वित्तीय वर्षवार एफ.डी.आई. अन्तर्वाह अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2008 तक

(राशि यू.एस. मिलियन डालर में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2004–05 अप्रैल–मार्च	2005–06 अप्रैल–मार्च	2006–07 अप्रैल–मार्च	2007–08 अप्रैल–जन.	संचयी योग (अप्रैल, 2004 से जनवरी 2008 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1	धातुकर्मी उद्योग	182.39	146.89	172.85	519.62	1,021.75
2	खनन	9.92	6.15	6.62	441.60	464.29
3	विद्युत	52.94	87.09	157.47	232.50	530.00
4	गैर–परम्परागत ऊर्जा	0.01	0.11	2.11	32.96	35.20
5	कोयला उत्पादन	0.00	0.00	1.30	14.08	15.38
6	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	113.47	14.17	89.37	378.48	595.49
7	बॉयलर तथा भाप जनित्रण संयंत्र	0.54	0.00	3.31	0.97	4.82
8	विद्युत जनरेटर के अलावा प्राइम मूवर्स.	0.05	0.00	0.00	0.28	0.34
9	विद्युत उपकरण	97.70	35.18	76.85	619.56	829.29
10	कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड सापटवेयर	538.52	1,374.84	2,614.43	1,254.74	5,782.53
11	इलैक्ट्रानिक्स	86.16	39.05	41.45	16.27	182.92
12	दूरसंचार	124.53	623.55	477.74	1,084.63	2,310.44
13	सूचना और प्रसारण (प्रिंट मीडिया सहित)	10.24	55.95	43.56	233.10	342.86
14	आटोमोबाइल उद्योग	122.17	142.97	275.73	447.79	988.66
15	वायु परिवहन (एयर क्रेट सहित)	4.11	10.27	92.14	93.24	199.76
16	समुद्री परिवहन	34.91	53.63	72.52	87.78	248.84
17	पत्तन	13.04	0.50	0.00	0.00	13.55
18	रेलवे से संबद्ध पुर्जे	4.48	14.67	25.82	12.36	57.33
19	औद्योगिकी मशीनरी	8.89	42.80	19.27	19.19	90.15
20	मशीन औजार	11.04	23.00	37.34	47.54	118.92
21	कृषि मशीनरी	0.00	92.71	25.19	6.10	124.00
22	अर्थ मूविंग मशीनरी	0.10	50.87	0.99	66.09	118.06
23	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरिंग उद्योग	12.34	51.26	64.32	182.83	310.75

1	2	3	4	5	6	7
24	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	14.12	25.54	44.88	6.15	90.69
25	चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा उपकरण	5.25	1.53	13.43	10.08	30.29
26	औद्योगिक उपकरण	1.08	0.38	0.00	2.23	3.69
27	वैज्ञानिक उपकरण	0.03	0.10	0.07	0.00	0.21
28	गणितीय, सर्वेक्षण तथा आरेखण उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	उर्वरक	13.46	4.24	5.01	1.17	23.88
30	रसायन (उर्वरकों के अलावा)	198.07	389.77	205.43	194.15	987.43
31	फोटोग्राफी, कच्ची फिल्म और कागज	6.30	0.00	2.81	52.84	61.95
32	डाई स्टफ	1.18	0.00	0.00	1.93	3.11
33	ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल्स	292.07	172.44	214.84	236.98	916.33
34	वस्त्र (रंजक, मुद्रण सहित)	43.04	94.33	125.26	93.87	356.49
35	कागज तथा लुगदी (कागज उत्पाद सहित)	2.70	27.38	5.08	29.72	64.88
36	चीनी	2.94	3.00	16.54	10.07	32.54
37	किण्वन उद्योग	9.13	169.83	27.58	25.85	232.39
38	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	38.51	41.74	98.24	61.70	240.20
39	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	9.09	12.31	16.22	0.26	37.88
40	साबुन कॉस्मेटिक्स तथा प्रसाधन प्रीप्रेशन	0.89	88.51	6.04	9.78	105.23
41	रबड़ की वस्तुएं	40.06	34.01	18.75	5.98	98.81
42	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं तथा पिकर्स	0.44	1.11	8.26	5.28	15.10
43	ग्लू तथा जिलेटिन	0.00	0.00	0.00	1.71	1.71
44	कांच	8.36	0.81	1.43	10.37	20.98
45	सिरेमिक	26.79	5.59	57.46	90.29	180.13
46	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	0.16	452.08	242.69	9.43	704.36
47	काष्ठ उत्पाद	0.07	0.33	0.00	0.39	0.79
48	रक्षा उद्योग	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
49	परामर्श सेवाएं	254.61	46.89	115.36	173.29	590.15
50	सेवा क्षेत्र	443.55	543.42	4,663.65	3,040.81	8,691.44
51	अस्पताल तथा नैदानिक केन्द्र	25.16	32.53	38.14	219.12	314.96

1	2	3	4	5	6	7
52	शिक्षा	1.91	4.53	47.29	23.23	76.96
53	होटल तथा पर्यटन	37.01	71.78	194.83	324.02	627.65
54	व्यापार	14.56	27.82	115.42	539.75	697.55
55	खुदरा व्यापार (एकल ब्रांड)	0.00	0.00	0.00	1.98	1.98
56	कृषि सेवा	3.83	7.59	15.11	106.38	132.90
57	हीरे, सोने के आभूषण	8.33	15.37	61.78	37.62	123.10
58	चाय तथा कॉफी (प्रसंस्करण तथा वेयर हाउसिंग चाय तथा कॉफी)	0.00	1.43	6.20	18.94	26.57
59	पुस्तकों का मुद्रण (लिथो प्रिंटिंग उद्योग सहित)	12.03	9.52	51.19	19.50	92.25
60	कयर	0.47	0.59	0.04	0.01	1.12
61	निर्माण कार्यकलाप	152.00	150.58	985.36	1,313.32	2,601.26
62	आवास, स्थावर सम्पदा (सिनेप्लेक्स, मल्टी प्लेक्स एकीकृत कस्बों तथा वाणिज्यिक परिसरों आदि सहित)	0.00	38.04	467.34	1,635.66	2,141.04
63	विविध उद्योग	123.91	198.92	319.62	361.54	1,004.00
	उप योग	3,218.68	5,539.72	12,491.77	14,467.15	35,717.32
64	स्टाक विनिमय	540.25	0.00	0.00	0.00	540.25
65	अन्तर्वाह अग्रिम	0.00	6.23	3,234.42	0.17	3,240.82
	कुल योग	3,758.93	5,545.95	15,726.19	14,467.32	39,498.39

विवरण-III

वित्तीय वर्षवार एफ.डी.आई. अन्तर्वाह अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2008 तक

आर बी आई का क्षेत्र : कोलकाता

(सम्मिलित राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)

(राशि यू एस मिलियन डालर में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2004–05 अप्रैल–मार्च	2005–06 अप्रैल–मार्च	2006–07 अप्रैल–मार्च.	2007–08 अप्रैल–जन.	संचयी योग (अप्रैल, 2004 से जनवरी 2008 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1	धातुकर्मी उद्योग	3.80	2.76	7.82	2.02	16.41
2	खनन	1.18	0.00	0.02	378.62	379.83

1	2	3	4	5	6	7
3	विद्युत	0.00	4.55	0.00	0.00	4.55
4	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	53.04	0.00	16.52	0.00	69.55
5	विद्युत उपकरण	0.01	0.50	0.11	1.18	1.80
6	कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर	2.50	3.34	0.79	0.01	6.64
7	इलैक्ट्रानिक्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	दूरसंचार	0.00	0.01	0.31	0.03	0.35
9	सूचना और प्रसारण (प्रिंट मीडिया सहित)	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29
10	आटोमाबाइल उद्योग	0.11	7.93	1.06	2.81	11.91
11	समुद्री मशीनरी	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
12	रेलवे से संबद्ध पुर्जे	0.00	5.25	6.90	0.00	12.15
13	औद्योगिकी मशीनरी	0.00	0.23	1.36	0.93	2.52
14	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरिंग उद्योग	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55
15	चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39
16	रसायन (उर्वरकों के अलावा)	0.00	2.59	0.00	0.44	3.03
17	ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल्स	0.00	0.05	0.00	0.00	0.06
18	वस्त्र (रंजक, मुद्रण सहित)	0.36	0.00	0.16	0.00	0.52
19	चीनी	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64
20	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	0.00	25.96	0.00	0.10	26.06
21	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38
22	साबुन कास्मेटिक्स तथा प्रसाधन प्रीप्रेशन	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16
23	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं तथा पिकर्स	0.04	0.00	4.77	0.00	4.81
24	परामर्श सेवाएं	0.04	0.23	0.34	0.00	0.62
25	सेवा क्षेत्र	0.11	3.45	5.29	0.55	9.39
26	अस्पताल तथा नैदानिक केन्द्र	0.10	0.61	0.33	0.00	1.04
27	शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01

1	2	3	4	5	6	7
28	होटल तथा पर्यटन	0.00	0.48	0.00	0.32	0.80
29	व्यापार	0.00	0.00	2.28	0.00	2.28
30	कृषि सेवा	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59
31	हीरे, सोने के आभूषण	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
32	पुस्तकों का मुद्रण (लिथो प्रिंटिंग उद्योग सहित)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
33	निर्माण कार्यकलाप	27.66	21.27	7.50	18.25	74.69
34	विविध उद्योग	12.03	12.59	0.94	8.42	33.98
	कुल योग	101.93	91.81	57.89	415.42	667.05

लघु उद्योगों हेतु आरक्षण

3339. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अपनी खरीद में लघु उद्योगों को आरक्षण देने का है जैसा कि दिनांक 16 मार्च, 2008 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत आरक्षण प्रदान करने के लिए लघु उद्योगों की कोई सूची तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) सरकार इस समय भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसयू द्वारा प्रभावित किए जाने हेतु खरीद के लिए लागू सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए एक गैर सांविधानिक खरीद एवं मूल्य वरीयता नीति कार्यान्वित कर रही है। निःशुल्क टेंडर सेटों की उपलब्धता, बयाना जमा (ईएमडी) की अपेक्षा से छूट तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) में पंजीकृत क्षमता मूल्यांकन की सीमा तक प्रतिभूति जमा को समाप्त करने संबंधी सुविधा प्रदान करने के अलावा, इस नीति में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से विशेष खरीद हेतु 15% तक मूल्य वरीयता तथा 358 उत्पादों के आरक्षण का प्रावधान है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा-11 भारत सरकार तथा राज्य सरकारों, जैसा भी मामला हो, को संबंधित मंत्रालयों/ विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा प्रभावित किए जाने हेतु खरीद के लिए उपयुक्त अभिप्राप्ति वरीयता नीतियां तैयार करने का अधिकार प्रदान करती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

ऋण संबद्ध पूंजी राजसहायता योजना

3340. श्री इकबाल अहमद सरदगी : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु ऋण संबद्ध पूंजी राजसहायता योजना पुनः आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना को 1 अप्रैल, 2007 से बंद कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त योजना को कब तक पुनः आरंभ कर दिए जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (घ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) को बिना किसी अंतराल के दसवीं पंचवर्षीय योजना से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तक जारी रखा गया है।

उग्रवाद के पीड़ितों को राहत

3341. डा. एम. जगन्नाथ :

श्री अनन्त नायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विद्रोहियों, नक्सलवादियों और आतंकवादियों की हिंसा के पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए कोई केन्द्रीय योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है जैसा कि 21 मार्च, 2008 "दि हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि, हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। सरकार ने हाल ही में आतंकवादियों/ अतिवादियों/ उग्रवादियों/ विद्रोहियों के पीड़ितों सहित साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को सहायता के लिए एक स्कीम अनुमोदित की है। इस स्कीम के अंतर्गत अन्य बातों के साथ–साथ प्रभावित परिवारों को जीवन निर्वाह, अनाथों की शिक्षा के लिए सहायता, तथा यथाआवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करने की दृष्टि से उन परिवारों को 3 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके रोजी रोटी चलाने वाले/गृह स्वामी मारे गए है अथवा स्थायी रूप से अपंग हो गए हैं। स्कीम के अंतर्गत सहायता, अनुग्रहपूर्वक राहत के तरीके से प्रदान की गई किसी सहायता के अतिरिक्त होगी।

(ग) से (ङ) इस स्कीम के शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

रेत खनन गतिविधियां

3342. श्री पी.सी.थामस : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का रेत खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन तटीय क्षेत्रों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है जहां वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए खनन गतिविधियां चलाई जा रही है;

(घ) निजी उद्यमियों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का कंपनी–वार तथा राज्य–वार ब्यौरा क्या है जो खनन गतिविधियां चला रहे हैं;

(ङ) उन मदों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक खनन के राज्य–वार रेत खनन के माध्यम से उत्पादित/निर्यात किया गया है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) सरकार ने क्षेत्रीय विनियमनों तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अध्यधीन टाइटेनियम धारक खनिजों एवं अयस्कों और इसके मूल्यवर्धन में सरकार के पूर्व अनुमोदन से 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) अनुमोदित कर दिया है। सरकार ने टाइटेनियम धारक खनिजों एवं अयस्कों के पृथक्करण के लिए भी इस शर्त पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमोदित कर दिया है कि प्रौद्योगिकी के अंतरण के साथ मूल्यवर्धन की सुविधाएं भारत में स्थापित की जाएं तथा खनिज पृथक्करण के दौरान पछोड़नों का निपटान, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा तैयार किए गए विनियमनों के अनुसार किया जाएगा।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए रेत खनन गतिविधियां आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में की जाती है।

(घ) रेत खनन में कार्यरत निजी और सार्वजनक क्षेत्र की खनन कंपनियों के संबंध में राज्य–वार सूचना निम्नानुसार है

राज्य	खनन कंपनियां	
	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र
1	2	3
आंध्र प्रदेश	ट्रांसवर्ल्ड गार्नेट एण्ड ईस्ट वेस्ट मिनरल सेण्ड्स प्रा. लि.	–
कर्नाटक	बी. नवीन मेन्डन, आर.वी.हेगड़े, ए.आर. पुर्शन, केनरा मिनरल्स, बेनेका मिनरल्स, रोहिणी खनन कंपनी, धर्मादेवी मिनरल्स और वी, आर, कावेरी	

1	2	3
केरल	–	केरल मिनरल्स एण्ड मैटल्स लि. तथा इण्डियन रेयर अर्थस लि.
उड़ीसा	–	इण्डियन रेयर अर्थस लि.
तमिलनाडु	वी.वी. मिनरल्स, इण्डियन गार्नेट सेण्ड कंपनी लि., शक्ति माइंस एण्ड मिनरल्स, रोहित केमिकल्स एण्ड मिनरल्स और मैसर्स बीच मिमनरल्स सेण्ड कंपनी प्रा. लि.	इण्डियन रेयर अर्थस लि.

(ङ) और (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इल्मेनाइट सबसे महत्वपूर्ण समुद्र–तट बालू खनिज है जिसके उत्पादन की सूचना केरल, उड़ीसा और तमलनाडु से मिली है। वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07 में इल्मेनाइट का कुल उत्पादन क्रमशः 632025 टन, 711843 टन और 657479 टन (अनंतिम) था। भारत विभिन्न देशों को प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख टन इल्मेनाइट का निर्यात करता है जिसका मूल्य 30 मिलियन अमरीकी डॉलर है।

पंजाब में आतंकवाद का पुनः सिर उठाना

3343. श्री नन्द कुमार साय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विघटनकारी संगठन पंजाब में आतंकवाद को पुनः जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं जैसा कि दिनांक 8 मार्च, 2008 के "हिनदुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) अब तक वर्ष 2007–2008 के दौरान पंजाब में हुई आतंकवादी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पंजाब में आतंकवाद के पुनः सिर उठाने को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) सरकार, पंजाब में आतंकवाद को पुनः जीवित करने के लिए विदेश आधारित कुछ समूहों द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अवगत है तथा ऐसे प्रयासों को विफल करने के लिए सरकार ने उपयुक्त उपाय किए हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पंजाब में आतंकवाद की एक प्रमुख घटना हुई है जब लुधियाना में 14 अक्तूबर, 2007 को श्रृंगार सिनेमा हाल में एक बम विस्फोट हुआ था जिसमें छः व्यक्ति मारे गए थे तथा 38 घायल हुए थे। इस मामले में अभी तक 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने की सूचना है।

(घ) सरकार ने ऐसे प्रयासों का मुकाबला करने के लिए समेकित दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ शामिल है, सीमाओं पर सतत् सतर्कता, आसूचना एकत्रीकरण और विनिमय के लिए तंत्र को सुदृढ़ करना; अत्याधुनिक/परिष्कृत हथियारों तथा निगरानी और संचार उपकरण के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना, पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण आदि। पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को उकसाने का प्रयास करने में संलग्न ज्ञात विभिन्न समूहों की गतिविधियों पर नजदीकी और सतत नजर रखी जाती है। विभिन्न ऐसे समूहों अर्थात बब्बर खालसा इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, खालिस्तान कमान्डो फोर्स तथा खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स पर भी गैरकानूनी क्रिया कलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाया गया है।

मसालों और रबड़ के आयात पर प्रतिबंध

3344. श्री सुव्रत बोस :
श्री हितेन बर्मन :
श्री रनेन बर्मन :
श्री नरहरि महतो :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज तक किसी विशिष्ट पत्तन के माध्यम से देश में काली मिर्च सहित विभिन्न मसालों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्राकृतिक रबड़ के आयात पर पुनः प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव देश में विशिष्ट पत्तनों के माध्यम से देश में इलायची की आवक को वितरित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योगों के तहत स्कीमें

3345. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुनामी तथा भूकंप में हुई तबाही के पश्चात् विशेष रूप से अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में लघु क्षेत्र के उद्योगों के तहत कार्यान्वित मुख्य योजनाओं तथा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में इस प्रकार की स्कीमों तथा कार्यक्रमों के लिए कितना आबंटन किया गया है तथा अब तक उपयोग की गई राशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने लघु क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को जानने के लिए कोई अध्ययन करवाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का संवर्धन तथा विकास मुख्यतः संबंधी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का कार्य है। केन्द्र सरकार योजनाओं/पहल के माध्यम से सहयोगी उपाय प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को अनुपूरित करती है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई), परम्परागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति), तथा ग्रमीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी), उद्यमिता तथा कौशल विकास कार्यक्रम, बाजार विकास सहायता योजना, क्रेडिट गारंटी निधि योजना, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कील (सीएलसीएसएस), राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना आदि शामिल हैं ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बाजारों तक अपनी पहुंच बना सकें, सुधरी हुई अवसरंचना, क्रेडिट की बेहतर उपलब्धता, उद्यमियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण हेतु सुविधाएं आदि शामिल हैं। (ब्यौरा वेबसाईट http: www.dcmsme.gov.in पर उपलब्ध है।) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की केन्द्रीय योजनाएं/प्रोत्साहन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अथवा कार्यक्रम विशिष्ट नहीं हैं और उनका कार्यान्वयन अंडमान व निकोबार संघ राज्य क्षेत्र सहित देश भर में समान रूप से किया जाता है। इन सहयोगी प्रयासों के परिणामस्वरूप सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की संख्या जो 2004–05 में 1000 थी वह 2006–07 में बढ़कर 1063 हो गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अर्थात 2005–06 से 430 लोगों को उद्यमिता तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित किया गया है। 340 आवेदकों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत सहायता दी गई है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 4954 लोगों को 2004–05 से दिसम्बर 2007 तक लाभ पहुंचाया गया है।

(ग) और (घ) सरकार जब भी आवश्यक हो, आवश्यकता आधारित अध्ययन कार्यक्रम शुरू करती है और विभिन्न मंचों तथा विभिन्न स्तरों पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संघों सहित स्टेक होल्डरों के साथ तालमेल रखती है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ योजना आयोग द्वारा 11 वीं पंचवर्षीय योजना की रिपोर्टों को अंतिम रूप देते समय आयोजित विचार–विमर्श शामिल है। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006, जो 2 अक्तूबर, 2006 से प्रभावी हुआ, में राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड के लिए प्रावधान है जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के सभी वर्गों के सदस्य शामिल हैं जिनकी क्षेत्र से संबंधित विषयों पर विचार करने के लिए तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं।

तद्नुसार लघु उद्योगों (सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के रूप में विदित) की प्रतिस्पर्धातमकता बढ़ाने के लिए सरकार ने लोकसभा में फरवरी 2007 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज की घोषणा की जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कानून, क्रेडिट, वित्तीय, क्लस्टर, प्रौद्योगिकी तथा गुणवत्ता उन्नयन, विपणन, उद्यमिता तथा प्रबंधकीय प्रशिक्षण, महिलाओं का सशक्तीकरण, प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा डाटा बेस के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से संवर्धनात्मक सहयोगी उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम के तहत घोषित 10 सूत्री पहलों की घोषणा की गई है जिसे सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) माध्यम से औद्योगिक क्लस्टरों में 11 वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा।

कृषि उद्योग

3346. श्री जुएल ओराम : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उद्योगो के विकास पर बल देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी निधियों का आबंटन किया गया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) का प्रस्ताव है कि ग्यारहवीं योजना के शेष वर्षों में एक लाख स्व–रोजगार उद्यमों/इकाइयों की स्थापना करके लगभग 6 लाख रोजगार के अवसर सृजित कराना सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2008–09 के 823.00 करोड़ रूपये के प्रस्तावित आबंटन (बजट अनुमान) से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और प्रधानमंत्री रोजगार योजना सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक नई योजना के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रबल रूप से प्रोन्नत किया जाए।

एन.डी.एम.सी. में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिकायतें

3347. श्री परशुराम माझी :
श्री लालमणि प्रसाद :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 1 जनवरी, 2007 से आज तक नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा शारीरिक रूप से विकलांगों की शिकायतों के संबंध में अति विशिष्ट व्यक्तियों/अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के संघों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों से कोई पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पृथक रूप से तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक शिकायत पर सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है तथा इन्हें कब तक निपटाएं जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) 1 जनवरी, 2007 से आज तक नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा शारीरिक रूप से विकलांगों की शिकायतों पर गृह मंत्रालय और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में अति विशिष्ट व्यक्तियों/अखिल भारतीय/एस सी/एस टी संघों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। विवरण में दर्शाने वाले इन संदर्भों पर उपर्युक्त कार्रवाई की गई है।

विवरण

क्र.सं.	वी आई पी संदर्भ	सं. और दिनांक	की गई कार्रवाई/ भेजा गया उत्तर
1.	श्री ऑस्कर फर्नांडीस, श्रम और रोजगार राज्यमंत्री	1(6) एम ओ एस (आई सी)/ वी आई पी दिनांक 4.1.2002	जवाब दिनांक 21.2.2007 को एन डी एम सी द्वारा संख्या 1296 /एस ओ (सी पी/ राज्य) के तहत भेजा गया।
2.	अखिल भारतीय एस सी/एस टी और शारीरिक रूप से विकलांग संघ	सं. एस/26/2007, दिनांक 30.08.2007	दिनांक 31.10.2007 को पत्र संख्या 14037/1/2007 दिल्ली–11 के तहत आवश्यक कार्रवाई हेतु एन डी एम सी को अग्रेषित
3.	श्री आस्कर फर्नांडीस	डी ओ सं. (8)/एम ओ एस/(आई सी) वी आई पी/07 दिनांक 03.02.07	जवाब दिनांक 08.02.07 को डी ओ सं. 191/पी एस/सी पी/07 के तहत एन डी एम सी द्वारा भेजा
4.	श्रीमती कृष्णा तीरथ, एमपी	दिनांक 19.3.2008	माननीय एम पी की इच्छानुसार, एन डी एम सी द्वारा सूचना प्रदान कर दी गई थी।
5.	अखिल भारतीय एस सी/एस टी तथा पीएच संघ	सं. एस/27/2007 दिनांक 30.08.2007	1991 में हुई डी पी सी की कार्रवाई की समीक्षा हेतु एन डी एम सी में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया है। डी पी सी की समीक्षा जल्दी ही भेज दी जाएगी।

विश्वविद्यालय परिसरों में केवीएस की स्थापना

3348. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में विश्वविद्यालयों में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने की अनुमति देने पर विचार किया है जैसा कि दिनांक 25 मार्च, 2008 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु मानदंडो के अनुसार विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों सहित उच्च अध्ययन संस्थानो के परिसर में केन्द्रीय विद्यालय खोला जा सकता है बशर्ते वे आवास, भूमि विकास सुविधाओं तथा अतिरिक्त खर्च सहित आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय का वहन करने के लिए सहमत हों।

(ग) विश्वविद्यालय परिसरों में नए केन्द्रीय विद्यालय का खोलना प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों तथा सक्षम प्राधिकारण के अनुमोदन पर निर्भर करता है।

एआईसीटीई तथा यूजीसी के कार्यकरण की समीक्षा

3349. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में एआईसीटीयू तथा यूजीसी के कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कार्यकरण की समीक्षा के लिए सरकार ने प्रो. यशपाल, भूतपूर्व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति गठित की है। समिति के विचारार्थ विषय हैं:

(i) विश्विद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कार्यकरण की समीक्षा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की भूमिका का अलोचनात्मक मूल्यांकन और उच्चतर शिक्षा/तकनीकी शिक्षा एवं विश्वविद्यालय प्रणाली की सुलभता, समानता, प्रसंगिकता और गुणवत्ता की उभरती हुई मांग को संस्थागत नेतृत्व प्रदान करने के लिए उनकी तैयारी करना।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के प्रावधानों और उक्त अधिनियमों में संशोधन हेतु पहले की समितियों यथा प्रो. अमरीक सिंह समिति के विभिन्न सुझावों की समीक्षा।

(iii) अन्य सांविधिक निकाएं यथा ए. आई.सी.टी. ई., एम. सी.आई.,डी. सी. आई., एन.सी.आई., एन. सी.टी.ई., डी.ई.सी. आदि की कार्यात्मक भूमिका की तुलना में उच्चतर शिक्षा के मानकों का संयोजन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका।

(iv) केन्द्र सरकार की तुलना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तुलना में विश्वविद्यालय प्रणाली की स्वायत्ता की आवश्यकता का मूल्यांकन।

(v) राज्य विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के मानकों का निर्धारण करने एवं लागू करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की भूमिका और प्रोत्साहन एवं गैर-प्रोत्साहन की एक प्रणाली शुरू करने की संभावना ताकि उच्चतर शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के राष्ट्रीय मानकों के साथ कोई समझौता अथवा उन्हें समाप्त न किया जा सके।

(vi) विश्वविद्यालयों द्वारा संसाधनों का समय से उपयोग करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक प्रभावी और सक्षम तंत्र के साथ-साथ फीडबैक हेतु सिफारिशें।

(vii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं दक्षता की आवश्यकता।

(viii) सम विश्वविद्यालय संस्थाओं की घोषणाओं के संबंध मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिफारिशें।

(ix) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 बी के तहत अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए पात्रता मानदंड में परिवर्तन की आवश्यकता के संबंध में सिफारिशें।

(x) उपरोक्त विचारार्थ विषयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कार्यकरण से संबंधित अथवा उसके कारण उत्पन्न कोई मुद्दा जिस पर सरकार अथवा समिति अपनी तरफ से विचार करना चाहती हों।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सभी प्रकार के लिपिकीय एवं व्यवस्था मूलक सहायता प्रदान करेगा। यह अपेक्षा की जाती है कि समिति एक वर्ष की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

भारत रूस व्यापार

3350. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस से आए प्रतिनिधिमण्डल ने भारत के साथ निवेश प्रस्ताव पर चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए चिन्हित क्षेत्र कौन से हैं;

(ग) वर्तमान में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार कितना है;

(घ) क्या वर्ष 2010 तक 10 बिलियन डालर का द्विपक्षीय व्यापार प्राप्त करने के लिए कोई खाका तैयार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या रणनीति तैयार की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है;

- ऊर्जा और ऊर्जा संसाधन (गैर पारम्परिक ऊर्जा साधन, तेल तथा गैस सहित) और बिजली;
- परिवहन और अवसंरचना (अन्तरदेशीय जल मार्ग, पत्तन और रेलवे निर्माण, नागर विमानन, ऑटो मोबाइल और ऑटो कम्पोनेंट सहित);
- रसायन और भेषज;
- खान, धातु विज्ञान और खनिज (डायमंड सहित);
- सेवाएं (आई टी और आई टीज, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, पर्यटन और दवा);
- वस्तुएं (कृषि और कृषि संशाधित उत्पाद जिसमें पशु मूल उत्पाद, चाय, काफी, तम्बाकू शामिल हैं); तथा
- वस्त्र

(ग) डायरेक्टर जनरल और कामर्शियल इंटेलीजेंस एंड स्टेटटिक्स के अनुसार 2006–07 में दोनों देशों के बीच कुल 3.02 बिलियन अमरीकी डालर (अनन्तिम) का द्विपक्षीय व्यापार हुआ।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा सोवियत फेडरेशन के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय के बीच सहयोग के सहमति ज्ञापन पर 6 फरवरी, 2006 को हस्ताक्षर किए गए। जुलाई, 2007 में अन्तिम रूप दी गई अपनी रिपोर्ट में सहमति ज्ञापन के अनुसरण में एक भारत–रूस संयुक्त अध्ययन दल की स्थापना की गई। इस रिपोर्ट में भारत और रूस के बीच सामान तथा सेवाओं के साथ–साथ निवेश सहयोग के लिए विभिन्न पहलुओं को कवर किया गया है, और यह 2010 तक द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाकर 10 बिलियन अमरीकी डालर करने के लिए संबंधित सुझाव देगी। भारत–रूस संयुक्त अध्ययन दल की सिफारिशों के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए भारत–रूस संयुक्त कार्यदल की स्थापना तथा वृहद आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर हस्ताक्षर करने की संभावना पर विचार करने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और रूस फेडरेशन के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय के बीच एक संयुक्त विज्ञप्ति 13.02.2008 को जारी की गई।

स्वायत्त कालेज

3351. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथिनुसार देश में कार्य कर रहे स्वायत्त कालेजों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का अधिक स्वायत्त कालेज खोलने के लिए स्वीकृति देने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31.3.2008 तक देश में कार्य कर रहे स्वायत्त कालेजों की संख्या 281 थी।

(ख) और (ग) स्वायत्त कालेजों की योजना एक सतत योजना है और कालेजों की शैक्षिक ख्याति, संकाय की योग्याताओं, भौतिक सुविधाओं, संस्थागत प्रबंध, वित्तीय संसाधनों, प्रशासनिक संरचना की

जिम्मेदारी और संकाय की सहभागिता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कालेजों को स्वायत्त स्तर प्रदान किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सुरक्षा बलों में महिलाएं

3352. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य–वार सुरक्षा बलों में महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने सुरक्षा बलों में महिलाओं की उपयोगिता का आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) केन्द्रीय पुलिस बलों में बल–वार महिलाओं की संख्या निम्नवत् है :–

सी आर पी एफ	4,142
सी आई एस एफ	3,192
एस एस बी	313
आई टी बी पी	321
ए आर	526
बी एस एफ	484
एन एस जी	47

(ख) और (ग) आमतौर पर महिला कार्मिकों की तैनाती विभिन्न प्रदर्शनों, आंदोलनों आदि में महिलाओं की बढ़ती हुई संलिप्तता से निपटने और उन सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों/हवाईअड्डों/सरकारी भवनों आदि में तलाशी आदि लेने के लिए की जाती है जहां बल बड़े पैमाने पर स्थैतिक ड्यूटियों का निष्पादन करते हैं। हाल ही में, बी एस एफ और एस एस बी को इसी प्रकार की भूमिका निभाने के लिए सीमावर्ती जांच चौकियों पर महिला कंपनियों की तैनाती किए जाने के लिए महिला कंपनियां गठित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

वैज्ञानिकों तथा पी.एच.डी. छात्रों के लिए अनुसंधान कार्य में सुधार

3353. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वैज्ञानिकों तथा पी.एच.डी. सहित उच्च शिक्षा के लिए अनुसंधान कार्य पर विचार करने के लिए एम.एम. शर्मा समिति का गठन किया है जैसा कि दिनांक 16 मार्च, 2008, के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वैज्ञानिकों तथा पी.एच.डी. छात्रों को अनुसंधान कार्य के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) विश्वविद्यालय पद्धति के अंतर्गत बुनियादी विज्ञान अनुसंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रो. एम. एम. शर्मा की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया था। अपनी रिपोर्ट में कार्यबल ने अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न स्तरों पर अनुसंधान वैज्ञानिकों के 1000 पदो का सृजन, दस वर्षों के अन्दर उपयुक्त स्तर के साथ भारतीय विश्वविद्यालयों से पी.एच.डी. करने वालों की संख्या में पांच गुणा वृद्धि, संयुक्त अनुसंधान परियोजना तथा प्रशिक्षण के माध्यम से विश्वविद्यालयों और सी एस आई आर प्रयोगशालाओं सहित राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं के बीच औपचारिक संबंध को प्रोन्नत करना, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित स्नातकोत्तर कार्यक्रम में अनुसंधान का अंतर्निहित घटक, गुणवत्तापरक वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय के अग्रणी विभागों में बुनियादी विज्ञानों में नेटवर्किंग केन्द्रों की स्थापना की भी सिफारिश की है। सरकार द्वारा ये सिफारिशें मंजूर कर ली हैं और इन सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्यबल को एक अधिकार प्राप्त समिति का दर्जा दे दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निधियों के आबंटन के लिए इन प्रस्तावों को अपनी योजना में सम्मिलित कर लिया है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं

3354. श्री जी. एम. सिद्देश्वर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में अ.जा./अ.ज.जा. तथा अ.पि. वर्ग के छात्रों के लिए कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक श्रेणी के तहत कितना आबंटन किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक श्रेणी के तहत कितनी निधियों का उपयोग किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) इस मंत्रालय द्वारा संचालित अधिकांश योजनाएं सामान्य स्वरूप की होती हैं जिनका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनु जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाना है। केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों तथा सभी केन्द्रीय वित्तपोषित संस्थाओं में अनु.जा. तथा अनु.ज.जा. हेतु क्रमशः 15% तथा 7.5% के आरक्षण का प्रावधान है जिनके लिए दाखिला मानदण्डों में भी रियायत दी जाती है ताकि आरक्षण के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। अतः इन योजनाओं के तहत अनु.जा. तथा अनु.ज.जातियों के दाखिले के अनुपात में इन विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। इन समुदायों के विद्यार्थियों के लाभार्थ कुछ अन्य उपाय भी मौजूद हैं जैसे (i) अनु.जाति तथा अनु.जनजाति बहुल क्षेत्रों में प्राथमिक/मिडिल स्कूल खोलने हेतु मानदण्डों में छूट देना (ii) फ्रीशिप/छात्रवृत्तियां/अध्येतावृत्तियां, वर्दियां, लेखन सामग्री, स्कूली बस्ते उपलब्ध कराना (iii) कुछ लाभवंचित समूहों के लिए कट–ऑफ अंकों में रियायत देना और (iv) जनजातीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें तैयार करना आदि।

(ख) और (ग) वर्ष 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान इन योजनाओं के तहत अनु.जा./अनु.ज.जा. अथवा सभी तीन अर्थात् अनु.जा./अनु.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए निधियों के आबंटन एवं इनके उपयोग से संबंधित ब्यौरा इस प्रकार है :–

क्र.सं.	योजना	2004–05		2005–06		2006–07	
		आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
माध्यमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग (रु. लाख में)							
(i)	सर्व शिक्षा अभियान	513975.3	659114.88	752722.7	998516.5	1084834.9	1477929.69
(ii)	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	10000.00	9256.6	25000.00	22362.89	12800.00	11633.05
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (रु. करोड़ में)							
(iii)	अनु.जा. तथा अनु.ज.जा. के विद्यार्थियों हेतु उपचारी कोचिंग	5.00	3.70	12.02	8.03	14.50	13.26
(iv)	सेवाओं में प्रवेश हेतु कोचिंग कक्षाएं	3.00	1.02	1.88	3.59	9.50	8.40
(v)	अनु.जा./अनु.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग	2.00	1.28	1.24	1.05	1.10	1.00

आई.आई.टी., आई.आई.एम. तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना

3355. **श्री पी.सी. थामस :**
श्री सानचुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :
श्री मधु गौड यास्की :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री विजय कृष्ण :
श्री विष्णु देव साय :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) भारतीय प्रबंध संस्थान (आई आई एम), केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए विश्वविद्यालय तथा संस्थान स्थापित करने के लिए स्थानों का चयन किया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य–वार तथा स्थान–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों से उनके राज्यों में इस प्रकार के संस्थान स्थापित करने का भी अनुरोध किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर राज्यों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (च) प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर XI वीं योजना के दौरान राजस्थान, बिहार तथा आंध्र प्रदेश प्रत्येक राज्य में तीन नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। पूर्वोत्तर में उच्च–गुणवत्ता मूलक प्रबंधन शिक्षा हेतु सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से सरकार ने शिलांग में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकारों के अनुरोधों तथा देश में केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं का विद्यमान क्षेत्रीय वितरण जैसे अन्य संगत तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित राज्यों में 5 और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और 6 और भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश (इंदौर), गुजरात तथा पंजाब।

भारतीय प्रबंधन संस्थान – तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़ (रायपुर), उत्तराखंड और हरियाणा।

ऐसे 16 राज्य जहां इस समय केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं हैं तथा जिनमें ग्यारहवीं योजना के दौरान एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किये जाएंगे वे हैं – बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और गोवा। इनमें से 3 राज्यों में विद्यमान राज्यों विश्वविद्यालयों को केन्द्र सरकार अपने अन्तर्गत ले लेगी तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा लिया जाएगा। ये तीन विश्वविद्यालय हैं – डा. हरी सिंह गौड विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश) में, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में और गोवा विश्वविद्यालय।

उक्त राज्यों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना इस शर्त पर की जाएगी कि राज्य सरकारें इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त स्थान पर निःशुल्क पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराएं। प्रत्येक संबंधित राज्य सरकार से तदनुसार भूमि प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। तथापि इन संस्थाओं की वास्तविक स्थापना अन्य बातों पर निर्भर करेगी कि संबंधित राज्य सरकारें उचित स्थान पर उपयुक्त कितनी जल्दी आबंटित करती हैं।

11वीं योजना में स्थापित किए जाने वाले 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्थानों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

आम का निर्यात

3356. श्री नन्द कुमार साय : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्ष 2008–09 के दौरान विभिन्न फलों विशेषकर आमों के निर्यात का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जिन्होंने इस संबंध में रूचि दिखाई है;

(ग) विभिन्न फलों विशेषकर आम का वर्ष 2008–09 के दौरान प्रस्तावित निर्यात की देश–वार मूल्य–वार प्रमात्रा कितनी है; और

(घ) आम सहित विभिन्न फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) सरकार फलों के निर्यात में कार्यरत नहीं है। तथापि, वह भारतीय कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ाने के लिए मौजूदा प्रयासों के रूप में आम सहित फल के निर्यात को सुविधाजनक बनाती है।

(ख) भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार को आम सहित विभिन्न फलों का निर्यात करता है। भारतीय फलों के मुख्य गंतव्य स्थल यूनाईटिड किंगडम, नीदरलैंड, बांग्लादेश, साउदी अरब, यूनाईटेड अरब अमीरात और श्रीलंका हैं।

(ग) कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने वर्ष 2008–09 के दौरान फलों के निर्यात के 1418 करोड़ रुपए का एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया है। फल–वार और/अथवा देश–वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(घ) कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) आम सहित फलों के निर्यात को बढ़ाने हेतु विभिन्न उपाय कर रहा है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई, बंगलौर और तिरूवनन्तपुरम स्थित अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर नाशवान कारगो के लिए केन्द्रों, सामान्य पैकगृहों और अन्य अवसंरचनामक सुविधाओं की स्थापना करना।

(ii) जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं उन्नयन और अपशिष्ट की निगरानी संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन, पैकेजिंग का विकास फलों एवं सब्जियों के निर्यात हेतु फसल पूर्व एवं पश्चात मैनुअलों को तैयार करना।

(iii) फल एवं सब्जियों के लिए कृषि निर्यात जोनों की स्थापना।

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, संवर्धनात्मक अभियानों का आयोजन, क्रेता–विक्रेता बैठके एवं प्रमाणन निकायों और किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(v) वित्तीय सहायता, अवसंरचनात्मक विकास, बाजार विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान विकास एवं परिवहन सहायता हेतु अपनी स्कीमों के अन्तर्गत अपने पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

भारत और चीन के बीच पुराने सिल्क रूट की पुनर्बहाली

3357. श्री जुएल ओराम : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का व्यापार हेतु भारत और चीन के बीच सिल्क रूट की पुनर्बहाली करने का प्रस्ताव है;

(ख) इस संबंध में चीन द्वारा क्या कोई सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बीसीसीआई को अधिक भुगतान

3358. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अधिक भुगतान करने के लिए प्रसार भारती की भर्त्सना की है जैसा कि दिनांक 17 मार्च, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जवाबदेही तय की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) उत्तरित विषय के संबंध में महानिदेशक : लेखापरीक्षा एवं वाणिज्यिक राजस्व से लेखापरीक्षा पैरा का मसौदा प्राप्त हुआ था। तथापि, इस मामले पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, 2008 अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक वृद्धि/विकास केन्द्र

3359. श्री असादूददीन ओवेसी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत विकास केन्द्रों/औद्योगिक विकास केन्द्रों तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कर्नाटक सहित प्रत्येक राज्य सरकार को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य–वार इन विकास क्षेत्रों के लिए निर्धारित तथा प्राप्त लक्ष्य क्या हैं;

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार इन विकास केन्द्रों/औद्योगिक विकास केन्द्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना के लक्ष्य क्या हैं;

(ङ) इन केन्द्रों के लिए आबंटित कुल निधियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रकार के केन्द्रों को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) विकास केन्द्र योजना की शुरूआत से इसके अन्तर्गत क्षेत्र, जनसंख्या तथा औद्योगिक पिछड़ेपन की सीमा के मिश्रित मानदण्ड के आधार पर 71 विकास केन्द्रों को स्वीकृत किया गया है। इसके ब्योरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) से (च) योजना आयोग द्वारा कराये गये नमूना सर्वेक्षण तथा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा कराये गये विस्तृत प्रभाव मूल्यांकन के आधार पर इस विभाग ने विकास केन्द्र योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया है क्योंकि कुछ एकाकी मामलों के अलावा यह सामान्यतया अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विकास केन्द्रों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति तथा जारी किया गया केन्द्रीय अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	विकास केन्द्र/ राज्य		अनुमोदित लागत	अनुमोदित केन्द्रीय सहायता	जारी की गई केन्द्रीय सहायता			अधिग्रहित भूमि (एकड़)	विकसित प्लाट/शेड	आवंटित प्लॉट/शेड	स्थापित की गई इकाइयों की संख्या
					2005–06	2006–07	2007–08				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	हिन्दूपुर	2727.99	1000.00	–	–	–	712.52	248 / 12	211/12	47
2		बोरिवली (विजयनगरम)	3576.12	1000.00	–	–	–	1239.33	388 / 0	43	3
3		अंगोले (प्रकासम)	2622.41	1000.00	–	–	–	1330.00	615/289	326/शून्य	80
4		जडचरेला	3005.00	1000.00	400.00	–	–	308.46	शून्य	शून्य	शून्य
5	अरुणाचल प्रदेश	निक्लोक नगोरलंग	2020.00	1500.00	100.00	400.00	–	582.15	शून्य	शून्य	शून्य
6	असम	मटिया	2200.00	1500.00	217.80	200.00	–	1672 बीघा	शून्य	शून्य	शून्य
7		चारिद्वार	2543.40	1500.00	200.00	–	–	1500 बीघा	शून्य	शून्य	शून्य
8		छायागांव	1615.24	1500.00	265.00	–	–	400 बीघा	80/शून्य	20/शून्य	शून्य
9	बिहार	दरभंगा	4113.00	1000.00	–	–	–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10		मुजफ्फरपुर	3911.00	1000.00	–	–	–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11		छपरा	3511.00	1000.00	–	–	–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12		बेगुसराय	2475.00	1000.00	–	–	–	392.141	शून्य	शून्य	शून्य
13		भागलपुर	3755.00	1000.00	–	–	–	424.25	शून्य	शून्य	शून्य
14	छत्तीसगढ़	बोराइ	3633.00	1000.00	–	–	–	436.840	192.430 हैक्टे./35	125.831 हैक्टे./32	46

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
15		सिलतारा	3437.00	1000.00	–	–	–	1290.825	151/10	786.41 हैक्टे./09	53
16	गोवा	इलेक्ट्रॉनिक सिटी	3000.00	1000.00	–	–	–	6580791 एम2	671/0	636/6	86
17	गुजरात	गांधीधाम	3178.00	1000.00	–	–	–	172 हैक्टे.	234/0	234/शून्य	6
18		वागरा	3572.00	1000.00	–	–	–	200 हैक्टे.	353/शून्य	शून्य	शून्य
19		पालनपुर	3078.00	1000.00	–	–	–	75 हैक्टे.	शून्य	शून्य	शून्य
20	हरियाणा	साहा (अम्बाला)	8119.00	1000.00	–	–	–	410.25	241/शून्य	201/शून्य	31
21		बावल	10888.00	1000.00	–	–	–	1225.00	585/शून्य	168/शून्य	66
22	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	2276.00	1500.00	–	97.00	–	218–193–121 हैक्टे.	439/30	437/20	72
23	जम्मू और कश्मीर	लालीपारा	5420.00	1500.00	–	–	–	5233 कनाल	200/शून्य	53/शून्य	21
24		साम्बा	5805.70	1500.00	–	–	–	4734 कनाल	215/50	227/32	42
25	झारखंड	भारडी–हजारीबाग	3834.00	1000.00	–	–	–	525.34	शून्य	शून्य	शून्य
26	कर्नाटक	रायचूर	6867.00	1000.00	–	–	–	1999.17	430 एकड़/शून्य	227 एकड़/शून्य	17
27		धारवाड़	6879.00	1000.00	–	–	–	2205.00	2205 एकड़	2205 एकड़	225
28		हसन	5173.00	1000.00	–	–	–	1825.00	324.20 एकड़	324 एकड़	133
29	केरल	कन्नूर/कोझिकोड	4427.00	1000.00	–	–	–	572.00	157/शून्य	7	5
30		अलपुज्जा/ मालापुरम	3485.00	1000.00	–	–	–	536.00	108/शून्य	3	7
31	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर	3107.52	1000.00	–	–	–	723.49	108/शून्य	77/शून्य	2
32		नान्देड	4627.97	1000.00	–	–	–	645.81 हैक्टे.	240/शून्य	74/शून्य	0
33		धुले	3163.27	1000.00	–	–	–	707.00 हैक्टे.	60/शून्य	3/शून्य	0
34		अकोला	3479.90	1000.00	–	–	–	625.05	990/शून्य	552/शून्य	81
35		रत्नागिरि	3232.27	1000.00	–	–	–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
36	मध्य प्रदेश	सतलापुर	3000.00	1000.00	–	–	–	321.188 हैक्टे.	103/शून्य	21/शून्य	2

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
37		चैनपुरा	3609.00	1000.00	–	–	–	334.581 हैक्टे.	180/शून्य	180/शून्य	शून्य
38		घिरोंगी	3481.00	1000.00	–	–	–	716.00 हैक्टे.	143.967 हैक्टे../शून्य	143.967 हैक्टे./शून्य	42
39		खेड़ा	3550.00	1000.00	–	–	–	182.20 हैक्टे.	21/शून्य	21/शून्य	10
40	मणिपुर	लामलेई–नापेट	3000.00	1500.00	–	–	–	दर्शाये नहीं गए	शून्य	शून्य	शून्य
41	मेघालय	मैंदीपथर	1800.00	1500.00	–	–	–	36 हैक्टे.	शून्य	शून्य	शून्य
42	मिजोरम	लौंगलाल	1526.00	1500.00	400.00	220.00	–	311.00	50/6	शून्य	शून्य
43	नागालैंड	गणेश नगर	1700.00	1500.00	–	–	–	1000.00	सम्पूर्ण/23	9	1
44	उड़ीसा	कोसिंगा	3287.00	1000.00	–	–	–	803.53	एकड़ 3.04	43.043	6
45		झारसुगुड़ा	3990.00	1000.00	479.00	–	–	429.84	3/शून्य	3/शून्य	3
46		कलिंगनगर	4126.73	1000.00	–	–	–	1500.00	250/शून्य	250/शून्य	3
47		छतरपुर	4232.00	1000.00	–	–	–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
48	पांडिचेरी	पोलागाम	3100.00	1000.00	–	–	–	595.41	74/शून्य	15/शून्य	शून्य
49	पंजाब	भटिण्डा	1000.00	1000.00	–	–	–	708/शून्य	287/शून्य	307	दर्शाये नहीं गए
50		पठानकोट	1000.00	1000.00	–	–	–	637/शून्य	465/शून्य	10	00
51	राजस्थान	भीलवाड़ा	1000.00	600.00	–	–	–	382/शून्य	382/शून्य	16	800
52		धौलपुर	1000.00	1000.00	–	–	–	291/शून्य	291/शून्य	119	260
53		झालावाड़	1000.00	600.00	–	–	–	207/शून्य	318/शून्य	126	605
54		आबू रोड़ (सिरोही)	1000.00	1000.00	–	–	–	297/शून्य	53/शून्य	27	300
55		खारा	1000.00	820.00	–	–	–	435/32	423/32	दर्शाये नहीं गए	20
56	सिक्किम	सामलिक मार्चक	3175.88	1500.00	100.00	–	–	25.00	शून्य	शून्य	शून्य
57	तमिलनाडु	इरोड़	1000.00	1000.00	–	–	–	1820 एकड़	146/शून्य	52	6650
58		तिरूनेलवेली	1000.00	930.00	–	–	–	54.00 एकड़	54	9	342
59		ओरागादम	5331.00	1000.00	–	–	–	433,15	4/शून्य	21/शून्य	शून्य
60	त्रिपुरा	बोधजंग नगर	1500.00	1500.00	–	–	–	242.00	133 शून्य/12	19/5	18

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	उत्तराखंड	सिगड्डी	1685.00	1500.00	100.00	93.00	–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
62	उत्तर प्रदेश	बिजौली	1885.00	1000.00	–	92.90	–	385.04	442/शून्य	442/शून्य	8
63		जमीर	1622.00	1000.00	146.00	–	–	302.00	341/शून्य	118/शून्य	9
64		जैनपुर	1[illegible].00	1000.00	230.00	–	–	331.00	1809/शून्य	1795/शून्य	457
65		पाकवाड़ा	3975.00	1000.00	–	–	–	419.34	158/1	43/शून्य	2
66		सथारिया	4427.00	1000.00	–	–	–	508.45	485/शून्य	337/शून्यदर्शाये नहीं गए	
67		शहजनवा	3491.00	1000.00	–	–	–	525.27	1298/30	999/19	89
68		डिबियापुर	1950.00	1000.00	100.00	–	–	331.58	शून्य	शून्य	शून्य
69	पश्चिम बंगाल	मालदा	4297.59	[illegible].00	–	–	–	252.00	145 एकड़/शून्य	145/शून्य	10
70		जलपाईगुडी	11184.60	1000.00	–	–	–	105.00	शून्य	शून्य	शून्य
71		बोलपुर	6356.16	1000.00	–	–	–	135.00	शून्य	शून्य	शून्य

बच्चों का दुर्व्यापार

3360. श्री किरीटभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगाल से बच्चों के दुर्व्यापार के मामलो में वृद्धि हो रही है जैसा कि दिनांक 16 मार्च, 2008 के 'जनसत्ता' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी) ने देश में बच्चों के गायब होने के मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ङ) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(च) प्रत्येक सिफारिश पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) स्त्रियों और बच्चों के दुर्व्यापार की जानकारी संयुक्त रूप से एकत्र करता है। एन सी आर बी द्वारा संग्रहित आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान अवैध दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत दुर्व्यापार के क्रमशः कुल 121, 74 और 66 मामले दर्ज किए गए थे।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान।

(ङ) गुमशुदा बच्चों पर एन एच आर सी समिति की रिपोर्ट के अध्याय 5 में उल्लिखित सिफारिशों/सुझावों की प्रति विवरण के रूप में संलग्न की गयी है।

(च) समिति की सिफारिशें समुचित कार्रवाई के लिए केन्द्रीय सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

विवरण

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/सुझावों का हिस्सा

(रिपोर्ट का अध्याय–5)

क्रम सं.	समिति की सिफारिशें
1	2
1.	प्राथमिकता मुद्दा: निर्विवाद रूप से "गुमशुदा बच्चों" की समस्या एक गंभीर मामला है जो एक मानवाधिकार का भी मुद्दा है। यह बात मानी जाती है कि सरकार और समाज द्वारा जितना ध्यान इस पर दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान इस पर नहीं दिया गया है। अतः सभी स्टेकहोल्डरों, विशेष रूप से कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों द्वारा इस मुद्दे को "प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा" बनाए जाने की जरूरत है। इस संबंध में सभी अधिकारियों को सुग्राही बनाने और साथ ही उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए पुलिस

1	2

आदेश/परिपत्र/स्थाई आदेश आदि जारी करने के लिए राज्यों के पुलिस महानिदेशकों द्वारा उचित उठाए जाने चाहिए।

2. **पुलिस स्टेशनों में गुमशुदा व्यक्ति स्क्वाड/डेस्क:**

समिति सिफारिशि करती है कि गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए देश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में विशेष स्क्वाड/गुमशुदा व्यक्ति डेस्क होना चाहिए। इस स्क्वाड/डेस्क का एक रजिस्टरिंग अधिकारी होना चाहिए जिसे गुमशुदा बच्चों की शिकायतें दर्ज करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए उसके द्वारा और साथ ही विशेष स्क्वाड द्वारा किए गए प्रयासों का पूरा रिकार्ड रखा जाना चाहिए। रजिस्टरिंग अधिकारी को भी घटना रिपोर्टें लिखनी चाहिए और उन्हें स्टेशन डायरी/केस डायरी, जैसा भी मामला हो, में रिकार्ड करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, रजिस्टरिंग अधिकारी को जांच अधिकारी के रूप में भी काम करना चाहिए जिसमें उसे गुमशुदा बच्चे का पता लगाने/खोजने की संपूर्ण प्रक्रिया की अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। गुमशुदा बच्चों के मुद्दों को हल करने के लिए यदि जरुरी हो तो जे ए पी यू (जुवेनाइल एड पुलिस यूनिट का उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग तब भी किया जा सकता है जब ऐसे गुमशुदा बच्चों को, जिन्हें किशोर नहीं माना जाना जाता है लेकिन वस्तुतः जिन बच्चों पर ध्यान दिए जाने और देखभाल किए जाने की जरूरत हो। इस यूनिट/स्क्वेड की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से मानीटरिंग/समीक्षा की जानी चाहिए और जहां कहीं आवश्यक हो वहां रजिस्टरिंग और जांच अधिकारी को समय पर अनुदेश और सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

3. **अदालत के निर्देश:** देश के सभी पुलिस स्टेशनों में होरीलाल बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली और अन्यों द्वारा दायर 1996 की रिट याचिका (आप.) सं. 610 में उच्चतम न्यायालय द्वारा 14.11.2002 को दिए गए निदानिर्देशों के कार्यान्वयन को दोहराने की जरुरत है। इससे गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने में सहायता मिलेगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरों (सी बी आई) में गुमशुदा व्यक्तियों/बच्चों से संबंधित एक सैल की स्थापना की गई थी। तब से यह सैल काम कर रहा है लेकिन पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण, वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके। चूंकि सी बी आई, एक केन्द्रीय जांच एजेंसी है और इसके पास अंतर-राज्य और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जांच करने की शक्तियां और क्षेत्राधिकार है इसलिए गुमशुदा व्यक्तियों और बच्चों से संबंधित आपराधिक मामलों का समन्वय और उनकी जांच करने के लिए इस सैल की क्षमता बढ़ाने हेतु इसे सुदृढ़ बनाया जाना वांछनीय है।

4. **जिला प्रशासन की भूमिका**—कानून देश के जिला प्रशासन को यह आदेश देता है कि वह उन स्थानों पर जाए और उनका आवधिक निरीक्षण करे जहां पर बच्चे काम करते हों। समिति को यह नोट करके अत्यंत दुख हुआ कि पूरे देश में जिला प्रशासन, इस काम में विफल हुआ है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि आज भी बहुतायत में बच्चे घरेलू नौकर और बंधुवा/बाल मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह चिंता का विषय है कि बाल मजदूर और बंधुवा मजदूर के जिन विछिन्न मामलों में नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन चलाया जाता है उनमें एक प्रतिशत से भी कम दोषसिद्धि होती है जो निश्चित ही पर्यवेक्षण में कमी का द्योतक है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे के प्रति ऐसी उदासीनता को उपचारी दृष्टिकोण अपना कर दूर किया जाना चाहिए। समिति, संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध करती है कि इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में लापरवाही बरतने के लिए जिला प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाए।

समिति का यह विचार है कि यदि पूरी ईमानदारी से नियमित रूप से निरीक्षण करने की यह प्रक्रिया अपनाई जाती है तो गुम हुए काफी बच्चों को उनके घर भेजा जा सकेगा।

5. **रिपोर्ट करने की अनिवार्यता :** राज्य पुलिस मुख्यालयों को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करने की एक प्रणाली तैयार करनी चाहिए जिसमें पूरे देश में गुमशुदा बच्चों की सभी घटनाओं की सूचना ऐसी घटना घटित होने के 24 घंटे के अंदर नव गठित बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग को दी जाए। यह सूचना तत्काल दी जानी चाहिए और इसके लिए वही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जो हिरासत में हुई मौतों के मामलों की सूचना, एन एच आर सी को देने के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के समान होनी चाहिए।

6. **पंचायत राज संस्थाओं (पी आर आई) आदि को शामिल करना:** गुमशुदा बच्चों से संबंधित प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और प्रयोक्ता के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से जांचकर्ता पुलिसटीम के लिए यह उचित होगा कि वह विद्यमान सहायता माध्यमों के अतिरिक्त पंचायत राज संस्थाओं/नगरपालिका समितियों/पड़ोसी समितियों/आवासी कल्याण संघों आदि जैसे समुदायों के

1	2

प्रतिनिधियों को बड़े पैमाने पर शामिल करे। इससे गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए पुलिस के साथ–साथ समुदायों को शामिल किया जा सकेगा। पुलिस महानिदेशकों को न केवल बच्चों से संबंधित अपराधों की जांच करने के लिए कार्य में इन एजेंसियों का पूरा लाभ उठाने हेतु गंभीरता से विचार करना चाहिए बल्कि गुमशुदा बच्चों को खाने के लिए भी इनका उपयोग करना चाहिए। पंचायतों और ऐसे निकायों की भूमिका निम्नलिखित के लिए होनी चाहिए:

- गुमशुदा बच्चों की तत्काल सूचना देना;
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आसूचना, यदि कोई हो, का तत्काल वितरण करना;
- बच्चों को खोजने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सहायता प्रदान करना;
- घर लौट गए बच्चों के बारे में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचना प्रदान करना।

7. **एन जी ओ को शामिल करना :** जिन स्थानों पर बच्चों के अधिसंख्या में सुभेद्य ग्रुप पाए जाते हैं उन स्थानों पर प्रवर्तन एजेंसियों को गैर–सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की साझादारी में एक प्रकार का तंत्र तैयार करना चाहिए जिसमें उन्हें परामर्श देने के अतिरिक्त जागरूकता पैदा करने की गति–विधियां भी की जा सकें। इससे न केवल उनमें विश्वास आएगा बल्कि वे सुदृढ़ भी बनेंगे और उन्हें विशेष संरक्षण मिलेगा ताकि वे बाहरी एजेंसियों/कारकों के झांसे में न आ सकें। इसके लिए जिलों में गुमशुदा बच्चें की स्क्वाड/सैल द्वारा पहल की जा सकती है। इस पहल पर डी जी पी द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने की जरुरत है।

8. **राष्ट्रीय डाटाबेस और मानीटरिंग :** एन सी आर बी को नेशनल ट्रैफिंग सिस्टम तैयार करना चाहिए जो गुमशुदा बच्चों का मूल स्तर पर पता लगाने के लिए दिशा–निर्देश का काम करेगा। न केवल गुमशुदा बच्चों के बारे में बल्कि लौट गए/बचाए गए/बरामद किए गए बच्चों के बारे में भी तत्काल सूचना दी जानी चाहिए। यौन शोषण और शोषण करने वाली मजदूरी सहित शोषण वाले स्थानों से बचाए गए बच्चों के सभी मामलों की सूचना एन सी आर बी के डाटाबेस में होनी चाहिए। इस डाटाबेस को नियमित और योजनाबद्ध ढंग से अद्यतन किया जाना चाहिए। इसमें उन लोगों से संबंधित सूचना देने के फार्मेट में संशोधन करना भी शामिल किया जाना चाहिए जिसका अवैध व्यापार किए जाने के बाद बचाव किया गया है और जिन्हें बरामद किया गया है। निदेशक, एन सी आर बी, नई दिल्ली के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए

1	2

और फार्मेट तैयार करना चाहिए क्योंकि यू एन ओ डी सी, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाने के क्षेत्र में और मानव के अवैध व्यापार विरोधी और संबंधित मुद्दों पर उचित परियोजनायें आदि विकसित कर रहा है। इसे वेब–आधारित और अन्य अंतरा और अंतर–राज्य नेटवर्किंग से प्रभावी बनाया जा सकता है। जो सूचना एकत्र की जाती है उसे उचित रूप से वितरित किया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया जाता है कि एन सी आर बी, एक पृष्ठ का उपयोगी पोजीशन पेपर तैयार करे जिसमें संगत आंकड़ों सहित विभिन्न अपराधों से संबंधित सूचना हो। यह उन एजेंसियों के लिए उपयोग और पहुंच वाला माध्यम हो सकता है जो किसी समस्या विशेष का हल कर रहे हों। उदाहरणार्थ, गुमशुदा बच्चों से संबंधित संगत सूचना, यदि इसे एक या दो पृष्ठों में रखा जाता है, एन सी आर बी द्वारा तैयार की गई। भारी–भरकम रिपोर्ट के एक भाग के रूप में संकलित सूचना की तुलाना में सभी स्टेकहोल्डरों के लिए कहीं अधिक पहुंच वाली और पठनीय हो सकती है।

9. **एस सी आर बी/डी सी आर बी :** राज्य/जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो को फिर से स्थापित किए जाने की तत्काल जरुरत है। गुमशुदा व्यक्तियों, उनकी वापसी और इसमें शामिल प्रक्रिया का डाटाबेस उचित रूप से रखा जाना चाहिए। राज्य गुमशुदा व्यक्ति ब्यूरो (एम पी बी) का पुनरुद्धार किए जाने, कार्यशील और सुदृढ़ बनाए जाने की जरुरत है। अधिकारियों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और वे ज्ञानवान होने चाहिए ताकि वे विश्लेषणात्मक ढंग और मानवाधिकारों के संदर्भ में मुद्दों को हल कर सकें। एस सी आर बी और एम पी बी को आपस में उचित संपर्क बनाए रखना चाहिए ताकि पुलिसस्टेशनों में स्थापित किए जाने वाले विशेष सैलल/स्क्वार्ड और एम पी बी के कार्यकरण में एस सी आर बी और एन सी आर बी के डाटाबेस का उपयोग किया जा सके। एम पी बी के आंकड़ों को मानव के अवैध व्यापार अपराध से बचाए गए बच्चां के डाटा से उद्यतन किया जाना चाहिए।

10. **हेल्पलाईन :** एन जी ओ/पी आर आई/अन्य एजेंसियों के माध्यम से सभी जिलों में चलाइल्ड हैल्पलाइन स्थापित किए जाने की जरूरत है जिन्हें सरकार से पर्याप्त सहायता दी जाए। ऐसा राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करने के लिए महिला और बाल विकास, विभाग, भारत सरकार पहल कर सकता है।

11. **प्राथमिक जांच आउटसोर्सिंग का काम एन जी ओ को देना :** एन एच आर सी समिति को ऐसे कई दृष्टांतों की जानकारी मिली है जिनमें गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उन्हें लेखाबद्ध करने में एन जी ओ सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, बेहतर परिणाम

1	2
	दे रहे हैं। ऐसे प्रयास और पहलें, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कार्यों में सहायता होती हैं। पुलिस और एन जी ओ की सहक्रिया, इस मुद्दे को हल करने में अत्यधिक सहायक हो सकती है और यह उन पुलिस एजेंसियों को अत्यधिक सहायता प्रदान कर सकती हैं जिन्हें अन्य कई प्रकार के कार्यों में पहल से लगाया गया है, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां पर पुलिस स्टेशन की स्थिति बहुत कमजोर है। अतः गुमशुदा व्यक्तियों की प्राथमिक जांच का कार्य उन एन जी ओ को दिया जा सकता है जो इस कार्य को करने के लिए इच्छुक हों। इस संबंध में गृह मंत्रालय, राज्यों को उचित, दिशानिर्देश जारी कर सकता है। प्रत्येक राज्य, ऐसे कुछ एन जी ओ की पहचान कर सकता है और यदि जरूरत हो तो उन्हें अधिसूचित कर कसता है। आज कोई भी एन जी ओ की ऐसी जांच करने से नहीं रोकता है और कई एन जी ओ पहले से ही यह कार्य कर रही हैं। अतः आज की स्थिति में यह बेहतरीन विकल्प हो सकता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और एन जी ओ के बीच सहक्रिया हो और इस साझेदारी को संस्थागत बनाया जाए।
12.	**साध्य की संज्ञेयता** : आज, गुमशुदा बच्चों का मुद्दा, संज्ञेय अपराध नहीं है और किसी बच्चे का गुम होना, किसी अपराध का द्योतक नहीं है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जैसे कुछ राज्यों ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने और जांच पड़ताल करने की अनुमति दी है। उचित जांच/जांच–पड़ताल सुकर बनाने के उद्देश्य से यह सलाह दी जाती है कि गुमशुदा बच्चों के मुद्दों के संबंध में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जाए। तथापि, अनुभव से पता चलता है कि कई मामलों में बच्चा तो गुम नहीं होता है लेकिन माता–पिता या वार्डों की घबराहट के कारण ऐसी रिपोर्टिंग की जाती है। अतः ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि कोई गुमशुदा बच्चा घर नहीं लौटता है या उचित समय तक उसका पता नहीं चलता है तो प्राथमिकी दर्ज करने की सलाह दी जाती है। राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस आशय के उपयुक्त निर्देश जारी करने पर विचार करें कि यदि किसी बच्चे के गुम होने के 15 दिन के अंदर उसका पता नहीं चलता है तो वे सूचना देने की तारीख से 15 दिन की समय सीमा निश्चित कर दें और इस बारे में कुछ गड़बड़ी मानी जा सकती है तथा गुमशुदा बच्चों के ऐसे सभी मुद्दों में प्राथमिकी दर्ज की जाए।
13.	**स्टेटहोल्डरों को सुग्राही बनाना** : गुमशुदा बच्चों के मुद्दे से संबंधित सभी पुलिस कार्मिकों और अन्य स्टेकहोल्डरों को सुग्राही बनाए जाने की जरूरत है। इसके लिए बी पी आर डी द्वारा दो–दिवसीय माइपूल तैयार किया जाए ताकि सभी संबंधितों को समान प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। इसके साथ ही उचित पठनीय सामग्री तैयार किए जाने की जरूरत जिसमें दूसरे

1	2
	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ–साथ दूसरे देशों से गुमशुदा बच्चों के बारे में अच्छी प्रक्रियायें शामिल की जाएं।
14.	**जरूरतमंद और देखभाल करने के लिए बच्चों का बचाव** : "भाग गए बच्चों", "परित्यक्त बच्चों", "तिरस्कृत बच्चों" और ऐसे "सुभेद्य बच्चों" की पहचान किये जाने की जरूरत है जिन्हें उन स्थानों के आस–पास घूमते हुए पाया जाता है जो गंदे और शोषण वाले स्थानों के रूप में जाने जाते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, यातायात जंक्शन आदि। सहायक आधारभूत ढांचे–परिवार अथवा, की कमी के कारण उनकी सुभेद्यता बढ़ जाती है। उचित पहचान, देखभाल का प्रावधान और समर्थन तथा "सुरक्षित स्थान" उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। ये वे बच्चे हैं तो जे जे अधिनियम में आते हैं और जिनकी देखभाल किए जाने और जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है तथा जिसे उन्हें दिया जाना चाहिए। उन्हें सी डब्ल्यू सी के समक्ष प्रस्तुत कर और संबंधित गृहों में उचित देखभाल कर इसे प्राप्त किया जा सकता हैं यदि सरकारी गृह उपलब्ध न हों तो ऐसे गृह स्थापित करने के लिए सरकारी एजेंसियों को उपयुक्त एन जी ओ की सहायता करनी चाहिए। राज्य सरकारों को कहा जाना चाहिए कि वे ऐसे एन जी ओ को तत्काल अधिसूचित करें ताकि वे अविलम्ब कार्य कर सकें। राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एन जी ओ द्वारा आवेदन किए जाने की तारीख से एक माह की समय–सीमा के अंदर ऐसी अधिसूचनाएं कर दें।
15.	**बच्चों के लिए पहचान पत्र** : स्थानीय प्रशासन को विद्यालयों को इस आशय की सहायता प्रदान करनी चाहिए कि वे अपने बच्चों, विशेष रूप से उन बच्चों जिनका पता नही लगाया जा सका या जो विद्यालय छोड़ कर चले गए हैं, पर नजर रख सकें। विद्यालयों और पुराने शिक्षण संस्थानों को बच्चों के लिए फोटो पहचान पत्र शुरू करने चाहिए ताकि उनका पता लगाया जा सके। पहचान विवरण के साथ ऐसे सभी फोटो पहचान पत्र तैयार किये जाने चाहिए और तत्काल डाटा बेस विकसित किया जाना चाहिए। इस बारे में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार को पहल करनी चाहिए। विद्यालयों को जरूरत पड़ने पर बच्चों को उनके अधिकारों, कानून शक्तियों और सुरक्षा तंत्र के बारे में सशक्तिकरण के कार्यक्रम चलाने चाहिए।
16.	**गरीबी उन्मूलन उपाय** : यह बात मानी गई है कि गरीबी एक ऐसा कारक है जिसके कारण बच्चे खराब दिशा की ओर जाने के लिए बाध्य होते हैं और उनका शोषण किया जाता है। केन्द्र और राज्य, सरकारों ने ऐसी कई योजनायें शुरु की हैं जिन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित किया जाना है और जिनका उद्देश्य गरीब और साधनहीन लोगों को रोजगार प्रदान करना है और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। ये सभी कार्यक्रम, विशेष रूप से बाल कल्याण से संबंधित कार्यक्रम, अंत्योदय दृष्टिकोण अपना कर ग्राम सभा स्तर पर उचित ढंग से तैयार किए जाने चाहिए।

1	2
	मध्यान्ह भोजन स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण आदि जैसी स्कीमों पर उचित ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि इष्टतम परिणाम प्राप्त किये जा सकें। मानवाधिकार दृष्टिकोण से गरीबी उन्मूलन के इन कार्यक्रमों का उचित कार्यान्वयन किये जाने की जरूरत है। यदि सरकार की सभी स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है तो उपयुक्त रूप से यह अपेक्षा की जा सकती है कि शोषण, जो अक्सर होता है, का मुकाबला करने के लिए सुभेद्य वर्ग सशक्त बन जाएंगे।
17.	**राज्य आयोगों की भूमिका :** गुमशुदा बच्चों के मुद्दे के संबंध में राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य/केन्द्र महिला आयोग आदि को शामिल किए जाने की जरूरत है। इन निकायों की अपने–अपने क्षेत्राधिकारों में ऐसे मुद्दों को उपयुक्त ढंग से हल करने के लिए सभी स्टेकहोल्डरों पर अत्यधिक प्रभाव होता है।
18.	**मीडिया की भूमिका :** वर्तमान भयंकर स्थिति के मद्देनजर, मीडिया, गुमशुदा बच्चों के बारे में जानता में जागरूकता बढ़ाने और उन हजारों दुखी परिवारों की दयनीय स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जिनके बच्चों का नाम पता न लगाए गए गुमशुदा बच्चों की सूची में है। इसे निम्नलिखित के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है।
*	समाचार कक्ष स्तर पर क्राइम रिपोर्टरों और मैट्रो एडिटरों को गुमशुदा बच्चों की श्रेणी को नियमित बीट और अपने दैनिक समाचारों के भाग के रूप में शामिल किए जाने की जरूरत है।
*	इन समाचारों की अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने और हत्या मानव के अवैध व्यापार आदि जैसे अन्य समाचारों के समान ही इनका भी नियमित रूप से पता लगाए जाने की जरूरत है। खो गया और पाया श्रृंखला शुरु की जानी चाहिए। पता लगाए गए/घर लौट आए गुमशुदा बच्चों के मामलों को "अच्छे" समाचारों के रूप में माना जाना चाहिए जिससे पुलिस/स्थानीय प्राधिकारी अपनी कार्रवाई तेज करने के प्रति उत्साहित होंगे।
*	गुमशुदा बच्चों की निरंतर दुखद स्थिति को मानवाधिकार दिवस, बाल दिवस आदि जैसे अवसरों पर व्यापक स्टोरी पिक्चर में दर्शाया जाना चाहिए।
*	समाचार पत्र, गुमशुदा बच्चों के संबंध में अपने वर्गीकृत भाग के एक पृथक भाग बना सकते हैं। गुमशुदा बच्चों से संबंधित नोटिसों और विज्ञापनों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित किए जाने की जरूरत है और समाचार पत्रों तथा टी वी बुलेटनों में और अधिक प्रमुखता और स्थान दिए जाने की जरूरत है।
*	जिस प्रकार कुछ समाचारपत्र, आतंकवाद के पीड़ितों आदि के बारे में दैनिक/साप्ताहिक अंक निकालते हैं उसी प्रकार शहर/देश में गुमशुदा बच्चों के बारे में नया अंक शुरु किया जा सकता है।

1	2
*	स्थानीय समाचारों पर जोर देते हुए समाचार पत्र या टीवी चैनल या तो पुलिस या स्थानीय एन जी ओ के साथ, जिन्होंने गुमशुदा बच्चों से संबंधित घोषणाओं और विज्ञापनों पर कोई प्रभार लिए बगैर मुद्रण के क्षेत्र में कार्य किया हो, के साथ मिलकर यह व्यवस्था कर सकते हैं।
*	गुमशुदा बच्चों की कहानी, दैनिक अपराध शो में भी दिखाई जानी चाहिए। इसे कई टी वी चैनलों ने शुरू कर दिया है। जिस प्रकार वैश्यावृत्ति, मानव अंगों की तस्करी आदि की जांच–पड़ताल की जाती है और उसी प्रकार उन मामलों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए कि किस प्रकार गुमशुदा बच्चे, वैश्यालयों या फैक्ट्रियों में पहुंच जाते हैं। हल किए गए मामलों को भी दर्शाया जा सकता है या उन मामलों को दर्शाया जा सकता है कि किस प्रकार बच्चों को अवैध रूप से सीमा पार भेजा जाता है। यदि जरुरत हो तो पहचान छिपाई जा सकती है।
*	मीडिया यूनियन, महिला प्रेस कार्प्स और इसी के अन्य मीडियासंगठन, इस विषय पर सेमिनार और संगोष्ठी आयोजित करने के लिए बच्चों के अधिकारों के मुद्दों पर एन एच आर सी और अन्य एन जी ओ जैसी एजेंसियों के साथ सहयोग कर सकते हैं।
19.	**अवैध व्यापार के पारगमन केन्द्रों पर ध्यान देना :** रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और ऐसे अन्य स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है जो घर से भागे बच्चें या घर से भागने पर मजबूर किए गए बच्चों सहित गुमशुदा बच्चों के पारगमन के रूप में कार्य करते हैं। इस संदर्भ में सरकारी रेलवे पुलिस, रेलवे संरक्षण बल, हवाई अड्डे और पत्तन प्राधिकारियों को गुमशुदा बच्चों के बारे में जागरूक बनाने की जरूरत है।
20.	**सीमा पार के गुमशुदा बच्चे :** यह संदिग्ध क्षेत्र है जिसका हल नहीं निकाला जाता है। यह सूचित किया गया है कि जिन कई विदेशी बच्चों को, जिन्हें अवैध रूप से भारत में लाया गया है, अवैध आप्रवासी के रूप में दंडित किया गया है और वे यहां दुख भोगते हैं। एन एच आर सी, राज्य सरकारों से सिफारिश करती है कि वे ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करें और ऐसे सभी बच्चों को राहत प्रदान करें क्योंकि अवैध रूप से भारत आए सभी बच्चों की, चाहे उनकी राष्ट्रिकता कुछ भी हो, देखभाल किए जाने और उन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत होती है। यह पता चला है कि यू एन ओ डी सी, मानव के अवैध व्यापार विरोध अपनी परियोजना में अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है। इस संबंध में महिला और बाल विकास विभाग, एन एन ओ डी सी की तकनीकी सहायता का उपयोग कर सकता है और इस विषय पर एम ई ए के साथ निकट समन्वय करके प्रोटोकाल विकसित कर सकता है। परियोजना समन्वयक, यू एन ओ डी सी अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है।

1	2
21.	**सर्वेक्षण और अनुसंधान :** गुमशुदा बच्चों का संसार अज्ञात होता है और इस मुद्दे का उचित अध्ययन या अनुसंधान नहीं किया गया है। आज भी गुमशुदा या पता लगाए गए बच्चों के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है। वर्तमान विधायन में राज्य और जिला प्राधिकरणों के लिए यह अपेक्षित है कि वे उन स्थानों का आवधिक निरीक्षण/सर्वेक्षण करें जहां बच्चों को रोजगार दिया गया हो ताकि गुमशुदा बच्चों और बंधुवा मजदूर/बाल मजदूरी में लगे बच्चों का पता लगाया जा सके। यह कार्य कम प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है। राज्य प्रशासन द्वारा उन स्थानों का, विशेष रूप से वे स्थान जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे बच्चों के लिए सुभेद्य है, माइक्रो अध्ययन किए जाने की जरूरत है। सभी बच्चों का जो गुम हो गए हैं या यहां तक कि जिनका पता लगा लिया गया है, समस्या के वास्तविक आयाम को समझने के लिए तत्काल ग्राम–वार सर्वेक्षण किए जाने की जरूरत है। बच्चों की सुभेद्यता के पीछे के विभिन्न कारकों का शिक्षण संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययनों को सही दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से सिफारिश की जाती है।

असंगठित स्टोर

3361. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ब्रांडेड चेनों के प्रवेश के कारण असंगठित स्टोरों के लाभ में कमी का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छोटे विक्रेताओं ने कम होते लाभ के कारण कर्मचारियों में कमी कर दी है; और

(घ) छोटे खुदरा विक्रेताओं के हित की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद (आई.सी.आर.आई.ई.आर.) के माध्यम से असंगठित खुदरा व्यापार पर संगठित रिटेलिंग के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन शुरू कराया है। अध्ययन के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सरकार ने भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई) के विकास संयोजनों पर, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) को भी एक अध्ययन शुरू करने को कहा है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रभाव पर केन्द्रित होगा। इन संगठनों द्वारा अंतिम रिपोर्टें अभी पेश की जानी हैं।

विवरण

संख्याः 12 (47)/2006-एफ.सी.
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
(एफ.सी.अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च, 2007

सेवा में,

निदेशक और मुख्य कार्यकारी,
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद
(आई.सी.आर.आई.ई.आर)
कोर–6 ए, चौथा तल,
इंडिया हैबिटेट सेन्टर,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

विषयः असंगठित खुदरा क्षेत्र पर रिटेलिंग का प्रभाव-आई.सी.आर.आई.ई.आर. द्वारा किया गया अध्ययन।

महोदय,

मुझे **असंगठित खुदरा क्षेत्र पर संगठित रिटेलिंग का प्रभाव** विषय के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद को अध्ययन कार्य सौंपे जाने के लिए भारत सरकार की मंजूरी की सूचना देने का निदेश हुआ है।

अध्ययन के उद्देश्य

2. हाल के वर्षों में देश में संगठित रिटेलिंग क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है और भविष्य में और ज्यादा वृद्धि का अनुमान है। प्रमुख औद्योगिक घराने इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और भविष्य की अपनी विस्तार योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं। ट्रांसनेशनल कारपोरेशन भी भारत में आने और भारत की बड़ी कंपनियों के सहयोग से खुदरा श्रृंखला स्थापित करने की इच्छुक हैं। देश में संगठित खुदरा क्षेत्र में विकास के प्रभाव पर अलग–अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। ये चिन्ताएं उठाई गई हैं कि संगठित रिटेलिंग के विकास का असंगठित क्षेत्र के खुदरा व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है यह भी तर्क दिया गया है कि संगठित रिटेलिंग के विकास से मध्यवर्ती चरणों में कार्य–कुशलता हासिल होगी जिससे उत्पादकों (किसानों या छोटे उत्पादकों सहित) को ज्यादा मूल्य या बाजारों तक पहुंच अथवा उपभोक्ताओं को कम कीमतें मिल सकेंगी। ऐसे परिवर्तनों में सामंजस्य लाने के लिए भारत में संगठित रिटेलिंग के संभावित प्रभावों पर एक गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन जरूरी है।

विचारार्थ विषय

3. अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर बढ़ते हुए संगठित खुदरा व्यापार के प्रभाव का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आई.सी.आई.ई.आई.

को निम्नलिखित विषयों पर केन्द्रित संगठित खुदरा व्यापार पर अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया है:–

(i) पूरे बाजार में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए असंगठित क्षेत्र में छोटे खुदरा व्यापारियों एवं विक्रेताओं पर प्रभाव।

(ii) रोजगार पर प्रभाव।

(iii) उपभोक्ताओं पर प्रभाव।

(iv) किसानों एवं विनिर्माताओं पर प्रभाव।

(v) मूल्यों पर प्रभाव।

(vi) आर्थिक वृद्धि पर समग्र प्रभाव।

अगले वर्ष में 7–10 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि के परिप्रेक्षय में तथा अन्य तेजी से वृद्धि के साथ उभर रहीं बाजार अर्थव्यवस्थाओं में कार्यपद्धति के मद्देनजर आई.सी.आर.आई.ई.आर. उपर्युक्त का विश्लेषण करेगा।

कार्य-पद्धति

4. आई.सी.आर.आई.ई.आर. के अध्ययन में निम्नलिखित शामिल होंगे:–

* मौजूदा अध्ययनों का लिटरेचर सर्वेक्षण।
* स्थापित खुदरा व्यापार श्रृंखलाओं का 4–5 वृत्त (केस) अध्ययन।
* संगठित खुदरा व्यापार के मुख्य विनिर्माताओं तथा किसानों के संगठन सहित उत्पादकों के साक्षात्कार।
* असंगठित खुदरा व्यापारियों, जिसमें विशेषकर संगठित खुदरा दुकानों के आस–पास के विक्रेता भी शामिल हैं, का प्रश्नावली–आधारित सर्वेक्षण।
* संगठित खुदरा आउटलेटों के आस–पास उपभेक्ताओं का प्रश्नावली–आधारित सर्वेक्षण।

समय सीमा

5. अध्ययन निम्नानुसार समयबद्ध रूप से होना प्रस्तावित है:–

1. शुरूआत	1 मार्च
2. लिटरेचर सर्वेक्षण तथा प्रश्नावली डिजाईन	30 मार्च
3. पायलट सर्वेक्षण	1–15 अप्रैल
4. समीक्षा कार्यशाला–1	30 अप्रैल
5. सर्वेक्षण	1 मई - 15 जून
6. अंतरिम रिपोर्ट	30 जून
7. समीक्षा कार्यशाला–2	7 जुलाई
8. अंतिम रिपोर्ट	15 जुलाई

बजट

6. सरकार ने उपर्युक्त अध्ययन हेतु 59.80 लाख रूपये की राशि के बजट को अनुमोदित किया है, इस राशि का वहन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा किया जाएगा।

7. यह आईएफ विंग की सहमति से उनकी डायरी संख्या 4160/अ.स.एवं वि.स. दिनांक 1.3.2007 के माध्यम से जारी किया जाता है।

भवदीय,
हस्ता/–
(प्रमिला राजशेखरन)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स 23062327

[हिन्दी]

"पदम अवार्ड"

3362. श्री इलियास आजमी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष "पदम अवार्ड" देने के लिए किन–किन व्यक्तियों का चयन किया गया है और वे किन पदों पर आसीन हैं; और

(ख) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिसके नामों पर विचार किया गया था और अन्ततः "पदम अवार्ड" से किन–किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) गणतंत्र दिवस 2008 की पूर्व संध्या को घोषित पदम पुरस्कारों के लिए जिन व्यक्तियों के नामों पर विचार किया गया उसकी सूची संलग्न विवरण । में दी गई है। अन पुरस्कारों के लिए 119 व्यक्तियों का चयन किया गया था। उनके कार्य क्षेत्र और राज्य/गृह राज्य के साथ उनके नाम संलग्न विवरण –II में दिए गए हैं। पुरस्कार अलंकरण समारोह अगले माह आयोजित किया जाएगा।

विवरण-I

क्र. सं.	नाम
1	2
1.	श्री एस. करुपैया अचारी "सतपती"
2.	श्री टॉम आल्टर
3.	डा. इन्दु प्रकाश ऐरों
4.	श्री कारुगनाहली सुब्बरैया अवस्थानारायण
5.	डा. (श्रीमती) प्रभा अतरी
6.	श्री आर. कुपन्ना भगावतार
7.	श्री येनगी बलप्पा
8.	श्रीमती ऊषा बाई बारले
9.	श्री एच.जी. बसावनचार
10.	स्वामी जी.सी.डी. भारती
11.	श्रीमती श्यामला जी. भावे
12.	सुश्री आशा भोसले
13.	श्री रमेश बिष्ट
14.	श्रीमती इंदिरा पी.पी. बोरा
15.	श्रीमती सिकिल माला चन्द्रशेखर
16.	डा. चतुर्भुज
17.	पंडित देवव्रत (देबू) चौधरी
18.	पंडित स्वपन चौधरी
19.	सुश्री मीनाक्षी चितरंजन
20.	श्री प्रशांत पुरुषोत्तम दामले
21.	श्री जतिन दास
22.	श्री अमित्व दासगुप्ता
23.	उस्ताद आशीष खान देवशर्मा
24.	डा. रामचन्द्र अनंत देखने
25.	श्रीमती चुंगखम रानी देवी
26.	श्रीमती ईलम इंदिरा देवी
27.	श्रीमती क्षेत्रीमयूम ओंगबी तुरानीसबी देवी
28.	श्री त्रिरुपमन्नम राजू डांडापानी
29.	श्री के.एन. दिवाकर मरार उर्फ सदानाम दिवाकरण
30.	श्रीमती माधुरी दीक्षित
31.	श्री प्रकाश एन. दुबे
32.	श्रीमती गोदावरी दत्त
33.	श्री राजेन्द्र विट्ठलराव गायकवाड़
34.	पंडित (डा.) पुट्टुराज कवी गवई
35.	श्री यरुन साहू गोमांगो
36.	श्रीमती पद्मजा गोमातम उर्फ पद्मा सम्पत कुमारन
37.	डा. मनोज कुमार गोस्वामी
38.	श्री निरंजन गोस्वामी
39.	सुश्री सुमित्रा गुहा
40.	श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता
41.	श्री गणेष हलोई
42.	श्री हंस राज हंस
43.	श्री सुकुमार हवोबम
44.	सुश्री तबस्सुम हाशमी उर्फ तब्बू
45.	सुश्री सुनयना हजारीलाल
46.	स्वर्गीय श्री सुरेन्द्र नाथ जेना
47.	सुश्री कमलिनी
48.	प्रो. भावराजू कमेश
49.	श्री पंकज कपूर
50.	पंडित ओ.पी. कपूर

1	2
51.	पंडित प्रभाकर करेकर
52.	उस्ताद अकील अहमद खान
53.	उस्ताद असद अली खान
54.	उस्ताद मोइनुद्दीन खान
55.	स्वर्गीय डा. एस.के. करीम खान
56.	उस्ताद शफी अहमद खान
57.	उस्ताद शमीम अहमद खान
58.	उस्ताद शेर खान
59.	स्वर्गीय उस्ताद बहादुर खान
60.	श्री बी. आर. खेडकर
61.	श्री लेबूरू कृष्णानैया
62.	श्री नटराज कृष्णामूर्ति
63.	डा. सुब्रमणयम कृष्णास्वामी
64.	सुश्री जी. सरला कुमारी
65.	श्रीमती कुमुदिनी लखिया
66.	सुश्री गीतांजलि लाल
67.	श्रीमती सी. ललिता
68.	श्री हयात मोहम्मद लंगा
69.	श्रीमती गीता महालिक
70.	पंडित गोकुलोत्सवजी महाराज
71.	पंडित विकास महाराज "शंकर"
72.	श्री सईद मंजूरूद्दीन
73.	सुश्री पीनाज मसानी
74.	श्री तैयब मेहता
75.	पंडित श्याम दास मिश्रा
76.	श्री मंगला प्रसाद मोहंती

1	2
77.	श्री घनश्याम महापात्र
78.	श्री अनिल जगन्नाथ मोहिले
79.	श्रीमती माधवी मुद्गल
80.	श्री प्रणब मुखर्जी
81.	श्री घट्टमनेनी शिवराम कृष्णा मूर्ति
82.	श्री नेदुनूरी कृष्णा मूर्ति
83.	श्रीमती आर. नागरत्नम्मा
84.	पंडित रघुनाथ नकोडा
85.	सुश्री नलिनी
86.	श्री नितिन कुमार नंद
87.	डा. (श्रीमती) मंजुला लुस्ती नरसिहमन
88.	सुश्री शोभना नारायण
89.	स्वर्गीय श्री कलोनगोडे विश्वनाथ नारायणस्वामी
90.	स्वर्गीय श्री ओंकार प्रसाद नय्यर
91.	श्री नरेन्द्र सिंह नेगी
92.	श्री जॉन मार्टिन नेलसन
93.	श्री गुलाम सबीर निजामी
94.	श्री गुलाम वारिस निजामी
95.	डा. (सुश्री) के. ओमनाकुट्टी
96.	सुश्री अनुराधा पाल
97.	श्री राकेश पांडे
98.	श्री सुदर्शन पट्टनायक
99.	पंडित यश पाल
100.	मि. गेन्नाडी मिखाइलोविच पेचिंकोव
101.	पंडित अजय पोहंकर
102.	श्री जयराम पोत्दार

1	2
103.	श्री गेद्डाबाबू राजेन्द्र प्रसाद
104.	डा. (श्रीमती) अलेख्या पुंजला
105.	डा. (सुश्री) संध्या वीरसिंह पुरेचा
106.	प्रो. (श्रीमती) सुधारानी रघुपति
107.	श्री भूतपंडी रमन राजगोपालन
108.	श्रीमती इंदिरा राजन
109.	श्री पापनासम अशोक रमानी
110.	श्री अन्नावरपू रामास्वामी
111.	श्री एन.पी. रामास्वामी
112.	श्रीमती फूलन रानी
113.	श्री गेडेला अप्पा राव
114.	प्रो. कोंडापली शेषागिरी राव
115.	श्रीमती वनश्री राव
116.	प्रो. येला वेंकटेश्वर राव
117.	डा. बी.ए. रेड्डी
118.	श्री सुदर्शन साहू
119.	सुश्री अरुणा साईराम
120.	पंडित प्रभुदेव सरदार
121.	श्री भगवतुला यज्ञ नारायण शर्मा
122.	श्री इन्द्रेश्वर शर्मा
123.	श्रीमती सी. सरोजा
124.	डा. आर. सत्नारायण
125.	प्रो. (डा.) नुकल चिन्ना सत्यनारायण
126.	डा. सविन्द्र सावरकर
127.	श्री अमरनाथ सहगल
128.	सुश्री स्वाति सेन

1	2
129.	जादूगर सम्राट शंकर
130.	श्री भंवरलाल गिरधारीलाल शर्मा
131.	श्री गुरुमयूम गौराकिशोर शर्मा
132.	श्री ककचिंगचट्टबम बीरहरी शर्मा
133.	पंडित लालू प्रसाद शर्मा
134.	श्री रवि शंकर शर्मा उर्फ रवि
135.	श्री गुरशरण सिंह
136.	श्री लीमापोक्कम लक्षपति सिंह
137.	श्री टोडीनगंजम तोम्बी सिंह
138.	श्री राजकुमार सिंहजीत सिंह
139.	प्रो. बिठोर राम मनोहर सिन्हा
140.	श्री कुलदीप सिन्हा
141.	डा. सिरकाजी जी. शिवचिदम्बरम
142.	श्री आनंदन शिवमणि
143.	श्री ऊमायलपुरम के. शिवरमण
144.	सुश्री स्वाति सोमनाथ
145.	श्री रुद्रपटना कृष्णाशास्त्री श्रीकांतन
146.	डा. केसीराजू श्रीनिवास उर्फ गजल श्रीनिवास
147.	डा. वैद्यनाथन गणपति सतपती
148.	श्री सिंगोगा सुब्बना
149.	श्री वी.के. सुब्रमणयन
150.	डा. (सुश्री) सरस्वती सुंदरेशन
151.	पंडित गंगाधर राव तेलंग
152.	डा. बड़े ठाकुरजी
153.	श्री रतन धियाम
154.	पंडित विनायक टोरवी

1	2
155.	श्री के.वी. उदयाभानू
156.	श्री मनहर उधास
157.	श्री विट्ठल उमप
158.	श्री राकेश उपाध्याय
159.	श्री प्रकाश वर्मा
160.	मि. ए. विवेक
161.	श्री कांतीलाल गिरधारीलाल वोरा उर्फ के. लाल
162.	पंडित नरसिम्हालू वडावती
163.	श्री जवाहर वट्टल
164.	डा. पी.टी. अब्राहम
165.	श्री दलजीत सेन अदेल
166.	श्री जयकिशन अग्रवाल
167.	श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल
168.	डा. प्रताप नारायण अग्रवाल
169.	नवाब मोहम्मद अब्दुल अली अजीम जाह
170.	श्री डी. भास्कर बाबू
171.	डा. पलीमर जयारामा बगीलतैया
172.	श्री नंद किशोर बगरोदिया
173.	श्री लक्ष्मनदास दरयानोमल बजाज
174.	डा. (श्रीमती) रश्मी बाजपेयी
175.	स्वर्गीय मेज. जनरल रणबीर बक्शी
176.	डा. (सुश्री) शीला बरठाकुर
177.	श्री जगन्नाथ बावरी
178.	श्री अनिल भंडारी
179.	श्री ओंकार नाथ भार्गव
180.	श्रीमती सरला भार्गव

1	2
181.	श्री चिमनलाल रामप्रसादजी भारतीय
182.	सुश्री राधा भट्ट
183.	सिस्टर करुणा मेरी बरगंजा
184.	श्रीमती शांती देवी ब्राहमण
185.	श्री बापू भाउ चव्हाण
186.	सुश्री पूर्णिमा चिकरमणे
187.	डा. आशीष कांत बनर्जी चौधरी
188.	श्री सोनाराम चुटिया
189.	श्री मनजीत सिंह दहिया
190.	स्वामी हरीप्रसाद दासजी
191.	डा. हर्षद देसाई
192.	श्री बाबूराव अब्बासाहेब धारवडे
193.	डा. डी.जी.एस. दिनकरण
194.	श्री नामला पॉल दिवाकर
195.	श्री प्रख्यात कुमार दोहरा
196.	श्री अरदेशीर बी.के. डबास
197.	श्री हेम दत्ता
198.	श्री दयानेश्वर भीमजी गवाडे
199.	श्री प्रकाश गेडम
200.	श्रीमती स्वराज्यलता गोयल
201.	श्री वी.आर. गौरीशंकर
202.	श्री बृजेश गुप्ता
203.	श्री रामकृष्ण गुप्ता
204.	श्री शंकरलाल मोहनलाल गुरू
205.	श्री युनूस यशी हंस
206.	श्रीमती रोहिणी देवी हरिश्चंद्रेश्वर

1	2
207.	सुश्री सेहबा हुसैन
208.	श्री मोहन लाल जैन
209.	श्री नथमल सुगलचंद जैन
210.	श्री निर्मल कुमार जैन
211.	डा. नारायण हरी जीवराजका
212.	श्री जी. भीमेश्वर जोशी
213.	श्री युसुफाली मुस्सालीमवीदिल अब्दुल कादर
214.	डा. सुनील कपूर
215.	डा. (सुश्री) इन्द्रजीत कौर
216.	श्री प्रभाकर काशीनाथ कुंटे
217.	प्रो. बंगलौर टी. लक्ष्मण
218.	मि. डेमिनक लेपियर
219.	प्रो. श्याम सुन्दर महेश्वरी
220.	श्री राजा राम मल्होत्रा
221.	डा. संजीव मलिक
222.	स्वर्गीय श्री दशरथ मांझी
223.	श्री थरईलथू कौशी मैथ्यू
224.	श्री गौतम मजुमदार
225.	डा. (सुश्री) के. मीना
226.	श्री पुतन नवुवकट चेंगाराकश मेनन
227.	श्री हरीश एल. मेथा
228.	डा. दिनेश मिश्रा
229.	श्री प्रदीप मित्तल
230.	सुश्री रेखा मोदी
231.	श्रीमती अन्नापूर्णा मोहरन
232.	श्रीमती विमला मोहता

1	2
233.	डा. जी. मुनीरतनम
234.	सुश्री लक्ष्मी नारायण
235.	श्री ए.के. नेहरू
236.	श्री ऊमा शंकर पांडे
237.	श्री निरंजन प्राणशंकर पांड्या
238.	श्री रविन्द्रन मृत्युंजय पानिकर
239.	श्री महानंद हरीभाऊ पट्टावने
240.	डा. (सुश्री) श्यामला पप्पू
241.	डा. सुधीर एम. पारीख
242.	श्री अनंतराव पास्ते
243.	श्री अशोक प्रेमजी पटेल
244.	डा. दयानादेव यशवंतराव पाटील
245.	डा. अतुल प्रमोदचन्द्र पाठकजी
246.	डा. ए. राधाकृष्ण राजू
247.	श्री एस. राममूर्ति
248.	रेव. पी.सी. योहनन रामवन
249.	श्री आर. रंगाराजन
250.	श्री कोलपल्ली शेषगिरी राव
251.	डा. कुट्टीपल्ला सूर्या राव
252.	श्री सरील आर. रफेल
253.	श्री बंसीलाल राठी
254.	डा. जोगेन्द्र चन्द्र राउत
255.	श्री अच्युतानंद सामंत
256.	डा. हरदास सिंह संधू
257.	श्री महावीरप्रसाद घनश्यामदास सर्राफ
258.	श्री सुरेश छगनलाल शाह

1	2
259.	डा. विजयकुमार एस. शाह
260.	डा. विनोद शाह
261.	डा. परमानंद शर्मा
262.	सुश्री वीना के. सिनोय उर्फ वीणाधारी
263.	श्री रमेश प्रसाद श्रीवास्तव
264.	श्री दयाल सिंह
265.	सुश्री अभिलाशा सिंघवी
266.	डा. (सुश्री) बोंगकोट सित्तीपोल
267.	श्री डमल कंडाडी श्रीनिवासन
268.	श्री चन्द्र मोहन श्रीवास्तव
269.	श्री गुरु स्वरूप श्रीवास्तव
270.	सुश्री एस.जी. सुशीलम्मा
271.	श्री भाउसाहेब संतुजी थोरट
272.	श्री कन्हैया त्रिपाठी
273.	श्रीमती शांता त्रिवेदी
274.	डा. (श्रीमती) सरोजिनी वरडाप्पन
275.	श्री कृपा शंकर वार्ष्णेय
276.	श्रीमती मंगला वागले
277.	श्री वी.ई. वालंग
278.	श्रीमती पुलवसन बाई यादव
279.	न्यायमूर्ति (डा.) आदर्श सेन आनंद
280.	श्री तलारी अनंत बाबू
281.	श्री संतन बड़ण्डाल
282.	प्रो. (सुश्री) लिया डिसकिन
283.	स्वर्गीय श्री बनारसी दास गुप्ता
284.	श्री परसरन कोसवा अयंगार
285.	स्वर्गीय श्री भीखू राम जैन
286.	श्री ललित प्रसाद नैथानी
287.	श्री उज्जवल देयोराव निकम
288.	श्री अन्नासाहेब पुरुषोत्तम कालू पाटील
289.	श्री राजेन्द्र नारायण पाटील
290.	श्री आर.एन. रंगप्पा
291.	श्री निरंजन सम्बलभाई शाह
292.	न्यायमूर्ति गुरु प्रसन्ना सिंह
293.	न्यायमूर्ति सुश्री सबीता सिंह
294.	मि. यूली मिखाइलविच वोरांत्सोव
295.	श्री विट्ठलराव कृष्णाराव यालगी
296.	डा. आनंद स्वरूप आर्य
297.	डा. आर.पी. बाजपेयी
298.	प्रो. अमलेन्दू बंद्योपाध्याय
299.	श्री एम.आर. बसरापांडियन
300.	श्री जय रतन मल्ला
301.	डा. महाराज कृष्ण भान
302.	श्री ए. रामनैया भास्करनारायण
303.	डा. सुरेन्द्र सिंह भट्टी
304.	डा. कृष्ण लाल चड्ढा
305.	श्री अमल कुमार चक्रवर्ती
306.	श्री अविनाश चन्द्र
307.	डा. एच. चन्द्रशेखर
308.	प्रो (डा.) वीरेन्द्र सिंह चौहान
309.	प्रो. कस्तूरी लाल चोपड़ा
310.	प्रो. नरेश दधीचि

1	2
311.	डा. सती प्रसन्ना दस्ताकुर
312.	प्रो. अशीश दत्ता
313.	प्रो. सुखदेव
314.	प्रो. संजय गोविन्द ढांडे
315.	डा. कजा पूर्ण चन्द्र गांधी
316.	श्री मनोहरमयूम गीतचन्द्र शर्मा
317.	प्रो. मनपुरुथु वी. जार्ज
318.	डा. मृनाल कांती घोष
319.	श्री मुथुकुमारस्वामी गोविन्दराजन
320.	मि. असगत गिलियामिनाविच गुमरोव
321.	डा. जोसफ एच. हुल्से
322.	डा. श्रेयंस कुमार जैन
323.	श्री बलाक राम कल्ता
324.	डा. कलिता कमलेश्वर
325.	हाजी कलीम उल्ला खान
326.	डा. रघबीर सिंह खडपुर
327.	डा. सत्येन्द्र मोहन पॉल खुराना
328.	डा. मोतीलाल मदन
329.	प्रो. अशोक मिश्रा
330.	डा. शिव बालक मिश्रा
331.	प्रो. ए. मोहनकृष्णन
332.	प्रो. (डा.) चन्द्राथील गोविन्दन रामचन्द्रन नायर
333.	श्री एन. नारायणमूर्ति
334.	डा. रंगनाथ नवलगुंड
335.	प्रो. (डा.) शंकर कुमार पाल
336.	डा. देवी दत्त पंत

1	2
337.	श्री निलाम्बर पंत
338.	डा. सईद जहूर कासिम
339.	डा. कुप्पीलील राधाकृष्णन
340.	प्रो. वल्लभनैनी सीता रामा दास
341.	प्रो. एम.आर. सत्यानारायण राव
342.	डा. मंगीना वेंकटस्वर राव
343.	प्रो. ऊडीपी रामचन्द्र राव
344.	डा. भक्त बी. रथ
345.	डा. एस. रविचन्द्रन
346.	प्रो. अरजुला रामचन्द्र रेड्डी
347.	श्री पर्वतरेड्डी रविन्द्र रेड्डी
348.	प्रो. (डा.) श्रीनिवासुला जयारामा रेड्डी
349.	श्री विजय प्रकाश शाह
350.	श्री सुशील सहाय
351.	डा. विनोद चन्द्र साहनी
352.	प्रो. (डा.) प्रेम स्वरूप सकलानी
353.	डा. विजय कुमार सारस्वत
354.	डा. पेडीभोतला गंगाधर शास्त्री
355.	डा. डुगीराला मोसेस रत्ना शेखर
356.	डा. विलियम सेल्वामूर्ति
357.	डा. एच.सी. शर्मा
358.	डा. वी. सिद्धार्थ
359.	डा. मोहम्मद कलीम जावेद सिद्दिकी
360.	डा. राजेन्द्र प्रसाद सिंह
361.	डा. राजेन्द्र कुमार सिंह
362.	प्रो. विकाश चन्द्र सिन्हा

1	2
363.	प्रो. (डा.) रनबीर चन्द्र सोबती
364.	श्री शिवारामकिचने सोमासागर
365.	प्रो. (डा.) अजय कुमार सूद
366.	डा. एम.आर. श्रीनिवासन
367.	डा. आलोक कुमार श्रीवास्तव
368.	डा. जी. सुन्दरराजन
369.	डा. मिरले के. सुरप्पा
370.	डा. रजनी कांत तिवारी
371.	डा. गणपति वेंकटारमन
372.	प्रो. मथुकुमाली विद्यासागर
373.	डा. होशाग्रहर चन्द्रशेखरैया विश्वेश्वरैया
374.	प्रो. (डा.) इंग. हेब्बालल्लू रामा राव विश्वनाथ
375.	प्रो. (डा.) गणपति दादासाहेब यादव
376.	श्री यालीस अकबराले
377.	श्री नरेन्द्रकुमार ए. बलदोता
378.	श्री स्वदेश चटर्जी
379.	श्री विश्वासराव दत्ताजीराव चौगुले
380.	श्री रामू सीताराम देवरा
381.	श्री अरुण फिरोदिया
382.	श्री ए.एम. गोपालन
383.	श्री सुभाष गोयल
384.	श्री आदेश सी. जैन
385.	श्री प्रदीप जैन
386.	श्री बाबा नीलकंठ कल्याणी
387.	श्री विट्ठल वेंकटेश कामत
388.	डा. विजय मल्होत्रा

1	2
389.	श्री केशब महिन्द्रा
390.	डा. अमित मित्रा
391.	श्री शिव नाडार
392.	श्री सुरेश कुमार नेवटिया
393.	श्री जगदीश पी. पटेल
394.	श्री ओधवजी रावजीभाई भलोदिया पटेल
395.	डा. एम.ए.एम. रामास्वामी
396.	श्री ए. शक्तिवेल
397.	श्री साहिब दयाल सक्सेना
398.	श्री प्रिय रंजन स्वरूप
399.	श्री मनोज जी. तिरोधकर
400.	डा. सुरेश एच. अडवाणी
401.	डा. अमर अग्रवाल
402.	प्रो. (डा.) सत्या पॉल अग्रवाल
403.	डा. भीम सैन अग्रवाल
404.	डा. एम. मोहन अल्वा
405.	डा. प्रेमानंद एम. अम्बाली
406.	प्रो. (डा.) एस. अनंतन
407.	डा. सुन्द्र नाडर अरुलराज
408.	डा. श्याम नारायण आर्या
409.	प्रो. (डा.) राजवर्धन आजाद
410.	डा. विनय कुमार बहल
411.	प्रो. जसबीर सिंह बजाज
412.	डा. दिगम्बर बेहरा
413.	डा. भारत भगत
414.	डा. टी.पी. राघव भारद्वाज

1	2
415.	प्रो. (डा.) दिनेश के. भार्गव
416.	डा. राजेन्द्रपाल सिंह बोपारिया
417.	डा. सी.एच. उमेश चन्द्र
418.	डा. मोहना वैम्सी चिगुरुपटी
419.	प्रो. (डा.) जगजीत सिंह चोपड़ा
420.	डा. गोपाल चरण दास
421.	डा. जॉन जी. देवधर
422.	प्रो. (डा.) तीरथ दास डोगरा
423.	डा. रसिकलाल प्रभुदास गांधी
424.	प्रो. निर्मल कुमार गांगुली
425.	प्रो. कोडागानूर एस. गोपीनाथ
426.	डा. अलमपुर साइबाबा गौड
427.	डा. मंगा शिवलिंगम गौड
428.	डा. कैकी ब्रह्मजी ग्रांट
429.	डा. अशोक कुमार ग्रोवर
430.	प्रो. (डा.) रनदीप गुलेरिया
431.	डा. अमोद गुप्ता
432.	डा. लक्ष्मी चन्द गुप्ता
433.	डा. पवन कुमार गुप्ता
434.	डा. विवेक गुप्ता
435.	डा. चित्तूर मोहम्मद हबीबुल्ला
436.	डा. अशोक हिशीकर
437.	डा. (श्रीमती) शणमुगम इंदिरा
438.	प्रो. (डा.) थिनूमगल पोलसे जैकब
439.	प्रो. एन.आर. जगन्नाथन
440.	डा. जगदीश जग्गी

1	2
441.	डा. राकेश कुमार जैन
442.	डा. महीपति माधवाचार्य जोशी
443.	प्रो. (डा.) शणमुगम कामेश्वरन
444.	प्रो. (डा.) कमलेश
445.	प्रो. (डा.) विनय कुमार कपूर
446.	प्रो. (डा.) प्रेमाशीष कार
447.	डा. बिनय करक
448.	डा. गुलशन राय खत्री
449.	प्रो. (डा.) मिलिंद वसंत कीर्तने
450.	डा. विजय कोहली
451.	डा. प्रकाश पी. कोतवाल
452.	डा. अजय कुमार
453.	डा. राज कुमार
454.	डा. एस.एन. कुरील
455.	डा. तात्याराव पुंडलीकराव लहाणे
456.	श्रीमती इमटीमोंगला इमटीला लंगथीलोंगर
457.	डा. टेक सिंह महंत
458.	डा. ए.के. महापात्र
459.	डा. के.एम. महेन्द्रनाथ
460.	डा. गणेष कुमार मणी
461.	डा. थिरुमलैया वेंकटू मरियप्पा
462.	डा. कैकी आर. मेहता
463.	डा. युगल किशोर मेहता
464.	प्रो. (डा.) महेश चन्द्र मिश्रा
465.	डा. सिद्दैया चिक्का मोगा
466.	डा. जे. हरीचंद्रन नायर

1	2
467.	डा. एस. नटराजन
468.	डा. वल्लापुरम सेन्नीमलई नटराजन
469.	डा. के.ए. अशोक पाई
470.	डा. चन्द्रकांत सम्भाजी पांडव
471.	डा. नरेन्द्र कुमार पांडे
472.	कर्नल (डा.) चन्द्र शेखर पंत
473.	डा. मोहन चन्द्र पंत
474.	डा. राधे श्याम पारीख
475.	प्रो. (डा.) कृष्ण मोहन पठी
476.	डा. रुक गैब्रियल वाइसमैन पिंटो
477.	प्रो. (डा.) सोरेबिट्टू रामानंद प्रभु
478.	डा. अब्दुल कयूम
479.	प्रो. (डा.) अर्जुनन राजशेखरन
480.	डा. पैडीपेडेगरी रंगानाथम
481.	डा. (श्रीमती) ए. पद्मा राव
482.	डा. बी. रमना राव
483.	डा. (सुश्री) कामिनी ए. राव
484.	प्रो. (सार्जे. काम.) डा. कासुनावैसू सुब्बा राव
485.	डा. गौरा किशोर रथ
486.	डा. पी.सी. रथ
487.	प्रो. (सुश्री) विजयलक्ष्मी रविन्द्रनाथ
488.	डा. डुवूरु नागेश्वर रेड्डी
489.	डा. एम. रामकृष्ण रेड्डी
490.	डा. पुष्पेन्द्रा नाथ रंजन
491.	डा. (श्रीमती) बलबीर कौर रीशम
492.	डा. बेलाबडी थिप्पस्वामी रुद्रेश
493.	डा. गुरुमुख संजनमल सैनानी
494.	डा. देवेन्द्र स्वरूप सक्सेना
495.	डा. कांतीलाल हस्तीमल संचेती
496.	डा. एस.पी. सरदेशमुख
497.	श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह सरकरी
498.	डा. अशोक सेठ
499.	डा. अतुल शाह
500.	डा. दिनेश्वर शर्मा
501.	डा. कमल नाथ शर्मा
502.	प्रो. (डा.) एम. पी. श्रीवास्तव
503.	डा. नौशीर एम श्राफ
504.	डा. ए. जयंता कुमार सिंह
505.	प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिंह
506.	डा. राजबीर सिंह
507.	डा. सत्य प्रकाश सिंह
508.	डा. अरविन्दर सिंह सोइन
509.	डा. के.एन. श्रीवास्तव
510.	डा. कैलाश प्रसाद श्रीवास्तव
511.	डा. (श्रीमती) एम.वी. पद्मा श्रीवास्तव
512.	डा. गंगापट्टनम सुब्रामणयम
513.	डा. अनिल बी. ताम्बे
514.	डा. राजीव टंडन
515.	डा. बिभूति भूषण त्रिपाठी
516.	डा. एच.एल. त्रिवेदी
517.	डा. सुशांत ऊमरे
518.	प्रो. (डा.) सी. ऊथंमरोयन वेलमुरुगेन्द्रन

1	2
519.	डा. कंडाला वेनू
520.	प्रो. (डा.) महेश वर्मा
521.	डा. एस. विट्ठल
522.	डा. जयकुमार तनसुखराम व्यास
523.	डा. रोहीदास मारुतिराव वाघमारे
524.	डा. नरेन्द्र नाथ विग
525.	डा. मुरार ई. येलूकर
526.	श्री बालासुब्रमणयम सिवंथी अदिथन
527.	प्रो. (डा.) के.एस. निसार अहमद
528.	श्री सुरेश गुंडु अमोनकर
529.	डा. वेल्लायानी अर्जुनन
530.	प्रो. मोइनुद्दीन
531.	डा. निरुपम बाजपेयी
532.	प्रो. अंजन कुमार बनर्जी
533.	डा. जोराम बेगी
534.	डा. मणी लाल भौमिक
535.	श्री मधुकर भावे
536.	प्रो. रमाकांत चक्रवर्ती
537.	प्रो. अमर नाथ चतुराज
538.	डा. (श्रीमती) श्यामा चोना
539.	प्रो. सत्यव्रत राय चौधरी
540.	सुश्री मेहर सेठना दादाभाई
541.	प्रो. (श्रीमती) पद्मा देसाई
542.	श्रीमती शशी देशपांडे
543.	डा. सुरेन्द्र दुबे
544.	डा. वीरेन्द्र कुमार दुबे

1	2
545.	डा. कपिल देव द्विवेदी
546.	श्री जगदीश गांधी
547.	श्री मानिक सीतारामपंत गोडघाटे उर्फ पोयट ग्रेस
548.	प्रो. राम प्रकाश गोयल
549.	श्री चामराजनागरा वेंकटाकृष्णैया गोपीनाथ
550.	डा. केशबा नंदा देवा गोस्वामी
551.	प्रो. (डा.) बृजेन्द्र नाथ गोस्वामी
552.	श्री रामचन्द्र गुहा
553.	श्री सूर्या कांता हजारिका
554.	श्री मोहम्मद इकरार हुसैन
555.	डा. नरेन्द्र दामोदर जाधव
556.	डा. पंचपकेस जयरमन
557.	श्री एच. कमलनाथ
558.	प्रो. चन्नवीर कानवी
559.	प्रो. कपिल कुमार
560.	श्री रविन्द्रा केलकर
561.	प्रो. (डा.) मोहम्मद इसरेल खान
562.	डा. आसीफ अहमद खान उर्फ असीफ बरेलवी
563.	श्री बलराम कोमल
564.	स्वर्गीय श्री सर्वनंद कौल "प्रेमी"
565.	डा. बद्रीराजू कृष्णामूर्ति
566.	डा. मधुर कृष्णामूर्ति
567.	श्री संतोष जार्ज कुलानगर
568.	डा. नरेश कुमार
569.	डा. रविन्द्र कुमार
570.	डा. कमल कुमार कुंडु

1	2
571.	डा. (श्रीमती) एम. लीलावती
572.	डा. देवानूरु महादेव
573.	श्रीमती गोल्डी मल्होत्रा
574.	डा. स्टलीन मल्होत्रा
575.	डा. विनय कुमार मालवीय
576.	श्री लक्ष्मन बापू माने
577.	प्रो. अगम प्रसाद माथुर
578.	प्रो. अमिताभ मट्टू
579.	श्री बब्बन प्रसाद मिश्रा
580.	डा. शरद कुमार मिश्रा
581.	श्री दयानेश्वर एम. मुले
582.	डा. गजानन शास्त्री मूसलगांवकर
583.	डा. एन. चन्द्रशेखर शास्त्री
584.	प्रो. हरी नरके
585.	सुश्री उदय तारा नायर
586.	श्रीमती प्राणनंदी निर्मला
587.	प्रो. टी.के. ओमेन
588.	डा. चन्द्रदेव पांडे
589.	डा. अशोक कुमार पांडे "गुलशन"
590.	डा. गंगाधर पंटवने
591.	प्रो. सत पॉल परासर
592.	श्री सर्बरंजन प्रया
593.	श्री सुरजीत पतर
594.	श्री भोलाभाई पटेल
595.	डा. रमेश पोखरियाल "निशंक"
596.	डा. अन्ने भवानी कोटेश्वर प्रसाद

1	2
597.	डा. वी.एस. सकंद प्रसाद
598.	श्री देवी प्रसाद "राही"
599.	डा. योगेश प्रवीण
600.	डा. पाटिल पुट्टप्पा
601.	श्री नरसिम्हन राम
602.	डा. एस. रामेगौडा
603.	श्री शरु एस. रंगेकर
604.	श्री कालीपट्टनम रामा राव
605.	डा. पुटुकोच्ची सम्बाशिवा राव
606.	श्री वंडारगी रामा राव "भावश्री"
607.	डा. ए. शंकर रेड्डी
608.	श्री राजदीप दिलीप सरदेशाई
609.	प्रो. (डा.) विनोद सेठी
610.	प्रो. मोहम्मद साफी
611.	प्रो. गुणवंत भूषणलाल शाह
612.	श्री कृपा शंकर शुक्ला
613.	पंडित भगीरथी नंदा शर्मा
614.	डा. हितेश कुमार शर्मा
615.	प्रो. राम कर्ण शर्मा
616.	श्री श्रीकांत शर्मा
617.	प्रो. फकीरराव मुंजाजी शिंदे
618.	डा. जी.एस. शिवरुद्दप्पा
619.	डा. जीवन शुक्ला
620.	श्री श्री लाल शुक्ला
621.	डा. अमर बहादुर सिंह
622.	डा. अमर ज्योति सिंह

1	2
623.	डा. अमर नाथ सिंह
624.	डा. महदीप सिंह
625.	श्री रणधीर सिंह
626.	श्री सतीश सोलंकी
627.	श्री रूप नाराण सोनकर
628.	हाजी मोहसिन अली सुहैल
629.	प्रो. (डा.) देवराकोंडा स्वामीनादन
630.	प्रो. जलीस अहमद खान तरीन
631.	डा. पजानोयिल चाकू थॉमस
632.	डा. शिवशंकर त्रिपाठी
633.	डा. श्रीनिवास उडगाटा
634.	श्री राधा कृष्ण उपाध्याय मधुबेले
635.	डा. श्रीनिवास एस.आर. वर्धन
636.	डा. ए.एम. वारे
637.	श्री कृष्णास्वामी वीरामणी
638.	प्रो. (डा.) एन. वेंकटाचर उर्फ भसयम स्वामी
639.	श्रीमती रूप रेखा वर्मा
640.	डा. अनिल विल्सन
641.	प्रो. जी. जियांनलिन
642.	डा. मोहम्मद जकी
643.	श्री पंकज आडवाणी
644.	मेजर (सेवानिवृत्त) जे.एस. अहलुवालिया
645.	श्री विश्वानाथन आनंद
646.	श्री प्रवीण बहल
647.	श्री अजीत बजाज
648.	श्री दिब्येन्दु बरुआ

1	2
649.	श्रीमती अंजली मंडेर भागवत
650.	श्री भाईचुंग भूटिया
651.	श्री अभिनव बिन्द्रा
652.	कुमारी सोमा विश्वास
653.	श्रीमती बुला चौधरी चक्रवर्ती
654.	श्री मूलचंद चौहान
655.	सुश्री चाबुंगम रामेश्वरी देवी
656.	सुश्री नेमईकम्पम कुंजारानी देवी
657.	सर एडमंड हिलेरी
658.	सुश्री गीतिका जाखड़
659.	श्री देवेन्द्र झाझरिया
660.	श्री अचंत सारथ कमल
661.	सुश्री ममता खरब
662.	श्री बलबीर सिंह खुल्लर
663.	श्रीमती सीता गुंसाई मेहता
664.	श्री यासीन मर्चेंट
665.	सुश्री रचिता मिस्त्री
666.	श्री जय दीप मुखर्जी
667.	श्री सरब चंदप नेगी
668.	श्री बी. अहसान पाशा उर्फ हिमालयन बाशा
669.	मेजर राजेश पट्टू
670.	सुश्री इंदु पुरी
671.	श्री जसपाल राणा
672.	सुश्री श्रद्धांजली समंतरी
673.	स्वर्गीय कप्तान रूप सिंह
674.	सुश्री एम. कोकिला सुधा

1	2
675.	श्री सचिन रमेश तेंदुलकर
676.	श्री प्रभाकर वैद्य
677.	श्री लव अग्रवाल
678.	श्री राम प्रकाश बगड़
679.	डा. उत्तपल के. बनर्जी
680.	श्री गोपाल चन्द्र भौमिक
681.	श्री गिल्ली नारायण लाल चेट्टी
682.	श्री कन्हैया लाल टी. गुलानी
683.	स्वर्गीय डा. मदन मोहन झा
684.	श्री सफदर एच. खान
685.	श्री सुधीर कुमार
686.	श्री एन.के. रघुपति
687.	डा. श्रीपुरुपू केशव राव
688.	श्री बी.एस. सोढ़ी
689.	डा. रघुनंदन सिंह टोलिया
690.	प्रो. ए. विद्यानाथन
691.	डा. एस. वेदरमन
692.	श्री हबीब अहमद
693.	डा. ईरच के. बरुचा
694.	श्री ललित कुमार जोशी
695.	श्री मेल्हिते केन्ये
696.	कमांडर (सेवानिवृत्त) कम्पाडाकुनेल स्टीफन मैथ्यू
697.	श्री गुलाम मोहम्मद मीर
698.	डा. शिरीष रामकृष्णा पुतमबेकर
699.	डा. कुशालसिंह पुरोहित
700.	श्री प्रकाश त्रिमुले अनंता रंगाचार

1	2
701.	डा. गोपाल सिंह रावत
702.	डा. जे.पी. सेमवाल
703.	श्री राजीव सेठी
704.	डा. राहुल शुक्ला
705.	श्री सेवंतीलाल शुक्ला
706.	श्री शिव वरण शुक्ला
707.	श्री जसदेव सिंह
708.	श्री राजवीर सिंह तोमर
709.	श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल
710.	श्री तफजुल अली
711.	श्रीमती अमल अल्लाना
712.	पंडित तीरथ राम आजाद
713.	श्रीमती शबाना आजमी
714.	डा. (श्रीमती) वैजयंतीमाला बाली
715.	सुश्री उत्तरा बोऊकर
716.	श्रीमती गुल बर्धन
717.	श्री राम लाल बरेथ
718.	श्री मधुर भंडारकर
719.	श्री गोविन्द भार्गव
720.	श्री भानु भारती
721.	श्रीमती रोहिणी भाटे
722.	श्रीमती शीला भाटिया
723.	डा. शोभा ब्रह्मा
724.	श्री मोजीखुल्लम कोच्चुकोट्टन चकयर
725.	श्री भास्कर चन्दवरकर
726.	प्रो. सी.वी. चन्द्रशेखर

1	2
727.	श्रीमती कंवल चौधरी
728.	श्री जोनलगड्डा गुरुप्पा चेट्टी
729.	श्री खलेद चौधरी
730.	प्रो. परमानंद चौयल
731.	उस्ताद रहीम फहीमुद्दीन डागर
732.	डा. औशवरजया कुमार दास
733.	श्री बुद्धदेव दासगुप्ता
734.	श्री विश्वनाथ गोविन्द डावरी
735.	श्रीमती शांता धनंजयन
736.	श्री वी.पी. धनंजयन
737.	श्री सत्य देव दुबे
738.	श्री सुरेश दत्ता
739.	श्री महेश इलकंचघर
740.	डा. (श्रीमती) हेलन गिरी
741.	प्रो. त्रिपुनीथुरा विश्वनाथ गोपालकृष्णन
742.	श्री जतिन गोस्वामी
743.	श्री मोहम्मद जहूर हाशमी उर्फ खय्याम्
744.	श्री किरमानी शंभू हेगड़े
745.	श्रीमती सवीत्री हेस्नम
746.	श्री वी. शंकर अय्यर
747.	श्री रेखा जैन
748.	श्री श्यामनंद जलान
749.	श्रीमती एस. जानकी
750.	श्रीमती यमुनाबाई विक्रम जवले उर्फ यमुनाबाई वायकर
751.	श्री थिरुविजा जयशंकर
752.	श्री वी. जयश्री

1	2
753.	पंडित रामाश्रय झा
754.	श्रीमती सरिता जोशी
755.	श्री बृज भूषण लाल कबरा
756.	श्री दिनकर कैकि
757.	श्री साजी नारायण करुणाकरण
758.	पंडित भवानी शंकर कथक
759.	श्री बंसी कौल
760.	श्री मोती लाल खेमू
761.	श्री श्रीनिवास विनायक खले
762.	उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान
763.	श्री विजय कुमार किचलू
764.	श्रीमती कलामंडलम क्षमावती
765.	श्री मोहम्मद कुट्टी उर्फ ममुटी
766.	डा. श्रीराम लागू
767.	श्री बनमाली महाराणा
768.	श्रीमती ऊषा मलिक
769.	श्री अभय नारायण मलिक
770.	श्री सकार खान मगनायर
771.	श्रीमती रुक्मा देवी मगनायर
772.	श्री कराईकुडी आर. मणि
773	श्री नेदूवरामबाथ मराथ नारायण मरार उर्फ कुजुर नारायण मरार
774.	श्री बाबू लाल मरोतिया
775.	श्रीमती विजया फारुख मेहता
776.	पंडित ऊमा शंकर मिश्रा
777.	श्री मनोज मित्रा

1	2
778.	श्री बादशाह मियां
779.	श्री गुलाम मोहम्मद
780.	श्री दिवजन मुखर्जी
781.	श्री वी. राम मूर्ति
782.	श्री मणिलाल नाग
783.	श्री पी.के. नारायणन नाम्बियार
784.	श्री एस. नटराजन
785.	श्री कैलाश चन्द्र पांडे
786.	श्री धार्मिकलाल चुन्नीलाल पांडे
787.	श्री कैलाश पांड्या
788.	श्री प्रभाकर पणशिकर
789.	श्रीमती सुशीला रानी पटेल
790.	श्री राम आशीष पाठक
791.	पंडित श्यामा चरण पट्टी
792.	श्री धीरेन्द्र नाथ पटनायक
793.	श्री प्रताप पवार
794.	श्री वीरेन्द्र प्रभाकर
795.	श्री गंगाधर प्रधान
796.	श्री अर्जुन प्रजापति
797.	श्री शाह रशीद अहमद कादरी
798.	श्री मेवेलिकारा एस.आर. राजू
799.	श्री कुजालमन्नम जी. रामकृष्णन
800.	श्रीमती बाम्बे जयश्री रामनाथ
801.	डा. अशोक डी. रानाडे
802.	श्री दुर्गा चरन रणबीर
803.	डा. (श्रीमती) जी. पद्मजा रेड्डी

1	2
804.	डा. (श्रीमती) कणक रेले
805.	श्री दुलाल राय
806.	श्री कुमार राय
807.	श्रीमती थिरुवेंगडम रुकमिणी
808.	उस्ताद कमल सबरी
809.	श्री कनाटामपल्ली अय्यपन सदानंदन उर्फ केडमंगलम सदानंदन
810.	पंडित शारदा सहाय
811.	श्रीमती के.जे. सरसा
812.	श्री चुक्का सथिया
813.	श्री वेमपति चिन्ना सत्यम
814.	श्री अमरापू सत्यनारायण
815.	डा. वेदांतम सत्यनारायण सामरा
816.	प्रो. सुशील कुमार सक्सेना
817.	श्री गुलाम मोहम्मद शहनवाज
818.	श्रीमती जोहरा सहगल
819.	श्री नरेन्द्र शर्मा
820.	प्रो. सुरेश शर्मा
821.	डा. (श्रीमती) जोगामाया शुक्ला
822.	श्री खंगेमबम मंगी सिंह
823.	श्री सौगीजम थनल सिंह
824.	श्री तपन कुमार सिन्हा
825.	श्री बादल सरकार
826.	श्री कोट्टाकल शिवरमन
827.	पंडित भजन सोपोरी
828.	श्री प्रदीप चन्द्र सरकार

1	2
829.	श्री वडाकैंचरी वीरराघव सुब्रमणयम
830.	श्री शशांक सुब्रमणयम
831.	श्री टी.आर. सुब्रमणयम
832.	श्रीमती पुलोपका सुशीला
833.	श्रीमती कलपक्कम स्वामीनाथन
834.	पंडित सुरेश तलवालकर
835.	श्री महेश तिलेकर
836.	प्रो. कमलेश दत्त त्रिपाठी
837.	श्री हरी उप्पल
838.	श्री एस.आर.डी. वैद्यनाथन
839.	श्रीमती आर. वेदावली
840.	मि. फ्रासीस वाजीरंग
841.	डा. कट्टासेरी जोसफ यसुदास
842.	श्री राम जनम योगी
843.	श्री ओ.पी. अग्रवाल
844.	श्री तेल लाल भारती
845.	श्रीमती विन्सी चाकू
846.	रिव (डा.) फिलिपोस मार क्रिसोसटोम
847.	श्री ऐब अजीत गनाई
848.	श्री पवन कुमार गुप्ता
849.	स्वर्गीय श्री जगन नाथ कपूर
850.	श्री अवधेश कौशल
851.	रिव. (डा.) फरदीनंद कयावील
852.	श्री अरविन्द केजरीवाल
853.	डा. पलनिउप्पा कुपुस्वामी
854.	श्री सुभाष मरिया

1	2
855.	श्री मथुनी मैथ्यू
856.	डा. कुरियन जोन मेलापरामबिल
857.	डा. (सुश्री) क्षमा मैत्रे
858.	डा. कुंवर सिंह नेगी
859.	श्री जगदीश चन्द्र पालीवाल
860.	श्री प्रभु प्रसाद पाणीग्रही
861.	सुश्री कौशल्या पैरियासामी
862.	डा. रायपू रमेश बाबू
863.	डा. लियो रेबेलो
864.	श्री मदन मोहन सबरवाल
865.	श्री विक्रमजीत सिंह साहनी
866.	श्री एस. गणेश शास्त्री
867.	डा. रामाश्रय सिंह
868.	प्रो. बी. शिवारामाकृष्णन
869.	श्रीमती नफीसा अली सोढ़ी
870.	श्री किशोर रामेश्वरजी सोनी
871.	श्रीमती सुगथकुमारी
872.	श्री भूपेन्द्र सिंह सूरी
873.	श्री जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी
874.	श्री मियां बशीर अहमद
875.	प्रो. कुरुमन एस. चलम
876.	न्यायमूर्ति (डा.) विजयकुमार एस. मालीमठ
877.	न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) कन सिंह परिहार
878.	श्रीमती रोशम्मा पुननौस
879.	श्री चुरुपुडी राम मोहन राव
880.	श्री वीरेन जे. शाह

1	2
881.	डा. यालामनचिल्ली शिवाजी
882.	प्रो. के. वी. थॉमस
883.	विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) चन्द्र दत्त उपाध्याय
884.	डा. मनिन्द्र अग्रवाल
885.	प्रो. एम. आनंदकृष्णन
886.	प्रो. गौतम बरुआ
887.	श्री अशोक कुमार बवेजा
888.	प्रो. (डा.) सागर के. ब्रह्मचारी
889.	श्री शांतिपडा गौन चौधरी
890.	श्री मोहिन्दर सिंह ग्रेवाल
891.	श्री भंवरलाल हीरालाल जैन
892.	डा. अनिल काकोदकर
893.	डा. जगदीश चन्द कत्याल
894.	प्रो. अरविन्द कुमार
895.	प्रो. गोवर्धन मेहता
896.	डा. अबनीश पांडा
897.	प्रो. अशोक पार्थशास्त्री
898.	डा. किल्लामपल्ली श्रीनिवास राव
899.	प्रो. (डा.) पंजाब सिंह
900.	डा. संत सिंह वीरमनी
901.	डा. वी. प्रसन्न भट्ट
902.	श्री जसपाल बिन्द्रा
903.	श्री हीरालाल चोपड़ा
904.	सुश्री होमी अरदेशिर दारुवाला
905.	श्री अदी गोदरेज
906.	मि. डेविड आई. हडसन

1	2
907.	श्री एम.सी. जैकब
908.	श्री राजेन्द्र प्रसाद मोदी
909.	श्री कृष्ण पिल्लई रविन्द्रनाथन नायर
910.	श्री पृथ्वी राज सिंह ओबराय
911.	श्री केसरी पाटील
912.	श्री दीपक पुरी
913.	डा. शैलेन्द्र कुमार तमोतिया
914.	डा. इकबाल सिंह आहूजा
915.	डा. सुमन भंडारी
916.	डा. कोटूरथू मामेन चैरियन
917.	डा. टोनी फर्नांडीस
918.	प्रो. (डा.) सतीश जैन
919.	प्रो. (डा.) हरीराम झुनझुनवाला
920.	डा. आर.एन. कालरा
921.	डा. अजय कुमार कृपलानी
922.	प्रो. (सुश्री) अलका कृपलानी
923.	डा. अरविन्द लाल
924.	डा. पुरुषोत्तम लाल
925.	डा. जिले सिंह मेहरवाल
926.	प्रो. डा. (श्रीमती) मंजू गीता मिश्रा
927.	डा. दीपक नटराजन
928.	डा. प्रभु दयाल निगम
929.	डा. तेसरिंग नूरबो
930.	डा. संजय नरहरी ओक
931.	डा. योगेन्द्र के. पहरिया
932.	प्रो. डा. (श्रीमती) लेखा अदिक पाठक
933.	डा. जगदीश प्रसाद

1	2
934.	डा. अनिल कुमार राय
935.	डा. अशोक राजगोपाल
936.	डा. देवराजन रामानाथन
937.	डा. अनूमोलू एस. राम राव
938.	डा. (श्रीमती) मलविका सबरवाल
939.	प्रो. (डा.) भूपेन्द्र कुमारसिंह संजय
940.	डा. दीपक सहगल
941.	डा. उतपल कांत सिंह
942.	डा. इन्दू भूषण सिन्हा
943.	डा. राम शरण सिन्हा
944.	डा. गोविन्दन विजयाराघवन
945.	डा. पन्नीमपल्ली कृष्णा राघव वेरियर
946.	श्री राजेन्द्र अवस्थी
947.	डा. बाबूराव राजश्री बागुल
948.	प्रो. विश्वानदुनी बालमोहनदास
949.	श्री बशीर अहमद बशीर
950.	डा. जयंतीलाल भंडारी
951.	डा. बिरेन्द्रनाथ दत्ता
952.	श्री दादूदन प्रतापदन गाधवी
953.	श्री अशोक के. घोष
954.	डा. कृष्ण कुमार गोस्वामी
955.	डा. वर्गीस गोस्वामी
956.	डा. प्रेम सिंह जैना
957.	प्रो (डा.) सुरेशचन्द्र गोविन्दलाल कांटावाला
958.	डा. नदूविल्लाकथू अहमद करीम
959.	श्री लक्षमनदास केशवानी

1	2
960.	श्री शमशेर अहमद खान
961.	श्री ओट्टापल्लाकल नीलकांत वेल्लू कुरुप
962.	श्री एस.एस. मणि
963.	श्री आंलोक मेहता
964.	प्रो. वृजेन्द्र राज मेहता
965.	श्री नंद किशोर नौटियाल
966.	श्री फारुख नाजकी
967.	श्री शीतला पांडे उर्फ समीर
968.	प्रो. (डा.) मोहन राममूर्ति उर्फ ईरा मोहन
969.	डा. जनकई बाबू रेड्डी
970.	श्री रेमिला सूर्या प्रकाश शास्त्री
971.	श्री प्रहलाद माधव सावंत
972.	श्री राजेन्द्र बहादुर सेठ उर्फ श्रीप्रदीप
973.	श्री कनहैयालाल सेतिया
974.	डा. राम दत्त शर्मा
975.	प्रो. (डा.) राम शरण शर्मा
976.	प्रो. (डा.) प्रभाकर शर्मा
977.	श्री विजय दत्त श्रीधर
978.	श्रीमती शांता सरबजीत सिंह
979.	श्री एस.ए. सुब्रमणयम
980.	श्री मोहम्मद युसुफ टेंग
981.	प्रो. सुखदेव थोरट
982.	श्री श्रीधर राव टीमाराजू
983.	डा. जितेन्द्र ऊधमपुरी
984.	श्रीमती लीला वेंकटरामन
985.	सुश्री बॉबी अलीसिस

1	2
986.	श्री जोगिन्दर सिंह बेदी
987.	प्रो. रविन्द्र नाथ चतुर्वेदी
988.	श्री भूपेशकुमार पी. मोदी
989.	श्री अमूल्य सेन
990.	श्री जगजीत सिंह
991.	श्री राजा रणधीर सिंह
992.	श्री ए.के. गुप्ता
993.	श्री इन्द्रजीत एस. खन्ना
994.	श्री एस.आर. खोपडे
995.	श्री सी.के. कोचुकोशी
996.	श्री डी.के. कोटिया
997.	श्री के. पद्मनाभैया
998.	श्री गुलाबराव धर्मलू पोल
999.	स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश राठोर
1000.	सुश्री प्रवीण तलहा
1001.	श्री वी. वैकुंठ
1002.	वाईस एडमीरल (सेवानिवृत्त) पी.एस. दास
1003.	स्वर्गीय श्री चिनमोय घोष
1004.	श्री एस. गोपालकृष्णन
1005.	प्रो. सैयद इकबाल हसनेन
1006.	ले. जन. (सेवानिवृत्त) अमरजीत सिंह कलकत
1007.	मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अफसिर करीम
1008.	रियर एडमीरल (सेवानिवृत्त) के.आर. मेनन
1009.	श्री डी. मुकुंदन उर्फ नगई मुकुंदन
1010.	ले. जन. (सेवानिवृत्त) सतीष नाम्बियार
1011.	ले. जन. (सेवानिवृत्त) वसंतराव राघवन

1	2
1012.	ले, जन. (सेवानिवृत्त) आदित्य सिंह
1013.	डा. (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन
1014.	श्री के. वमन कामत
1015.	डा. (श्रीमती) वीना अग्रवाल
1016.	प्रो. कौशिक बासू
1017.	श्री मेघनाद देसाई
1018.	डा. ईसर जज अहलुवालिया
1019.	श्री पी.एन. धर
1020.	डा. (श्रीमती) गीता पीरामल
1021.	श्री अमीर हुसैन खान
1022.	डा. (प्रो.) सोमा राजू भूपतिराजू
1023.	डा. जे.पी.एस. साहनी
1024.	श्री देवी प्रसाद शेट्टी
1025.	श्री रेमो फर्नांडीस
1026.	सुश्री सुनीता एल. विलियम्स
1027.	श्री महेन्द्र सिंह धोनी
1028.	श्री मारिया डी. मिरांडा
1029.	श्री राघव बहल
1030.	प्रो. (डा.) सुरेन्द्र सिंह यादव
1031.	श्री विक्रम पंडित
1032.	श्री प्रणब मुखर्जी
1033.	प्रो. डा. (श्रीमती) लीला ओमचैरी
1034.	श्री कैको एम. गांधी
1035.	न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर
1036.	डा. इलाटूवलापिल श्रीधरन
1037.	डा. रमन कपूर

1	2	1	2
1038.	सुश्री बरखा दत्त	1045.	श्री वी. रामचन्द्रन
1039.	श्री विनोद दुआ	1046.	श्री डी.आर. मेहता
1040.	श्री लक्ष्मी निवास मित्तल	1047.	डा. वसंत रणछोड़ गावरिकर
1041.	श्री रतन नवल टाटा	1048.	डा. राजेन्द्र कुमार पचौरी
1042.	श्री नागवर रामाराव नारायण मूर्ति	1049.	श्रीमती कालेटे माथुर
1043.	श्री मनोज नाईट श्यामलन	1050.	सुश्री सेंथिला टी. यंगेर
1044.	श्री चन्द्रशेखर दासगुप्ता	1051.	डा. रणधीर सूद

विवरण-II

पद्म पुरस्कार 2008 के लिए अनुमोदित व्यक्तियों के नाम

क्र.सं.	नाम	क्षेत्र	राज्य/गृह राज्य
1	2	3	4
		पद्म विभूषण	
1.	सुश्री आशा भॉसले	कला	महाराष्ट्र
2.	न्यायमूर्ति (डा.) ए.एस. आनंद	सार्वजनिक कार्य	उत्तर प्रदेश
3.	श्री पी.एन. धर	सार्वजनिक कार्य	दिल्ली
4.	श्री प्रणब मुखर्जी	सार्वजनिक कार्य	दिल्ली
5.	डा. ई श्रीधरन	विज्ञान और इंजीनियरिंग	दिल्ली
6.	डा. राजेन्द्र कुमार पचौरी	विज्ञान और इंजीनियरिंग	दिल्ली
7.	स्वर्गीय मि. एडमंड हिलेरी (मरणोपरांत)	खेल–कूद	न्यूजीलैंड
8.	श्री सचिन रमेश तेंदुलकर	खेल–कूद	महाराष्ट्र
9.	श्री विश्वनाथन आनंद	खेल–कूद	तमिलनाडु
10.	श्री लक्ष्मीनारायण मित्तल	व्यापार और उद्योग	यू.के.
11.	श्री एन.आर. नारायण मूर्ति	व्यापार और उद्योग	कर्नाटक
12.	श्री पी.आर.एस. ओबराय	व्यापार और उद्योग	दिल्ली
13.	श्री रतन नवल टाटा	व्यापार और उद्योग	महाराष्ट्र
		पद्म भूषण	
1.	स्वर्गीय श्री अमरनाथ सहगल (मरणोपरांत)	कला	दिल्ली
2.	उस्ताद असद अली खान	कला	दिल्ली

1	2	3	4
3.	श्रीमती पी. सुशीला	कला	तमिलनाडु
4.	उस्ताद रहीम फहीमुद्दीन डागर	कला	दिल्ली
5.	प्रो. सुशील कुमार सक्सेना	कला	दिल्ली
6.	श्री चन्द्रशेखर दासगुप्ता	सिविल सेवा	दिल्ली
7.	श्री के. पद्मनाभैया	सिविल सेवा	दिल्ली
8.	श्री वी. रामचन्द्रन	सिविल सेवा	केरल
9.	श्री जसदेव सिंह	आंखों देखा हाल और आकाशवाणी	दिल्ली
10.	प्रो. ब्रिजेन्द्र नाथ गोस्वामी	साहित्य और शिक्षा	चंडीगढ़
11.	प्रो. जि जियानलिन	साहित्य और शिक्षा	चीन
12.	प्रो. कौशिक बसु	साहित्य और शिक्षा	यू.एस.ए.
13.	प्रो. (श्रीमती) पद्मा देसाई	साहित्य और शिक्षा	यू.एस.ए.
14.	श्री रविन्द्र केलकर	साहित्य और शिक्षा	गोवा
15.	डा. (श्रीमती) श्यामा चोना	साहित्य और शिक्षा	दिल्ली
16.	श्री श्री लाल शुक्ला	साहित्य और शिक्षा	उत्तर प्रदेश
17.	डा. श्रीनिवास एस.आर. वर्धन	साहित्य और शिक्षा	यू.एस.ए.
18.	प्रो. टी.के. ओमान	साहित्य और शिक्षा	हरियाणा
19.	प्रो. (डा.) जगजीत सिंह चोपड़ा	औषधि	चंडीगढ़
20.	प्रो. निर्मल कुमार गांगुली	औषधि	दिल्ली
21.	मियां बशीर अहमद	सार्वजनिक कार्य	जम्मू और कश्मीर
22.	लार्ड मेघनाद देसाई	सार्वजनिक कार्य	यू.के.
23.	स्वर्गीय मि. यूली मिखाइलोविच वोरोंत्सोव (मनणोपरांत)	सार्वजनिक कार्य	रूस
24.	प्रो. आशीष दत्ता	विज्ञान और इंजीनियरिंग	दिल्ली
25.	प्रो. सुखदेव	विज्ञान और इंजीनियरिंग	दिल्ली
26.	श्रीमती सुनीता विलियम्स	विज्ञान और इंजीनियरिंग अंतरिक्षयानिकी	यू.एस.ए.
27.	डा. वसंत गावरीकर	विज्ञान और इंजीनियरिंग	महाराष्ट्र

1	2	3	4
28.	श्री डी.आर. मेहता	सामाजिक कार्य	राजस्थान
29.	मि. डोमिनिक लेपियर	सामाजिक कार्य	फ्रांस
30.	डा. (सुश्री) इन्द्रजीत कौर	सामाजिक कार्य	पंजाब
31.	श्री सुरेश कुमार नेवटिया	व्यापार और उद्योग तथा सामाजिक कार्य	दिल्ली
32.	श्री बाबा नीलकंठ कल्याणी	व्यापार और उद्योग	महाराष्ट्र
33.	श्री के.वी. कामत	व्यापार और उद्योग	महाराष्ट्र
34.	श्री शिव नाडार	व्यापार और उद्योग	तमिलनाडु
35.	श्री विक्रम पंडित	व्यापार और उद्योग	यू.एस.ए.
		पद्म श्री	
1.	श्री गंगाधर प्रधान	कला	उड़ीसा
2.	मि. गैनाडी मिखाइलोविच पैचिकोव	कला	रूस
3.	पंडित गोकुलोत्सवजी महाराज	कला	मध्य प्रदेश
4.	श्री हंस राज हंस	कला	पंजाब
5.	डा. (श्रीमती) हेलन गिरी	कला	मेघालय
6.	श्री जतिन गोस्वामी	कला	असम
7.	श्री जवाहर वट्ठल	कला	दिल्ली
8.	श्री जॉन मार्टिन नेल्सन	कला	छत्तीसगढ़
9.	श्री जोनालगड्डा गुरुप्पा चैत्ती	कला	आंध्र प्रदेश
10.	श्री कैकू एम. गांधी	कला	महाराष्ट्र
11.	श्रीमती माधुरी दीक्षित	कला	महाराष्ट्र
12.	श्री मंगला प्रसाद मोहंती	कला	झारखंड
13.	श्री मनोज नाईट श्यामलन	कला	यू.एस.ए.
14.	सुश्री मीनाक्षी चितरंजन	कला	तमिलनाडु
15.	श्री मोझीकुलम कोचुकुट्टन चकयार	कला	केरल
16.	श्री पी.के. नारायण नाम्बियार	कला	केरल
17.	श्री प्रताप पवार	कला	यू.के.

1	2	3	4
18.	श्रीमती सावित्री हैसनेम	कला	मणिपुर
19.	सुश्री सेंटीला टी. यंगेर	कला	नागालैंड
20.	डा. शिरकाजी जी. शिवचिदम्बरम	कला	तमिलनाडु
21.	श्री टॉम अल्टर	कला	महाराष्ट्र
22.	प्रो. येल्ला वेंकटेश्वर राव	कला	आंध्र प्रदेश
23.	सुश्री बरखा दत्त	पत्रकारिता	दिल्ली
24.	श्री राजदीप दिलीप सरदेसाई	पत्रकारिता	दिल्ली
25.	श्री विनोद दुआ	पत्रकारिता	दिल्ली
26.	प्रो. अमिताभ मट्टू	साहित्य और शिक्षा	जम्मू और कश्मीर
27.	श्री बालासुब्रमणियन सिवंती आदितन	साहित्य और शिक्षा	तमिलनाडु
28.	श्री भोलाभाई पटेल	साहित्य और शिक्षा	गुजरात
29.	डा. (श्रीमती) बीना अग्रवाल	साहित्य और शिक्षा	दिल्ली
30.	प्रो. (डा.) के.एस. निसार अहमद	साहित्य और शिक्षा	कर्नाटक
31.	डा. (श्रीमती) एम. लीलावती	साहित्य और शिक्षा	केरल
32.	डा. निरुपम बाजपेयी	साहित्य और शिक्षा	यू.एस.ए.
33.	डा. श्रीनिवास उद्गटा	साहित्य और शिक्षा	उड़ीसा
34.	प्रो. सुखदेव थोरट	साहित्य और शिक्षा	दिल्ली
35.	श्री सूर्या कांत हजारिका	साहित्य और शिक्षा	असम
36.	डा. वेल्यानी अर्जुनन	साहित्य और शिक्षा	केरल
37.	मोहम्मद युसुफ टेंग	साहित्य और शिक्षा	जम्मू और कश्मीर
38.	हाजी कलीम उल्लाह खान	आम वृक्षारोपण और कलम लगाना	उत्तर प्रदेश
39.	डा. ए. जयंत कुमार सिंह	औषधि	मणिपुर
40.	प्रो. (डा.) अर्जुनन राजशेखरन	औषधि	तमिलनाडु
41.	प्रो. (डा.) सी.यू. वेलमुरुगेन्द्रन	औषधि	तमिलनाडु
42.	डा. दीपक सहगल	औषधि	दिल्ली
43.	प्रो. (डा.) दिनेश के. भार्गव	औषधि	दिल्ली

1	2	3	4
44.	डा. इन्दु भूषण सिन्हा	औषधि	बिहार
45.	डा. केइकी आर. मेहता	औषधि	महाराष्ट्र
46.	डा. (श्रीमती) मलविका सबरवाल	औषधि	दिल्ली
47.	डा. मोहन चन्द्र पंत	औषधि	उत्तर प्रदेश
48.	डा. राकेश कुमार जैन	औषधि	उत्तराखंड
49.	डा. रमन कपूर	औषधि	दिल्ली
50.	डा. रणधीर सूद	औषधि	दिल्ली
51.	डा. श्याम नारायण आर्य	औषधि	बिहार
52.	प्रो. (डा.) सुरेन्द्र सिंह यादव	औषधि	दिल्ली
53.	डा. तात्याराव पुंडलिकराव लहाणे	औषधि	महाराष्ट्र
54.	डा. टोनी फर्नांडिस	औषधि	केरल
55.	श्रीमती कॉलेटे माथुर	सार्वजनिक कार्य	स्विटजरलैंड
56.	श्री भवरलाल हीरालाल जैन	विज्ञान और इंजीनियरिंग	महाराष्ट्र
57.	डा. जोसफ एच. हुल्से	विज्ञान और इंजीनियरिंग	कनाडा
58.	प्रो. कस्तूरी लाल चोपड़ा	विज्ञान और इंजीनियरिंग	दिल्ली
59.	डा. संत सिंह वीरमानी	विज्ञान और इंजीनियरिंग	यू.एस.ए.
60.	श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल	सामाजिक कार्य	राजस्थान
61.	सिस्टर करुणा मैरी बरगैंजा	सामाजिक कार्य	महाराष्ट्र
62.	डा. (श्रीमती) क्षमा मैत्रे	सामाजिक कार्य	हिमाचल प्रदेश
63.	डा. कुट्टीकुप्पला सूर्या राव	सामाजिक कार्य	आंध्र प्रदेश
64.	श्री मदन मोहन सबरवाल	सामाजिक कार्य	दिल्ली
65.	डा. (सुश्री) शीला बड़ठाकुर	सामाजिक कार्य	असम
66.	श्री वी.आर. गौरीशंकर	सामाजिक कार्य	कर्नाटक
67.	श्री विक्रमजीत सिंह साहनी	सामाजिक कार्य	दिल्ली
68.	श्री युसूफ अली मुसलियमविट्टिल अब्दुल कादर	सामाजिक कार्य	यू.ए.ई
69.	श्री भाईचुंग भूटिया	खेल–कूद	सिक्किम
70.	सुश्री बुला चौधरी चक्रवर्ती	खेल–कूद	पश्चिम बंगाल
71.	डा. अमित मित्रा	व्यापार और उद्योग	दिल्ली

[अनुवाद]

खनन गतिविधियों हेतु वन भूमि

3363. श्री भाईलाल : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खनन गतिविधियों हेतु वन भूमि को पट्टे पर दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार खनन हेतु पट्टे पर दी गई वन भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है तथा इस संबंध में निबंधन एवं शर्तें क्या है;

(ग) क्या खनन एजेन्सियां निबंधन एवं शर्तों का पालन कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ङ) राज्य खनिजों के मालिक होते हैं और खनन पटटे राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। राज्य सरकारें कार्यकलापों के लिए वन भूमि को पट्टे पर देती हैं। भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार खनन के लिए पट्टे पर दी गई वन भूमि के कुल क्षेत्र का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस संबंध में निबंधन और शर्तें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण) नियमावली, 1981 के प्रावधानों द्वारा शासित होती हैं जिनका सभी खनन पट्टाधारियों द्वारा वन भूमि में अपने प्रचालनों के समय अनुपालन किया जाना होता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	1.4.2007 की स्थिति के अनुसार मौजूदा वर्किंग और नॉन–वर्किंग खानों के लिए पट्टे पर दी गई कुल वन भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2312.546
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
3.	असम	268.00
4.	गोवा	22586.33
5.	बिहार	12837 *
6.	झारखंड	
7.	गुजरात	1905.783
8.	पंजाब	शून्य
9.	दिल्ली	शून्य
10.	हरियाणा	शून्य
11.	राजस्थान	28373.0232
12.	कर्नाटक	32931.798
13.	केरल	247.55
14.	महाराष्ट्र	7645.63
15.	उड़ीसा	40536.854
16.	छत्तीसगढ़	6791.332
17.	मध्य प्रदेश	685.357
18.	उत्तर प्रदेश	79.130
19.	तमिलनाडु	471.29
20.	उत्तराखंड	236.718
21.	हिमाचल प्रदेश	744.3632
22.	मेघालय	100.00
23.	सिक्किम	1.80
24.	पश्चिम बंगाल	शून्य
25.	त्रिपुरा	शून्य
26.	मिजोरम	शून्य
27.	मणिपुर	शून्य
28.	जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं

* अलग–अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सुनामी के पश्चात्वर्ती प्रभावों के संबंध में सर्वेक्षण

3364. श्री रामदास आठवले : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के वैज्ञानिकों द्वारा सुनामी के पश्चात्वर्ती प्रभावों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई वित्तीय सहायता ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय के अधीन आने वाले एकीकृत तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन (इकमाम) ने 26 दिसम्बर, 2004 को आई सुनामी के बाद "जलमग्न क्षेत्रों का मानचित्रण" परियोजना का समन्वयन किया। इस परियोजना के अन्तर्गत, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के विशिष्ट तटवर्ती क्षेत्रों में सुनामी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए जलमग्न हुए क्षेत्रों की सीमा, लहरों की ऊंचाई तथा तटवर्ती भू–आकृतिविज्ञान में हुए परिवर्तनों का व्यापक क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया गया। इस अध्ययन में, सुनामी के कारण जलमग्न हुए क्षेत्रों के मानचित्र तैयार करना और बुरी तरह प्रभवित क्षेत्र की पहचान करना, सुनामी प्रभवित क्षेत्रों में जल गुणवत्ता संबंधी अध्ययन तथा सुनामी उपरान्त तलछट की विशेषताओं की पहचान करना शामिल है। भू–आकृतिविज्ञान और भूमि प्रयोग संबंधी मानचित्र तैयार करने के लिए उपग्रह सुदूर–संवेदी डेटा तथा लहरों के उठने संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए रीयल टाइम्स काइनमेटिक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। उपर्युक्त जानकारी को भौगोलिक सूचना परक प्रणाली पर्यावरण में सम्मिलित किया गया ताकि मानचित्र और संबंधित आंकड़े तैयार किए जा सकें।

विज्ञान और प्रैद्योगिकी विभाग के अधीन आने वाले भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भी सुनामी के बाद अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में आए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज परिवर्तनों का पता लगाने के लिए भूगणितीय अध्ययन किए। इन भूगणितीय सर्वेक्षण अभियानों के एक भाग के रूप में गुरुत्वाकर्षी प्रेक्षणों सहित उच्च सूक्ष्मता समतलन तथा ग्लोबल पॉजीशनिंग सिस्टम प्रेक्षण किए गए।

(ग) यह अध्ययन और सर्वेक्षण, पहले से जारी कार्यक्रमों के भाग के रूप में किए गए, अतः इस मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ अलग से कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई गई।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात मदों के विनिर्माण में बाल श्रम

3365. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री दलपत सिंह परस्तेः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एक अमरीकी राजपत्र अधिसूचना के आलोक में संवेदनशील निर्यात मदों की आपूर्ति में बाल श्रम कानूनों का उल्लघंन करती पाई जाने वाली विनिर्माण इकाइयों की सामाजिक लेखापरीक्षा करने के प्रयोजनार्थ कोई योजना तैयार की है अथवा इसकी रूपरेखा बनाई, जैसा कि दिनांक 16 मार्च, 2008 के "द टाईम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का विचार इस संबंध में निर्यात संवर्धन परिषदों से विचार–विमर्श करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के निर्यात लक्ष्यों के किस हद तक प्रभावित होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) यद्यपि ऐसे उद्योगों से बाल श्रम समाप्त करने के मद्देनजर निर्यातोन्मुख उद्योगों में सामाजिक लेखा परीक्षा हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है तथापि कानूनो के अंतर्गत प्रतिबंधित व्यवसायों और प्रक्रिया में बाल श्रम को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों के मुद्दों के संबंध में अनेक संगठनों और व्यक्तियों से परस्पर बातचीत करता है तथा निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ पारस्परिक बातचीत हेतु किसी कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) निर्यात लक्ष्यों के प्रभावित होने की संभावना नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदयः अब सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

तत्पश्चात लोकसभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थागित हुई।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी दो घोषणाएं करनी हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल प्रैजीडेन्ट का एक मैसज पढ़ूंगा। मैं हाउस का कोई बिजनेस नहीं ले रहा हूं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.30½ बजे

इस समय कुंवर देवेन्द्र सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सुनिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यह भी बोलने नहीं देंगे कि प्रैजीडेन्ट ने क्या मैसेज भेजा है?

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.31 बजे

राष्ट्रपति का संदेश

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि मुझे माननीया राष्ट्रपति से 6 मार्च 2008 को निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :–

"25 फरवरी, 2008 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करती हूं।"

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.31½ बजे

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे दिनांक 18 मार्च, 2008 को मेघालय के तुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री पूर्णो एजीटोक संगमा द्वारा दिनांक 10 मार्च 2008 को लिखा गया एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे दिया है।

मैंने 20 मार्च 2008 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, ऐसा लगता है कि बहुत से माननीय सदस्य कीमतों में वृद्धि के मुद्दे के विषय में चिन्तित है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नारे लगाने वाले सदस्यों के नाम नोट किये जाएं। सभा में आज के कार्य की सूची पहले से ही नियत है। मैं आपसे सहयोग करने का आग्रह करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा के दौरान अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं। आप उस समय अपनी बात कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी काम करने की इच्छा नहीं। आप एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

अब मैं सभा 16 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित करता हूं।

पूर्वाह्न 11.32 बजे

तत्पश्चात लोकसभा बुधवार, 16 अप्रैल 2008/27 चैत्र, 1930 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका (20.3.08)

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री हितेन बर्मन	301
2.	श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	302
	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	
3.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	303
	श्री अमिताभ नन्दी	
4.	श्री किसनभाई वी पटेल	304
	श्री सुग्रीव सिंह	
5.	श्री जी. एम. सिद्दीश्वर	305
6.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	306
7.	श्री पी. सी. थामस	307
8.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	308
9.	श्री के. एस. राव	309
10.	श्री अबु अयीश मंडल	310
11.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	311
12.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	312
	श्री गिरिधर गमांग	
13.	श्री महावीर भगोरा	313
	श्री श्यामाचरण गुप्त	
14.	श्रीमती जयाप्रदा	314
	श्री निखिल कुमार	
15.	श्री हरिभाऊ राठौड़	315
16.	श्री संतोष गंगवार	316
17.	श्री मनोरंजन भक्त	317
	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	
18.	श्री प्रहलाद जोशी	318
19.	श्री तापिर गाव	319
20.	श्री रघुराज सिंह शाक्य	320

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका (15.4.08)

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	321
	श्री हेमलाल मुर्मू	
2.	श्री जीवाभाई ए. पटेल	322
	डा. धीरेन्द्र अग्रवाल	
3.	श्री एस. अजय कुमार	323
4.	श्री हरिभाऊ राठौड़	324
5.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	325
6.	श्री सर्वे सत्यनारायण	326
7.	श्री राजू राणा	327
	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	
8.	श्री अधीर चौधरी	328
9.	श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली	329
	श्री संजय धोत्रे	
10.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी	330
11.	श्री हरिकेवल प्रसाद	331
	श्री काशीराम राणा	
12.	श्री के. जे. एस. पी. रेड्डी	332
13.	श्री चन्द्र भूषण सिंह	333
	डा. एम. जगन्नाथ	
14.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	334
15.	श्री भर्तृहरि महताब	335
	श्री उदय सिंह	
16.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम	336
17.	श्री हितेन बर्मन	337
18.	श्री हंसराज गं. अहीर	338
19.	श्री रूपचन्द मुर्मू	339
20.	श्री अजय चक्रवर्ती	340

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका (20.3.08)

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे. एम	2977, 3069
2.	अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	2966
3.	आचार्य, श्री बसुदेव	2979, 3073, 3123, 3151, 3165
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3013, 3022, 3095, 3132, 3154
5.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	3000, 3102
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	2944, 3080, 3102
7.	अजय कुमार, श्री एस.	3015, 3089
8.	अजनाला, डा. रतन सिंह	2993
9.	अंगड़ि, श्री सुरेश	3016, 3109
10.	आठवले, श्री रामदास	3025
11.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	3102
12.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2946, 2990, 2992, 3029, 3083
13.	बर्मन, श्री हितेन	3031, 3104
14.	बर्मन, श्री रनेन	2989
15.	बसु, श्री अनिल	2985
16.	बेल्लारमिन, श्री ए. वी.	2985
17.	भगोरा, श्री महावीर	2971, 3063
18.	भक्त, श्री मनोरंजन	3084, 3114, 3137, 3167
19.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2943
20.	बोस, श्री सुब्रत	2938, 3046, 3049, 3074
21.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2956, 3039
22.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2972, 3072, 3122, 3142, 3160
23.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	2962
24.	चौधरी, श्री पंकज	3108, 3117
25.	देवरा, श्री मिलिन्द	2964, 3043, 3101, 3105, 3107
26.	धनराजू, डा. के.	3005
27.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	2953, 3054
28.	दूबे, श्री रमेश	2970, 3121
29.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	2976
30.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	3019
31.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	2986, 3052
32.	गढ़वी, श्री पी. एस.	2992
33.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2996, 3024, 3098, 3130
34.	गमांग, श्री गिरिधर	3040
35.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2983, 3012
36.	गुप्त, श्री श्यामा चरण	3082
37.	हसन, चौ. मुनव्वर	2868, 3094
38.	जटिया, डा. सत्यनारायण	2982, 3067, 3108
39.	जयाप्रदा, श्रीमती	2965, 3044, 3113, 3136
40.	झा, श्री रघुनाथ	2999, 3091
41.	जिन्दल, श्री नवीन	2957, 3042, 3121
42.	जोगी, श्री अजीत	2987, 3053
43.	जोशी, श्री प्रहलाद	2939, 3065

1	2	3
44.	कनोडीया, श्री महेश	2992
45.	करूणाकरन, श्री पी.	3003
46.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	2990, 3008, 3083
47.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2955, 3077, 3124, 3143
48.	खां, श्री सुनील	2980, 3071, 3120, 3241
49.	खारवेनथन, श्री एस. के.	2954, 3038, 3116, 3138, 3158
50.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2948, 3074, 3115
51.	कृष्ण, श्री विजय	3007, 3020, 3093
52.	कृष्णदास, श्री एन. एन.	2979
53.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	3018, 3090
54.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	2953
55.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2992
56.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2981, 3085
57.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	3017
58.	महतो, श्री नरहरि	2952
59.	महताब, श्री भर्तृहरि	2960, 3076
60.	मंडल, श्री सनत कुमार	2969
61.	माने, श्रीमती निवेदिता	2996, 3021, 3024, 3098, 3130
62.	मनोज, डा. के. एस.	2963
63.	मसूद, श्री रशीद	3009, 3084
64.	मिडियम, डा. बाबू राव	3049
65.	मेघवाल, श्री कैलाश	2949
66.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2988, 3007, 3057
67.	मैन्या, डा. टोकचोम	3108
68.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	2992
69.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	2998
70.	मुकीम, मो.	2991, 3062
71.	मंडल, श्री अबु अयीश	3061
72.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3004, 3048, 3080, 3115
73.	नन्दी, श्री अमिताभ	3125, 3145, 3162, 3081
74.	नायक, श्री अनन्त	3027
75.	निखिल कुमार, श्री	3070, 3136
76.	ओराम, श्री जुएल	3010, 3086, 3126, 3146, 3163
77.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2995, 2996, 3099, 3131, 3150
78.	पल्लानी शामी, श्री के. सी.	2952, 3037
79.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2997
80.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3045, 3106, 3134, 3156
81.	पाठक, श्री हरिन	2990
82.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	2958
83.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	3033
84.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	2965, 2996, 3096
85.	पिंगले, श्री देविदास	2996, 3096
86.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3000, 3102
87.	प्रसाद, श्री लालमणि	3166

1	2	3
88.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2979
89.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2975, 3049, 3077, 3129, 3148
90.	रंजन, श्रीमती रंजीत	3023
91.	राव, श्री के. एस.	3041, 3112
92.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3061, 3070, 3162
93.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3047
94.	रावत, प्रो. रासा सिंह	2947, 3030
95.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	2950, 3087, 3127, 3152
96.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3109
97.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3048
98.	साय, श्री नन्द कुमार	3026, 3045, 3051, 3101, 3106
99.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2942, 3036, 3107, 3144, 3161
100.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3056, 3108, 3153
101.	सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे	3019
102.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3066, 3115
103.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3013, 3014, 3088, 3128, 3147
104.	शिवन्ना, श्री एम.	2981, 3012, 3085
105.	शिवनकर, प्रो. महादेव	2961, 3068, 3118
106.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	3032, 3103, 3133, 3155
107.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2945, 3000, 3079
108.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	3060, 3111, 3135, 3157
109.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3058, 3109
110.	सिंह, श्री चन्द्रभान	2994
111.	सिंह, श्री गणेश	2940, 3007, 3035
112.	सिंह, श्री मोहन	2978, 3050, 3117, 3139
113.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3011, 3102
114.	सिंह, श्री राकेश	2951, 3034
115.	सिंह, श्री रेवती रमन	3018
116.	सिंह, श्री सुग्रीव	3026, 3101, 3134, 3154
117.	सिंह, श्री उदय	2967, 3113
118.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	2959
119.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	2992
120.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	3028, 3108
121.	सुजाता, श्रीमती सी. एस.	3075
122.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2971
123.	थामस, श्री पी. सी.	3059, 3110, 3149, 3164
124.	तुम्मर, श्री वी. के.	2973, 3079
125.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3055
126.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2984, 3051, 3119, 3140, 3159
127.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3100
128.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	2990, 2992
129.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2973, 3000, 3006

1	2	3
130.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम. पी.	3002
131.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3103, 3014, 3022, 3078, 3097
132.	यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु	2996, 3024, 3098, 3130
133.	यादव, श्री गिरिधारी	2941
134.	यादव, श्री मित्रसेन	3001, 3092, 3130
135.	यादव, श्री पारसनाथ	3007
136.	यास्खी, श्री मधु गौड	2996, 3024, 3098, 3130
137.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2974, 3078

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका (15.4.08)

1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3237, 3295, 3330, 3348, 3358
2.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	3263
3.	अहीर, श्री हंसराज गं.	3248
4.	अप्पादुरई, श्री एम.	3220
5.	आठवले, श्री रामदास	3184, 3280, 3321, 3364
6.	आजमी, श्री इलियास	3255, 3362
7.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3250, 3302, 3334, 3351
8.	बर्मन, श्री हितेन	3241, 3305, 3338, 3344
9.	बर्मन, श्री रनेन	3177, 3241, 3288, 3344
10.	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	3202, 3255, 3278
11.	भगोरा, श्री महावीर	3178, 3242, 3322
12.	भाईलाल, श्री	3240, 3363
13.	भक्त, श्री मनोरंजन	3230, 3285, 3326, 3345
14.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	3235, 3255
15.	बोस, श्री सुब्रत	3182, 3241, 3283, 3324, 3344
16.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	3269, 3361
17.	बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर	3226, 3355
18.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3265, 3309
19.	चन्द्रप्पन, श्री सी. के.	3217
20.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3225
21.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	3219, 3262, 3268
22.	चिन्ता मोहन, डा.	3209
23.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	3231
24.	चौधरी, श्री पंकज	3255
25.	दरबार, श्री छत्तर सिंह	3238, 3263, 3294
26.	देवरा, श्री मिलिन्द	3173, 3254, 3269, 3304
27.	धनराजू, डा. के.	3210, 3271, 3313
28.	धोत्रे, श्री संजय	3261
29.	दूबे, श्री रमेश	3224, 3282
30.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	3233,3355
31.	गमांग, श्री गिरिधर	3174
32.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	3261

1	2	3
33.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	3204, 3266
34.	हसन, चौ. मुनव्वर	3234, 3292, 3329
35.	जगन्नाथ, डा. एम.	3274, 3315, 3341
36.	जैन, श्री पुष्प	3205
37.	जटिया, डा. सत्यनारायण	3203
38.	जयाप्रदा, श्रीमती	3199, 3223
39.	जोगी, श्री अजीत	3197, 3270, 3312
40.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3200
41.	खां, श्री सुनील	3170, 3255, 3257
42.	खारवेनथन, श्री एस. के.	3183, 3221, 3251, 3255, 3269
43.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3169, 3243, 3255, 3303
44.	कृष्ण, श्री विजय	3227, 3255, 3298, 3331, 3355
45.	महरिया, श्री सुभाष	3191
46.	महतो, श्री नरहरि	3187, 3241, 3290, 3327, 3344,
47.	माझी, श्री परसुराम	3218, 3279, 3319, 3347
48.	मनोज, डा. के.एस.	3255
49.	मसूद, श्री रशीद	3255
50.	मेघवाल, श्री कैलाश	3180, 3245, 3320
51.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3196
52.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	3225
53.	मोहन, श्री पी.	3263
54.	मोल्लाह, श्री हन्नान	3255
55.	मंडल, श्री अबु अयीश	3207, 3267, 3310
56.	मोरे, श्री वसंतराव	3179
57.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3255, 3311, 3339, 3353
58.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	3264
59.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	3263
60.	नन्दी, श्री अमिताभ	3195
61.	नायक, श्री अनन्त	3232, 3296, 3319, 3341
62.	निखिल कुमार, श्री	3223, 3255, 3281, 3323
63.	ओराम, श्री जुएल	3188, 3291, 3328, 3346, 3357
64.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3231, 3289, 3332, 3350, 3359
65.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	3192
66.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3222
67.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3263, 9287
68.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3189, 3255, 3269, 3365
69.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3259
70.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3198, 3277, 3318, 3360, 3365
71.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	3190, 3293

1	2	3
72.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	3306
73.	पिंगले, श्री देविदास	3306
74.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3262
75.	प्रसाद, श्री लालमणि	3347
76.	राई, श्री नकुल दास	3168, 3253
77.	राणा, श्री काशीराम	3263, 3308
78.	राणा, श्री राजू	3260
79.	रंजन, श्रीमती रंजीत	3212
80.	राव, श्री के.एस.	3186, 3286
81.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3258, 3306, 3335
82.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3244, 3299, 3336, 3352
83.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3211, 3272
84.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	3255
85.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3208, 3216
86.	रिजीजू, श्री कीरेन	3176, 3287
87.	साई प्रताप, श्री ए.	3171, 3269
88.	साय, श्री नन्द कुमार	3198, 3277, 3318, 3343, 3356
89.	साय, श्री विष्णु देव	3194, 3355
90.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3213, 3273, 3314, 3340
91.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	3193, 3252
92.	सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे	3263
93.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3201
94.	शर्मा, डा. अरविन्द	3265
95.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3224, 3237, 3295, 3311, 3330
96.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	3176
97.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	3172, 3247, 3300, 3333, 3354
98.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3255, 3256, 3307, 3337
99.	सिंह, श्री दुष्यंत	3239
100.	सिंह, श्री गणेश	3266
101.	सिंह, श्री मोहन	3221, 3255
102.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3214, 3255, 3297
103.	सिंह, डा. राम लखन	3206
104.	सिंह, श्री रेवती रमन	3221
105.	सिंह, श्री सुग्रीव	3198, 3277, 3318, 3360, 3365
106.	सिंह, श्री सूरज	3209, 3228
107.	सिंह, श्री उदय	3255, 3276, 3317
108.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	3217, 3255
109.	सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह	3260
110.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	3181, 3246
111.	सुगावनम, श्री ई.जी.	3185, 3249, 3301
112.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	3175
113.	सुमन, श्री रामजीलाल	3228
114.	थामस, श्री पी.सी.	3215, 3275, 3316, 3342, 3355
115.	ठुम्मर, श्री वी.के.	3208, 3268
116.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3221, 3229, 3284, 3325, 3349

1	2	3
117.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3216, 3259, 3308
118.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3168, 3224, 3237, 3253, 3255
119.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	3233, 3255, 3355
120.	यास्खी, श्री मधु गौड	3233, 3355
121.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3236, 3255, 3319

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका (20.3.08)

(मंत्रालय–वार)

कार्पोरेट कार्य	
वित्त	123, 125, 131, 133, 139, 140
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	121, 135
विधि और न्याय	130
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	122
विद्युत	124, 126, 129, 138
ग्रामीण विकास	127, 132, 134, 137
जनजातीय कार्य	
शहरी विकास	136
महिला और बाल विकास	128

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका (15.04.08)

वाणिज्य और उद्योग	321, 325, 328, 330, 331, 337, 338, 339
पृथ्वी विज्ञान	334
गृह	322, 323, 335
मानव संसाधन विकास	326, 332, 336, 340
सूचना और प्रसारण	327, 329
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	
खान	333
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	324

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका (20.03.08)

रसायन और उर्वरक	2955, 2967, 2968, 2984, 3003, 3044, 3048, 3051, 3055, 3074, 3096, 3097, 3134, 3146, 3151, 3158, 3159, 3167
नागर विमानन	2950, 2953, 2956, 2965, 2966, 2970, 2974, 2976, 2977, 2980, 2999, 3004, 3012, 3015, 3018, 3029, 3030, 3035, 3036, 3043, 3054, 3061, 3070, 3072, 3076, 3078, 3081, 3089, 3093, 3095, 3098, 3102, 3109, 3112, 3120, 3121, 3122, 3129, 3139, 3140, 3142, 3153, 3154, 3155, 3156

संस्कृति	2938, 2952, 2963, 2981, 2989, 2993, 3024, 3031, 3032, 3040, 3046, 3049, 3050, 3053, 3064, 3083, 3103
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	2949, 3041
भारी उद्योग और लोक उद्यम	2983, 2997, 3000, 3052, 3106, 3119, 3125, 3141, 3150, 3165
अल्पसंख्यक मामले	2962, 3141
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	2940, 2941, 2948, 2960, 2969, 2978, 2985, 2986, 2990, 2991, 2998, 3001, 3002, 3006, 3010, 3013, 3014, 3016, 3019, 3021, 3026, 3037, 3047, 3062, 3073, 3075, 3088, 3090, 3108, 3110, 3123, 3128, 3131, 3132, 3136, 3137, 3144, 3147, 3162
रेल	2943, 2945, 2946, 2951, 2954, 2957, 2964, 2972, 2973, 2982, 2988, 2994, 3008, 3009, 3017, 3022, 3025, 3027, 3033, 3034, 3038, 3039, 3042, 3056, 3057, 3059, 3060, 3063, 3066, 3067, 3079, 3080, 3082, 3084, 3085, 3086, 3092, 3094, 3100, 3101, 3105, 3111, 3113, 3115, 3116, 3117, 3126, 3127, 3133, 3135, 3138, 3148, 3149, 3157, 3160, 3164
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	2939, 2944, 2958, 2971, 2975, 2979, 3007, 3020, 3023, 3045, 3065, 3069, 3091
इस्पात	2961, 2996, 3028, 3068, 3071, 3077, 3099, 3104, 3118, 3124, 3143, 3145, 3163, 3166
पर्यटन	2942, 2947, 2959, 2987, 2992, 2995, 3005, 3011, 3058, 3087, 3107, 3130, 3152, 3161.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका (15.04.08)

वाणिज्य और उद्योग	3172, 3175, 3177, 3182, 3187, 3189, 3196, 3204, 3206 3208, 3215, 3216, 3218, 3221, 3225, 3228, 3229, 3231, 3233, 3241, 3246, 3252, 3262, 3264, 3265, 3266, 3273, 3279, 3282, 3283, 3285, 3288, 3290, 3291, 3292, 3295, 3296, 3299, 3301, 3309, 3314, 3315, 3316, 3324, 3327, 3332, 3334, 3336, 3338, 3344, 3350, 3356, 3357, 3359, 3361, 3365
पृथ्वी विज्ञान	3200, 3249, 3271, 3313, 3364
गृह	3168, 3176, 3183, 3186, 3188, 3190, 3191, 3192, 3194, 3195, 3198, 3199, 3201, 3209, 3210, 3214,

	3222, 3223, 3226, 3236, 3237, 3239, 3240, 3244, 3247, 3253, 3254, 3255, 3259, 3261, 3263, 3267, 3268, 3275, 3278, 3281, 3286, 3287, 3294, 3297, 3303, 3305, 3308, 3318, 3321, 3323, 3329, 3341, 3343, 3347, 3352, 3360, 3362
मानव संसाधन विकास	3171, 3173, 3174, 3179, 3181, 3184, 3185, 3193, 3197, 3202, 3203, 3205, 3211, 3212, 3213, 3219, 3220, 3224, 3227, 3238, 3242, 3245, 3248, 3250, 3251, 3256, 3258, 3260, 3269, 3272, 3276, 3277, 3280, 3284, 3293, 3298, 3304, 3307, 3310, 3311, 3317, 3319, 3320, 3322, 3326, 3328, 3330, 3331, 3333, 3335, 3337, 3348, 3349, 3351, 3353, 3354, 3355
सूचना और प्रसारण	3169, 3170, 3207, 3235, 3274, 3300, 3302, 3358
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	3180, 3306, 3312, 3325, 3339, 3340, 3345, 3346
खान	3230, 3232, 3257, 3270, 3279, 3342, 3363
संसदीय कार्य	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	3178, 3217, 3234, 3243.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्र
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।